पंचदश माला, खंड 36, अंक 4

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2013
19 अग्रहायण, 1935 (शक)

10 दिसम्बर 2013

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पन्द्रहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 090
Dated 15 May 2017

(खंड 36 में अंक 1 से 4 शामिल हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बाल. शेखर
महासचिव
लोक सभा

पी.वी.एल.एन. मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक

धरम सिंह
सम्पादक

अन्जु मीणा
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 36, पन्द्रहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2013/19 अग्रहायण, 1935 (शक)

विषय कॉलम

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मानवाधिकार दिवस 1

प्रश्नों का मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 61 2-5

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 80 6-338

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 337-1070

सभा पटल पर रखे गए पत्र 1071-1075

1082

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

19वें से 21वां प्रतिवेदन 1075

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

252वें से 256वां प्रतिवेदन 1076

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीकांत जेना 1077-1079

(दो) (क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणयों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पबन सिंह घाटोवार 1079-1080

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा।

विषय **कॉलम**

(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 1080-1082

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सचूनाएं........ 1082-1084

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1085-1086

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1086-1094

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका........ 1095-1096

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1095-1098

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2013/19 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मानवाधिकार दिवस

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, वर्ष 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समूचे विश्व में सभी मनुष्यों के अन्तर्निहित मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया था। प्रत्येक मनुष्य के ये अहरणीय अधिकार हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रतिपादित हैं। हमारे देश ने सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों, धर्मों, और लिंगों के नागरिकों के मानवाधिकारों की उत्साहपूर्वक रक्षा की है और उन्हें प्राप्त करने का सतत् प्रयास किया है। हम मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सभी के लिए इन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करने की प्रतिज्ञा करें।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री पी. कुमार, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री अशोक कुमार रावत, श्री अर्जुन चरण सेठी, शेख सैदुलहक, श्रीमती जे. हेलन डेविडसन, श्री नरहरि महतो और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए। *[अनुवाद]* हम इसे करेंगे *[हिन्दी]* हम करेंगे। आपने कहा था।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 61 — श्री के. सुधाकरण

प्रश्न का मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

***61. श्री के. सुधाकरण :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अधिनियमित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित योजना की मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत शामिल की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा कौन-कौन से राज्य अब तक इस योजना को शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं और ऐसे राज्यों को अब तक कौन-कौन से खाद्य पदार्थ और अन्य सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों के साथ लागत भागीदारी सूत्र सहित इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु कोई विचार-विमर्श/राज्यों के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे तथा इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया एवं उनके द्वारा कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत पारदर्शिता लाने और अन्यत्र उपयोग को रोकने हेतु छोटे पैकेटों में खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने सहित इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का हक प्रदान करता है। यह हकदारी 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तक विस्तारित की गई है। पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्ति चावल/गेहूं/मोटा अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होंगे, बशर्ते कि मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के अत्यधिक निर्धनतम परिवार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे। इसके अलावा, इस अधिनियम में चल रही एकीकृत बाल विकास सेवाओं और

मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए भोजन की हकदारी का भी प्रावधान है।

अब तक हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अपनी तैयारी के बारे में सूचना दी है। पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने भी अपनी सहमति की सूचना दी है और इस अधिनियम के तहत खाद्यान्नों का आवंटन करने का अनुरोध किया है। इन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की रिपोर्टों का आकलन करने के बाद अब तक हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को लाभभोगियों की पहचान में हुई प्रगति के आधार पर खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 30 सितंबर और 1 अक्तूबर, 2013 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 30 सितंबर, 2013 को आयोजित खाद्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया तथा 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1 अक्तूबर, 2013 को खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में पात्र परिवारों को शामिल करने/अपात्र परिवारों को हटाने के लिए मानदंड बनाए जाने एवं लाभभोगियों की सही पहचान करने, नए राशन कार्ड जारी करने, खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी करने, जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने, विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सृजित करने और अंतर-राज्य ढुलाई पर होने वाले व्यय की पूर्ति, उचित दर दुकानों के मालिकों को हैंडलिंग तथा मार्जिन का भुगतान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने जैसे कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में, चुनिन्दा राज्यों के खाद्य सचिवों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन हैंडलिंग और उचित दर दुकानों के मालिकों दिए जाने वाले मार्जिन पर होने वाले व्यय से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के संबंध में जांच करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना और उसे सुचारू बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की निरंतर समीक्षा करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्तरों पर बेहतर मानीटरिंग और सतर्कता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करने, उचित दर दुकानों के प्रचालनों की व्यावहारिकता में सुधार आदि का अनुरोध करती रही है। उचित दर दुकानों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का वितरण करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश ने गेहूं, आटा और चीनी जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों का वितरण छोटे पैकों में करने की सूचना दी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए निरन्तर उपाय किए जाने का भी प्रावधान है जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रागामी रूप से किए जाने हैं। इन सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणें का उपयोग, एक समय-सीमा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए गए जिन्सों में विविधता लाना आदि शामिल है। इस अधिनियम में जिला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र बनाने के अतिरिक्त लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का भी प्रावधान है जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकॉर्डों को दर्शाया जाना, सामाजिक लेखापरीक्षा और राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकानों के स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करना शामिल है।

श्री के. सुधाकरण : अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमारे माननीय मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस द्वारा पहल की जाने तथा भारत की संसद में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को अधिनियमित करने में सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। वास्तव में यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है... *(व्यवधान)*

11.03 बजे

इस समय श्री कैलाश नारायण सिंह देव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अनुपूरक प्रश्न पर पुन: लौटते हुए, खाद्य सुरक्षा विधेयक से देश भर के लगभग 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मिलने की आशा है। अत: यह उम्मीद की जाती है कि हमें प्रतिवर्ष 85 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए स्थान की आवश्यकता होगी मेरा मानना है कि आज हमारे पास केवल 55 मिलियन टन के भंडारण हेतु स्थान है। भंडारण सुविधाओं के पर्याप्त संख्या में नहीं होने से अन्न सड़ जाएगा जिससे एनएफएसए का कार्यान्वयन प्रभावित होगा।...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही में और यहां तक कि स्थानीय निकायों के स्तर पर पर्याप्त संख्या में भांडागारों के लिए तथा भांडागारों के निर्माण हेतु विशेष ऋण देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि एनएफएसए का सफल कार्यान्वयन करने के लिए हमें और अधिक भांडागारों की आवश्यकता है। हमारे राज्य केरल में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अवसंरचना के संबंध में केरल सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी और केरल सरकार द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केरल सरकार द्वारा क्या बाधाएं बताई गई हैं?...*(व्यवधान)*

प्रोफेसर के.वी. थॉमस : वर्तमान में एफसीआई राज्य भांडागार निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम में हमारी भंडारण क्षमता 76 मिलियन टन है...*(व्यवधान)*

हमने कार्यवाही आरंभ की है ताकि तीन वर्ष की अवधि के अंदर पीईजी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 20 मिलियन टन क्षमता और बढ़ाई जा सके...*(व्यवधान)* देश में हमारे केन्द्रीय भांडागार प्रणाली में लगभग 75 से 80 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडारण करने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी...*(व्यवधान)*

महोदया, केरल की बात करते समय हमने केरल सरकार के साथ बातचीत की थी और केरल सरकार द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि वे कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि केरल खाद्य सुरक्षा विधेयक का कार्यान्वयन कर सके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है; धन्यवावद माननीय मंत्री जी।

सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्यान्नों का आबंटन

***62. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न खाद्यान्न आधारित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों विशेषकर असम को चावल सहित खाद्यान्नों का आवंटन/वितरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों की कितनी मात्रा आवंटित की गई, उठाई गई और उपयोग में लाई गई तथा शेष बचे खाद्यान्नों को किस प्रकार उपयोग में लाए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्र प्रदान करने और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। आबंटित और उठाए गए खाद्यान्न की राज्य-वार मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। उठाए न गए खाद्यान्नों की मात्रा केन्द्रीय पूल का हिस्सा बन जाती है और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इनका उपयोग किया जाता है।

(ग) सरकार पहले से ही टीपीडीएस और अन्य लाभकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी होने से 2011 जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत कवरेज को और बढ़ाया गया है। एनएफएसए के अंतर्गत ओडब्ल्यूएस के लिए आबंटन पहले की तरह ही जारी रहेगा।

केन्द्रीय सरकार की विभिन्न खाद्य आधारित स्कीमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्नों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र लेती है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-2011 से 2013-14 हेतु चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3676.480	3433.137	3738.252	3065.474	3822.816	3130.234	1911.408	1345.535
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	85.023	101.556	83.589	101.556	98.376	50.778	49.834
3.	असम	1673.126	1591.641	1806.756	1662.751	1886.856	1830.998	943.428	957.717
4.	बिहार	3543.192	2969.154	3650.312	2757.350	3703.875	2639.407	1851.936	2022.558
5.	छत्तीसगढ़	1168.032	1135.107	1218.752	1085.194	1244.112	1178.578	622.056	599.913
6.	दिल्ली	595.734	607.303	597.858	545.295	598.920	566.777	299.460	290.242
7.	गोवा	68.751	53.804	60.316	60.421	63.036	62.909	31.518	32.709
8.	गुजरात	1885.998	1532.880	2018.738	1242.799	2085.108	1265.504	1042.554	758.593
9.	हरियाणा	685.242	613.097	732.422	586.431	756.012	465.415	343.422	214.540
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	486.462	519.146	512.663	527.940	524.927	263.970	252.265
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	749.115	756.804	743.485	756.804	760.644	378.402	379.647
12.	झारखंड	1319.412	1032.747	1339.032	1022.038	1358.652	977.751	679.326	562.337
13.	कर्नाटक	2260.476	2132.040	2386.646	2234.612	2806.928	2304.402	1224.864	1325.416
14.	केरल	1399.646	1373.157	1431.674	1428.807	1472.688	1473.184	736.344	771.674
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2707.860	2680.736	2653.417	2736.426	3551.778	1368.258	1367.912
16.	महाराष्ट्र	4490.412	3687.169	4647.114	3539.245	4819.044	3724.189	2379.522	2143.707
17.	मणिपुर	141.844	71.209	160.446	144.884	170.952	172.661	85.476	86.830
18.	मेघालय	182.928	156.605	181.696	182.690	188.580	189.600	94.290	94.357
19.	मिज़ोरम	70.140	64.502	70.140	66.233	70.140	66.538	35.070	34.023
20.	नागालैंड	126.876	138.126	126.876	140.094	126.876	135.953	63.438	73.586
21.	ओडिशा	2221.788	2052.089	2118.908	2058.005	2194.266	2120.509	1095.936	1032.777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पंजाब	786.348	680.707	814.100	686.355	827.976	613.964	413.988	305.004
23.	राजस्थान	2037.128	1937.843	2115.140	2078.693	2179.500	2149.291	1089.750	1071.301
24.	सिक्किम	44.250	43.000	44.270	44.936	44.280	45.046	22.140	22.744
25.	तमिलनाडु	3722.832	3698.126	3722.832	3700.634	3722.832	3634.495	1861.416	1614.090
26.	त्रिपुरा	302.622	249.020	308.034	275.381	304.836	289.291	151.640	171.805
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	6555.953	7114.590	6645.333	7268.520	6568.015	3634.258	3295.953
28.	उत्तराखंड	474.122	455.838	501.702	456.876	617.992	596.557	255.996	257.159
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3325.618	3763.754	3281.205	3857.196	3616.745	1928.598	1833.951
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.020	17.921	34.020	16.026	34.020	14.908	17.010	0.000
31.	चंडीगढ़	31.380	25.975	34.980	34.216	36.780	33.429	18.390	12.650
32.	दादरा और नगर हवेली	9.924	2.457	10.284	10.247	10.464	10.499	5.232	6.464
33.	दमन और दीव	4.980	1.162	5.430	4.669	5.652	4.530	2.826	0.304
34.	लक्षद्वीप	4.620	6.385	4.620	4.053	6.620	5.706	2.310	0.014
35.	पुदुचेरी	56.112	48.435	58.912	47.816	60.312	53.313	30.156	25.209
	कुल	47547.329	43720.667	48876.848	43101.917	50468.564	44876.123	24935.166	263012.820

*आवंटन और उठान सितंबर 2013 तक का है।

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम (बिक्री प्रभाग)।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13 और वर्तमान वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के राज्य-वार आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	409.703	361.124	406.216	316.376	330.301	326.117	277.321	141.802
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.831	2.764	8.746	6.708	7.182	7.937	6.911	2.914
3.	असम	109.999	95.049	136.855	107.697	133.555	106.935	126.734	56.181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	251.465	214.568	265.081	205.255	395.741	250.842	324.377	194.205
5.	छत्तीसगढ़	165.348	161.279	204.272	191.157	237.055	212.674	175.383	98.391
6.	दिल्ली	37.392	28.936	35.250	30.831	32.531	27.804	29.412	14.785
7.	गोवा	5.608	4.144	9.019	5.664	6.954	5.798	6.077	12.430
8.	गुजरात	185.024	173.039	188.993	190.462	210.289	204.798	142.253	78.761
9.	हरियाणा	79.265	57.945	95.890	83.069	103.942	84.820	94.247	39.342
10.	हिमाचल प्रदेश	29.251	29.246	31.999	31.623	33.483	33.550	29.848	18.039
11.	जम्मू और कश्मीर	28.586	24.552	39.451	26.878	36.550	28.263	33.774	19.134
12.	झारखंड	115.150	108.702	178.366	84.352	94.469	94.351	83.357	52.181
13.	कर्नाटक	271.651	166.737	266.431	176.308	348.770	284.117	276.813	152.649
14.	केरल	100.374	91.736	101.184	79.344	86.858	82.811	78.172	35.282
15.	मध्य प्रदेश	478.278	451.583	475.932	443.121	450.682	377.036	367.712	133.848
16.	महाराष्ट्र	687.835	386.820	427.481	351.174	458.582	379.320	395.549	181.497
17.	मणिपुर	26.903	10.370	17.456	19.865	22.781	15.697	11.162	2.734
18.	मेघालय	12.395	9.537	34.705	14.902	14.440	14.426	14.733	8.686
19.	मिज़ोरम	7.268	6.928	8.257	8.125	9.165	8.741	6.936	4.915
20.	नागालैंड	26.106	27.618	28.344	24.738	25.272	25.226	20.562	14.964
21.	ओडिशा	321.290	287.258	317.392	276.573	334.239	313.350	17.762	138.510
22.	पंजाब	58.716	59.285	77.224	62.910	78.790	59.751	67.989	25.398
23.	राजस्थान	209.792	188.230	210.681	186.490	195.631	176.939	177.162	79.459
24.	सिक्किम	3.148	2.896	3.514	3.354	3.761	2.916	3.256	1.829
25.	तमिलनाडु	198.921	220.114	218.416	245.370	226.683	194.801	209.560	105.130
26.	त्रिपुरा	27.054	27.834	32.070	31.301	29.850	29.052	17.345	8.375
27.	उत्तर प्रदेश	610.365	531.174	526.223	493.092	590.354	545.939	483.990	271.772
28.	उत्तराखंड	34.378	24.101	42.699	21.656	46.787	22.999	32.803	15.166
29.	पश्चिम बंगाल	346.605	166.159	268.526	186.089	331.804	221.549	358.863	104.020
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.980	0.671	1.491	1.333	1.419	1.318	1.033	0.139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	चंडीगढ़	1.622	1.205	1.429	1.135	1.929	9.016	1.610	0.388
32.	दादरा और नगर हवेली	1.213	0.165	1.277	1.022	1.380	1.203	1.386	0.644
33.	दमन और दीव	0.450	0.145	0.365	0.401	0.424	0.425	0.361	0.066
34.	लक्षद्वीप	0.269	0.000	0.245	0.115	0.255	0.083	0.240	0.112
35.	पुदुचेरी	2.350	1.420	2.476	1.560	2.437	1.682	2.021	0.706
	कुल	4849.585	3923.334	4663.956	3910.050	4884.345	4152.286	4135.463	2014.454

*भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सितंबर 2013 तक उठान।

प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

***63. श्री गजानन ध. बाबर :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व में प्रतिबंधित कीटनाशकों का हमारे देश में अब भी उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पशुधन पर भी प्रतिबंधित कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को इन प्रतिबंधित कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के संबंध में शिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) भारत में पंजीकृत नियोनिकोटिनोयड कीटनाशियों के प्रयोग की समीक्षा के लिए तथा 60 कीटनाशियों जो एक अथवा अधिक देशों में वर्तमान में प्रतिबंधित है परंतु भारत में घरेलू प्रयोग के लिए जिनका पंजीकरण जारी है, की समीक्षा के लिए डॉ. अनुपम वर्मा (सहायक प्रोफेसर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के अध्यक्षता में 8 जुलाई, 2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ऐसे कीटनाशियों की सूची संलग्न विवरण में दी गया है।

कृमिनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों को केवल मानव, पशु और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य के लिए उनकी सुरक्षा को संस्थापित करने के बाद पंजीकृत करती हैं। देश में कीटनाशियों के निरंतर प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) कीटनाशियों के सुरक्षित प्रयोग पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित किसानों को शिक्षित करने के कदम उठाने के लिए विभिन्न फसलों पर 28 राज्यों तथा 1 केन्द्र शासित क्षेत्र में अवस्थित 31 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों द्वारा फार्मर फील्ड स्कूल कार्यक्रमों का आयोजन और कृषि मेलों तथा मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार किया गया।

विवरण

उन कीटनाशियों की सूची जिन्हें विश्व के एक या अधिक देशों में रोका हुआ/अत्यन्त प्रतिबंधित किया हुआ है परंतु भारत में अभी भी प्रयोग किया जा रहा है

क्र. सं.	कीटनाशी का नाम
1	2
1.	एसफेट
2.	अलकोलोर
3.	एल्यूमीनियम फास्फाइड
4.	एट्राजिन
5.	बेनफुराकार्ब
6.	बेनोमिल

1	2
7.	बाईफेनथ्रिन
8.	ब्यूटाकलोर
9.	केप्टन
10.	कारबेरिल
11.	कारबेन्डाजिम
12.	कार्बोफ्यूरान
13.	क्लोरफेनाफिर
14.	कार्बोसल्फान
15.	क्लोरोथेलोनिल
16.	कलोरपाइरिफोस
17.	डेजोमेट
18.	डीडीटी
19.	डेल्टामेथरीन
20.	डायाजिनोन
21.	डाइक्लोरोवास
22.	डाइकोफोल
23.	डाईफल्यूबेंजूरोन
24.	डाइमिथोएट
25.	डाइनोकेफ
26.	डाइयूरोन
27.	एन्डोसल्फान*
28.	इथोफेनप्रोक्स
29.	फेनप्रोपेथ्रीन
30.	फेनारिमोल
31.	फेनीट्रोथियोन
32.	फेनथियोन
33.	आईप्रोडियोन
34.	2,4-डी
35.	कासूगेमिसीन
36.	लाइन्यूरोन
37.	मेथोमाइल

1	2
38.	मेथोक्सी इथाइल मरकरी क्लोराइड
39.	मिथाइल पेराथियोन
40.	मेलाथियोन
41.	मेंकोजेब
42.	मेपीकोआ क्लोराईड
43.	मेटालडीहाइड
44.	मोनोक्रोटोफॉस
45.	आक्सीफल्यूरोफेन
46.	पेराक्यूआ डाइक्लोराइड
47.	पेन्डीमैथालिन
48.	फोरेट
49.	फास्फोमिडान
50.	पेटीलिकलोर
51.	प्रोपरजाइट
52.	प्रोपीनेब
53.	क्वीनलफोस
54.	सोडियम साइनाइड
55.	सल्फोसल्फयूरोन
56.	थीयोडीकार्ब
57.	थीयोमिटोन
58.	थाइफानेट मिथाइल
59.	थीरम
60.	ट्राइजोफोस
61.	ट्राक्लोरोफोन
62.	ट्राईडिमोर्फ
63.	ट्राइफ्लूरेलिन
64.	जिंक फास्फाइड
65.	जीनेब
66.	जीरम

*भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) नं. 213/2011 में अपने अंतःकालीन आदेश द्वारा एन्डोसल्फान के उत्पादन, प्रयोग, एवं संपूर्ण भारत में विक्रय पर 13.05.2011 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

***64. श्री पी.सी. मोहन :**
श्री रमेन डेका :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों, सब्जियों, दूध और अन्य कृषि वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन महीनों के दौरान थोक और खुदरा बाजारों में प्याज और टमाटर की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा फलों, सब्जियों, दूध और अन्य कृषि वस्तुओं को आम आदमी की पहुंच में लाने हेतु इनकी कीमतों में कमी लाने के लिए क्या-क्या दीर्घावधिक और अल्पावधिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) प्याज एवं टमाटर सहित फलों एवं सब्जियों का मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जनवरी, 2013 में 190.4 से बढ़कर अक्तूबर 2013 में 281.2 हो गया था। जनवरी, 2013 में दूध का थोक मूल्य सूचकांक 210.5 था जो अक्तूबर, 2013 में बढ़कर 220.5 तक हो गया है। अनाजों के संबंध में, संबंधित अवधि के दौरान सूचकांक 210.4 तथा 229.6 था। इसी अवधि के दौरान दलहनों एवं तिलहनों के थोक मूल्य सूचकांक ने क्रमशः 244.3 से 227.8 तथा 207.6 से 199.5 तक की गिरावट दर्शायी थी। माह-वार एवं जिन्स-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाएं गए हैं। खाद्य सामग्रियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव के अनेक कारक हो सकते हैं यथा स्थानीयकृत उत्पादन एवं मांग में असमानता, मौसमी कारक, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां तथा आहारयुक्त आदतों में परिणामी परिवर्तनों के साथ आय एवं जीवन स्तरों में सुधार।

(ग) और (घ) विगत तीन महीनों के दौरान माह-दर-माह एवं बाजार-दर-बाजार में प्याज एवं टमाटर के थोक बिक्री एवं खुदरा मूल्यों में अंतर दर्शाया गया जिसका विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने खाद्य सामग्रियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के संबंध में विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं- प्याज, दलहनों एवं खाद्य योग्य तेलों को उनके निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर शून्य अथवा रियायती आयात शुल्कों सहित आम खपत संबंधी विभिन्न सामग्रियों के आयात की अनुमति प्रदान करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत स्टॉक धारण सीमा को निर्धारित करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत स्वीकार्य मूल्यों पर खाद्यान्नों का आवंटन आदि। राज्यों को सलाह भी दी गई है कि वे एपीएमसी बाजारों में प्याजों पर कर में छूट दें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी कर्मचारियों को अनुदेश दें कि व्यापारी सामान्य व्यापार मानकों से ज्यादा स्टॉकों को न रखें। दीर्घावधि उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- कृषि जिन्सों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना, प्याज, टमाटर के संबंध में प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, भंडारण ढांचों में सुधार करना, संचयकर्ताओं/खुदरा विक्रेताओं के साथ उत्पादक समूहों को समन्वित करना आदि।

विवरण-I

जनवरी, 2013 से अक्तूबर, 2013 तक मासिक थोक मूल्य सूचकांक

जिन्स का नाम	भारित	जनवरी-13	फरवरी-13	मार्च-13	अप्रैल-13	मई-13	जून-13	जुलाई-13	अगस्त-13	सितंबर-13	अक्तूबर-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सभी जिन्सें	100.00	170.3	170.9	170.1	171.3	171.4	173.2	175.5	179.0	179.7	180.3
प्राथमिक सामग्री	20.12	223.6	224.4	223.1	226.5	227.3	233.9	240.3	251.9	251.6	251.6
खाद्य सामग्री	14.34	214.7	215.4	214.1	219.8	223.1	230.9	238.5	252.4	252.3	251.4
खाद्यान्न (अनाज+दलहन)	4.09	216.3	216.0	216.1	216.5	216.8	221.4	224.4	226.1	227.5	229.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनाज	3.37	210.4	211.4	212.5	212.9	213.7	219.6	224.0	227.1	227.9	229.6
चावल	1.79	202.8	203.7	206.2	207.6	210.9	218.7	226.3	231.5	231.7	234.5
गेहूं	1.12	206.2	207.2	205.4	203.6	200.8	205.2	206.6	208.7	210.1	213.6
दालें	0.72	244.3	237.7	233.1	233.2	231.6	229.7	226.6	221.6	225.8	227.8
फलों और सब्जियां	3.84	190.4	190.0	186.6	206.4	214.5	232.8	254.8	290.6	290.6	281.2
सब्जियां	1.74	191.0	193.0	186.8	216.5	236.4	288.6	337.9	397.2	382.9	363.9
आलू	0.20	171.2	159.0	146.6	172.7	206.1	213.3	232.7	224.0	210.9	228.2
प्याज	0.18	340.0	377.8	286.6	266.4	268.5	339.1	445.3	723.1	820.5	795.0
टमाटर	0.27	155.7	141.8	145.1	एनसी	एनसी	एनसी	एनसी	373.1	365.1	374.4
फलों	2.11	189.9	187.5	186.4	198.1	196.4	186.9	186.4	202.9	214.6	213.1
केला	0.34	215.4	220.2	222.3	223.8	227.0	229.6	230.6	253.3	261.9	266.7
सेब	0.10	244.4	253.6	256.5	262.4	283.1	एनसी	एनसी	एनसी	241.3	212.7
दूध	3.24	210.5	210.6	210.2	211.1	213.2	214.4	215.2	218.4	219.9	220.5
अण्डा, मीट तथा मछली	2.41	254.1	258.9	255.6	253.8	257.4	265.8	269.3	288.0	281.6	287.1
गैर-खाद्य सामग्री	4.26	206.9	206.8	207.6	209.7	208.5	209.1	211.1	209.9	213.7	212.3
तिलहन	1.78	207.6	204.3	205.1	210.4	207.3	202.4	201.3	193.8	196.5	199.5

एनसीसी-मौसमी कारक के कारण संकलित नहीं किया गया।

विवरण-II

महानगरों में प्याज एवं टमाटर के मासिक थोक बिक्री एवं खुदरा मूल्यों का ब्यौरा और प्रतिशत अंतर

थोक बिक्री

(रुपए में)

		2013			विगत महीने की तुलना में प्रतिशत अंतर	
केन्द्र	एकक	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
1	2	3	4	5	6	7
			प्याज			
मुंबई	क्विंटल	4100	5450	2800	32.9	-48.6
दिल्ली	क्विंटल	5750	5750	3125	0.0	-45.7

1	2	3	4	5	6	7
चैन्नई	क्विंटल	5450	6300	4000	15.6	-36.5
कोलकाता	क्विंटल	5000	5750	4250	15.0	-26.1
			टमाटर			
मुंबई	क्विंटल	1600	1400	3000	-12.5	114.3
दिल्ली	क्विंटल	2600	1800	2800	-30.8	55.6
चैन्नई	क्विंटल	2200	3300	3500	50.0	6.1
कोलकाता	क्विंटल	2200	4000	4800	81.8	20.0
			खुदरा मूल्य			
			प्याज			
मुंबई	कि.ग्रा.	55	66	48	20.0	-27.3
दिल्ली	कि.ग्रा.	60	75	60	25.0	-20.0
चैन्नई	कि.ग्रा.	60	68	50	13.3	-26.5
कोलकाता	कि.ग्रा.	60	70	60	16.7	-14.3
			टमाटर			
मुंबई	कि.ग्रा.	26	24	58	-7.7	141.7
दिल्ली	कि.ग्रा.	55	35	70	-36.4	100.00
चैन्नई	कि.ग्रा.	32	50	53	56.3	6.0
कोलकाता	कि.ग्रा.	35	60	60	71.4	0.0

[अनुवाद]

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

***65. श्री अजय कुमार :**
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, उपलब्धता, खपत और किसानों को उनके वितरण का उर्वरक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उर्वरकों की कमी, बड़े पैमाने पर कालाबाजारी, घटिया, मिलावटी उर्वरकों की आपूर्ति और उर्वरकों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष की ओर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुइं/कितने मामले दर्ज किए गए तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई/कदम उठाए गए;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में खरीफ और रबी मौसम हेतु उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का आकलन करने हेतु उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उर्वरक विनिर्माता एककों का उनके द्वारा उत्पादित उर्वरकों की मात्रा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें समय पर उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उचित/राज-सहायता प्राप्त दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्ष 2010-11 से 2012-13 और वर्तमान वर्ष 2013-14 (अक्तूबर,13 तक) के दौरान रासायनिक उर्वरकों की मांग (आवश्यकता), उपलब्धता (आपूर्ति और वितरण सहित) खपत (बिक्री) का राज्य/संघ शासिक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) और (ग) जैसा कि विवरण-I से देखा जा सकता है, वर्तमान वर्ष (अर्थात् खरीफ मौसम 2013 और रबी मौसम 2013-14) के दौरान पूरे देश में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता रही है।

राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के किसी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर निवारक/दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। कालाबाजारी कार्यकलाप एफसीओ का उल्लंघन है जिसके लिए राज्य सरकार दोषियों के अभियोजना सहित दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। दोष सिद्धि होने पर दोषी को ईसीए के अंतर्गत सात वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है। प्राधिकार पत्र रद्द किए जाने के अलावा एफसीओ के खंड 6 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि डीलर परिसरों में स्टॉक की स्थिति तथा उर्वरकों की मूल्य सूची को दर्शाएं।

सरकार द्वारा निर्धारित यूरिया मूल्य में 01.04.2010 से 31.10.2012 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तथापि, 01.11.2012 से यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50/- रुपए प्रति मी.टन की मामूली वृद्धि की गई है जिससे यह बढ़कर 5360/- रुपए प्रति मी.टन (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रतिकारी शुल्क, बिक्री कर और अन्य स्थानीय करों के अलावा) हो गया है।

सरकार 1.4.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत सभी राजसहायता प्राप्त पीएंड के उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि दी जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को उर्वरक कंपनियों द्वारा नियत किया जाता है।

सरकार द्वारा अगले वर्ष के लिए एनबीएस की दरों पर निर्णय पीएंडके उर्वरकों तथा इसकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा विद्यमान विनिमय दर सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद वर्ष की अंतिम तिमाही में लिया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान पीएंडके उर्वरक के मूल्य में वृद्धि पीएंडके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव, भारतीय रुपए के मूल्य ह्रास के कारण हुई है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान मूल्य तथा राजसहायता दोनों में कमी आई है।

राज्य सरकारों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के अंतर्गत उर्वरक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने लेने हेतु अधिकार दिया गया है। वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक अवमानक उर्वरकों के संबध में राज्य-वार कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-IIक से IIख पर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक फसल मौसम अर्थात्, खरीफ और रबी के प्रारंभ होने से पहले कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) आगामी फसल मौसम के लिए उर्वरकों की मांग का आकलन करने के लिए अर्द्धवार्षिक आंचलिक सम्मेलन आयोजित करता है। सभी राज्यों के कृषि विभाग के अधिकारी, सभी उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि, एफएआई के अधिकारी, रेल मंत्रालय के अधिकारी इन अर्धवार्षिक आंचलिक सम्मेलनों के भागीदार होते हैं। इन बैठकों के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग उर्वरकों की माह-वार और राज्य-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की उचित/पर्याप्त मात्रा आबंटित करता है और निम्नलिखित प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता की निगरानी करता है:—

(i) देश भर में सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन के निगरानी एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली *(www.urvarak.co.in)* द्वारा की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है।

(ii) राज्य सरकारों को अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग प्रस्तुत करके आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्वय करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

(iii) उर्वरक विभाग (डीओएफ), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(iv) उर्वरक की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अक्तूबर, 13 तक के दौरान उत्पादित उर्वरक की मात्रा सहित उर्वरक उत्पादन इकाइयों का विवरण संलग्न विवरण-IIIक से IIIग पर दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 (अक्तूबर, 13 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला विवरण

07.11.2013 एफएमएस (आंकड़े लाख मी.टन में)

राज्य	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीके		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	2011-12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	2012-13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	2013-14	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2010-11	28.50	30.38	29.95	11.00	10.39	10.36	6.60	6.08	6.04	20.50	22.12	21.88
	2011-12	31.00	29.87	29.34	12.30	10.88	10.39	6.60	4.43	3.82	22.30	25.71	23.58
	2012-13	32.50	29.39	28.51	12.30	6.80	6.48	6.60	3.35	3.14	22.50	18.16	17.59
	2013-14	19.75	22.44	21.35	8.00	4.00	3.56	3.75	1.81	1.68	14.00	11.16	10.08
अरुणाचल प्रदेश	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	2010-11	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	1.30	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
	2011-12	3.00	2.68	2.68	0.60	0.37	2.29	1.40	0.94	0.91	0.28	0.07	0.05
	2012-13	3.15	2.62	2.62	0.65	0.38	0.33	1.50	0.61	0.58	0.23	0.06	0.06
	2013-14	1.63	1.46	1.46	0.28	0.19	0.13	0.68	0.59	0.45	0.09	0.02	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बिहार	2010-11	19.50	16.96	16.94	4.75	4.59	4.59	2.30	1.99	1.97	3.35	3.14	3.12
	2011-12	20.75	18.17	18.12	5.00	4.72	4.41	2.45	1.29	1.26	3.75	4.03	3.56
	2012-13	21.50	21.10	21.01	5.00	5.65	5.41	2.30	1.15	1.14	3.65	3.03	3.00
	2013-14	11.85	10.52	9.94	3.25	2.06	1.31	1.05	0.81	0.60	2.20	0.89	0.63
चंडीगढ़	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	2010-11	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.32	1.32
	2011-12	6.25	6.30	6.30	2.90	2.71	2.59	1.15	0.85	0.83	1.55	2.21	1.97
	2012-13	6.90	7.26	7.06	3.12	2.50	2.33	1.27	0.68	0.66	1.75	1.17	1.04
	2013-14	5.23	4.91	4.76	2.21	1.61	1.39	0.78	0.63	0.39	1.34	0.68	0.61
दादरा और नगर हवेली	2010-11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
	2013-14	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
दमन और दीव	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	2010-11	0.07	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
	2011-12	0.07	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00

	2012-13	0.07	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
	2013-14	0.04	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
गोवा	2010-11	0.06	0.06	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.05	0.05
	2011-12	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05
	2012-13	0.07	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.08	0.03	0.03
	2013-14	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01
गुज[illegible]	2010-11	19.50	21.26	21.19	8.40	8.10	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.63	6.55
	2011-12	22.75	21.26	21.18	8.80	6.96	6.80	2.30	1.75	1.72	5.10	7.32	7.09
	2012-13	23.75	19.50	19.24	8.80	4.21	3.95	2.00	0.83	0.79	5.55	4.69	4.58
	2013-14	13.95	11.65	11.32	3.75	2.42	1.88	0.88	0.68	0.62	3.00	2.43	2.21
हरियाणा	2010-11	19.65	18.75	18.38	7.20	7.37	7.37	0.70	0.66	0.66	0.55	0.69	0.69
	2011-12	19.75	19.46	19.15	7.20	8.44	8.33	0.75	0.48	0.46	0.85	0.79	0.72
	2012-13	20.00	21.01	20.34	7.20	7.23	6.87	0.75	0.21	0.21	0.98	0.26	0.26
	2013-14	10.00	10.29	9.83	3.00	2.70	2.45	0.27	0.18	0.16	0.40	0.07	0.06
हिमाचल प्रदेश	2010-11	0.64	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.50	0.41	0.41
	2011-12	0.65	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.53	0.33	0.33
	2012-13	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.46	0.17	0.17
	2013-14	0.36	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.15	0.11	0.11
जम्मू और कश्मीर	2010-11	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
	2011-12	1.46	1.20	1.19	0.85	0.67	0.65	0.35	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
	2012-13	1.46	1.50	1.44	0.85	0.55	0.50	0.35	0.18	0.16	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.75	0.59	0.56	0.38	0.35	0.29	0.08	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
झारखंड	2010-11	2.10	1.36	1.36	1.10	0.65	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
	2011-12	2.60	2.19	2.16	1.25	0.71	0.68	0.34	0.06	0.06	1.08	0.52	0.47
	2012-13	2.70	1.98	1.98	1.25	0.54	0.54	0.35	0.03	0.03	1.29	0.26	0.26
	2013-14	1.81	1.29	1.21	0.60	0.20	0.13	0.15	0.03	0.01	0.43	0.12	0.11
कर्नाटक	2010-11	14.00	14.28	14.28	8.60	8.45	8.43	5.65	4.23	4.14	11.20	13.78	13.51
	2011-12	14.60	14.53	14.45	8.75	9.39	9.07	5.65	3.82	3.64	13.10	17.33	16.40
	2012-13	15.00	14.64	14.46	8.90	4.19	4.04	5.65	2.76	2.67	14.40	9.67	9.40
	2013-14	9.90	10.89	10.39	5.59	3.71	3.23	3.43	1.77	1.65	8.76	7.25	6.24
केरल	2010-11	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
	2011-12	1.90	1.50	1.49	0.47	0.44	0.41	1.80	1.51	1.42	2.55	2.20	2.00
	2012-13	2.05	1.36	1.36	0.45	0.30	0.25	1.94	0.89	0.88	2.51	1.61	1.53
	2013-14	1.26	0.86	0.85	0.22	0.22	0.17	1.19	0.62	0.59	1.62	0.97	0.84
लक्षद्वीप	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	2010-11	16.75	17.05	16.92	10.00	10.92	10.92	1.45	1.36	1.33	3.69	3.55	3.52
	2011-12	17.50	18.17	17.86	10.95	11.00	10.57	1.65	0.93	0.75	4.05	5.32	4.67
	2012-13	18.50	19.48	18.91	11.50	11.74	11.07	1.40	0.86	0.85	4.34	2.51	2.33
	2013-14	10.00	13.34	12.74	8.75	5.89	4.92	1.06	0.46	0.29	3.04	1.60	1.34
महाराष्ट्र	2010-11	25.25	25.52	25.51	16.70	14.33	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
	2011-12	27.50	25.67	25.43	17.25	12.50	12.22	6.40	4.25	3.99	18.30	20.85	19.74

	2012-13	28.00	23.40	22.92	15.60	6.97	6.59	6.25	3.24	3.14	19.00	13.28	12.80
	2013-14	17.29	17.91	17.09	10.19	4.28	3.26	3.32	2.29	1.87	11.20	9.04	7.89
मणिपुर	2010-11	0.49	0.09	0.09	0.07	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.50	0.13	0.13	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.48	0.21	0.21	0.12	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.32	0.17	0.17	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	2010-11	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.09	0.06	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.08	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.05	0.03	0.03	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिज़ोरम	2010-11	0.02	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.11	0.04	0.04	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.08	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	2010-11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	2010-11	5.75	4.74	4.57	2.50	2.20	2.19	1.90	01.36	1.32	3.00	2.33	2.31
	2011-12	6.40	5.28	5.10	2.60	1.90	1.73	2.05	0.91	0.84	3.14	3.46	3.12
	2012-13	6.50	5.41	5.26	2.75	1.50	1.44	2.00	00.75	0.75	3.97	2.36	2.29
	2013-14	4.75	4.73	4.51	1.81	1.06	0.95	1.04	0.73	0.62	2.61	1.20	1.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पुदुचेरी	2010-11	0.34	0.35	0.35	0.11	0.04	0.04	0.13	0.09	0.09	0.35	0.16	0.16
	2011-12	0.34	0.25	0.25	0.11	0.03	0.03	0.13	0.05	0.05	0.35	0.14	0.13
	2012-13	0.31	0.19	0.19	0.09	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.30	0.13	0.13
	2013-14	0.14	0.14	0.14	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.09	0.06	0.06
पंजाब	2010-11	26.00	27.61	27.17	9.25	9.01	9.01	1.06	1.06	0.97	0.70	1.05	1.03
	2011-12	26.00	28.50	28.26	10.15	10.08	9.66	1.06	0.73	0.69	1.00	1.30	1.19
	2012-13	26.40	29.05	28.43	8.80	9.10	8.71	1.06	0.35	0.35	1.48	0.44	0.42
	2013-14	16.25	14.71	14.15	8.15	3.92	3.26	0.52	0.29	0.26	0.90	0.13	0.12
राजस्थान	2010-11	15.60	15.73	15.70	7.00	7.18	7.16	0.55	0.35	0.28	1.18	1.40	1.37
	2011-12	16.25	17.58	16.91	7.30	7.16	7.07	0.50	0.25	0.23	1.76	1.54	1.40
	2012-13	17.25	18.91	18.46	7.60	6.33	5.93	0.48	0.15	0.15	1.66	0.84	0.84
	2013-14	8.75	9.23	8.79	4.13	4.18	3.64	0.13	0.01	0.00	0.95	0.18	0.17
सिक्किम	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	2010-11	11.50	10.23	10.15	4.25	3.15	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.90	6.84
	2011-12	11.50	10.48	10.45	4.30	3.84	3.71	5.31	4.26	4.16	6.61	8.75	7.57
	2012-13	11.50	9.36	9.28	4.55	2.44	2.33	5.55	2.18	2.17	6.82	5.89	5.71
	2013-14	6.04	5.52	5.47	2.69	1.70	1.50	2.63	1.45	1.43	3.89	3.03	2.76

त्रिपुरा	2010-11	0.45	0.18	0.18	0.04	0.03	0.03	0.18	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.52	0.26	0.26	0.05	0.00	0.00	0.13	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.51	0.19	0.17	0.06	0.02	0.02	0.17	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.33	0.14	0.14	0.03	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00
उत्तर प्रदेश	2010-11	57.60	55.08	54.51	19.60	17.69	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.60	10.30
	2011-12	58.00	59.12	58.05	19.65	18.67	18.15	4.00	1.82	1.80	11.25	12.85	11.27
	2012-13	60.00	63.31	62.56	18.15	21.67	20.85	3.50	1.47	1.31	11.48	6.73	6.62
	2013-14	33.75	34.46	31.16	12.65	9.32	6.85	1.30	0.73	0.66	7.50	2.34	1.79
उत्तराखंड	2010-11	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.10	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
	2011-12	2.40	2.51	2.50	0.33	0.39	0.38	0.10	0.04	0.04	0.71	0.53	0.50
	2012-13	2.45	2.51	2.45	0.35	0.28	0.27	0.10	0.04	0.04	0.57	0.33	0.32
	2013-14	1.45	1.69	1.59	0.22	0.13	0.12	0.04	0.01	0.01	0.33	0.19	0.19
पश्चिम बंगाल	2010-11	13.00	11.26	11.26	5.10	4.63	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
	2011-12	13.25	12.76	12.74	5.10	5.03	4.76	4.00	3.04	3.02	9.00	8.96	8.13
	2012-13	13.50	14.02	13.87	5.25	4.34	4.25	4.25	2.18	2.16	8.28	8.01	7.90
	2013-14	6.54	6.26	5.78	3.40	1.17	0.90	1.79	1.17	1.02	4.93	3.75	3.01
योग	2010-11	290.80	284.61	282.25	120.92	113.06	112.86	47.81	39.82	38.90	92.01	104.39	103.01
	2011-12	305.16	298.65	294.77	126.16	115.95	111.95	48.28	31.64	29.92	107.36	124.28	113.94
	2012-13	315.43	307.25	301.58	123.58	96.80	92.22	47.82	22.07	21.34	111.39	79.64	77.29
	2013-14	182.33	183.68	173.89	79.54	49.15	40.00	24.30	14.38	12.40	67.50	45.26	39.35

विवरण-IIक

वर्ष 2010-11 के दौरान अवमानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवमानक नमूनों की संख्या	की गई प्रशासनिक कार्रवाई			अभियोजन शुरू किया गया	कार्रवाई के लिए लंबित मामले
			डीआरसी रद्द की गई	डीआरसी निलंबित की गई	अन्य कार्रवाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	7	0	0	4	3	0
2.	बिहार	59					59
3.	झारखंड	4	0	1	2	0	1
4.	ओडिशा	65	12	11	7	5	30
5.	पश्चिम बंगाल	262	0	1	261	0	0
6.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	30	5	0	0	9	16
8.	मध्य प्रदेश	596	156	355	84	1	0
9.	छत्तीसगढ़	118					118
10.	महाराष्ट्र	2330	117	424	1006	383	400
11.	राजस्थान	291	2	2	0	2	285
12.	हरियाणा	60	3	0	50	7	0
13.	हिमाचल प्रदेश	33	0	0	33	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	9	0	0	3	0	6
15.	पंजाब	50	0	0	31	1	18
16.	उत्तर प्रदेश	538	307	3	117	101	10
17.	उत्तराखंड	12	1	2	9	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	302	0	0	194	0	108
19.	कर्नाटक	307	0	0	302	5	0
20.	केरल	46	0	0	2	0	44

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पुदुचेरी	6	0	0	6	0	0
22.	तमिलनाडु	702	14	198	263	2	225
	योग	5827	617	997	2374	519	1320

विवरण-IIख

वर्ष 2011-12 के दौरान अवमानक नमूनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवमानक नमूनों की संख्या	की गई प्रशासनिक कार्रवाई			अभियोजन शुरू किया गया	कार्रवाई के लिए लंबित मामले
			डीआरसी रद्द की गई	डीआरसी निलंबित की गई	अन्य कार्रवाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	7	0	0	7	0	0
2.	बिहार	110	4	9	71	13	13
3.	झारखंड	11	0	0	0	0	11
4.	ओडिशा	68	3	3	16	0	46
5.	पश्चिम बंगाल	308	0	0	308	0	0
6.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	106	31	0	19	22	34
8.	मध्य प्रदेश	710	42	184	484	0	0
9.	छत्तीसगढ़	163	0	0	0	0	163
10.	महाराष्ट्र	2297	671	409	799	261	157
11.	राजस्थान	197	6	9	0	5	177
12.	हरियाणा	76	3	8	38	16	11
13.	हिमाचल प्रदेश	38	0	0	37	0	1
14.	जम्मू और कश्मीर	62	0	0	8	0	54
15.	पंजाब	41	9	0	32	0	0
16.	उत्तर प्रदेश	705	528	20	101	44	12

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	उत्तराखंड	3	0	0	1	0	2
18.	आंध्र प्रदेश	261	4	16	171	5	65
19.	कर्नाटक	329	19	23	287	0	0
20.	केरल	109	0	1	28	0	80
21.	पुदुचेरी	4	0	0	0	0	4
22.	तमिलनाडु	535	6	66	157	3	303
	योग	6140	1326	748	2564	369	1133

विवरण-III क

वर्ष 2010 से 2012-2013 तथा 2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर, 2013) के लिए यूरिया का संयंत्र-वार उत्पादन

संयंत्रों का नाम	उत्पादन ('000' मी. टन)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र:				
एनएफएल-नांगल-II	478.5	503.4	471.3	261.1
एनएफएल-भटिंडा	553.0	482.9	394.4	318.5
एनएफएल-पानीपत	470.0	500.3	413.8	274.6
एनएफएल-विजयपुर	916.6	902.1	966.4	575.2
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	961.5	1011.7	965.2	660.5
कुल (एनएफएल):	3379.6	3400.4	3211.1	2089.9
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	86.1	102.3	109.4	28.1
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	198.9	176.5	281.3	119.2
कुल (बीवीएफसीएल):	285.0	278.8	390.7	147.3
आरसीएफ-ट्राम्बे-V	341.1	336.0	384.1	211.0
आरसीएफ-थाल	1783.4	1772.5	1951.6	1164.8
कुल (आरसीएफ):	2124.5	2108.5	2335.7	1375.8

1	2	3	4	5
एमएफएल-चेन्नई	477.9	486.7	435.8	306.2
कुल सार्वजनिक क्षेत्र:	6267.0	6274.4	6373.3	3919.2
सहकारी क्षेत्र:				
इफ्को-कलोल	600.1	600.0	600.3	348.0
इफ्को-फूलपुर	745.1	701.3	673.1	421.0
इफ्को-फूलपुर विस्तार	1026.2	1132.8	992.0	583.6
इफ्को-आंवला	988.5	1065.9	1091.9	625.8
इफ्को-आंवला विस्तार	1042.6	986.8	1152.8	609.4
कुल (इफ्को):	4402.5	4486.8	4510.1	2587.8
कृभको-हजीरा	1840.3	1432.4	2132.0	1240.9
कुल सहकारी क्षेत्र:	6242.8	5919.2	6642.1	3828.7
कुल (सार्वजनिक+सहकारी)	12509.8	12193.6	13015.4	7747.9
निजी क्षेत्र:				
जीएसएफसी-वडोदरा	245.5	286.6	347.7	170.7
एसएफसी-कोटा	403.4	385.9	384.8	237.4
केएफसीएल (डीआईएल):	0.0	0.0	0.0	85.0
कानपुर				
जेडआईएल-गोवा	396.8	365.4	385.6	186.6
स्पिक-तूतीकोरिन	300.9	621.7	483.4	200.1
एमसीएफ मंगलौर	379.4	379.4	379.5	223.5
जीएनएफसी-भरुच	643.2	701.8	708.8	362.6
आईजीएफ-जगदीशपुर	1098.5	1162.2	1084.7	665.3
एनएफसीएल-काकीनाडा-I	831.6	792.5	787.6	397.6
एनएफसीएल-काकीनाडा-II	824.0	769.1	777.7	452.1
सीएफसीएल-गडेपान-I	1032.2	1106.5	1035.8	624.2

1	2	3	4	5
सीएफसीएल-गडेपान-II	1068.0	1039.5	1056.0	558.7
टीसीएल-बबराला	1116.7	1164.6	1119.8	716.1
केएसएफएल-शाहजहांपुर	1030.5	1015.6	1007.9	623.5
कुल निजी क्षेत्र	9370.7	9790.8	9559.3	5503.4
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	21880.5	21984.4	22574.7	13251.3

विवरण-IIIख

वर्ष 2010-11 से 2012-13 तथा 2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर, 2013) के लिए डीएपी का संयंत्र-वार लक्ष्य और उत्पादन

संयंत्रों का नाम	उत्पादन ('000' मी. टन)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर)
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र:				
इफ्को कांडला	60.1	496.6	782.7	377.4
इफ्को पारादीप	916.5	995.1	1159.9	449.3
कुल सहकारी क्षेत्र	976.6	1491.7	1942.6	826.7
निजी क्षेत्र:				
जीएसएफसी: वडोदरा	0.0	0.0	0.0	0.0
जेडआईएल: गोवा	151.6	180.2	56.3	0.0
एमसीएफ: तूतीकोरिन	30.4	180.5	154.7	86.4
एमसीएफ: मंगलोर	177.8	128.2	119.4	90.9
टीसीएल: हल्दिया	190.3	269.3	204.9	105.1
जीएसएएफसी: सिक्का-I और II	706.1	534.0	424.5	266.6
जीएसएएफसी: सिक्का-II	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (सिक्का-I और II)	706.1	534.0	424.5	266.6

1	2	3	4	5
सीआईएल: काकीनाडा	402.5	360.0	224.9	337.2
सीआईएल: विजाग	31.8	6.6	0.0	19.3
हिंडाल्को इंडस: दाहेज	214.2	209.8	209.1	129.1
पीपीएल: पारादीप	655.6	602.3	310.6	231.6
कुल निजी क्षेत्र:	2560.3	2470.9	1704.4	1266.2
कुला (सहकारी+निजी):	3536.9	3962.6	3647.0	2092.9

विवरण-IIIग

वर्ष 2010-11 से 2012-2013 तथा 2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर, 13) के लिए मिश्रित उर्वरकों का संयंत्र-वार उत्पादन

कंपनी/इकाई का नाम	उत्पाद	उत्पादन ('000' मी.टन)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल से अक्तूबर) स्था.
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र:					
फैक्ट: उद्योगमंडल	20:20	1.5	1.7	1.0	1.0
फैक्ट: कोचीन-II	20:20	5.0	4.5	4.3	2.7
फैक्ट: यूडी/कोचीन		6.4	6.2	5.4	3.6
आरसीएफ: ट्राम्बे	15:15:15	4.5	4.6	4.7	2.1
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ:ट्राम्बे-IV	20.8.20.8	1.6	1.9	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	1.4	1.0
कुल आरसीएफ		6.0	6.5	6.1	3.1
एमएफएल: चेन्नई	17:17:17	0.0	0.1	1.0	0.3
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.3	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
एमएफएल: चेन्नई		0.0	0.4	1.0	0.3
कुल सार्वजनिक क्षेत्र		12.5	13.0	12.5	7.0
सहकारी क्षेत्र:					
	10:26:26	16.1	4.7	5.0	2.5
इफ्को कांडला	12:32:16	8.5	10.3	6.2	3.8
	20:20	0.0	1.1	0.0	0.0
कुल (इफ्को/कांडला):		24.6	16.1	11.1	6.4
	20:20	7.5	8.5	3.1	2.2
इफ्को-पारादीप	10:26:26	0.0	0.0	0.1	1.4
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (इफ्को): पारादीप		7.5	8.5	3.2	3.6
कुल (इफ्को)		32.0	24.6	14.3	10.0
निजी क्षेत्र:					
जीएसफएफसी: वडोदरा	20:20	2.8	3.0	2.9	1.4
सीआईएल: विजाग	28:28	1.3	2.8	2.6	2.4
	14:35:14	1.4	0.6	0.1	0.0
	20:20	5.9	6.3	4.3	2.4
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (सीआईएल):		8.6	9.7	6.9	4.8
जेडआईएल, गोवा	19:19:19	0.0	0.2	0.1	0.0
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	3.3	1.7	1.6	1.3
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6
	12:32:16	1.8	1.8	0.3	0.5
कुल (जेडआईएल):		5.1	3.7	2.0	1.8
जीएफएल: तूतीकोरिन	20:20	1.8	2.1	1.6	0.8
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (स्पिका)		1.8	2.1	1.6	0.8
एमसीएफ: मंगलोर	20:20	0.5	0.4	0.4	0.2
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (एमसीएफ):		0.5	0.4	0.5	0.2
सीआईएल: एन्नोर	16:20	2.5	2.4	1.7	1.2
	20:20	0.1	0.1	0.2	0.0
कुल (सीआईएल):		2.6	2.5	1.9	1.2
जीएनएफसी: भरुच	20:20	1.7	2.0	2.0	1.1
कुल (जीएनएफसी):		1.7	2.0	2.0	1.1
टीसीएल: हल्दिया	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.1	0.0	0.4	0.0
	10:26:26	3.5	3.1	2.1	1.5
कुल (टीसीएल):		3.6	3.1	2.6	1.5
जीएसएफसी: सिक्का-I	20:20	0.0	0.0	0.0	0.2
	10:26:26	0.0	0.0	0.1	0.1
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.1

1	2	3	4	5	6
जीएसएफसी: सिक्का-II	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
सीआईएल: काकीनाडा	20:20	0.0	0.3	1.8	1.5
	14:35:14	5.2	2.2	1.9	0.8
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.4	0.2	0.2	0.2
	10:26:26	4.1	2.4	2.6	1.5
	14:28:14	0.0	2.5	0.0	0.0
कुल (सीआईएल):		9.6	7.5	6.5	4.0
हिंडाल्को इंड. दाहेज	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	1.2	1.8	1.7	0.8
पीपीएल पारादीप*	20:20	3.0	2.6	4.5	2.1
	28:28	0.0	0.4	0.0	0.0
	16:20	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.3	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.5	0.0	0.2	0.0
	10:26:26	1.5	1.3	1.6	0.8
	15:15:15	0.0	0.0	0.1	0.0
कुल (पीपीएल):		5.4	4.3	6.4	2.9
कुल निजी क्षेत्र:		42.8	40.1	35.0	20.9
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+ निजी)		87.3	77.7	61.8	38.0

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

***66. श्री लालजी टन्डन :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में वृद्धि दर्शाते हुए आंकड़े जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला, कितने अपराधी गिरफ्तार किए गए, कितने दोषी ठहराया गया, कितने मामलों को सुलझाया गया/सुलझाया नहीं गया, कितनी दोषसिद्धि दर प्राप्त की गई तथा सभी मामलों का समाधान करने तथा ऐसे मामलों की दोषसिद्धि दर में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामूहिक बलात्कार, हत्या, छेड़छाड़ करने और उत्पीड़ित करने सहित अपराध-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में उच्चतम न्यायालय में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों/पुलिस विभागों को ऐसे अपराधों को रोकने तथा अपने-अपने राज्य में महिलाओं और बच्चों से संबंधित सभी अपराधों को दर्ज करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2010-12 के लिए महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तृत आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली सरकार ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 75/2012, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्टेटस नोट प्रस्तुत किया है। स्टेटस नोट माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन के संबंध में दिल्ली पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया था।

(ङ) गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक परामर्शी-पत्र भेजे हैं, जिनमें उनसे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(i) दिनांक 4.9.2009 को महिलाओं के प्रति अपराध को नियंत्रित करने हेतु जरूरी उपायों पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

(ii) दिनांक 14.07.2010 को बच्चों के प्रति अपराध पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

(iii) दिनांक 14.01.2012 को बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों को रोकने और उनका सामना करने पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

(iv) दिनांक 31.01.2012 और 29.10.2012 को लापता बच्चे-अवैध मानव व्यापार को रोकने और बच्चों का पता लगाने हेतु जरूरी उपायों पर परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

(v) गृह मंत्रालय ने दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33% तक का अनुरोध किया गया था।

(vi) दिनांक 28.05.2013 को यौन अपराध अधिनियम, 2013 से बच्चों की रक्षा पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

(vii) दिनांक 25.06.2013 को लापता बच्चों के मामले में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

(viii) दिनांक 10.05.2013 को क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र और जीरो एफआईआर को ध्यान में रखे बिना एफआईआर दर्ज करने पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया।

विवरण-I

वर्ष 2010-2012 के दौरान बलात्कार के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1362	1210	141	1031	13.7	1761	1674	173	1442	1216	111
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	34	4	6	66.7	49	40	4	42	38	4
3.	असम	1721	1110	95	526	18.1	1629	1153	117	1700	1012	179
4.	बिहार	795	533	227	873	296.0	892	816	280	934	820	210
5.	छत्तीसगढ़	1012	942	204	825	24.7	1198	1203	270	1053	1027	217
6.	गोवा	36	44	5	27	18.5	50	62	7	29	33	4
7.	गुजरात	408	391	33	187	17.6	617	620	40	439	409	31
8.	हरियाणा	720	590	113	456	24.8	866	853	161	733	532	135
9.	हिमाचल प्रदेश	160	139	21	110	19.1	197	204	38	168	143	29
10.	जम्मू और कश्मीर	245	177	3	143	2.1	266	259	5	277	231	14
11.	झारखंड	773	705	171	596	28.7	836	911	194	784	604	185
12.	कर्नाटक	586	512	54	350	15.4	771	703	82	636	533	74
13.	केरल	634	644	45	256	17.6	659	779	52	1132	706	31
14.	मध्य प्रदेश	3135	3089	777	2751	28.2	4387	4407	1230	3406	3223	826
15.	महाराष्ट्र	1599	1458	146	1048	13.9	2180	2145	202	1701	1565	205
16.	मणिपुर	34	4	1	3	33.3	22	5	1	53	5	1
17.	मेघालय	149	80	4	9	44.4	135	73	4	130	81	0
18.	मिज़ोरम	92	94	84	87	96.6	112	125	123	77	68	46
19.	नागालैंड	16	13	14	19	73.7	17	19	12	23	20	16
20.	ओडिशा	1025	1126	132	666	19.8	1363	1369	188	1112	1037	148
21.	पंजाब	546	438	166	490	33.9	766	654	244	479	426	155
22.	राजस्थान	1571	972	202	656	30.8	1343	1355	298	1800	1119	205

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1007	11.0	1758	1783	157	1341	1276	108	961	11.2	1664	1608	178
23	17.4	47	41	4	46	24	3	30	10.0	47	24	3
769	23.3	1470	1080	165	1716	1110	97	506	19.2	1626	1156	153
847	24.8	1185	1036	246	927	902	119	609	19.5	1327	1398	161
886	24.5	1257	1253	240	1034	988	223	977	22.8	1214	1201	259
14	28.6	34	46	4	55	26	1	12	8.3	61	35	1
211	14.7	621	616	46	473	438	31	202	15.3	647	631	56
578	23.4	801	820	175	668	635	133	526	25.3	940	997	180
130	22.3	187	183	46	183	149	29	107	27.1	259	240	41
169	8.3	349	346	18	303	257	19	253	7.5	388	387	28
474	39.0	758	731	220	812	602	161	562	28.6	780	706	196
374	19.8	837	812	84	621	587	65	428	15.2	842	795	97
201	15.4	1226	798	390	1019	961	57	249	22.9	1259	1186	62
3507	23.6	4593	4603	898	3425	3483	547	2801	19.5	4822	4842	758
1012	20.3	2533	2422	268	1839	1616	164	1018	16.1	2591	2479	215
1	100.0	24	5	2	63	9	0	1	0.0	46	12	0
20	0.0	128	83	0	164	93	7	15	46.7	182	100	7
57	80.7	74	70	40	103	95	61	74	82.4	122	96	59
19	84.2	27	19	29	21	15	8	11	72.7	26	21	19
639	23.2	1224	1219	204	1458	1336	154	724	21.3	1666	1631	184
427	36.3	598	571	208	680	512	151	456	33.1	895	696	201
785	26.1	1642	1634	358	2049	1225	230	766	30.0	1807	1778	408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	सिक्किम	18	31	2	3	66.7	21	30	1	16	12	11
24.	तमिलनाडु	686	487	105	432	24.3	777	682	136	677	478	72
25.	त्रिपुरा	238	185	28	112	25.0	320	226	32	205	238	24
26.	उत्तर प्रदेश	1563	1171	705	1392	50.6	2580	1842	1304	2042	1580	816
27.	उत्तराखंड	121	104	58	111	52.3	171	159	86	129	98	48
28.	पश्चिम बंगाल	2311	1866	90	655	13.7	2395	2242	128	2363	2004	79
	कुल राज्य	21603	18149	3630	13820	26.3	26380	24810	5412	23582	19258	3876
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	20	0	0	—	39	28	0	13	22	0
30.	चंडीगढ़	31	29	14	31	45.2	44	38	16	27	21	9
31.	दादरा और नगर हवेली	3	4	2	4	50.0	3	4	2	4	3	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	0	—	1	1	0	1	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	507	449	141	407	34.6	602	532	201	572	477	186
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	1
35.	पुदुचेरी	3	2	1	1	100.0	5	2	1	7	4	0
	कुल संघ शासित	569	505	158	443	35.67	694	605	220	624	527	196
	कुल अखिल भारत	22172	18654	3783	14263	26.56	27074	25215	5632	24206	19785	4072

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मामलों की दोषसिद्धि दर को विचारण पूर्ण हुए मामलों में से दोषसिद्ध मामलों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान महिलाओं एवं लड़कियों के अपहरण एवं व्यपहरण के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1531	1101	75	824	9.1	1722	1816	128	1612	1025	115
2.	अरुणाचल प्रदेश	46	21	2	4	50.0	48	29	2	60	24	5

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	55.0	25	12	11	34	24	1	2	50.0	29	20	18
353	20.4	837	611	110	737	558	60	299	20.1	962	862	104
202	11.9	258	248	28	229	206	16	109	14.7	202	215	19
1447	56.4	3571	2398	1325	1963	1513	619	1230	50.3	3593	2508	809
88	54.5	149	143	73	148	128	75	119	63.0	184	187	93
686	11.5	1870	2104	121	2046	2165	112	1023	10.9	1963	2165	124
14946	25.9	28083	25687	5470	24157	20933	3251	14070	23.1	30144	2797	4433
0	—	28	48	0	12	7	3	8	37.5	17	15	3
21	42.9	27	31	10	27	34	9	27	33.3	34	41	11
4	0.0	4	3	0	3	6	1	5	20.0	5	8	2
0	—	0	0	0	5	4	1	2	50.0	10	9	1
448	41.5	707	647	243	706	568	297	603	49.3	892	862	368
2	50.0	0	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	29	20	0	13	13	1	2	50.0	15	14	3
477	41.09	795	749	254	766	632	312	647	48.22	973	949	388
15423	26.4	28878	26436	5724	24923	21565	3563	14717	24.21	31117	28925	4821

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
976	11.8	1698	1467	127	1403	966	58	891	6.5	1764	1800	108
29	17.2	67	32	7	58	32	7	30	23.3	49	34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	2767	971	106	615	17.2	2687	1218	146	3192	1182	195
4.	बिहार	2569	1150	108	689	15.7	2503	2280	196	3050	1564	184
5.	छत्तीसगढ़	279	192	36	145	24.8	352	321	58	365	291	21
6.	गोवा	18	10	1	9	11.1	15	18	2	17	10	0
7.	गुजरात	1290	1027	51	401	12.7	1651	1580	100	1442	1088	30
8.	हरियाणा	714	431	91	350	26.0	543	524	130	733	414	49
9.	हिमाचल प्रदेश	162	55	5	33	15.2	101	95	5	191	72	4
10.	जम्मू और कश्मीर	840	346	5	255	2.0	509	503	10	1023	508	8
11.	झारखंड	696	420	67	376	17.8	710	674	103	660	480	93
12.	कर्नाटक	586	328	14	200	7.0	751	614	47	715	375	21
13.	केरल	184	174	4	76	5.3	221	257	5	221	151	3
14.	मध्य प्रदेश	1030	856	208	641	32.4	1303	1309	390	1088	837	205
15.	महाराष्ट्र	1124	706	21	387	5.4	1470	1250	43	1252	870	30
16.	मणिपुर	107	2	0	2	0.00	83	2	0	116	0	3
17.	मेघालय	37	9	0	6	0.0	41	17	0	37	6	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	6	8	4	14	28.6	13	6	1	3	2	3
20.	ओडिशा	912	811	31	402	7.7	1070	1095	41	1008	869	33
21.	पंजाब	576	226	47	170	27.6	646	542	100	517	195	39
22.	राजस्थान	2477	815	128	372	34.4	1281	1275	251	2713	895	133
23.	सिक्किम	6	10	1	2	50.0	13	10	1	10	5	0
24.	तमिलनाडु	1464	619	104	429	24.2	1532	1280	160	1743	583	77
25.	त्रिपुरा	91	57	3	36	8.3	106	89	3	116	90	3
26.	उत्तर प्रदेश	5468	3050	1594	3052	52.2	11903	6831	3951	7525	4323	1719
27.	उत्तराखंड	249	147	36	93	38.7	293	272	55	283	166	38
28.	पश्चिम बंगाल	2764	2069	37	390	9.5	2254	2545	50	3711	2129	45
	कुल राज्य	27993	15611	2779	9973	27.9	33821	26452	5978	33403	18154	3056

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
731	26.7	2838	1430	174	3360	1247	50	712	7.0	2689	1338	80
860	21.4	3565	2853	304	3789	2028	55	754	7.3	4639	3656	92
110	19.1	372	359	29	350	316	42	151	27.8	441	439	89
4	0.0	16	11	0	16	12	0	2	0.0	12	12	0
442	6.8	1888	1893	65	1527	1191	30	435	6.9	1939	1878	51
295	16.6	548	539	77	900	467	47	313	15.0	660	705	62
50	8.0	134	107	7	152	73	9	44	20.5	131	129	16
313	2.6	894	894	6	1041	528	4	455	0.9	884	884	2
313	29.7	901	886	152	786	523	122	410	29.8	1000	949	162
258	8.1	703	700	34	1070	450	14	238	5.9	1035	1010	44
62	4.8	230	201	3	214	197	5	62	8.1	253	252	6
697	29.4	1473	1443	352	1127	1112	158	680	23.2	1648	1621	383
445	6.7	1954	1689	52	1140	856	23	451	5.1	1775	1656	32
5	80.0	94	0	10	133	2	0	1	0.0	101	2	0
7	0.0	18	9	0	24	12	0	4	0.0	6	12	0
0	—	0	0	0	3	3	2	2	100.0	3	3	2
5	60.0	3	3	3	10	3	2	3	66.7	7	5	3
429	7.7	1107	1097	63	1364	1029	35	441	7.9	1347	1327	46
160	24.4	589	427	85	689	253	18	102	17.6	731	410	44
517	25.7	1461	1423	230	2697	982	190	631	30.1	1565	1563	370
3	0.0	6	5	0	10	6	2	4	50.0	8	5	2
371	20.8	1778	1100	183	1693	706	48	555	8.6	1557	1516	119
40	7.5	113	90	3	114	88	3	46	6.5	120	146	7
3259	52.7	19299	9513	3911	7910	4329	1055	2221	47.5	20565	9824	2155
86	44.2	295	274	89	256	142	130	185	70.3	242	241	152
513	8.8	2748	2480	135	4168	2770	22	611	3.6	3352	2994	38
10980	27.8	44792	30925	6101	36004	20323	2131	10434	20.4	48523	3441	4072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	7	0	0	—	11	16	0	12	8	0
30.	चंडीगढ़	28	1	6	14	42.9	23	8	8	46	19	9
31.	दादरा और नगर हवेली	10	3	1	3	33.3	7	3	1	8	5	0
32.	दमन और दीव	2	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1740	289	85	226	37.6	366	352	85	2085	439	108
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	1
35.	पुदुचेरी	14	13	2	5	40.0	22	26	2	9	6	0
	कुल संघ शासित	1802	313	94	248	37.9	429	405	96	2162	477	118
	कुल अखिल भारत	29795	15924	2873	10221	28.1	34250	26857	6074	35565	18631	3174

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान दहेज हत्या के तहत अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	588	543	80	502	15.9	1322	1383	230	599	522	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	175	132	13	58	22.4	263	192	24	121	77	13
4.	बिहार	1257	831	146	582	25.1	2508	2658	351	1413	1454	163
5.	छत्तीसगढ़	115	108	31	78	39.7	277	261	81	104	110	26
6.	गोवा	1	0	1	2	50.0	5	0	1	1	2	0
7.	गुजरात	19	15	1	8	12.5	28	34	4	30	26	0
8.	हरियाणा	284	253	89	223	39.9	589	590	223	255	215	78
9.	हिमाचल प्रदेश	2	2	0	1	0.0	4	4	0	4	3	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	14	14	0	7	7	1	2	50.0	7	7	1
20	45.0	33	17	11	66	48	4	13	30.8	48	61	6
2	0.0	3	6	0	9	8	1	5	20.0	11	12	1
0	—	8	0	0	0	3	0	2	0.0	0	8	0
278	38.8	503	448	141	2160	353	177	464	38.1	478	422	190
1	100.0	0	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0
3	0.0	10	9	0	16	12	3	7	42.9	16	15	3
304	38.8	571	494	153	2258	431	186	493	37.7	560	525	**201**
11284	28.1	45363	31419	6254	38262	20754	2317	10927	21.2	49083	34936	**4273**

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
421	13.3	1400	1240	265	504	532	55	495	11.1	1267	1391	146
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	2	0	0
44	29.5	146	134	30	140	85	10	25	40.0	215	153	18
785	20.8	3900	3309	323	1275	1349	164	543	30.2	3994	3741	314
67	38.8	287	305	57	81	81	40	86	46.5	211	213	106
0	—	2	6	0	0	1	0	0	—	0	2	0
24	0.0	62	58	0	21	22	0	30	0.0	38	38	0
261	29.9	457	449	160	258	231	69	256	27.0	481	468	125
2	0.0	8	8	0	2	2	0	3	0.0	4	4	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	जम्मू और कश्मीर	9	9	0	8	0.0	26	24	0	11	4	0
11.	झारखंड	276	235	74	250	29.6	567	585	186	282	228	63
12.	कर्नाटक	248	246	32	181	17.7	621	717	62	267	265	36
13.	केरल	22	26	1	13	7.7	34	47	2	15	16	1
14.	मध्य प्रदेश	892	877	230	665	34.6	2564	2574	656	811	797	332
15.	महाराष्ट्र	393	401	22	329	6.7	1438	1377	63	339	359	33
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	388	485	50	415	12.0	988	1048	131	465	406	49
21.	पंजाब	121	104	56	108	51.9	288	292	138	143	119	48
22.	राजस्थान	462	347	100	231	43.3	616	610	183	514	380	105
23.	सिक्किम	1	0	0	0	—	2	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	165	151	46	164	28.0	313	300	102	152	113	26
25.	त्रिपुरा	25	23	3	18	16.7	62	56	6	30	37	5
26.	उत्तर प्रदेश	2217	1757	992	1831	54.2	9250	5958	3828	2322	1892	1024
27.	उत्तराखंड	75	60	39	86	45.3	168	163	104	83	75	12
28.	पश्चिम बंगाल	507	486	24	229	10.5	1124	1101	55	510	461	41
	कुल राज्य	8242	7091	2030	5982	33.9	23057	19974	6430	8473	7562	2111
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
30.	चंडीगढ़	5	4	2	6	33.3	10	10	5	2	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	143	136	27	131	20.6	209	199	68	142	130	51

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	0.0	12	12	0	8	13	1	7	14.3	23	23	2
166	38.0	536	483	137	302	252	87	216	40.3	444	490	173
199	18.1	642	660	55	218	216	33	170	19.4	539	539	62
6	16.7	25	21	1	32	21	2	12	16.7	38	30	2
821	40.4	2144	2155	910	743	762	188	572	32.9	2142	2146	536
215	15.3	1261	1276	85	329	297	32	189	16.9	1141	1129	85
0	–	5	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
0	–	3	1	0	1	0	0	0	–	4	0	0
0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
345	14.2	858	849	111	525	494	24	290	8.3	903	875	45
95	50.5	364	295	127	118	95	46	99	46.5	274	223	109
269	39.0	673	673	186	478	357	95	235	40.4	631	629	196
0	–	0	0	0	1	2	0	0	–	9	4	0
107	24.3	336	217	52	110	124	20	108	18.5	278	343	59
10	50.0	57	46	16	37	27	5	22	22.7	87	49	8
1809	56.6	9795	6260	3514	2244	1785	619	1265	48.9	9884	6236	1936
43	27.9	233	196	67	71	64	90	121	74.4	147	189	144
237	17.3	1118	1110	91	593	575	41	334	12.3	1345	1345	79
5932	35.6	24324	19763	6187	8092	7387	1621	5078	31.9	24101	20260	4145
0	–	0	1	0	2	1	0	0	–	3	3	0
2	50.0	3	0	6	5	7	1	4	25.0	14	15	3
0	–	0	1	0	0	0	0	0	–	0	0	0
0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
116	44.0	246	221	113	134	141	62	133	46.6	300	317	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	1	0	1	0.0	4	1	0	1	0	0
	कुल संघ शासित	149	141	29	139	20.9	223	210	73	145	132	52
	कुल अखिल भारत	8391	7232	2059	6121	33.6	23280	20184	6503	8618	7694	2163

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान महिलाओं का शीलभंग करने के लिए हमले के अंतर्गत दर्ज मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	4634	3868	496	2421	20.5	4622	4698	484	4849	3851	230
2.	अरुणाचल प्रदेश	84	54	4	8	50.0	88	61	5	51	43	6
3.	असम	1400	892	73	449	16.3	2020	1090	138	1193	673	65
4.	बिहार	534	482	73	407	17.9	808	676	109	790	899	83
5.	छत्तीसगढ़	1706	1650	409	1383	29.6	1969	1960	512	1654	1634	411
6.	गोवा	36	32	4	25	16.0	37	38	4	29	28	2
7.	गुजरात	668	659	22	442	5.0	986	972	29	685	658	15
8.	हरियाणा	476	415	117	387	30.2	605	596	165	474	396	125
9.	हिमाचल प्रदेश	350	334	17	121	14.0	418	421	27	331	294	28
10.	जम्मू और कश्मीर	1038	889	29	373	7.8	2053	2049	55	1194	1186	25
11.	झारखंड	245	221	49	317	15.5	273	318	58	317	244	59
12.	कर्नाटक	2544	2169	52	1206	4.3	3411	3102	89	2608	2302	82
13.	केरल	2936	2682	168	1381	12.2	3585	3602	246	3756	3287	152
14.	मध्य प्रदेश	6646	6609	1749	4730	37.0	7863	7838	2155	6665	6640	2040
15.	महाराष्ट्र	3661	3311	162	1917	8.5	4386	4047	206	3794	3476	173

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	0	0	0	1	0	1	0.0	0	5	0
118	44.1	354	223	119	141	150	63	138	45.7	317	340	151
6050	35.8	24578	19986	6306	8233	7537	1684	5216	32.3	24418	2060	4296

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2483	9.3	4554	4578	424	4816	3372	250	2727	9.2	4834	4727	419
9	66.7	69	48	6	67	51	12	31	38.7	77	52	12
763	8.5	1794	1087	71	1840	1063	67	755	8.9	2250	1210	97
528	15.7	1036	1150	97	118	299	49	393	12.5	278	639	59
1181	34.8	1948	1941	497	1601	1587	456	1296	35.2	1891	1879	491
11	18.2	28	30	2	49	21	1	18	5.6	42	24	1
447	3.4	1051	1063	17	745	714	8	493	1.6	1118	1109	8
510	24.5	534	517	154	525	476	118	506	23.3	698	733	147
138	20.3	373	358	35	250	250	27	197	13.7	317	332	33
450	5.6	2759	2755	46	1322	1233	95	1072	8.9	2814	2814	155
192	30.7	340	301	73	284	242	114	254	44.9	355	355	149
1262	6.5	3381	3190	75	2978	2489	71	1836	3.9	3982	3861	174
1331	11.4	4257	4125	238	3735	3473	186	1497	12.4	4167	4131	285
5428	37.6	7904	7912	1995	6655	6466	1413	3612	39.1	8085	8062	1655
2261	7.7	4704	4666	198	3935	3625	213	2390	8.9	4885	4723	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	31	0	0	0	—	23	0	0	38	0	0
17.	मेघालय	48	33	3	12	25.0	29	27	4	74	39	4
18.	मिज़ोरम	75	73	71	78	91.0	79	81	122	72	61	31
19.	नागालैंड	13	12	9	10	90.0	15	11	1	9	6	12
20.	ओडिशा	2905	2719	98	1340	7.3	4116	4265	147	3207	3230	134
21.	पंजाब	349	235	77	209	36.8	454	445	162	282	185	75
22.	राजस्थान	2339	1727	550	1073	51.3	2598	2598	804	2447	1802	603
23.	सिक्किम	11	13	3	7	42.9	23	13	3	24	16	6
24.	तमिलनाडु	1405	987	508	1090	46.6	1946	1598	765	1467	1043	346
25.	त्रिपुरा	376	308	22	173	12.7	456	358	36	294	297	14
26.	उत्तर प्रदेश	2793	2513	1818	2552	71.2	4189	3646	2810	3455	3174	1922
27.	उत्तराखंड	125	116	51	62	82.3	184	183	65	116	106	55
28.	पश्चिम बंगाल	2465	1915	81	572	14.2	1841	2167	91	2363	2270	66
	कुल राज्य	39893	34918	6715	22745	29.5	49077	46860	9292	42238	37835	6764
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	24	0	3	0.0	40	34	0	15	16	1
30.	चंडीगढ़	29	24	7	31	22.6	28	30	7	21	24	1
31.	दादरा और नगर हवेली	11	5	1	1	100.0	12	5	2	2	5	1
32.	दमन और दीव	2	3	0	1	0.0	2	1	0	0	1	1
33.	दिल्ली संघ शासित	601	572	169	415	40.7	794	721	336	657	619	198
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	46	43	7	31	22.6	71	72	11	35	26	3
	कुल संघ शासित	720	671	184	482	38.2	947	863	356	730	691	205
	कुल अखिल भारत	40613	35589	6899	23227	29.7	50024	47723	9648	42968	38526	6969

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	24	0	0	49	7	0	0	—	34	7	0
14	28.6	58	44	8	43	32	2	7	28.6	45	34	2
36	86.1	63	61	26	85	81	45	67	67.2	82	78	47
12	100.0	12	9	12	16	19	10	10	100.0	16	15	12
1615	8.3	4541	4455	180	4187	3810	203	1849	11.0	6060	5879	246
226	33.2	402	314	126	340	182	46	172	26.7	413	284	79
115	54.1	2740	2736	892	2352	1700	696	1402	49.6	2658	2656	1145
12	50.0	17	17	12	19	15	1	7	14.3	17	9	1
895	38.7	2092	1752	516	1494	1108	241	778	31.0	2091	1974	387
139	10.1	455	312	19	314	291	41	239	17.2	375	367	44
2768	69.4	5252	4631	2638	3247	2886	1137	1777	64.0	5143	4411	1506
72	76.4	153	153	71	139	129	138	188	73.4	199	197	168
756	8.7	2243	2071	108	3345	2897	110	941	11.7	2879	2897	138
24654	27.4	52784	50276	8536	44550	38518	5750	24514	23.5	55805	53459	7716
1	100.0	15	16	1	17	14	1	9	11.1	20	14	1
14	7.1	24	29	1	45	30	1	19	5.3	54	28	1
2	50.0	2	8	1	2	2	1	5	20.0	2	2	1
1	100.0	0	1	1	0	0	0	1	0.0	0	0	0
462	42.9	865	824	256	727	671	327	754	43.4	939	886	452
1	0.0	0	0	0	1	0	0	0	—	0	0	0
8	37.5	77	56	10	9	8	2	17	11.8	7	13	12
489	41.9	983	934	270	801	725	332	805	41.2	1022	943	467
25143	27.7	53767	51210	8806	45351	39243	6082	25319	24.0	56827	54402	8183

वर्ष 2010-2012 के दौरान महिलाओं के शीलभंग के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	4562	3332	731	2091	35.0	3820	3965	861	3658	3291	639
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	—	1	0	0	0	1	0
3.	असम	20	9	3	7	42.9	35	13	6	8	6	0
4.	बिहार	16	9	0	3	0.0	22	20	0	11	14	0
5.	छत्तीसगढ़	182	172	31	84	36.9	2612	258	65	174	165	23
6.	गोवा	16	13	2	6	33.3	22	21	2	12	7	2
7.	गुजरात	110	98	9	74	12.2	131	134	13	93	81	9
8.	हरियाणा	580	526	334	441	75.7	635	628	408	490	455	382
9.	हिमाचल प्रदेश	78	51	1	12	8.3	73	65	1	62	52	2
10.	जम्मू और कश्मीर	262	234	100	203	49.3	295	295	139	350	337	94
11.	झारखंड	16	11	3	11	27.3	20	37	3	7	13	7
12.	कर्नाटक	83	16	0	22	0.0	22	21	0	81	47	2
13.	केरल	537	515	70	232	30.2	604	617	78	573	516	108
14.	मध्य प्रदेश	918	899	309	606	51.0	1182	1183	340	762	748	340
15.	महाराष्ट्र	1180	1063	34	664	5.1	1515	1441	42	1071	1013	38
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	1	1	100.0	0	0	2	1	0	0
19.	नागालैंड	3	2	0	0	—	3	3	0	0	1	1
20.	ओडिशा	232	231	11	140	7.9	354	346	16	235	233	12
21.	पंजाब	38	27	13	25	52.0	42	36	17	31	23	11
22.	राजस्थान	23	17	9	11	81.8	22	22	11	9	7	7

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2021	31.6	4122	4223	852	3714	3104	693	2175	31.9	4348	4077	690
0	—	0	1	0	2	0	0	0	—	0	0	0
4	0.0	26	9	0	5	1	0	1	0.0	12	8	0
14	0.0	9	16	0	37	33	0	22	0.0	39	40	0
65	35.4	250	254	37	162	156	28	83	33.7	193	195	38
9	22.2	16	9	2	16	6	1	4	25.0	17	8	1
81	11.1	168	164	9	93	92	16	80	20.0	117	120	16
567	67.4	564	555	429	434	417	274	456	60.1	558	577	313
12	16.7	56	59	1	68	52	1	12	8.3	91	79	2
238	39.5	458	458	117	347	330	98	305	32.1	447	447	149
10	70.0	16	14	4	10	20	5	12	41.7	51	29	6
20	10.0	44	47	3	100	150	1	108	0.9	147	137	2
296	36.5	598	580	133	498	469	83	235	35.3	538	516	101
754	45.1	850	851	412	774	772	160	459	34.9	1056	1058	190
709	5.4	1300	1321	47	1294	1044	30	543	5.5	1548	1433	34
0	—	1	1	0	1	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	1	1	1	100.0	1	1	1
1	100.0	0	1	2	0	0	0	0	—	0	0	0
158	7.6	313	302	15	304	262	18	197	9.1	376	371	23
27	40.7	34	32	15	31	13	3	11	27.3	45	24	5
9	77.8	13	13	7	18	15	5	9	55.6	20	20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	638	624	417	724	57.6	739	752	353	464	343	170
25.	त्रिपुरा	9	4	0	2	0.0	9	7	0	9	6	0
26.	उत्तर प्रदेश	11	21	1951	2555	76.4	15	36	3157	3	1	1642
27.	उत्तराखंड	165	169	244	273	89.4	282	291	228	72	70	109
28.	पश्चिम बंगाल	163	127	37	92	40.2	165	140	44	200	147	41
	कुल राज्य	9843	8170	4310	8279	52.1	10269	10331	5786	8377	7578	3639
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	7	0	0	—	14	11	0	3	6	0
30.	चंडीगढ़	4	0	8	17	47.1	2	0	12	12	10	0
31.	दादरा और नगर हवेली	2	1	0	0	—	2	2	0	0	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	80	100	47	87	54.0	89	100	74	162	140	33
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	22	20	2	10	20.0	28	26	6	16	11	4
	कुल संघ शासित	118	128	57	115	49.6	135	139	92	193	168	37
	कुल अखिल भारत	9961	8298	4367	8394	52.0	10404	10470	5878	8570	7746	3676

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान पति रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	12080	11459	756	6099	12.4	21572	22299	1554	13376	10499	618
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	8	1	3	33.3	11	8	1	18	8	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
298	57.0	490	457	186	382	351	113	323	35.0	470	332	154
3	0.0	9	9	0	7	10	1	4	25.0	15	15	1
2396	68.5	3	1	2158	8	9	826	1452	56.9	14	14	1167
136	80.1	111	110	149	73	67	49	63	77.8	103	98	66
102	40.2	225	175	43	556	380	96	229	41.9	617	406	99
7930	45.9	9676	9662	4621	8934	7754	2502	6784	36.9	10823	10005	3062
0	–	7	11	0	4	4	0	1	0.0	6	4	0
2	0.0	11	12	0	25	15	0	6	0.0	32	22	0
0	–	1	1	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
0	–	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
94	35.1	165	156	43	208	158	63	148	42.6	231	193	73
0	–	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
8	50.0	20	12	4	2	6	1	15	6.7	17	23	1
104	35.6	204	192	47	239	183	64	172	37.2	286	242	74
8034	45.8	9880	9854	4668	9173	7937	2566	6956	36.9	11109	1	3136

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5109	12.1	20719	20028	1787	13389	10689	661	6506	10.2	21251	21339	1586
2	0.0	16	8	0	26	20	2	4	50.0	26	20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	5410	3155	227	1529	14.8	6208	3762	390	5246	3048	310
4.	बिहार	2271	1465	182	1244	14.6	3850	3630	390	2607	2215	237
5.	छत्तीसगढ़	861	834	142	618	23.0	2450	2407	339	834	794	139
6.	गोवा	17	14	0	8	0.0	41	42	0	18	10	1
7.	गुजरात	5600	5447	110	3201	3.4	16877	16768	784	6052	6001	69
8.	हरियाणा	2720	1684	131	1382	9.5	4057	3794	531	2740	1834	175
9.	हिमाचल प्रदेश	275	235	7	109	6.4	677	664	26	239	198	8
10.	जम्मू और कश्मीर	211	157	8	33	24.2	418	412	6	286	248	2
11.	झारखंड	650	618	177	668	26.5	1600	2361	411	659	553	195
12.	कर्नाटक	3441	2994	75	1783	4.2	6515	5832	183	3712	3137	115
13.	केरल	4797	4461	127	2563	5.0	7522	7492	222	5377	4639	151
14.	मध्य प्रदेश	3756	3669	871	2261	38.5	10253	10269	2708	3732	3717	1246
15.	महाराष्ट्र	7434	7354	104	5000	2.1	28261	27819	344	7136	6504	103
16.	मणिपुर	18	0	0	0	—	13	0	0	39	0	0
17.	मेघालय	24	10	0	2	0.0	11	9	0	21	30	0
18.	मिज़ोरम	3	3	2	2	100.0	3	3	2	9	7	6
19.	नागालैंड	1	1	2	2	100.0	3	3	3	1	1	0
20.	ओडिशा	2067	2164	99	1138	8.7	4840	4822	258	2320	2042	110
21.	पंजाब	1163	845	123	532	23.1	2159	2132	355	1136	799	104
22.	राजस्थान	11145	6192	1042	2417	43.1	9113	9096	2115	12218	6622	1203
23.	सिक्किम	3	3	0	0	—	4	3	0	4	4	1
24.	तमिलनाडु	1570	1165	211	1041	20.3	2981	2860	519	1812	1130	219
25.	त्रिपुरा	937	781	39	436	8.9	1172	873	67	702	758	43
26.	उत्तर प्रदेश	7978	5776	3024	5485	55.1	29853	22468	11741	7121	5352	2821
27.	उत्तराखंड	334	264	64	174	36.8	625	588	518	307	220	39
28.	पश्चिम बंगाल	17796	16946	148	2505	5.9	18387	19464	211	19772	16271	161
	कुल राज्य	92574	77704	7672	40235	19.1	179476	169880	23678	97494	76641	8076

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1852	16.7	4894	3167	299	6407	3971	205	2135	9.6	5435	3763	287
1371	17.3	5134	4273	422	3686	3125	171	948	18.0	6963	6970	368
634	21.9	2200	2220	350	980	957	242	845	28.6	2581	2575	604
11	9.1	21	22	1	24	7	1	7	14.3	54	20	1
2627	2.6	18141	18150	198	6658	6522	110	3186	3.5	19982	19638	299
1375	12.7	3533	3590	336	3137	2011	188	2026	9.3	3606	3639	345
118	6.8	507	496	9	251	215	6	168	3.6	505	519	15
38	5.3	617	616	7	301	273	2	82	2.4	634	634	2
501	38.9	1346	1237	417	1261	929	156	612	25.5	2207	1811	251
2188	5.3	6801	6468	157	3684	3162	71	2126	3.3	6317	5919	174
2592	5.8	7305	7231	313	5216	5026	168	2381	7.1	6923	6712	254
3172	39.3	10313	10323	2699	3988	3970	697	2095	33.3	11104	11110	1937
4795	2.1	26325	26392	357	7415	6946	113	6109	1.8	27379	26677	372
0	—	22	0	0	43	7	0	0	—	21	7	0
6	0.0	34	25	0	16	8	0	0	—	14	12	0
7	85.7	7	7	6	8	7	7	8	87.5	7	7	7
0	—	1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1061	10.4	3739	3822	219	2638	2364	146	1350	10.8	4699	4904	256
489	21.3	2229	2044	289	1293	718	113	443	25.5	2288	1490	408
2933	41.0	9791	9692	2001	13312	6934	1480	4060	36.5	9949	9969	2341
1	100.0	4	4	1	4	2	3	7	42.9	6	4	6
991	22.1	2879	2379	410	1965	1496	203	1035	19.6	4019	3092	495
463	9.3	1776	1270	46	858	793	213	1418	15.0	1147	1296	270
4876	57.9	33465	20751	10784	7661	4461	1414	2866	49.3	36115	19689	5105
76	51.3	382	505	111	368	255	122	186	65.6	484	386	175
2491	6.5	17583	16499	217	19865	21556	199	4486	4.4	22911	23083	377
39779	20.3	179784	1961220	21436	104454	86424	6693	45089	14.8	196627	175285	15937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	9	0	2	0.0	12	22	0	5	2	0
30.	चंडीगढ़	41	27	7	67	10.4	18	20	9	46	29	4
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	2	2	100.0	14	9	3	3	2	0
32.	दमन और दीव	3	2	0	2	0.0	6	5	0	2	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1404	838	83	435	19.1	878	838	147	1575	1104	87
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
35.	पुदुचेरी	7	7	0	8	0.0	9	9	0	10	6	0
	कुल संघ शासित	1467	886	92	516	17.8	937	903	159	1641	1145	91
	कुल अखिल भारत	94041	78590	7764	40751	19.1	180413	170783	23837	99135	77786	8167

वर्ष 2010-2012 के दौरान विदेश से लड़कियों को लाए जाने के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4.	बिहार	8	9	1	6	16.7	26	18	1	10	26	3
5.	छत्तीसगढ़	2	2	0	0	—	5	5	0	2	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	8	3	3	4	75.0	15	20	0	6	3	2
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	12	1	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	8	5	0	5	3	0	1	0.0	4	3	0
28	14.3	24	3	8	73	55	8	54	14.8	86	93	17
0	—	4	5	0	0	1	0	3	0.0	0	4	0
2	0.0	0	1	0	3	2	0	2	0.0	11	8	0
527	16.5	860	721	218	1985	1143	215	897	24.0	1026	626	448
0	—	0	1	0	1	0	0	0	—	1	0	0
2	0.0	21	11	0	6	5	0	8	0.0	7	11	0
559	16.3	917	747	226	2073	1209	223	965	23.1	1135	745	465
40338	20.2	180701	161967	21662	106527	87633	6916	46054	15.0	197762	176030	16402

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	0	2	2	0	2	0	0	2	0.0	2	0	0
54	5.6	26	50	3	4	3	6	43	14.0	6	4	7
0	—	7	7	0	0	1	0	1	100.0	0	1	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
4	50.0	1	3	1	3	3	1	3	33.3	3	3	1
0	—	2	2	0	32	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	5	5	0	1	0.0	19	19	0	45	39	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	1	0.0	0	0	0	3	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	5	2	0	0	—	5	5	0	0	3	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	8	8	0	8	0.0	11	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	36	29	4	20	20.0	81	75	6	80	75	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	36	29	4	20	20.0	81	75	6	80	75	5

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	178	173	0	6	9	1	5	20.0	10	15	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	2	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	3	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	0.0	0	0	0	12	9	1	8	12.5	25	20	2
64	7.8	221	240	4	59	27	10	62	16.1	46	45	14
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
64	7.8	221	240	4	59	27	10	62	16.1	46	45	14

वर्ष 2010-2012 के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	548	443	76	376	20.2	1332	1287	162	497	457	130
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	25	14	2	7	28.6	49	31	4	21	14	0
4.	बिहार	24	37	4	14	28.6	52	67	5	23	23	6
5.	छत्तीसगढ़	12	10	2	6	33.3	51	52	8	15	18	2
6.	गोवा	16	14	0	1	0.0	44	36	0	18	15	3
7.	गुजरात	46	46	2	20	10.0	157	157	4	46	48	3
8.	हरियाणा	57	57	28	75	37.3	226	233	94	57	55	7
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	—	11	11	0	2	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	4	0	0	0	—	0	0	0	1	2	0
11.	झारखंड	13	7	2	7	28.6	23	25	7	15	17	5
12.	कर्नाटक	242	250	263	317	83.8	934	1025	358	351	331	118
13.	केरल	309	328	217	246	88.2	576	628	274	197	204	124
14.	मध्य प्रदेश	19	18	14	21	66.7	91	84	10	24	26	16
15.	महाराष्ट्र	306	324	74	180	41.1	1007	1027	169	390	297	41
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	3	1	0	0	—	12	4	0	2	1	0
18.	मिज़ोरम	0	1	1	1	100.0	0	1	1	8	3	1
19.	नागालैंड	2	3	4	4	100.0	15	12	1	2	2	2
20.	ओडिशा	25	25	4	20	20.0	97	136	7	23	20	0
21.	पंजाब	59	52	15	42	35.7	288	251	68	50	54	14
22.	राजस्थान	82	83	16	25	64.0	299	302	31	81	77	56

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
449	29.0	1267	1164	352	472	492	214	624	34.3	1354	1376	301
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	1	0	0
5	0.0	55	27	0	30	16	0	9	0.0	51	31	0
22	27.3	34	40	7	35	26	3	15	20.0	116	64	3
8	25.0	60	66	9	5	5	15	18	83.3	22	22	7
4	75.0	42	31	3	40	9	2	4	50.0	100	26	3
18	16.7	206	218	11	44	33	0	5	0.0	124	95	0
79	8.9	251	244	37	69	69	20	113	17.7	303	290	77
4	25.0	3	3	12	6	4	0	2	0.0	18	14	0
1	0.0	8	7	0	3	4	0	4	0.0	13	13	0
12	41.7	22	16	7	12	9	1	2	50.0	20	11	7
246	48.0	1387	1344	362	335	276	100	292	34.2	1240	1170	241
182	68.1	308	330	207	210	219	105	192	54.7	324	342	146
31	51.6	193	200	70	13	13	6	19	31.6	59	59	29
88	46.6	1392	1613	64	366	328	20	55	36.4	1621	1338	44
0	—	0	0	0	15	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	15	2	0	7	0	0	0	—	20	0	0
1	100.0	5	5	3	0	0	2	2	100.0	0	0	2
2	100.0	6	6	16	4	4	2	2	100.0	26	28	24
23	0.0	69	62	0	24	20	1	18	5.6	82	73	3
44	31.8	214	195	41	86	68	11	47	23.4	402	311	58
78	71.8	339	324	163	99	96	20	36	55.6	349	356	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	सिक्किम	3	1	0	0	—	5	1	0	1	1	0
24.	तमिलनाडु	567	575	315	553	57.0	921	930	668	420	470	315
25.	त्रिपुरा	1	1	0	1	0.0	1	1	0	2	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	23	21	28	36	77.8	119	97	201	43	39	32
27.	उत्तराखंड	4	4	7	7	100.0	27	27	19	3	3	3
28.	पश्चिम बंगाल	56	57	11	32	34.4	227	193	42	96	57	13
	कुल राज्य	2447	2373	1085	1988	54.6	6554	6618	2133	2388	2235	892
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0	—	15	1	0	3	0	0
30.	चंडीगढ़	3	5	0	5	0.0	13	18	0	1	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	—	8	8	0	1	0	0
32.	दमन और दीव	6	5	0	1	0.0	42	35	0	6	4	0
33.	दिल्ली संघ शासित	28	35	32	43	74.4	96	101	84	33	38	24
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	11	11	8	8	100.0	37	37	25	3	3	2
	कुल संघ शासित	52	58	40	57	70.2	211	200	109	47	45	26
	कुल अखिल भारत	2499	2431	1125	2045	55.0	6775	6818	2242	2435	2280	918

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1186	1143	66	668	9.8	1615	1525	134	1899	1372	29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	0.0	7	4	0	0	2	4	6	66.7	0	5	8
583	54.0	878	802	475	500	333	153	238	64.3	927	720	332
0	—	8	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
44	72.7	256	255	173	31	32	13	17	76.5	187	178	74
3	100.0	14	14	8	12	9	3	3	100.0	61	45	15
26	50.0	336	218	39	109	103	18	44	40.9	455	328	43
1956	45.6	7375	7190	2059	2528	2170	713	1767	40.4	7875	6895	1464
0	—	14	0	0	2	6	0	0	—	16	27	0
2	0.0	5	0	0	0	1	0	4	0.0	0	5	0
0	—	0	0	0	2	3	0	0	—	12	12	0
0	—	47	28	0	3	5	0	1	0.0	24	29	0
35	68.6	123	84	61	24	25	31	43	72.1	104	88	85
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	100.0	17	17	13	4	0	2	2	100.0	21	0	7
39	66.7	206	129	74	35	40	33	50	66.0	177	161	92
1995	46.0	7581	7319	2133	2563	2210	746	1817	41.1	8052	7056	1556

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
476	6.1	1925	1461	84	2511	2076	31	1144	2.7	2780	2834	81
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	37	10	3	12	25.0	105	37	8	19	22	0
4.	बिहार	997	765	120	383	31.3	2473	2257	222	1393	1504	145
5.	छत्तीसगढ़	6	6	4	13	30.8	13	13	9	18	14	3
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	7	7	0	0	—	12	12	0	28	23	0
8.	हरियाणा	11	4	0	0	—	19	14	0	9	7	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1	0	0	—	2	2	0	3	1	0
11.	झारखंड	404	384	72	276	26.1	1108	1089	189	402	309	110
12.	कर्नाटक	1077	767	21	365	5.8	2154	1866	47	1210	966	40
13.	केरल	7	3	0	1	0.0	7	5	0	5	3	0
14.	मध्य प्रदेश	67	61	19	40	47.5	152	154	36	66	73	22
15.	महाराष्ट्र	40	44	2	30	6.7	120	128	4	44	44	2
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	942	1072	60	705	8.5	3279	3212	144	1062	1158	78
21.	पंजाब	1	5	0	3	0.0	3	15	0	3	1	2
22.	राजस्थान	3	0	0	0	—	0	0	0	4	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	199	167	40	136	29.4	422	429	101	195	174	87
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	—	1	1	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	115	92	195	380	51.3	418	357	714	124	100	228
27.	उत्तराखंड	1	0	0	1	0.0	0	0	0	3	4	1
28.	पश्चिम बंगाल	53	52	7	33	21.2	142	140	7	116	100	2
	कुल राज्य	5156	4584	609	3046	20.0	12045	11256	1615	6603	5876	750

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	0.0	15	16	0	41	29	1	8	12.5	63	33	2
751	19.3	3268	2836	374	1353	1203	115	506	22.7	2778	2768	313
9	33.3	42	42	8	14	16	3	9	33.3	40	40	10
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
6	0.0	86	70	0	0	5	0	7	0.0	0	16	0
7	14.3	8	11	1	9	6	3	8	37.5	8	10	17
2	0.0	0	5	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	1	1	0	3	1	0	0	—	1	1	0
275	40.0	953	855	201	1066	654	117	495	23.6	1689	1366	207
697	5.7	2287	2286	96	1328	844	23	622	3.7	2578	2418	65
0	—	5	5	0	3	5	0	0	—	6	7	0
61	36.1	170	170	194	101	100	11	32	34.4	321	321	38
34	5.9	173	165	3	33	32	3	51	5.9	106	98	9
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
591	13.2	2267	2286	162	1487	1312	72	829	8.7	2049	2081	171
4	50.0	6	7	2	1	1	0	0	—	0	1	0
1	0.0	0	0	0	39	20	1	1	100.0	50	50	4
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
211	41.2	425	443	148	277	267	212	318	66.7	569	526	386
0	—	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
408	55.9	505	368	840	505	247	73	124	58.9	2244	915	216
2	50.0	7	7	1	0	0	0	2	0.0	0	0	0
66	3.0	196	184	4	241	166	8	58	13.8	466	444	15
3603	20.8	12339	11218	2118	9012	6984	673	4215	16.0	15748	13929	1534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	15	9	2	3	66.7	6	9	2	7	6	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	11	12	1	5	20.0	29	30	3	8	2	0
	कुल संघ शासित	26	21	3	8	37.5	35	39	5	16	8	0
	कुल अखिल भारत	5182	4605	612	3054	20.0	12080	11295	1620	6619	5884	750

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	753	752	745	760	98.0	804	770	746	314	317	315
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	1	1	1	100.0	1	1	1	3	4	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	6	3	0	0	—	20	11	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	6	3	0	15	2	4	5	80.0	11	3	7
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	26	5	0	11	7	0	5	0.0	27	22	0
5	0.0	33	8	0	26	9	4	10	40.0	38	25	7
3608	20.8	12372	11226	2118	9038	6993	677	4225	16.0	15786	13954	1541

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
333	94.6	323	331	318	21	17	16	20	80.0	26	39	18
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	1	0	0	3	2	0	0	—	3	2	0
0	—	0	0	0	5	2	0	2	0.0	7	2	0
0	—	0	0	0	1	1	0	0	—	1	1	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	4	7	57.1	0	0	4
0	—	0	0	0	2	2	0	0	—	10	10	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
13.	केरल	37	38	5	29	17.2	45	44	7	12	10	10
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	—	0	2	0	1	1	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	80	79	25	40	62.5	63	63	27	102	96	43
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	14	5	3	3	100.0	18	10	5	10	8	4
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	—	3	0	0	4	3	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	0	3	0.0	3	5	0	2	1	0
	कुल राज्य	894	880	779	837	93.1	957	906	786	452	442	372
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	2
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	—	1	1	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	1	1	0	0	—	1	0	0	1	0	2
	कुल अखिल भारत	895	881	779	837	93.1	958	907	786	453	442	374

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
22	45.5	10	12	24	3	6	4	21	19.0	9	11	6
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	1	1	0	2	2	0	2	0.0	2	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	1	0	1	1	0	0	—	1	1	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
53	81.1	105	105	47	62	59	44	57	77.2	66	66	67
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
9	44.4	12	13	4	34	24	10	17	58.8	40	28	10
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	7	6	0	0	0	1	1	100.0	0	0	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
9	0.0	1	1	0	7	6	0	3	0.0	10	12	0
427	87.1	461	471	393	141	122	79	130	60.8	175	174	108
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
427	87.6	461	471	393	141	122	79	131	60.3	175	174	108

वर्ष 2010-2012 के दौरान सती प्रथा (निवारण), 1987 के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत											

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराध के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	27244	23851	3166	14772	21.4	38570	39417	4472	28246	22550	2243
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	117	11	21	52.4	197	138	12	171	114	15

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13275	16.9	37766	36275	4366	28171	22524	2086	15543	13.4	39288	39191	3527
63	23.8	199	130	17	201	127	24	95	25.3	202	130	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	11555	6293	522	3203	16.3	12996	7496	833	11503	6037	762
4.	बिहार	8471	5281	861	4201	20.5	13134	12422	1554	10231	8519	1031
5.	छत्तीसगढ़	4176	3917	860	3153	27.3	6577	6481	1343	4219	4054	842
6.	गोवा	140	127	13	78	16.7	214	217	16	127	109	12
7.	गुजरात	8148	7690	228	4333	5.3	20459	20277	974	8815	8334	157
8.	हरियाणा	5562	3960	903	3314	27.2	7540	7232	1712	5491	3908	952
9.	हिमाचल प्रदेश	1028	817	51	386	13.2	1481	1464	97	997	764	72
10.	जम्मू और कश्मीर	2611	1813	145	1015	14.3	3569	3544	215	3146	2514	143
11.	झारखंड	3087	2607	618	2505	24.7	5172	6031	1156	3132	2451	719
12.	कर्नाटक	8807	7282	511	4421	11.6	15179	13880	868	9594	7957	488
13.	केरल	9463	8871	637	4797	13.3	13253	13471	886	11288	9532	580
14.	मध्य प्रदेश	16468	16083	4177	11717	35.6	27814	27837	7525	16599	16100	5027
15.	महाराष्ट्र	15737	14661	565	9555	5.9	40377	39236	1073	15728	14129	625
16.	मणिपुर	190	6	1	5	20.0	141	7	1	247	6	4
17.	मेघालय	261	133	7	30	23.3	228	130	8	269	158	4
18.	मिज़ोरम	170	171	159	169	94.1	194	210	250	167	139	84
19.	नागालैंड	41	39	33	49	67.3	66	54	18	38	32	34
20.	ओडिशा	8501	8635	485	4826	10.0	16112	16298	932	9433	8999	564
21.	पंजाब	2853	1932	497	1579	31.5	4646	4367	1084	2641	1800	448
22.	राजस्थान	18182	10232	2072	4825	42.9	15335	15321	3720	19888	10998	2355
23.	सिक्किम	42	58	6	12	50.0	68	57	5	55	38	18
24.	तमिलनाडु	6708	4780	1749	4572	38.3	9649	8841	2809	6940	4342	1316
25.	त्रिपुरा	1678	1360	95	778	12.2	2127	1611	144	1358	1426	89
26.	उत्तर प्रदेश	20169	14401	10307	17283	59.6	58330	41235	27706	22639	16464	10204
27.	उत्तराखंड	1074	864	499	807	61.8	1750	1683	1075	996	742	305
28.	पश्चिम बंगाल	26125	23528	435	4519	9.6	26549	28005	628	29133	23440	448
	कुल राज्य	208681	169509	29613	106925	27.7	341727	316962	61116	223091	175656	29541

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4170	18.3	11241	6953	739	13544	7524	430	4153	10.4	12346	7694	637
5232	19.7	18157	15563	1776	11229	8970	682	3835	17.8	20147	19282	1317
2960	28.4	6423	6447	1227	4228	4108	1050	3466	30.3	6594	6566	1605
53	22.6	159	155	12	200	82	6	47	12.8	286	127	7
3856	4.1	22223	22232	346	9561	9014	199	4445	4.5	23965	23525	434
3672	25.9	6696	6725	1369	6002	4314	852	4204	20.3	7264	7429	1266
456	15.8	1268	1219	110	912	745	72	533	13.5	1325	1317	107
1215	11.8	5098	5089	194	3328	2639	219	2178	10.1	5204	5203	338
1947	36.9	4873	4526	1212	4536	3234	764	2566	29.8	6549	5720	1152
5244	9.3	16084	15509	866	10366	8174	378	5820	6.5	16680	15849	859
4692	12.4	13964	13303	1309	10930	10377	610	4649	13.1	13517	13187	862
14472	34.7	27818	27830	7530	16832	16687	3181	10275	31.0	29247	29234	5529
9559	6.5	39643	39545	1074	16353	14746	598	10808	5.5	41048	39535	1047
6	66.7	170	6	12	304	25	0	2	0.0	202	128	0
49	8.2	258	164	8	255	147	9	26	34.6	271	160	9
101	83.2	149	143	75	199	187	118	154	76.6	215	185	118
39	87.2	49	39	62	51	41	22	26	84.6	75	69	58
4862	11.6	14122	14096	954	11988	10628	653	5698	11.5	17183	17142	974
1472	30.4	4436	3885	893	3238	1842	388	1330	29.2	5048	3439	904
5760	40.9	16764	16600	3884	21106	11388	2761	7197	38.4	17095	17087	4582
37	48.6	59	42	24	68	51	11	26	42.3	69	47	35
3818	324.5	9727	7774	2084	7192	4967	1060	3671	28.9	10913	9393	2046
857	10.4	2676	1975	112	1559	1415	279	1839	15.2	1946	2088	349
17007	60.0	72153	44183	25343	23569	15262	5757	10953	52.6	77745	43775	12971
506	60.3	1344	1402	569	1067	794	607	867	70.0	1420	1343	813
4891	9.2	26320	24842	758	30942	30627	607	7737	7.8	34023	33694	915
10271	26.8	359839	316652	56925	237931	190642	23423	112143	20.9	389867	342439	42485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	85	68	0	5	0.0	131	112	0	51	55	1
30.	चंडीगढ़	141	90	44	171	25.7	138	124	57	156	103	24
31.	दादरा और नगर हवेली	30	17	6	10	60.0	46	31	8	18	17	1
32.	दमन और दीव	14	11	0	6	0.0	51	42	0	11	6	1
33.	दिल्ली संघ शासित	4518	2428	586	1747	33.5	3040	2852	997	5234	2953	687
34.	लक्षद्वीप	1	1	0	0	—	1	1	0	0	1	2
35.	पुदुचेरी	115	109	21	69	30.4	205	203	48	89	58	9
	कुल संघ शासित	4904	2724	657	2008	32.7	3612	3365	1110	5559	3193	725
	कुल अखिल भारत	213585	172233	30270	108933	27.8	345339	320327	62226	228650	178849	30268

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों को सूचना भी सम्मिलित है।

*महिलाओं के प्रति कुल अपराधों में ये शीर्ष शामिल हैं: बलात्कार, महिलाओं एवं लड़कियों का अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, महिलाओं का शीलभंग करने के लिए उन पर हमला, महिलाओं का शीलभंग करना, पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, विदेश से महिलाओं का लाया जाना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986 और सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987।

विवरण-II

वर्ष 2010-2012 के दौरान शिशु हत्या के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	6	8	1	3	33.3	6	7	2	0	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	2	2	0	0	—	2	2	0	3	3	1
5.	छत्तीसगढ़	1	0	2	3	66.7	0	0	1	8	8	1
6.	गोवा	1	0	0	0	—	1	0	0	0	1	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	100.0	86	95	1	49	42	5	21	23.8	73	73	5
90	26.7	128	92	36	241	190	23	127	18.1	268	265	38
8	12.5	14	24	1	16	20	3	19	15.8	30	38	4
3	33.3	55	30	1	11	14	1	9	11.1	45	54	1
1964	35.0	3475	3104	1075	5959	3061	1176	3047	38.6	3981	3397	1771
4	50.0	0	1	2	2	0	0	1	0.0	1	0	0
27	33.3	205	130	27	61	52	9	57	15.8	110	103	26
2097	34.6	3963	3476	1143	6339	3379	1217	3281	37.1	4508	3930	1845
12368	26.9	363802	320128	58068	244270	194021	24640	115424	21.3	394375	346369	44330

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	10.0	1	1	1	8	1	0	0	—	6	1	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
4	25.0	5	5	2	1	1	1	2	50.0	2	2	1
3	33.3	10	10	1	8	4	2	4	50.0	5	5	2
0	—	0	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	7	0	1	2	50.0	0	0	1	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	3	2	0	1	0.0	2	2	0	1	0	0
12.	कर्नाटक	2	2	0	0	—	1	1	0	8	3	0
13.	केरल	1	1	0	0	—	1	1	0	1	1	0
14.	मध्य प्रदेश	20	2	4	5	80.0	8	8	6	13	6	1
15.	महाराष्ट्र	3	0	0	1	0.0	0	0	0	3	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	6	0	0	0	—	0	0	0	1	2	1
22.	राजस्थान	7	5	1	1	100.0	8	8	1	3	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
24.	तमिलनाडु	7	0	0	0	—	0	0	0	7	0	0
25.	त्रिपुरा	0	1	0	1	0.0	0	1	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	31	22	24	35	68.6	53	37	34	13	10	25
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	100	45	33	52	63.5	82	67	45	62	35	30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	1	0	2	0.0	0	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	0.0	1	1	0	3	1	0	4	0.0	1	1	0
1	0.0	1	1	0	0	0	1	1	100.0	0	0	1
1	100.0	12	12	2	17	8	0	4	0.0	13	13	0
0	—	9	0	0	11	6	1	1	100.0	12	17	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	4	4	1	6	1	0	1	0.0	1	1	0
2	0.0	0	0	0	3	1	1	3	33.3	3	3	2
0	—	0	0	0	1	2	1	1	100.0	1	2	2
0	—	2	0	0	6	0	0	0	—	1	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
38	65.8	22	19	42	14	13	7	10	70.0	19	19	10
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	1	0	0	—	1	1	0
64	46.9	67	54	49	79	40	14	34	41.2	65	67	21
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	1	1	100.0	0	0	1	1	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	1	1	100.0	0	0	1	1	0	0
	कुल अखिल भारत	100	45	34	53	64.2	82	67	46	63	35	30

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षो के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: मामलों की दोषसिद्धि दर को विचारण पूर्ण हुए मामलों में से दोषसिद्ध मामलों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों की हत्या के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	63	52	16	85	18.8	66	82	16	101	75	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	10	8	2	4	50.0	6	4	2	8	7	1
4.	बिहार	200	122	12	27	44.4	323	257	12	124	152	26
5.	छत्तीसगढ़	51	42	11	23	47.8	68	68	9	59	53	18
6.	गोवा	1	3	0	0	—	3	11	0	2	1	0
7.	गुजरात	66	44	3	21	143.	73	64	4	69	46	3
8.	हरियाणा	22	16	7	15	46.7	18	18	9	14	15	4
9.	हिमाचल प्रदेश	5	5	1	8	12.5	8	8	1	5	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	—	1	1	0	4	3	0
11.	झारखंड	1	1	0	0	—	2	2	0	5	3	0
12.	कर्नाटक	43	38	4	33	12.1	46	43	4	52	36	6
13.	केरल	41	48	8	27	29.6	44	57	8	47	42	4

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	2	2	0	2	0.0	3	3	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	2	2	0	2	0.0	3	3	0
64	46.9	67	54	49	81	42	14	36	38.9	68	70	21

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
68	13.2	119	90	12	105	92	8	66	121	140	140	12
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	10	10	1	15	8	0	0	—	15	7	0
84	31.0	269	331	52	128	130	34	126	27.0	220	255	50
32	56.3	69	68	31	61	53	25	46	54.3	74	75	25
0	—	0	1	0	3	2	0	0	—	2	2	0
20	15.0	77	88	4	60	33	1	16	6.3	52	55	1
15	26.7	15	15	5	40	33	4	13	30.8	58	56	7
2	0.0	9	11	0	9	8	0	5	0.0	9	9	0
0	—	8	8	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	0.0	7	3	0	1	0	0	2	0.0	1	0	0
33	18.2	43	42	5	54	45	6	50	12.0	65	67	4
14	28.6	41	40	2	34	33	4	16	25.0	29	34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	मध्य प्रदेश	124	107	51	104	49.0	176	171	73	123	99	41
15.	महाराष्ट्र	211	149	11	92	12.0	251	227	12	204	154	10
16.	मणिपुर	2	0	0	0	—	0	0	0	3	0	0
17.	मेघालय	2	1	1	3	33.3	2	1	1	8	1	0
18.	मिज़ोरम	1	1	0	0	—	1	1	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	5	0	1
20.	ओडिशा	9	9	3	5	60.0	15	15	3	18	15	3
21.	पंजाब	37	42	17	29	58.6	53	64	20	41	33	24
22.	राजस्थान	75	37	11	17	64.7	48	47	26	78	37	25
23.	सिक्किम	3	4	0	0	—	13	14	0	1	3	3
24.	तमिलनाडु	73	56	36	55	65.5	90	73	46	108	70	21
25.	त्रिपुरा	2	5	4	9	44.4	2	4	5	9	12	2
26.	उत्तर प्रदेश	315	257	239	374	63.9	590	510	436	326	297	223
27.	उत्तराखंड	3	4	4	8	50.0	3	3	5	9	7	3
28.	पश्चिम बंगाल	16	7	1	2	50.0	32	9	1	46	12	0
	कुल राज्य	1377	1059	442	941	47.0	1934	1754	693	1469	1175	427
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	—	2	0	0	1	1	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	0	—	0	0	0	3	4	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	2	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	1	1	100.0	0	0	2	0	0	1
33.	दिल्ली संघ शासित	29	16	12	16	75.0	45	48	28	39	34	14
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	3	0.0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	31	16	13	20	65.0	47	48	30	45	39	16
	कुल अखिल भारत	1408	1075	455	961	47.3	1981	1802	723	1514	1214	443

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
64	64.1	193	190	71	123	117	30	61	49.2	191	199	62
84	11.9	248	262	18	201	150	14	81	17.3	255	222	18
0	—	1	0	0	4	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	1	0	0	1	0	1	0.0	1	1	0
0	—	0	0	0	1	1	1	1	100.0	1	1	1
1	100.0	5	0	1	1	5	5	5	100.0	0	5	5
9	33.3	18	17	3	25	14	4	10	40.0	25	22	7
33	72.7	66	51	30	42	26	15	25	60.0	43	45	18
52	48.1	48	53	20	52	31	19	54	35.2	35	29	25
3	100.0	3	3	3	0	0	1	2	50.0	0	0	5
45	46.7	128	84	23	89	69	23	58	39.7	118	123	31
4	50.0	21	15	2	2	5	2	5	40.0	3	6	2
307	72.6	669	602	432	449	409	140	225	62.2	927	887	263
6	50.0	7	7	3	11	7	9	11	81.8	8	8	14
3	0.0	16	14	0	45	27	1	4	25.0	37	29	1
883	48.4	2093	2006	718	1555	1299	346	883	39.2	2309	2277	558
0	—	1	2	0	1	1	0	0	—	1	1	0
0	—	6	6	0	1	0	2	2	100.0	0	0	3
1	100.0	1	0	1	1	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	0	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0
22	63.6	61	46	23	39	44	17	24	70.8	43	54	19
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
25	64.0	69	54	25	42	45	19	26	73.1	44	55	22
908	48.8	2162	2060	743	1597	1344	365	909	40.2	2353	2332	580

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	446	453	25	399	6.3	559	564	30	646	468	37
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	15	0	0	—	14	13	0	20	19	2
3.	असम	39	19	1	5	20.0	24	13	4	40	28	1
4.	बिहार	114	75	5	20	25.0	112	98	2	91	84	10
5.	छत्तीसगढ़	382	361	103	286	36.0	426	430	89	477	446	63
6.	गोवा	23	33	2	19	10.5	35	51	2	20	24	4
7.	गुजरात	102	100	5	31	16.1	137	141	6	130	121	5
8.	हरियाणा	107	93	24	88	27.3	121	117	27	66	62	27
9.	हिमाचल प्रदेश	72	76	8	76	10.5	107	115	11	72	70	11
10.	जम्मू और कश्मीर	8	5	0	3	0.0	5	5	0	9	7	0
11.	झारखंड	0	4	0	11	0.0	0	15	0	16	14	1
12.	कर्नाटक	108	98	14	56	25.0	104	112	9	97	96	13
13.	केरल	208	276	18	74	24.3	240	323	18	423	265	16
14.	मध्य प्रदेश	1182	1168	228	823	27.7	1410	1390	291	1262	1248	245
15.	महाराष्ट्र	747	614	40	315	12.7	936	873	55	818	720	48
16.	मणिपुर	11	1	0	0	—	6	1	0	19	0	0
17.	मेघालय	91	36	2	4	50.0	64	47	1	66	32	0
18.	मिज़ोरम	42	39	20	20	100.0	42	39	30	40	36	18
19.	नागालैंड	32	2	1	1	100.0	3	2	1	15	0	1
20.	ओडिशा	74	80	7	29	24.1	91	92	7	165	150	11
21.	पंजाब	144	124	47	122	38.5	184	167	59	166	148	40
22.	राजस्थान	369	219	46	123	37.4	277	282	63	394	272	61
23.	सिक्किम	14	39	0	0	—	11	39	0	[illegible]	12	[illegible]

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
333	11.1	720	561	55	613	624	46	474	9.7	604	705	56
2	100.0	20	19	2	18	11	1	4	25.0	18	10	1
13	7.7	40	24	1	156	93	0	15	0.0	155	93	0
66	15.2	93	99	12	137	113	17	88	19.3	148	141	17
254	24.8	555	552	78	519	524	96	279	34.4	531	540	78
9	44.4	21	29	4	38	23	1	3	33.3	49	29	1
35	14.3	166	164	5	150	143	12	67	17.9	210	201	13
98	27.6	73	78	28	276	245	15	94	16.0	379	379	15
28	39.3	83	81	8	89	73	16	45	35.6	129	118	23
1	0.0	8	8	0	13	13	1	5	20.0	21	21	1
10	10.0	16	14	2	6	2	0	9	0.0	4	2	0
62	21.0	147	147	16	142	130	17	98	17.3	178	156	19
73	21.9	570	281	14	455	387	22	83	26.5	604	476	25
965	25.4	1524	1520	324	1632	1638	232	1055	22.0	1970	1983	279
290	16.6	1053	971	61	917	825	43	323	13.3	1257	1212	47
0	—	5	0	0	17	1	0	0	—	7	1	0
8	0.0	48	21	0	81	20	2	3	66.7	84	25	2
20	90.0	41	37	18	73	64	29	31	93.5	74	64	27
1	100.0	15	0	1	7	14	10	10	100.0	8	24	24
44	25.0	150	150	13	192	174	7	30	23.3	242	232	11
110	36.4	172	182	52	295	190	54	154	35.1	282	234	68
163	37.4	328	326	68	572	408	111	322	34.5	491	488	142
17	70.6	12	12	12	21	30	10	25	40.0	19	12	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	तमिलनाडु	203	177	30	115	26.1	208	188	31	271	175	22
25.	त्रिपुरा	107	95	12	45	26.7	93	96	10	45	85	14
26.	उत्तर प्रदेश	451	390	266	459	58.0	678	598	404	1088	934	405
27.	उत्तराखंड	10	10	8	12	66.7	11	11	30	23	21	7
28.	पश्चिम बंगाल	73	57	4	19	21.1	94	69	5	252	108	7
	कुल राज्य	5142	4659	916	3155	29.0	5992	5891	1185	6742	5645	1081
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	8	0	0	—	23	8	0	9	19	0
30.	चंडीगढ़	16	21	6	13	46.2	27	26	8	15	11	7
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	2	3	66.7	1	1	2	1	1	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	0	—	1	1	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	304	277	92	226	40.7	349	419	172	339	322	108
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	1	1	100.0	5	2	1	6	4	0
	कुल संघ शासित	342	312	101	243	41.6	406	457	183	370	357	115
	कुल अखिल भारत	5484	4971	1017	3398	29.9	6398	6348	1368	7112	6002	1196

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	581	480	35	384	9.1	589	645	47	735	487	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	8	0	0	—	8	6	0	15	11	0
3.	असम	17	2	0	8	0.00	11	4	0	29	19	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
116	19.0	263	192	26	292	242	33	127	26.0	333	285	44
49	28.6	144	96	18	17	36	2	17	11.8	12	45	12
674	60.1	1573	1328	548	1040	930	250	443	56.4	1581	1349	333
11	63.6	25	25	5	34	31	15	24	62.5	33	30	13
37	18.9	182	115	6	285	186	8	35	22.9	178	138	8
3489	31.0	8047	7032	1377	8087	7170	1050	3863	27.2	9601	8993	1289
0	—	15	43	0	10	5	1	3	33.3	17	8	1
11	63.6	17	22	8	17	21	7	19	36.8	18	18	8
2	0.0	1	1	0	1	1	1	3	33.3	1	1	2
0	—	0	0	0	4	4	1	2	50.0	9	9	1
251	43.0	402	349	127	415	368	97	212	45.8	516	507	145
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	17	16	0	7	10	1	5	20.0	9	13	1
265	43.4	452	431	135	454	409	108	244	44.3	570	556	158
3754	31.9	8499	7463	1512	8541	7579	1158	4107	28.2	10171	9549	1447

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
350	7.7	744	666	45	781	620	26	483	5.4	826	831	44
2	0.0	14	12	0	20	14	1	1	100.0	20	14	1
3	0.0	30	13	0	68	22	0	2	0.0	68	22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	1359	631	11	62	17.7	1839	1260	25	1821	734	55
5.	छत्तीसगढ़	186	160	17	60	28.3	200	196	22	283	166	20
6.	गोवा	14	10	1	8	12.5	12	18	2	77	12	0
7.	गुजरात	565	414	9	153	5.9	607	554	16	605	501	8
8.	हरियाणा	123	90	23	116	19.8	116	120	31	144	108	20
9.	हिमाचल प्रदेश	86	38	1	47	2.1	72	71	5	108	61	2
10.	जम्मू और कश्मीर	5	2	1	5	20.0	3	3	1	5	3	0
11.	झारखंड	6	6	0	13	0.0	1	13	0	18	17	0
12.	कर्नाटक	125	70	4	34	11.8	167	155	6	109	43	0
13.	केरल	111	100	4	35	11.4	109	136	5	129	92	3
14.	मध्य प्रदेश	440	364	80	260	30.8	527	505	101	517	429	96
15.	महाराष्ट्र	749	470	7	203	3.4	844	702	11	858	609	11
16.	मणिपुर	60	0	0	0	—	33	0	0	65	0	0
17.	मेघालय	16	11	0	4	0.0	10	7	0	16	3	0
18.	मिज़ोरम	0	0	1	1	100.0	0	0	1	3	2	0
19.	नागालैंड	7	5	4	4	100.0	7	5	4	0	2	3
20.	ओडिशा	51	35	1	11	9.1	39	40	1	85	67	1
21.	पंजाब	373	176	31	106	29.2	424	303	55	349	169	35
22.	राजस्थान	706	254	40	105	38.1	382	370	81	785	308	42
23.	सिक्किम	5	10	0	1	0.0	8	10	0	7	5	0
24.	तमिलनाडु	459	216	15	106	14.2	343	290	22	519	221	34
25.	त्रिपुरा	22	11	1	7	14.3	37	28	1	28	21	0
26.	उत्तर प्रदेश	1225	898	649	1070	60.7	1937	1570	1093	3739	2373	853
27.	उत्तराखंड	9	9	4	6	66.7	18	18	6	39	34	7
28.	पश्चिम बंगाल	332	221	8	56	14.3	377	231	8	660	375	9
	कुल राज्य	7637	4691	947	2865	33.1	8718	7260	1544	11688	6872	1226
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	7	0	0	—	13	7	0	11	15	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
351	15.7	2027	1387	90	2546	1100	27	522	5.2	1870	1983	46
56	35.7	209	212	24	276	256	32	88	36.4	244	242	37
4	0.0	16	13	0	15	11	0	2	0.0	13	11	0
125	6.4	721	744	24	834	674	17	192	8.9	938	931	26
96	20.8	83	86	23	535	277	10	77	13.0	505	493	8
28	7.1	66	56	4	97	55	3	23	13.0	85	69	6
1	0.0	11	11	0	23	13	0	3	0.0	18	18	0
14	0.0	19	18	0	32	27	1	18	5.6	29	29	1
53	0.0	85	84	0	471	128	2	45	4.4	211	157	2
30	10.0	114	96	2	147	123	2	26	7.7	163	161	5
286	33.6	585	601	154	630	594	67	290	23.1	735	742	108
192	5.7	973	890	12	893	704	7	212	3.3	1068	1047	8
0	—	43	0	0	61	1	0	0	—	26	1	0
3	0.0	6	4	0	9	5	0	1	0.0	5	5	0
0	—	3	2	0	1	2	3	3	100.0	1	2	3
3	100.0	0	2	3	5	4	1	1	100.0	4	4	4
19	5.3	63	67	1	96	92	0	12	0.0	87	83	0
116	30.2	390	284	61	459	182	26	93	28.0	356	275	39
141	29.8	437	437	61	847	391	107	348	30.7	518	492	126
3	0.0	6	6	0	6	18	6	10	60.0	8	7	9
146	23.3	479	292	42	576	234	12	102	11.8	560	396	18
13	0.0	39	29	0	0	3	1	8	16.7	7	8	2
1496	57.0	5760	3945	1299	4239	2914	507	993	51.1	8394	5427	949
12	58.3	35	35	13	53	34	9	15	60.0	51	49	15
69	13.0	544	456	10	767	500	3	87	3.4	558	355	5
3612	33.9	13502	10448	1868	14487	8998	870	3655	23.8	17368	13854	1462
0	—	10	15	0	8	4	0	1	0.0	7	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चंडीगढ़	23	20	5	16	31.3	17	18	5	40	22	10
31.	दादरा और नगर हवेली	10	4	0	2	0.0	11	7	0	8	6	0
32.	दमन और दीव	1	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	2982	342	62	180	34.4	318	359	77	3528	379	113
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	8	9	1	4	25.0	8	12	1	7	8	0
	कुल संघ शासित	3033	382	68	202	33.7	367	403	83	3596	430	123
	कुल अखिल भारत	10670	5073	1015	3067	33.1	9085	7663	1627	15284	7302	1349

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान भ्रूण हत्या के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र.प्रदेश	1	1	0	0	—	0	1	0	7	5	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	1	1	100.0	0	0	1	1	2	0
5.	छत्तीसगढ़	9	9	2	1	200.0	9	9	2	21	5	1
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	10	0	0	0	—	0	0	0	0	0	1
8.	हरियाणा	2	1	0	0	—	1	1	0	5	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	—	5	5	0	1	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	4	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	55.6	30	21	13	59	24	5	15	33.3	21	18	8
2	0.0	3	6	0	6	8	2	5	40.0	13	14	2
0	—	0	0	0	2	2	0	1	0.0	0	3	0
245	46.1	439	551	119	3686	330	143	392	36.5	438	372	148
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	0.0	10	10	0	18	12	5	11	45.5	16	13	5
268	45.9	492	603	132	3779	380	155	425	36.5	495	427	163
3880	34.8	13994	11051	2000	18286	9378	1025	4080	25.1	17863	14281	1625

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	0.0	6	4	0	1	1	0	5	0.0	0	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	3	2	0	1	1	0	1	0.0	1	6	0
2	50.0	8	8	1	5	5	3	4	75.0	1	1	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	0	0	0	7	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	0	0	0	28	1	0	1	0.0	2	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	3	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	18	4	1	5	20.0	7	7	4	38	4	3
15.	महाराष्ट्र	5	4	0	1	0.0	10	7	0	12	4	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	15	2	0	6	0.0	1	4	0	15	1	1
22.	राजस्थान	18	5	0	1	0.0	8	8	0	13	1	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	18	5	1	1	100.0	15	8	2	12	5	1
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	1	0.0	0	1	0	0	0	0
	कुल राज्य	101	33	5	17	29.4	56	51	9	127	28	7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0	—	1	1	0	0	1	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	7	0	0	0	—	3	0	0	5	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	10	1	0	0	—	4	1	0	5	2	0
	कुल अखिल भारत	111	34	5	17	29.4	60	52	9	132	30	7

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	1	1	0	0	—	1	1	0
5	60.0	8	8	7	64	12	0	3	0.0	12	12	0
2	0.0	13	7	0	22	10	1	1	100.0	29	17	2
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	33.3	0	5	2	25	2	0	3	0.0	0	5	0
0	—	1	1	0	37	5	0	0	—	9	9	0
0	—	0	0	0	2	2	0	0	—	2	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
4	25.0	23	13	1	11	7	1	1	100.0	25	11	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
25	28.0	63	49	11	207	47	5	19	26.3	82	68	8
0	—	0	2	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	7	7	0	2	1	0	0	—	1	1	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	7	9	0	3	1	0	1	0.0	1	1	0
25	28.0	70	58	11	210	48	5	20	25.0	83	69	8

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों की आत्महत्या के लिए उकसाने के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	9	6	0	5	0.0	10	8	0	11	12	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1	2	2	3	66.7	1	1	1	5	5	1
6.	गोवा	1	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
7.	गुजरात	10	1	0	0	—	1	1	0	1	1	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	4	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	3	3	0	0	—	3	3	0	2	0	0
14.	मध्य प्रदेश	7	7	2	7	28.6	16	16	4	12	12	1
15.	महाराष्ट्र	16	9	0	5	0.0	27	19	0	12	14	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
21.	पंजाब	2	1	0	0	—	1	1	0	0	0	2
22.	राजस्थान	2	1	1	1	100.0	1	1	1	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	0.0	18	21	0	21	14	1	5	20.0	23	16	2
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	21	21	1	10	9	3	12	25.0	8	8	5
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	1	0	0
0	—	6	6	0	1	1	0	0	—	1	1	0
1	0.0	0	0	0	3	1	0	0	—	3	3	0
0	—	3	0	0	0	1	0	0	—	0	3	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	1	0	0	3	2	0	0	—	2	1	0
4	25.0	10	10	2	19	18	1	4	25.0	36	36	1
1	0.0	26	28	0	13	10	1	10	10.0	28	28	5
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	1	0	0	—	1	1	0
3	66.7	0	0	2	2	2	0	0	—	1	3	0
0	—	0	0	0	6	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	तमिलनाडु	1	0	0	0	—	2	0	0	2	1	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	1	100.0	0	0	2	5	5	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	3	2	0	2	0.0	3	2	0	3	3	0
	कुल राज्य	56	32	6	25	24.0	65	52	8	61	53	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	1	0	0	—	0	1	0	0	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	1	0	0	—	0	1	0	0	0	1
	कुल अखिल भारत	56	33	6	25	24.0	65	53	8	61	53	5

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों को छोड़ने तथा उनके परित्याग के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	55	11	13	49	26.5	6	16	13	53	10	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	0.0	2	1	0	1	0	0	0	—	2	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	14	14	0	57	38	0	1	0.0	163	96	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	12	12	0	7	8	0	2	0.0	8	8	0
24	16.7	113	113	5	144	105	6	34	17.6	277	204	13
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	0	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	0	0	1	0	0	0	0	—	0	0	0
25	20.0	113	113	6	144	105	6	34	17.6	277	204	13

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	0.0	25	11	0	49	4	0	13	0.0	8	5	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	1
5.	छत्तीसगढ़	6	3	1	1	100.0	1	1	3	7	3	0
6.	गोवा	4	0	0	0	—	0	0	0	4	1	4
7.	गुजरात	121	13	0	2	0.0	15	15	0	105	13	0
8.	हरियाणा	24	1	0	1	0.0	0	1	0	15	3	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	2	0.0	0	0	0	8	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	30	3	0	0	—	1	1	0	21	1	0
13.	केरल	9	4	0	0	—	5	5	0	4	3	0
14.	मध्य प्रदेश	93	7	3	10	30.0	9	9	5	89	10	3
15.	महाराष्ट्र	198	23	3	57	5.3	51	53	4	189	17	2
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
21.	पंजाब	11	0	0	3	0.0	0	0	0	22	0	0
22.	राजस्थान	119	2	3	6	50.0	2	2	1	98	1	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	0.0	0	0	0	1	0	0
	कुल राज्य	674	67	23	133	17.3	90	103	26	622	64	11
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	2	1	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	2	2	0	0	0	0	0	—	0	0	0
6	16.7	27	26	2	9	5	1	1	100.00	6	7	1
0	—	2	2	0	4	0	0	0	—	0	0	0
11	36.4	14	12	4	79	7	0	10	0.0	15	11	0
2	0.0	2	2	0	15	4	0	3	0.0	3	5	0
0	—	0	0	0	3	0	0	1	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	3	0	41	2	1	6	16.7	1	1	1
2	0.0	1	2	0	4	3	0	0	—	5	6	0
14	21.4	15	15	5	134	12	1	4	25.0	14	10	1
25	8.0	32	21	3	199	39	1	33	3.0	66	64	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	1	1	1	100.0	1	1	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	15	0	0	0	—	0	0	0
5	20.0	1	1	1	172	13	3	15	20.0	17	17	4
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
00	—	1	0	0	4	1	0	0	—	1	1	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	2	1	0	0	—	2	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	8	8	0	3	0.0	8	8	0
72	15.3	126	98	15	740	100	8	90	8.9	147	138	9
0	—	2	2	0	0	0		0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चंडीगढ़	6	1	0	1	0.0	6	1	0	7	1	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	45	1	0	1	0.0	1	1	0	68	7	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	51	2	0	2	0.0	7	2	0	78	9	2
	कुल अखिल भारत	725	69	23	135	17.0	97	105	26	700	73	13

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान नाबालिग लड़कियों की खरीद के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	82	57	3	25	12.0	111	92	1	106	84	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	.0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	75	18	0	0	—	75	18	0	142	51	1
4.	बिहार	152	49	6	14	42.9	101	71	8	183	263	13
5.	छत्तीसगढ़	11	11	6	9	66.7	23	23	7	15	13	0
6.	गोवा	1	0	0	0	—	6	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	4	3	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	3	0	0	—	2	3	0	3	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	21	24	0	40	0.0	21	21	0	15	3	0
12.	कर्नाटक	21	8	1	8	12.5	20	9	1	8	14	2

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	1	0	10	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	66.7	7	7	3	68	9	0	3	0.0	11	10	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	3	0	0	0	—	0	0	0
3	66.7	9	10	3	81	9	0	3	0.0	11	10	0
75	17.3	135	108	18	821	109	8	93	8.6	158	148	9

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	15.4	97	118	9	30	36	7	68	10.3	37	45	7
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
11	9.1	142	51	1	122	98	1	16	6.3	122	98	1
56	23.2	434	461	20	48	26	9	105	8.6	38	38	13
2	0.0	17	17	0	13	15	4	14	28.6	18	18	2
0	—	1	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	3	0	19	10	2	5	40.0	26	25	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	20.0	1	1	1	3	3	0	2	0.0	4	3	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
7	0.0	12	56	0	16	16	0	16	0.0	16	16	0
9	22.2	8	15	2	45	14	0	4	0.0	18	18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	6	13	0	7	0.0	10	15	0	9	8	0
14.	मध्य प्रदेश	18	12	1	2	50.0	26	26	5	20	17	4
15.	महाराष्ट्र	26	20	0	32	0.0	33	37	0	20	28	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	4	4	0	2	0.0	8	8	0	12	3	0
21.	पंजाब	0	3	0	0	—	0	3	0	0	0	3
22.	राजस्थान	14	10	0	0	—	13	13	0	19	11	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	13	1	1	3	33.3	0	1	1	0	0	0
25.	त्रिपुरा	32	16	0	16	0.0	18	17	0	5	27	4
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	4	12	33.3	0	0	10	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	200	88	2	10	20.0	217	94	2	298	126	18
	कुल राज्य	679	337	24	180	13.3	684	451	35	859	652	54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	1	0	0	—	0	1	0	3	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	1	0	3	0	0
	कुल अखिल भारत	679	338	24	180	13.3	684	452	35	862	652	54

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	0.0	7	7	0	10	9	0	1	0.0	11	13	0
12	33.3	27	27	6	21	20	2	14	14.3	23	23	8
2	0.0	50	40	0	31	23	0	10	0.0	60	60	0
0	—	0	0	0	17	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	8	5	0	5	9	0	0	—	11	14	0
3	100.0	0	0	3	0	0	0	0	—	0	0	0
2	0.0	14	14	0	20	13	0	0	—	15	15	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	28	0	0	0	—	41	0	0
23	17.4	23	29	19	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	2	2	0	0	—	4	4	0
0	—	0	0	0	7	3	0	0	—	4	3	0
43	41.9	133	106	6	369	238	0	20	0.0	227	238	0
233	23.2	977	950	67	806	535	25	275	9.1	675	631	34
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	0	0	3	0	0	0	—	1	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	0	0	3	0	0	0	—	1	0	0
233	23.2	982	950	67	809	535	25	275	9.1	676	631	34

वर्ष 2010-2012 के दौरान वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	—	0	1	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	2	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	3	3	0	3	0.0	3	3	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	1	0.0	0	0	0	2	2	0
15.	महाराष्ट्र	27	31	4	19	21.1	43	47	7	20	19	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	0	0	2	2	1	100.0	100.0	4	4	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	1	0	5	5	0	5	0.0	5	5	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	0	0	0	0	—	0	0	0
12	8.3	43	41	1	4	2	0	0	—	11	5	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	48	12	0	5	0.0	51	13	0	0	0	0
	कुल राज्य	78	47	4	28	14.3	97	64	7	27	25	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	1
	कुल अखिल भारत	78	47	4	28	14.3	97	64	7	27	26	2

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	5	0	7	0.0	6	9	0	2	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	0	0	0	—	3	0	0	0	1	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	4	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	3	3	0	3	0.0	4	4	0
13	7.7	60	56	1	14	12	1	12	8.3	24	18	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	0	1	1	1	0	0	0	—	1	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	—	0	1	1	1	0	0	0	—	1	0	0
14	14.3	60	57	2	15	12	1	12	8.3	25	18	1

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	4	2	0	4	5	0	1	0.0	8	10	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	1	0.0	1	1	0	6	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	1	6	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	2	0	0	—	8	8	0	3	3	2
15.	महाराष्ट्र	1	1	0	0	—	13	13	0	2	2	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	1	0	0	—	3	3	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	2	1	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	4	4	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	115	51	2	7	28.6	128	53	2	87	37	1
	कुल राज्य	126	61	2	15	13.3	162	87	2	111	57	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	2	2	0	10	4	1	1	100.0	12	7	1
0	—	1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
6	0.0	5	5	0	7	7	0	7	0.0	7	7	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	66.7	15	15	11	5	7	1	2	50.0	20	20	3
0	—	9	9	0	2	1	0	0	—	8	3	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	1	1	0	1	0.0	7	7	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	15	15	0	18	13	0	0	—	30	24	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	20.0	96	60	3	56	38	1	12	8.3	32	23	1
14	21.4	152	115	14	104	76	3	24	12.5	124	101	5
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	4	3	0	0	—	4	3	0	2	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	4	3	0	0	—	4	3	0	2	1	0
	कुल अखिल भारत	130	64	2	15	13.3	166	90	2	113	58	3

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	3	0	3	0.0	9	3	0	15	7	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	8	6	0	4	0.0	12	8	0	0	2	0
5.	छत्तीसगढ़	2	1	1	2	50.0	5	1	1	5	6	3
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	0
7.	गुजरात	14	12	1	12	8.3	65	58	7	13	12	8
8.	हरियाणा	0	8	2	8	25.0	0	0	14	6	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	5	3	0	2	0.0	13	13	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	8	4	0	3	0.0	3	2	0	12	9	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	2	0	4	0	1	2	50.0	4	0	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	2	0	4	0	1	2	50.0	4	0	1
14	21.4	156	117	14	108	76	4	26	15.4	128	101	6

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	0.0	49	19	0	29	17	1	11	9.1	61	68	4
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
2	0.0	0	7	0	16	2	0	5	0.0	17	5	0
4	75.0	16	16	9	2	2	0	0	—	2	2	0
0	—	0	4	0	0	0	0	0	—	0	0	0
18	44.4	68	71	37	14	15	3	6	50.0	72	76	9
0	—	3	3	0	11	6	1	1	100.0	9	9	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	16	13	0	20	13	0	4	0.0	57	57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	केरल	6	7	0	0	—	15	15	0	3	3	1
14.	मध्य प्रदेश	4	3	0	2	0.0	12	10	0	5	6	2
15.	महाराष्ट्र	4	4	0	10	0.0	27	27	0	19	15	2
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	1	1	2	50.0	1	1	2	1	0	0
21.	पंजाब	0	0	2	5	40.0	0	0	6	0	0	0
22.	राजस्थान	2	3	0	0	—	15	15	0	5	4	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	—	1	1	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	5	4	1	2	50.0	13	11	6	4	3	2
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0	—	0	1	0	25	11	0
	कुल राज्य	59	61	8	55	14.5	191	168	36	113	81	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	1	0	0	—	4	8	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	1	0	0	—	9	9	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	1	2	0	0	—	13	17	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	60	63	8	55	14.5	204	183	36	113	81	18

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	50.0	2	6	10	6	4	0	2	0.0	6	6	0
5	40.0	15	17	5	3	3	0	0	—	15	15	0
9	22.2	110	80	8	6	7	0	6	0.0	13	43	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	0	0	0	1	2	0	0	—	2	2	0
1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0
0	—	23	23	0	10	5	3	6	50.0	31	31	23
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	100.0	15	10	7	5	3	1	3	33.3	17	9	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	12	6	0	43	28	0	3	0.0	88	58	0
51	35.3	329	275	76	167	107	9	49	18.4	390	381	40
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	3	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	4	0	0
0	—	0	0	0	2	0	0	0	—	7	0	0
51	35.3	329	275	76	169	107	9	49	18.4	397	381	40

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराधों के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	577	522	62	300	20.7	690	733	98	537	451	128
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	3	0	0	—	1	1	0	0	0	0
3.	असम	53	35	4	24	16.7	13	12	3	17	4	0
4.	बिहार	8	15	0	16	0.0	27	24	0	10	9	2
5.	छत्तीसगढ़	814	789	187	558	33.5	935	919	169	909	871	186
6.	गोवा	34	34	6	21	28.6	24	39	7	30	19	2
7.	गुजरात	118	107	8	101	7.9	160	161	18	204	174	15
8.	हरियाणा	18	19	10	42	23.8	18	17	9	22	14	5
9.	हिमाचल प्रदेश	69	50	0	18	0.0	67	59	0	63	54	8
10.	जम्मू और कश्मीर	2	3	0	0	—	3	3	0	5	2	0
11.	झारखंड	19	12	3	15	20.0	16	19	3	22	22	7
12.	कर्नाटक	68	52	0	20	0.0	48	36	0	33	19	1
13.	केरल	211	237	24	124	19.4	272	284	26	835	606	28
14.	मध्य प्रदेश	3004	2956	1014	2280	44.5	3655	3646	1320	2312	2183	693
15.	महाराष्ट्र	1277	1065	27	382	7.1	1524	1451	41	1208	1029	29
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	3	0	3	0.0	1	1	0	14	4	2
18.	मिज़ोरम	7	6	1	1	100.0	7	6	1	11	7	8
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	56	45	0	21	0.0	64	64	1	32	42	1
21.	पंजाब	36	27	15	26	57.7	34	35	18	29	26	26
22.	राजस्थान	6	6	1	1	100.0	3	3	1	97	40	12
23.	सिक्किम	7	3	0	0	—	2	3	0	10	12	6
24.	तमिलनाडु	54	62	34	61	55.7	60	61	29	23	21	15
25.	त्रिपुरा	63	43	4	41	9.8	65	45	4	15	35	2
26.	उत्तर प्रदेश	287	232	275	436	63.1	429	393	548	321	263	224

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
389	32.9	768	794	153	633	523	53	344	15.4	674	647	89
0	—	0	0	0	1	0	0	0	—	1	0	0
0	—	14	4	0	31	16	1	11	9.1	31	16	1
30	6.7	27	19	2	5	7	4	16	25.0	7	25	4
634	29.3	1068	1073	190	978	947	365	774	47.2	1170	1159	440
8	25.0	30	21	2	61	30	0	6	0.0	60	45	0
120	12.5	224	213	37	163	175	28	170	16.5	249	259	42
20	25.0	17	15	4	107	86	5	31	16.1	142	144	6
21	38.1	64	72	18	65	61	7	19	36.8	58	57	13
0	—	2	2	0	3	3	0	2	0.0	5	5	0
23	30.4	33	28	6	46	34	1	29	3.4	51	42	1
21	4.8	27	27	1	96	39	2	42	4.8	76	84	1
127	22.0	797	648	25	664	596	47	258	18.2	761	740	63
1692	41.0	3189	3184	1047	2520	2588	606	1649	36.7	4107	4147	837
420	6.9	1493	1464	47	1157	987	45	356	12.6	1378	1349	59
0	—	0	0	0	5	0	0	0	—	0	0	0
7	28.6	7	7	2	0	0	0	0	—	0	0	0
8	100.0	13	7	8	18	20	6	6	100.0	16	21	7
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
72	1.4	48	46	1	99	79	2	47	4.3	121	118	3
42	61.9	40	37	37	33	17	7	12	58.3	34	33	7
18	66.7	138	138	19	87	81	10	19	52.6	122	122	32
12	50.0	12	12	6	0	0	0	0	—	0	0	0
35	42.9	28	31	12	40	24	6	12	50.0	49	35	11
16	12.5	26	39	1	1	2	2	8	25.0	0	3	4
375	59.7	487	428	410	196	188	140	235	59.6	308	292	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	उत्तराखंड	9	9	6	8	75.0	13	13	7	12	12	2
28.	पश्चिम बंगाल	93	59	27	38	71.1	107	69	33	78	52	4
	कुल राज्य	6894	6394	1708	4537	37.6	8238	8097	2336	6849	5971	1406
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	22	0	0	—	22	22	0	54	37	0
30.	चंडीगढ़	13	16	2	3	66.7	12	19	2	9	10	4
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	1	0	0	—	3	3	0	0	1	1
33.	दिल्ली संघ शासित	259	175	31	67	46.3	300	332	31	266	180	118
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	4	0	0	0	—	0	0	0	2	2	1
	कुल संघ शासित	299	214	33	70	47.1	337	376	33	331	230	124
	कुल अखिल भारत	7193	6608	1741	4607	37.8	8575	8473	2369	7180	6201	1530

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के प्रति किए गए कुल अपराधों के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)*

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1823	1599	155	1260	12.3	2046	2154	205	2213	1600	209
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	26	0	0	—	21	20	0	35	30	2
3.	असम	197	82	7	41	17.1	132	51	9	236	110	3
4.	बिहार	1843	900	35	144	24.3	2414	1718	48	2233	1248	106
5.	छत्तीसगढ़	1463	1378	332	946	35.1	1668	1648	303	1782	1569	293
6.	गोवा	79	80	9	48	18.8	80	119	11	75	58	6
7.	गुजरात	1006	691	26	320	8.1	1058	994	51	1131	871	44
8.	हरियाणा	303	228	67	272	24.6	274	274	90	280	206	56
9.	हिमाचल प्रदेश	246	175	10	153	6.5	269	269	17	260	188	22
10.	जम्मू और कश्मीर	17	12	1	8	12.5	17	17	1	25	15	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	28.6	10	10	4	17	14	7	7	100.0	22	22	7
20	20.0	69	59	5	122	84	5	25	20.0	118	103	7
4117	34.2	8631	8378	2037	7148	6601	1349	4078	33.1	9560	9468	1845
0	—	58	55	0	8	16	0	3	0.0	8	16	0
10	40.0	12	11	4	9	10	3	8	37.5	17	20	4
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	0	1	1	2	2	0	0	—	0	2	0
197	59.9	274	303	151	241	158	60	153	39.2	330	251	77
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
2	50.0	2	2	1	3	0	0	1	0.0	3	0	0
211	58.8	346	372	157	263	186	63	165	38.2	358	289	81
4328	35.4	8977	8750	2194	7411	6787	1412	4243	33.3	9918	9757	1926

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1224	17.1	2550	2286	274	2274	1937	142	1471	9.7	2387	2470	214
4	50.0	34	31	2	39	25	2	5	40.0	39	24	2
28	10.7	236	103	3	392	237	2	45	4.4	391	236	2
595	17.8	2859	2310	176	2894	1386	94	867	10.8	2319	2466	133
995	29.4	1991	1994	336	1881	1820	531	1222	43.5	2059	2057	593
21	28.6	70	70	6	122	66	1	11	9.1	125	87	1
331	13.3	1279	1301	111	1327	1058	63	466	13.5	1563	1559	94
233	24.0	198	204	60	1015	653	35	221	15.8	1101	1091	37
84	26.2	226	221	31	266	202	26	97	26.8	285	261	42
2	0.0	29	29	0	40	29	1	10	10.0	44	44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	झारखंड	54	53	3	84	3.6	44	74	3	85	68	8
12.	कर्नाटक	409	275	23	155	14.8	389	358	20	334	218	22
13.	केरल	596	689	54	267	20.2	698	838	57	1452	1019	52
14.	मध्य प्रदेश	4912	4632	1384	3499	39.6	5846	5788	1803	4383	4013	1090
15.	महाराष्ट्र	3264	2390	92	1117	8.2	3759	3456	130	3362	2611	103
16.	मणिपुर	73	1	0	0	—	39	1	0	87	0	0
17.	मेघालय	110	51	3	14	21.4	77	56	2	104	40	2
18.	मिज़ोरम	50	46	22	22	100.0	50	46	32	54	45	26
19.	नागालैंड	10	7	5	5	100.0	10	7	5	20	2	5
20.	ओडिशा	194	174	12	70	17.1	218	220	14	315	277	16
21.	पंजाब	627	376	112	297	37.7	700	580	158	622	377	131
22.	राजस्थान	1318	542	103	255	40.4	749	741	173	1491	675	141
23.	सिक्किम	29	56	0	1	0.0	34	66	0	29	32	21
24.	तमिलनाडु	810	512	116	340	34.1	703	613	129	925	488	92
25.	त्रिपुरा	227	172	21	119	17.6	216	191	20	102	180	22
26.	उत्तर प्रदेश	2332	1808	1456	2378	61.2	3662	3090	2491	5500	3885	1708
27.	उत्तराखंड	31	32	26	46	56.5	45	45	58	83	74	19
28.	पश्चिम बंगाल	880	499	44	142	31.0	1009	542	51	1450	724	39
	कुल राज्य	22923	17486	4118	12003	34.3	26227	23976	5581	28668	20623	4238
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	51	38	0	0	—	61	38	0	77	74	0
30.	चंडीगढ़	59	60	13	33	39.4	66	73	15	74	48	22
31.	दादरा और नगर हवेली	13	7	2	5	40.0	12	8	2	11	7	1
32.	दमन और दीव	2	2	1	1	100.0	4	4	2	3	1	2
33.	दिल्ली संघ शासित	3630	815	198	491	40.3	1020	1163	308	4250	925	356
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	16	12	2	8	25.0	22	23	2	15	14	1
	कुल संघ शासित	3771	934	216	538	40.1	1185	1309	329	4430	1069	382
	कुल अखिल भारत	26694	18420	4334	12541	34.6	27412	25285	6210	33098	21692	4620

*बच्चों के प्रति कुल अपराधों में ये अपराध शीर्ष शामिल हैं:- शिशु हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या के लिए उकसाना, बच्चों को छोड़ना एवं उनका परित्याग, नाबालिग लड़कियों की खरीद, वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री एवं बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
66	12.1	95	127	8	113	91	2	86	2.3	113	101	2
182	12.1	329	331	24	875	372	28	253	11.1	607	541	27
257	20.2	1533	1080	53	1324	1158	76	387	19.6	1582	1438	101
3051	35.7	5586	5592	1632	5168	5017	940	3086	30.5	7136	7200	1299
1037	9.9	4050	3813	150	3456	2764	113	1033	10.9	4185	4067	143
0	—	49	0	0	104	2	0	0	—	33	2	0
18	11.1	64	33	2	91	26	2	5	40.0	90	31	2
28	92.9	57	46	26	95	88	40	42	95.2	93	89	39
5	100.0	20	2	5	13	23	16	16	100.0	12	33	33
146	11.0	287	285	18	418	371	13	99	13.1	489	472	21
313	41.9	668	559	187	877	420	102	289	35.3	717	596	132
383	36.8	995	998	169	1807	949	254	770	33.0	1248	1213	354
35	60.0	33	33	21	30	52	18	38	47.4	30	23	46
343	26.8	901	600	103	1036	570	74	299	24.7	1105	840	104
105	21.0	253	208	40	20	46	7	36	19.4	22	62	20
2897	59.0	8560	6359	2697	6033	4518	1046	1911	54.7	11470	8120	1772
36	52.8	77	77	25	122	89	40	57	70.2	118	112	49
178	21.9	1064	828	30	1706	1121	18	194	9.3	1259	965	22
12597	33.6	34093	29520	6189	33538	25090	3686	13016	28.3	40622	36200	5285
0	—	86	119	0	28	26	1	8	12.5	33	32	1
40	55.0	65	61	26	96	55	17	44	38.6	56	56	23
5	20.0	5	7	1	8	9	3	8	37.5	14	15	4
4	50.0	0	1	2	8	8	1	3	33.3	9	14	1
719	49.5	1199	1266	424	4462	912	318	788	40.4	1351	1198	390
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
6	16.7	29	28	1	32	22	6	17	35.3	32	26	6
774	49.4	1384	1482	454	4634	1032	346	868	39.9	1495	1341	425
13371	34.6	35477	31002	6643	38172	26122	4032	13884	29.0	42117	37541	5710

[अनुवाद]

भंडारण स्थान

*67. **डॉ. रामचन्द्र डोम :**
कुमारी सरोज पांडेय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त भंडारण स्थान की कमी के कारण खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा को सड़ जाने अथवा बर्बाद होने दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय खाद्य निगम को कितनी भंडारण क्षमता की आवश्यकता है, उसके पास कितनी उपलब्ध है और कितनी उसके द्वारा किराए पर ली जाती है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में उत्पादन, खरीद, भंडारण किया गया और कितनी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए;

(ग) विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त भंडारण स्थान के सृजन हेतु निजी क्षेत्र को शामिल किए जाने सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई और कितनी भंडारण क्षमता का सृजन किया गया; और

(घ) क्षति को रोकने हेतु खाद्यान्नों के उचित भंडारण और प्रबंधन तथा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं खाद्यान्नों की क्षति, भंडारण क्षमता की कमी के कारण नहीं हुई है। तथापि, बारीश, कीटों और अन्य प्राकृतिक कारकों से थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम (स्वामित्व वाली और किराए पर) और राज्य एजेंसियों के पास पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय पूल स्टॉक के भंडारण के लिए कुल भंडारण क्षमता और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल में सदृश स्टॉक की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

तक की स्थिति के अनुसार	भा.खा.नि. के पास भंडारण क्षमता		कुल	राज्य एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता	कुल योग*	केन्द्रीय पूल की स्टॉक स्थिति
	स्वामित्व वाली	किराए पर				
31.03.11	156.07	160.03	316.10	291.32	607.42	441.84*
31.03.12	156.40	179.64	336.04	341.35	677.39	533.02*
31.03.13	156.33	221.02	377.35	354.28	731.63	596.75*
31.10.13	156.36	227.81	384.17	379.18	763.35	509.53

*इसमें चावल मिल मालिकों द्वारा मुख्यत: भंडारित धान को चावल के रूप में शामिल किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता की आवश्यकताएं खरीद स्तर, बफर स्टॉकिंग और राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर निर्भर करती हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण आवश्यकताओं में आने वाली अल्पावधिक विविधताओं को पूरा करने के लिए भी भंडारण क्षमताओं को किराए पर लिया और छोड़ा जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 31.10.2013 तक केन्द्रीय पूल स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और दिनांक 31.10.2013 तक केन्द्रीय पूल स्टॉक का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-V और VI में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और 2013-14 (अर्थात् दिनांक 31.10.2013 तक) के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन और खरीद को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VII और VIII में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान जारी न करने योग्य खाद्यान्नों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	जारी न करने योग्य की मात्रा (लाख टन में)
2010-11	0.063
2011-12	0.033
2012-13	0.031
2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	0.21

(ग) भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडार निगम और राज्य भंडारण निगम के माध्यम से भंडार क्षमता के निर्माण के लिए वर्ष 2008 और 2009 में निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लेने की गारंटी दी जाती है। 82.00 लाख टन की क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। पीईजी स्कीम के अन्तर्गत पूरी की गई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-XI में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी स्कीम के अन्तर्गत 20 लाख टन क्षमता के साइलों के निर्माण का प्रस्ताव है। पीईजी स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई क्षमता निम्नानुसार है:—

वर्ष	पूरी की गई क्षमता (लाख टन में)
2010-11	2.0
2011-12	26.17
2012-13	41.75
2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	12.08
कुल	82.00

इस योजना स्कीम के अन्तर्गत मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में भी निधि जारी की जाती है। असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों को निधि जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:—

आंकड़े करोड़ में

राज्य का नाम	जारी करने का वर्ष		
	2010-11	2011-12	2012-13
जम्मू और कश्मीर	0.29	—	—
मिजोरम	—	6.82	—
त्रिपुरा	—	5.14	8.00
अरुणाचल प्रदेश	3.71	—	—
नागालैंड	—	—	2.00
कुल	5.00	11.96	10.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना स्कीम के अन्तर्गत पूरी की गई क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	पूरी की गई क्षमता		
2010-11	असम	—	5000 टन
2011-12	मणिपुर	—	4590 टन
	हिमाचल प्रदेश	—	3340 टन
	लक्षद्वीप	—	2500 टन
	झारखंड	—	825 टन
	कुल	—	11255 टन
2012-13	मणिपुर	—	2910 टन
	हिमाचल प्रदेश	—	1670 टन
	कुल	—	4570 टन
कुल योग			20825

(घ) भंडारण के दौरान खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-X में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की/किराये की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) कुल भंडारण क्षमता		सकल योग	
			कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसिया			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.32	1.00	0.00	5.98	1.00	6.96	0.00	12.94	1.00
	2.	झारखंड	0.66	0.63	0.05	0.00	1.29	0.05	0.08	0.00	1.37	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	3.14	0.00	0.00	6.16	0.00	3.64	0.00	9.80	0.00
	4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.01	0.51	0.00	10.70	0.51	3.90	0.00	14.60	0.51
पूर्वोत्तर	5.	असम	2.07	0.71	0.00	0.00	2.78	0.00	0.41	0.00	3.19	0.00
	6.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.23	0.00	0.05	0.00	0.28	0.00
	7.	मेघालय	0.14	0.12	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
	8.	मिज़ोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.23	0.00	0.56	0.00	0.79	0.00
	9.	त्रिपुरा	0.29	0.19	0.00	0.00	0.48	0.00	0.40	0.00	0.88	0.00
	10.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00	0.41	0.00
	11.	नागालैंड	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	0.00	0.07	0.00	0.40	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर	12.	दिल्ली	3.36	0.00	0.31	0.00	3.36	0.31	0.00	0.00	3.36	0.31
	13.	हरियाणा	7.68	15.12	3.33	0.11	22.80	3.44	23.03	45.08	45.83	48.52
	14.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.11	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
	15.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	0.00	1.21	0.10	1.26	0.00	2.47	0.10
	16.	पंजाब	22.24	50.27	7.31	3.40	72.51	10.71	23.88	92.70	96.39	103.41
	17.	राजस्थान	7.06	6.69	1.85	1.72	13.75	3.57	0.00	0.00	13.75	3.57
	18.	उत्तर प्रदेश	14.95	17.30	5.19	0.00	32.25	5.19	4.11	0.00	36.36	5.19
	19.	उत्तराखंड	0.66	1.38	0.21	0.11	2.04	0.32	0.91	0.00	2.95	0.32
दक्षिण	20.	आंध्र प्रदेश	12.73	29.20	2.62	0.00	41.93	2.62	11.55	0.00	53.48	2.62
	21.	केरल	5.17	0.00	0.20	0.00	5.17	0.20	0.00	0.00	5.17	0.20
	22.	कर्नाटक	3.78	3.44	1.16	0.00	7.22	1.16	2.17	0.00	9.39	1.16
	23.	तमिलनाडु	6.24	3.56	0.67	0.00	9.80	0.67	6.50	0.00	16.30	0.67
पश्चिम	24.	गुजरात	5.00	1.76	0.27	0.00	6.76	0.27	3.92	0.00	10.68	0.27
	25.	महाराष्ट्र	12.05	8.11	1.02	0.00	20.16	1.12	18.35	0.00	38.51	1.12
	26.	मध्य प्रदेश	3.37	4.28	0.36	0.00	7.65	0.36	31.35	0.00	39.00	0.36
	27.	छत्तीसगढ़	5.12	3.87	0.00	0.00	8.99	0.00	10.24	0.00	19.23	0.00
		कुल	129.91	154.59	26.16	5.44	284.50	31.60	153.54	137.78	438.04	169.38
		सकल जोड़					316.10		291.32		607.42	
			कुल अपनी		कुल किराए की							
			156.07		160.03							

विवरण-II

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की/किराये की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) कुल भंडारण क्षमता		सकल योग	
			कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसिया			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.49	1.00	—	6.15	1.00	6.58	—	12.73	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.66	0.05	—	1.33	0.05	0.18	—	1.51	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	2.94	—	—	5.96	—	5.36	—	11.32	—
	4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.02	0.51	—	10.71	0.51	3.32	—	14.03	0.51
पूर्वोत्तर	5.	असम	2.12	0.72	—	—	2.84	—	2.55	—	5.39	—
	6.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.04	—	—	0.22	—	—	—	0.22	—
	7.	मेघालय	0.14	0.12	—	—	0.26	—	0.15	—	0.41	—
	8.	मिज़ोरम	0.25	0.01	—	—	0.26	—	0.56	—	0.82	—
	9.	त्रिपुरा	0.29	0.19	—	—	0.48	—	0.43	—	0.91	—
	10.	मणिपुर	0.20	—	—	—	0.20	—	0.13	—	0.33	—
	11.	नागालैंड	0.20	0.13	—	—	0.33	—	0.07	—	0.40	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर	12.	दिल्ली	3.36	—	0.31	—	3.36	0.31	—	—	3.36	0.31
	13.	हरियाणा	7.68	15.93	3.33	0.16	23.36	3.49	26.60	51.61	50.21	55.10
	14.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.12	—	—	0.26	—	—	—	0.26	—
	15.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	—	1.21	0.10	1.26	—	2.47	0.10
	16.	पंजाब	2.24	51.60	7.31	2.82	73.84	10.13	34.46	95.57	108.30	105.70
	17.	राजस्थान	7.06	8.66	1.85	4.27	15.72	6.12	2.48	—	18.20	6.12
	18.	उत्तर प्रदेश	14.95	27.18	5.19	0.21	42.13	5.40	1.37	—	43.50	5.40
	19.	उत्तराखंड	0.66	1.09	0.21	0.05	1.75	0.26	2.59	—	4.34	0.26
दक्षिण	20.	आंध्र प्रदेश	12.73	34.18	2.62	—	46.91	2.62	16.07	—	62.98	2.62
	21.	केरल	5.17	—	0.20	—	5.17	0.20	—	—	5.17	0.20
	22.	कर्नाटक	3.81	3.34	1.36	—	7.15	1.36	5.85	—	13.00	1.36
	23.	तमिलनाडु	6.24	3.82	0.67	—	10.06	0.67	10.09	—	20.15	0.67
पश्चिम	24.	गुजरात	5.00	1.91	0.27	—	6.91	0.27	3.97	—	10.88	0.27
	25.	महाराष्ट्र	12.05	8.16	1.02	—	20.21	1.02	15.21	—	35.42	1.02
	26.	मध्य प्रदेश	3.37	1.87	0.36	—	5.24	0.36	44.34	—	49.58	0.36
	27.	छत्तीसगढ़	5.12	4.77	0.01	—	9.89	0.01	10.55	—	20.44	0.01
		कुल	130.03	172.13	26.37	7.51	302.16		194.17	147.18	496.33	181.06
		सकल जोड़	302.16		33.88				341.35		677.39	
			कुल अपनी		कुल किराए की							
			156.40		179.64							

विवरण-III

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की/किराये की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) कुल भंडारण क्षमता		सकल योग	
			कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसिया			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.51	1.00	—	6.17	1.00	6.69	—	12.86	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.64	0.05	—	1.31	0.05	—	—	1.31	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	3.07	—	—	6.09	—	6.55	—	12.64	—
	4.	पश्चिम बंगाल	8.50	2.01	0.51	—	10.51	0.51	4.29	—	14.80	0.51
पूर्वोत्तर	5.	असम	2.12	0.77	—	—	2.89	—	2.54	—	5.43	—
	6.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	—	—	0.23	—	0.05	—	0.28	—
	7.	मेघालय	0.14	0.12	—	—	0.26	—	—	—	0.26	—
	8.	मिज़ोरम	0.25	0.01	—	—	0.26	—	0.56	—	0.82	—
	9.	त्रिपुरा	0.33	0.19	—	—	0.52	—	0.42	—	0.94	—
	10.	मणिपुर	0.23	0.07	—	—	0.30	—	0.13	—	0.43	—
	11.	नागालैंड	0.20	0.13	—	—	0.33	—	0.07	—	0.40	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर	12.	दिल्ली	3.36	—	0.31	—	3.36	0.31	—	—	3.36	0.31
	13.	हरियाणा	7.68	22.44	3.33	0.01	30.12	3.34	24.99	46.88	55.11	50.22
	14.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.16	—	—	0.35	—	—	—	0.35	—
	15.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.28	0.10	—	1.31	0.10	1.26	—	2.57	0.10
	16.	पंजाब	22.24	70.87	7.31	2.82	93.11	10.13	34.46	95.57	127.57	105.70
	17.	राजस्थान	7.06	12.35	1.85	5.02	19.41	6.87	—	—	19.41	6.87
	18.	उत्तर प्रदेश	14.95	33.97	5.19	3.21	48.92	8.40	2.17	0.07	51.09	8.47
	19.	उत्तराखंड	0.66	1.17	0.21	0.01	1.83	0.22	1.90	—	3.73	0.22
दक्षिण	20.	आंध्र प्रदेश	12.73	30.96	2.62	—	43.69	2.62	16.07	—	59.76	2.62
	21.	केरल	5.17	—	0.20	—	5.17	0.20	—	—	5.17	0.20
	22.	कर्नाटक	3.81	3.97	1.36	—	7.78	1.36	6.96	—	14.74	1.36
	23.	तमिलनाडु	6.24	4.15	0.67	—	10.39	0.67	5.71	—	1610	0.67
पश्चिम	24.	गुजरात	5.00	3.11	0.27	—	8.11	0.27	2.99	—	11.10	0.27
	25.	महाराष्ट्र	12.05	10.25	1.02	—	22.30	1.02	5.65	—	27.95	1.02
	26.	मध्य प्रदेश	3.37	2.08	0.36	—	5.45	0.36	68.58	6.51	74.03	6.87
	27.	छत्तीसगढ़	5.12	4.62	0.01	—	9.74	0.01	13.21	—	22.95	0.01
		कुल	29.96	09.95	26.37	11.07	339.91	37.44	205.25	149.03	545.16	186.47
		सकल जोड़	339.91		37.44		377.35		354.28		731.63	
			कुल अपनी		कुल किराए की							
			156.33		221.02							

विवरण-IV

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वयं की/किराये की)						खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) कुल भंडारण क्षमता		सकल योग	
			कवर्ड		कैप		कुल		राज्य एजेंसिया			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.61	1.00	—	6.27	1.00	8.01	—	14.28	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.79	0.05	—	1.46	0.05	—	—	1.46	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	2.93	—	—	5.95	—	7.20	—	13.15	—
	4.	पश्चिम बंगाल	8.50	2.00	0.51	—	10.50	0.51	4.29	—	14.79	0.51
पूर्वोत्तर	5.	असम	2.12	0.91	—	—	3.03	—	2.54	—	5.57	—
	6.	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	—	—	0.23	—	0.05	—	0.28	—
	7.	मेघालय	0.14	0.13	—	—	0.27	—	—	—	0.27	—
	8.	मिज़ोरम	0.25	0.01	—	—	0.26	—	0.56	—	0.82	—
	9.	त्रिपुरा	0.33	0.15	—	—	0.48	—	0.42	—	0.90	—
	10.	मणिपुर	0.23	0.05	—	—	0.28	—	0.12	—	0.40	—
	11.	नागालैंड	0.20	0.13	—	—	0.33	—	0.07	—	0.40	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर	12.	दिल्ली	3.36	0.00	0.31	—	3.36	0.31	—	—	3.36	0.31
	13.	हरियाणा	7.68	28.95	3.33	—	36.63	3.33	25.24	53.53	61.87	56.86
	14.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.16	—	—	0.35	—	—	—	0.35	—
	15.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.28	0.10	—	1.31	0.10	1.26	—	2.57	0.10
	16.	पंजाब	22.24	82.99	7.31	2.89	105.23	10.20	33.11	103.57	138.34	113.77
	17.	राजस्थान	7.06	15.43	1.85	3.27	22.49	5.12	1.64	—	24.13	5.12
	18.	उत्तर प्रदेश	14.95	28.03	5.19	—	42.98	5.19	1.38	—	44.36	5.19
	19.	उत्तराखंड	0.66	1.18	0.21	—	1.84	0.21	1.69	—	3.53	0.21
दक्षिण	20.	आंध्र प्रदेश	12.73	25.75	2.62	—	38.48	2.62	16.07	—	54.55	2.62
	21.	केरल	5.19	0.05	0.21	—	5.24	0.21	3.93	—	9.17	0.21
	22.	कर्नाटक	3.81	4.09	1.36	—	7.90	1.36	6.30	—	14.20	1.36
	23.	तमिलनाडु	6.24	4.50	0.67	—	10.74	0.67	5.71	—	16.45	0.67
पश्चिम	24.	गुजरात	5.00	2.90	0.27	—	7.90	0.27	4.01	—	11.91	0.27
	25.	महाराष्ट्र	12.05	11.25	1.02	—	23.30	1.02	10.04	—	33.34	1.02
	26.	मध्य प्रदेश	3.37	2.22	0.36	—	5.59	0.36	68.58	6.51	74.17	6.87
	27.	छत्तीसगढ़	5.12	4.11	0.01	—	9.23	0.01	13.35	—	22.58	0.01
		कुल	129.98	221.65	26.38	6.16	351.63	32.54	215.57	163.61	567.20	196.15
			351.63		32.54		384.17		379.18		763.35	

नोट: भारतीय खाद्य निगम के अंचल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार।

विवरण-V

01.04.2011, 1.4.2012 और 1.4.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(लाख टन में)

राज्य	कुल केन्द्रीय पूल स्टॉक (1.4.2011)			कुल केन्द्रीय पूल स्टॉक (1.4.2012)			कुल केन्द्रीय पूल स्टॉक (1.4.2013)		
	चावल	गेंहू	कुल	चावल	गेंहू	कुल	चावल	गेंहू	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	2.68	1.57	4.25	13.77	1.69	15.46	16.70	3.71	20.41
झारखंड	0.51	0.28	0.79	1.11	0.11	1.22	2.34	0.04	2.38
ओडिशा	14.92	1.57	16.49	19.07	1.45	20.49	26.85	2.02	28.87
पश्चिम बंगाल	4.62	3.61	8.23	6.70	3.75	10.45	5.49	2.96	8.45
पूर्व जोन कुल	22.73	7.03	29.76	40.62	7.00	47.62	51.38	8.73	60.11
असम	0.74	0.35	1.09	1.35	0.31	1.66	1.48	0.34	1.82
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04	0.13	0.01	0.14
त्रिपुरा	0.38	0.06	0.44	0.20	0.05	0.25	0.38	0.01	0.39
मिजोरम	0.17	0.01	0.18	0.10	0.00	0.10	0.10	0.02	0.12
मेघालय	0.08	0.00	0.08	0.14	0.01	0.15	0.20	0.03	0.23
मणिपुर	0.02	0.05	0.07	0.11	0.02	0.13	0.23	0.03	0.26
नागालैंड	0.11	0.04	0.15	0.20	0.00	0.20	0.34	0.00	0.34
पूर्वोत्तर जोन कुल	1.52	0.54	2.06	2.13	0.40	2.53	2.86	0.44	3.30
दिल्ली	0.37	0.87	1.24	0.27	1.85	2.12	0.38	1.26	1.64
हरियाणा	15.57	29.84	45.41	18.48	50.49	68.97	24.74	63.52	88.26
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.07	0.11	0.04	0.09	0.13	0.04	0.17	0.21
जम्मू और कश्मीर	0.32	0.17	0.49	0.42	0.31	0.73	0.46	0.18	0.64
पंजाब	112.04	50.84	162.88	106.41	65.01	171.42	116.09	93.94	210.03
राजस्थान	0.37	15.45	15.82	0.37	18.99	19.36	0.23	16.17	16.40
उत्तर प्रदेश	19.18	9.95	29.13	25.50	15.20	40.70	21.29	10.82	32.11
उत्तराखंड	2.30	0.29	2.59	2.04	0.46	2.50	2.17	0.34	2.51
उत्तर जोन कुल	150.19	107.48	257.67	153.53	152.40	305.93	165.39	186.40	351.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	39.43	0.58	40.01	52.77	0.95	53.72	45.10	1.85	46.95
कर्नाटक	5.65	1.27	6.92	10.20	1.31	11.51	6.04	2.59	8.63
केरल	2.91	1.27	4.18	4.88	0.67	5.55	2.34	0.99	3.33
तमिलनाडु	21.23	0.73	21.96	19.99	1.02	21.01	16.24	1.94	18.18
दक्षिण जोन कुल	69.22	3.85	73.07	87.84	3.95	91.79	69..	7.37	77.09
गुजरात	0.98	4.39	5.37	1.43	4.32	5.75	0.80	6.20	7.00
महाराष्ट्र	8.90	7.17	16.07	9.76	8.06	17.82	7.81	12.36	20.17
मध्य प्रदेश	3.29	20.01	23.30	7.40	19.24	26.64	10.51	17.29	27.80
छत्तीसगढ़	27.80	0.68	28.48	27.70	0.52	28.22	42.09	0.51	42.60
पश्चिम जोन कुल	40.97	32.25	73.22	46.29	32.14	78.43	61.21	36.36	97.57
कुल	284.63	151.15	435.78	330.42	195.89	526.31	350.57	239.30	589.87
मार्गस्थ स्टॉक	3.57	2.49	6.06	3.08	3.63	6.71	4.11	2.77	6.88
मंडियों में पड़ा हुआ गेंहू		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (अखिल भारत)	288.20	153.64	441.84	333.50	199.52	533.02	354.68	242.07	596.75

विवरण-VI

भारतीय खाद्य निगम
मुख्यालय: नई दिल्ली
पी एंड आर प्रभाग

दिनांक 08.11.2013 को तैयार किया गया

दिनांक 01.11.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टॉक

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	भारतीय खाद्य निगम के पास स्टॉक			राज्य एजेंसियों के पास स्टॉक			कुल केन्द्रीय पूल स्टॉक		
	चावल	गेंहू	कुल	चावल	गेंहू	कुल	चावल	गेंहू	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिहार	2.16	2.21	4.37	0.00	0.00	0.00	2.16	2.21	4.37
झारखंड	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84
ओडिशा	2.26	1.85	4.11	4.08	0.00	0.00	6.34	1.85	8.19
पश्चिम बंगाल	0.57	5.03	5.60	2.63	0.00	0.00	3.20	5.03	8.23
पूर्व जोन कुल	5.83	9.09	14.92	6.71	0.00	6.71	12.54	9.09	21.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
असम	2.23	0.32	2.55	0.00	0.00	0.00	2.23	0.32	2.55
अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.14	0.01	0.15
त्रिपुरा	0.27	0.04	0.31	0.00	0.00	0.00	0.27	0.04	0.31
मिजोरम	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
मेघालय	0.25	0.01	0.26	0.00	0.00	0.00	0.25	0.01	0.26
मणिपुर	0.17	0.02	0.19	0.00	0.00	0.00	0.17	0.02	0.19
नागालैंड	0.29	0.09	0.38	0.00	0.00	0.00	0.29	0.09	0.38
पूर्वोत्तर जोन कुल	3.50	0.49	3.99	0.00	0.00	0.00	3.50	0.49	3.99
दिल्ली	0.28	2.68	2.96	0.00	0.00	0.00	0.28	2.68	2.96
हरियाणा	7.73	21.60	29.33	0.00	57.31	57.31	7.73	78.91	86.64
हिमाचल प्रदेश	0.07	0.21	0.28	0.00	0.00	0.00	0.07	0.21	0.28
जम्मू और कश्मीर	0.57	0.38	0.95	0.00	0.00	0.00	0.57	0.38	0.95
पंजाब	60.15	25.48	85.63	0.00	97.03	97.03	60.15	122.51	182.66
राजस्थान	0.11	24.75	24.86	0.00	0.43	0.43	0.11	25.18	25.29
उत्तर प्रदेश	12.08	22.25	34.33	0.00	0.00	0.00	12.08	22.25	34.33
उत्तराखंड	0.36	0.67	1.03	0.10	0.00	0.10	0.46	0.67	1.13
उत्तर जोन कुल	81.35	98.02	179.37	0.10	154.77	154.87	81.45	252.79	334.24
आंध्र प्रदेश	18.41	1.89	20.30	9.92	0.00	9.92	28.33	1.89	30.22
कर्नाटक	6.24	1.21	7.45	0.00	0.00	0.00	6.24	1.21	7.45
केरल	3.47	0.76	4.23	0.38	0.00	0.38	3.85	0.76	4.61
तमिलनाडु	6.87	1.35	8.22	4.33	0.00	4.33	11.20	1.35	12.55
दक्षिण जोन कुल	34.99	5.21	40.20	14.63	0.00	14.63	49.62	5.21	54.83
गुजरात	1.03	5.33	6.36	0.00	0.00	0.00	1.03	5.33	6.36
महाराष्ट्र	4.91	10.11	15.02	0.00	0.00	0.00	4.91	10.11	15.02
मध्य प्रदेश	0.25	4.55	4.80	1.05	48.92	49.97	1.30	53.47	54.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छत्तीसगढ़	4.72	0.64	5.36	6.23	0.00	6.23	10.95	0.64	11.59
पश्चिम जोन कुल	10.91	20.63	31.54	7.28	48.92	56.20	18.19	69.55	87.74
कुल	136.58	133.44	270.02	28.72	203.69	232.41	165.30	337.13	502.43
मार्गस्थ स्टॉक	3.24	3.86	7.10	0.00	0.00	0.00	3.24	3.86	7.10
कुल (अखिल भारत)	139.82	137.30	277.12	28.72	203.69	232.41	168.54	340.99	509.53

नोट:

1. मार्गस्थ आंकड़े अनुमानित है।
2. चावल में भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों के पास चावल के रूप में बिना कुटी धान शामिल नहीं है।
3. भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास बिना कुटी धान की कुल मात्रा = 175.09 लाख टन (भारतीय खाद्य निगम 3.18 लाख टन राज्य एजेंसियां 171.91 लाख टन) कस्टम मिल चावल जिसे 67 प्रतिशत के अनुपात से निकाला जा सकता था।
4. स्टॉक स्थिति का फॉर्मेट दिनांक 1.9.2013 से संशोधित किया गया है। पूर्व फॉर्मेट में, चावल में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास चावल के रूप में पड़ी बिना कुटी धान शामिल थी, इसलिए पिछले वर्षों के स्टॉक के स्तरों के रूझान के विश्लेषण के लिए पिछले नोट में आंकड़ों को चावल के कुल स्टॉक में जोड़ लिया जाएगा।

विवरण-VII

विगत तीन वर्षों और वर्ष 2013-14 के दौरान गेहूं का उत्पादन/खरीद

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2.	असम	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00
3.	बिहार	46.23	1.83	40.98	5.56	47.87	7.72	53.75	0.00
4.	छत्तीसगढ़	1.22	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.41	0.00
5.	गुजरात	26.48	0.01	40.20	1.05	41.00	1.56	31.35	0.00
6.	हरियाणा	105.00	63.47	116.30	69.28	126.84	86.65	111.17	58.73
7.	हिमाचल प्रदेश	5.69	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.43	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	4.93	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.16	0.00
9.	झारखंड	1.55	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	2.67	0.00
10.	कर्नाटक	2.51	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.72	0.00
11.	मध्य प्रदेश	78.46	35.38	76.27	49.65	105.80	84.93	131.33	63.55
12.	महाराष्ट्र	17.57	0.00	23.01	0.00	13.13	0.00	8.75	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ओडिशा	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
14.	पंजाब	152.63	102.09	164.72	109.58	172.06	128.36	161.06	108.97
15.	राजस्थान	68.27	4.76	72.15	13.03	93.19	19.64	89.54	12.68
16.	उत्तर प्रदेश	278.10	16.45	300.01	34.61	302.93	50.63	303.02	6.83
17.	उत्तराखंड	8.37	0.86	8.78	0.42	8.74	1.39	8.38	0.05
18.	पश्चिम बंगाल	8.37	0.09	8.74	0.00	8.84	0.00	9.07	0.02
19.	अन्य	1.90		1.04	0.17	2.09	0.62	1.1	0.09
	कुल	808.07	224.94	868.74	283.35	939.03	381.50	924.57	250.92

रबी विपणन मौसम 2013-14 हेतु उत्पादन आंकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के चौथे अग्रिम अनुमानों से लिए गए हैं।

विवरण-VIII

विगत तीन वर्षों और वर्ष 2013-14 के दौरान चावल का उत्पादन/खरीद

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी	उत्पादन	खरीदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	144.18	96.09	128.8	75.46	128.8	63.99	147.39	4.96
2.	असम	47.12	0.16	40.09	0.23	40.09	0.20	63.92	0
3.	बिहार	31.02	8.83	72.01	15.34	72.01	13.03	91	0
4.	छत्तीसगढ़	61.59	37.46	60.28	41.15	63.54	48.04	74.98	4.58
5.	गुजरात	14.97	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	असूचित	0
6.	हरियाणा	1.14	0.00	1.31	0.01	1.31	0.01	1.33	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	34.72	16.87	37.59	20.10	37.59	26.08	39	23.94
8.	जम्मू और कश्मीर	2.87	0.07	5.44	0.10	5.44	0.02	असूचित	0.00
9.	झारखंड	11.1	0.00	34.18	2.75	37.61	2.15	48.11	0.00
10.	कर्नाटक	41.88	1.80	40.38	3.56	40.38	0.73	असूचित	0.00
11.	केरल	5.23	2.63	5.5	3.72	5.5	2.31	6	0.00
12.	मध्य प्रदेश	17.72	5.16	18.38	6.35	19.69	8.97	28.45	1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	26.96	3.08	28.06	1.75	28.06	1.82	27.51	0.21
14.	ओडिशा	68.28	24.65	58.15	28.64	58.82	35.90	95.77	0
15.	पंजाब	108.37	86.35	105.4	77.31	105.4	85.58	110.00	81.02
16.	राजस्थान	2.66	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.83	0
17.	तमिलनाडु	57.92	15.43	68.93	15.96	68.93	4.79	78	0.52
18.	उत्तर प्रदेश	119.92	25.54	140.25	33.55	120.14	22.86	153.02	1.21
19.	उत्तराखंड	5.5	4.22	5.99	3.78	5.99	4.97	5.55	0.21
20.	पश्चिम बंगाल	130.46	13.10	148.53	20.41	159	16.77	149.62	0
	अन्य	26.19		23.8	0.11		0.30		0.12
	कुल	959.80	341.44	1,043.24	350.31	1,018.47	338.52	1,22.48	118.02

*वर्ष.2013-14 के उत्पादन आंकड़े दिनांक 31 जुलाई, 2013 को आयोजित खाद्य सचिवों की बैठक में दी गई अनंतिम सूचना पर आधारित हैं।

खरीफ विपणन मौसम 13-14 के दौरान खरीदारी की जा रही है और आंकड़ें दिनांक 04.12.2013 की स्थिति के अनुसार हैं।

चावल के रूप में धान सहित चावल।

विवरण-IX

30.11.2013 की स्थिति के अनुसार पीईजी स्कीम के तहत गोदों के निर्माण की स्थिति

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत/आवंटित कुल क्षमता				पूरी कर ली गई			
		के.भ.नि.	रा.भ.नि.	निजी निवेशक	कुल	के.भ.नि.	रा.भ.नि.	निजी निवेशक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	30,000	55,000	3,16,000	4,01,000	30,000	35,800	1,34,000	1,99,800
2.	बिहार	85000	1,10,000	3,80,000	5,75,000	0	25,000	22000	47,000
3.	छत्तीसगढ़	50,000	4,92,600		5,42,600	25,150	2,43,200		2,68,350
4.	गुजरात	5,000		4,5,000	50,000	4,800		30000	34,800
5.	हरियाणा	5,000	5,99,376	28,68,969	3,47,3345	5,000	1,84,118	16,40,410	18,29,528
6.	हिमाचल प्रदेश	2,500		35,010	37,510	2,500			2,500
7.	जम्मू और कश्मीर			2,82,680	2,82,680			40,000	40,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	झारखंड			1,35,000	1,35,000			15,000	15,000
9.	कर्नाटक	50,520	1,87,850	1,11,670	3,50,040	50,520	1,72,850	65,000	2,88,370
10.	केरल	5,000			5,000	5,000			5,000
11.	मध्य प्रदेश	1,18,300	6,20,870	10,37,900	17,77,070	26,400	57,790	2,03,200	2,87,390
12.	महाराष्ट्र	47,400	2,93,202	2,53,000	5,93,602	42,400	2,15,242	1,65,500	4,23,142
13.	ओडिशा	1,87,500	1,12,500		3,00,000	1,27,000	82,000		2,09,000
14.	पंजाब	73,150	2,19,100	40,09,888	43,02,138	73,150	1,69,100	32,45,378	34,87,628
15.	राजस्थान		45,000	2,05,000	2,50,000		25,000	1,38,000	1,63,000
16.	तमिलनाडु	35,000	145,000	1,15,000	2,95,000	35,000	30,000	25,000	90,000
17.	उत्तराखंड			10,000	10,000			0	0
18.	उत्तर प्रदेश	11,200	57,000	1,49,0500	15,58,700	6,200	47,000	7,30,834	7,84,034
19.	पश्चिम बंगाल	90,180	20000	30,000	1,40,180	26,000			26,000
	कुल*	7,95,750	29,57,498	1,13,25,617	1,50,78,865	4,59,120	12,87,100	64,54,322	82,00,542

*पूर्वोत्तर राज्यों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुमोदित 3.19 लाख टन क्षमता पीईजी स्कीम के तहत साथ-साथ आजमाया जाएगा।

विवरण-X

खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता को भंडारण के दौरान सुरक्षित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम

1. रबी और खरीफ विपणन मौसमों की शुरूआत से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद हेतु एकसमान विनिर्दिष्टियों जारी करता है। इन समान मानदंड को भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों/एजेंसियों को परिचालित किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए जाते हैं कि खाद्यान्नों की खरीद केवल समान मानदंडों के अनुसार ही की जाए।

2. भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न कवर्ड गोदामों तथा कैप (कवर और प्लिंथ) में भंडारित किया जाता है।

3. भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:—

कवर्ड गोदाम :

3.1 गोदामों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और उचित ऊंचाई बनाकर उन्हें कीटों से सुरक्षित तथा पक्का फर्श बनाकर उन्हें नमी से सुरक्षित बनाया जाता है।

3.2 स्टॉक को रखने से पहले गोदाम को सही ढंग से साफ किया जाता है और यदि कोई जाले लगे हों तो उन्हें हटाया जाता है।

3.3 फर्श और दीवारों पर मेलेथियन और डीडीवीपी (कीटनाशक) के साथ एयर चार्जिंग जैसे रासायनिक उपचार किए जाते हैं ताकि उन्हें कीड़ों से मुक्त रखा जा सके।

3.4 चट्टों के लिए मार्किंग की जाती है और डनेज सामग्री का उपयोग किया जाता है जिस पर चट्टों की योजना के अनुसार खाद्यान्नों के बोरे तरतीब से रखे जाते हैं।

3.5 कीड़ों/जन्तुओं पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी (कीटनाशकों को छिड़काव) और रोगहर (फ्यूमिगेशन) उपाय किए जाते हैं।

3.6 कीड़े-मकोड़ों के नियंत्रण के उपाय भी किए जाते हैं।

4. भंडारण में निम्नलिखित जांच/सुपर जांच की जाती है ताकि भंडारण में खाद्यान्नों का उचित परिक्षण किया जा सके।

4.1 श्रेणीकरण और वर्गीकरण की घोषणा करने के लिए तकनीकी सहायक द्वारा 100% आधार पर स्टॉक का पाक्षिक निरीक्षण।

4.2 प्रबंधक (गु.नि.) द्वारा-33% स्टॉक (1/3 स्टॉक का) का मासिक निरीक्षण। प्रबंधन (गु.नि.) की मासिक निरीक्षण रिपोर्ट की आंचलिक स्तर पर जांच की जाती है। इनमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करना और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से मानीटर करना।

4.3 सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) द्वारा त्रैमाकि निरीक्षण

सहायक महाप्रबंधक (गु.नि.) द्वारा निम्नानुसार निरीक्षण निर्दिष्ट किया गया है:–

– एक माह में एक तिहाई डिपुओं का निरीक्षण ताकि तीन महीने में जिले में सभी डिपुओं को कवर किया जा सके।

– 25000 टन से अधिक क्षमता वाले डिपु में 5% स्टॉक की जांच करना।

– 25000 लाख टन से कम डिपुओं में 10% स्टॉक की जांच करना।

– एजीएम (गु.नि.) की दस्ता निरीक्षण रिपोर्टों की जांच मुख्यालय में की जाती है।

कैप (कवर और प्लिंथ)

5. ढके हुए भंडारण स्थान की कमी होने की स्थिति में खाद्यान्नों को कैप में खुले में रखना पड़ सकता है। कैप में रखते समय अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। कैप भंडारण में चूहे, पक्षी और नमी अनाज के मुख्य शत्रु होते हैं। इसमें जोखिम के मद्देनजर, इस प्रकार का भंडारण अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाता है। कैप भंडारण में खाद्यान्नों के उचित भंडारण के लिए निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए जाते हैं:–

5.1 कैप के लिए चुना गया स्थान आसपास की भूमि से ऊंचा होता है और नालों और जल निकासी की नालियों से दूर होता है ताकि वर्षा के मौसम के दौरान कैप भंडारण को बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सके।

5.2 कैप भंडारण स्थल से सभी पौधों/झाड़ियों को हटा दिया जाता है और डीडीवीपी का छिड़काव किया जाता है।

5.3 कैप/खुले भंडारण में दीमक-रोधी उपाय किए जाते हैं।

5.4 कैप/खुले भंडारण में सभी चट्टों के लिए पर्याप्त डनेज मुहैया कराया जाता है जिसमें लकड़ी के क्रेटों का प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, स्थानीय उपलब्धता के अनुसार, सीमेंट के ब्लॉकों, लकड़ी की कड़ियों, कॉसरीना के खंभों और ग्रेनाइट ब्लॉक का इस्तेमाल भी सफल रहा है। डनेज सामग्री को प्रधूमन द्वारा या डीडीवीपी जैसे कंटेक्ट कीटनाशकों का उपयोग करके साफ और रोगाणु मुक्त किया जाता है।

5.5 चट्टों के शीर्ष को अंग्रेजी के उल्टे 'यू' अक्षर की बनावट में डोम का आकार दिया जाता है ताकि वर्षा का पानी आसानी से बह जाए और शीर्ष पर पानी को जमा होने से रोका जा सके।

5.6 चट्टों को वर्षा, धूप, ओस, पक्षियों और कृतंकों आदि से बचाने के लिए इस उद्देश्य से विशेष रूप से बनाए गए पॉलीथीन कवर से उन्हें ढका जाता है। पॉलीथीन कवर ढके गए चट्टे को उचित रूप से नाइलॉन की रस्सियों से ऊपर से नीचे की ओर बांधा जाता है ताकि तेज हवाओं, वर्षा, धूल, तूफान आदि से कवर को नुकसान से बचाया जा सके।

5.7 कैप भंडारण में रखे गए अनाज को कीट-जन्तुओं से बचाने के लिए नियमित रूप से रोगनिरोधी और रोगहर उपाय किए जाते हैं। चूहों की बिलों में एल्यूमीनियम फास्फाइड से प्रधूमन करके अथवा जिंक फस्फाइड से चूहों को विष देकर कृंतक-नियंत्रण उपाय भी किए जाते हैं।

5.8 नमी खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक है और साफ मौसम के दिनों में चट्टों को नियमित धूप दिखा करके उसे नियंत्रित किया जाता है।

5.9 संबंधित तकनीकी सहायक पाक्षिक आधार पर स्टॉक की जांच करता है और उसके उपरान्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी सुपर जांच की जाती हैं।

5.10 राज्य सरकारों/ एजेंसियों द्वारा कैप में रखे गए गेहूं के स्टॉक का भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में कैप में राज्य एजेंसियों के स्टॉक का 100 प्रतिशत किया गया है।

5.11 स्टॉक आम तौर पर 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' के सिद्धान्त पर जारी/संचालित किया जाता है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले का आबंटन

***68. श्री सी.आर. पाटिल :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार/वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गुजरात को उक्त मानदंडों के अनुसार कोयले का आबंटन करती आ रही है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार गुजरात राज्य को विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के आयात के कारण अतिरिक्त वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने हेतु ईंधन राज-सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) विगत में, निम्नलिखित तीन प्रक्रियों के अधीन कोयला ब्लॉक सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित किए गए थेः—

(i) **जांच समिति के माध्यम से केप्टिव वितरण मार्गः** सार्वजनिक/निजी पार्टियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन जांच समिति नामक अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किया गया था। सचिव (कोयला) जांच समिति के अध्यक्ष थे तथा इसमें इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों, सेन्ट्रल माइल प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल), नेयवेली लिग्लाइट कॉरपोरेशन लि. (एनएलसी) और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना की तैयारी की स्थिति, अप्त्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता और आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकार्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों आदि को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा आबंटन का निर्णय लिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(ए)(iii) के अनुसरण में सरकार द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया था।

(ii) **सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गतः** सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के अधीन, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अभिज्ञात ब्लॉकों की सूची परिचालित की गयी थी। सरकारी कंपनियों के लिए आवेदन सभी केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों से आमंत्रित किए गए थे। इस मार्ग के अधीन सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग और वाणिज्यिक खनन, दोनों के लिए केवल सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है जहां कैप्टिव उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आबंटन का निर्णय सरकार द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(ए)(i) के अनुसरण में संशोधित कोयला खनन नीति, 2001 के आधार पर तथा जांच समिति के पास इसे भेजे बिना किया गया था।

(iii) **टैरिफ आधारित बोली मार्गः** कोयला ब्लॉकों को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना के लिए निर्दिष्ट किया गया है। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के अंतर्गत पहचान किए गए कोयला ब्लाकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, जो पात्र कम्पनियों अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर सफल बोलीदाता को अवार्ड किया जाता है। टैरिफ आधारित बोलीदाता को अवार्ड किया जाता है। टैरिफ आधारित बोली के माध्यम से चयन की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए, कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ए)(iii) के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर किया जाता है। नियम एवं शर्तें वही हैं जो जांच समिति मार्ग के माध्यम से केप्टिव व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित ब्लॉकों के लिए लागू हैं।

पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) के दौरान गुजरात राज्य को कोई आवंटन नहीं किया गया है, हालांकि 2010-11 से पूर्व गुजरात राज्य को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधिनियम के बाद "नीलामी द्वारा कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली की नियमावली, 2012" के अनुसार कोयला ब्लॉकों का आवंटन करना अपेक्षित है। मौजूदा वर्ष 2013-14 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में महाजनवादी कोयला ब्लॉक संयुक्त रूप से क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकार के महाजेनको और

जीएसईसीएल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आवंटित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) गुजरात राज्य सहित किसी भी राज्य को ईंधन राज-सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षित कोयला ब्लॉक

***69. श्री बिभू प्रसाद तराई :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित विभिन्न निजी विद्युत कंपनियों को रक्षित कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित निजी विद्युत कंपनियों की आवश्यकता, उत्पादन और उपयोग का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निजी विद्युत कंपनियों ने उन्हें सस्ती दर पर विद्युत मुहैया कराने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ विद्युत खरीद करार किया है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन के लिए जेएसपीएल सहित निजी कंपनियों को आबंटित किए गए कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। विद्युत क्षेत्र के लिए 40 निजी कंपनियों को आबंटित किए गए 36 कोयला ब्लॉकों में से जो 5 कोयला ब्लॉक 3 निजी कंपनियों को आबंटित किए गए थे, उनमें उत्पादन शुरू हो गया है। पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2012-13 और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित खनन योजना और उत्पादन के अनुसार अन्त्य उपयोग संयंत्र के वास्ते कोयले की आवश्यकता वाले ऐसे का कोयला ब्लॉकों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से समस्त कोयले का उपयोग अनुमोदित अन्त्य उपयोग संयंत्रों में किया जाना अपेक्षित है। आबंटन की शर्तों के अनुसार, अतिरिक्त कोयला/मिडलिंग्स/रिजेक्ट्स के निपटान की पद्धतियां विद्यमान नीति/समय पर प्रासंगिक बिन्दु पर सरकार के अनुदेश के अनुसार होंगी तथा सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाले अंतरिम मूल्य पर स्थानीय कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनी अथवा इसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को ऐसे अतिरिक्त कोयला/मिडलिंग्स/रिजैक्ट्स प्रदान करना भी शामिल हो सकता है। मैसर्स सासन पावर लि. को आबंटित कोयला ब्लॉकों के मामले में चितरंगी विद्युत परियोजना के लिए सरकार द्वारा वृद्धि कोयला के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने कोयलाधारी राज्य सरकारों को अपने पत्र दिनांक 26.08.2013 के तहत यह अनुरोध किया है कि वे प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राज्य वितरण कंपनियों/राज्य नामित एजेंसियों को अपने अधिसूचित अन्त्य उपयोग संयंत्रों में विद्युत की बिक्री के लिए विद्युत क्षेत्र (स्वतंत्र विद्युत उत्पादन कर्ता-आईपीपी) हेतु कोयला ब्लॉक आबंटितियों के खनन पट्टे में धारा को शामिल करके निर्धारित अवधि के अंदर दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार संपन्न करें। कितने ऐसे ब्लॉक आबंटितियां ने पीपीए करार संपन्न किए हैं, उनसे संबंधित सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

विद्युत उत्पादन हेतु निजी कंपनियों को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के ब्यौरे

क्र. सं.	आवंटित ब्लॉक	कंपनी का नाम	आवंटन की तिथि	एकल (आई) संयुक्त रूप से (जे)
1	2	3	4	5
1.	सरिसाटोली	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज़/सीईएससी लि.	10.08.1993	आई
2.	उत्कल-सी	उत्कल कोल लि. (पूर्व में आईसीसीएल)	29.05.1998	आई
3.	गारे-पालमा-IV/2	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	आई
4.	गारे-पालमा-IV/3	जिन्दल पावर लि.	01.07.1998	आई

1	2	3	4	5
5.	तोकीसुद नार्थ	जीवीके पावर (गोविंदवल साहिब) लि.	07.01.1998	आई
6.	तालीबीरा-II	हिंडालको इंडस्ट्रीज	10.11.2002	जे
7.	उत्कल-ए	जेएसडब्ल्यू स्टील लि./जिंदल थर्मल पावर लि.	29.11.2005	जे
	उत्कल-ए	जिंदल स्टेनलैस स्टील लि.	29.11.2005	जे
	उत्कल-ए	श्याम डीआरआई लि.	29.11.2005	जे
8.	महान	इस्सार पावर लि.	12.04.2006	जे
	महान	हिंडालको इंडस्ट्रीज	12.04.2006	जे
9.	मीनाक्षी	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई
10.	मीनाक्षी बी	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई
11.	मीनाक्षी की डीप साइड	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई
12.	मोहेर	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई
13.	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	आई
14.	छत्रसाल	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	26.10.2006	आई
15.	चकला	एस्सार पावर	20.02.2007	आई
16.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	20.02.2007	आई
17.	केरनदारी कीसी	विद्युत वित्त निगम तलइया यूएमपीपी झारखंड	20.02.2007	आई
18.	तुबेड	हिंडालको	01.08.2007	जे
	तुबेड	टाटा पावर लि.	01.08.2007	जे
19.	अशोक करकत्ता सेन्ट्रल	एस्सार पावर लि.	06.11.2007	आई
20.	पत्तन ईस्ट	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	आई
21.	सयांग	एईएस छत्तीसगढ़ एनजी प्रा.लि.	06.11.2007	आई
22.	दुर्गापुर-II/सारया	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	आई
23.	दुर्गापुर-II/ताराईमर	बाल्को	06.11.2007	आई
24.	लोहारा वेस्ट विस्तार	आदनी विद्युत लि.	06.11.2007	आई
25.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	09.01.2008	जे
	मंदाकिनी	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	जे
	मंदाकिनी	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	जे

1	2	3	4	5
26.	सेरेगढ़	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	जे
	सेरेगढ़	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	जे
27.	माहुआगढ़ी	सीईएससी लि.	09.01.2008	जे
	माहुआगढ़ी	जैश इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा. लि.	09.01.2008	जे
28.	अमरकोंडा मुर्गादंगल	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	जे
	अमरकोंडा मुर्गादंगल	गगन स्पंज आयरन प्रा. लि.	17.01.2008	जे
29.	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	जीएमआर एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	17.01.2008	जे
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	नवभारत विद्युत प्रा. लि.	17.01.2008	जे
	रामपिया और रामपिया की डीप साइड	रिलायंस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	जे
30	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लि.	23.01.2008	जे
	फतेहपुर ईस्ट	आर.के.एम. पावरजेन प्रा. लि.	23.01.2008	जे
	फतेहपुर ईस्ट	वीसा पावर लि.	23.01.2008	जे
	फतेहपुर ईस्ट	ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	23.01.2008	जे
	फतेहपुर ईस्ट	वंदना विद्युत लि.	23.01.2008	जे
31.	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एवं विद्युत लि.	06.02.2008	जे
	फतेहपुर	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	06.02.2008	जे
32.	मेदनी राय	रूगंटा माइन लि.	28.05.2009	जे
33.	गणेशपुर	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	जे
	गणेशपुर	आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	28.05.2009	जे
34.	पुटापैरोगिया	अकलतारा पावर लि. (छत्तीसगढ़ यूएमपीपी का एसपीवी)	09.09.2009	आई

1	2	3	4	5
35.	पिन्डाराखी	अकलतारा पावर लि. (छत्तीसगढ़ यूएमपीपी का एसपीवी)	09.09.2009	आई
36.	बनखोई	साखीगोपाल इंटी. पावर कं. लि. (प्रथम अतिरिक्त ओडिशा यूएमपीपी का एसपीवी)	21.06.2010	आई

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादन के साथ शुरू होने वाले विद्युत उत्पादन हेतु निजी कंपनियों को आवंटित केप्टिव ब्लॉकों के ब्यौरे

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कंपनी(यों) का नाम	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अन्त्य उपयोग संयंत्र हेतु कोयले की आवश्यकता (प्रतिवर्ष मिलियन टन में)	उत्पादन (मिलियन टन में)			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	सरिसाटोली	आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज़/ सीईएससी लि.	3.50	2.929	3.745	3.128	1.034
2.	गारे-पालमा-IV/2	जिन्दल पावर लि.	6.25 (5.5 ओसी^ + 0.75 यूजी^ ^)	5.688	5.250	5.250	2.729
3.	गारे-पालमा-IV/3		16.00	—	—	0.225	0.253
4.	मोहेर	सासन पावर लि.					
5.	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	(यूएमपीपी)					

*अनंतिम (अगस्त, 2013 तक)

^ओसी-ओपनकास्ट

^ ^यूजी-भूमिगत

[हिन्दी]

गन्ना किसानों को लाभप्रद मूल्य

***70. श्री राजू शेट्टी :**
श्री सी. शिवासामी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के उचित और लाभप्रद मूल्य को अंतिम रूप देने में ध्यान रखे जाने वाले तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी संस्थाएं शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार को चालू चीनी मौसम के दौरान गन्ने के उचित और लाभप्रद मूल्य को बढ़ाने हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने गन्ना गन्ना किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को कोई सलाह/निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु चीनी पर आयात शुल्क में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों अर्थात् गन्ने की उत्पादन लागत; वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को होने वाली आय तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों का सामान्य रूझान; उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं के लिए चीनी की उपलब्धता; चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी का बिक्री मूल्य; गन्ने से चीनी की प्राप्ति; शीरे, खोई और प्रैस-मड जैसे उप-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय अथवा उनके आरोपित मूल्य; और जोखिम तथा लाभ को ध्यान में रखते हुए गन्ना उत्पादकों के लिए वाजिब मार्जिन आदि को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित किया गया उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तय किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उचित और लाभकारी मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का बैंच मार्क गारंटीशुदा मूल्य होता है। तथापि, गन्ना किसानों को आमतौर पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक मूल्य होता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*71. **डॉ. रतन सिंह अजनाला :**
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वीकृत और स्थापित किए गए;

(ख) सरकार द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु शुरू की गई अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं का परियोजना/राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए कितना अनुदान जारी किया गया;

(ग) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के बाद उक्त अवधि के दौरान फसलोत्तर हानि कम हुई है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक कमी आई है; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में पंजीकृत की गई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। एएसआई ने उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आंकड़े जारी नहीं किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम की 11वीं योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता की स्वीकृत की गई थी। देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11वीं योजना तथा 12वीं योजना (2012-13 और 2013-14) के दौरान 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

उपर्युक्त स्कीम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु 12वीं योजना (01.04.2012 से) के दौरान हाल ही में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है।

(ख) मंत्रालय, 'गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप' के नाम से एक योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान-सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय सहायता, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उन्नत पैकिंग तथा मूल्यवृद्धि के लिए मांग प्रेरित अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाती है जिससे वाणिज्यिक मूल्य वाले नवोत्पादों तथा प्रक्रियाओं का विकास होता है। स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित संगठनों और साथ-ही-साथ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भी उपलब्ध कराई जाती है। अनुसंधान एवं विकास के लिए

पिछले 3 वर्षों में दी गई वित्तीय-सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई सहायता का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट *www.mofpi.nic.in* पर उपलब्ध है। 11वीं योजना की उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास स्कीम को कार्यान्वयन हेतु 12वीं योजना के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को हस्तांरित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) यादृच्छिक रूप से चुने गए 106 जिलों में 46 कृषि उत्पादों के लिए फसल एवं फसलोत्तर हानियों के मात्रात्मक आकलन के लिए सीआईपीएचईटी, लुधियाना द्वारा एक राष्ट्र-व्यापी अध्ययन किया गया था। अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2010 में जारी की गई थी। सीआईपीएचईटी द्वारा आंकी गई हानियां निम्नानुसार हैं:-

प्रमुख उत्पादों के लिए आंकी गई हानियों की प्रतिशतता

फसल	संचयी बरबादी (प्रतिशत)
1	2
अनाज	3.9-6.0%
दालें	4.3-6.1%
तिलहन	2.8-10.1%
फल एवं सब्जियां	5.8-18.0%
दूध	0.8%
मत्स्यिकी (अंतर्देशीय)	6.9%
मत्स्यिकी (समुद्रीय)	2.9%
मांस	2.3%
पॉल्ट्री	3.7%

हानियों के वर्तमान स्तर का आंकलन करने के लिए, सीआईपीएचईटी को वर्ष 2012 में पुन: अध्ययन का कार्य सौंपा गया था जिसके वर्ष 2015 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए 12वीं योजना के दौरान निधि आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में पंजीकृत की गई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को दर्शाने वाला विवरण

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान पंजीकृत की गई फैक्ट्रियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	6,276	6,313	9,068
3.	असम	1,003	1,007	1,172
4.	बिहार	173	238	531
5.	चंडीगढ़	28	26	27
6.	छत्तीसगढ़	764	802	1,030
7.	दादरा और नगर हवेली	13	11	7

1	2	3	4	5
8.	दमन और दीव	41	24	36
9.	दिल्ली	114	119	140
10.	गोवा	81	83	89
11.	गुजरात	1,501	1,425	1,957
12.	हरियाणा	497	457	642
13.	हिमाचल प्रदेश	113	115	167
14.	जम्मू और कश्मीर	102	102	136
15.	झारखंड	143	123	180
16.	कर्नाटक	1,565	1,553	1,888
17.	केरल	1,224	1,226	1,395
18.	मध्य प्रदेश	587	555	724
19.	महाराष्ट्र	2,287	2,252	2,948
20.	मणिपुर	8	12	17
21.	मेघालय	13	14	13
22.	नागालैंड	14	13	12
23.	ओडिशा	615	675	820
24.	पुदुचेरी	61	53	70
25.	पंजाब	2,173	2,285	2,786
26.	राजस्थान	605	616	714
27.	सिक्किम	0	13	22
28.	तमिलनाडु	3,905	4,010	5,210
29.	त्रिपुरा	51	57	58
30.	उत्तर प्रदेश	1,706	1,573	2,070
31.	उत्तराखंड	307	340	364
32.	पश्चिम बंगाल	1,240	1,384	1,536
	कुल	27,220	27,479	35,838

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना, वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सहायता-प्राप्त यूनिटों की संख्या तथा प्रदान की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	11वीं पंचवर्षीय योजना		2012-13		2013-14 (30.11.13 तक)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	267	5000.36	221	4245.35	140	2869.52
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	460.23	0	0.00	1	34.34
4.	असम	89	2156.18	18	376.12	6	162.84
5.	बिहार	20	388.14	2	36.43	1	10.59
6.	चंडीगढ़	7	163.08	0	0.00	2	32.58
7.	छत्तीसगढ़	116	1348.59	149	1753.67	63	734.95
8.	दिल्ली	28	703.93	9	198.70	6	118.12
9.	गोवा	6	140.83	1	19.42	5	93.31
10.	गुजरात	271	5318.80	53	858.71	75	1369.82
11.	हरियाणा	129	2056.66	86	1122.16	34	565.53
12.	हिमाचल प्रदेश	48	1329.46	5	133.45	10	260.16
13.	जम्मू और कश्मीर	30	379.15	2	16.43	3	55.27
14.	झारखंड	10	155.18	4	76.53	2	37.67
15.	कर्नाटक	168	2703.15	81	1271.03	65	800.74
16.	केरल	183	3302.71	15	252.44	42	731.09
17.	मध्य प्रदेश	79	1235.06	31	422.19	30	404.98
18.	महाराष्ट्र	587	9047.41	137	1864.79	162	2310.66
19.	मणिपुर	24	484.69	21	467.49	23	628.45

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मेघालय	7	390.83	1	5.42	1	5.42
21.	नागालैंड	1	11.00	0	0.00	0	0.00
22.	ओडिशा	7	276.89	2	14.21	0	0.00
23.	पुदुचेरी	31	566.96	15	259.00	4	69.31
24.	पंजाब	3	56.30	6	150.00	1	25.00
25.	राजस्थान	262	3337.58	231	2420.76	82	947.11
26.	सिक्किम	249	3371.20	41	615.63	48	526.58
27.	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28.	त्रिपुरा	229	4101.63	44	689.19	57	972.11
29.	उत्तर प्रदेश	3	53.84	0	0.00	0	0.00
30.	उत्तराखंड	238	4545.22	39	622.29	58	1033.00
31.	पश्चिम बंगाल	38	1117.07	5	115.49	7	224.69
32.	दिल्ली	93	1817.99	8	186.85	18	389.89
33.	एमएम-IV	0	0.00	5	426.28	0	0.00
	कुल	3229	56020.10	1232	18620.00	946	15414.01

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (2013-14) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त आर एंड डी परियोजनाओं की अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि							
		परियोजनाओं की संख्या	2010-11	परियोजनाओं की संख्या	2011-12	परियोजनाओं की संख्या	2012-13	परियोजनाओं की संख्या	2013-14 (नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश			2	36.22179				
2.	असम	5	106.06	5	53.59	2	48.17853	2	5.75557
3.	दिल्ली	1	7.80	4	72.21014	2	22.77704	3	13.99316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	हरियाणा	3	76.938	2	12.126	1	48.35		
5.	हिमाचल प्रदेश	2	104.05					1	10.744
6.	झारखंड	1	18.4325						
7.	कर्नाटक			1	28.25			1	32.208
8.	केरल	1	32.50	2	44.958	1	7.2864		
9.	मेघालय			2	23.446	1	35.592		
10.	महाराष्ट्र	3	124.02	4	47.34872	3	44.472	1	131.540
11.	पंजाब			2	129.71	1	62.36	1	7.845
12.	राजस्थान					1	79.88		
13.	तमिलनाडु	3	48.24	5	60.725	5	171.4584		
14.	त्रिपुरा			1	17.42	1	23.821		
15.	उत्तर प्रदेश	1	41.79	1	36.12	1	32.51	1	10.729
16.	पश्चिम बंगाल			2	75.861	2	61.683	1	2.3144
	कुल	20	559.83	33	638.05	21	638.3683	11	215.1291

12वीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा समर्थित तथा विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), डीएसटी के माध्यम से कार्यान्वित आर एंड डी परियोजनाओं का अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2012-13		2013-14	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि जारी	परियोजनाओं की संख्या	राशि जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	39.17	1	7.50
2.	असम	3	70.45	2	57.174
3.	छत्तीसगढ़	1	8.874		
4.	दिल्ली			3	71.994
5.	गुजरात	1	13.708	1	2.02325
6.	हरियाणा			4	138.91

1	2	3	4	5	6
7.	झारखंड			1	3.376
8.	कर्नाटक	5	121.658	2	53.556
9.	महाराष्ट्र	2	36.606	4	113.332
10.	पंजाब			2	97.244
11.	तमिलनाडु	7	102.52	2	76.202
	कुल	22	392.986	22	621.31125

विवरण-IV

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए 12वीं योजना आबंटन

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आबंटन (करोड़ रुपए)
1.	अवसंरचना विकास	2,800
	(क) मेगा फूड पार्क स्कीम	1,714
	(ख) एकीकृत शीत शृंखला स्कीम	786
	(ग) बूचड़खाने	300
2.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)	1,850
3.	संस्थान सुदृढ़ीकरण एवं दक्षता विकास (नवाचार निधि स्कीम तथा वेंचर पूंजी निधि समेत)	300
4.	खाद्य सुरक्षा, आर एंड डी तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप	290
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा मानव संसाधन विकास (स्पिल-ओवर देयताएं)	750
	कुल	5,990

किसानों का कौशल विकास

*72. **चौधरी लाल सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण हेतु चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि नियत की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत नियत की गई और खर्च की गई धनराशि का जम्मू और कश्मीर सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय की जारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण का अंतःनिर्मित घटक हैं। ऐसी स्कीमों की निदर्शी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि किसानों के कौशल विकास से संबंधित कोई विशेष स्कीम अथवा कार्यक्रम नहीं है। हालांकि कुछ स्कीमों में प्रशिक्षण के लिए निधियों का आवंटन निर्धारित किया गया है। अन्य स्कीमें राज्यों व कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार मांग वाहित है।

विवरण

(i) विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

(iii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

(iv) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)

(v) बीज ग्राम कार्यक्रम

(vi) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना

(vii) प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण।

(viii) कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन

(ix) समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम)

(x) भारत में नाशीजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(xi) गहन कदन्न प्रोत्साहन के माध्यम से पोषाहारीय सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी)

(xii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके)

(xiii) गुणवत्ताप्रद एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

(xiv) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

(xv) मछुआरों के फसलोपरान्त कार्यकलाप

विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण

***73. श्री सुवेन्दु अधिकारी :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने हेतु स्वत: अथवा इंटरनेशनल कोल वेंचर (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से विदेशों में कोयला खानों का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशों में अधिग्रहण किए गए कोयला ब्लॉकों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने इसके परिणामस्वरूप देश की ऊर्जा सुरक्षा हेतु संभावित लाभों का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेशों में कच्चे माल की परिसंपत्तियों के अर्जन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)" ने विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों से संबंधित अर्जन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके अलावा, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स (प्रा.) लिमिटेड, जो इस्पात मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त उद्यम है, को 5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सैल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और राष्ट्रीय तापीय विद्युत कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा संवर्धित किया गया, को विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कोयला प्राप्त करने हेतु 2009 में निगमित किया गया था। सीआईएल का आईसीबीएल में 28.27 प्रतिशत का हिस्सा है।

(ख) सीआईएल ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों को आमंत्रित करने हेतु एक विज्ञापन जारी किया है जो 27 फरवरी, 2013 को भारत के मुख्य समाचार पत्रों, भारतीय ट्रेड जर्नल (आईटीजे) और सीआईएल की वेबसाइट में प्रकाशित हुआ है। उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन अधिग्रहण प्रस्तावों की छटनी की गई है और वे जांच के विभिन्न स्तरों में है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने 2009 के शुरू में मोजाम्बिक सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया के माध्यम से मोयाटिज जिले, टेटे प्रांत में 2 कोयला ब्लॉकों अर्थात् 3450एल और 3451एल के लिए सफलतापूर्वक अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त किए हैं। मोजाम्बिक में सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) के नाम पर अन्वेषण लाइसेंस मंजूर किए गए थे। आवंटित कोयला ब्लॉकों में पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों के पूरा होने पर अन्वेषण तथा संबद्ध क्रियाकलाप 2012 में शुरू किए गए और वे अभी चल रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 21,000 मीटर से अधिक की अन्वेषण ड्रिलिंग पूरी हो गई है।

(घ) और (ङ) अधिग्रहण का प्रयोजन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक आधार पर भारत में कोयला लाना है। यदि सीआईएल द्वारा बड़े पैमाने पर भंडारों का अधिग्रहण किया जाता है तो इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का कल्याण

***74. श्री समीर भुजबल :**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्तमान योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन और योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए नई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में सामाजिक और आर्थिक विकास में अन्य पिछड़ा वर्गों की उपयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्रीय सेक्टर की निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में जारी केन्द्रीय सहायका का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है:—

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजनाएं:

(i) अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता,

(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iii) 'अस्वच्छ' पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iv) कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(v) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना,

(vi) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन,

(vii) अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना, तथा

(viii) अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।

पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजनाएं:

(i) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(ख) और (ग) जी, हां। अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विकास की विभिन्न योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास की निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं जिनका विगत में आकलन किया गया है, का ब्यौरा तथा इन योजनाओं के बारे में दी गई सिफारिशें संलग्न विवरण-II में दिया गया है:—

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजनाएं:

(i) 'अस्वच्छ' पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iii) अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास, तथा

(iv) अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजनाएं:

(i) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(घ) और (ङ) किसी नई योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, मंत्रालय के सतत प्रयासों की वजह से, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के तहत परिव्यय की राशि को वर्ष 2012-13 में 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2013-14 में 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत परिव्यय की राशि को वर्ष 2012-13 में 625 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2013-14 में 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण-I

(i) अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4492.78	5159.59	9584.00	3577.00
2.	असम	662.97	0.00	1275.26	0.00
3.	बिहार	4857.64	3384.39	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	1025.78	1759.00	1027.00
5.	गुजरात	1070.41	769.88	1783.00	1064.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	1431.17	1671.44	1565.00	1366.00
8.	हिमाचल प्रदेश	660.14	817.11	1315.38	943.00
9.	जम्मू और कश्मीर	290.75	0.00	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	932.03	1108.42	1376.00
11.	कर्नाटक	2994.35	4144.44	6755.00	7398.00
12.	केरल	881.21	1130.30	1405.76	1012.00
13.	मध्य प्रदेश	4608.72	4371.16	6183.00	3063.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	1977.98	5613.00	2697.00
15.	मणिपुर	29.11	15.07	0.00	0.00
16.	ओडिशा	1261.37	2508.97	4707.00	2236.00
17.	पंजाब	1362.33	0.00	0.00	0.00
18.	राजस्थान	4301.05	3743.48	5727.00	3167.00
19.	सिक्किम	82.84	56.02	36.00	19.50
20.	तमिलनाडु	6786.56	8404.64	13116.00	6354.00
21.	त्रिपुरा	460.21	464.25	941.00	705.00

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश	16621.42	17484.48	11618.00	0.00
23.	उत्तराखंड	621.41	0.00	913.00	792.00
24.	पश्चिम बंगाल	5230.75	7578.93	11800.00	9069.00
25.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	46.77.00
26.	पुदुचेरी	20.31	0.00	0.00	0.00
	कुल	58727.50	65639.94	87204.82	45912.27

(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57023.48	64360.00	7900.78	0.00
2.	असम	504.99	1310.00	2447.26	1216.00
3.	बिहार	3472.07	5714.75	6234.04	2346.00
4.	छत्तीसगढ़	1207.79	4601.07	3129.30	1535.00
5.	गोवा	18.05	6.26	2.23	0.00
6.	गुजरात	5569.09	3599.08	5615.52	5283.00
7.	हरियाणा	3600	13702.47	1329.30	3669.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0	500.00	2931.73	926.00
9.	जम्मू और कश्मीर	100.00	359.05	67.60	0.00
10.	झारखंड	100	1045.93	82.68	0.00
11.	कर्नाटक	15718.32	11224.99	4830.98	0.00
12.	केरल	2400.00	0.00	0.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	6721.19	15311.66	9114.60	3128.00
14.	महाराष्ट्र	28161.01	45339.90	22755.90	3311.00

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	100	397.98	176.10	0.00
16.	मेघालय	0	14.30	13.52	6.00
17.	ओडिशा	2697.51	3974.64	344.17	0.00
18.	पंजाब	5814.58	5095.92	398.92	28081.00
19.	राजस्थान	3900	2982.32	6013.35	592.00
20.	सिक्किम	16.56	31.91	16.70	0.00
21.	तमिलनाडु	17847.6	14338.38	14239.39	2173.00
22.	त्रिपुरा	498.25	1171.82	1099.59	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	49804.19	50537.24	70817.35	50,000
24.	उत्तराखंड	2155.15	3376.54	1919.12	876.00
25.	पश्चिम बंगाल	2200	20738.22	3772.66	6000.00
26.	दमन और दीव	0	15.01	0.73	0.00
27.	दिल्ली	0	979.40	161.78	0.00
28.	पुदुचेरी	100	405.60	49.10	0.00
	कुल	209729.83	271134.44	165646.50	109142.00

(iii) 'अस्वच्छ' पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	880.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	109.89	0.00	0.00
3.	बिहार	117.59	122.89	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	170.73	226.25	69.19	0.00
5.	गोवा	0.50	2.61	0.00	0.00
6.	गुजरात	3658.52	3142.04	559.44	500.00

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	6.86	26.16	0.00
8.	कर्नाटक	0.00	87.91	0.00	0.00
9.	केरल	15.00	3.00	11.28	0.00
10.	मध्य प्रदेश	0.00	318.34	0.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	0.00	794.99	0.00	0.00
12.	ओडिशा	0.00	48.14	0.00	0.00
13.	पुदुचेरी	6.00	0.00	0.00	0.00
14.	पंजाब	112.07	34.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान	568.76	1354.41	318.00	0.00
16.	तमिलनाडु	236.00	55.89	0.00	0.00
17.	त्रिपुरा	41.70	42.26	12.73	0.00
18.	उत्तराखंड	1.00	0.00	0.00	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	39.90	15.68	0.00	0.00
	कुल	5847.77	6365.16	999.95	500.00

(iv) 'अस्वच्छ' कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता	
		2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11299.11	0.00
2.	बिहार	5467.24	6185.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	2475.00
4.	गोवा	2.31	0.00
5.	गुजरात	1155.74	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	862.44	0.00
7.	झारखंड	1202.87	0.00
8.	कर्नाटक	4781.30	2902.00
9.	केरल	1984.19	0.00
10.	मध्य प्रदेश	9695.44	0.00
11.	महाराष्ट्र	0.00	11334.00
12.	मणिपुर	9.11	0.00
13.	ओडिशा	4068.60	4677.00
14.	पंजाब	2154.53	3856.00
15.	राजस्थान	4396.23	0.00
16.	सिक्किम	8.02	0.00

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	4113.93	0.00
18.	त्रिपुरा	534.22	272.00
19.	उत्तर प्रदेश	29484.36	0.00
20.	उत्तराखंड	1597.18	1134.00
21.	पश्चिम बंगाल	10320.00	0.00
	कुल	93136.82	32835.00

(v) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केन्द्रीय सहायता							
		अनुसूचित जाति बालक छात्रावास				अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 की स्थिति के अनुसार)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.13 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	300.00	600	0	0	300.00
2.	असम	75	0	0	0	0	0	100	77.00
3.	बिहार	631.4	0	0	0	0	687.74	0	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	409.32	0	0	0	220.99	33.00
6.	हरियाणा	90	0	0	0	365	0	300	0
7.	हिमाचल प्रदेश	108.1	0	0	0	496.4	0	0	0
8.	झारखंड	0	0	100	0	45	0	200	0
9.	कर्नाटक	0	0	0	0	340	0	0	0
10.	केरल	60	0	0	0	0	200	0	0
11.	मध्य प्रदेश	168.6	0	0	0	342	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	567	1870	0	0	717.1	2427	100	180.00
13.	मणिपुर	0	0	123.81	0	0	0	51.61	486.00
14.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	पंजाब	0	90	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजस्थान	384	111	180	0	584	0	100	0
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	294	99	0	0	688.1	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	950	590	549.83	0	204.4	516.67	1098.4	917.00
20.	दिल्ली	0	0	0	0	9	0	0	0
21.	पुदुचेरी	100	0	0	0	0	0	0	100.00
	कुल	3428.1	2760	1410.00	300.00	4391	3831.41	2171.00	2093.00

(vi) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	642.99	402.76	730.23	2013.10
2.	बिहार	90.00	200.00	330.42	0.00
3.	छत्तीसगढ़	108.59	51.42	137.58	0.00
4.	गोवा	3.25	2.50	7.50	10.50
5.	गुजरात	303.32	510.67	827.14	287.54
6.	हरियाणा	136.18	240.25	164.27	266.92
7.	हिमाचल प्रदेश	29.00	59.41	61.45	0.00
8.	झारखंड	Nil	—	0.00	85.50
9.	कर्नाटक	674.36	—	944.83	0.00
10.	केरल	Nil	473.11	944.38	0.00
11.	मध्य प्रदेश	1869.09	2886.35	1336.22	1497.92
12.	महाराष्ट्र	869.79	681.36	995.27	1217.38
13.	ओडिशा	645.58	254.22	699.98	936.80

1	2	3	4	5	6
14.	पंजाब	114.70	152.68	0.00	0.00
15.	राजस्थान	175.40	198.29	583.93	926.47
16.	सिक्किम	6.40	—	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	176.77	494.67	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	—	0.75	0.75	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	960.98	435.30	1680.09	1314.75
20.	उत्तराखंड	—	—	0.00	43.14
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.49	—	0.00	0.00
22.	चंडीगढ़	15.00	20.00	0.00	5.00
23.	दादरा और नगर हवेली	60.00	56.52	43.84	0.00
24.	दमन और दीव	8.942	3.00	5.71	5.37
25.	पुदुचेरी	87.08	80.50	100.00	100.00
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	155.95	0.00
	कुल	6982.91	7203.76	9749.56	8710.39

(vii) अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2009-10	2010-11	2011-12	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	19.11	279.22	207.28	107.78
2.	असम	9	0	0	0
3.	बिहार	91.83	8.44	14.06	0
4.	गुजरात	0.65	25.44		15.75
5.	हरियाणा	23.9	44.47	22.78	8.37
6.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	6.68

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक	0	18.75	0	3.6
8.	केरल	0	22.46	30.58	20.68
9.	मध्य प्रदेश	1.28	23.4	0	59.20
10.	महाराष्ट्र	0	181.03	28.78	47.32
11.	मणिपुर	2.21	0	0	7.34
12.	ओडिशा	1.63	16.69	0	0
13.	पंजाब	17.5	11.41	0	14.13
14.	राजस्थान	12.19	39.53	0	13.68
15.	तमिलनाडु	0	16.01	137.4	177.70
16.	उत्तर प्रदेश	18.24	24.34	26.3	58.75
17.	पश्चिम बंगाल	76.27	0	145.96	56.87
18.	चंडीगढ़	0	63.08	0	0
19.	दिल्ली	5.92	168.75	83.3	165.55
	कुल	279.43	943.02	696.44	763.45

(viii) अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	88.80	44.40	0	0
2.	असम	13.80	3.45	3.45	0
3.	बिहार	43.75	43.80	0	0
4.	छत्तीसगढ़	21.60	12.26	10.94	0
5.	गुजरात	0	18.60	8.09	0
6.	हरियाणा	3.75	13.20	9.60	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.30	0

1	2	3	4	5	6
8.	झारखंड	7.00	0	0	0
9.	कर्नाटक	16.20	17.70	23.70	0
10.	केरल	4.77	3.85	6.00	0
11.	मध्य प्रदेश	3.72	58.80	58.80	0
12.	नागालैंड	0	12.00	12.00	0
13.	पंजाब	0	0	4.04	0
14.	राजस्थान	6.86	6.86	11.79	0
15.	सिक्किम	3.00	3.00	3.00	0
16.	त्रिपुरा	3.00	3.00	3.00	0
17.	उत्तर प्रदेश	73.18	6.56	39.71	0
18.	उत्तराखंड	0	10.46	2.55	0
19.	पश्चिम बंगाल	0	32.79	0	0
	कुल	289.43	290.74	196.97	0

(ix) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	340.00	$	318.00	$	318.00	318.00	984.00	$
2.	बिहार	367.00	$	390.00	131.67	390.00	174.24	1206.00	1206.00
3.	छत्तीसगढ़*	90.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	296.00	0.00
4.	गोवा	6.00	$	6.00	$	6.00	$	18.00	18.00
5.	गुजरात	227.00	227.00	227.00	288.00	227.00	113.50	702.00	351.00
6.	हरियाणा*	93.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	295.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	30.00	25.25	26.00	103.00	26.00	13.00	80.00	40.00
8.	जम्मू और कश्मीर	40.00	$	47.00	$	47.00	$	145.00	$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	झारखंड	115.00	31.45	124.00	$	124.00	68.55	384.00	$
10.	केरल	135.00	$	125.00	125.00	125.00	383.24	710.00	388.00
11.	कर्नाटक	238.00	238.00	230.00	115.00	230.00	115.00	388.00	355.00
12.	मध्य प्रदेश*	270.00	0.00	273.00	0.00	273.00	0.00	844.00	0.00
13.	महाराष्ट्र*	428.00	0.00	422.00	0.00	422.00	0.00	1306.00	0.00
14.	ओडिशा	167.00	140.00	157.00	157.00	157.00	137.46	487.00	440.46
15.	पंजाब	100.00	100.00	104.00	$	104.00	$	322.00	322.00
16.	राजस्थान	245.00	245.00	258.00	309.65	258.00	258.00	797.00	398.50
17.	तमिलनाडु	280.00	846.00	271.00	135.00	271.00	309.66	838.00	838.00
18.	उत्तर प्रदेश	734.00	2241.00	750.00	2237.00	750.00	2293.26	2320.00	2320.00
19.	उत्तराखंड	40.00	117.00	38.00	113.00	38.00	116.09	117.00	58.50
20.	पश्चिम बंगाल	354.00	88.64	343.00	86.91	343.00	$	1061.00	119.73
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.00	$	11.00	$	11.00	35.09	11.00	$
22.	दादरा और नगर हवेली*	11.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
23.	दमन और दीव	12.00	21.69	11.00	11.00	11.00	13.86	11.00	5.50
24.	चंडीगढ़	53.00	$	61.00	$	61.00	$	61.00	$
25.	दिल्ली	93.00	$	93.00	59.06	93.00	50.56	93.00	$
26.	पुदुचेरी	7.00	$	7.00	$	7.00	$	7.00	$
27.	असम	410.00	32.65	409.00	$	409.00	154.00	1228.00	$
28.	मणिपुर	34.00	68.36	35.00	17.00	35.00	$	106.00	$
29.	त्रिपुरा	49.00	49.00	47.00	167.75	47.00	147.50	142.00	71.00
30.	सिक्किम	7.00	$	8.00	12.75	8.00	$	24.00	24.00
	कुल	4999.00	4471.04	4999.00	4068.79	4999.00	4701.01	15000.00	6955.69

*उपयोग नहीं कर रहे हैं।

$प्रस्ताव प्राप्त नहीं/अपूर्ण प्रस्ताव।

(x) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1221.00	1693.00	3545.00	4615.72	4144.00	6178.00	5980.00	2600.00
2.	बिहार	1330.00	4861.88	4344.00	5656.17	5079.00	4715.83	7328.00	3375.00
3.	छत्तीसगढ़*	333.00	*	1067.00	*	1248.00	*	1800.00	*
4.	गोवा	21.00	41.00	63.00	78.14	73.00	94.37	106.00	#
5.	गुजरात	813.00	745.19	2528.00	1334.00	2955.00	2495.29	4264.00	2358.27
6.	हरियाणा	338.00	71.56	1063.00	1378.07	1243.00	707.17	1793.00	811.00
7.	हिमाचल प्रदेश	98.00		289.00	74.00	338.00	245.23	487.00	@
8.	जम्मू और कश्मीर	162.00	368.00	523.00	307.49	612.00	$	882.00	$
9.	झारखंड	433.00	1385.00	1381.00	1798.16	1615.00	2663.81	2330.00	1650.42
10.	कर्नाटक	848.00	1000.00	2557.00	2540.35	2990.00	2973.35	4314.00	505.29
11.	केरल	510.00	$	1398.00	1398.00	1634.00	2628.44	2358.00	1941.00
12.	मध्य प्रदेश	968.00	3534.87	3038.00	3955.76	3552.00	5859.39	5125.00	2255.00
13.	महाराष्ट्र	1553.00	5677.11	4704.00	6124.90	5500.00	9072.32	7935.00	5441.14
14.	ओडिशा	590.00	0.00	1754.00	1114.00	2050.00	1740.00	2958.00	1986.77
15.	पंजाब	391.00	391.00	1159.00	$	1355.00	1355.00	1956.00	$
16.	राजस्थान	906.00	1982.00	2871.00	3232.27	3357.00	2838.54	4843.00	1981.00
17.	तमिलनाडु	1000.00	2344.68	3018.00	3180.80	3528.00	3153.68	5090.00	2306.00
18.	उत्तर प्रदेश	2664.00	9742.02	8354.00	10877.22	9766.00	16109.72	14092.00	12964.64
19.	उत्तराखंड	136.00	504.54	423.00	550.68	494.00	815.00	713.00	274.00
20.	पश्चिम बंगाल	1285.00	380.55	3821.00	1041.00	4467.00	904.26	6446.00	3329.92
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.00	$	11.00	$	11.00	16.91	11.00	$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	दादरा और नगर हवेली*	9.00	*	17.00	*	17.00	*	17.00	$
23.	दमन और दीव	9.00	1.89	11.00	3.17	11.00	5.68	11.00	
24.	चंडीगढ़	40.00	$	61.00	$	61.00	3.98	61.00	
25.	दिल्ली	70.00	$	93.00	93.00	93.00	86.64	93.00	
26.	पुदुचेरी	5.00	$	7.00	7.00	7.00	76.80	7.00	
27.	असम	1433.00	253.43	4422.00	2653.00	5159.00	1285.00	7370.00	
28.	मणिपुर	118.00	140.49	383.00	202.00	446.00	$	638.00	
29.	त्रिपुरा	172.00	202.00	510.00	548.80	595.00	591.00	850.00	213.00
30.	सिक्किम	27.00	12.36	85.00	35.72	100.00	70.99	142.00	#
	कुल	17501.00	35332.57	53500	52799.42	62500.00	66686.40	9000.00	43992.45

*उपयोग नहीं कर रहे हैं।

#डीबीटी के तहत सभी जिलों का चयन किया गया है।

$प्रस्ताव प्राप्त नहीं/अपूर्ण प्रस्ताव

(xi) अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	290.00	$	281.00		270.00		195.00	$
2.	बिहार	315.00	$	345.00		331.00	$	239.00	
3.	छत्तीसगढ़	80.00	$	85.00		81.00		56.00	350.00
4.	गोवा	40.00		5.00		5.00		3.00	
5.	गुजरात	195.00	490.00	200.00		193.00	123.50	139.00	
6.	हरियाणा*	85.00	210.00	84.00		81.00		58.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	40.00	$	23.00	$	22.00		16.00	
8.	जम्मू और कश्मीर	40.00		42.00		40.00		29.00	
9.	झारखंड	105.00	121.41	110.00		105.00		76.00	
10.	कर्नाटक	205.00	205.00	110.00		107.00	$	141.00	
11.	केरल	125.00	119.00	203.00		195.00		77.00	
12.	मध्य प्रदेश	240.00	775.00	241.00	210.00	232.00		167.00	
13.	महाराष्ट्र	370.00	$	373.00	$	358.00		259.00	
14.	ओडिशा	140.00	72.79	139.00	69.50	134.00	119.50	96.00	
15.	पंजाब	90.00	$	92.00	$	88.00	$	64.00	$
16.	राजस्थान	220.00	210.00	228.00		219.00		158.00	
17.	तमिलनाडु	240.00	236.25	239.00	225.00	230.00	207.00	166.00	
18.	उत्तर प्रदेश	640.00		663.00	431.79	637.00		459.00	
19.	उत्तराखंड	40.00		34.00	124.60	32.00		23.00	
20.	पश्चिम बंगाल	300.00		303.00		291.00		210.00	
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह							550.00	
22.	दादरा और नगर हवेली								
23.	दमन और दीव	200.00	$	200.00	$	350.00	$		
24.	चंडीगढ़								
25.	दिल्ली								
26.	पुदुचेरी								
27.	असम	375.00		410.00	126.00	410.00		203.00	
28.	मणिपुर	40.00	140.00	35.00		35.00	126.00	18.00	
29.	त्रिपुरा	45.00	$	47.00	$	47.00	$	23.00	280.00
30.	सिक्किम	40.00		8.00		8.00		4.00	0.00
	कुल	4500.00	2579.45	4500.00	1186.89	4500.00	576.00	3432.13	630.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विश्वविद्यालय									
1.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय				140.00				
2.	हैदराबाद विश्वविद्यालय						140.00		
3.	मणिपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय				140.00				
4.	एमजीएएचवी वर्धा महाराष्ट्र						70.00		
5.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय				70.00				
6.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय						140.00		
7.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय				70.00				
8.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़						280.00		
9.	सीआईपीईटी, जयपुर						270.00		
	कुल				1606.89		1476.00		

$प्रस्ताव प्राप्त नहीं/अपूर्ण प्रस्ताव।

विवरण-II

I. 'अस्वच्छ' पेशों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति :

प्रमुख सिफारिशें :

1. अस्वच्छ पेशों में लगे परिवारों में जिला प्रशासकों तथा स्थानीय निकायों द्वारा जागरुकता पैदा करनी चाहिए।

2. छात्रवृत्ति की मासिक राशि बढ़ाई जाए तथा इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाए।

3. अस्वच्छ पेशों में लगे छात्रों के कल्याण हेतु पर्याप्त संख्या में शैक्षिक संस्थान स्थापित किए जाएं।

4. सूक्ष्म-ऋण के माध्यम से आय सृजनकारी कार्यकलापों को आरंभ करके अस्वच्छ पेशों में लगे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

5. छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने में होने वाले विलंब पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

II. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रमुख सिफारिशें :

प्रमुख सिफारिशें :

1. अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रवृत्ति अनुदान जारी किया जाए तथा छात्रों को प्रत्येक माह छात्रवृत्ति दी जाए।

2. छात्रवृत्ति प्रक्रिया सरल बनाई जाए।

3. संस्था को आवेदन-पत्र भरने में उपयुक्त दिशा-निर्देश देने चाहिए तथा जाति-प्रमाण-पत्र की मांग प्रत्येक वर्ष नहीं की जानी चाहिए।

4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दर बढ़ाई जाए।

III. अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास :

प्रमुख सिफारिशें :

1. छात्रावास भवन सुगम पहुंच वाले एवं सुरक्षित स्थानों पर अवस्थित होने चाहिए।

2. छात्रों के चयन में योग्यता आधार होनी चाहिए।

3. सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा सभी छात्रावासों को प्रदान की जानी चाहिए।

4. स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डॉक्टरों को यह निर्देश दिया जाए कि वे छात्रों की आवधिक चिकित्सा जांच हेतु अपनी सेवाएं दें।

IV. अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता :

1. सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करने के वित्तीय मानकों में संशोधन तथा प्रक्रियागत सुधार शामिल हों।

V. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति :

प्रमुख सिफारिशें :

1. योजना का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक वित्तीय परिव्यय की सहायता से अधिक संख्या में लाभार्थियों को सुविधा मिल सके।

2. संगठनों को किस्तों की राशि यथा समय प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।

3. प्रभावी जागरुकता तथा सुग्राहीकरण अभियान चलाए जाएं।

4. लाभार्थियों की वित्तीय आवश्यकता समय पर पूरा करने के लिए इन्हें तीन महीने या कम से कम अर्द्धवार्षिक आधार पर योजना राशि का भुगतान किया जाए।

5. योजना की डिलीवर प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी तथा प्रभावकारी होनी चाहिए।

6. दिवा छात्रों एवं छात्रावास में रहने वालों के लिए योजनागत छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाए।

7. प्रबंधन समिति में छात्रों के माता-पिता तथा अभिभावकों को शामिल किया जाए।

VI. अन्य पिछड़ें वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:

प्रमुख सिफारिशें:

1. एकल योजना अन्य पिछड़े वर्गों की योजनाओं की संख्या के बदले मौजूदा वास्तविकताओं के आधार पर तैयार करनी चाहिए।

2. छात्रवृत्ति की राज्य योजनाएं आमेलित की जाएं तथा राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी के आकार एवं छात्रवृत्तियों के प्रति राज्य बजट के आधार पर अनुदान आवंटित किए जाएं।

3. पक्षपात को रोकने के लिए लाभार्थियों के चयन की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत करने हेतु उपयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएं।

4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का उपयुक्त रूप से क्रियान्वयन करने हेतु राज्य एवं जिला स्तरों पर उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र का सुझाव दिया जाए।

VII. अन्य पिछड़े वर्गों के बालक तथा बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण :

प्रमुख सिफारिशें :

1. छात्रावास भवन सुगम पहुंच वाले एवं सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए तथा वहां पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

2. विद्यालय/महाविद्यालय तथा छात्रावास के परस्पर हितलाभ हेतु आस-पड़ोस के विद्यालयों/महाविद्यालयों से वार्डन संलग्न हो।

3. विभिन्न राज्यों में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाई/लागू की जाएं।

4. छात्रावासों में छात्रों के चयन में योग्यता के मानक को ध्यान में रखना होगा।

5. छात्रावासों के विकासात्मक कार्यकलापों में भागीदारी करने हेतु छात्र बोर्डरों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

6. लोक परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कोचिंग प्रदान करने की सुविधा सभी छात्रावासों को दी जाएं।

7. स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर को यह निर्देश दिया जाए कि वे रहने वालों की आवधिक चिकित्सा जांच हेतु अपनी सेवाएं दें।

खुले बाज़ार में कोयले की अवैध बिक्री

*75. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री यशवीर सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कतिपय निजी कोयला कंपनियां कोयले की बिक्री के संबंध में सरकार के साथ किए गए समझौतों का उल्लंघन करते हुए खुले बाज़ार में अवैध रूप से कोयले की बिक्री कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उल्लंघन के लिए इन कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसार केप्टिव प्रयोग हेतु आवंटित कोयला ब्लॉकों से कोयले के विक्रय का कोई प्रावधान नहीं है। उल्लंघन के मामले में, सरकार ब्लॉक का आवंटन रद्द करने सहित आवंटिती कंपनी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करती है। केप्टिव प्रयोग हेतु मैसर्स सेन्ट्रल कोलियरीज कंपनी लि. (एक निजी कंपनी) को आवंटित टकली जेना बेल्लोरा (साउथ पार्ट) कोयला ब्लॉक के मामले में, खुले बाजार में कोयले की बिक्री के बारे में सरकार को सूचित किया गया था उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद सरकार ने उक्त ब्लॉक के खनन पट्टे को अमान्य घोषित कर दिया है।

[हिन्दी]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी

***76. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे पता चले मामलों, जब्त किए गए पशुओं और गिरफ्तार किए गए तस्करों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी नहीं होती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवंबर 2013 तक) के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर ऐसे मामलों की संख्या, जब्त किए गए पशुओं और पकड़े गए पशु तस्करों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	जब्त किए किए गए पशुओं से संबंधित मामलों की संख्या	जब्त किए गए पशुओं की संख्या	पकड़े गए पशु तस्करों की संख्या
2010	6633	101381	287
2011	7199	135291	411
2012	11998	120724	395
2013 (नवंबर तक)	14097	115351	396

(ग) सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी की संभावना वाली सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता की माप की गई है। पशु तस्करी के मामले में सुभेद्य 23 सीमा चौकियों की पहचान की जा चुकी है (विवरण के रूप में सूची संलग्न है)। अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों एवं अन्य अवसंरचना संबंधी सहायता के द्वारा इन सीमा चौकियों को मजबूती प्रदान की गई है।

(ii) सीमाओं को चौबीसों घंटे निगरानी, अर्थात् गश्त, नाका लगाने, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर निगरानी चौकियों की स्थापना और सीमा चौकियों की मौजूदा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के माध्यम से सीमाओं पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखना।

(iii) संपूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना।

(iv) भारत-बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था (फ्लड लाइट्स) करना।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी वाले क्षेत्र में आधिपत्य के लिए जलयानों (वाटर क्राफ्ट्स) नौकाओं और तैरने वाली सीमा चौकियों का प्रयोग।

(vi) लंबी दूरी सर्वेक्षण एवं निगरानी प्रणाली (एलओआर आरओएस), युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (सीएफएसआर), हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), रात्रि दृश्य उपकरण/चश्मा (एनवीडी/एनवीजी) आदि जैसे बल वर्धक एवं उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों के प्रयोग की शुरूआत करना।

(vii) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन एवं संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय।

(viii) सीमा पर विशेष अभियानों का संचालन।

(ix) सीमा पर प्रभावी आधिपत्य का पर्यवेक्षण करने के लिए यूनिट के कमांडेंटों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा का बार-बार दौरा करना।

(x) सीमा प्रहरी बांग्लादेश के साथ बेहतर समन्वय के साथ-साथ इन क्षेत्रों में समन्वित गश्त करना।

(xi) उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदी वाले/पहाड़/सुभेद्य हिस्सों में सीमा चौकियों की संख्या में वृद्धि के लिए 2 फ्रंटियर मुख्यालयों, 3 सेक्टर मुख्यालयों और 16 बटालियनों की मंजूरी दी है।

विवरण

23 अत्यधिक सुभेद्य सीमा चौकियां (भारत-बांग्लादेश सीमा)

क्र. सं.	फ्रंटियर	सेक्टर मुख्यालय	सीमा चौकी
1	2	3	4
1.			घोजाडांगा
2.			पानीतर
3.			सोदेपुर
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पी.जे. नगर
5.			खालसी
6.			अमुदिया
7.			हरिदासपुर
8.			अंगरैल
9.		बेहरामपुर	हरुडांगा
10.			कहरपारा
11.			निर्मलचार
12.			राजानगर
13.			सिंहपारा
14.	मालदा	मालदा	सोवापुर
15.			चुरिअंतपुर
16.			दौलतपुर
17.		रायगंज	भीमपुर
18.	उत्तर बंगाल	जलपाईगुड़ी	चंग्रबंदा
19.			बी.एस. बारी
20.		फलकटा	फुलबारी
21.	गुवाहाटी	धुबरी	एम.एम. चार
22.		कूचबिहार	गोनापारा
23.			कालामाथी

[अनुवाद]

घरेलू नौकरों के प्रति अपराध

***77. श्री शिवराम गौडा :**
श्री बी.वाई राघवेन्द्र :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घरेलू नौकरों को यातना दिए जाने और उनकी हत्या किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2010, 2011, 2012 और 2013 (दिनांक 15.11.2013 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज घरेलू नौकरों के प्रति अपराधों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

2010

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए	हल किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	दोषसिद्ध किए गए	दोषमुक्त किए गए	लंबित विचारण	लंबित जांच	रिहा किए गए
बलात्कार	4	3	7	7	0	3	4	0	0
हत्या	1	1	1	1	0	0	1	0	0
अपहरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हत्या का प्रयास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला से छेड़छाड़	1	1	2	2	0	0	2	0	0
चोट पहुंचाना	1	1	2	2	2	0	0	0	0
अन्य आईपीसी	2	2	2	2	0	1	0	0	0
किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल मजदूर	12	12	19	19	6	1	12	0	0
बंधुआ मजदूर अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए	हल किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	दोषसिद्ध किए गए	दोषमुक्त किए गए	लंबित विचारण	लंबित जांच	रिहा किए गए
बलात्कार	10	9	10	10	1	6	3	0	0
हत्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अपहरण	2	0	0	0	0	0	0	0	0
हत्या का प्रयास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला से छेड़छाड़	4	4	8	8	0	1	7	0	0
चोट पहुंचाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य आईपीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल मजदूर	12	12	23	23	0	0	23	0	0
बंधुआ मजदूर अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य अधिनियम	1	1	2	2	0	0	2	0	0

2012

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए	हल किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	दोषसिद्ध किए गए	दोषमुक्त किए गए	लंबित विचारण	लंबित जांच	रिहा किए गए
बलात्कार	9	9	12	12	0	5	7	0	0
हत्या	1	1	1	1	0	0	1	0	0
अपहरण	2	1	4	0	0	0	0	4	0
हत्या का प्रयास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला से छेड़छाड़	1	1	1	1	0	1	0	0	0
चोट पहुंचाना	4	2	6	5	0	0	5	0	1
अन्य आईपीसी	7	7	17	17	0	1	16	0	0
किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल मजदूर	32	32	60	56	0	1	55	4	0
बंधुआ मजदूर अधिनियम	2	2	2	2	0	0	2	0	0
अन्य अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 (दिनांक 15.11.2013 तक)

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए	हल किए गए	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	चालान किए गए	दोषसिद्ध किए गए	दोषमुक्त किए गए	लंबित विचारण	लंबित जांच	रिहा किए गए
बलात्कार	21	15	15	10	0	1	9	5	0
हत्या	2	1	2	0	0	0	0	2	0
अपहरण	2	1	2	0	0	0	0	2	0
हत्या का प्रयास	1	1	2	2	0	0	2	0	0
महिला से छेड़छाड़	2	0	0	0	0	0	0	0	0
चोट पहुंचाना	3	3	9	9	0	0	9	0	0
अन्य आईपीसी	9	9	14	5	0	0	5	9	7
किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल मजदूर	29	24	38	13	0	0	13	25	0
बंधुआ मजदूर अधिनियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य अधिनियम	2	1	2	0	0	0	0	2	0

घरेलू नौकरों के प्रति अपराधों की शिकायतों की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

घरेलू नौकरों के प्रति आपराधिक मामलों की किसी शिकायत के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों को भी सुग्राही बनाया जाता है ताकि ऐसी शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा तुरंत और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब तक, वर्ष 2013 के दौरान (दिनांक 15 नवंबर, 2013 तक) प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध दर्ज 20 मामलों में 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

[हिन्दी]

कोयले के भंडार

*78. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला उत्पादक राज्यों में वर्तमान में कितना कोयला भंडार उपलब्ध है और उसका मूल्य क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु इन भंडारों से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भंडारों से कोयला निकालने के लिए अन्य विकसित देशों से तकनीकी सहायता मांगने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक इन देशों द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय कोयला संसाधनों से संबद्ध नवीनतम राष्ट्रीय सूची के अनुसार 01.04.2013 को देश में कुल मूल्यांकित कोयला संसाधन लगभग 2,98,914 मिलियन टन हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

गोंदवाना कोलफील्ड्स

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	योग
1	2	3	4	5
असम	0.00	2.79	0.00	2.79
आंध्र प्रदेश	9604.46	9553.91	3048.59	22206.96
झारखंड	41155.36	32986.36	6559.47	80701.19
बिहार	0.00	0.00	160.00	160.00
मध्य प्रदेश	9817.61	12354.80	2888.76	25061.17
छत्तीसगढ़	14779.18	34106.61	3283.25	52169.04
महाराष्ट्र	5667.48	3186.35	2110.21	10964.04
ओडिशा	27283.74	37110.19	9316.08	73710.01
सिक्किम	0.00	58.25	42.98	101.23
उत्तर प्रदेश	884.04	177.76	0.00	1061.8
पश्चिम बंगाल	13395.95	12995.28	4891.96	31283.19
टर्शियरी कोलफील्ड्स				
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	15.41	86.75
असम	464.78	42.72	6.50	514
मेघालय	89.04	16.51	470.93	576.48
नागालैंड	8.76	0.00	306.65	315.41
कुल	123181.63	142631.64	33300.79	298914.06

विस्तृत खनन योजनाओं/परियोजना रिपोर्टों की तैयारी पर ही कोयला भंडारों की लागत का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ख) से (घ) संगठित प्रयासों से देश में कोयले का उत्पादन 10वीं योजना के अंतिम वर्ष 2006-07 में 430 मि.ट. से बढ़कर 11वीं योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में 540 मि.ट. हो गया है। 12वीं योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में कोयले का उत्पादन 795 मि.ट. तक पहुंच जाने की संकल्पना की गई है। उत्पादन के प्राय: 70% की आपूर्ति विद्युत क्षेत्र को की जा रही है।

इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

— कोयला पीएसयू-सीआईएल तथा एससीसीएल में नई परियोजनाएं शुरू करने पर बल देना।

— माइन डेवलपर ऑपरेशन (एमडीओ) मार्ग/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई परियोजनाएं विकसित करना।

– जहां संभव हो, मौजूदा तथा चल रही परियोजनाओं का विस्तार।

– जहां संभव हों, मौजूदा खानों का पुनर्गठन।

– अधिक उत्पादन वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

– उच्च क्षमता वाली हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) को अपनाना।

– कोयला निकासी में सुधार तथा कोयले की ढुलाई के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना।

– कोलफील्डों में अभिज्ञात महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए रेलवे के साथ निरन्तर संपर्क साधना।

– पर्यावरणीय/वानिकी मंजूरी; भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर मुद्दों काद समाधान निकालने के लिए केन्द्र और राज्य स्तरीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना।

– कुछ कोलफील्डों में कानून व्यवस्था के मुद्दों का समाधान निकालने हेतु राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क साधना।

– चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी।

– विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित केप्टिव कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाना तथा उनकी निगरानी करना।

– सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉक का आबंटन।

जहां कहीं वैश्विक खनन कंपनियां भाग ले सकती हैं तथा अर्हता प्राप्त करने पर कोयला कंपनियों ने माइन डेवलपर ऑपरेशन (एमडीओ) मार्ग के जरिए अपनी कुछ खानों का विकास करने की पहल की हैं, वहां उपयुक्त खनन प्रौद्योगिकी के साथ कोयला संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास

***79. श्री वैजयंत पांडा : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार और उसके विकास के लिए कुछ अन्य विशेष योजनाओं और उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में अवसंरचना विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और इन परियोजनाओं की अनुमोदित लागत का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या	अनुमोदित लागत	संख्या	अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	29	325.24	15	196.52	9	145.59	11	159.76
2.	असम	36	392.89	17	156.18	38	347.77	24	275.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मणिपुर	20	1630.79	14	88.68	4	23.45	1	46.20
4.	मेघालय	10	93.48	7	161.86	4	27.74	1	2.15
5.	मिजोरम	17	146.93	16	139.46	8	88.29	5	46.08
6.	नागालैंड	8	147.46	24	181.42	5	78.63	4	53.89
7.	सिक्किम	10	105.90	7	80.57	7	127.35	4	50.09
8.	त्रिपुरा	20	187.82	6	72.45	6	69.49	1	9.68
	उप-योग	150	1530.51	106	1077.14	81	908.31	51	643.07
9.	बीटीसी पैकेज	11	130.18	5	80.00	3	46.16	—	—
	कुल	161	1660.69	111	1157.14	84	954.47	51	643.07

इसके अलावा पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी), शिलांग द्वारा 2838.67 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित लागत से विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए अवसंरचनात्मक विकास के लिए 251 परियोजनाएं-अरुणाचल प्रदेश (52), असम (25), मणिपुर (37), मेघालय (24) मिजोरम (33), नागालैंड (37), सिक्किम (24), त्रिपुरा (14) और अन्य एजेंसियां (5) — आरंभ की गई हैं।

(ख) और (ग) एनएलसीपीआर और एनईसी के तहत डोनर मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अलावा केन्द्र सरकार के संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों ने भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए परियोजनाएं आरंभ की थीं। इसके अलावा योजना आयोग भी राज्य योजना के तहत राज्य सचिवालय विधान सभा भवनों, उच्च न्यायालय भवनों, स्टेडियमों, सिंचाई और जलापूर्ति, विद्युत संवितरण, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि जैसी राज्य विशिष्ट प्राथमिकता परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए पर्याप्त विशेष योजना सहायता प्रदान करता रहा है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं की समीक्षा और उनका त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन भी किया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने विशेषकर सड़क, रेल, हवाई अड्डा, अंर्देशीय जल परिवहन, दूरसंचार नेटवर्क और विद्युत से जुड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति भी गठित की है। सचिव, योजना आयोग; अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; सचिव, रक्षा मंत्रालय; सचिव, नागर विमानन मंत्रालय; अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण (जहाजरानी मंत्रालय); सचिव, विद्युत मंत्रालय; सचिव, दूरसंचार मंत्रालय; सचिव, डोनर मंत्रालय और महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन इस समिति के सदस्य हैं।

कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

***80. श्री जगदीश ठाकोर :**
श्री एम.के. राघवन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान खरीफ और रबी की फसलों हेतु कृषि वस्तुओं के उच्चतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए विभिन्न कृषक संघों और अन्य हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन अनुरोधों परद क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त फसलों हेतु अब तक घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिचौलियों के बिना कृषि वस्तुओं की खरीद सीधे अपनी एजेंसियों के माध्यम से करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त समर्थन मूल्य मिले?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) विभिन्न कृषक संगठनों एवं राज्य सरकारों से समय-समय पर अभ्यावेदन पत्र प्राप्त हुए

है जिसमें विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में बढ़ोत्तरी के बारे में अनुरोध किया गया है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों सहित विभिन्न पणधारियों से परामर्श करता है। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप लेने से पहले आयोग की रिपोर्ट को संबंधित सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके विचारों के लिए भेजा जाता है। तत्पश्चात्, सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करती है।

(ग) 2011-12 से घोषित मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि जिन्सों के लिए मूल्य समर्थन संचालन करती है यथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ), केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्लूसी), लघु कृषक कृषि व्यापार संकाय (एसएफएसी), भारतीय कपास निगम (सीसीआई) तथा भारतीय पटसन निगम (जेसीआई)। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय एजेन्सियां भी प्रापण संचालन करती है। विनिर्दिष्ट केन्द्रों में बिक्री के लिए प्रस्तुत निर्धारित विशेष विशिष्टताओं के अनुरूप खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि जिन्सों की खरीद उन किसानों से प्रत्यक्ष रूप से इन सार्वजनिक प्रापण एजेंसियों द्वारा की जाती है जिनके पास खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए विकल्प भी है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5
खरीफ फसलें				
धान	सामान्य	1080	1250	1310
	ग्रेड ए	1110	1280	1345
ज्वार	हाईब्रिड	980	1500	1500
	मालदांढी	1000	1520	1520
बाजरा		980	1175	1250
मक्का		980	1175	1310
रागी		1050	1500	1500
अरहर (तूर)		3200 &	3850	4300
मूंग		3500 &	4400	4500
उड़द		3300 &	4300	4300
कपास	मध्यम स्टेपल	2800	3600	3700
	लंबा स्टेपल	3300	3900	4000

1	2	3	4	5
मूंगफली छिलके सहित		2700	3700	4000
सूरजमुखी के बीज		2800	3700	3700
सोयाबीन	काला	1650	2200	2500
	पीला	1690	2240	2560
तिल		3400	4200	4500
रामतिल		2900	3500	3500
रबी फसलें				
गेहूं		1285	1350	1400
जौ		980	980	1100
चना		2800	3000	3100
मसूर (लेन्टिल)		2800	2900	2950
रेपसीड/सरसों		2500	3000	3050
कुसुम्भ		2500	2800	3000
अन्य फसलें				
कोपरा	मिलिंग	4525	5100	5250
	बाल	4775	5350	5500
छिलका रहित नारियल		1200	1400	1425
पटसन		1675	2200	2300
गन्ना#		145.00	170.00	210.00

टिप्पणी: &कटाई/दो महीने की आगमन अवधि के दौरान अधिप्रापण एजेंसियों को बेचे गये खरीफ दलहनों के संबंध में 500 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देय।

#उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)।

सीआईएल के लिए वेतन प्रस्ताव

691. **श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यकारियों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर मंत्रालय-वार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) कार्य निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के भुगतान के विचारित दिशानिर्देशों और मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) एक प्रशासनिक विभाग है। धारक कंपनी अर्थात् सीआईएल के पूर्व कर लाभ के आधार पर कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के कार्यपालकों के लिए पीआरपी प्रस्ताव पर सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा विचार-विमर्श किया गया है जिसमें व्यय विभाग का भी प्रतिनिधित्व है। सीओएस की बैठक 09.10.2013 को आयोजित की गई, जिसमें यह सहमति हुई थी कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 की सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा उठाए गए इस मामले पर कठिनाईयों की जांच करने के बाद सीओएस द्वारा इस मामले पर आगे चर्चा की जायेगी।

[हिन्दी]

गन्ने का मूल्य निर्धारण

692. **श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (आईएसएमए) ने सरकार से गन्ने के मूल्य निर्धारण हेतु रंगराजन समिति के सूत्र को अपनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ना किसानों को बकाए का भुगतान नहीं करने वाली शुगर मिलों पर कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (इस्मा) ने दिनांक 12.09.2013 के अपने अभ्यावेदन में सरकार से अनुरोध किया है कि डॉ. रंगराजन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु राजस्व भागीदारी मॉडल को शुरू करे।

(ग) और (घ) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत गन्ना मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिन के भीतर हो जाना चाहिए जिसके न होने पर 14 दिन से अधिक लंबित अवधि के लिए देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय है। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के पास निहित हैं और प्रदत्त की गई हैं, जिनके पास आवश्यक फील्ड संघठन हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने कानून के अनुसार दोषी चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई कर ली है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा देना

693. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा देने का अनुमोदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से ऐसे कितने कार्मिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से सेवानिवृत्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक (भूतपूर्व सीएपीएफ कार्मिक) के रूप में घोषित करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को दिनांक 1.11.2012 को मंजूरी दे दी है। उपर्युक्त दर्जा भूतपूर्व सीएपीएफ-कार्मिकों को बेहतर पहचान एवं सामुदायिक मान्यता प्रदान करेगा जिससे उन्हें समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा और गौरव हासिल हो सकेगा। "भूतपूर्व-सीएपीएफ" का दर्जा रक्षा बलों के "भूतपूर्व-सैनिक" के दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। भूतपूर्व-सीएपीएफ कार्मिकों के इस दर्जे के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें रक्षा बलों के भूतपूर्व-सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों की तर्ज पर उन्हें उपयुक्त लाभ प्रदान कर सकती हैं।

विश्व खाद्य दिवस

694. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यसूची क्या थी तथा इसके अंतर्गत क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना को उपलक्ष्य में और भोजन, पोषण तथा भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष के बारे में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 अक्तूबर को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2013 की विषयवस्तु थी "खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सततधारणीय खाद्य प्रणालियां" देश भर में विश्व खाद्य दिवस 2013 को मनाने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों सहित भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अन्य हितधारकों के परामर्श से कार्यक्रमों/बैठकों/संगोष्ठियों का आयोजन करने का अनुरोध किया गया था। विश्व खाद्य दिवस 2013 के अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री के हस्ताक्षर से एक राष्ट्रीय संदेश भी राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय से भी नागरिकों के बीच विश्व खाद्य दिवस 2013 की विषयवस्तु के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कृषि मंत्रीजी का संदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

695. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद् (एनआईसी) में सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितियों को शामिल/हटाने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) इस समय राष्ट्रीय एकता परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है; और

(ग) क्या मुज़फ्फरपुर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों तथा महिलाओं के प्रति अपराधों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो कितने सदस्यों ने बैठक में भाग लिया; और

(ङ) बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा किन मुद्दों पर आम सहमति बनी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद को दिनांक 23.09.2013 को आयोजित परिषद् की 16वीं बैठक के पहले पुनर्गठित किया गया था ताकि सभी श्रेणियों के प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष ने अंतिम सूची को सम्यक् रूप से अनुमोदित किया।

(ख) मौजूदा राष्ट्रीय एकता परिषद् में कुल 144 सदस्य हैं।

(ग) राष्ट्रीय एकता परिषद् की 16वीं बैठक सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दों, सांप्रदायिक झगड़ों का सामना करने के लिए विश्वास निर्माण संबंधी उपायों, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के उपायों तथा उनके लिए विकास योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कानूनों, अंतर्जातीय तनाव को दूर करने में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए चर्चा करने हेतु बुलाई गई थी।

(घ) राष्ट्रीय एकता परिषद् के कुल 76 सदस्यों के भाग लेने की सूचना है।

(ङ) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दों, सांप्रदायिक झगड़ों से निपटने के लिए विश्वास निर्माण संबंधी उपायों, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों/अत्याचारों से निपटने और उनके लिए विकास स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन पर चर्चा की। इस बैठक में हिंसा की निंदा करने, सभी संप्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सभी उपाय करने, कानून के कार्य ढांचे के भीतर लोगों के बीच मतभेदों और विवादों का निराकरण करने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करने, यौन शोषण की निंदा करने और यह सुनिश्चित करने की सभी महिलाओं को समान अवसरों केर साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए स्वतंत्रता के फल मिलते हैं, तथा दिन या रात में किसी भी समय सार्वजनिक स्थानों में उनकी आवा-जाही को सुरक्षित करने के लिए संकल्प पारित किया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामले

696. श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषसिद्धि की कम दर तथा मामलों के लंबित रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन और इस संबंध में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, निम्नलिखित सारणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषसिद्धि में समाप्त तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रतिशतता के संबंध में वर्ष 2010-12 के लिए अखिल भारतीय स्थिति दर्शाई गई है:—

वर्ष	%	
	दोषसिद्धि	लंबित
2010	33.7	79.1
2011	30.0	79.9
2012	23.8	83.1

उपर्युक्त सारणी में वर्ष 2010-11 के दौरान लंबित दर में आंशिक परिवर्तन तथा दोषसिद्धि दर में कमी दर्शाई गई है। दोषसिद्धि दर कई कारणों यथा गवाह का मुकर जाना, विलंब से अभियोजन, विचारण के पूरे होने में काफी विलंब होने से पीड़ित तथा गवाहों की मामले के प्रति रूचि समाप्त होना, पुष्टि करने वाले साक्ष्य का अभाव होना - से परिवर्तित हो सकती है।

वर्ष 2010-12 के दौरान, अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत समाप्त तथा लंबित मामलों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दशाई गई है।

(ग) अत्याचार निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना, अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन देना तथा जागरुकता सृजन करना शामिल है। इनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अधिनियम के उपबंधों का अक्षरश: अनुपालन करें।

यह मंत्रालय इन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को अक्षरश: लागू करने के लिए पत्र लिखता रहता है जिसमें मामलों के त्वरित विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, जांच अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने, दोषसिद्धि में समाप्त मामलों की समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया जाता है। गृह मंत्रालय इन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु व्यापक उपाय करने की आवश्यकता संबंधी उपायों के बारे में भी सलाह देता रहता है।

वर्ष 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के क्रियान्वयन की भी समीक्षा करती है। इस समिति की अब तक बीस बैठकें आयोजित हुई हैं जिनमें 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा कर ली गई है।

विवरण

वर्ष 2010-12 के दौरान अत्याचार निवारण अधिनियम न्यायालयों में दोषसिद्धि में समाप्त तथा लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की संख्या	
			दोषसिद्धि में समाप्त	न्यायालयों में लम्बित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2010	13.5	70
		2011	11	64.8
		2012	8.2	62.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2010	25	98.5
		2011	76.2	92.3
		2012	50	96.4

1	2	3	4	5
3.	असम	2010	11.1	90.4
		2011	4.9	85
		2012	3.9	70.7
4.	बिहार	2010	11.5	84.2
		2011	10.9	83.7
		2012	12.5	85.7
5.	छत्तीसगढ़	2010	31.1	77.1
		2011	29.8	75.2
		2012	34.1	57.7
6.	गोवा	2010	0	100
		2011	0	77.8
		2012	0	92.3
7.	गुजरात	2010	8.6	91
		2011	2.4	92.8
		2012	7.5	91.3
8.	हरियाणा	2010	23.1	64.7
		2011	13	68.4
		2012	7.9	61.4
9.	हिमाचल प्रदेश	2010	24	80.3
		2011	5.9	84.3
		2012	8.6	81.8
10.	झारखंड	2010	25.6	67.4
		2011	25.2	74.7
		2012	25.8	76.2
11.	कर्नाटक	2010	5	76.9
		2011	6.7	79.4
		2012	4.6	80.4

1	2	3	4	5
12.	केरल	2010	10.4	85.8
		2011	9.8	87
		2012	6.0	89
13.	मध्य प्रदेश	2010	34.7	74.8
14.	महाराष्ट्र	2010	4.1	89.9
		2011	5.4	88.2
		2012	6.2	89.3
15.	मणिपुर	2010	0	0
		2011	0	0
		2012	0	100
16.	मेघालय	2010	0	0
		2011	0	0
		2012	0	0
17.	मिज़ोरम	2010	0	0
		2011	0	0
		2012	0	0
18.	नागालैंड	2010	0	0
		2011	0	0
		2012	0	0
19.	ओडिशा	2010	10.1	83.2
		2011	8.9	84.4
		2012	7.1	83.7
20.	पंजाब	2010	19.4	80
		2011	20.9	81.3
		2012	13.9	80.3
21.	राजस्थान	2010	41.4	86
		2011	41.1	82.8
		2012	38.3	93.2

1	2	3	4	5
22.	सिक्किम	2010	0	100
		2011	77.8	42.9
		2012	61.5	55.2
23.	तमिलनाडु	2010	24.7	78.1
		2011	36.6	78.5
		2012	17.4	83.4
24.	त्रिपुरा	2010	26.7	41.2
		2011	11.8	69.6
		2012	14.6	70.9
25.	उत्तर प्रदेश	2010	64.4	72.4
		2011	59	74.6
		2012	51.4	84.7
26.	उत्तराखंड	2010	51.3	66.4
		2011	61.9	76
		2012	53.3	69.6
27.	पश्चिम बंगाल	2010	0	96.3
		2011	0	91.5
		2012	4	92.1
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2010	0	76
		2011	0	100
		2012	0	100
29.	चंडीगढ़	2010	0	100
		2011	0	100
		2012	0	75
30.	दादरा और नगर हवेली	2010	33.3	90
		2011	0	100
		2012	0	87.5

1	2	3	4	5
31.	दमन और दीव	2010	0	50
		2011	0	100
		2012	0	0
32.	दिल्ली	2010	36.8	72.1
		2011	21.4	77
		2012	35.7	80
33.	लक्षद्वीप	2010	0	100
		2011	100	0
		2012	0	0
34.	पुदुचेरी	2010	0	100
		2011	50	86.7
		2012	50	88.2
	अखिल भारत	2010	33.7	79.1
		2011	30	79.9
		2012	23.8	83.1

टिप्पणी: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है।

चावल की संकर किस्म

697. श्री रामसुन्दर दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चावल की अनेक संकर किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चावल की खेती में तेजी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां। देश में संकर चावल की कई किस्में विकसित की गई हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी बीज क्षेत्र के सक्रिय सहयोग से देश में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 66 संकरों का विकास किया है।

भारत में रिलीज की गई संकर चावलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), चावल आधारित फसलीय प्रणाली क्षेत्र (आईसीडीपी-चावल) में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा चावल की खेती एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्वी भारत (बीजीआरईआई) में हरित क्रान्ति लाने की पहल की है।

(घ) देश के 24 राज्यों के 210 चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल (एनएफएसएम-चावल) कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सीधे बोये गये चावल/लाइन रोपित चावल/प्रणाली चावल तीव्रीकरण (एसआरआई)/संकर चावल पर सामूहिक (क्लस्टर) प्रदर्शन किये जा रहे हैं। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवीएस)/संकर चावल, आवश्यकता आधारित निवेशों की सप्लाई के लिए उन्नत फार्म मशीन आदि की भी सहायता प्रदान की जाती है।

"पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना" नामक योजना (बीजीआरईआई) के तहत सात पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की विभिन्न पारिस्थितियों में प्रदर्शन आयोजित किये गए हैं। उथले नलकूपों (शैलो ट्यूबवैल)/डगवैल्स के निर्माण तथा पम्पसैट की खरीद तथा विपणन सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ङ) देश में चावल की खेती के प्रोत्साहन के लिए सरकार कई कदम उठा रही है क्योंकि यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अधिक उपज रोग प्रतिरोधी किस्मों/संकरों का विकास बढ़िया बीजों का उत्पादन तथा सप्लाई, उपयुक्त नाशीजीव प्रबन्ध प्रणालियों, नवोन्मेषी सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों (आईटी) के लिए कार्यक्रम अनुमोदित किये गये हैं इसके साथ-साथ एनएफएसएम तथा बीजीआरईआई जैसी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। उत्पादकता में और अधिक तेजी लाने के लिए सरकार, संकर चावल के प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है जिससे विकसित की जा सकती है। करीब 20-25 प्रतिशत अतिरिक्त चावल की क्षमता हुई।

विवरण

भारत में जारी संकर की सूची

क्र. सं.	संकर	द्वारा विकसित	राज्यों के लिए जारी
1	2	3	4
1.	एपीएचआर-1	एपीआरआरआई, मारूलेरू (एएनजीआरएयू), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	एपीएचआर-2	एपीआरआरआई, मारूलेरू (एएनजीआरएयू), हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
3.	एमजीआर-1 (सीओआरएच-1)	टीएनएयू, कोयंबटूर	तमिलनाडु
4.	केआरएच-1	जैडआरएस, कुलपति फार्म, मांड्या (यूएएस, बेंगलुरु)	कर्नाटक
5.	सीएचआरएच-3	आरआरएस, चिनसुराह, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
6.	डीआरआरएच-1	डीआरआर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
7.	केआरएच-2	जैडएआरएस, कुलपति फार्म, मांड्या (यूएएस, बेंगलुरू)	पुदुचेरी, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
8.	पंत शंकरधान-1	जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर	उत्तर प्रदेश
9.	पीएचबी-71	पायानियर विदेशी कॉर्प. हैदराबाद	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
10.	सीओआरएच-2	टीएनएयू, कोयंबटूर	तमिलनाडु
11.	एडीटीआरएच-1	टीएनआरआरआई, अधुथुरी (टीएनएयू)	तमिलनाडु
12.	सह्याद्री	आरएआरएस, कर्जत (बीएसकेकेवी)	महाराष्ट्र

1	2	3	4
13.	नरेन्द्र शंकर धान-2	एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
14.	पीए 6201	बायर जैव विज्ञान, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश
15.	पीए 6444	बायर जैव विज्ञान, हैदराबाद	उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड
16.	पूसा आरएच-10	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
17.	गंगा	पारस अतिरिक्त वृद्धि सीड्स लिमिटेड हैदराबाद	उत्तराखंड, पंजाब, नागालैंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार
18.	आरएच-204	पैरी मोनसेंटो सीड्स लिमिटेड बेंगलुरु	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम में हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान
19.	सुरुचि	महिको लिमिटेड, औरंगाबाद	हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र
20.	पंत शंकर धान-3	जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर	उत्तराखंड
21.	नरेन्द्र उसर शंकर-3	एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद	उत्तर प्रदेश की लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों
22.	डीआरआरएच-2	डीआरआर, हैदराबाद	हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु
23.	राजलक्ष्मी	सीआरआरआई, कटक	असम की ओडिशा और बोरो क्षेत्रों
24.	अजय	सीआरआरआई, कटक	ओडिशा
25.	सह्याद्री-2	आरएआरएस, कर्जत (बीएसकेकेवी)	महाराष्ट्र
26.	सह्याद्री-3	आरएआरएस, कर्जत (बीएसकेकेवी)	महाराष्ट्र
27.	एचकेपीएच-1	आरएआरएस, कौल (सीसीएचएयू)	हरियाणा
28.	जेकेआरएच-401	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा
29.	सीओसीओआरएच-3	टीएनएयू, कोयंबटूर	तमिलनाडु
30.	इंदिरा सोना	आईजीकेवीवी, रायपुर	छत्तीसगढ़
31.	जेआरएच-4	जेएनकेवीवी, जबलपुर	मध्य प्रदेश
32.	जेआरएच-5	जेएनकेवीवी, जबलपुर	मध्य प्रदेश
33.	पीए 6129	बायर जैव विज्ञान, हैदराबाद	पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी
34.	जी.के. 5003	गंगा कावेरी बीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

1	2	3	4
35.	सह्याद्री 4	आरएआरएस, कर्जत (बीएसकेवीवी)	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल
36.	जेआरएच-8	जेएनकेवीवी, जबलपुर	मध्य प्रदेश
37.	मानव संसाधन निदेशक 775	मिथाइलिस जीवन विज्ञान प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल
38.	जेआरआई-157	बायर जैव विज्ञान, हैदराबाद	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु
39.	पीएसी 835	एडवांटा इंडिया लिमिटेड हैदराबाद	ओडिशा और गुजरात
40.	पीएसी 837	एडवांटा इंडिया लिमिटेड हैदराबाद	पश्चिमी गुजरात, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमोत्तर जम्मू और कश्मीर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
41.	एन.के. 5251	संगेटा इंडिया लिमिटेड सिकंदराबाद	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात
42.	डीआरआरएच 3	डीआरआर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, दिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
43.	यूएस 312	निर्माण इंटरनेशनल, हैदराबाद बीज	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
44.	इन्दम 200-017	इंडो अमेरिकन बीज, हैदराबाद	महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश
45.	सीआरएचार-32	सीआरआरआई, कटक	बिहार और गुजरात की पछेती बुआई/उथाला नीचे के देश
46.	27P11	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	कर्नाटक और महाराष्ट्र
47.	वीएनआर 202	वीएनआर बीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
48.	वीएनआर 204	वीएनआर बीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु
49.	टीएनएयू चावल संकर 4 सह	टीएनएयू कोयम्बटूर	तमिलनाडु
50.	सह्याद्री-5	आरएआर एस. कर्जत	महाराष्ट्र
51.	यूएस-382	निर्माण इंटरनेशनल प्राइवेट बीज, लिमिटेड हैदराबाद	त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक
52.	27P31	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु
53.	एचआरआई 169	बायर बायोसाइंस प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड

1	2	3	4
54.	आरएच-1531	देवगन बीज और फसल प्रौद्योगिकी प्रा. लिमिटेड सिकंदराबाद	पागल घंटे फिर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
55.	पीएनपीएच-24	प्रभात एग्री बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
56.	25P25	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	उत्तराखंड, झारखंड और कर्नाटक
57.	27P61	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
58.	जेकेआरएच 3333	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद	पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश
59.	एनपीएच-924-1	नूजीवीन्दू बीज प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	पश्चिम बंगाल और असम
60.	27P52	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश
61.	27P63	पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
62.	किलोमीटर-199	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, सिकंदराबाद	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश
63.	किलोमीटर-371	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, सिकंदराबाद	छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और केरल
64.	यूएस 305	निर्माण इंटरनेशनल प्राइवेट बीज. लिमिटेड, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र
65.	यूएस 314	निर्माण इंटरनेशनल प्राइवेट बीज. लिमिटेड, हैदराबाद	पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड
66.	वीएनआर 2375	वीएनआर बीज प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	उत्तराखंड पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक

लक्षद्वीप में अंतर द्वीप संपर्क

698. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने पानी के जहाजों के माध्यम से अंतर द्वीप संपर्क विकसित करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप ने सूचित किया है कि उन्होंने लक्षद्वीप में पानी के जहाज के प्रचालन हेतु पर्यटन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने विकास हेतु लागत अनुमान के साथ व्यवहार्यता अध्ययन करने और अवसंरचना आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए ऐम्फीबियन पानी के जहाज हेतु भारित पट्टा (वैट लीज) के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की थी। रुचि की अभिव्यक्ति के उत्तर में उन्हें दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पोर्ट शिपिंग एवं विमानन विभाग द्वारा इनकी जांच की गई है। रुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित करने के लिए आगे की कार्रवाई तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श/दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

उपक्रमों में नैमेत्तिक और स्थायी कामगार

699. श्री रतन सिंह :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में कार्यरत स्थायी कामगारों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उपक्रमों में कितने नैमेत्तिक मजदूर हैं और कितने मजदूर ठेका आधार पर काम कर रहे हैं;

(ग) क्या नैमेत्तिक और ठेका मजूदरों में जिम्मेदारी का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) मंत्रालय के अंतर्गत उपक्रमों में कार्य करने वाले स्थाई कामगारों, नैमेत्तिक मजदूरों और ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूरों का उपक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) केवल मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) ने सूचित किया है कि कई अवसरों पर ठेका मजदूरों में जिम्मेदारी का अभाव महसूस किया गया है जिसके कारण नियत लक्ष्य हासिल करने में काफी कठिनाई आई है। बीसीपीएल ठेका मजदूरों संबंधी मामलों की गहनता से निगरानी करती है और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करती है। ठेका मजदूरों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति भी गठित की गई है।

विवरण

मंत्रालय के अंतर्गत उपक्रमों में कार्य करने वाले स्थाई कामगारों, नैमेत्तिक मजदूरों और ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूरों का उपक्रम-वार ब्यौरा

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या	नैमेत्तिक मजदूरों की कुल संख्या	अनुबंधित मजदूरों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2485	362	1074
2.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4291	शून्य	3625
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	739	शून्य	01
4.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	2822	360	77
5.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	34	शून्य	23
6.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	33	शून्य	105
7.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	959	शून्य	698
8.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	02	शून्य	शून्य
9.	फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	02	शून्य	शून्य
10.	हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड	770	127	239
11.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड	156	27	शून्य
12.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	87	शून्य	360

1	2	3	4	5
13.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड	303	शून्य	4200
14.	कर्नाटका एंटीबाइयोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	475	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान दुर्ग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य
16.	इंडिया ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	शून्य	शून्य	421
17.	हिन्दुस्तान एंटीबाइयोटिक्स लिमिटेड	610	शून्य	133
18.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	495	3	14

[अनुवाद]

कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाना

700. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 12 फरवरी, 2007 को कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से हटाया गया था और कपास उगाने वाले किसानों के हितों में इसे पुन: उक्त सूची में डाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए बीटी कपास के बीजों की आपूर्ति, वितरण, बिक्री तथा मूल्य को विनियमित करने के लिए कोई नियम बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) बी. टी. कपास सहित कपास बीजों की गुणवत्ता के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण के नियमन द्वारा कपास उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए 22.12.2009 से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा कपास बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया।

(ग) और (घ) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 द्वारा बी.टी. कपास बीज की आपूर्ति, वितरण और बिक्री को विनियमित किया जाता है। तथापि, कथित विधान में, बी.टी. कपास बीज सहित बीजों के मूल्य को विनियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

701. **श्री ओ.एस. मणियन :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लगभग 30,000 कर्मियों ने बलों को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रैंक-वार, लिंग-वार तथा बल-वार ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने कार्मिकों द्वारा समय से पूर्व बलों को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति के पीछे के कारणों का कभी कोई आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सीमा सुरक्षा बल तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सहति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने तथा छुट्टी स्वीकृत करने सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले अथवा त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों के बल-वार, पद-वार, लिंग-वार और वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं;—

	बल	अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी				जेसीओ/एसओ				ओआरएस				कुल
		वी/आर		त्यागपत्र देने वाले		वी/आर		त्यागपत्र देने वाले		वी/आर		त्यागपत्र देने वाले		
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
2010	सीआरपीएफ	18	1	24	0	228	7	95	1	2520	27	691	11	3623
	बीएसएफ	18	0	14	0	171	0	32	2	5254	0	131	3	5625
	आईटीबीपी	2	0	2	1	42	2	5	0	418	0	7	0	479
	एसएसबी	7	0	6	0	49	0	18	0	391	0	160	0	631
	सीआईएसएफ	30	0	6	0	233	4	163	16	723	7	414	17	1613
	एआर	0	0	4	0	18	0	3	0	715	3	19	0	762
2011	सीआरपीएफ	27	0	26	4	259	15	85	3	2052	26	837	16	3350
	बीएसएफ	26	0	12	2	202	0	38	4	5649	0	243	3	6179
	आईटीबीपी	4	0	2	1	42	1	4	0	342	0	10	0	406
	एसएसबी	1	0	6	0	35	1	7	0	276	0	93	6	425
	सीआईएसएफ	22	2	8	1	251	5	82	3	786	10	339	13	1522
	एआर	0	0	2	1	20	2	2	1	774	4	23	0	829
2012	सीआरपीएफ	20	1	44	6	303	17	102	11	4490	23	665	2	5684
	बीएसएफ	19	0	23	0	225	0	98	0	3227	0	362	9	3963
	आईटीबीपी	8	0	1	0	75	2	1	0	259	0	1	0	347
	एसएसबी	4	0	6	8	62	0	13	0	381	0	98	3	575
	सीआईएसएफ	24	0	4	0	230	1	185	9	775	10	394	21	1653
	एआर	0	0	6	1	24	1	2	0	351	2	19	0	406
2013	सीआरपीएफ	22	2	53	1	348	9	68	5	3028	34	527	8	4105
(10/2013	बीएसएफ	20	0	2	0	223	0	56	4	2409	0	357	1	3072
तक)	आईटीबीपी	5	0	7	0	65	1	7	0	181	0	113	1	380
	एसएसबी	13	0	10	0	56	1	32	0	248	1	75	0	436
	सीआईएसएफ	11	1	4	0	145	2	156	3	571	11	398	18	1320
	एआर	0	0	3	0	11	3	1	1	414	3	12	0	448
		301	7	275	26	3317	74	1255	63	36234	161	5988	132	47833

(*जीओ-राजपत्रित अधिकारी, जेसीओ/एसओ-कनिष्ठ कमांडिंग अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी, *ओआर-अन्य पद)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों की कुल संख्या केवल 47833 है, जो बलों की संख्या का केवल लगभग 1. 38 प्रतिशत है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों की प्रतिशतता में सामान्य कमी है।

(ग) सीएपीएफ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने वाले अथवा त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों के मुख्य रूप से अनेक व्यक्तिगत एवं घरेलू कारणों में बच्चों/पारिवारिक मुद्दे, स्वयं अथवा परिवार का स्वास्थ्य बीमारी, सामाजिक/पारिवारिक दायित्व और प्रतिबद्धता आदि शामिल हैं। कुछ कार्मिक 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद पेंशन का लाभ लेने के साथ-साथ एक स्थायी जीवन बिताने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाते हैं।

(घ) बल कर्मियों की व्यक्तिगत के साथ-साथ सरकारी समस्याएं एवं शिकायतें दूर करने के लिए प्रत्येक सीएपीएफ और एआर में पहले से ही बटालियन, सेक्टर, महानिरीक्षक (आईजी) महानिदेशक (डीजी) स्तर पर उचित शिकायत निवारण तंत्र हैं। आईटीबीपी और बीएसएफ के संबंध में विशिष्ट ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

आईटीबीपी के मामले में, शिकायत निवारण तंत्र में प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारियों के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है:

स्तर	नोडिल अधिकारी
महानिदेशालय	महा उप-निरीक्षक/डीजी (प्रशासन एवं कल्याण)-शिकायत निवारण और कल्याण अधिकारियों के रूप में नामित किया गया। डिप्टी कमान्डेन्ट अथवा सहायक कमान्डेंट (शिक्षा) की शिकायत निवारण एवं सहायक कल्याण अधिकारियों के रूप में नामित किया गया।
फ्रंटियर मुख्यालय	डीआईजी (प्रशासन)
सेक्टर मुख्यालय	डीआईजी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी
प्रशिक्षण संस्थान	डीआईजी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी
यूनिट/विशिष्ट बटालियन	दूसरा कमान अधिकारी अथवा वरिष्ठतम डिप्टी कमान्डेंट
बेस हॉस्पिटल/संयुक्त	मुख्य मेडिकल अधिकारी (चयन ग्रेड)
अस्पताल	अथवा कमान्डेंट के बाद उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी
केन्द्रीय रिकॉर्ड कार्यालय, आईटीबीपी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (रिकॉर्ड)

यदि कोई व्यक्ति महानिदेशालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं है अथवा उसे उत्तर नहीं मिलता है, तो वह यूनिट में अपना आवेदन देने की तिथि से 50 दिनों के बाद किसी भी शुक्रवार को अपनी शिकायत के निवारण हेतु महानिदेशक, आईटीबीपी से मिल सकता है।

बीएसएफ के मामलों में भी, एक लाभप्रद शिकायत निवारण प्रणाली अपनाई जा रही है। प्रत्येक फार्मेशन/मुख्यालय में उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर निवारण नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है:—

यूनिट/मुख्यालय	नोडल अधिकारी	सुनवाई का तरीका
1	2	3
बल मुख्यालय स्तर	डीआईजी (आरआर)	विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों का साक्षात्कार/ निपटान
फ्रंटियर स्तर	आईजी द्वारा नियुक्त अधिकारी	साक्षात्कार

1	2	3
सेक्टर स्तर	कमान्डेंट	साक्षात्कार
प्रशिक्षण संस्थान	आईजी/डीआईजी द्वारा नियुक्त अधिकारी	साक्षात्कार
यूनिट स्तर	दूसरा कमान अधिकारी	साक्षात्कार रोलकॉल एवं सैनिक सम्मेलन
कंपनी स्तर	कंपनी कमान्डर	साक्षात्कार रोलकॉल एवं सैनिक सम्मेलन

प्रथा के अनुसार, बीएसएफ में वार्षिक/अर्द्ध वार्षिक आधार पर क्रमशः कंपनी कमान्डेंट, सेक्टर डीआईजी और फ्रंटियर आईजी द्वारा बार्डर आउट पोस्टों/कंपनी मुख्यालय/बटालियन मुख्यालय के निरीक्षण की प्रणाली प्रचलित है। इन निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण अधिकारी सैनिकों के साथ बातचीत करते हैं और किसी शिकायत के बारे में पूछते हैं। कार्मियों द्वारा बताई गई शिकायतों/समस्याओं को उपयुक्त स्तर पर उचित निवारण हेतु रिकॉर्ड किया जाता है।

उपयुक्त के अतिरिक्त, जब कभी वरिष्ठ अधिकारी बीओपी/यूनिट का दौरा करते हैं, वे कार्मिकों के साथ बातचीत करते हैं और उनका हालचाल पूछा जाता है। यदि कोई किसी समस्या को उठाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा कार्य से संबंधित है, उसका जहां तक संभव है, उसी समय निवारण किया जाता है। तथापि, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई समस्या में सिविल प्राधिकरण के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों को संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाता है और पालन किया जाता है।

इसके अलावा, जब कभी डीजी, बीएसएफ फील्ड फार्मेशन का दौरा करतें हैं तो वे सैनिक सम्मेलन भी करते हैं और उनकी समस्याओं/शिकायतों, यदि कोई हो, के बारे में जानने के लिए सैनिकों एवं अधिकारियों से बातचीत करते हैं। डीजी स्तर पर ऐसी सभी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना जाता है और उनका समाधान किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, अपनी शिकायतों के निवारण हेतु व्यक्तिगत रूप से डीजी, बीएसएफ से मिलने आने वाले कार्मिकों के संबंध में डीजी, बीएसएफ द्वारा बल मुख्यालयों में भी सुनवाई आयोजित की जाती हैं।

(ङ) बल कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कार्यस्थल की दशाओं को सुधारने के लिए सीएपीएफ ने निम्नलिखित उपाय उठाए/कार्यान्वित किए हैं:—

(i) पारदर्शी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष छुट्टी संबंधी नीति का कार्यान्वयन;

(ii) उनकी तत्काल घरेलू समस्याओं की/मुद्दों/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल कार्मिकों को छुट्टी की अनुमति;

(iii) सैन्य बलों की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कमांडरों, अधिकारियों और सैनिकों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक, दोनों प्रकार की नियमित वार्ता;

(iv) शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना;

(v) पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए कार्य के घंटों को नियमित करना;

(vi) सैन्य बलों और उनके परिवारों के लिए मूलभूत सुख साधनों/सुविधाओं के प्रावधान द्वारा जीवन स्तर में सुधार करना;

(vii) अधिक जोखम, विपत्ति और अन्य भत्ते के माध्यम से बलों को प्रेरित करना;

(viii) अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहने तथा दूरस्थ स्थलों में तनाव को कम करने के लिए सैन्य बलों को एसटीडी टेलिफोन सुविधाओं का प्रावधान

(ix) विशिष्ट सुविधाओं के साथ संयुक्त अस्पताल आरंभ करने सहित सैन्य बलों तथा उनके परिवारों हेतु बेहतर मेडिकल सुविधाएं;

(x) उनकी व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की बातचीत कराना;

(xi) बेहतर तनाव प्रबंधन हेतु योगा और मेडिटेशन कक्षाएं;

(xii) मनोरंजन एवं खेल सुविधाएं एवं टीम गेम तथा खेलों आदि का प्रावधान;

(xiii) टुकड़ियों तथा उनके परिवारों को केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन तथा कार्मिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराना।

(xiv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक का दर्जा देने जिससे यह आशा की जाती है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा यह भी आशा है कि इससे उनकी बेहतर पहचान बनेगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी जिसके फलस्वरूप समाज में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व कार्मिकों को अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा।

(xv) कल्याणकारी उपाय के रूप में पूर्वोत्तर और लेह सहित जम्मू और कश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात सीएपीएफ कार्मिकों को एयर कुरियर सेवा सुविधा दी जा रही है।

[हिन्दी]

अपर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापरक उर्वरकों की बिक्री

702. **श्री सज्जन वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के किसानों ने अपर्याप्त मात्रा में उर्वरकों तथा घटिया गुणवत्ता वाले कीटनाशी बेचने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर उद्योगों को विनिवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे मध्यम तथा लघु उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) उर्वरक विभाग को मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से उर्वरकों की अपर्याप्त मात्रा तथा अवमानक कीटनाशकों की बिक्री करने के लिए कंपनियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के संशोधन के अनुसार कंपनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी शेयरधारिता को 8 अगस्त, 2013 तक सार्वजनिक इक्विटी के 10% के न्यूनतम स्तर पर ले आए। लाभ अर्जित करने वाली सूचीबद्ध पीएसयू, जो 10% अनिवार्य सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा नहीं कर रहे हैं, को सरकारी इक्विटी के विनिवेश पर भारत सरकार को नीति के अनुरूप बनना है। तदनुसार एनएफएल में 7.64% भारत सरकार की शेयरधारिता आरसीएफ में भारत सरकार का 12.5% शेयरधारिता तथा फैक्ट में भारत सरकार की 8.56% शेयरधारिता को विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरित किया गया है जिसे पांच वर्षों की अवधि में बेचा जाएगा। उर्वरक उद्योग में विनिवेश मध्यम और लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है।

[अनुवाद]

पुराने भंडारों का निपटान

703. **श्री नरहरि महतो :**
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास तीन वर्ष पुराने और/या खराब खाद्यान्न की कितनी मात्रा है और सरकार द्वारा खाद्यान्नों के खराब होने से पहले विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उनके समुचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने खराब चावल और गेहूं का चारे के रूप में निपटान करने के लिए किसी नीलामी का आयोजन किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितने खराब खाद्यान्न की नीलामी की गई तथा उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार के पास नीलामी किए गए खाद्यान्न के वास्तविक अंतिम प्रयोग का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) दिनांक 01.11.2013 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास तीन वर्षों से अधिक समय से रखे पुराने खाद्यान्न-स्टॉक की मात्रा निम्नानुसार है:-

वस्तु	पुराने खाद्यान्न-स्टॉक की मात्रा (लाख टन में)
गेहूं	0.01
चावल	0.02
कुल	0.03

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:—

वर्ष	जारी न करने योग्य स्टॉक की मात्रा (लाख टन में)
2010-11	0.063
2011-12	0.033
2012-13	0.031

सरकार द्वारा रखे गए केन्द्रीय पूल के स्टॉक उचित उपयोग के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्लूएस) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। यदि इसके बाद भी स्टॉक अधिशेष रहता है तो टीपीडीएस, खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन किए जाते हैं ताकि अधिशेष स्टॉक खत्म हो जाए। स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय पूल से स्टॉक के निर्यात का भी निर्णय लिया जाता है। किसी प्रकार की क्षति से बचने के उद्देश्य से केन्द्रीय पूल स्टॉक के सुरक्षित भंडारण और परिरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। क्षतिग्रस्त चावल और गेहूं के स्टॉक का निपटान मवेशियों और पोल्ट्री चारे के रूप में नीलाम किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, नीलाम किए गए जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और उससे अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:—

(1) गेहूं

वर्ष	गेहूं	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपए में)
2010-11	1634.047	6234331.50
2011-12	1156.344	4298395.85
2012-13	4053.966	19383362.53

(2) चावल

वर्ष	चावल	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपए में)
2010-11	6954.780	55980512.19
2011-12	210.202	553016.00
2012-13	3203.289	177787693.95

(3) मोटे अनाज

वर्ष	गेहूं	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (रुपए में)
2010-11	—	—
2011-12	3.157	14205.00
2012-13	2427.128	28174520.00

(घ) जी, हां। इस प्रकार नीलाम किए गए खाद्यान्नों के वास्तविक अंतिम उपयोग का आकलन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक कड़ी प्रक्रिया अपनाई गई। जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री के लिए मॉडल निविदा फार्म में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें खरीददार को एक शपथपत्र देना पड़ता है कि स्टॉक का उपयोग केवल पशु चारा, मवेशी चारा, पोल्ट्री चारा तैयार करने के लिए अथवा औद्योगिक प्रयोग, जिसके लिए खाद्यान्न खरीदे गए हैं, के लिए किया जाएगा। खरीददार को आगे यह भी शपथपत्र देना होता है कि यदि स्टॉक का प्रयोग आशयित प्रयोजन के अलावा किसी और प्रयोजन के लिए किया गया अथवा यदि वे क्षतिग्रस्त स्टॉक के उपयोग का पूर्ण तथा संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाते हैं तो पार्टी द्वारा जमा की गई जमानत राशि भारतीय खाद्य निगम जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षतिग्रस्त स्टॉक का उपयोग वास्तविक रूप से उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए उसे खरीदा गया था और इसे मानव उपयोग/खुला बाजार में खपत के लिए नहीं रखा गया है।

कोल लिंकेज का आवंटन

704. **श्री ए. सम्पत : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल लिंकेज के आवंटन के लिए केरल सहित अन्य राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन अनुरोधों के निस्तारण में अयुक्तियुक्त विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोयला लिंकेजों के आवंटन के लिए केरल सहित अन्य राज्यों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कोल लिंकेज

के लिए प्राप्त इन आवेदनों पर सिफारिश करने के लिए स्थायी लिंकेज समिति द्वारा विचार किया जाना है। चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कोयला कंपनियां पिछले कुछ समय से कोयला शेष न रहने की सूचना देती रही है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों को 12वीं योजना की अवधि के लिए 1,08,000 मेगावाट की क्षमता हेतु 175 एलओए जारी किए गए हैं। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रीमंडल समिति ने 21.06.2013 को संपन्न हुई अपनी बैठक में उन अभिज्ञात विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति अनुमोदित की है, जो 78,000 मेगावाट की क्षमता के साथ स्थापित अथवा 31.03.2015 तक स्थापित किए जाने हैं। राष्ट्रपति की ओर से निर्देश भी ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सीआईएल को जारी किए गए हैं। चूंकि विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30,000 मेगावाट से अधिक के शेष एलओए पहले से विद्यमान है अत: इस स्तर पर नए एलओए स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	टीपीपी और प्रमोटर/परियोजना डेवलपर का नाम	संपूर्ण क्षमता	राज्य
1	2	3	4
1.	सीईएससी लि.	2000	पश्चिम बंगाल
2.	मुज्जफरपुर (एक्सटें.) टीपीएस-बीएसईबी,	750	बिहार
3.	बरौनी (एक्सटें.) टीपीएस-बीएसईबी,	500	बिहार
4.	चौसा टीपीएस पूर्व में नबीनगर टीपीएस बीएसईबी के रूप में जाना जाता है।	2000	बिहार
5.	कजरा टीपीएस पूर्व में कटिहार टीपीएस बीएसईबी के रूप में जाना जाता है।	2000	बिहार
6.	पीरपैंटी टीपीएस बीएसईबी	2000	बिहार
7.	दरलीपाल्ली एकीकृत टीपीपी (एनटीपीसी)	3200	ओडिशा
8.	लारा एकीकृत टीपीपी (एनटीपीसी)	4000	छत्तीसगढ़
9.	कोरबा साउथ टीपीपी, से सीएसईबी	1000	छत्तीसगढ़
10.	रघुनाथपुर, टीपीएस (स्टेज-2) से डीवीसी	1120	पश्चिम बंगाल
11.	एन्नोर टीपीएस, (स्टेज) टीएनईबी	500	तमिलनाडु
12.	तुतिकोरिन टीपीएस, राज्य-4 टीएनईबी	1000	तमिलनाडु
13.	माररिटा, थर्मल पावर परियोजना, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	480	असम
14.	पश्चिमी खासी हिल्स थर्मल पावर परियोजना नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	240	असम
15.	गारो हिल्स थर्मल पावर परियोजना, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	720	असम
16.	ओबारा एक्सटें. यूपीआरवीयूएनएल	1600	उत्तर प्रदेश
17.	यूपीआरवीयूएनएल के पनकी टीपीएस	210	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
18.	शाहपुरा टीपीपी (शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, सरकार के एक सब्सीडेयरी एम.प्र. का उपक्रम)	1500	मध्य प्रदेश
19.	सीईएससी लिमिटेड	1,200	ओडिशा
20.	चंद्रपुर टीपीएस, असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	60	असम
21.	नई नबीनगर एसटीपीपी (एनटीपीसी जेवी बिहार)	2640	बिहार
22.	एनटीपीसी यूपी (जेवी)	2640	उत्तर प्रदेश
23.	एनटीपीसी का पेंच एसटीपी	1320	मध्य प्रदेश
24.	एनटीपीसी लिमिटेड के टांडा विस्तार	1320	उत्तर प्रदेश
25.	एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव एसटीपीपी स्टेज-III (एक्सटें.)	500	बिहार
26.	एनटीपीसी एनटीपीसी लिमिटेड के विंध्याचल एसटीपीपी स्टेज-IV	1000	मध्य प्रदेश
27.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट अरावली एसटीपीपी स्टेज-II, लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड	1000	हरियाणा
28.	मारवा टीपीएस छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड	1500	छत्तीसगढ़
29.	इदलापुर टीपीएस केपीसीएल (केपीसीएल और भेल के साथ संयुक्त उपक्रम)	800	कर्नाटक
30.	केपीसीएल, इस सूची के क्रम संख्या 86 पर 27/08/2011 द्वारा के पत्र द्वारा सूचित बेल्लारी टीपीएस, यूनिट-III पुनरावृत्ति	500	कर्नाटक
31.	यरमरस टीपीपी केपीसीएल (केपीसीएल और भेल के साथ संयुक्त उपक्रम)	1600	कर्नाटक
32.	बोरगोलई, टीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एसपीवी के साथ संयुक्त उद्यम है (असम असम सरकार, विद्युत विभाग)	250	असम
33.	दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल की मोजिआ टीपीएस (फेस-II)	1000	पश्चिम बंगाल
34.	टीएनईबी के उडानगुडी जीएसटी	1600	तमिलनाडु
35.	रघुनाथपुर टीपीएस चरण-II, डीवीसी	1120	पश्चिम बंगाल
36.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यूनिट-7ए	300	पश्चिम बंगाल
37.	सागरदिघी टीपीपी डब्ल्यूपीडीसीएल	600	पश्चिम बंगाल
38.	संतलडीह टीपीपी यूनिट-6 डब्ल्यूपीडीसीएल	250	पश्चिम बंगाल
39.	बकरेश्वर टीपीपी डब्ल्यूपीडीसीएल यूनिट-4 व 5	420	पश्चिम बंगाल
40.	कटवा-टीपीपी यूनिट 1 और 2 डब्ल्यूपीडीसीएल-	1200	पश्चिम बंगाल
41.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के गिदरवहा टीपीएस	2640	पंजाब

1	2	3	4
42.	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (संयुक्त उद्यम यूपीपीसीएल और एनएलसी)	2000	उत्तर प्रदेश
43.	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	600	आंध्र प्रदेश
44.	एम/एस एनटीपीसी के शोलापुर एसटीपीपी	1320	महाराष्ट्र
45.	जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के (द्वितीय चरण)	500	पंजाब
46.	जीएचटीपी लहरा मोहब्बत एक्सटेंशन पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के (चरण-III)	500	पंजाब
47.	एनटीपीसी की एनटीपीसी मरक्कनम एसटीपीपी	4000	तमिलनाडु
48.	एनटीपीसी के गाडरवारा एसटीपीपी	2640	मध्य प्रदेश
49.	एमएसपीजीसीएल का कोरादी रिप्ले और विस्तार	1980	महाराष्ट्र
50.	एमएसपीजीसीएल के चंद्रपुर टीपीएस	1000	महाराष्ट्र
51.	एनटीपीसी के सिंगरौली एसटीपीपी (चरण-III)	500	उत्तर प्रदेश
52.	केपीसीएल की गोधन एसटीपीपी (केपीसीएल) को 27.08.2011 के पत्र से सूचित (नष्ट)	1000	छत्तीसगढ़
53.	एनटीपीसी की विंध्याचल एसटीपी-V राज्य	500	मध्य प्रदेश
54.	एनटीपीसी के तालचर थर्मल पावर स्टेशन (राज्य द्वितीय)	1200	ओडिशा
55.	जेवारगी पावर प्राइवेट लिमिटेड	1320	कर्नाटक
56.	दारलिपली एकीकृत थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी के (राज्य द्वितीय)	1600	ओडिशा
57.	कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	3200	छत्तीसगढ़
58.	एम/एस बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (आरआरवीपीएलएल) की बांसवाड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1320	राजस्थान
59.	छाबड़ा टीपीपी	1320	राजस्थान
60.	एम/एस ओडिशा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की आईबी थर्मल पावर स्टेशन (प्रथम चरण)	1200	ओडिशा
61.	एम/एस एनटीपीसी के कुडगी एसटीपीपी चरण-I	2400	कर्नाटक
62.	गजमारा एसटीपीपी	3200	ओडिशा
63.	बुन्देली थर्मल पावर परियोजना	1000	छत्तीसगढ़
64.	एम/एस एमपीपीजीसीएल के श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	1200	मध्य प्रदेश
65.	एम/एस टीपीपी एमपीपीजीवीएल के बाणसागर	1600	मध्य प्रदेश
66.	नर्मदा हाइड्रोइलैक्टि विकास निगम लिमिटेड (एनएचपीसी और जीओएमपी साथ जेवी)	1320	मध्य प्रदेश

1	2	3	4
67.	आरआरवीपीएलएल की कालीसिंघ थर्मल पावर परियोजना (यूनिट 1 और 2)	1200	राजस्थान
68.	जवाहरपुर थर्मल पावर परियोजना एम/एस उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एसपीवी	1320	उत्तर प्रदेश
69.	दोपहा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एम/एस सोनभद्र पावर जनरेशन कंपनी एसपीवी	1980	उत्तर प्रदेश
70.	एम/एस के यमुना पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड यमुना पावर जेनरेशन सह, लिमिटेड नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे निगम एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रत्येक के 25% इक्विटी की (एसजीईकेके केबिनेट (एसपीवी)	1980	उत्तर प्रदेश
71.	कासरगोड विद्युत परियोजना एम/एस केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2400	केरल
72.	मुंदा एसटीपीपी चरण-II, एनटीपीसी	1320	महाराष्ट्र
73.	एम/एस के एसटीपी आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के बोदारेवू एसटीपीएस	4000	आंध्र प्रदेश
74.	पनकी एक्सटेंशन पनकी टीपीएस	250	उत्तर प्रदेश
75.	अनपरा ई टीपीएस	1320	उत्तर प्रदेश
76.	दीनबंधु छोटु राम थर्मल पावर परियोजना (डीसीआरटीपीपी), यमुना नगर	660	हरियाणा
77.	नागपुर नगर निगम, नागपुर प्रतिस्पर्धात्मक बोली मेल	500	महाराष्ट्र
78.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	600	उत्तर प्रदेश
79.	जीओएमपी और भेल (सीपीएसयू) द्वारा पूर्णत: स्वामित्व एमपीपीजीसीएल दादा धुनीवाले खंडवा परियोजना लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनी	1600	मध्य प्रदेश
80.	आरआरवीयूएनएल की कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना (झालावार - विस्तार परियोजना चरण-II, यूनिट 3 एवं 4)	1320	राजस्थान
81.	आरआरवीयूएनएल का सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना (कोर्स छठी, यूनिट 9 और 10)	1320	राजस्थान
82.	बांसवाड़ा थर्मल पावर परियोजना की RRYUNL (स्टेज 1 और 2)	1320	राजस्थान
83.	एन्नोर एसईजेड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट टीएनईबी	1600	तमिलनाडु
84.	रेल मंत्रालय की आद्रा थर्मल पावर परियोजना	1320	पश्चिम बंगाल
85.	बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट-3	700	कर्नाटक
86.	रायचूर टीपीएस एक्सटेंशन यूनिट-8	40	कर्नाटक

1	2	3	4
87.	एनटीपीसी	4000	मध्य प्रदेश
88.	फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना (एफजीयूटीपीपी) स्टेज-IV एनटीपीसी	500	उत्तर प्रदेश
89.	बोंगईगांव टीपीपी चरण-II, एनटीपीसी	250	असम
90.	रामागुंडम एसटीपीपी स्टेज-IV एनटीपीसी	1000	आंध्र प्रदेश
91.	एनटीपीसी	1320	मध्य प्रदेश
92.	एनटीपीसी दादरी	125	उत्तर प्रदेश
93.	एमएसपीजीसीएल की नासिक प्रतिस्थापन परियोजना	660	महाराष्ट्र
94.	एमएसपीजीसीएल की कनपा थर्मल पावर परियोजना	1320	महाराष्ट्र
95.	लातूर संयुक्त उद्यम कंपनी (एमएसपीजीसीएल और भेल के संयुक्त उपक्रम)	1320	महाराष्ट्र
96.	एमएसपीजीसीएल के गोंदिया टीपीएस परियोजना	1320	महाराष्ट्र
97.	एमएसपीजीसीएल की मेंदकी ताप विद्युत परियोजना	1320	महाराष्ट्र
98.	6 यूनिट एमएसपीजीसीएल के भुसावल रिप्लेसमेंट	660	महाराष्ट्र
99.	धुवरन – एसटीपीपी – एनटीपीसी	1320	गुजरात
100.	कटवा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी	1600	पश्चिम बंगाल
101.	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	1000	महाराष्ट्र
102.	बिल्हौर थर्मल पावर परियोजना, एनटीपीसी	1320	उत्तर प्रदेश
103.	एम/एस महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की डोंडाइका टीपीएस	1320	महाराष्ट्र
104.	एम/एस महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की कोरादी टीपीएस	1980	महाराष्ट्र
105.	एम/एस महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड दोपावी एसटीपीपी	1980	महाराष्ट्र
106.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	250	बिहार
107.	गुजरात राज्य बिजली निगम लि. (वानाकबोरी टीपीएस यूनिट-8)	800	गुजरात

म्यांमार के साथ सुरक्षा करार

705. **श्री सुरेश कलमाडी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यांमार ने हाल ही में किसी सीमा सुरक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) भारत ने हाल ही में म्यांमार के साथ विचार-विमर्श किए गए सीमा सुरक्षा सहयोग करार का निष्पादन नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत पोर्टा केबिन

706. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों तथा नि:शक्त लोगों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किराना तथा उपभोक्ता स्टोर चलाने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत पोर्टा केबिन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से धनराशि स्वीकृत करने के प्रति आम सहमति देने वाले संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत सचल तथा अस्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। एमपीलैड्स के अंतर्गत व्यावसायिक कार्यकलापों की भी अनुमति नहीं है। एमपीलैड्स के अंतर्गत पोर्टा केबिनों को अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैश्यावृत्ति के मामले

707. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता चला है कि देश में कुछ समूहों द्वारा अनेक लड़कियों को जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके चंगुल से कितनी लड़कियों को मुक्त कराया गया और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कुछ समूहों द्वारा लड़कियों से जबरन वैश्यावृत्ति करवाए जाने की घटनाओं के संबंध में मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-12 के दौरान अपराध शीर्ष 'नाबालिग लड़कियों की खरीद, 'वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद', "वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना", 'विदेश से लड़कियों का आयात' के अंतर्गत क्रमश: राज्य/संघ राज्यक्षेत्रा-वार दर्ज किए गए मामले, वे मामले, जिनमें आरोप-पत्र दायर किए गए हैं, दोषसिद्ध मामले, ऐसे मामले, जिनमें अभियोजन पूर्ण हो चुका है, मामलों में दोषसिद्धि दर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए गए हैं संबंधी मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन मामलों में संबंधित लड़कियों तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी सूचना का अलग से रखरखाव नहीं किया जाता।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा अपराध के निवारण, संसूचन पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, भारत सरकार महिलाओं के कल्याण के प्रति काफी चिंतित है तथा वह विभिन्न योजनाओं के जरिए और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र जारी करके राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 04 सितम्बर, 2009 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र भेजा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तुरंत एवं उचित दंड देने हेतु उपयुक्त उपाय अपनाएं।

गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक यौन शोषण सहित अवैध मानव व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक बहु अयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें गृह मंत्रालय ने अवैध मानव व्यापार रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना; राज्यों के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा अवैध मानव व्यापार रोधी विषय के संबंध में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम; एकीकृत अवैध मानव व्यापार रोधी-यूनिटों (एएचटीयू) की स्थापना करके विधि प्रर्वतन कार्रवाई को सुदृढ़ करने हेतु एक व्यापक योजना को प्रारम्भ करना, व्यापक स्तर पर लोगों को सुविज्ञ बनाना तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से जागरुकता पैदा करना और क्षमता निर्माण किया जाना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान नाबालिग लड़कियों की खरीद के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	82	57	3	25	12.0	111	92	1	106	84	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	75	18	0	0	—	75	18	0	142	51	1
4.	बिहार	152	49	6	14	42.9	101	71	8	183	263	13
5.	छत्तीसगढ़	11	11	6	9	66.7	23	23	7	15	13	0
6.	गोवा	1	0	0	0	—	6	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	4	3	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	3	0	0	—	2	3	0	3	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	21	24	0	40	0.0	21	21	0	15	3	0
12.	कर्नाटक	21	8	1	8	12.5	20	9	1	8	14	2
13.	केरल	6	13	0	7	0.0	10	15	0	9	8	0
14.	मध्य प्रदेश	18	12	1	2	50.0	26	26	5	20	17	4
15.	महाराष्ट्र	26	20	0	32	0.0	33	37	0	20	28	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	4	4	0	2	0.0	8	8	0	12	3	0
21.	पंजाब	0	3	0	0	—	0	3	0	0	0	3

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
52	15.4	97	118	9	30	36	7	68	10.3	37	45	7
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
11	9.1	142	51	1	122	98	1	16	6.3	122	98	1
56	23.2	434	461	20	48	26	9	105	8.6	38	38	13
2	0.0	17	17	0	13	15	4	14	28.6	18	18	2
0	—	1	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	3	0	19	10	2	5	40.0	26	25	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	20.0	1	1	1	3	3	0	2	0.0	4	3	[illegible]
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	[illegible]
7	0.0	12	56	0	16	16	0	16	0.0	16	16	0
9	22.2	8	15	2	45	14	0	4	0.0	18	18	0
6	0.0	7	7	0	10	9	0	1	0.0	11	13	0
12	33.3	27	27	6	21	20	2	14	14.3	23·	23	8
0	0.0	50	40	0	31	23	0	10	0.0	60	60	0
0	—	0	0	0	17	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	8	5	0	5	9	0	0	—	11	14	0
3	100.0	0	0	3	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	राजस्थान	14	10	0	0	—	13	13	0	19	11	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	13	1	0	3	33.3	0	1	1	0	0	0
25.	त्रिपुरा	32	16	0	16	0.0	18	17	0	5	27	4
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	4	12	33.3	0	0	10	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	200	88	2	10	20.0	217	94	2	298	126	18
	कुल राज्य	679	337	24	180	13.3	684	451	35	859	652	54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	1	0	0	—	0	1	0	3	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	1	0	0	—	0	1	0	3	0	0
	कुल अखिल भारत	679	338	24	180	13.3	684	452	35	862	652	54

स्रोत: भरत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	—	0	1	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	0.0	14	14	0	20	13	0	0	—	15	15	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	28	0	0	0	—	41	0	0
23	17.4	23	29	19	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	2	2	0	0	—	4	4	0
0	—	0	0	0	7	3	0	0	—	4	3	0
43	41.9	133	106	6	369	238	0	20	0.0	277	238	0
233	23.2	977	950	67	806	535	25	275	9.1	675	631	34
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	0	0	3	0	0	0	—	1	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	0	0	3	0	0	0	—	1	0	0
233	23.2	982	950	67	809	535	25	275	9.1	676	631	34

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	2	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	3	3	0	3	0.0	3	3	0	1	1	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	1	0.0	0	0	0	2	2	0
15.	महाराष्ट्र	27	31	4	19	21.1	43	47	7	20	19	1
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	48	12	0	5	0.0	51	13	0	0	0	0
	कुल राज्य	78	47	4	28	14.3	97	64	7	27	25	1

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	0	0	2	2	1	1	####	1	4	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	1	1	0	5	5	0	5	0.0	5	5	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	0	0	0	0	—	0	0	0
12	8.3	43	41	1	4	2	0	0	—	11	5	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	4	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	3	3	0	3	0.0	4	4	0
13	7.7	60	56	1	14	12	1	12	8.3	24	18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	1	1
	कुल अखिल भारत	78	47	4	28	14.3	97	64	7	27	26	2

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	5	0	7	0.0	6	9	0	2	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	3	0	0	0	—	3	0	0	0	1	0
4.	बिहार	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	2	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	0	1	1	1	0	0	0	—	1	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	100.0	0	1	1	1	0	0	0	—	1	0	0
14	14.3	60	57	2	15	12	1	12	8.3	25	18	1

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	4	2	0	4	5	0	1	0.0	8	10	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	2	0	10	4	1	1	####	12	7	1
0	—	1	1	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	0	1	0.0	1	1	0	6	6	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	1	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	2	2	0	0	—	8	8	0	3	3	2
15.	महाराष्ट्र	1	1	0	0	—	13	13	0	2	2	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	1	0	0	—	3	3	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	2	1	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	4	4	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	115	51	2	7	28.6	128	53	2	87	37	1
	कुल राज्य	126	61	2	15	13.3	162	87	2	111	57	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	4	3	0	0	—	4	3	0	2	1	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
6	0.0	5	5	0	7	7	0	7	0.0	7	7	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
3	66.7	15	15	11	5	7	1	2	50.0	20	20	3
0	—	9	9	0	2	1	0	0	—	8	3	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	5	5	0	1	1	0	1	0.0	7	7	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	15	15	0	18	13	0	0	—	30	24	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	20.0	96	60	3	56	38	1	12	8.3	32	23	1
14	21.4	152	115	14	104	76	3	24	12.5	124	101	5
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	2	0	4	0	1	2	50.0	4	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	4	3	0	0	—	4	3	0	2	1	0
	कुल अखिल भारत	130	64	2	15	13.3	166	90	2	113	58	3

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान विदेश से लड़कियों के आयात के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), विचारण पूर्ण हुए मामले (टीसी), मामलों की दोषसिद्धि दर (सीवीआर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010										
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	—	0	0	0	2	2	0
4.	बिहार	8	9	1	6	16.7	26	18	1	10	26	3
5.	छत्तीसगढ़	2	2	0	0	—	5	5	0	2	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	8	3	3	4	75.0	15	20	5	6	3	2
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	—	0	0	0	12	1	0
13.	केरल	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	5	5	0	1	0.0	19	19	0	45	39	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	4	2	0	4	0	1	2	50.0	4	0	1
14	21.4	156	117	14	108	76	4	26	15.4	128	101	6

2011					2012							
टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	2	0	2	0	0	2	0.0	2	0	0
54	5.6	26	50	3	4	3	6	43	14.0	6	4	7
0	—	7	7	0	0	1	1	1	100.0	0	1	1
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
4	50.0	1	3	1	3	3	1	3	33.3	3	3	1
0	—	2	2	0	32	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
1	0.0	178	173	0	6	9	1	5	20.0	10	15	3
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0.0	0	0	0	3	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	5	2	0	0	—	5	5	0	0	3	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	8	8	0	8	0.0	11	8	0	0	0	0
	कुल राज्य	36	29	4	20	20.0	81	75	6	80	75	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	36	29	4	20	20.0	81	75	6	80	75	5

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	2	0	0	0	2	0	0	—	0	2	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	3	3	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
5	0.0	0	0	0	12	9	1	8	12.5	25	20	2
64	7.8	221	240	4	59	27	10	62	16.1	46	45	14
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0
0	—	0	0	3	0	0	0	0	—	0	0	0
64	7.8	221	240	4	59	27	10	62	16.1	46	45	14

[हिन्दी]

संज्ञेय अपराध

708. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संज्ञेय अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को कम करने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत संज्ञेय अपराधों के क्रमश 22, 24, 831 मामले, 23, 25, 575 मामले और 23, 87, 188 मामले दर्ज। किए गए थे। वर्ष 2010-2012 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों के तहत दर्ज मामलों, आरोप-पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकार अपराध की रोकथाम करने उनका पता लगाने, उन्हें दर्ज करने और उनकी जांच करने और अपनी कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने तथा नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध को रोकने के मामले को सबसे अधिक महत्व देती है और इसलिए केन्द्र सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और अपराध की रोकथाम करने तथा उसे नियंत्रित करने हेतु आवश्यक उपाय करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सतत आग्रह करती है। इस संबंध में, दिनांक 4 सितंबर, 2009 को महिलाओं के प्रति अपराधों पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया है, दिनांक 14 जुलाई, 2010 को बच्चों के प्रति अपराध पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया है, दिनांक 16 जुलाई, 2010 को अपराधों की रोकथाम करने, उन्हें दर्ज करने, उनकी जांच और अभियोजन पर परामार्शी-पत्र जारी किया गया है, दिनांक 4 जनवरी, 2012 को बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकने और उनका सामना करने पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया है और 10 मई, 2013 को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर ध्यान दिए बिना एफआईआर दर्ज करने पर परामर्शी-पत्र जारी किया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान आईपीसी अपराधों के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	181438	144707	37816	228605	230860	53463
2.	अरुणाचल प्रदेश	2439	1319	480	2825	1665	531
3.	असम	61668	26311	2556	69890	36232	4182
4.	बिहार	127453	81371	8562	196289	183307	18672
5.	छत्तीसगढ़	54958	42509	14050	72750	71979	24064
6.	गोवा	3293	1961	305	3332	3290	370
7.	गुजरात	116439	94711	20939	162043	161109	29591

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	59120	36452	10460	64237	62555	19257
9.	हिमाचल प्रदेश	13049	9986	1057	18768	18988	1803
10.	जम्मू और कश्मीर	23223	15589	5112	31641	31501	6165
11.	झारखंड	38889	27831	5429	51683	53842	11821
12.	कर्नाटक	142322	109270	26027	161618	152791	32434
13.	केरल	148313	137096	56274	197512	196640	65946
14.	मध्य प्रदेश	214269	185757	60489	343192	343526	129435
15.	महाराष्ट्र	208168	137477	7973	305629	290275	14704
16.	मणिपुर	2715	127	37	1306	133	39
17.	मेघालय	2505	1035	207	1743	1270	213
18.	मिज़ोरम	2174	2069	2134	2228	2477	2889
19.	नागालैंड	1059	821	545	1066	802	439
20.	ओडिशा	56459	54978	3329	89775	92839	6497
21.	पंजाब	36648	25652	8314	49050	44525	13824
22.	राजस्थान	162957	92205	33625	177537	177579	59521
23.	सिक्किम	552	537	89	946	558	125
24.	तमिलनाडु	185678	127736	67060	211631	191646	93841
25.	त्रिपुरा	5805	4416	274	6835	5629	448
26.	उत्तर प्रदेश	174179	106355	69448	292050	226296	156614
27.	उत्तराखंड	9240	6246	3175	12792	12391	5746
28.	पश्चिम बंगाल	129616	95324	3189	146595	127809	5057
	कुल राज्य	2164628	1569848	449957	2903568	2722514	757691
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	980	668	82	1028	1042	139
30.	चंडीगढ़	3373	1601	751	2583	2330	1101
31.	दादरा और नगर हवेली	378	229	30	585	514	56

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	203	143	18	266	356	19
33.	दिल्ली संघ शासित	51292	22109	10112	33498	30836	14526
34.	लक्षद्वीप	42	24	0	15	21	0
35.	पुदुचेरी	3935	3650	3178	5579	6149	4040
	कुल संघ शासित	60203	28424	14171	43554	41248	19881
	कुल अखिल भारत	2224831	1598272	464128	2947122	2763762	777572

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

—जारी

क्र. सं.	राज्य	2010			2011		
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	189780	144007	36911	238564	232746	50447
2.	अरुणाचल प्रदेश	2286	1249	227	2312	1479	255
3.	असम	66714	27920	4744	67146	35286	4648
4.	बिहार	135896	114979	8792	252349	256242	17367
5.	छत्तीसगढ़	57218	47451	13364	74017	74182	18963
6.	गोवा	3449	1769	320	3319	2644	401
7.	गुजरात	123371	101903	25301	167251	166350	29071
8.	हरियाणा	60741	35812	10685	62708	61002	18005
9.	हिमाचल प्रदेश	14312	9984	1326	17488	17717	2129
10.	जम्मू और कश्मीर	24504	20086	5140	43576	43545	6209
11.	झारखंड	35838	25080	6517	51069	46028	10904
12.	कर्नाटक	137600	110297	28294	166786	162445	28231
13.	केरल	172137	149817	63500	211771	206199	79976
14.	मध्य प्रदेश	217094	183768	62260	335644	335211	10604
15.	महाराष्ट्र	204902	139104	8168	309756	306270	12775

1	2	9	10	11	12	13	14
16.	मणिपुर	3218	116	28	1449	125	40
17.	मेघालय	2755	1150	289	2135	1355	312
18.	मिज़ोरम	1821	1431	1054	1601	1579	1141
19.	नागालैंड	1083	879	1050	1067	849	1424
20.	ओडिशा	61277	52574	3544	87129	86961	6529
21.	पंजाब	34883	23887	8729	45423	42713	15539
22.	राजस्थान	165622	93079	46825	181407	180553	80945
23.	सिक्किम	596	331	142	718	512	208
24.	तमिलनाडु	192879	132725	68222	222124	189521	95761
25.	त्रिपुरा	5803	5163	401	10062	7340	445
26.	उत्तर प्रदेश	195135	121688	72480	384605	275299	147376
27.	उत्तराखंड	8774	5641	1983	10666	10381	3848
28.	पश्चिम बंगाल	143197	103139	3298	143608	121231	4862
	कुल राज्य	2262885	1655029	483594	3095750	2865765	745416
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	793	672	55	828	917	135
30.	चंडीगढ़	3542	2151	664	2690	2986	937
31.	दादरा और नगर हवेली	372	266	12	568	597	23
32.	दमन और दीव	224	133	30	330	305	32
33.	दिल्ली संघ शासित	53353	28492	12177	40014	35704	16615
34.	लक्षद्वीप	44	63	37	76	64	82
35.	पुदुचेरी	4362	3075	1427	5589	4714	1723
	कुल संघ शासित	62690	34852	14402	50095	45287	19547
	कुल अखिल भारत	2325575	1689881	497996	3145845	2911052	764963

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

—जारी

क्र. सं.	राज्य	2012					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	192522	145056	34043	246395	242948	48564
2.	अरुणाचल प्रदेश	2420	1283	213	2483	1453	236
3.	असम	77682	31237	2154	72795	39549	3829
4.	बिहार	146614	132576	9116	264570	280947	16944
5.	छत्तीसगढ़	54598	45663	17437	73321	73183	27696
6.	गोवा	3608	1649	312	3354	2359	380
7.	गुजरात	130121	110014	23811	182284	180392	28648
8.	हरियाणा	62480	38566	13800	65108	67360	21375
9.	हिमाचल प्रदेश	12557	10308	1461	16726	15640	2114
10.	जम्मू और कश्मीर	24608	19654	5890	40358	40325	7978
11.	झारखंड	40946	26743	5739	53770	49705	9802
12.	कर्नाटक	134021	104762	34069	164835	160394	30010
13.	केरल	158989	145288	60381	209344	210179	75926
14.	मध्य प्रदेश	220335	189285	58645	343857	344289	100616
15.	महाराष्ट्र	202700	139126	9807	309672	300500	15043
16.	मणिपुर	3737	95	49	1797	100	52
17.	मेघालय	2557	1153	91	1984	1440	109
18.	मिज़ोरम	1766	1370	1248	1721	1495	1337
19.	नागालैंड	1090	748	455	1010	1040	900
20.	ओडिशा	67957	53480	3922	96249	93657	5908
21.	पंजाब	35790	24392	8304	46632	37288	13835
22.	राजस्थान	170948	92502	46382	177833	177775	86172
23.	सिक्किम	528	392	111	637	417	236
24.	तमिलनाडु	200474	160233	72675	232414	218681	94690
25.	त्रिपुरा	6264	4972	923	7260	7412	1100

1	2	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	198093	125695	43531	412811	300437	85893
27.	उत्तराखंड	8882	6047	5260	11110	10834	8504
28.	पश्चिम बंगाल	161427	130327	4160	177722	158023	5553
	कुल राज्य	2323714	1742616	463989	3218052	3017822	693450
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	683	494	206	683	723	297
30.	चंडीगढ़	3606	2504	816	3702	4306	1252
31.	दादरा और नगर हवेली	318	276	23	529	591	43
32.	दमन और दीव	239	159	13	387	405	23
33.	दिल्ली संघ शासित	54287	24906	15565	40775	36842	20598
34.	लक्षद्वीप	60	32	24	30	8	32
35.	पुदुचेरी	4281	3163	1621	5858	4957	2086
	कुल संघ शासित	63474	31534	18271	51964	47832	24331
	कुल अखिल भारत	2387188	1774150	482250	3270016	3065654	717781

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

[अनुवाद]

बीपीएल के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली

709. **श्री जोस के. मणि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने संबंधी कार्ड रखने वालों के लिए सीमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल से बीपीएल समुदाय के लिए और अधिक खाद्यान्न का आवंटन करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की स्वीकृत संख्या को वितरण के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न (चावल और गेहूं) आबंटित करती है। खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत उठानों के आधार पर सरकार गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएलएल) के परिवारों को वितरण के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आबंटित करती है।

खाद्यान्नों के आबंटन को टीपीडीएस के अंतर्गत केवल बीपीएल परिवारों के लिए सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 जिसे दिनांक 10.09.2013 को अधिसूचित किया गया है, के अंतर्गत टीपीडीएस का कवरेज गरीबी अनुमान से अलग कर दिया गया है और इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी को कवर किया जाएगा।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने राज्य में टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न के आबंटन के लिए 32.30 लाख बीपीएल परिवारों की सूचना दी है जिसमें 5.92 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं और राज्य में अतिरिक्त बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 39384 टन चावल और 19417 टन गेहूं के अतिरिक्त मासिक आबंटन का अनुरोध किया है।

टीपीडीएस के अंतर्गत, केरल राज्य में 15.54 लाख स्वीकृत बीपीएल परिवारों, जिसमें 5.96 एएवाई परिवार भी शामिल हैं, के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार वर्ष 2010-11 से अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के लिए राज्य को बीपीएल मूल्यों पर अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन निम्नानुसार कर रही है:—

वर्ष	बीपीएल परिवारों के लिए अतिरिक्त आवंटन (हजार टन में)		
	चावल	गेहूं	कुल
2010-11	96.970	28.683	125.653
2011-12	98.828	25.408	124.236*
2012-13	218.783	88.553	307.336*
2013-14	84.978	34.190	119.168

*वर्ष 2011-12 और 2013 के आबंटन में राज्य के निर्धनतम जिलों में अतिरिक्त बीपीएल/एएवाई परिवारों के लिए किए गए अतिरिक्त आबंटन भी शामिल है।

[हिन्दी]

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

710. **श्री हरीश चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) और (ख) रिट याचिका (सिविल) संख्या 310/1996-प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, उच्चतम न्यायालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस सुधारों के बारे में विभिन्न निर्देश जारी किए थे, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य के साथ-साथ जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने और अनुपालन संबंधी शपथ-पत्र फाइल करने के निर्देश शामिल थे राज्य स्तरीय शिकायत प्राधिकरण पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर दुराचार के केवल ऐसे आरोपों का संज्ञान लेगा, जिनमें पुलिस हिरासत में मौतें, गंभीर चोट अथवा बलात्कार की घटनाएं शामिल होंगी। जिला स्तरीय शिकायत प्राधिकरण, उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त, लूट-खसोट, जमीन/मकान पर कब्जा करना अथवा प्राधिकार के गंभीर दुरुपयोग की किसी घटना के आरोपों की जांच भी कर सकेगा।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को विचारार्थ और उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजी गई थी। मामले की सुनवाई अलग-अलग तारीखों पर की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 22.9.2006 के पूर्ववर्ती निर्णय में दिए गए विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 16.5.2008 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में और दो अन्य सदस्यों सहित एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फाइल किए गए शपथपत्रों की जांच करेगी। समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट पेश की और उक्त रिपोर्ट की प्रति दिनांक 4.10.2010 को उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दी गई है। माननीय न्यायालय अपने निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है।

"लोक व्यवस्था" और "पुलिस" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्ट-I और 2 में "राज्य के विषय" हैं, अत: पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

जहां तक संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का संबंध है, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 23.3.2010 के पत्र के तहत सभी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लिए ऐसे प्राधिकरण के गठन, शर्तें, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति और शक्तियां और कार्य पहले ही निर्धारित कर दिए हैं।

मामला निर्णयाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय के सक्रिय विचाराधीन है।

उर्वरकों के डीलर और खुदरा विक्रेता

711. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में उर्वरकों डीलर/खुदरा विक्रेताओं की उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में डीलर/खुदरा विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) उर्वरक थोक विक्रेताओं/खुदरा व्यापारियों की राज्य-वार (उत्तर प्रदेश सहित) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

संबंधित कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक हितों के आधार पर उर्वरक थोक विक्रेता एवं खुदरा व्यापारी नियुक्त किए जाते हैं।

विवरण

एमएफएमएस में राज्य-वार पंजीकृत थोक विक्रेता एवं खुदरा व्यापारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	थोक विक्रेता	खुदरा व्यापारी
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1
2.	आंध्र प्रदेश	1666	13819
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	4
4.	असम	257	1341
5.	बिहार	752	22081
6.	छत्तीसगढ़	496	2954
7.	दादरा और नगर हवेली	0	1
8.	दमन और दीव	0	1
9.	दिल्ली	89	106
10.	गोवा	18	92
11.	गुजरात	1186	10073
12.	हरियाणा	876	5025
13.	हिमाचल प्रदेश	97	2591
14.	जम्मू और कश्मीर	281	826
15.	झारखंड	146	2527
16.	कर्नाटक	1496	11170
17.	केरल	281	2808
18.	लक्षद्वीप	1	2
19.	मध्य प्रदेश	2130	9703
20.	महाराष्ट्र	4674	30098
21.	मणिपुर	53	44
22.	मेघालय	9	82
23.	मिज़ोरम	18	5
24.	नागालैंड	2	2
25.	ओडिशा	879	10628
26.	पुदुचेरी	12	72
27.	पंजाब	931	8684
28.	राजस्थान	1232	10550
29.	तमिलनाडु	1323	12030
30.	त्रिपुरा	29	339
31.	उत्तर प्रदेश	2247	34554
32.	उत्तराखंड	72	1079
33.	पश्चिम बंगाल	2880	21274
	योग	24139	217566

उर्वरकों का आयात

712. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को डीएपी और अन्य उर्वरकों का सीधे आयात करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्यों को प्रर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारें फॉस्फेटिक उर्वरकों के समय पर आयात में समस्याएं झेल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों को डीएपी और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने का है, जैसा कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत होता रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्यों को उनकी आवश्यकता और उर्वरकों की उपलब्धता के अनुसार डीएपी और अन्य फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाती है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग

713. **श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को कृत्रिम अंग या अन्य कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नि:शक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली विद्यमान पेंशन की धनराशि में वृद्धि का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) विकलांगजनों को यंत्र/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना (एडिप) के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान दिया जाता है ताकि जरूरतमंद विकलांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानकीकृत यंत्र और उपकरण प्रापण में सहायता करने जो उनके विकलांगता प्रभावों को कम करने तथा उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करके उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक पुनर्वास का संवर्द्धन करते हैं। योजना में, कोई सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक शल्य चिकित्सा पर जोर दिया जाता है। मौजूदा योजना के तहत, ऐसे विकलांगजन जिनकी मासिक आय 6500/ रुपए प्रतिमाह तक हो, उन्हें यंत्र/उपकरण नि:शुल्क दिए जाते हैं। 6501 से 10000 रुपए के आय स्तर के बीच यंत्र लागत से 50% पर उपलब्ध कराये जाते हैं। केवल ऐसे यंत्र/उपकरण जिनकी लागत 6000 रुपए से अधिक न हो, उन्हें ही योजना के तहत शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ) विस्तृत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के सदस्य, डॉ. मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अगली कार्रवाई आरंभ की गई है।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

714. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र की राज्य सरकार से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार का इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप देने का विचार है और इसमें हो रहे विलंब का कारण क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत वर्ष 2013-14 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुदाई कार्य के दौरान सभ्यता पाए जाने के साक्ष्य

715. **श्री के सुगुमार : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सहित देश के कई भागों में किए गए खुदाई कार्य के दौरान अत्यधिक पुरानी सभ्यता के कई रोचक साक्ष्य पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में और अधिक खुदाई आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खननों और तमिलनाडु सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित उत्खननों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए उत्खनन कार्यों का ब्यौरा

	प्राप्त वस्तुएं
2010-11	
1. खंडेरा, नरवर और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश 2. मल्हार, जिला विलासपुर, छत्तीसगढ़ 3. वैशाली के निकट कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार 4. कोंडापुर, कोंडापुर मंडल, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश 5. खीरसारा, जिला कच्छ, गुजरात 6. कुरुगोडु (बुधिकोला), जिला बेल्लारी, कर्नाटक 7. सेंगालूर, कुलाट्टुर, पुदुकोट्टई, तमिलनाडु 8. अहिछत्र, रामनगर, तहसील औनला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 9. मलयादिपट्टी तालुक कुलाट्टुर, जिला पुदुकोट्टई, तमिलनाडु 10. बानगढ़, गंगारामपुर, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में उत्खनन 11. चंद्रकेतुगढ़, मौजा हादीपुर, चूपड़ीझरा और सिंगेरती, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल 12. राजा-विशाल-का-गढ़, जिला वैशाली, बिहार	उत्खनन से प्राप्त आम वस्तुओं में विभिन्न कालों के मृदभांड, लटकने वाली गेंद, डॉट, दीपक, मूठ, हॉपस्कॉच, टेराकोटा की पशु आकृतियां, मानव आकृतियां, गर्तिका छल्ला, मुहरें/मुहरबंदी, जाल को डुबाने वाली वस्तुएं, शिकारी, टेराकोटा फलक, ढक्कन, लिंग, तकली, खरलमूसल, चर्म रबड़, तख्ती, गुटिका, चूड़ियां, सिक्के, सुरमा सलाइयां, सोने के टुकड़ों से अलंकृत वस्तुएं, छोटे बर्तन, छिड़कनेवाला बर्तन, खिलौने, अर्द्ध कीमती पत्थर और टेराकोटा के मनके, अस्थि/हाथी दांत, पत्थर और तांबे की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सीसी की वस्तुएं, शंख की वस्तुएं, कटोरे, बाजूबंद, क्लैम्प्स, कंघियां, छुरे, अलंकृत अस्थि टुकड़े, चक्रिका, झुमके, कर्णफूल और भाला शामिल हैं।
2011-12	
1. खंडेरा, नरवर और टिकोडा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश 2. मल्हार, जिला विलासपुर, छत्तीसगढ़ 3. कालेज परिसर रूपनगर या रोपड़ के निकट प्राचीन स्थल, जिला रूपनगर, पंजाब 4. खीरसारा, जिला नखतराना, गुजरात	उत्खनन से प्राप्त आम वस्तुओं में विभिन्न कालों के मृदभांड, लटकने वाली गेंद, ढक्कन, दीपक, मूठ, हॉपस्कॉच, टेराकोटा की पशु आकृतियां, मानव आकृतियां, गर्तिका छल्ला, मुहर/मुहरबंदी, जाल को डुबाने वाली वस्तुएं, शिकारी, टेराकोटा फलक, ढक्कन, लिंग, तकली, पहिया, खरलमूसल, चर्म रबड़, तख्ती, गुटिका, चूड़ियां, सिक्के, सुरमा सलाई, सोने के टुकड़े, अलंकृत वस्तुएं, मिट्टी के छोटे बर्तन, छिड़कनेवाला बर्तन, खिलौने, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों, टेराकोटा के मनके, टेराकोटा का पहिया, लोहे की कीलें, सुरमा सलाई, पत्थर के मूसल, पत्थर की मूर्तियां, अस्थि/हाथी दांत, पत्थर और तांबे की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं,

5. कुरुगोडु (बुधिकोला), जिला बेल्लारी, कर्नाटक

शंख की वस्तुएं, कटोरे, बाजूबंद, क्लैम्प्स, कंघियां, छुरे, अलंकृत अस्थि के टुकड़े, चक्रिका, झुमके, कर्णफूल और भाला शामिल हैं।

6. शिशुपालगढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा
7. बानगढ़, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल
8. राजा विशाल का गढ़, जिला वैशाली, बिहार
9. ईटखोरी, जिला चतरा, झारखंड
10. करनपुरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
11. मानेर, दानापुर सैनिक छावनी के पास, जिला पटना, बिहार
12. अहिछत्र (प्राचीन स्थल किला रामनगर), जिला बरेली, उत्तर प्रदेश

2012-13

1. करनपुरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
2. मानेर, दानापुर सैनिक छावनी के पास, जिला पटना, बिहार
3. अहिछत्र (प्राचीन स्थल किला रामनगर), जिला बरेली, उत्तर प्रदेश
4. खीरसारा, जिला नखतराना, गुजरात
5. महाराज की खेड़ी का प्राचीन टीला, जिला उदयपुर, राजस्थान
6. गनवारिया, पिपराहवा और टोला सलारगढ़ जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश
7. ईटखोरी, जिला चतरा, झारखंड
8. प्राणवेश्वर मंदिर परिसर, तालागुंडा, जिला शिमोगा, कर्नाटक

उत्खनन से प्राप्त सामान्य वस्तुओं में विभिन्न कालों के मृदभांड, लटकने वाली गेंद, डॉट, ढक्कन, दीपक, मूठ, हॉपस्कॉच, टेराकोटा की पशु आकृतियां, मानव आकृतियां, गर्तिका छल्ला, मुहर/मुहरबंदी, जाल को डुबाने वाली वस्तुएं, शिकारी, टेराकोटा फलक, ढक्कन, लिंग, तकली, पहिया, खरलमूसल, चर्म रबड़, तख्ती, गुटिका, चूड़ियां, सिक्के, सुरमा सलाई, सोने के टुकड़े अलंकृत वस्तुएं, मिट्टी के छोटे बर्तन, छिड़कनेवाला बर्तन, खिलौने, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों, टेराकोटा के मनके, टेराकोटा का पहिया, लोहे की कीलें, सुरमा सलाई, पत्थर के मूसल, पत्थर की मूर्तियां अस्ति/हाथी दांत पत्थर और तांबे की वस्तुएं,पत्थर की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, सीसे की वस्तुएं, शंख की वस्तुएं, अंतर छड़, कटोरे, बाजूबंद, क्लैम्प्स, कंघियां, छुरे, अलंकृत अस्थि टुकड़े, चक्रिका, झुमके, कर्णफूल और भाला शामिल हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फील्ड सीज़न 2013-14 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित उत्खननों का ब्यौरा

1. खंडेरा, नरवर और टिकोडा, पहाड़ी क्षेत्र में अन्वेषण और डांग डोगरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में उत्खनन
2. नुबरा, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में अन्वेषण और उत्खनन
3. करनपुरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
4. "लौरिया-अरेराज", जिला पूर्व चंपारन, बिहार
5. अनलाजोड़ी, तहसील कनस, जिला पुरी, ओडिशा में उत्खनन और दया नदी के उद्‌गम बिन्दु के दाहिने किनारे से लेकर खुर्दा जिला ओडिशा में तिरीमल तक उत्खनन कार्य
6. अहिछत्र (प्राचीन स्थल किलसा रामनगर), गांव रामनगर, तहसील ओनला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश
7. पोलीकट, जिला तिरुवल्लूर, तमिलनाडु
8. प्राचीन टीला रामतीर्थम्, विदावलूर मंडल, कोवर तालुक, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश

9. स्थानीय रूप से राजा बाली का गढ़ के नाम से विख्यात प्राचीन किले के अवशेष, सब बाबूबराही, जिला मधुबनी बिहार

10. टिब्बा तलीयाना (जिंदरमेहलु) आर.एस. पुरा जिला जम्मू

11. कश्मीर घाटी (जिला गंदरबल और अन्य सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त क्षेत्र), जम्मू और कश्मीर

12. पुराना किला (अक्ष. 28° 36' उ., देशा. 77° 14' पू.), जिला मध्य दिल्ली, नई दिल्ली

13. जूनीकरन, जिला कच्छ गुजरात

14. प्राचीन शिव मंदिर परिपसर, (जमुनदाह), लोहरडगा, जिला लोहरडगा, झारखंड

15. डोंडिया खेत्र, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में ट्रायल उत्खनन (पूरा हो गया)

सीमाओं पर सड़क निर्माण

716. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार द्वारा आरंभ की गई सड़क निर्माण परियोजनाओं का गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए निर्धारित और प्राप्त किया गया लक्ष्य तथा किए गए खर्च का सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (आईबी) पर सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सीमा सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। वर्ष 2010-11 से सरकार द्वारा निम्नलिखित दो नई सीमा सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

1. सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के प्रभावकारी आवागमन के लिए 3853.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1377 किमी. सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्य को अनुमोदन प्रदान किया है। इन सड़कों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। अब तक, 650.00 करोड़ रुपए की धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जा चुकी है और 50 किमी. के फार्मेशन कटिंग कार्य के पूरा हो जाने की रिपोर्ट मिली है।

2. सरकार ने भारत-भूटान सीमा पर 1259.00 करोड़ रुपए की लागत से 313 किमी. सड़क के निर्माण कार्य को अनुमोदन प्रदान किया है। इन सड़कों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। अब तक, 61.80 किमी. सड़कों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) अनुमोदित की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सीमा सड़क परियोजनाओं को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है।

(ङ) सीमा सड़क परियोजनाओं की निगरानी सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में गठित एक ऐसी संचालन समिति के माध्यम से गहन रूप से की जाती है जिसमें स्टेक होल्डर सदस्य के रूप में होते हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीमा सड़कों की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती हैं।

[हिन्दी]

शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के लिए शीतागार

717. श्री कीर्ति आजाद : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली इत्यादि जैसे शीघ्र नशावान पदार्थों के प्रसंस्करण हेतु मशीनरी की खरीद और शीतागारों के निर्माण के लिए निजी उद्यमियों तथा अन्य एजेंसियों को अनुदान सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अनुदान सहायता के रूप में राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी हां महोदया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मछली समेत बागवानी एवं गैर-बागवानी उत्पाद हेतु देश में शीत शृंखला अवसंरचना के सृजन के लिए शीत-शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम चला रहा है।

(ख) शीत-श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत, यह मंत्रालय प्रति परियोजना संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 75% की दर से परंतु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा, मछली, मांस, दुग्ध आदि जैसी गैर-बागवानी आधारित शीत शृंखला परियोजनाओं के लिए, मंत्रालय भी केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, चला रहा है जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना लागत की प्रति परियोजना सामान्य क्षेत्रों में 35% की दर से और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों में 50% की दर से परंतु अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए तथा 6% वार्षिक की दर से परंतु अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी अथवा सावधि ऋण पर आयात वास्तविक व्यय जो भी कम हो सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूरी होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए परियोजना पूरी होने से 7 वर्ष की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से परंतु अधिकतम 3.00 करोड़ रुपए अथवा सावधि ऋण पर आया वास्तविक ब्याज जो भी कम हो अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है।

मंत्रालय की उपर्युक्त स्कीम के अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) और कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी), प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार भी अपनी-अपनी स्कीमों के अंतर्गत शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत देश में मछली प्रसंस्करण यूनिटों सहित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता उपलब्ध कराता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन की यह स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)-केन्द्र प्रायोजित स्कीम में सन्निविष्ट कर दी गई है जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परंतु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप) तथा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों में 33.33% की दर से परंतु अधिकतम 75.00 लाख रुपए और संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की 50% तथा अधिकतम 100.00 लाख रुपए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को दिए जाते हैं।

(ग) एकीकृत शीत शृंखला परियोजनाओं और खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्य-वार स्वीकृत की गई राशि की मात्रा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

शीत शृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार स्वीकृत की गई अनुदान-सहायता की राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	243.00	187.04	156.30	312.59
2.	बिहार	500.00	185.19	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	335.31
4.	गुजरात	180.00	353.035	699.02	349.18

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	245.00	0.00	182.57	190.94
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	674.73	566.22	871.95
7.	कर्नाटक	0.00	584.06	168.13	0.00
8.	केरल	0.00	217.33	155.32	480.39
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	111.97	223.93
10.	महाराष्ट्र	97.00	2400.24	1963.37	700.56
11.	मणिपुर	0.00	0.00	250.00	500.00
12.	मिजोरम	0.00	75.75	151.51	243.58
13.	पंजाब	0.00	935.03	699.76	1056.56
14.	राजस्थान	156.00	0.00	0.00	0.00
15.	तमिलनाडु	152.70	179.22	358.44	179.22
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	1196.52	335.98	493.77
17.	उत्तराखंड	244.00	553.23	880.42	23.23
18.	पश्चिम बंगाल	348.00	613.64	816.02	1023.39
	कुल	2165.70	8155.015	7495.03	6984.60

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार स्वीकृत की गई राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	562.096	1904.726	4245.35	2826.01
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	66.42	0	0.00	34.34
4.	असम	875.701	242.7782	376.12	162.84
5.	बिहार	136.681	89.65674	36.43	10.59

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	25	0	0.00	32.58
7.	छत्तीसगढ़	297.574	841.8276	1753.67	734.95
8.	दिल्ली	82.6	410.68	198.70	118.12
9.	गोवा	25	50	19.42	93.31
10.	गुजरात	1419.72	1975.034	858.71	1357.58
11.	हरियाणा	325.28	828.2817	1122.16	565.53
12.	हिमाचल प्रदेश	204.53	377.51	133.45	260.16
13.	जम्मू और कश्मीर	89.095	98.42	16.43	55.27
14.	झारखंड	85.425	16.57	76.53	37.67
15.	कर्नाटक	377.79	896.2926	1271.03	800.74
16.	केरल	411.72	901.825	252.44	713.09
17.	मध्य प्रदेश	211.294	376.5413	422.19	404.98
18.	महाराष्ट्र	1006.524	2824.152	1864.79	2284.35
19.	मणिपुर	23.975	189.7182	467.49	628.45
20.	मेघालय	100.045	0	5.42	5.42
21.	मिज़ोरम	0	0	0.00	0.00
22.	नागालैंड	6.205	0	14.21	0.00
23.	ओडिशा	200.875	113.5908	259.00	69.31
24.	पुदुचेरी	0	25	150.00	25.00
25.	पंजाब	149.495	1692.902	2420.76	947.11
26.	राजस्थान	691.123	1236.563	615.63	526.58
27.	सिक्किम	0	0	0.00	0.00
28.	तमिलनाडु	493.582	1389.79	689.19	952.03
29.	त्रिपुरा	0	0	0.00	0.00
30.	उत्तर प्रदेश	1078.638	907.0513	622.29	1023.52
31.	उत्तराखंड	168.523	138.047	115.29	224.69
32.	पश्चिम बंगाल	317.945	319.87	186.85	389.89
33.	एमएम-IV	0	0	426.28	0.00
	कुल	9432.862	17846.29	18620.00	15284.08

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों संबंधी नीति

718. **श्री निलेश नारायण राणे** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और बुजुर्गों को अलग से और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या तथा सुरक्षा के प्रावधान सहित इस नीति के अंतर्गत अब तक कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में स्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या की पहचान करने और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है/कराए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) सरकार ने जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की थी जिसमें वृद्धजनों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनके लिए वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य देखभाल तथा उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

- लोगों को अपनी तथा अपनी पत्नी/पति की वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहित करना;
- अपने परिवार के वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना;
- परिवार द्वारा प्रदत्त देखभाल को संपूरित करने के लिए स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठनों को समर्थ बनाना एवं सहायता प्रदान करना;
- असुरक्षित वृद्धजनों की देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना;
- वृद्धजनों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना;
- वृद्धजनों को सेवाएं प्रदान करने हेतु जरा-चिकित्सा प्रदाताओं एवं आयोजकों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना; तथा
- वृद्धजनों को उपयोगी एवं स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता करने के लिए वृद्धजनों में जागरुकता पैदा करना।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं—

1. समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
3. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)

उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत/जारी निधि को दर्शाने वाला ब्यौरा ब्यौरा संलग्न विवरण-II के रूप में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान तथा समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना के तहत सहायता प्राप्त चार क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा वृद्धजनों के लिए कार्यरत सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षा दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) जनगणना, 2011 के अनुसार, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों (60+) की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है और यह 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/

1	2	3	4
			पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:— • वृद्धाश्रम; • दिवा देखभाल केन्द्र; • चल चिकित्सा एकक; • एल्जीमर्स रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केन्द्र; • विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के वच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम; • क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्यों द्वारा अंशदान संपूरित किया जाना अपेक्षित होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न हैं:— • समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; • जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए 10 बिस्तर वार्ड के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं; • नई दिल्ली (एम्स), चेन्नै, मुंबई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्ड सहित वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित तृतीयक स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करना; और • उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धों के लिए दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्वीकृत/जारी निधि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)				इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ईजीएनओएपीएस)				समेकित वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	363.41	261.60	871.52	0.00	39667.00	40949.02	39481.19		423.82	478.74	365.07	146.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	0.00	285.00	504.12	704.33		1.49	0.00	4.08	0.00
3.	असम	226.29	441.98	0.00	0.00	16787.00	11207.50	15613.07		102.32	77.48	77.71	25.99
4.	बिहार	251.57	224.04	446.72	0.00	56002.00	97147.75	68637.49		1.73	2.44	20.44	3.35
5.	छत्तीसगढ़	181.22	125.74	229.20	0.00	17952.00	23506.54	16848.01		7.76	9.03	12.22	0.00
6.	गुजरात	234.77	418.40	225.44	0.00	84.00	8998.00	11830.37		0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	—	—	—	0.00	5871.00	129.00	292.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	78.34	344.54	0.00	0.00	5324.00	6929.82	5469.18		56.73	50.73	48.28	24.84
9.	हिमाचल प्रदेश	121.06	198.96	0.00	0.00	2828.00	2934.39	2162.24		9.51	4.99	6.10	5.12
10.	जम्मू और कश्मीर	156.37	335.16	0.00	0.00	2564.00	2372.00	2821.15		0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	406.44	0.00	0.00	18166.00	27728.08	18215.64		0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	316.21	586.02	0.00	0.00	32296.00	39782.87	27632.08		233.40	237.03	229.33	15.27
13.	केरल	139.94	268.82	470.72	0.00	6615.00	8594.37	9164.00		21.07	6.90	0.00	5.99
14.	मध्य प्रदेश	104.10	232.72	391.84	0.00	34686.00	53973.36	37103.02		7.25	14.79	21.52	3.88
15.	महाराष्ट्र	218.61	237.80	426.96	0.00	28573.00	20505.99	43866.00		99.05	133.32	152.23	20.48
16.	मणिपुर	—	—	—	0.00	1126.00	1893.93	1044.22		140.73	121.67	112.12	13.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	—	—	—	0.00	1664.00	1486.49	1062.00				0.00	0.00
18.	मिज़ोरम	—	—	—	0.00	750.00	792.78	580.31		0.00	6.18	0.00	0.00
19.	नागालैंड	—	—	—	0.00	1164.00	1027.72	1048.52		0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	86.82	223.88	374.56	0.00	37288.00	51086.43	46014.70		355.50	356.90	303.06	61.77
21.	राजस्थान	288.05	209.60	711.20	0.00	14507.00	25538.44	19333.96		14.89	8.89	4.88	0.00
22.	सिक्किम	65.22	137.81	0.00	0.00	422.00	455.53	236.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	105.54	279.20	344.16	0.00	22876.00	31909.00	37461.40		263.80	242.14	257.72	23.74
24.	त्रिपुरा	—	—	—	0.00	4370.00	3978.37	2946.85		13.75	10.81	7.78	0.00
25.	उत्तराखंड	94.02	50.32	81.04	0.00	4562.00	7578.09	6108.75		12.01	5.87	23.22	4.88
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	1855.04	0.00	110319.00	131679.43	111027.03		118.68	39.29	83.88	19.00
28.	पश्चिम बंगाल	125.54	120.52	231.20	0.00	39407.00	47504.93	50327.51		142.82	141.43	42.14	92.31
	संघ राज्य क्षेत्र												
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—		0.00	75.00	198.00	174.00				0.00	0.00
2.	चंडीगढ़	—	—		0.00	145.00	158.00	144.00				0.00	0.00
3.	दिल्ली	—	—		0.00	3998.00	3709.00	3240.00		25.29	18.76	43.46	31.67
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—		0.00	215.00	238.00	204.00				0.00	0.00
5.	दमन और दीव	—	—		0.00	17.00	32.00	33.00				0.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	—	—		0.00	11.00	22.00	21.00				0.00	0.00
7.	पुदुचेरी	—	—		0.00	739.00	682.00	656.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल व्यय	3260.86	5222.77	6855.84	0.00	516200.00	659646.95	585950.22		2067.47	1999.01	1821.03	507.47

विवरण-III

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निवास स्थिति के अनुसार वरिष्ठजनों (60+) की आबादी का आकार (जनगणना 2011 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वरिष्ठजनों (60+) की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
	अखिल भारत	**57445**	**19177**	**76622**
1.	आंध्र प्रदेश	4506	1282	5788
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	4	17
3.	अरुणाचल प्रदेश	46	4	50
4.	असम	1361	199	1560
5.	बिहार	4966	535	5501
6.	चंडीगढ़	3	42	45
7.	छत्तीसगढ़	1271	234	1504
8.	दादरा और नगर हवेली	7	2	9
9.	दमन और दीव	4	4	8
10.	दिल्ली	43	677	720
11.	गोवा	61	51	112
12.	गुजरात	2319	1180	3499
13.	हरियाणा	1192	392	1584
14.	हिमाचल प्रदेश	510	37	548
15.	जम्मू और कश्मीर	515	160	675
16.	झारखंड	1275	304	1579
17.	कर्नाटक	2890	1172	4062
18.	केरल	2479	857	3336
19.	लक्षद्वीप	2	2	4
20.	मध्य प्रदेश	3265	1016	4281
21.	महाराष्ट्र	5709	2746	8455
22.	मणिपुर	102	43	145

1	2	3	4	5
23.	मेघालय	86	20	106
24.	मिज़ोरम	26	23	49
25.	नागालैंड	81	9	90
26.	ओडिशा	2684	355	3039
27.	पुदुचेरी	27	54	81
28.	पंजाब	1581	611	2192
29.	राजस्थान	3025	786	3810
30.	सिक्किम	27	2	29
31.	तमिलनाडु	3223	2285	5507
32.	त्रिपुरा	191	42	233
33.	उत्तर प्रदेश	9625	2025	11649
34.	उत्तराखंड	523	131	654
35.	पश्चिम बंगाल	3808	1892	5700

कोयले की मांग और आपूर्ति में अंतर

719. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में 2016-17 तक कोयले की मांग-आपूर्ति में अंतर का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तद्नुसार सरकार द्वारा कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) कोयला आयात के माध्यम से पूरा की जाने वाली मांग एवं आपूर्ति के बीच अन्तराल वर्ष 2010-11 में 68.92 मि.ट, वर्ष 2011-12 में 102.85 मि.ट तथा वर्ष 2012-13 में 145.79 मि.ट था। अप्रैल-अगस्त, 2013 के दौरान मांग-आपूर्ति अन्तराल को पूरा करने हेतु लगभग 71.63 मि.ट कोयले का आयात किया गया है।

(ख) और (ग) कोयले की मांग एवं स्वदेशी आपूर्ति के बीच का अन्तराल वर्ष 2016-17 में 185.5 मि.ट आकलित किया गया है तथा उपभोक्ता क्षेत्रकों द्वारा कोयला आयात के माध्यम से पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) सरकार ने कोयले की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु विभिन्न उपाय किए है। इनमें पर्यावरणीय एवं वानिकी अनुमोदन तथा रेल रेक उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्रालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई, भूमि अधिग्रहण में आवश्यक सहायता हेतु, कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान, वर्तमान खानों में उत्पादन की नियमित मानीटरिंग करने के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करना तथा चल रही एवं नई परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि शामिल है। तथापि, इन उपायों के बावजूद यह आशा की जाती है कि 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) तक घरेलू मांग एवं उत्पादन में अन्तराल बना रहेगा जिसे आयात के माध्यम से पूरा करना होगा। सरकार की वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को मुक्त समान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केंद

720. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खोले गए नशा मुक्ति केंद्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का चालू वर्ष में बिहार सहित देश में नए नशामुक्ति केंद्रों को खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चिन्हित किए गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेकित व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन एवं रखरखाव हेतु गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों इत्यादि को "मद्यपान एवं नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग की रोकथाम हेतु सहायता प्रदान करने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना" के तहत वित्तीय सहायत प्रदान करता है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सहायता प्रदान किए गए नए नशा-मुक्ति केंद्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) इस योजना के तहत राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधि के सैद्धांतिक आबंटन, जारी की गई राशि तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या संबंधी जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

योजना का नाम: मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग के निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय सेक्टर योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक की अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष अर्थात् 2013-14 (5.12.2013 तक) सहायता प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		सहायता प्राप्त परियोजनाएं	जारी की गई राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाएं	जारी की गई राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाएं	जारी की गई राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाएं	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	4.40	1	1.50	0	0.00	0	0.00
2.	बिहार	1	1.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	हरियाणा	3	5.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	झारखंड	1	1.40	1	1.50	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	1	1.81	1	0.72	2	2.01	0	0.00
11.	केरल	0	0.00	1	0.72	1	3.98	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	0	0.00	3	4.50	1	1.46	0	0.00
13.	महाराष्ट्र	3	4.95	1	1.40	1	1.45	1	1.35
14.	ओडिशा	1	1.43	2	3.32	0	0.00	0	0.00
15.	पंजाब	1	1.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	राजस्थान	0	0.00	1	1.50	0	0.00	1	1.35
17.	तमिलनाडु	0	0.00	3	7.33	0	0.00	0	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19.	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	दिल्ली	0	0.00	1	1.50	0	0.00	0	0.00
25.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल (शेष देश)	14	21.97	15	23.99	5	8.90	2	2.70
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	7	10.63	0	0.00	0	0.00
3.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	1	1.46	0	0.00
4.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	मिज़ोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00	7	10.63	1	1.46	0	0.00
	कुल (पूर्वोत्तर + शेष देश)	14	21.97	22	34.62	6	10.36	2	2.70

विवरण-II

योजना का नाम: मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग के निवारण हेतु सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय सेक्टर की योजना

विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 तक की अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष अर्थात् 2013-14 (5.12.2013 तक) राज्य-वार जारी की गई निधि का ब्यौरा (जारी तथा नए दोनों मामले)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
		सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	190	16	133.63	190	18	156.81	200	6	36.73	300	12	84.01
2.	बिहार	150	10	105.37	140	12	150.11	150	3	33.40	190	9	55.26
3.	छत्तीसगढ़	30	2	7.80	30	2	35.61	30	1	9.42	30	1	3.92
4.	गोवा	15	1	7.50	15	1	10.46	15	1	3.52	15	0	0.00
5.	गुजरात	50	3	22.66	40	3	55.46	50	1	6.61	100	3	9.45
6.	हरियाणा	200	13	98.34	200	11	92.26	150	6	62.82	150	5	19.23
7.	हिमाचल प्रदेश	50	1	4.35	50	3	37.37	40	1	15.84	40	1	8.32
8.	जम्मू और कश्मीर	20	0	0.00	20	1	20.00	20	0	0.00	20	0	0.00
9.	झारखंड	10	1	1.40	15	2	4.90	30	1	6.00	30	0	0.00
10.	कर्नाटक	290	27	246.50	270	29	270.28	270	8	175.46	270	11	58.16
11.	केरल	220	21	190.73	200	21	164.10	200	12	78.85	275	14	95.69
12.	मध्य प्रदेश	215	5	38.60	210	15	143.73	210	4	61.25	210	7	65.51
13.	महाराष्ट्र	410	45	398.35	410	40	401.09	420	15	271.45	420	16	121.80
14.	ओडिशा	250	27	226.18	240	27	260.55	250	9	128.09	350	16	162.70
15.	पंजाब	210	14	283.12	300	14	151.04	245	10	115.78	245	3	16.87
16.	राजस्थान	180	13	124.65	170	12	103.80	170	6	101.73	170	5	28.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	तमिलनाडु	290	23	253.12	290	27	234.70	290	11	138.36	290	7	42.57
18.	उत्तर प्रदेश	410	22	188.85	400	26	264.77	400	23	163.96	400	11	89.46
19.	उत्तराखंड	50	4	43.38	50	3	30.15	40	2	29.26	40	4	18.16
20.	पश्चिम बंगाल	200	6	62.42	200	11	161.76	190	3	22.48	190	9	85.99
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
22.	चंडीगढ़	10	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	10	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
24.	दिल्ली	100	9	80.91	100	11	140.03	100	5	19.33	100	3	18.90
25.	दमन और दीव	10	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	10	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
27.	पुदुचेरी	10	0	0.00	10	0	0.00	5	1	0.50	5	0	0.00
	कुल (शेष देश)	3600	263	2517.86	3600	291	2889.00	3500	129	1480.84	3865	137	954.97
1.	अरुणाचल प्रदेश	20	1	9.78	15	1	9.95	10	0	0.00	20	2	9.94
2.	आंध्र प्रदेश	90	5	33.55	80	16	128.86	115	2	56.61	200	8	54.37
3.	मणिपुर	180	19	238.76	240	21	250.45	205	14	137.60	205	7	44.96
4.	मेघालय	30	1	11.25	20	2	20.06	20	1	3.84	30	2	16.76
5.	मिज़ोरम	90	7	65.75	70	10	145.80	90	7	83.62	110	4	22.33
6.	नागालैंड	65	5	48.97	55	6	74.99	45	5	29.42	45	0	0.00
7.	त्रिपुरा	15	0	0.00	10	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00
8.	सिक्किम	10	1	4.98	10	1	14.93	10	0	0.00	20	2	9.04
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	500	39	413.04	500	57	645.04	500	29	311.09	635	25	158.30
	कुल (पूर्वोत्तर + शेष देश)	4100	302	2930.90	4100	348	3533.45	4000	158	1791.93	4500	162	1113.27

[अनुवाद]

एनजीओ द्वारा निधियों का दुरुपयोग

721. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब और स्वापक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहायता योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों ने उक्त निधियों का संपूर्ण रूप से उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इन निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन निधियों के दुरुपयोग के कितने मामलों का सरकार द्वारा पता लगाया गया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) कर्नाटक सहित विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में मद्यपान तथा औषध (द्रव्य) दुरूपयोग निवारण हेतु सहायता की केंद्रीय सेक्टर योजना" के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित तथा गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। गैर-सरकारी संगठन, उन्हें उपलब्ध करायी गयी सहायता अनुदान हेतु योजना के तहत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायता अनुदान जारी करना, जारी किए गए पूर्ववर्ती अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है।

(ङ) मंत्रालय को समय-समय पर गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं तथा इन्हें जांच हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान जारी करने पर तब तक रोक लगा दी जाती है जब तक संबंधित राज्य सरकार से संतोषजनक जांच रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा निधियों के दुरुपयोग संबंधी कोई भी मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

विवरण

योजना का नाम: मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (औषध द्रव्यों) के दुरुपयोग को रोकने हेतु केन्द्रीय सेक्टर की सहायता योजना

2010-11 से 2012-13 के विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2013-14 (5.12.2013 तक) राज्य-वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12		
		सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	190	16	133.63	190	18	156.81
2.	बिहार	150	10	105.37	140	12	150.11
3.	छत्तीसगढ़	30	2	7.80	30	2	35.61
4.	गोवा	15	1	7.50	15	1	10.46
5.	गुजरात	50	3	22.66	40	3	55.46
6.	हरियाणा	200	13	98.34	200	11	92.26
7.	हिमाचल प्रदेश	50	1	4.35	50	3	37.37

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	जम्मू और कश्मीर	20	0	0.00	20	1	20.00
9.	झारखंड	10	1	1.40	15	2	4.90
10.	कर्नाटक	290	27	246.50	270	29	270.28
11.	केरल	220	21	190.73	200	21	164.10
12.	मध्य प्रदेश	215	5	38.60	210	15	143.73
13.	महाराष्ट्र	410	45	398.35	410	40	401.09
14.	ओडिशा	250	27	226.18	240	27	260.55
15.	पंजाब	210	14	283.12	300	14	151.04
16.	राजस्थान	180	13	124.65	170	12	103.80
17.	तमिलनाडु	290	23	253.12	290	27	234.70
18.	उत्तर प्रदेश	410	22	188.85	400	26	264.77
19.	उत्तराखंड	50	4	43.38	50	3	30.15
20.	पश्चिम बंगाल	200	6	62.42	200	11	161.76
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	0	0.00	10	0	0.00
22.	चंडीगढ़	10	0	0.00	10	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	10	0	0.00	10	0	0.00
24.	दिल्ली	100	9	80.91	100	11	140.03
25.	दमन और दीव	10	0	0.00	10	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	10	0	0.00	10	0	0.00
27.	पुदुचेरी	10	0	0.00	10	0	0.00
	कुल (देश के शेष भाग)	3600	263	2517.86	3600	291	2889.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	20	1	9.78	15	1	9.95
2.	आंध्र प्रदेश	90	5	33.55	80	16	128.86
3.	मणिपुर	180	19	238.76	240	21	250.45
4.	मेघालय	30	1	11.25	20	2	20.06

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मिज़ोरम	90	7	65.75	70	10	145.80
6.	नागालैंड	65	5	48.97	55	6	74.99
7.	त्रिपुरा	15	0	0.00	10	0	0.00
8.	सिक्किम	10	1	4.98	10	1	14.93
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	500	39	413.04	500	57	645.04
	कुल (देश के शेष भाग + पूर्वोत्तर क्षेत्र)	4100	302	2930.90	4100	348	3533.45

—जारी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2012-13			2013-14		
		सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि	सैद्धांतिक आबंटन	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	200	6	36.73	300	12	84.01
2.	बिहार	150	3	33.40	190	9	55.26
3.	छत्तीसगढ़	30	1	9.42	30	1	3.92
4.	गोवा	15	1	3.52	15	0	0.00
5.	गुजरात	50	1	6.61	100	3	9.45
6.	हरियाणा	150	6	62.82	150	5	19.23
7.	हिमाचल प्रदेश	40	1	15.84	40	1	8.32
8.	जम्मू और कश्मीर	20	0	0.00	20	0	0.00
9.	झारखंड	30	1	6.00	30	0	0.00
10.	कर्नाटक	2270	8	175.46	270	11	581.16
11.	केरल	200	12	78.85	275	14	95.69
12.	मध्य प्रदेश	210	4	61.25	210	7	65.51
13.	महाराष्ट्र	420	15	271.45	420	16	121.80
14.	ओडिशा	250	9	128.09	350	16	132.70

1	2	9	10	11	12	13	14
15.	पंजाब	245	10	115.78	245	3	16.87
16.	राजस्थान	170	6	101.73	170	5	28.97
17.	तमिलनाडु	290	11	138.36	290	7	42.57
18.	उत्तर प्रदेश	400	23	163.96	400	11	89.46
19.	उत्तराखंड	40	2	29.26	40	4	18.16
20.	पश्चिम बंगाल	190	3	22.48	190	9	85.99
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	0	0.00	5	0	0.00
22.	चंडीगढ़	5	0	0.00	5	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	5	0	0.00	5	0	0.00
24.	दिल्ली	100	5	19.33	100	3	18.90
25.	दमन और दीव	5	0	0.00	5	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	5	0	0.00	5	0	0.00
27.	पुदुचेरी	5	1	0.50	5	0	0.00
	कुल (देश के शेष भाग)	3500	129	1480.84	3865	137	954.97
1.	अरुणाचल प्रदेश	10	0	0.00	20	2	9.94
2.	असम	115	2	56.61	200	8	54.37
3.	मणिपुर	205	14	137.60	205	7	44.96
4.	मेघालय	20	1	3.84	30	2	16.76
5.	मिज़ोरम	90	7	83.62	110	4	22.33
6.	नागालैंड	45	5	29.42	45	0	0.00
7.	त्रिपुरा	5	0	0.00	5	0	0.00
8.	सिक्किम	10	0	0.00	20	2	9.94
	कुल (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	500	29	311.09	635	25	158.30
	कुल (देश के शेष भाग + पूर्वोत्तर क्षेत्र)	4000	158	1791.93	4500	162	1113.27

[हिन्दी]

पीईजी योजना

722. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी निवेशकों की मदद से आधुनिक भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में निजी उद्यमों गारंटी (पीईजी) योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अंतर्गत नए गोदामों के निर्माण, बंद पड़े गोदामों के पुनरूद्वार और उनमें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित तथा प्राप्त लिए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों में योजना के तहत भंडारण क्षमता के विकास के लिए निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो चूककर्ता राज्यों के नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। देश में अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण की दृष्टि से भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए निजी उद्यमी गारंटी स्कीम नामक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत निजी पार्टियों, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों तथा अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाता है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम किराए पर लेने की गारंटी देता है। तदनुसार, राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर 19 राज्यों में विभिन्न स्थलों पर गोदामों के निर्माण के लिए 203.76 लाख टन की क्षमता अनुमोदित की गई है। दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार 82.01 लाख टन की क्षमता पूरी कर ली गई है।

आधुनिक भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए गोदामों के निर्माण हेतु निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्षमता (लाख टन में)

वर्ष	एमओयू लक्ष्य	पूरी की गई क्षमता
1	2	3
2010-11	—	2.00
2011-12	20.00	26.17
2012-13	35.00	41.75
2013-14	60.00	12.09 (30.11.13 तक)
कुल		82.01

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सभी राज्यों, जहां पीईजी स्कीम को मंजूरी दी गई है, में कार्य शुरू हो गया है या कार्य प्रगति पर है। तथापि, कुछ राज्यों में संस्वीकृत क्षमता में से कुछ भाग का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। पीईजी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संविदा के आबंटन के बाद नॉन-रेलवे साइडिंग गोदामों के लिए अधिकतम एक वर्ष और रेलवे साइडिंग गोदामों के लिए दो वर्ष, जिसे गारंटी अवधि में निवेशकों को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, की अवधि प्रदान की जाती है। इसमें 120 दिन सम्मिलित हैं जो भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निवेशकों को दिए जाते हैं। निवेशकों को प्रस्तावित स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले राज्य प्राधिकरणों से अनुमति लेनी होती है, वित्तीय व्यवस्था आदि करनी होती है। इसमें बहुत समय लग जाता है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में राज्य विशिष्ट कानून पीईजी स्कीम के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। दिनांक 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार 55.86 लाख टन क्षमता का निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इसमें निविदा प्रक्रियाधीन क्षमता (22.85 लाख टन), निविदा जारी की जाने वाली क्षमता (10.63 लाख टन) और संस्वीकृत परंतु जिस पर अभी कार्य शुरू नहीं किया गया है (22.38 लाख टन) वह क्षमता शामिल हैं। 55.86 लाख टन, जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू होना है, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत निर्माण के लिए निर्धारित क्षमता	दिनांक 30.11.2013 तक प्राप्त लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4.51	2.00
2.	बिहार	9.40	0.47

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	5.43	2.68
4.	गुजरात	1.00	0.35
5.	हरियाणा	39.53	18.30
6.	हिमाचल प्रदेश	1.43	0.03
7.	जम्मू और कश्मीर	3.62	0.40
8.	झारखंड	4.75	0.15
9.	कर्नाटक	3.55	2.88
10.	केरल	0.55	0.05
11.	मध्य प्रदेश	23.67	2.87
12.	महाराष्ट्र	7.00	4.23
13.	औडिशा	3.75	2.09
14.	पंजाब	49.99	34.88
15.	राजस्थान	2.50	1.63
16.	तमिलनाडु	3.45	0.90
17.	उत्तर प्रदेश	32.96	7.84
18.	उत्तराखंड	0.25	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	6.44	0.26
	कुल	203.76	82.01

विवरण-II

क्षमता जिसका कार्य आरंभ किया जाना है का राज्य-वार ब्यौरा

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत क्षमता जिसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है	निर्माण कार्य प्रारंभ न होने का कारण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.19	इसे प्रारंभ में आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम को अपनी स्वयं की भूमि पर निर्माण के लिए आबंटित किया गया था किन्तु भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
2.	बिहार	4.60	265000 टन के लिए कार्य आदेश संस्वीकृत किया गया जबकि 195000 टन क्षमता के निर्माण का कार्य राज्य प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका।
3.	छत्तीसगढ़	0.22	शीघ्र प्रारंभ होगा।
4.	हरियाणा	4.66	हाल ही में कार्य आदेश जारी किए गए।
5.	जम्मू और कश्मीर	1.41	राज्य विशिष्ट भूमि हस्तांतरण कानून के कारण प्रारंभ करने में देरी हो रही है।
6.	झारखंड	0.10	हाल ही में एक माह पूर्व कार्य आदेश जारी किए गए।
7.	कर्नाटक	0.52	हाल ही में कार्य आदेश जारी किए गए।
8.	मध्य प्रदेश	3.90	अधिकतर क्षमता 3 से 4 माह पूर्व संस्वीकृत की गई है।

1	2	3	4
9.	ओडिशा	0.49	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि का आबंटन न किए जाने के कारण केन्द्रीय भंडारण निगम तथा ओडिशा राज्य भंडारण निगम निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर सके।
10.	पंजाब	1.86	हाल ही में दो माह पूर्व कार्य आदेश जारी किए गए।
11.	राजस्थान	0.30	15000 टन का कार्य मुकदमेबाजी के अधीन है जबकि 15000 टन साईट विकास कार्य हाल ही में प्रारंभ किया गया है।
12.	तमिलनाडु	1.40	हाल ही में दिनांक 7.11.2013 को तमिलनाडु राज्य भंडारण निगम को 1,05,000 टन का आबंटन किया गया है जबकि 40000 टन के लिए पार्टियों द्वारा पूर्ण किए गए भूमि दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं।
13.	उत्तर प्रदेश	1.93	भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाणपत्र प्रदान करने संबंधी राज्य विशिष्ट कानून द्वारा देरी के कारण।
14.	पश्चिम बंगाल	0.80	केन्द्रीय भंडारण निगम को आबंटित किया गया जो परियोजना लागत को अंतिम रूप प्रदान कर रहा है।
	कुल	22.38	

[अनुवाद]

कमल के फूलों की खेती

723. श्री के.पी. धनपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कमल के फूलों की खेती के लिए विशेष सहायता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को राज्यों से कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कमल के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों, रोपण फसलों आदि जैसे बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बागवनी मिशन के नाम से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इन मिशनों के तहत नर्सरी, क्षेत्र विस्तार, समेकित पोषक तत्व और नाशीजीव प्रबंधन, यंत्रीकरण, मानव संसाधन विकास आदि की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

नि:शक्त व्यक्ति

724. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में नि:शक्त व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े रखे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी नि:शक्तता तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 50 प्रतिशत दृष्टिहीनता नि:शक्तता की श्रेणी में शामिल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे 50 प्रतिशत दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत दृष्टिहीनों के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की कुल संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार, देश में नि:शक्तजनों की कुल संख्या 21906769 है। विकलांगता-वार स्थिति निम्नवत् है:–

दृष्टि	वाक्	श्रवण	चलन	मानसिक
10634881	1640868	1261722	6105477	2263821

(ख) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 2 (i) में नि:शक्तता की श्रेणी में दृष्टिबाधिता तथा अल्पदृष्टि को शामिल किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2(न) के अनुसार, नि:शक्त व्यक्ति का आशय उस व्यक्ति से है जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी प्रकार की नि:शक्तता से कम से कम 40% तक ग्रस्त हो।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार को प्रत्येक संस्थापना में रिक्तियों की ऐसी प्रतिशतता विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित रखनी चाहिए जो विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए 3% से कम न हो और जिनका एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हो:–

(i) दृष्टिबाधिता या अल्पदृष्टि

(ii) श्रवणबाधिता

(iii) प्रत्येक विकलांगता के लिए चिन्हित पदों में चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात

बशर्ते कि समुचित सरकार किसी विभाग अथवा संस्थापना में निष्पादित कार्य के प्रकार पर ध्यान देते हुए, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन अधिसूचना द्वारा, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, इस धारा के प्रावधानों से किसी संस्थापना को छूट दे सकती है।

(घ) इस मंत्रालय में सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

एमएनआईसी जारी करना

725. श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और बायोमीट्रिक पहचान पत्र तैयार करने तथा एनपीआर के आधार पर राष्ट्रव्यापी बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एमएनआईसी के लिए ग्राम सभाओं तथा वार्ड समितियों की सामाजिक पुनरीक्षा की प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा और इस प्रक्रिया में सबूत के लिए किसी अन्य सबूत की आवश्यकता नहीं होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एमएनआईसी जारी करने की प्रक्रिया त्रुटि रहित है तथा इसे भारतीय नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके तथा ऐसे कार्ड कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश के सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट विशेषताओं संबंधी जानकारी एकत्र करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनपीआर में नागरिकों के साथ-साथ अनागरिक भी शामिल होंगे। इसमें 5 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी सामान्य निवासियों के फोटोग्राफ, दास अंगुलियों की छाप और दो आइरिस का प्रिंट होगा। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी सामान्य निवासियों के लिए निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र (आरआईसी) जारी करने संबंधी वित्तीय प्रस्तावों को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने 31.01.2013 को इस मामले पर विचार किया और इसे मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पास भेज दिया। अब तक, मंत्रियों के समूह की दो बैठकें 13.03.2013 और 26.04.2013 को आयोजित की जा चुकी हैं लेकिन उनमें कोई निर्णय नहीं हो सका।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में घोषित किए गए अनुसार सामान्य निवासी स्थिति के संबंध में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों द्वारा 'सामाजिक विधीक्षा' की प्रक्रिया सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की सहमति से विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, 'सामान्य निवासियों' की सूची स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी और आपत्तियों तथा दावों के प्रयोजन से इसे ग्राम सभा/वार्ड समिति में रखा जाएगा। इन दावों तथा आपत्तियों की जांच स्थानीय रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करने वाले पटवारी अथवा तलाती, उप-जिला रजिस्ट्रारों के रूप में नामोद्दिष्ट तहसीलदारों तथा जिला रजिस्ट्रारों के रूप में नामोद्दिष्ट कलेक्टरों/जिलाधिकारियों जैसे राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाएगी। तथापि, इससे

कानून प्रवर्तन एजेंसियों अथवा रजिस्ट्रारों द्वारा अपनी ओर से दावों/आपत्तियों के उठाये जाने पर रोक नहीं होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सत्यापन के लिए अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं तथा वे सत्यापन की इस प्रक्रिया में पुलिस थानों अथवा गांव के चौकीदारों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसमें नागरिक तथा अनागरिक शामिल होंगे। एनपीआर तैयार करने का उद्देश्य किसी एक समय पर देश के सभी सामान्य निवासियों का पता लगाना है। प्रस्तावित निवासी पहचान (स्मार्ट) पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं होंगे और इनमें यह उद्घोषणा दी जाएगी कि यह कार्ड, कार्ड के धारक को नागरिकता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी), जोकि एनपीआर का एक सब-सेट होगा, तैयार करते समय प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता का अलग से निर्धारण किया जाएगा।

वृद्ध और असहाय नागरिक

726. **श्री रवनीत सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में वृद्ध और असहाय नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वृद्ध और असहाय परिचर्या/कल्याणोन्मुखी अनेक सरकारी तथा पंजीकृत निजी संस्थाएं काम कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार को पंजाब सहित राज्य सरकारों से इन वृद्ध तथा असहाय लोगों की सहायता करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर की गई समुचित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या, वर्ष 2001 में 7.7 (7.5%) करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 10.38 करोड़ हो गयी है, जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निवास द्वारा 2001 तथा 2011 की जनसंख्या के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों (आयु 60+) की जनसंख्या के आकार को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल/कल्याण में लगे हुए निजी संस्थानों के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समेकित वरिष्ठ नागरिक योजना (आईपीओपी) नामक एक योजना कार्यन्वित कर रहा है जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज संस्थानों को सहायता अनुदान दिया जाता है। पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समेकित वरिष्ठ नागरिक योजना (आईपीओपी) के तहत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों तथा इन्हें दी गयी सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वरिष्ठ नागरिकों (60+) की लिंग-वार राज्य-वार जनसंख्या

कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत

कुल जनसंख्या (लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001 में	2011 में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	57.80	82.78
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.25
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.64
4.	असम	15.60	20.79
5.	बिहार	55.01	77.07
6.	चंडीगढ़	0.45	0.67
7.	छत्तीसगढ़	15.05	20.04
8.	दादरा और नगर हवेली	0.09	0.14
9.	दमन और दीव	0.08	0.11
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.20	11.47
11.	गोवा	1.12	1.63
12.	गुजरात	34.99	47.87
13.	हरियाणा	15.84	21.94
14.	हिमाचल प्रदेश	5.47	7.03
15.	जम्मू और कश्मीर	6.75	9.23

1	2	3	4
16.	झारखंड	15.79	23.57
17.	कर्नाटक	40.62	57.91
18.	केरल	33.36	41.93
19.	लक्षद्वीप	0.04	0.05
20.	मध्य प्रदेश	42.81	57.13
21.	महाराष्ट्र	84.55	111.07
22.	मणिपुर	1.45	1.88
23.	मेघालय	1.08	1.39
24.	मिजोरम	0.49	0.69
25.	नागालैंड	0.90	1.03
26.	ओडिशा	30.39	39.84
27.	पुदुचेरी	0.81	1.20
28.	पंजाब	21.92	28.66
29.	राजस्थान	38.11	51.12
30.	सिक्किम	0.29	0.41
31.	तमिलनाडु	55.08	75.10
32.	त्रिपुरा	2.33	2.90
33.	उत्तर प्रदेश	116.50	154.40
34.	उत्तराखंड	6.54	9.01
35.	पश्चिम बंगाल	56.90	77.42
	कुल	766.01	1038.37

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 तथा 2011

विवरण-II

वर्ष 2012-2013 हेतु पंजाब सहित राज्य सरकारों से समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीओपी) के तहत प्राप्त हुए राज्य-वार प्रस्तावों की संख्या तथा दी गयी सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव	शामिल किए गए गैर-सरकारी संगठनों की	परियोजनाओं की संख्या जिन्हें सहायता दी गयी
1	2	3	4	5
शेष अन्य राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	119	68	16
2.	बिहार	4	3	5
3.	छत्तीसगढ़	2	3	3
4.	गोवा	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0
6.	हरियाणा	18	11	15
7.	हिमाचल प्रदेश	3	1	2
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
9.	झारखंड	0	0	0

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	55	32	45
11.	केरल	3	0	0
12.	मध्य प्रदेश	9	2	4
13.	महाराष्ट्र	28	22	30
14.	ओडिशा	96	37	100
14.	पंजाब	10	2	4
16.	राजस्थान	4	1	1
17.	तमिलनाडु	61	46	63
18.	उत्तर प्रदेश	7	15	27
19.	उत्तराखंड	5	2	4
20.	पश्चिम बंगाल	36	10	16
संघ राज्य क्षेत्र				
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
22.	चंडीगढ़	0	0	0
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
24.	दमन और दीव	0	0	0
25.	लक्षद्वीप	0	0	0
26.	दिल्ली	3	5	6
27.	पुदुचेरी	0	0	0
पूर्वोत्तर राज्य				
28.	अरुणाचल प्रदेश		1	1
29.	असम	19	12	21
30.	मणिपुर	32	21	31
31.	मेघालय	0	0	0
32.	मिजोरम	2	0	0
33.	नागालैंड	0	0	0
34.	सिक्किम	0	0	0
35.	त्रिपुरा	3	2	2
	कुल	519	296	496

इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का दुरुपयोग

727. **श्री एम.बी. राजेश : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के बढ़ते दुरुपयोग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या देश के समक्ष उत्पन्न साइबर खतरे की निगरानी के लिए किसी तंत्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां। आसूचना इन्पुटों के अनुसार, आतंकवादी ई-मेल, फेसबुक, चैट फॉर्म, ब्रॉडबैंड/डाटा कोर्ड/जीपीआरएस आदि पर वीओआईपी का उपयोग करके संचार के लिए इन्टरनेट का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं।

(ख) दिनांक 17.10.2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में इलेक्ट्रॉनिक संचार का दुरुपयोग करके चलाए जाने वाले व्याप्त सायबर अपराधों से निपटने हेतु पर्याप्त उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच बहुत ही गहन एवं कारगर समन्वय होता है। संभावित इरादों एवं खतरों के बारे में आसूचना इन्पुट के बारे में नियमित आधार पर संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराया जाता है। अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना का सही समय पर मिलान करने एवं आदान-प्रदान करने के लिए सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए बहु एजेंसी केन्द्र (एमएसी) को सुदृढ़ तथा पुनर्गठित किया गया है तथा सुरक्षा आसूचना इन्पुटों का आदान-प्रदान सुस्थापित तंत्र के जरिए संबंधित राज्यों के साथ किया जाता है जो राज्यों एवं केन्द्रीय सुरक्षा एवं विधि प्रर्वतन एजेंसी के बीच घनिष्ठ समन्वय एवं आसूचना का आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादी मॉड्यूल्स का पर्दाफश हुआ है।

(ग) और (घ) देश में सायबर सुरक्षा के मुद्दे से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विधिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक कदमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं:—

(i) "सायबर हमलों एवं सायबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना" कार्यान्वित की गई है।

(ii) कंप्यूटर सुरक्षा नीतियां, मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश सरकार द्वारा बनाए गए हैं।

(iii) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा पद्धतियों से संबंधित कमयों का पता लगाने तथा उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाईयां करने के लि वेबसाइट सहित संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा जांच करें।

(iv) वर्ष 2008 में यथा संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना के सुरक्षा उन्नयनों से संबंधित मुद्दों का निराकरण करने के लिए विधिक कार्य ढांचा प्रदान किया गया है।

(v) भारतीय कम्प्यूटर आपातकाल कार्रवाई दल (सीईआरटी-इन) अद्यतन सायबर खतरों तथा नियमित आधार पर मुकाबला करने संबंधी उपायों के बारे में अलर्ट एवं परामर्शी-पत्र जारी करता है।

(vi) राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 दिनांक 2.7.2013 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य, साइबर-जगत में सूचना और अवसंरचना को सुरक्षित करना, साइबर खतरों की रोकथाम और कार्रवाई के संबंध में क्षमता-निर्माण, संस्थागत-ढांचों, लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और समन्वय के सम्मिश्रण के माध्यम से सुभेद्यता समाप्त करना और साइबर-घटनाओं से होने वाली क्षति को कम करना है।

(vii) दिनांक 8.5.2013 को, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा भारतीय साइबर-जगत में साइबर-सुरक्षा बढ़ाने के लिए ढांचा से संबंधित एक नोट अनुमोदित किया गया है। इन नोट में साइबर-सुरक्षा संबंधी रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है जिसमें काफी विशद् रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

कोयला आवंटिती कंपनियों से रिपोर्ट

728. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2004 से आवंटित 160 कोयला खंडों में से आज की तारीख तक सिर्फ दो में उत्पादन शुरू हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य मामलों में उत्पादन शुरू न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है, जिन्होंने अब तक उत्पादन शुरू नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ङ) वर्ष 2004 से आबंटित कोयला ब्लॉकों में से 11 में उत्पादन शुरू हो चुका है। कोयला ब्लॉकों के आबंटिती, जिन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, सांविधिक स्वीकृति तथा खनन पट्टा प्राप्त करने, खनन योजना बनाने, भूमि के अधिग्रहण, खनन एवं अन्त्य उपयोग परियोजना, दोनों के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद करने आदि के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार समीक्षा बैठकों में आबंटिती कंपनी द्वारा अन्त्य उपयोग संयंत्रों तथा आबंटित ब्लॉकों के विकास की समय-समय पर मानीटरिंग तथा समीक्षा करती है। इसके अलावा, एक अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों तथा आबंटितियों के अन्त्य उपयोग परियोजना के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 21.06.2012 को किया गया है। जहां भी विलंब का पता चलता है, सरकार ऐसे आबंटितियों को उन्हें दिशानिर्देशों/लक्ष्य तालिका के अनुसार इन कोयला ब्लॉकों में उत्पादन आरंभ करने के लिए चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस तथा सलाह जारी करती है।

समीक्षा समिति तथा अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अभी तक 47 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया है। आबंटन रद्द किए गए 47 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों का पुन: आबंटित किया गया तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि./दामोदर वैली कॉरपोरेशन लि./झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित 5 ब्लॉकों के मामले में आबंटन रद्द पत्रों को वापस ले लिया गया है।

दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत धनराशि

729. श्री निशिकांत दुबे : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 के लिए दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत झारखंड हेतु कितना आवंटन किया गया है;

(ख) झारखंड से कितनी धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई एवं शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में कितने गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है और प्रत्येक संगठन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) वर्ष 2013-14 के लिए दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वासन योजना के तहत झारखंड राज्य को 30 लाख रुपए का सैद्धांतिक आवंटन किया था।

(ख) डीडीआरएस के तहत वर्तमान वर्ष में प्रक्रियारत प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार की सिफारिशें जिनमें सहायता का सैद्धांतिक आवंटन किया था।

(ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जिन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान दीनदयाल पुनर्वास योजना के तहत झारखंड राज्य में अनुदान प्राप्त किए हैं:—

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत की गयी राशि लाख रुपए में		
			2010-11	2011-12	2012-13
1.	भारत सेवा आश्रम संघ, जमशेदपुर	कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए आवास	10.88	0.00	8.16
2.	सृजक-समूह, देवघर	एचआई तथा एमआर के लिए विशेष स्कूल	13.14	0.00	0.00

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

730. श्री यशवंत लागुरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडिशा में कार्यरत किसी गैर-सराकरी संगठनों को कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्य की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा ओडिशा में कार्यरत एनजीओ को कृषि क्षेत्र के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। परन्तु राज्य सरकार योजनाओं के कार्यान्वियन में एनजीओ की सहायता कर सकती है।

[अनुवाद]

एनआईपीईआर में नामांकन

731. **श्री उदय सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) अपने शासी मंडल में संसद की दोनों सभाओं से तीन संसद सदस्यों को नामांकित करता है;

(ख) यदि हां, तो जून 2011 से एनआईपीईआर के शासी मंडल में कार्य कर रहे संसद सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) एनआईपीईआर के शासी मंडल से संसद के सदस्यों को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए कि नाईपर के शासी मंडल (बीओजी) में संसद सदस्यों को नामांकित करना वर्तमान मामले में लाभ का पद धारित करने के आधार पर एक निर्हरता होगी, इस विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने संसद सदस्यों को शासी मंडल से निकाल देने का निर्णय किया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को इस निर्णय और इसके कारणों के बारे में विधिवत सूचित कर दिया गया था। लाभ का पद संबंधी संयुक्त समिति (जेसीओपी) ने भी इस मामले की जांच की और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विचारों से अपनी सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन

732. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षिक करने के लिए कम वेतनमान एवं स्थिति के मुद्दों का समाधान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुनर्गठन प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से मैसर्स मैनपावर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कन्सलटेंट्स, नई दिल्ली नामक एक एजेंसी को कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने मार्च, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर, मौजूदा संवर्गों को सुदृढ़ करने और कुछ नए संवर्ग स्थापित करने सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समग्र सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव की तैयारी अंतिम चरण में है।

(ग) और (घ) सभी क्षेत्रों के अधिकारियों के वेतन और भत्ते, समय-समय पर केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद इसका कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

733. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में कई करोड़ रुपयों की वित्तीय अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में वित्तीय अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई है। वित्तीय अनियमितताओं सहित विभिन्न अनियमितताओं के लिए पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (30.10.2013 तक) के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:—

अवधि	शुरू किए गए मामलों की संख्या		
	बड़े	छोटे	योग
2010	224	1935	2159
2011	185	1191	1376
2012	184	1075	1259
2013 (30.10.2013 तक)	188	880	1068

इनमें से अधिकांश अनियमितताएं खाद्यान्नों के स्टॉक के दुर्विनियोजन एवं खाद्यान्नों के बीआरएल स्टॉक की खरीद और खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री तथा निविदाओं के मामले में अनियमितताओं से संबंधित हैं।

(ग) संबंधित प्रभागों के प्रमुख कार्यकारी निदेशक (अंचल) और महाप्रबंधक (क्षेत्र) के माध्यम से योजनाओं/कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। अनियमितताओं को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम दंडात्मक एवं निवारक सतर्कता दोनों से संबंधित उपाय भी करता है। किए गए दंडात्मक एवं निवारक उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

किए गए दंडात्मक एवं निवारक उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है

क. निवारक सतर्कता उपाय — किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार/अनियमितता/धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए अनेक निवारक उपाय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:—

1. **निम्नलिखित उपायों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना—**

क. खाद्यान्नों की गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों/अपवर्तनों की परिभाषा में विशिष्ट अस्पष्टता का उल्लेख करना तथा उस अस्पष्टता को दूर करना।

ख. प्रारंभ किए गए अपवर्तनों की चित्रात्मक व्याख्या प्राप्त करना और उसे सार्वजनिक करना।

ग. खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों की उचित औसत गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में गुण-नियंत्रण दिशा-निर्देशों में आवश्यक सुधार कराना और शिकायत निवारण के लिए अपील के प्रभावी तंत्र को असरदार एवं तत्पर तरीके से लागू करना।

घ. गुण-नियंत्रण प्रयोगशालाओं के संबंध में अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियों को शुरू करने पर लगातार बल देना।

ङ खाद्यान्नों के गुण-नियंत्रण संबंधी नमूने लेने की गुप्त पहचान प्रणाली शुरू करने पर निरंतर बल देना।

च. शिकायत निवारण के लिए रैफ्रल प्रयोगशाला की प्रणाली शुरू करने पर निरंतर बल देना।

छ. खाद्यान्नों की खरीद की अवधि के दौरान गुण-नियंत्रण कार्यों में प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को उत्तरदायी बनाना ताकि काफी हद तक बीआरएल खाद्यान्नों की खरीद को रोका जा सके।

2. **खाद्यान्नों के स्टॉक की बिक्री आदि में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना—**

क. सतर्कता प्रभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद तथा उसी राज्य एजेंसी के माध्यम से राजसहायता प्राप्त निर्गम दर पर उसके वितरण की प्रणाली में फर्जी खरीद तथा सरकारी योजना के तहत खाद्यान्नों को फर्जी तौर पर जारी न किया जा सके।

ख. यह प्रभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं सहित उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का केवल वही स्टॉक जारी किया जाए जो पीएफए गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो।

ग. मिल-मालिकों आदि जैसे लक्षित उपयोगकर्ताओं को खुला बाजार बिक्री/बिक्री की योजनाओं के तहत खाद्यान्न पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से जारी किए जाएं।

3. **एच एंड टी सेवाओं की खरीद में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना—**

क. यह सुनिश्चित करना कि निविदा सूचना की शर्तें एवं निबंधन बोलीदाताओं की उस व्यापक भागीदारी को अवरुद्ध न करें जिसका उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लाभ प्रदान करना है।

ख. यह सुनिश्चित करना कि पत्तन प्राधिकारी आदि बोलीदाताओं के लिए पूर्व अर्हता के रूप में सहमति पत्र पर बल देकर अपने अथवा कुछ बोलीदाताओं

के पक्ष में गुप्त रूप से एकाधिकार व्यवसाय की स्थिति पैदा न कर सकें।

ग. आदर्श निविदा प्रपत्रों में संशोधन किए गए हैं ताकि पूर्व अर्हता को सरल बनाया जा सके, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की जा सके तथा बैंक गारंटियों के रूप में कार्य-निष्पादन हेतु सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।

घ. यह सुनिश्चित करना कि एच एंड टी पर व्यर्थ/अधिक व्यय न हो।

4. **श्रम संबंधी मामलों में व्यवस्था एवं निष्पक्षता पर बल देना—**

क. श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कामगारों की सूची तथा किसी भी समय वास्तव में कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उनके ब्यौरे में अंतर को समाप्त करना ताकि न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि से संबंधित कानूनी उपबंधों का उल्लंघन न हो सके।

ख. विभागीय श्रम के मामले में छद्म श्रमिकों की प्रणाली पर रोक लगाना।

5. **डिपुओं में खाद्यान्नों के स्टॉक का वैज्ञानिक प्रबंधन और बुक कीपिंग सुनिश्चित करना—**

क. ऐसे मामलों की सूचना देना जिनमें डिपुओं में विभिन्न रिकॉर्डों को सही तरीके से न रखा जा रहा हो।

ख. सही तरीके से चट्टे लगाए जाने और खाद्यान्नों के संरक्षण, आवधिक गुणवत्ता निरीक्षण तथा श्रेणीकरण, प्राथमिकता सूची तेयार किए जाने से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और प्रथम आगम प्रथम निर्गम के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामलों की सूचना देना।

ग. ऐसे मामलों की सूचना देना जिनमें खाद्यान्नों के लिए आवधिक रोगनिरोधी एवं रोगहर उपचार निर्धारित मानदंडों के अनुसार न किया जा रहा हो और जिनमें रसायनों और उपकरणों की स्टॉक स्थिति में विसंगतियां हों।

6. **खाद्यान्नों के स्टॉक के दुर्विनियोजन/उठाईगिरि के विरुद्ध निवारक उपाय—**

क. ऐसे मामलों की सूचना देना जिनमें आवधिक भौतिक सत्यापन समय पर न किया गया हो।

ख. भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक की स्थिति में पाई गई विसंगतियों के मामलों में जांच करना।

ग. किसी भी समय स्टॉक में विभिन्न प्रकार की हानियों के लिए अनुमेय सीमाओं के अनुमान तथा उसके आकलन के लिए वैज्ञानिक फार्मूला बनाए जाने पर बल देना।

घ. डिपुओं से तथा ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की चोरी को रोकने के उपायों का पता लगाना तथा ऐसी उपयुक्त प्रणाली लागू करना जिससे उठाईगिरि से हुई हानि को गलत तरीके से भंडारण हानि अथवा ढुलाई में हुई हानि के रूप में वर्गीकृत न किया जा सके।

ङ किसी भी समय स्टॉक में गुणवत्ता की हानि के लिए अनुमेय सीमाओं का अनुमान लगाने एवं उसका आकलन करने के लिए वैज्ञानिक फार्मूला लागू किए जाने पर बल देना।

च. यह सुनिश्चित करना कि अच्छे स्टॉक को क्षतिग्रस्त स्टॉक के रूप में न दर्शाया जाए।

7. **निवारक प्रकृति के प्रशासनिक उपाय—**

क. संवेदनशील जिलों की सूची की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है और हाल ही में उसमें संशोधन किया गया है।

ख. सभी निविदाओं को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है तथा उसमें निविदा फार्म को डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है।

ग. निविदा परिणामी को भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

घ. हेरा-फेरी/हानियों को रोकने के लिए ठेकेदारों से वसूली का कड़ा दंड शुरू किया गया है।

ङ. एक क्षेत्र में ई-खरीद को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और तथा उसे अब चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतीय खाद्य निगम में विस्तारित किया जा रहा है।

ख. दंडात्मक सतर्कता उपायः

जहां तक दंडात्मक सतर्कता का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं/धोखाधड़ी को रोकने के लिए निम्नलिखित सामान्य उपाय किए जा रहे हैं:—

1. **सामान्य दंडात्मक उपाय—**

क. शिकायतों की त्वरित जांच, प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया बनने वाले मामलों में आरोप-पत्र जारी करना।

ख. जहां तक संभव हो सके, निर्धारित समय-सीमा के भीतर विभागीय कार्यवाहियों (बड़ी/छोटी) को अंतिम रूप देना।

ग. निचले अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के स्तर पर लंबित शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की समीक्षा।

घ. संगत मामलों में प्रणाली को नष्ट करने की रणनीति के रूप में व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा षड्यंत्र अथवा कदाचार में शामिल होने के मामलों में अनुकरणीय दंड।

ङ. जिन मामलों में आपराधिक कदाचार/बाहरी पार्टियों के साथ मिलीभगत की आशंका हो, उन्हें विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/स्थानीय पुलिस को सौंपना।

2. **विशेष दंडात्मक उपाय—**

क. भ्रष्टाचार/दुर्विनियोजन/भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि के ऐसे मामले, जिनमें प्रथम दृष्टया 'कृत्य' अथवा 'अकृत्य' द्वारा भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की संलिप्तता साबित होती हो, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के ध्यान में लाए जा रहे हैं ताकि जांच की दो निर्धारित अवस्थाओं में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श लिया जा सके।

ख. गंभीर प्रकृति के भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के ध्यान में लाया जा रहा है जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच करने से इनकार कर दिया हो।

ग. प्रबंधन को मामला दर मामला आधार पर यह परामर्श दिया जा रहा है कि वह 'समीक्षा' के ऐसे उपबंधों को 'द्वितीय अपील' के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति न दें जिनका प्रावधान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए दंडात्मक कार्रवाई के मामलों में भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी विनियमन के तहत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

जाति आधारित भेदभाव

734. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंदिरों में जाति-आधारित भेदभाव के संबंध में मामले सूचित किए गए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या धार्मिक संस्थाओं में तीर्थ यात्रियों के साथ जाति आधारित भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) देश में मंदिरों में जातिगत भेद-भाव के संबंध में मीडिया रिपोर्टें मिलती रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, मंदिरों में जातिगत-भेद-भाव के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं, तथापि, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कुल पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप-पत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अ.जा./अ.ज. जा. व्यक्तियों के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, उनके पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अपराध के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा है।

गृह मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा करने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अ.जा./अ. ज.जा. से संबंधित विधानों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010							
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4321	2187	266	4214	3826	293	4016	1984
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	7	11	2	16	26	2	0	8
4.	बिहार	3516	2321	158	5152	4729	366	3623	3857
5.	छत्तीसगढ़	340	304	124	568	580	304	253	219
6.	गोवा	1	1	0	0	3	0	4	1
7.	गुजरात	1008	965	75	2548	2557	133	1063	979
8.	हरियाणा	380	282	70	761	727	121	408	275
9.	हिमाचल प्रदेश	101	56	6	179	156	11	94	65
10.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	4	4	0	1	0
11.	झारखंड	577	445	95	925	933	199	636	304
12.	कर्नाटक	2505	1823	80	5775	5533	195	2481	1968
13.	केरल	583	330	18	521	528	31	761	346
14.	मध्य प्रदेश	3374	3325	1070	7203	7215	2068	3245	3147
15.	महाराष्ट्र	1132	908	37	3301	3027	101	1143	925
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	1710	1731	116	2955	3012	142	1455	1396
21.	पंजाब	115	71	12	223	203	36	90	50
22.	राजस्थान	4979	2083	534	3887	3819	1095	5182	2235
23.	सिक्किम	3	4	0	5	3	0	9	7
24.	तमिलनाडु	1631	1020	187	2983	2630	364	1391	885
25.	त्रिपुरा	11	7	1	10	8	1	22	14
26.	उत्तर प्रदेश	6272	4191	4871	18774	11655	13332	7702	5818

2011				2012					
सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256	4373	3768	411	3057	1491	179	4655	4398	174
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	19	1	4	16	2	4	22	3
196	6783	6481	418	4821	4211	221	8711	8855	381
109	589	564	226	262	216	73	467	487	147
0	7	0	0	10	6	0	7	7	0
14	2577	2581	29	1028	996	70	2790	2788	113
34	604	627	107	252	214	24	423	432	41
2	274	225	2	129	93	4	189	242	16
0	0	0	0	2	2	0	7	7	0
66	753	687	230	696	273	58	724	672	104
105	5206	4962	208	2605	1962	72	5165	4605	238
17	478	482	23	810	374	7	665	566	6
891	6961	6923	1796	2875	2833	911	6200	6262	2181
45	3951	3679	100	1091	932	39	3287	3319	105
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2098	2221	140	2265	1452	85	2260	2067	159
9	170	142	32	71	43	6	127	114	15
777	4425	4385	1378	5559	2173	325	5036	4570	494
7	9	9	9	5	8	6	6	6	6
293	3429	2455	419	1647	1179	119	2927	2706	275
1	37	18	1	76	76	6	78	81	12
3870	22711	15537	9716	6202	4675	1855	20335	13891	4563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तराखंड	35	23	38	64	44	67	32	21
28.	पश्चिम बंगाल	63	13	0	37	22	0	59	37
	कुल राज्य	32665	22102	7760	60105	51240	18861	33670	24541
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	2	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	1	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	16	3	7	12	4	7	28	12
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	31	34	1	62	67	1	18	16
	कुल संघ शासित क्षेत्र	47	37	9	74	71	9	49	28
	कुल अखिल भारत	32712	22139	7769	60179	51311	18870	33719	24569

नोट: अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अपराधों में ये अपराध शीर्ष शामिल हैं: हत्या, बलात्कार, अपहरण एव व्यपहरण, डकैती, लूटपाट, आगजनी, मारपीट, अ.जा./अ.ज.ज (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अन्य अपराध।

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति पी.सी.आर. एक्ट के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010							
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4	3	0	4	4	0	3	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	56	68	52	33	14	24	23	22	46
0	66	38	0	85	105	1	147	167	1
6824	65562	55871	15298	33585	23344	4087	64233	56286	9080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	4	0	2	4	0
0	0	0	0	0	1	0	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	30	29	4	44	23	5	35	31	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	23	26	4	24	24	1	85	87	1
4	53	55	8	70	52	6	124	124	6
6828	65618	55926	15306	33655	23396	4093	64357	56410	9086

2011				2012					
सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	4	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	1	0	7	7	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	5	4	0	11	11	0	7	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल अखिल भारत	5	4	0	11	11	0	7	3

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	7	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	7	0	2	0	0	0	0	0

[हिन्दी]

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति न किया जाना

735. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, दिल्ली को इसकी मांग के अनुसार कोयले की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है जिसके कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप राजधानी में विद्युत की कमी है तथा इसकी कुछ इकाइयां बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त विद्युत केन्द्र की मांग की तुलना में कितने कोयले की आपूर्ति की गई है; और

(घ) विद्युत केन्द्र की मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) 02.12.2013 की स्थिति के अनुसार बदरपुर तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) (705 मेगावाट) के पास 21 दिनों को कोयला स्टॉक की स्थिति है। अप्रैल-अक्तूबर, 2013 की अवधि के दौरान 2.3 मिलियन टन की मांग की तुलना में वास्तविक आपूर्ति 2.1 मिलियन टन अर्थात् लगभग 88.2 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 2013) के दौरान कोयले की कमी के कारण उत्पादन की हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

टीपीएस के नाम	के दौरान उत्पादन की हानि (एमयू)			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-अक्तूबर)
बदरपुर	0.00	13.60	0.00	0.00

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार बदरपुर की कोई भी तापीय विद्युत युनिट पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोयले की कमी के कारण बंद नहीं हुई। अप्रैल-अक्तूबर, 2013 तथा अक्तूबर, 2013 के दौरान दिल्ली में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:—

अप्रैल-अक्तूबर, 2013				अक्तूबर, 2013			
आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	घाटा (एमयू)	प्रतिशत	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	घाटा (एमयू)	प्रतिशत
17901	17848	53	0.3	2160	2156	4	0.2

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए बदरपुर (टीपीपी) के संबंध में ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) प्रतिबद्धता की तुलना में सीआईएल स्रोतों से कोयला तथा कोयला उत्पादों के प्रेषण का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

सीआईएल स्रोतों से बदरपुर टीपीपी के लिए एफएसए प्रतिबद्धता की तुलना में प्रेषण (मिलियन टन में)

वर्ष	एफएसए प्रतिशतता	प्रेषण	प्रतिशत कार्यान्वयन
1	2	3	4
2010-11	4.20	3.16	75%
2011-12	4.20	3.90	93%
2012-13	4.20	3.96	94%
2013-14 (नवंबर, 2013 तक)	2.67	2.23	84%

(घ) कोयला कंपनियों और सीआईएल में उपलब्ध मॉनिटरिंग तंत्र के अलावा विद्युत उपयोगिता क्षेत्र को कोयले की आपूर्तियों की मॉनीटरिंग नियमित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय को अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह द्वारा की जाती है जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालया तथा रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। यह उप समूह कोयले की नाजुक स्टॉक स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र सेर संबंधित आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न निर्णय लेता है।

कोयले ब्लॉक आबंटन के लिए स्क्रीनिंग समिति

736. **श्री पशुपति नाथ सिंह :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले ब्लॉकों का आबंटन स्क्रीनिंग समिति संस्तुतियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए स्क्रीनिंग समिति द्वारा संस्तुति हेतु अपनाए गए मापदंडों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्क्रीनिंग समिति के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ङ) सार्वजनिक/निजी कंपनियों को कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन स्क्रीनिंग समिति नामक अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किया गया था। सचिव (कोयला) स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष थे तथा इसमें इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संबर्द्धन विभाग), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार द्वारा स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर आबंटन के बारे में निर्णय लिया गया था। कार्यवृत्त के अनुसार जांच समिति के अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, अन्त्य उपयोग परियोजना स्थापित करने की तैयारी की स्थिति, परियोजनाओं के निष्पादन का पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड, आवेदक कंपनियों की वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं, संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों से संबंधित मामलों के बारे में आवेदनों का आकलन किया जाता है।

खान व खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधन अधिनियम 2010 के लागू होने के पश्चात् कोयला ब्लॉक आबंटन 'कोयला खान नियमावली, 2012 के प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी' के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

मंदबुद्धि वाले लोगों का पुनर्वास

737. **श्री ए.के.एस. विजयन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से उन मंदबुद्धि वयस्कों का पुनर्वास कर रही है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसी मंदबुद्धि महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और देखभाल संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में मूल दायित्व "राज्य सूची" में प्रविष्ठि संख्या 9 के अनुसार, राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार मानसिक रूप से मंद बच्चों और वयस्कों सहित उनके पुनर्वास में राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। केन्द्रीय सेक्टर दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारों की अनुशंसा पर विशेष विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/व्यवसायिक प्रशिक्षण/हाफ वे होम्स इत्यादि सहित ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास चार राज्य सरकारें नामत: हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के माध्यम से मानसिक रूप से मंद वयस्कों का पुनर्वास कर रहा है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) राष्ट्रीय न्यास देश में 4 राज्य सरकारों तथा 8 पंजीकृत संगठनों के सहयोग से विकलांग वयस्क राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (घरौंडा) के अंतर्गत एक आजीवन आश्रय और देखभाल योजना नामत: समूह गृह और पुनर्वास कार्यकलाप कार्यान्वित कर रहा है।

(ii) छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्थापित घरौंडा केन्द्र कार्य कर रहा है जबकि अन्य तीन राज्यों में ये केन्द्र स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) राष्ट्रीय न्यास भी अनाथ बच्चों और अन्य के राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों के सहयोग से समर्थ नामक एक अल्प और दीर्घावधिक आवासीय देखभाल योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत देश में 119 केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं।

इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय न्यास द्वारा 1.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित कर दी गई है जिसमें से वर्ष 2011-12 में त्रिपुरा सरकार के लिए 30 लाख रुपए निर्मुक्त किए थे।

(घ) और (ङ) महिला और बाल विकास मंत्रालय, ने सितंबर, 2002 में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना आरंभ की थी जिसमें मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं भी शामिल हैं। यह योजना मुख्यत: स्वाधार गृहों में प्रवासी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

सरकार ने अब बढ़े हुए वित्तीय मानकों के साथ मौजूदा स्वाधार और अल्प प्रवास गृह योजनाओं को मिलाते हुए 'स्वाधार गृह' नामक एक नई योजना तैयार की है।

शहरी केन्द्रों पर नक्सली हमले

738. श्री पी. कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की कोई सूचना है कि शहरी केन्द्रों पर हमले करने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों में माओवादी हमलों के खतरे के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी जमीनी अग्रणी संगठनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए प्रयास करती रही है। ऐसे जमीनी अग्रणी संगठनों के सदस्य 'सक्रिय कार्यकर्ता' के रूप में व्यवहार करते हैं जो उन कारणों से समर्थन करते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से भूमिगत कैडरों की गतिविधियों को सम्पूरित करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। अग्रणी संगठन सशस्त्र कैडरों को छिपने की सुरक्षित जगह उपलब्ध कराते हैं और माओवादी संघर्ष मशीनरी को संभार आदि की अधिप्राप्ति को भी सुगम बनाते हैं। वे प्रवर्तन शासन प्रणाली को धीमा करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई भी आरंभ करते हैं। वे राज्य और सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए प्रचार और भ्रामक सूचना का प्रसार करने में भी निपुण हैं। हाल ही में, यह भी देखने में आया है कि ऐसे अग्रणी संगठनों के सदस्य भूमिगत गतिविधि में शामिल किए जाने वाले "व्यावसायिक क्रांतिकारियों" को परामर्श दे रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों हेतु सीपीआई (माओवादी) की कार्ययोजना "शहरी परिप्रेक्ष्य" नामक पत्र में प्रलेखबद्ध है। संक्षिप्त रूप में, देश के शहरी क्षेत्रों की कार्ययोजना में श्रमिक वर्गों का संघटन और संगठन, श्रमिक वर्गों के समकक्ष वर्गों का एक संयुक्त फ्रन्ट बनाना और तोड़फोड़ की कार्रवाई सहित सैन्य रणनीति बनाना तथा 'कार्रवाई टीमों' द्वारा चुनिन्दा हत्याएं करना शामिल हैं।

सीपीआई (माओवादी) की एक कार्य योजना है, जो उनकी गतिविधियों को पैन-इंडिया ढांचे में एकीकृत करती है। तथापि, अभी तक वे भारत के शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से बेकार की हिंसा, यातना, सिर काटने और मध्य भारत में उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सिविलियन जनसंख्या और सुरक्षा बलों पर उनके द्वारा की गई अन्य बर्बरता के प्रति शहरी जनसंख्या के आक्रोश परिवर्तन की वजह से कोई महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल रहे है। इसके अलावा, माओवादी विचारधारा ने शहरी जनसंख्या के सीमांत वर्गों के बीच अपना समर्थन खो दिया है क्योंकि उनका आकांक्षा वाला आधार पुरानी माओवादी विचारधारा से पूर्णत: भिन्न है।

शहरी क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) और इसके अग्रणी संगठनों की गतिविधियों की गहनता से मॉनीटरिंग की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, संबंधित राजय सरकारों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के संबंध में जांच

739. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि जारी करने के संबंध में जांच शुरू किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए से कम निधि जारी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) हकदारी के अनुसार हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु शेष संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) :

(क) से (घ) हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि श्री कुलदीप बिश्नोई, माननीय संसद सदस्य ने अपने दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 के पत्र में उल्लेख किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निधि जारी करने में जिला स्तर पर एवं संघ सरकार के स्तर पर विलंब किया जा रहा है।

दिनांक 05.12.2013 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। वर्ष 2013-14 हेतु पहली किस्त का जारी किया जाना, वर्ष 2012-13 की पहली किस्त के 80% व्यय का अनंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण लंबित है, जो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है। जिला प्राधिकारी से इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। पिछले अनुस्मारक दिनांक 29.11.2013 को भेजा गया था।

एमपीलैड्स के तहत धनराशि को जारी करना दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के अंतर्गत शासित किया जाता है। जैसे ही अपेक्षित दस्तावेज एवं प्रमाणन प्राप्त हो जाते हैं, निधि जारी कर दी जाती है। दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 के अंतर्गत, एमपीलैड्स निधि संघ सरकार तथा जिला प्राधिकारी दोनों स्तरों पर अव्यपगत होती है। दिशानिर्देशों के पैरा 2.6 तथा 3.7 के अनुसार, संसद सदस्य वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक पात्रता तक कार्यों की सिफारिश कर सकता है तथा जिला प्राधिकारी संसद सदस्य की पूरी पात्रता तक सिफारिश के अनुसार कार्यों को स्वीकृत कर सकता है।

जैविक उर्वरकों पर राज-सहायता

740. **श्री नवीन जिन्दल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैविक उर्वरकों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रत्यक्ष राज-सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास प्रत्यक्ष राजसहायता प्रदान करने और इस संबंध में अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के द्वारा जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपए प्रति हैक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय जैविक खेती स्कीम (एनपीओएफ) परियोजना के तहत किसानों को सीधी राजसहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय जैविक खेती स्कीम परियोजना के तहत क्रमशः जैव नाशीजीवमार/जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई और कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए नाबार्ड के जरिए पार्शवांत राजसहायता के रूप में क्रमशः 40 लाख रुपए और 60 लाख रुपए तक की सीमा तक वित्तीय परिव्यय का 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के तहत जैविक आदानों पर कोई एमएसपी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के तहत अधिकतम 30,000 रुपए प्रति लाभार्थी के अधीन लागत की 50 प्रतिशत दर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

741. **श्री अर्जुन राम मेघवाल** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में इसकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए उक्त अधिनियम की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा सुधार के लिए पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

- अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए उपबंध है।
- अधिनियम में उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्योहारों से

संरक्षित करने के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानने के अधिकार का उपबंध किया गया है।

- इसमें जान और माल के लिए घातक वस्तुओं के विपणन से बचाव का अधिकार दिया गया है।
- इसमें उपभोक्ता विवादों के त्वरित और सरल प्रतितोष का उपबंध है; जिला, राज्य और केन्द्र के स्तर पर एक अर्ध-न्यायिक तन्त्र स्थापित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय का पालन करता है तथा उसको उपभोक्ताओं को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत प्रदान करने और, जहां उचित हो, मुआवजा दिलवाने की शक्तियां दी गई हैं। अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन न करने पर अर्थदंडों का उपबंध भी किया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का प्रभाव और प्रभावकारिता का मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली की सेवाएं ली थीं। अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशें और सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र निम्नानुसार हैं:—

(i) प्रत्येक राज्य सरकार को आरंभ में कम से कम एक उपभोक्ता मामले निदेशालय, बाद में पूर्ण विभाग स्थापित करना चाहिए। जिला स्तर तक की उपभोक्ता संरक्षण परिषद को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(ii) अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए 'कन्फोनेट' परियोजना के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। राज्य आयोगों और जिला आयोगों की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए।

(iii) जिला मंचों में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों को एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

(iv) राज्य/जिला मंचों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को काफी पहले से शुरू किया जाना चाहिए। बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए राज्य आयोगों और जिला मंच के सभी सदस्यों के वेतनमान एक समान निर्धारित किए जाने चाहिए।

(v) मामलों की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए राज्य आयोग स्तर पर अधिक पीठें स्थापित की जानी चाहिए। राज्य आयोगों को उन जिला मंचों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने की अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जिनके अनुशासन में कमी है।

(vi) लंबित मामलों का निपटान करने के लिए जिला मंचों को लोक अदालतें गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर वकीलों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(vii) विशेष कानून के तहत उपलब्ध उपचार और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए उपचार के बीच विरोधाभास नहीं होना चाहिए।

(viii) इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागरुकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, को वित्त पोषित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

कोल इंडिया लिमिटेड में विस्थापितों और आश्रितों को रोजगार

742. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) उन किसानों के आश्रितों, विशेषत: बालिकाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनकी भूमि कोयला खानों के लिए अर्जित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अधिक आयु वाले आश्रितों को आयु-मानदंड में छूट देने या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को कोल इंडिया लिमिटेड में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती हेतु आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की एक सुपरिभाषित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (आर एंड आर नीति), 2012 है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार आर एंड आर नीति, 2012 के प्रावधानों द्वारा प्रशासित

किया जाता है जिसके तहत रोजगार के लिए कोई लिंग विशिष्टता नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय सीआईएल की आर एंड आर नीति के तहत रोजगार के लिए आयु में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी मिलें

743. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कई चीनी मिलें या तो रुग्ण हो गई हैं या बंद हो गई हैं यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी मिलों के रुग्ण/बंद होने के कारणों और चीनी उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने सरकार से चीनी निर्यात के लिए एक स्पष्ट एवं दृढ़ नीति बनाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) देश में पिछले तीन चीनी मौसमों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बंद पड़ी चीन मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है। वर्तमान चीन मौसम अर्थात् 2013-14 के लिए बंद हुई चीनी मिलों के संबंध में सूचना पेराई मौसम के अंत में ज्ञात होगी। 30.11.2013 के अनुसार रूग्ण चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) चीनी मिलों के बंद होने/रुग्ण होने के कारण सामान्यत: पर्याप्त गन्ने की अनुपलब्धता, गन्ने से कम प्राप्ति, अलाभकर विस्तार, आधुनिकीकरण, उन्नयन और विविधीकरण की कमी, कार्यशील पूंजी की अत्यधिक लागत, व्यावसायिक प्रबंधन की कमी, अत्यधिक स्टाफ इत्यादि का होना है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है यह संबंधित उद्यमियों की जिम्मेदारी है कि बंद पड़ी/रुग्ण चीनी मिलों को पुन: खोलने और उनके पुनरूद्धार के लिए कदम उठाए और सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की है। सरकार चीनी विकास निधि के अंतर्गत आधुनिकीकरण अथवा पुन: स्थापना, खोई आधारित विद्युत सह-उत्पाद परियोजनाओं, इथनाल के उत्पादन और गन्ना विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है तथा संभाव्य रूप से व्यवहार्य रूग्ण चीनी उपक्रमों के लिए चीनी विकास निधि के ऋणों की पुनसंरचना करती है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में चीनी का निर्यात निर्बाध है बशर्ते कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास प्रमात्रा का पंजीकरण कराया गया हो। तथापि इस्मा ने दिनांक 24.09.2013 के अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के निर्यात पर नियंत्रणों को हटाने के लिए अनुरोध किया है जिसमें प्रमात्रा के पंजीकरण में बढ़ोतरी तथर पंजीकृत प्रमात्रा के निर्यात में चूक होने के कारण दंड को हटाना शामिल है। सरकार ने 12 नवम्बर, 2013 से पंजीकरण प्रमात्रा को 25000 मी. टन से बढ़ाकर 50000 मी. टन कर दिया है।

विवरण-I

पिछले तीन चीनी मौसमों अर्थात् 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	चीनी मौसम के दौरान बंद पड़ी चीनी मिलों की संख्या		
		2010-11	2011-12 (अ)	2012-13 (अ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	7	8
2.	असम	3	3	3
3.	बिहार	18	17	16
4.	गुजरात	7	6	17
5.	हरियाणा	2	2	2
6.	कर्नाटक	8	12	13
7.	केरल	2	2	2
8.	मध्य प्रदेश	6	6	7
9.	महाराष्ट्र	43	52	54
10.	नागालैंड	1	1	1
11.	ओडिशा	3	2	2
12.	पंजाब	8	8	8

1	2	3	4	5
13.	राजस्थान	2	2	2
14.	तमिलनाडु	2	3	3
15.	उत्तर प्रदेश	32	34	36
16.	उत्तराखंड	0	0	1
17.	पश्चिम बंगाल	1	2	1
	कुल	146	159	166

अ-अनन्तिम

विवरण-II

देश में रुग्ण चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पंजीकृत (बीआईएफआर डाटा)*	सहकारी क्षेत्र में (नाबार्ड डाटा)**	योग
1	2	3	4
पंजाब	0	5	5
हरियाणा	0	7	7
महाराष्ट्र	3	62	65
उत्तर प्रदेश	7	0	7
उत्तराखंड	0	7	7
कर्नाटक	3	14	17
तमिलनाडु	1	9	10
गुजरात	0	6	6
आंध्र प्रदेश	0	8	8
मध्य प्रदेश	0	3	3
ओडिशा	0	2	2
गोवा	0	1	1
अखिल भारत	14	124	138

*बीआईएफआर डाटा दिनांक 06.12.2013 के उनके पत्र द्वारा प्राप्त हुआ।

**नाबार्ड द्वारा 04.12.2013 के उनके पत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेगेटिव नेटवर्थ वाली चीनी मिलों।

[अनुवाद]

खोपरे की खरीद

744. श्री विष्णु पद राय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ईएचएल, एएनसीओएफईडी और जनजाति विकास सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा उत्पादकों/किसानों से कुल कितना खोपरा खरीद गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार खोपरे की लागत के लिए किसानों/उत्पादकों को भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसानों/उत्पादकों से खरीदे गए खोपरे की दर और मूल्य कितना रहा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा खोपरा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) कोपरा की खरीद हेतु एनएएफईडी केन्द्रीय नोडल एजेन्सी है और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मिलिंग खापरा की खरीद के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन ने तीन केन्द्रीय एजेन्सियां अर्थात् (i) अंडमान और निकोबार सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर (एएनसीओएफईडी), (ii) एयिलोन हिनिगो लिमिटेड, कार निकोबार (ईएचएल) और (iii) जनजातीय विकास सहकारी सोसाईटी लिमिटेड (टीडीसीएस) को नामित किया। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की अवधि के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन में मिलिंग कोपरा की दर एमएसपी से नीचे रही। ईएचएल, एएनसीओएफईडी और जनजातीय विकास सहकारी सोसाईटी लिमिटेड द्वारा उत्पादकों/किसानों से 2009-10,

2010-11 और 2011-12 के दौरान खरीदी गई खोपरा की मात्रा और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा किसानों को भुगतान की गई राशि की ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एनएएफईडी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की अवधि के दौरान एएनसीओएफईडी, ईएचएल और टीडीसीएस द्वारा एफएक्यू मिलिंग की खरीद की गई।

विवरण

2009-10 से 2011-12 तक के दौरान खरीदी गई कोपरा की वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	एसएलएस का नाम	वर्ष	फसल	खरीदी गई मात्रा एमटी (एनईटीटी) में	किसानों को भुगतान किए गए एएमटी	कोपरा की एमएसपी (रुपए पीएमटी)
1.	एएनसीओएफईडी	2009-10	फसल-2009	3019.380	1343622414.50	44500.00
		2010-11	फसल-2010	2307.950	102703779.00	44500.00
		2011-12	फसल-2011	366.704	15235856.00	45250.00
2.	ईएचएल	2009-10	फसल-2009	2854.275	127015240.00	44500.00
		2010-11	फसल-2010	1863.481	82924906.00	44500.00
		2011-12	फसल-2011	0.000	0.00	45250.00
3.	टीडीसीएस	2009-10	फसल-2009	1520.574	67665545.00	44500.00
		2010-11	फसल-2010	1163.441	51773127.00	44500.00
		2011-12	फसल-2011		0.00	45250.00
4.	कुल खरीद	2009-10	फसल-2009	7394.229	329043199.50	44500.00
		2010-11	फसल-2010	5334.872	237401812.00	44500.00
		2011-12	फसल-2011	336.704	15235856.00	44250.00

गेहूं का निर्यात

745. **श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष के दौरान गेहूं के निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 08.08.2013 को केन्द्रीय पूल के अधिशेष स्टॉक से 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया है। निर्यात की अवधि दिनांक 30.06.2014 तक निर्धारित की गई है।

कृषि क्षेत्र में समझौता

746. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि सहयोग को बढ़ाने के लिए विदेशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि मंत्रालय ने कृषि और संवर्गी क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न देशों के साथ 55 छत्र समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/करारों में सहयोग के क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि में निवेश बढ़ाना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, उत्पादकता बढ़ाना, फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन, मूल्य वर्धन/खाद्य प्रसंस्करण, पादप संरक्षण, पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी, व्यापार बढ़ाना तथा व्यवसायिक कार्य करने के लिए व्यवसाय को प्रोत्साहन देना।

ड्रिप सिंचाई

747. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पानी की कमी और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म व ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कई राज्यों में सूखा जैसी स्थिति का सामना करने के लिए अन्य कोई विशेष योजना/स्कीम बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष व चालू वर्ष के दौरान ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी हां। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में जनवरी, 2006 में सूक्ष्म सिंचाई पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की गई। जून 2010 में देश में सभी राज्यों को कवर करते हुए स्कीम को राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) के रूप में उन्नत किया गया। इस स्कीम के तहत, कृषि और बागवानी फसलों दोनों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

(ग) 12वीं योजना के दौरान जल संकट और सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में एनएमएमआई स्कीम का कार्यान्वय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार गंभीर प्रकृति की विप्पत्तियों की स्थिति में अपेक्षित वित्तीय और लोजिस्टिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के कोशिश को संपूरण करती है। स्थापित प्रक्रिया और वर्तमान मानदंडों के अनुसार गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से प्रदान किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) के तहत निधियों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत निधियों का आवंटन

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	240.00	287.00	295.00	295.00
2.	बिहार	0.00	6.00	70.00	70.00
3.	छत्तीसगढ़	25.00	50.00	40.00	40.00
4.	गोवा	1.00	0.50	0.39	0.40
5.	गुजरात	120.00	180.95	190.00	200.00

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	15.00	27.00	32.00	40.00
7.	झारखंड	10.00	10.00	25.00	30.00
8.	कर्नाटक	130.00	112.15	150.00	175.00
9.	केरल	2.00	2.00	3.00	7.50
10.	मध्य प्रदेश	75.00	110.95	100.00	110.00
11.	महाराष्ट्र	225.00	282.80	250.00	250.00
12.	ओडिशा	15.00	9.00	12.00	15.00
13.	पंजाब	15.00	16.00	20.00	20.00
14.	राजस्थान	120.00	160.95	150.00	150.00
15.	तमिलनाडु	70.00	95.00	90.00	90.00
16.	उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	15.61	15.61
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	1.00	1.00	1.00
18.	उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य	30.00	15.50	50.00	45.83

[हिन्दी]

सूखा प्रबंधन

748. **श्री घनश्याम अनुरागी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में इन योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किसानों के लिए ये योजनाएं किस हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) सूखा प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में जिसमें सूखा भी शामिल है, राज्य सरकारों को राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ), जिसकी उनके पास तत्काल उपलब्धता रहती है, से आवश्यक उपाय शुरू करने का अधिकार होता है। भारत सरकार स्थापित प्रक्रिया और विद्यमान मानदंडों के अनुसार गम्भीर किस्म की प्राकृतिक विपदाओं के लिए राज्य सरकारों को राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अपेक्षित वित्तीय और संभारतंत्र संबंधी समर्थन प्रदान कर उनके प्रयासों में सहायता करती है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखा, प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित पनधारा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा था जिसे दिनांक 26.02.2009 से एकल स्कीम नामत: समेकित पनधारा प्रबंधन में एकीकृत कर दिया गया है ताकि वर्षा सिंचित एवं अवक्रमित क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्वस्थानें नमी संरक्षण एवं जल संचयन उपायों को बढ़ावा दिया जा सके।

[अनुवाद]

ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा

749. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार/मंत्रालय के पास उपलब्ध उद्यतन जनगणना के अनुसार दलित मूल के ईसाइयों और मुसलमानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को दलित मूल के ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) 2011 की जनसंख्या के उपलब्ध आंकड़ों में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों से, ईसाई तथा इस्लाम धर्म में धर्मान्तृत हुए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के बारे में मांग/अनुरोध किए गए हैं, जो मूलतः ऐसी जातियों से संबंधित हैं, जिन्हें इस समय अनुसूचित जातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस समय यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला

750. **श्री संजय दिना पाटील :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में 10,000 से अधिक बकाया मामले हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं में लंबित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में स्वीकृत 337 पदों में से 194 पद रिक्त हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार, वैज्ञानिक अधिकारियों की कमी के कारण न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 10127 मामले लंबित हैं।

(ङ) वैज्ञानिक अधिकारियों के राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को और गैर-राजपत्रित वैज्ञानिक सहायकों के पदों की भर्ती के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को मांग-पत्र भेजा गया है।

[हिन्दी]

किसानों को राहत पैकेज

751. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अत्यधिक बारिश के कारण किसानों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संदर्भ में पहले कोई धनराशि या अन्य राहत पैकेज जारी किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आरंभिक स्तर पर राहत उपाय शुरू करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। भारत सरकार संभाकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों एवं मानदंडों के अनुसार, बाढ़ द्वारा कृषि फसलों को हुए नुकसान सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के तहत राहत प्रदान की जाती है। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि

भूमि से गाद निकालने, फसल को हुए नुकसान के लिए कृषि निवेश सब्सिडी के लिए सहायता प्रदान की जाती है। फसली नुकसान की नियमित योजनाओं के अतिरिक्त, किसान लोग, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, के तहत मुआवजा के भी पात्र हैं।

तथापि, कार्रवाई निधि से यह वित्तीय सहायता राहत के लिए है, न कि मुआवजा के लिए। कार्रवाई निधि की मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपनी आर्थिक गतिविधियां दुबारा शुरू कर सके। यह राहत मुसीबत से उबरने के लिए तत्काल सहायता के रूप में अनुदान सहायता के रूप में है।

वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2013 के दौरान बाढ़ के लिए 2841.78 करोड़ रुपए की मांग का प्राक्कलन करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने दिनांक 24.10.2013 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य के ज्ञापन, अंतर-मंत्रालयीय केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) की रिपोर्ट और इस पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की उप समिति की सिफारिशों तथा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता की वर्तमान मदों एवं मानदंडों पर विचार किया और एनडीआरएफ से 921.98 करोड़ रुपए का अनुमादेन प्रदान किया बशर्ते कि वर्तमान आपदा के लिए एसडीआरएफ में उपलब्ध बकाया राशि का 75% इसमें समायोजित हों। इसमें वर्ष 2013 की बाढ़ की वजह से कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान के लिए 836.37 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। भारत सरकार द्वारा 921.98 करोड़ रुपए की समग्र अनुमोदित राशि (एसडीआरएफ से 192.175 करोड़ रुपए+एनडीआर एफ से 729.805 करोड़ रुपए) महाराष्ट्र राज्य को दिनांक 20.11.2013 को पहले ही जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

बाल शोषण

752. डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री महेन्द्र कुमार राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों में रिपोर्ट किए गए व लंबित ऐसे मामलों की कुल संख्या सहित उनकी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति के पीछे के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में और ऐसे मामलों में दोष सिद्धि दर को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010-2012 के दौरान "बच्चों के साथ बलात्कार" के तहत पंजीकृत मामलों (सीआर), आरोप-पत्रित मामलों (सीएस), दोषसिद्धि मामलों (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है, इसलिए, अपराध की रोकथाम, उसके पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, संघ सरकार बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय द्वारा बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं:—

1. बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में दिनांक 14.07.2010 को जारी परामर्शी-पत्र।
2. बच्चों के प्रति विविध अपराधों की रोकथाम एवं उनके दमन के संबंध में दिनांक 04.01.2012 को जारी परामर्शी-पत्र।
3. गुमशुदा बच्चे - बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने एवं उनका पता लगाने के आवश्यक उपाय के संबंध में दिनांक 31.01.2012 और 29.10.2012 को जारी परामर्शी-पत्र।
4. यौन अपराध अधिनियम, 2013 से बच्चों का संरक्षण के संबंध में दिनांक 28.05.2013 को जारी परामर्शी-पत्र।
5. गुमशुदा बच्चों के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित दिनांक 25.06.2013 को जारी परामर्शी-पत्र।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2010							
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	446	453	25	559	564	30	646	468
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	15	0	14	13	0	20	19
3.	असम	39	19	1	24	13	4	40	28
4.	बिहार	114	75	5	112	98	2	91	84
5.	छत्तीसगढ़	382	361	103	426	430	89	477	446
6.	गोवा	23	33	2	35	51	2	20	24
7.	गुजरात	102	100	5	137	141	6	130	121
8.	हरियाणा	107	93	24	121	117	27	66	62
9.	हिमाचल प्रदेश	72	76	8	107	115	11	72	70
10.	जम्मू और कश्मीर	8	5	0	5	5	0	9	7
11.	झारखंड	0	4	0	0	15	0	16	14
12.	कर्नाटक	108	98	14	104	112	9	97	96
13.	केरल	208	276	18	240	323	18	423	265
14.	मध्य प्रदेश	1182	1168	228	1410	1390	291	1262	1248
15.	महाराष्ट्र	747	614	40	936	873	55	818	720
16.	मणिपुर	11	1	0	6	1	0	19	0
17.	मेघालय	91	36	2	64	47	1	66	32
18.	मिज़ोरम	42	39	20	42	39	30	40	36

2011				2012					
सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	720	561	55	613	624	46	604	705	56
2	20	19	2	18	11	1	18	10	1
1	40	24	1	156	93	0	155	93	0
10	93	99	12	137	113	17	148	141	17
63	555	552	78	519	524	96	531	540	78
4	21	29	4	38	23	1	49	29	1
5	166	164	5	150	143	12	210	201	13
27	73	78	28	276	245	15	379	379	15
11	83	81	8	89	73	16	129	118	23
0	8	8	0	13	13	1	21	21	1
1	16	14	2	6	2	0	4	2	0
13	147	147	16	142	130	17	178	156	19
16	570	281	14	455	387	22	604	476	25
245	1524	1520	324	1632	1638	232	1970	1983	279
48	1053	971	61	917	825	43	1257	1212	47
0	5	0	0	17	1	0	7	1	0
0	48	21	0	81	20	2	84	25	2
18	41	37	18	73	64	29	74	64	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	नागालैंड	3	2	1	3	2	1	15	0
20.	ओडिशा	74	80	7	91	92	7	165	150
21.	पंजाब	144	124	47	184	167	59	166	148
22.	राजस्थान	369	219	46	277	282	63	394	272
23.	सिक्किम	14	39	0	11	39	0	11	12
24.	तमिलनाडु	203	177	30	208	188	31	271	175
25.	त्रिपुरा	107	95	12	93	96	10	45	85
26.	उत्तर प्रदेश	451	390	266	678	598	404	1088	934
27.	उत्तराखंड	10	10	8	11	11	30	23	21
28.	पश्चिम बंगाल	73	57	4	94	69	5	252	108
	कुल राज्य	5142	4659	916	5992	5891	1185	6742	5645
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	8	0	23	8	0	9	19
30.	चंडीगढ़	16	21	6	27	26	8	15	11
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	2	1	1	2	1	1
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	304	277	92	349	419	172	339	322
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	1	5	2	1	6	4
	कुल संघ शासित क्षेत्र	342	312	101	406	457	183	370	357
	कुल अखिल भारत	5484	4971	1017	6398	6348	1368	7112	6002

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	15	0	1	7	14	10	8	24	24
11	150	150	13	192	174	7	242	232	11
40	172	182	52	295	190	54	282	234	68
61	328	326	68	572	408	111	491	488	142
12	12	12	12	21	30	10	19	12	30
22	263	192	26	292	242	33	333	285	44
14	144	96	18	17	36	2	12	45	12
405	1573	1328	548	1040	930	250	1581	1349	333
7	25	25	5	34	31	15	33	30	13
7	182	115	6	285	186	8	178	138	8
1081	8047	7032	1377	8087	7170	1050	9601	8993	1289
0	15	43	0	10	5	1	17	8	1
7	17	22	8	17	21	7	18	18	8
0	1	1	0	1	1	1	1	1	2
0	0	0	0	4	4	1	9	9	1
108	402	349	127	415	368	97	516	507	145
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17	16	0	7	10	1	9	13	1
115	452	431	135	454	409	108	570	556	158
1196	8499	7463	1512	8541	7579	1158	10171	9549	1447

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

753. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में जन्म और मृत्यु का बड़ा प्रतिशत रिपोर्ट/पंजीकृत नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जन्म और मृत्यु के शत प्रतिशत पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय (ओआरजी एंड सीसीआई) द्वारा जारी सिविल रजिस्ट्रीकरण से संबंधित वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2010 के अनुसार समग्र रूप से देश के संबंध में जन्म और मृत्यु के लिए पंजीकरण का स्तर क्रमशः 82.0% और 66.9% है। पंजीकरण इकाइयों द्वारा रिपोर्ट किए जाने का स्तर कुल मिलाकर 89.9% है तथा ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में यह 89.9% और शहरी क्षेत्र के लिए 91.8% है।

(ख) वर्ष 2010 के दौरान कुल 26.1 मिलियन अनुमानित जन्मों में से केवल 4.7 मिलियन जन्मों का पंजीकरण नहीं हो पाया तथा कुल 8.5 मिलियन अनुमानित मृत्यु में से 2.8 मिलियन मृत्यु का पंजीकरण नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि भारत में क्रमशः 18.0 और 33.1 प्रतिशत के लगभग जन्म और मृत्यु का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा जिला रजिस्ट्रार को पंजीकृत जन्म और मृत्यु की यथोचित रिपोर्ट न देना जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का प्रमुख कारण है। घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

पंजीकरण का स्तर निम्नलिखित कारणों से कम होता है:—

- जन्म के पंजीकरण की आवश्यकता और महत्व के विषय में आम जनता में जागरुकता की कमी।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता को पंजीकरण के स्थान और प्राधिकारियों के संबंध में जानकारी की कमी।
- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले कुछ राज्यों का खराब प्रदर्शन।
- राज्य सरकार द्वारा सीआरएस संबंधी कार्य को कम महत्व देना।
- राज्यों में सीआरएस के कार्य में लगे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी।

रिपोर्टिंग का स्तर निम्नलिखित कारणों से कम रह जाता है:—

✓ रजिस्ट्रार को पंजीकृत जन्म और मृत्यु के संबंध में निर्धारित जिला/उप-जिला प्राधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है लेकिन प्रक्रिया संबंधी जानकारी की कमी और जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के कार्य को कम महत्व दिए जाने के कारण वे जिला प्राधिकारी को समय से विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं।

✓ संबंधित रजिस्ट्रारों को संस्थागत घटनाओं की समय से रिपोर्ट न देना।

✓ जनशक्ति की कमी।

✓ राज्य सरकार द्वारा कम महत्व दिया जाना।

✓ स्थानीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कीम।

(ग) जन्म और मृत्यु का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने अनेक बार सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं और वर्तमान दिशा-निर्देश सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय को मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने से संबंधित है। इससे जिला स्तर तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने में सहायता मिलेगी। सभी संस्थागत घटनाओं की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय ने ऐसी सभी चिकित्सीय संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए पहल की है जहां जन्म और मृत्यु की घटनाएं होती हैं।

(घ) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किए गए उपायों के जवाब में 18 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र मासिक आधार पर इस कार्यालय को पंजीकृत जन्म और मृत्यु संबंधी अपने विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं; 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सभी चिकित्सीय संस्थाओं का

डाटाबेस तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है और शेष राज्यों में यह कार्य चल रहा है तथा इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

(ङ) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा भारत में पंजीकरण की प्रणाली में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गए अनुसार हैं:—

- संस्थागत घटनाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
- भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने केन्द्रीय स्तर पर दूरदर्शन, निजी टीवी चैनलों, आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), डिजिटल सिनेमा और प्रिंट मीडिया जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की आवश्यकता और महत्व संबंधी प्रचार अभियानों को तीव्र कर दिया है।
- भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय निम्न के संबंध में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय सहायता कर रहा है—
  - ✓ आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) क्रियाकलापों के माध्यम से प्रचार और विज्ञापन।
  - ✓ पंजीकरण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
  - ✓ सीआरएस रिकॉर्डों का परिरक्षण और रख-रखाव।
  - ✓ स्टॉफ, कंप्यूटरों इत्यादि के दृष्टिकोण से मूलभूत सुविधाओं संबंधी सहायता उपलब्ध करवाना।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस कार्यालय ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा अन्य चिकित्सीय संस्थाओं में पंजीकरण केन्द्र खोलने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं।
- सीआरएस के कार्य में लगे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों से अन्तर्विभागीय समन्वय समिति (आईडीसीसी)/जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठकों के नियमित आयोजन का अनुरोध किया जाता है।

मानसिक विकारों वाले व्यक्ति

754. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक और तंत्रिका-तंत्र संबंधी विकारों वाले रोगियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी, अधिनियम) के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) मानसिक रुग्णता को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत नि:शक्तता की एक श्रेणी के रूप में शामिल कर लिया गया है जबकि तंत्रिका-तंत्र संबंधी विकारों की उक्त अधिनियम के तहत विकलांगता के रूप में पहचान नहीं की गई है। तथापि, इस मंत्रालय के विकलांगजन अधिकार नामक विधेयक, 2013 का प्रारूप, जिसके द्वारा मौजूदा नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया जाना है, मानसिक रुग्णता तथा चिरकालिक तंत्रिका-तंत्र संबंधी परिस्थितियों को विकलांगता की विशिष्ट श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

महिलाओं की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट

755. **श्री ताराचन्द भगोरा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महिला और महिलाओं संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए उस सर्वेक्षण जिसमें यह सामने आया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों में 95 प्रतिशत महिलाएं व लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है जो यह दर्शाती है कि दिल्ली में 95 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। तथापि, सरकार ने दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(क) संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक बीट गश्त।

(ख) मेट्रो/रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान।

(ग) पेइंग गेस्ट आवासों/हॉस्टलों की सुरक्षा संबंधी जांच।

(घ) छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई।

(ङ) शिकायतों का तेजी से निपटान, शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनाए रखना।

(च) महिला हैल्प डेस्क का सृजन।

(छ) महिला कर्मियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बीपीओ को अनुदेश जारी किए गए।

अंतर-राज्यीय सीमा विवाद

756. **श्री तकाम संजय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक अंतर-राज्यीय सीमा विवादों में उलझे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की देश में अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने में क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए किसी समिति या कृतिक बल का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति या कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम-मेघालय; असम-नागालैंड; असम-अरुणाचल प्रदेश; असम-मिजोरम; महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल; पंजाब-हरियाणा; आंध्र प्रदेश-कर्नाटक; आंध्र प्रदेश-ओडिशा; आंध्र प्रदेश-महाराष्ट्र; आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु; तमिलनाडु-कर्नाटक; ओडिशा-झारखंड; ओडिशा-छत्तीसगढ़; ओडिशा-पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद अधिकांशत: भूभाग पर दावों और प्रतिदावों के कारण हैं।

(ग) केन्द्र सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि अंतर राज्य सीमा विवादों को केवल संबंधित राज्य सरकारों के इच्छित सहयोग से सुलझाया जा सकता है और केन्द्र सरकार केवल परस्पर सहयोग और समझौते की भावना से विवाद के सौहर्दपूर्ण समाधान के लिए सहायक के रूप में कार्य करती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत-बांग्लादेश की सीमा पर रीट्रीट सेरेमनी

757. **श्री मानिक टैगोर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव भारत-बांग्लादेश सीमा पर वाघा जैसे रीट्रीट सेरेमनी शीघ्र ही आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सेरेमनी को कब तक आयोजित किए जाने की संभावन है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल और सीमा प्रहरी बांग्लादेश के बीच मार्च, 2013 में नई दिल्ली में आयोजित महानिदेशक स्तर की बातचीत के दौरान पहले चरण में एकीकृत चेक पोस्ट बेनापोल-पेट्रापोल में बीएसएफ एवं बीजीबी की टुकड़ियों के बीच ज्वाइंट रीट्रीट सेरेमनी शुरू करने और उसके बाद इसे बरीमारी-चंगबंदा, अखौरा-अगरतला तथा बांग्लाबांध-फुलबारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया था। माननीय गृह मंत्री ने बांग्लादेश के माननीय गृह मंत्री की मौजूदगी में 6 नवंबर, 2013 को आईसीपी पेट्रापोल में ज्वाइंट रीट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किया।

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण

758. **डॉ. भोला सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची क्या है और कृषि क्षेत्र के विकास व आर्थिक वृद्धि में उनकी बढ़ती भूमिका का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कृषि अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने के लिए बिहार में पूसा स्थित डॉ. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शोधकर्ताओं को अति आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे कि विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के अभाव में उन्नत अनुसंधान में उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि विश्वविद्यालय में वर्तमान में रिक्त अनुसंधान पदों की

कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) कृषि विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

आर्थिक प्रगति में कृषि विश्वविद्यालयों की उभरती भूमिका तथा कृषि क्षेत्र का विकास वर्तमान में भारतीय कृषि असमंजस में है। दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्रमशः लगभग 2.8 और 3.5 प्रतिशत रही है, जो 4 प्रतिशत की लक्षित बढ़ोत्तरी से कम है। चूंकि भारत की आर्थिक वृद्धि कृषि संचालित है, अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे नयी तकनीकों और नीतियों के उपयोग द्वारा आगे बढ़ाया जाए। नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल मानव संसाधन एक कुंजी है। दुनियाभर में तकनीकें बहुत तेजी से बदल रही हैं और बौद्धिक संपदा अधिकार और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दों को देखते हुए यह आवश्यक है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए एक अभिनव एप्रोच को लाया जाए। कुशल मानवशक्ति को उत्कृष्ट तकनीकें विकसित करनी चाहिए और किसान समुदाय को उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए कृषि में अपेक्षाकृत कम निवेश से व्यापक परिवर्तन लाना चाहिए। देश की विविध कृषि पारिस्थितिकियों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में लगातार (टिकाऊ) वृद्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नये ज्ञान का प्रयोग प्रमुख प्रेरक होगा। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों की बिगड़ी हुई अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, वैश्विक अर्थव्यवस्था का खुलापन जैसी विकास में क्षेत्रीय असमानताएं, नयी चुनौतियां सामने आई हैं। ये सारी परिस्थितियां कृषि विश्वविद्यालयों को एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए कहती है कि ये सभी भागीदारों (विद्यार्थियों को रोजगार और उच्च शिक्षा, खेतिहर पुरुषों और महिलाओं को अजीविका सुरक्षा, किसानों को नये ज्ञान और कौशल, और देश को आर्थिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता) की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।

(ख) उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता के उन्नयन तथा रख-रखाव के लिए बारहवीं योजना में 'भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास' नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। समय-समय पर अनेक विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बारहवीं योजना की स्कीम के ईएफसी की प्रक्रिया चल रही है तथा आरएयू, पूसा सहित कृषि विश्वविद्यालयों को अनुमोदन के अनुसार आवंटन किया जाएगा।

(ग) और (घ) कृषि शिक्षा, राज्य से संबंधित विषय होने के कारण राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाती है। तथापि परिषद के शिक्षा प्रभाग द्वारा "भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास" नामक योजना स्कीम के आंशिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) कृषि शिक्षा राज्य से संबंधित विषय है अतः कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद भरना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। फिर भी, उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

विवरण

राज्य-वार कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2.	श्री वेंकाटेश्वरा पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति
3.	डॉ. वाई.एस.आर. एचयू (एवीएचयू) वेंकटारामान्नागुडेम, (आंध्र प्रदेश)
हरियाणा	
4.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
5.	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार
जम्मू और कश्मीर	
6.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू
7.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर
कर्नाटक	
8.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु
9.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर
10.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धरवाड़
11.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा
12.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलकोट
13.	कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर

1	2
मध्य प्रदेश	
14.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
15.	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
16.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
महाराष्ट्र	
17.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली
18.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर
19.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परमणी
20.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुडी
21.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला
राजस्थान	
22.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
23.	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
24.	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
25.	कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
26.	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
27.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
तमिलनाडु	
28.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
29.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई
30.	तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, नागपरढ़ीनम, तमिलनाडु
उत्तराखंड	
31.	जी.बी. पंत्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
32.	उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसर
पश्चिम बंगाल	
33.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर
34.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता

1	2
35.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूच विहार
36.	विश्व भारती, श्रीनिकेतन
असम	
37.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट
ओडिशा	
38.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
उत्तर प्रदेश	
39.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
40.	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद
41.	सरदार बल्लम भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ
42.	एसएचआई इलाहबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद
43.	दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा
44.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़,
45.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी,
46.	मान्यवर श्री कंशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा
हिमाचल प्रदेश	
47.	चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
48.	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन
झारखंड	
49.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची
छत्तीसगढ़	
50.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
51.	कामधेनु कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
गुजरात	
52.	सरदार क्रुशीनगर-दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय दंतीवाडा
53.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद

1	2
54.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी
55.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़
56.	कामधुने विश्वविद्यालय, गांधीनगर
पंजाब	
57.	गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना
58.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
केरल	
59.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर
60.	केरल मात्स्यिकी और समुद्री अध्ययन विश्वविद्यालय, कोची
61.	केरल पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पोट्टम
बिहार	
62.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
63.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर
नागालैंड	
64.	नागालैंड कृषि विश्वविद्यालय, मेदजीफेम,
	मानद विश्वविद्यालय
65.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा
66.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई
67.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली
68.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
69.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल

*नए बनाए गए विश्वविद्यालय।

[अनुवाद]

तिलहन और दलहन का उत्पादन

759. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
श्री एन. धरम सिंह :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में तिलहन और दलहन के उत्पादन और दर्ज की गई उत्पादन दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में खाद्यान्नों, तिलहन और दलहन के उत्पादन और मांग में बड़ा अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में ही मांग को पूरा करने के लिए इन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने व दलहन के आयात की सीमा तय करने के लिए कोई कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का के लिए समेकित योजना के अंतर्गत तिलहन और दलहन की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा मांगी गई और उपलब्ध करायी गई और राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान तिलहनों एवं दलहनों की उत्पादन दर (पैदावार) के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) तिलहनों की वर्ष-वार मांग के ब्यौरे को प्रक्षेपित नहीं किया गया है। तथापि, 2012-13 के लिए खाद्यान्नों के अनुमानित उत्पादन के साथ-साथ प्रक्षेपित मांग के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

(मिलियन टन)

फसल	प्रक्षेपित मांग	अनुमानित उत्पादन*
खाद्यान्न	242.00	255.36
दलहन	19.00	18.45

*चौथे अग्रिम अनुमान।

यदि देखा गया है कि 2012-13 के दौरान दलहनों का उत्पादन इस वर्ष की प्रक्षेपित मांग की तुलना में मामूली सा कम है, जबकि खाद्यान्नों को उत्पादन उनकी मांग की तुलना में अधिक है।

देश में दलहनों एवं तिलहनों का उत्पादन एवं उत्पादकता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, इसके कारण है: वर्षा का अनियमित वितरण, मानसून पर निर्भरता, छोटे एवं खंडित भू-जोत, अनुचित पोषाहर एवं कीट प्रबंधन, अच्छी, गुणवत्ता वाले बीजों का कम उपयोग, पर्याप्त कृषि मशीनरी की कमी तथा व्यवसायों के उन्नत पैकेज को कम अपनाना आदि।

(घ) दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा स्व-पर्याप्तता को प्रापत करने के उद्देश्य से, सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं यथा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन), राष्टकृीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एकीकृत तिलहन दलहन पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), आदि। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत, देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में ब्लॉक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (एउपी)' नामक एक नए कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया है ताकि दलहनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मुख्य प्रौद्योगिकीयों का सक्रिय प्रचार-प्रसार प्रारंभ किया जा सके।

(ङ) 2010-11 से 2013-14 के दौरान एकीकृत तिलहन दलहन पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) के तहत आवंटित/जारी निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

दलहनों एवं तिलहनों का राज्य-वार उत्पादन दर (पैदावार)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उपज (कि.ग्रा./हैक्टेयर)							
	दलहन				तिलहन			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	675	637	802	442	861	650	845	651
अरुणाचल प्रदेश	1055	1105	#	#	920	1015	#	#
असम	555	573	582	667	576	557	633	571
बिहार	878	975	1026	1451	1048	1046	1174	1083
छत्तीसगढ़	624	613	714	398	686	550	722	837
गोवा	1057	836	#	#	2862	2500	#	#
गुजरात	812	815	900	867	1692	1608	1139	1838
हरियाणा	899	706	827	844	1855	1394	1711	678
हिमाचल प्रदेश	1213	954	1396	489	514	579	483	587
जम्मू और कश्मीर	584	508	537	519	821	826	824	437
झारखंड	773	885	1080	981	625	680	794	1020
कर्नाटक	561	492	566	441	782	665	649	635
केरल	778	747	1321	1000	1032	1230	1080	1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	656	803	938	689	1143	1073	1231	1106
महाराष्ट्र	768	693	737	733	1394	1223	1358	1532
मणिपुर	897	942	#	#	774	788	#	#
मेघालय	849	896	#	#	704	766	#	#
मिज़ोरम	1534	1389	#	#	1203	967	#	#
नागालैंड	1058	1091	#	#	1040	1043	#	#
ओडिशा	486	471	512	519	619	661	691	557
पंजाब	910	789	813	733	1336	1360	1312	778
राजस्थान	686	546	599	338	1203	1243	1261	1214
सिक्किम	899	903	#	#	832	841	#	#
तमिलनाडु	386	552	402	463	2076	2479	2116	1585
त्रिपुरा	706	697	#	#	732	751	#	#
उत्तर प्रदेश	832	993	1030	795	832	825	903	427
उत्तराखंड	851	891	793	872	1012	1082	1242	1500
पश्चिम बंगाल	898	706	937	781	1048	994	1111	844
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	442	541	#	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
दादरा और नगर हवेली	898	939	#	#	750	704	#	#
दिल्ली	1611	1939	#	#	1300	1251	#	#
दमन और दीव	846		#	#	एनजी	एनजी	एनजी	एनजी
पुदुचेरी	499	417	#	#	1684	1231	#	#
अन्य	एनए	एनए	865	747	एनए	एनए	1067	1176
अखिल भारत	691	699	786	583	1193	1133	1169	1231

*चौथे अग्रिम अनुमान।

**प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)।

#अन्यों में शामिल, एनजी: उगाया नहीं गया।

एनए: लागू नहीं।

विवरण-II

एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम) के तहत आवंटत एवं जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी*
1.	आंध्र प्रदेश	5756.7	5756.7	2835.3	2835.3	1793.3	1793.3	4610.0	7595.7
2.	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	बिहार	799.2	799.2	917.6	917.6	919.2	919.2	891.0	0.0
4.	छत्तीसगढ़	1166.9	1166.9	1175.8	1175.8	755.5	755.5	858.0	570.8
5.	गुजरात	1785.8	1785.8	3034.0	3034.0	518.0	518.0	1477.0	779.2
6.	गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	हरियाणा	503.1	503.1	722.8	722.8	434.6	434.6	514.0	0.0
8.	हिमाचल प्रदेश	89.3	89.3	83.0	83.0	65.3	65.3	53.0	45.0
9.	जम्मू और कश्मीर	132.5	132.5	206.0	206.0	42.0	42.0	147.0	140.0
10.	कर्नाटक	5748.5	5748.5	4754.5	4754.5	1481.3	1481.3	2530.0	1845.0
11.	केरल	0.0	0.0	22.7	22.7	0.0	0.0	20.0	0.0
12.	मध्य प्रदेश	5619.4	5619.4	7429.3	7429.3	5690.6	5690.6	4264.0	3379.4
13.	महाराष्ट्र	5498.4	5498.4	8091.3	8091.3	3669.9	3669.9	3527.0	2396.6
14.	मिजोरम	876.8	876.8	362.0	361.4	0.0	0.0	936.0	109.7
15.	ओडिशा	3050.0	3050.0	3961.0	3961.0	1068.4	1068.4	1450.0	1289.5
16.	पंजाब	60.8	60.8	140.3	140.3	0.0	0.0	144.0	0.0
17.	राजस्थान	5070.9	5070.9	5251.0	5251.0	3688.6	3688.6	3908.0	1606.9
18.	तमिलनाडु	1132.6	1132.6	1267.9	1267.9	821.9	821.9	1072.0	791.5
19.	त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	उत्तर प्रदेश	1221.9	1221.9	1289.5	1289.5	666.4	666.4	1395.0	1008.0
21.	पश्चिम बंगाल	614.2	614.2	100.0	100.0	665.0	665.0	640.0	0.0
	कुल	39126.8	39126.8	41644.0	41643.4	22280.0	22280.0	28436.0	21557.2

*06.12.2013 के अनुसार।

नकदी फसलों को नुकसान

760. **श्री अभिजीत मुखर्जी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल, में ओलावृष्टि और बेमौसमी वर्षा से नकदी और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे ओलावृष्टि/बेमौसमी वर्षा के प्रभाव का सामना कर सकें;

(घ) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत और जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ङ) गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक विपदाओं जिनमें ओलावृष्टि शामिल हैं, की स्थिति में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलावृष्टि के कारण फसल हानि के कारण राहत सहायता मांगने के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

राज्य सरकार को ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) जिनकी उनके पास तत्काल उपलब्धता रहती है, से आवश्यक राहत उपाय प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार स्थापित प्रक्रिया एवं विद्यमान मानदंडों के अनुसार गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ के अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अपेक्षित वित्तीय एवं संभारतंत्र सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

सुरक्षा बलों के लिए निधियां

761. **श्री एस.एस रामासुब्बू :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें हैं कि चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न केन्द्रीय सुरक्षा बलों को पर्याप्त अनुदान प्रदान नहीं किए गए थे और निधियां अन्यत्र विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों, कल्याण और लोकप्रिय योजनाओं हेतु विपथित कर दी गई थीं जिस कारण देश की सुरक्षा में गंभीर समझौता किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सुरक्षा बलों हेतु निर्धारित और आबंटित तिथियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सुरक्षा बलों हेतु निर्धारित निधियों को शीघ्र जारी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बजट आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है। असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के लिए वित्त वर्ष 2012-13 (संशोधित अनुमान) और वर्ष 2013-14 (बजट अनुमान) के दौरान आवंटित निधियां क्रमशः 34030.24 करोड़ और 36812.32 करोड़ रुपए थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

बल का नाम	संशोधित अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14
एआर	3398.21	3774.74
बीएसएफ	9834.06	10424.75
सीआईएसएफ	3896.71	4104.10
सीआरपीएफ	10906.53	11608.33
आईटीबीपी	2779.12	3053.77
एनएसजी	549.37	698.36
एसएसबी	2666.24	3148.27
कुल	34030.24	36812.32

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बल-वार आबंटित निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपए)

बल का नाम	संशोधित अनुमान 2010-11	संशोधित अनुमान 2011-12	बजट अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14
एआर	2744.06	3180.43	3398.21	3774.74
बीएसएफ	7532.69	8832.17	9834.06	10424.75
सीआईएसएफ	2962.73	3274.17	3896.71	4104.10
सीआरपीएफ	7995.79	9517.35	10906.53	11608.33
आईटीबीपी	1893.84	2423.00	2779.12	3053.77
एनएसजी	498.24	594.13	549.37	698.36
एसएसबी	1655.47	2067.92	2666.24	3148.27
कुल	25282.82	29889.17	34030.24	36812.32

(ग) और (घ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को आवंटित बजट जारी करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निधियां शीघ्र जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय से नियमित रूप से परामर्श किया जाता है।

यूरिया क्षेत्र हेतु नई मूल्य निर्धारण योजना

762. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III से परे विद्यमान यूरिया इकाइयों हेतु नीति तैयार करने से संबंधित सभी पहलुओं को देखने के लिए मंत्रीसमूह (जीओएम) गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनपीएस-III से परे यूरिया क्षेत्र की एनपीएस नीति को कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरिया क्षेत्र हेतु नीति के कार्यान्वयन में विलंब के कारण यूरिया विनिर्माण इकाइयों को प्रचालनात्मक हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यूरिया क्षेत्र हेतु एनपीएस की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-III (एनपीएस-III) की नीति को सीसीईए द्वारा फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया था और उसे 01.10.2006 से 31.03.2010 तक के लिए प्रभावी बनाया गया था। एनपीएस के चरण-III के नीतिगत प्रावधानों को एनपीएस-III की वैधता अवधि अर्थात् 31.3.2010 से अलाग आदेश होने तक के लिए बढ़ाया गया है। पीएमओ के अनुमोदन से एनपीएस के चरण-III से बाद की मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नीति के निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक नए जीओएम का गठन किया गया था, जिसकी बैठक 5 जून, 2013 को हुई थी। बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि नई मूल्य-निर्धारण चर्चा की जानी अपेक्षित है। इसलिए, मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए एनपीएस के चरण-III के बाद की नीति फिलहाल जीओएम के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) इस विभाग के पास किसी यूरिया इकाई को हुई प्रचालनगत हानि से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

जन औषधि केन्द्रों में दवाइयों की उपलब्धता

763. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई व्यापार योजना के अनुसार सरकार की योजना देश

के सभी राज्यों में और अधिक जन औषधि केन्द्र (जेएएस) खोलने की है ताकि आम आदमी को सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें;

(ख) यदि हां, तो जेएएस में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है और देश के प्रत्येक जिले में जेएएस खोलने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या जेएएस में उक्त दवाइयां राजसहायता प्राप्त दरों पर बेची जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जेएएस पर उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या उक्त केन्द्रों पर दवाइयों की कमी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा जेएएस में सभी आवश्यक दवाइयों के उचित भंडारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां। सभी के लिए वहनीय मूल्य पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि अभियान की नई कारबार योजना का उद्देश्य 12वीं योजना अवधि के दौरान 3000 स्टोर खोलने का है। प्रारंभिक चरण में उन राज्यों में एक पूर्ण आपूर्ति चैन स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां जन औषधि स्कीम की पर्याप्त मौजूदगी है। बाद में इस स्कीम का विस्तार अन्य राज्यों में किया जाएगा। जो उनसे प्राप्त अनुक्रिया पर निर्भर करेगा।

(ख) स्टोर में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 नए स्टोर खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में कम से कम क्रमशः 750, 1000 और 750 स्टोर खोलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त स्टोरों में औषधियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए औषधियों की संख्या को बढ़ाकर 361 औषधियां कर दिया गया है। स्टोरों में वास्तविक समय के आधार पर दवाओं की उपलब्धता और एक पारदर्शी खरीद प्रक्रिया तथा आपूर्ति चैन के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति का सुनिश्चित करने के लिए एक आईटी आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोई भी सब्सिडी घटक नहीं है। तथापि, यह औषधियां कम मूल्य वाली औषधियां हैं। सभी थेराप्यूटिक श्रेणियों को कवर करते हुए 361 औषधियां हैं।

(ङ) जेएएस में और अधिक संख्या में दवाएं उपलब्ध कराने की मांग रही है। इस कठिनाई का सामना करने के लिए शेष दवाओं को खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए निजी विनिर्माताओं से भी खरीदने का निर्णय किया गया है।

[अनुवाद]

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

764. श्री नारेनभाई काछादिया :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान निधियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों हेतु आवासीय सुविधाओं सहित आबंटित और प्रदान की गई कुल निधियां कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार को नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस कार्मिकों हेतु विशिष्टतः आवासीय योजना स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु और निधियां प्रदान करने और सभी निधियों को समयबद्ध ढंग से प्रयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अंतर्गत केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस बलों सहित राज्य पुलिस कार्मिकों हेतु आवास निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है। गृह मंत्रालय आयुध भंडारों, आसूचना, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा आदि के उपकरणों, पोशाक, तंबू, प्रशिक्षण, संचार उपकरणों, मोटर वाहनों आदि की खरीद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यन्वित कर रहा है। इस योजना में आवास का घटक शामिल नहीं है। एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों के आवास सहित आबंटित एवं प्रदान की गई कुल निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। आवास सुविधाओं के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों को प्रदान की गई केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, अवर (कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल) तथा प्रवर अधीनस्थ (सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक) पुलिस कार्मिकों हेतु रिहाइशी आवास के निर्माण के लिए विगत वर्षों, अर्थात् 2011-12 तक राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की गई हैं। एमपीएफ योजना को आगे पांच वर्षों तक अर्थात् वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के लिए बढ़ाया गया है, जिसका वित्त-पोषण अंशत योजनेत्तर तथा अंशत: योजनागत के अंतर्गत किया जाएगा। पुलिस अवसंरचना अर्थात पुलिस थानों/चौकियों, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास, विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं एवं प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन-भवनों के निर्माण का वित्तपोषण योजनागत बजट के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिए कुल 3750.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और आधुनिक शस्त्र, वाहन, प्रशिक्षण उपकरण, सुरक्षा संबंधी उपकरण, विधिविज्ञान संबंधी उपकरण आदि जैसी गैर-योजनागत सामग्रियों का वित्त-पोषण 12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) के दौरान कुल 8195.53 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ योजनेत्तर बजट के अंतर्गत किया जाएगा।

विवरण-I

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11		2011-12		2012-13
		जारी निधि	खर्च की गई निधि	जारी निधि	खर्च की गई निधि	जारी निधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	89.96	56.88	6.35	5.97	21.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.75	7.46	7.08	1.34	2.00
3.	असम	48.51	38.95	48.02	14.18	13.14
4.	बिहार	63.67	63.67	28.50	11.29	15.03
5.	छत्तीसगढ़	29.8	29.09	12.48	8.97	4.93
6.	गोवा	2.3	1.58	0.08	0.00	0.52
7.	गुजरात	55.27	55.27	33.23	33.23	12.99
8.	हरियाणा	30.41	7.07	5.23	5.23	6.06
9.	हिमाचल प्रदेश	6.36	5.28	5.91	2.99	1.78
10.	जम्मू और कश्मीर	148.25	138.77	109.73	93.00	22.47
11.	झारखंड	36.9	36.21	6.58	5.92	4.67
12.	कर्नाटक	83.01	67.21	53.37	38.94	19.49
13.	केरल	42.68	42.60	27.05	23.05	8.19
14.	मध्य प्रदेश	72.41	68.74	37.54	32.63	13.78
15.	महाराष्ट्र	42.26	35.30	64.72	31.87	29.63
16.	मणिपुर	26.63	24.68	38.76	37.69	4.85

1	2	3	4	5	6	7
17.	मेघालय	8.48	0.00	6.69	0.00	1.91
18.	मिजोरम	19.55	19.44	13.18	12.67	6.40
19.	नागालैंड	33.77	33.77	30.08	30.08	5.46
20.	ओडिशा	54.24	54.24	20.28	20.28	7.92
21.	पंजाब	26.08	19.97	32.12	13.27	8.34
22.	राजस्थान	47.88	47.34	33.17	29.98	15.88
23.	सिक्किम	2.17	2.00	5.02	1.34	0.90
24.	तमिलनाडु	92.52	81.27	43.19	40.00	17.70
25.	त्रिपुरा	23.08	22.16	16.35	14.23	3.99
26.	उत्तर प्रदेश	77.61	77.08	61.76	23.93	32.10
27.	उत्तराखंड	6.35	6.35	5.75	5.75	3.61
28.	पश्चिम बंगाल	43.73	0.00	47.78	0.00	14.68
	कुल	1224.63	1042.38	800.00	537.83	300.00

नोट: वर्ष 2012-13 के दौरान जारी केन्द्रीय निधियों के मामलों में राज्य सरकारों की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रैल, 2014 के बाद से देय हो जायेंगे।

विवरण-II

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
		प्रदत्त निधियां	उपयोग की गई	प्रदत्त निधियां	उपयोग की गई	प्रदत्त निधियां	उपयोग की गई
1.	असम राइफल्स	123.47	97.44	86.84	79.52	18.02	6.46
2.	सीमा सुरक्षा बल	165.00	156.45	242.55	213.43	35.20	26.00
3.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
4.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	95.79	92.53	1.01	0.00	20.00	0.00
5.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	13.48	11.97	9.00	7.57	3.03	0.00
6.	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	22.00	14.86	13.92	8.90	0.90	0.00
7.	सशस्त्र सीमा बल	18.06	16.87	23.00	22.89	18.00	18.63
	कुल	437.80	390.12	376.32	332.31	95.15	51.09

कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना

765. श्री चार्ल्स डिएस :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गेहूं और चावल की उच्च उत्पादन किस्मों के विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने और विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि में अनुसंधान और विकास पर व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि में अनुसंधान और विकास के आवंटन को बढ़ाने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अखिल भारतीय समन्वित गेंहू और जौ सुधार कार्यक्रम तथा अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से क्रमश: गेंहू और चावल की अधिक पैदावार वाली किस्मों के विकास के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रासंगिकता को बनाए रखने तथा इसे बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित "भारत में उच्च कृषि का सुदृढ़ीकरण तथा विकास" नामक योजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में देश में कृषि शिक्षा के नियोजन, उत्तरदायित्व, सहायता, प्रोत्साहन तथा समन्वय का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उभरने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाना है। कृषि विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम निर्गम और परीक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, व्यक्तित्व विकास, संकाय और गैस संकाय का क्षमता निर्माण, उत्कृष्टता के निच क्षेत्र, परीक्षणात्मक शिक्षण मॉड्यूल, ग्रामीण जागरुकता कार्य अनुभव तथा अनेक सुविधाओं के लिए विकास अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को वर्ष 2010-13 के दौरान गेहूंऔर चावल पर अनुसंधान कार्य हेतु दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं/चावल की उच्च पैदावार वाली किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यों हेतु निम्नलिखित संस्थानों/निदेशालयों को वित्तीय सहायता दी गई है:—

- गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा
- केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
- चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

विश्वविद्यालयों को वर्ष 2010-13 के दौरान "भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विकास" नामक योजना स्कीम के तहत सुदृढ़ीकरण एवं विकास के संबंध में जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आरबीआई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार राज्यों के लिए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) द्वारा केन्द्र सरकार के लिए संकलित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (आरएंडडी के रूप में) के आंकड़ों के अनुसार मात्स्यिकी और वानिकी सहित कृषि आरएंडई व्यय, वर्ष 2010-11 के चालू मूल्यों पर जीडीपी कृषि का 0.7018 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 में आरएंडई तीव्रता घटकर 0.6589 हो गई और वर्ष 2012-13 में यह और कम हो गई 0.5752 (अनन्तिम)। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) जी, हां। योजना आयोग ने वर्ष 2007-08 के मूल्य पर 11वीं योजना के दौरान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के आवंटन को रुपए 12588/- करोड़ से बढ़ाकर 12वीं योजना के दौरान रुपए 25553/- करोड़ किया है। हालांकि इसमें सिर्फ केन्द्र सरकार का अनुसंधान एवं विकास व्यय शामिल है। विभिन्न राज्यों के लिए 12वीं योजना की आर एंड ई की प्रस्तावित राशि की सूचना उपलब्ध नहीं है। यद्यपि 12वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2012-13 के उपलब्ध आंकड़ों में वर्तमान मूल्य में जीडीपी कृषि में वृद्धि की तुलना में आर एंड ई में कम वृद्धि देखी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान गेहूं और चावल पर अनुसंधान शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों का विवरण

विश्वविद्यालय	फसल(लें)
1	2
आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	चावल
असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	गेहूं और चावल
आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	चावल
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबोर, भागलपुर बिहार	गेहूं और चावल
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	गेहूं और चावल
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	गेहूं और चावल
बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	गेहूं
बीएसकेवीवी, दपोली	चावल
सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	गेहूं और चावल
सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	गेहूं और चावल
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	गेहूं और चावल
जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	गेहूं और चावल
इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	गेहूं और चावल
जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	गेहूं
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	गेहूं और चावल
केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	चावल
मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, परमणी	चावल
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुडी	गेहूं
महाराणा प्रता कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	गेहूं और चावल
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात	चावल
एनडीयूएटी, फैजाबाद	गेहूं और चावल
ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	चावल
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	गेहूं और चावल

1	2
पीडीकेवी, अकोला	चावल
राजेन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार	चावल
आरवीएसकेवीवी, ग्वालियर	गेहूं
सरदार क्रुषीनगर-दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाडा	गेहूं
एसकेयूएएसटी, जम्मू	गेहूं और चावल
एसकेयूएएसटी, कश्मीर	चावल
स्वामी केशवनन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	गेहूं
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम	गेहूं और चावल
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	चावल
यूएएस बंगलौर	चावल
यूएएस, धारवाड़	गेहूं और चावल
यूबीकेवी, कूच बिहार	गेहूं

विवरण-II

"भारत में उच्च कृषि शिक्षा के विकास और सुदृढ़ीकरण" के तहत 2012-13 के दौरान जारी की गई विश्वविद्यालय-वार अनुदान की स्थिति

(रुपए लाख)

क्र. सं.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय के नाम	वर्ष 2010-13			कुल
		2010-11	2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5	6
1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1251.48	1140.76	2803.83	5196.07
2.	श्री वेंकाटेश्वरा पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	657.41	427.62	384.11	1469.14
3.	डॉ. वाई.एस.आर. बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटारामान्नागुडेम, (आंध्र प्रदेश)	761.33	479.11	230.62	1471.06
4.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	805.78	630.03	811.97	2247.78
5.	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	0.00	140.90	167.19	308.09
6.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर	1310.60	3574.48	3516.09	8401.17

1	2	3	4	5	6
7.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	1045.47	979.03	2208.96	4233.46
8.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु	1316.08	1128.54	1170.86	3615.48
9.	कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	677.85	970.34	505.48	2153.67
10.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर	604.10	888.94	484.00	1977.04
11.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धरवाड़	1005.58	1088.72	2535.77	4630.07
12.	बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलकोट	689.70	755.48	797.52	2242.70
13.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474002	985.42	909.38	810.86	2705.66
14.	मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	424.60	1086.95	510.00	2021.55
15.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	716.15	945.95	550.22	2212.32
16.	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	749.40	647.42	597.21	1994.03
17.	महाराष्ट्र पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	515.61	644.48	756.00	1916.09
18.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परमणी	1109.81	1666.61	1118.83	3895.25
19.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुडी	855.50	1171.05	961.39	2987.94
20.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	1001.64	923.31	1036.33	2961.28
21.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	1153.05	803.63	715.94	2672.62
22.	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1099.16	686.38	650.00	2435.54
23.	राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	165.00	594.82	771.30	1531.12
24.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	909.01	688.73	770.30	2368.04
25.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई	788.44	1002.63	849.64	2640.71
26.	जी.बी. पंत्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	813.73	925.67	930.24	2669.64
27.	उत्तराखंड बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, भरसर,	0.00	0.00	250.48	250.48
28.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	811.96	744.82	552.01	2108.79
29.	पश्चिम बंगाल पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	672.88	831.17	657.91	2161.96
30.	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूच विहार	601.74	471.75	286.24	1359.73
31.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	35.85	195.32	123.00	354.17

1	2	3	4	5	6
32.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	2341.97	3089.43	1522.51	6953.91
33.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1195.80	1006.74	1580.00	3782.54
34.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	1046.99	1527.48	718.69	3293.16
35.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	665.91	462.95	313.33	1442.19
36.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	790.60	331.51	204.80	1326.91
37.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	691.90	1147.01	587.72	2426.63
38.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	998.02	826.56	544.75	2369.33
39.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	45.40	62.00	70.00	177.40
40.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	423.58	524.45	409.40	1357.43
41.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	888.14	1281.22	1154.10	3323.46
42.	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	909.76	875.36	651.98	2437.10
43.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	974.13	600.41	745.07	2319.61
44.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1092.51	681.23	1490.64	3264.38
45.	सरदार क्रुषीनगर-दंतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय सरदार क्रुषीनगर दंतीवाडा	682.47	478.97	551.91	1713.35
46.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	942.43	835.17	786.41	2564.01
47.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	802.31	584.18	421.00	1807.49
48.	गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना	768.59	942.79	602.06	2313.44
49.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	742.49	800.43	836.64	2379.56
50.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	741.93	414.61	5545.56	6702.10
51.	केयूएफ एंड एएस, कोच्चि		350.82	0.00	350.82
52.	केरल पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम		225.00	2403.00	2628.00
53.	केवी एंड एयूएस, केरल		50.36	0.00	50.36
54.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	772.94	695.29	469.38	1937.61
55.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	1202.04	686.60	540.50	2429.14

1	2	3	4	5	6
56.	बीएयू, भागलपुर		770.38	465.01	1235.39
57.	नागालैंड विश्वविद्यालय, मेदजीफेमा	396.51	309.44	383.76	1089.71
	कुल (क)	42650.75	46704.4	51512.52	410867.68
क.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	42650.75	46704.41	51512.52	140867.68*
ख.	(भा.कृ.अ.प. के मानद विश्वविद्यालय) (आईएआरआई-नई दिल्ली, एनडीआरआई-करनाल, सीआईएफई-मुंबई, आईवीआरआई-इज्जतनगर)	1949.23	1984.58	1835.48	5769.29
	कुल (क+ख)	44599.98	48688.99	53348.00	146636.97

*इसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अनुदान भी शामिल हैं।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि लाख में
1.	एएनजीआरयू, हैदराबाद के लिए विशेष अनुदान	1965.00
2.	ओयूएटी, भुवनेश्वर के लिए विशेष अनुदान	999.00
3.	सीसीएसएचएयू, हिसार के लिए विशेष अनुदान	430.00
4.	केएयू, त्रिसूर के लिए विशेष अनुदान	4951.00
5.	यूएएस, धारवाड़ के लिए विशेष अनुदान	1537.00
6.	केवी एंड एसयू, पौट्टम, तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष अनुदान	2118.00
	कुल	12000.00

विवरण-III

अनुसंधान एवं शिक्षा पर कुल व्यय — रुपए मिलियन में

राज्य	2010-11	2011-12 (आरई)	2012-13 (बीई)	परिवर्तन का प्रतिशत	
				2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4156.4	4510	5710	8.51	26.61
अरुणाचल प्रदेश	54.7	109.4	110.1	100.00	0.64
असम	1781.1	1562.8	1664.8	-12.26	6.53
बिहार	1597.3	1884.5	2864.8	17.98	52.00

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	425.8	661.6	648	55.38	-2.06
गोवा	17.2	22.2	25	29.07	12.61
गुजरात	3382.7	4318.8	5033.5	27.67	16.55
हरियाणा	1875.1	2441.6	2541.2	30.21	4.08
हिमाचल प्रदेश	1133.5	949	999.5	-16.28	5.32
जम्मू और कश्मीर	1375.8	1543.4	1685.8	12.18	9.23
झारखंड	663.7	886.3	805.3	33.54	-0.14
कर्नाटक	2497.9	3379.3	3445	35.29	1.94
केरल	1461.4	2371.4	3043.8	62.27	28.35
मध्य प्रदेश	639.2	840.8	914.7	31.54	8.79
महाराष्ट्र	5616.3	6959.5	6401.4	23.92	-8.02
मणिपुर	22	29	29.5	31.82	1.72
मेघालय	86.9	105.5	118.6	21.40	12.42
मिज़ोरम	4.9	140.8	90.9	2773.47	-35.44
नागालैंड	167.4	163	207.8	-2.63	27.48
ओडिशा	778.9	890.6	857.7	14.34	-3.69
पंजाब	1544.4	1537.1	1826	-0.47	18.80
राजस्थान	1115.8	1185.8	1242.5	6.27	4.78
सिक्किम					
तमिलनाडु	3383.7	4198.9	3807.3	24.09	-9.33
त्रिपुरा	158.6	104.9	22.8	-33.86	-78.27
उत्तराखंड	1982.7	1209.5	1244	11.71	2.85
उत्तर प्रदेश	3549.4	3703.2	2915.8	4.33	-21.26
पश्चिम बंगाल	1107.7	1280.5	1471.4	15.60	14.91
सभी राज्य	39680.2	46980.4	49726.7	18.42	5.83
दिल्ली	12.4	14.3	14.4	15.32	0.70

1	2	3	4	5	6
पुदुचेरी	180.1	156	242	−13.38	55.13
डेयर/आईसीएआर	51842.5	49418.4	44620.6	−4.68	−9.71
संपूर्ण भारत कुल	91715.2	96578.1	94603.7	5.30	−2.04
जीडीपी	13069420	146575.30	16448340	12.15	12.22
आर एंड ई के रूप में कृषि जीडीपी का प्रतिशत	0.7018	0.6589	0.5752		

स्रोत: राज्य स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए पीआईएम, आईसीएआर द्वारा आरबीआई तथा डेयर के आंकड़ों से-एनसीएपी द्वारा तैयार किया गया है।

टिप्पणी: कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी के लिए जीडीपी।

[हिन्दी]

यूरिया क्षेत्र हेतु नई निवेश नीति

766. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश और भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु नई निवेश नीति, 2012 को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की प्रतिक्रिया काफी कम/निराशाजनक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और नीति में गारंटीशुदा वापस खरीद खंड को हटाने और कंपनियों की छंटाई के लिए बोली प्रक्रिया अपनाने हेतु अपनी नीति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नई निवेश नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और नीति में आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा देश को उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और इस संबंध में आयात बिल को कम करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिक्रिया अच्छी रही है।

(ग) और (घ) नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) 2012 की अधिसूचना के जवाब में अब तक 14 कंपनियों ने नई ब्राउनफील्ड/ग्रीनफिल्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एनआईपी-2012 हेतु प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स नाइजीरिया लि. (एनएफसीएनएल) ने नाइजीरिया में एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया है (विदेश/संयुक्त परियोजनाओं के लिए एनआईपी-2012 के अंतर्गत प्रावधान)। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय एनआईपी-2012 के संशोधन, जो सरकार के विचाराधीन है के बाद लिया जाएगा।

(च) सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने और भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए नई निवेश नीति-2012 अधिसूचित की है।

तथापि, पी एंड के उर्वरकों के मामले में स्वदेशी कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण देश को कच्ची सामग्री अथवा तैयार उत्पादों के

लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है। देश पोटाश क्षेत्र में पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है क्योंकि आर्थिक रूप से दोहन योग्य कोई भी पोटाशयुक्त खनिज नहीं हैं।

फास्फेट क्षेत्र में यद्धपि हम डीएपी, मिश्रित उर्वरकों और एसएसपी का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु 'पी' के लिए कच्ची सामग्री का अधिकतर आयात किया जाता है। भारत के पास रॉक फास्फेट सीमित मात्रा में है और निम्न ग्रेड की है जिसे केवल एसएसपी के उत्पादन के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। 'पी' की यह स्वदेशी उपलब्धता एसएसपी उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से ही पर्याप्त है। कुल मिलाकर देश पी एंड के उर्वरकों के तैयार उत्पादों अथवा कच्ची सामग्री के लिए 90% तक आयात पर निर्भर है।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

767. **श्री मनोहर तिरकी :**
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री नरहरि महतो :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उर्वरकों की उर्वरक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कीमत कितनी है;

(ख) क्या आवश्यक उर्वरकों की कीमतों में बड़े स्तर पर विसंगतियां पाई गई है और उर्वरकों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न उर्वरकों को कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित/रोकने/कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने और किसानों की मांग के अनुसार वितरण हेतु अतिरिक्त स्टॉक प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या देश में किसान प्रतिषेधात्मक कीमतों के कारण उर्वरक प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिस कारण कम कृषि उत्पादन हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा किसानों को उचित दामों पर उर्वरक प्रदान करने के लिए क्या अन्य कदम प्रस्तावित किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) किसानों को यूरिया सरकार द्वारा 5360 रुपए प्रति.टन के सांविधिक मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। उर्वरक कंपनियों द्वारा सूचित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीए एंड के) उर्वरकों के उच्चतम मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पी एंड के उर्वरकों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मूल्य अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान पी एंड के उर्वरकों के मूल्य सामान्य तरीके से कम हुए हैं।

(ग) देश तैयार उर्वरकों अथवा कच्ची सामग्री के लिए पोटाशयुक्त उर्वरकों के क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात कर निर्भर है। राजसहायता निश्चित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में किसी भी उतार-चढ़ाव का प्रभाव पी एंड के उर्वरकों के घरेलू मूल्य पर पड़ता है। हाल ही में रुपए के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी पी एंड के उर्वरकों के घरेलू मूल्य पर पड़ा है।

(घ) राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर उपचारी दंडात्मक कार्रवाई करने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। कालाबाजारी करना एफसीओ का उल्लंघन है। राज्य सरकारों को समस-समय पर अपराधियों, यदि कोई हों, के खिलाफ अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को सक्षम बनाने के लिए परामर्श/सचेत किया जाता रहता है। कृषि और सहाकारिता विभाग द्वारा दिए गए माह-वार अनुमान के आधार पर प्रत्येक राज्य को उर्वरक की उचित/पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) और (च) किसानों को यूरिया सुपुर्दगी मूल्य से काफी कम पर राजसहायता प्राप्त मूल्य पर मिल रही है। इसी प्रकार सरकार एनबीएस योजना के तहत राजसहायता प्राप्त पी एंड के उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड के लिए उनके पोषक तत्व के आधार पर एक नियत राजसहायता भी उपलब्ध करा रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की खपत की प्रवृत्ति दर्शाती है कि उर्वरक का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

विवरण

पोषक तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित किए गए पीएंडके उर्वरकों के उच्चतम अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) रुपए/मी.टन में

क्र. सं.	उर्वरक ग्रेड	2010-11 (तिमाही-वार)				2011-12 (तिमाही-वार)				2012-13 (तिमाही-वार)				2013-14 (तिमाही-वार)		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III (नवंबर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	डीएपी : 18-46-0-0	9950	9950	9950	10750	12500	18200	20297	20000	24800	26500	26500	26500	26520	25000	24607
2.	एमएपी : 11-52-0-0	9950	एनए	एनए	एनए	एनए	18200	20000	20000	20000	24200	24200	एनए	एनए	एनए	
3.	टीएसपी : 0-46-0-0	8057	8057	8057	8057	8057	8057	17000	17000	17000	एनए	एनए	17000	एनए	17000	17000
4.	एमओपी : 0-0-60-0	5055	5055	5055	5055	6064	11300	12040	12040	16695	23100	24000	18750	18638	17750	18000
5.	16-20-0-13	6620	6620	6620	7200	9645	14400	15300	15300	15300	18200	18200	18200	17280	17710	17510
6.	20-20-0-13	7280	7280	7395	8095	11400	14800	15800	15800	19000	24800	19176	24800	20490	19166	18727
7.	23-23-0-0	एनए	एनए	एनए	7445	7445	7445					एनबीएस नीति से बाहर है				
8.	10-26-26-0	8197	एनए	8300	10103	10910	16000	16633	16386	21900	22225	22225	22225	22213	22200	21160
9.	12-32-16-0	8637	8237	8637	9437	11313	16400	16500	16400	22300	23300	22500	24000	23300	23300	21475
10.	14-28-14-0	एनए	एनए	एनए	एनए		14950	17029								
11.	14-35-14-0	एनए	एनए	एनए	9900	11622	15148	17424	17600	17600	23300	23300	23300	23300	23300	22009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	15-15-15-0	एनए	एनए	एनए	7421	8200	11000	11500	11500	13000	15600	15600	15600	15600	15150	15150
13.	एएस : 20.3-0-0-23	8600	8600	7600	8700	7600	11300	10306	10306	11013	11013	11013	11013	11106	11106	10527
14.	20-20-0-0	5943	एनए	6243	7643	9861	14000	15500	18700	18700	24450	24450	18500	15561	15262	15262
15.	28-28-0-0	एनए	एनए	एनए	11181	11810	15740	18512	18700	24720	24720	23905	23905	23905	23410	21907
16.	17-17-17-0								17710	20427	20522	20572	20672	20672	22947	24013
17.	19-19-19-0								18093	19470	19470	19470	एनए	एनए	0	
18.	एसएसपी (0-16-11)*	3200	3200	3200	3200	3200		4000 से 63000			6500 से 7500			6200-9900	9270	10300
19.	16-16-16-0				7100	7100	7100	15200	15200	15200					18000	1800
20.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)				एनए	11760	17600	19500	19500	19500	24938	24938	24938	24938	23875	23875
21.	15-15-15-09				6800	9300	12900	15750	14851	15000	15000	15000	एनए	एनए	0	
22.	24-24-0-0				7768	9000	11550	14151	14297	14802	16223	16223	18857	18857	17896	17896
23.	13-33-0-6						16200	17400	17400	17400	17400	17400				
24.	एमएपी लाइट (11-44-0-0)						16000	18000	18000	18000	21500	21500	एनबीएस नीति से बाहर है			
25.	डीएपी लाइट-II (14-46-0-0)						14900	18690	18300	18300	24800	24800				

एमआरपी में कर शामिल नहीं हैं।

क्र.सं. 7, 23, 24, 25 में उल्लिखित उर्वरक ग्रेड वर्तमान में राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं है।

खाली स्थान/एनए का अर्थ है बाजार में उपलब्ध नहीं/राजसहायता योजना के अंतर्गत नहीं।

पीडीएस की समीक्षा

768. श्री एम. आनंदन :
श्री पी.आर. नटराजन :
श्री महाबली सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की समीक्षा/विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार पहचान किए गए व्यक्तियों, जारी राशन कार्डों की संख्या, आबंटित खाद्यान्नों और व्यय की गई राजसहायता कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आकलन करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने से पूर्व इसे सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग से संपर्क किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने सार्वभौमिक पीडीएस को लागू करने हेतु राजसहायता के अनुमानित व्यय के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) यह विभाग समय-समय पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन विभिन्न एजेंसियों द्वारा करवाता है। टीपीडीएस का नवीनतम अध्ययन 12 राज्यों के संबंध में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (वर्ष 2007-2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी) तथा 14 राज्यों के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (वर्ष 2010-11 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी) द्वारा किया गया था। इन मूल्यांकन अध्ययनों टीपीडीएस के कार्य में सूची में परिवारों को जोड़े जाने/हटाए जाने संबंधी त्रुटियों, खाद्यान्नों की चोरी/अन्यत्र उपयोग आदि जैसी में त्रुटियों/कमियों का पता चला है। टीपीडीएस के कार्य में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय हेतु प्राप्त रिपोर्टें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की स्वीकृत संख्या और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान व्यय की गई खाद्य राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) जी, हां। मंत्रालय ने टीपीडीएस की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन के लिए योजना आयोग से सम्पर्क किया था। इस मंत्रालय के अनुरोध के उत्तर में योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) ने टीपीडीएस का मूल्यांकन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। मूल्यांकन संबंधी विचारार्थ विषयों, कार्य करने के लिए संस्थान/एजेंसी का चयन आदि को आईईओ द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष टीपीडीएस को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। तथापि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन टीपीडीएस के प्रस्तावित मूल्यांकन से स्वतंत्र है।

(घ) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वसुलभ बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एएवाई और एपीएल सहित बीपीएल परिवारों की स्वीकृत संख्या और उनको जारी किए गए राशन कार्डों को दर्शाने वाला विवरण

(31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)
(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की स्वीकृत संख्या		जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
		बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल	बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	117.58	177.49	29.50

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.43	0.99	2.19
3.	असम	18.36	26.57	19.06	38.59
4.	बिहार	65.23	53.56	64.23	15.53
5.	छत्तीसगढ़	18.75	25.36	18.75	26.42
6.	दिल्ली	4.09	23.72	3.17	20.25
7.	गोवा	0.48	2.72	0.27	3.29
8.	गुजरात	21.20	66.37	34.36	90.86
9.	हरियाणा	7.89	23.59	12.20	43.07
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	7.43	5.14	10.71
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	10.66	7.36	10.92
12.	झारखंड	23.94	19.62	23.94	5.15
13.	कर्नाटक	31.29	63.08	100.13	50.35
14.	केरल	15.54	45.56	20.46	47.89
15.	मध्य प्रदेश	41.25	55.78	68.30	79.92
16.	महाराष्ट्र	65.34	111.93	70.52	139.53
17.	मणिपुर	1.66	2.41	1.66	2.41
18.	मेघालय	1.83	2.66	1.83	2.66
19.	मिजोरम	0.68	0.99	0.68	2.50
20.	नागालैंड	1.24	1.78	1.24	1.16
21.	ओडिशा	32.98	34.93	49.57	35.81
22.	पंजाब	4.68	35.08	4.68	55.59
23.	राजस्थान	24.31	64.36	25.85	111.60
24.	सिक्किम	0.43	0.62	0.43	3.87
25.	तमिलनाडु	48.63	90.19	193.32	*
26.	त्रिपुरा	2.95	4.27	2.95	4.39
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	154.63	106.79	331.19
28.	उत्तराखंड	4.98	7.21	4.98	18.09

1	2	3	4	5	6
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	93.44	52.86	127.88
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.53	0.17	0.91
31.	चंडीगढ़	0.23	1.8	0.11	2.31
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.18	0.17	0.43
33.	दमन और दीव	0.04	0.22	0.04	0.32
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.08	0.03	0.14
35.	पुदुचेरी	0.84	1.4	1.48	1.78
	कुल	652.03	1151.75	1075.21	1317.21

*एपीएल/बीपीएल कार्डों के अलग आंकड़े तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस राज्य में एपीएल/बीपीएल के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है।

(31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)
(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की स्वीकृत संख्या		जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
		बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल	बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	117.58	177.49	29.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.43	0.99	2.19
3.	असम	18.36	26.57	19.06	38.59
4.	बिहार	65.23	53.56	64.23	15.53
5.	छत्तीसगढ़	18.75	25.36	18.75	26.42
6.	दिल्ली	4.09	23.72	3.17	20.25
7.	गोवा	0.48	2.72	0.28	3.36
8.	गुजरात	21.20	66.37	31.91	84.27
9.	हरियाणा	7.89	23.59	12.53	43.49
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	7.43	5.14	10.71
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	10.66	7.36	12.34

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	23.94	19.62	23.94	5.15
13.	कर्नाटक	31.29	63.08	99.44	47.32
14.	केरल	15.54	45.56	20.6	54.97
15.	मध्य प्रदेश	41.25	55.78	68.3	79.92
16.	महाराष्ट्र	65.34	111.93	70.52	139.53
17.	मणिपुर	1.66	2.41	1.66	2.41
18.	मेघालय	1.83	2.66	1.83	1.26
19.	मिजोरम	0.68	0.99	0.68	1.86
20.	नागालैंड	1.24	1.78	1.24	1.16
21.	ओडिशा	32.98	34.93	49.57	35.81
22.	पंजाब	4.68	35.08	4.68	55.59
23.	राजस्थान	24.31	64.36	25.85	111.68
24.	सिक्किम	0.43	0.62	0.43	4.06
25.	तमिलनाडु	48.63	90.19	196.9	*
26.	त्रिपुरा	2.95	4.27	2.95	4.39
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	154.63	106.79	331.19
28.	उत्तराखंड	4.98	7.21	4.98	19.39
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	93.44	52.79	130.70
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.53	0.17	0.97
31.	चंडीगढ़	0.23	1.8	0.11	2.31
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.18	0.17	0.54
33.	दमन और दीव	0.04	0.22	0.04	0.32
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.08	0.032	0.15
35.	पुदुचेरी	0.84	1.4	1.49	1.85
	कुल	652.03	1151.75	1076.07	1319.18

*एपीएल/बीपीएल कार्डों के अलग आंकड़े तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस राज्य में एपीएल/बीपीएल के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है।

(31.3.2013 की स्थिति के अनुसार)
(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की स्वीकृत संख्या		जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
		बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल	बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	117.58	216.05	29.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.43	0.99	2.19
3.	असम	18.36	26.57	19.06	40.87
4.	बिहार	65.23	53.56	64.23	15.53
5.	छत्तीसगढ़	18.75	25.36	18.75	26.42
6.	दिल्ली	4.09	23.72	3.17	20.25
7.	गोवा	0.48	2.72	0.28	3.36
8.	गुजरात	21.20	66.37	33.64	80.94
9.	हरियाणा	7.89	23.59	11.99	44.77
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	7.43	5.14	10.71
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	10.66	7.36	12.36
12.	झारखंड	23.94	19.62	23.94	5.15
13.	कर्नाटक	31.29	63.08	95.46	39.47
14.	केरल	15.54	45.56	20.39	58.24
15.	मध्य प्रदेश	41.25	55.78	68.3	79.92
16.	महाराष्ट्र	65.34	111.93	70.52	139.53
17.	मणिपुर	1.66	2.41	1.66	2.41
18.	मेघालय	1.83	2.66	1.83	2.66
19.	मिजोरम	0.68	0.99	0.68	1.89
20.	नागालैंड	1.24	1.78	1.24	1.16
21.	ओडिशा	32.98	34.93	49.43	34.58
22.	पंजाब	4.68	35.08	4.68	55.59
23.	राजस्थान	24.31	64.36	25.85	111.68
24.	सिक्किम	0.43	0.62	0.43	4.06

1	2	3	4	5	6
25.	तमिलनाडु	48.63	90.19	195.43	*
26.	त्रिपुरा	2.95	4.27	2.95	6.34
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	154.63	106.79	331.19
28.	उत्तराखंड	4.98	7.21	4.98	19.39
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	93.44	54.56	130.64
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.53	0.12	0.92
31.	चंडीगढ़	0.23	1.8	0.11	2.31
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.18	0.17	0.55
33.	दमन और दीव	0.04	0.22	0.04	0.33
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.08	0.032	0.15
35.	पुदुचेरी	0.84	1.4	1.49	1.88
	कुल	652.03	1151.75	1111.74	1317.38

*एपीएल/बीपीएल कार्डों के अलग आंकड़े तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस राज्य में एपीएल/बीपीएल के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है।

(30.9.2013 की स्थिति के अनुसार)
(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की स्वीकृत संख्या		जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
		बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल	बीपीएल (एएवाई सहित)	एपीएल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	117.58	215.508	29.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.43	0.99	2.19
3.	असम	18.36	26.57	19.06	40.87
4.	बिहार	65.23	53.56	64.23	15.53
5.	छत्तीसगढ़	18.75	25.36	18.749	26.42
6.	दिल्ली	4.09	23.72	3.17	20.25
7.	गोवा	0.48	2.72	0.315	3.60
8.	गुजरात	21.20	66.37	32.278	77.03
9.	हरियाणा	7.89	23.59	**	**

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	7.43	5.141	10.71
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	10.66	7.357	12.36
12.	झारखंड	23.94	19.62	23.939	5.15
13.	कर्नाटक	31.29	63.08	97.956	34.45
14.	केरल	15.54	45.56	20.638	60.14
15.	मध्य प्रदेश	41.25	55.78	68.296	79.92
16.	महाराष्ट्र	65.34	111.93	69.824	144.49
17.	मणिपुर	1.66	2.41	1.656	2.41
18.	मेघालय	1.83	2.66	1.832	2.66
19.	मिजोरम	0.68	0.99	0.681	1.91
20.	नागालैंड	1.24	1.78	1.245	1.16
21.	ओडिशा	32.98	34.93	49.432	35.96
22.	पंजाब	4.68	35.08	4.684	59.67
23.	राजस्थान	24.31	64.36	25.851	111.68
24.	सिक्किम	0.43	0.62	0.435	4.06
25.	तमिलनाडु	48.63	90.19	195.846	*
26.	त्रिपुरा	2.95	4.27	4.351	5.29
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	154.63	106.785	331.19
28.	उत्तराखंड	4.98	7.21	4.979	19.39
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	93.44	54.709	134.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.53	0.119	0.94
31.	चंडीगढ़	0.23	1.8	0.105	2.31
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.18	0.172	0.55
33.	दमन और दीव	0.04	0.22	0.045	0.33
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.08	0.032	0.16
35.	पुदुचेरी	0.84	1.4	1.492	1.92
	कुल	652.03	1151.75	1101.90	1278.64

*एपीएल/बीपीएल कार्डों के अलग आंकड़े तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस राज्य में एपीएल/बीपीएल के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है।

**हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20 अगस्त, 2013 से लागू किया है। पहले चरण में, हरियाणा में एएवाई (इसमें 11.35 लाख यूनिट हैं) के तहत 2.68 लाख परिवारों और प्राथमिकता श्रेणी में 38.10 लाख यूनिटों की सूचना दी है: पहले चरण में एएवाई और प्राथमिकता श्रेणी सहित कुल 49.46 लाख यूनिट हैं।

विवरण-II

वर्ष 2010-2011 से 2013-14 हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11 आबंटन	2011-12 आबंटन	2012-13 आबंटन	2013-14* आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3676.480	3738.252	3822.816	1911.408
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	101.556	101.556	50.778
3.	असम	1673.126	1806.756	1886.856	943.428
4.	बिहार	3543.192	3650.312	3703.872	1851.936
5.	छत्तीसगढ़	1168.032	1218.752	1244.112	622.056
6.	दिल्ली	595.734	597.858	598.920	299.460
7.	गोवा	68.751	60.316	63.036	31.518
8.	गुजरात	1885.998	2018.738	2085.108	1042.554
9.	हरियाणा	685.242	732.422	756.012	343.422
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	519.146	527.940	263.970
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	756.804	756.804	378.402
12.	झारखंड	1319.412	1339.032	1358.652	679.326
13.	कर्नाटक	2260.476	2386.646	2806.928	1224.864
14.	केरल	1399.646	1431.674	1472.688	736.344
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2680.736	2736.426	1368.258
16.	महाराष्ट्र	4490.412	4647.114	4819.044	2379.522
17.	मणिपुर	141.844	160.446	170.952	85.476
18.	मेघालय	182.928	181.696	188.580	94.290
19.	मिजोरम	70.140	70.140	70.140	35.070
20.	नागालैंड	126.876	126.876	126.876	63.438
21.	ओडिशा	2221.788	2118.908	2194.266	1095.936
22.	पंजाब	786.348	814.100	827.976	413.988
23.	राजस्थान	2037.128	2115.140	2179.500	1089.750

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	44.250	44.270	44.280	22.140
25.	तमिलनाडु	3722.832	3722.832	3722.832	1861.416
26.	त्रिपुरा	302.622	308.034	304.836	151.640
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	7114.590	7268.520	3634.258
28.	उत्तराखंड	474.122	501.702	617.992	255.996
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3763.754	3857.196	1928.598
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.020	34.020	34.020	17.010
31.	चंडीगढ़	31.380	34.980	36.780	18.390
32.	दादरा और नगर हवेली	9.924	10.284	10.464	5.232
33.	दमन और दीव	4.980	5.430	5.652	2.826
34.	लक्षद्वीप	4.620	4.620	6.620	2.310
35.	पुदुचेरी	56.112	58.912	60.312	30.156
	कुल	47547.329	48876.848	50468.564	24935.166

*आवंटन सितंबर 2013 तक है।

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को जारी की गई राजसहायता को दर्शाने वाला विवरण

06.12.2013 की स्थिति के अनुसार)
(करोड़ रुपए)

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम		उपजोड़	एमपी	एपी	यूपी	पश्चिम	छत्तीसगढ
	उपभोक्ता राजसहायता	बफर राजसहायता	(कालम 2+3)					
2009-10	40311.1412	6556.000	46867.1412	1434.320	—	5368.600	1103.170	1007.510
2010-11	43495.5600	7234.000	50279.5600	2013.760	—	2485.340	1241.070	1923.480
2011-12	53751.1973	5774.7027	59525.9000	2964.830	—	1219.620	1481.730	1670.360
2012-13	65066.6000	6913.4000	71980.0000	3356.710	225.514	39.256	1816.130	2345.390
2013-14	63500.0000	0.0000	63500.0000	1533.980	1173.044	5.182	1130.138	1534.344

—जारी

वर्ष	उत्तराखंड	तमिलनाडु	ओडिशा	कर्नाटक	गुजरात	केरल	उप-जोड़ (कॉलम 5 से 14)	कुल कॉलम (4+15)
2009-10	229.880	672.430	1281.960	0.000	40.260	237.180	11375.310	58242.451
2010-11	299.360	1501.030	2243.970	0.000	20.150	471.840	12200.000	62929.5600
2011-12	217.970	1897.720	2934.710	0.000	59.620	398.440	12845.000	72370.9000
2012-13	243.770	1176.280	2731.500	0.000	115.140	524.310	12574.000	84554.000
2013-14	212.030	754.010	2005.110	492.950		313.810	9154.598	72654.598

दंगे/सांप्रदायिक हिंसा

769. शेख सैदुल हक :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री एम. कृष्णास्वामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित राज्य-वार सूचित दंगों/सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक घटना में अलग-अलग मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और संपत्तियों की किस स्तर तक हानि हुई और उक्त अवधि के दौरान मुजफ्फरनगर सहित राज्य-वार उक्त अवधि के दौरान इन दंगों/हिंसा में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को प्रदत्त क्षतिपूर्ति/पुनर्वास का ब्यौरा क्या है;

(ग) पकड़े गए/दोष सिद्ध लोगों की संख्या कितनी है और अवधि के दौरान राज्य-वार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और इस संबंध में राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को जारी परामर्श क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2013 तक देश में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित राज्य-वार साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या और ऐसी घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। भारत के संविधान के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने और इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़ों के रख-रखाव का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का है। सम्पत्तियों की क्षति की मात्रा, प्रभावित परिवारों का प्रदत्त क्षतिपूर्ति, गिरफ्तार अथवा दोषसिद्ध व्यक्तियों, आदि जैसे ब्यौरों का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, "आतंकवादी/ साम्प्रदायिक/ नक्सली हिंसा के सिविलियन पीड़ितों की सहायता हेतु केन्द्रीय योजना" के तहत, साम्प्रदायिक हिंसा के सिविलियन पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन भी ऐसे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अपनी परियोजना "सहायता" के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जो साम्प्रदायिक अथवा अन्य प्रकार की सामाजिक हिंसा में या तो माता-पिता दोनों अथवा परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता के कारण अनाथ अथवा निस्सहाय हो जाते हैं।

(घ) देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित कम्पोजिट रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण सहित आसूचना को साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भेजने जैसे अनेक तरीकों से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में समय-समय पर परामर्शी-पत्र भेजती है। मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी संभव सहायता का आश्वासन दिया और राज्य सरकार द्वारा मांग किए जाने पर सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को पत्र भी लिखा। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित दिशा-निर्देश परिचालित किए थे। देश में साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रभावित करने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सतत निगरानी की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षित कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं, इसमें मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	2010			2011			2012			2013 (अक्टूबर तक)*		
	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल	घटनाएं	मारे गए	घायल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	16	3	69	33	1	95	60	2	122	14	0	61
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	10	5	37	9	3	28	0	0	0	0	0	0
बिहार	40	8	156	26	4	99	21	3	172	48	7	237
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	3	0	2	3	1	1	4	0	10	3	0	2
दिल्ली	3	0	5	4	0	8	3	0	28	3	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
गुजरात	59	9	243	47	3	144	57	5	201	61	7	169
हरियाणा	0	0	0	1	0	4	2	0	0	2	0	8
हिमाचल प्रदेश	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	0	5	1	0	4	0	0	0	3	3	59
झारखंड	13	1	79	12	5	61	11	1	35	11	2	26
कर्नाटक	71	10	228	70	4	183	69	3	221	61	1	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	24	0	57	30	1	46	56	0	71	39	1	68
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	103	21	179	81	15	180	92	9	245	70	8	225
महाराष्ट्र	117	16	290	88	15	342	94	15	280	64	11	285
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	7	1	15	9	1	37	4	0	9	2	1	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0
राजस्थान	33	10	125	42	16	204	37	6	117	46	2	183
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	44	4	91	21	2	41	14	2	37	30	3	69
त्रिपुरा	1	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	8	0	24	4	5	44	0	0	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	121	22	426	84	12	347	118	39	500	250	95	313
पश्चिम बंगाल	21	6	82	15	3	31	23	9	66	14	1	46
कुल	701	116	2138	580	91	1899	668	94	2117	725	143	1978

*अनंतिम

[हिन्दी]

पीडीएस मदों की कीमतें

770. श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगभग खुले बाजार की कीमतों के बराबर है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों हेतु खाद्यान्नों चीनी, कैरोसीन इत्यादि की कीमतों को कम करने के लिए लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) विभिन्न राज्यों में गरीबी की रेखा नीचे रहने वाले लोग के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी को वितरण के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम और 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम है। बीपीएल श्रेणी के लिए उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के राज्य-वार निर्गम मूल्यों का ब्यौर संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जनवरी, 2013 से नवंबर, 2013 की अवधि के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के खुदरा मूल्यों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार खाद्यान्नों की निर्दिष्ट मात्रा चावल, गेहूं मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3.00 रुपए, 2.00 रुपए और 1.00 रुपए के निर्गम मूल्यों पर प्राप्त करने के हकदार हैं।

जहां तक चीनी का संबंध है, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य दिनांक 1.3.2002 से 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम है जो खुले बाजार में चीनी के मूल्य से काफी कम है।

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और घरेलू मुद्रास्फीति की स्थिति के प्रभाव से आम आदमी का संरक्षण करने के लिए सरकार पीडीएस के मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री मूल्य में आशोधन करती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को प्राप्तियां कम (अंडर रिकवरी) होती है। दिनांक 1.12.2013 से प्रभावी रिफाइनरी-द्वारा मूल्य के आधार पर तेल विपणन कंपनियां पीडीएस मिट्टी के तेल पर 36.20/-रुपए प्रति लीटर की अंडर-रिकवरी कर रही हैं। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को "पीडीएस मिट्टी के तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता स्कीम, 2002" के अंतर्गत राजकोषीय बजट से पीडीएस मिट्टी के तेल पर 0.82 रुपए प्रति लीटर की राजसहायता प्रदान कर रही हैं। दिनांक 1.12.2013 से प्रभावी रिफाइनरी-द्वार मूल्य के अनुसार दिल्ली में पीडीएस मिट्टी के तेल का खुदरा बिक्री मूल्य 14.96 रुपए प्रति लीटर है। पीडीएस मिट्टी के तेल का खुदरा बिक्री मूल्य जून, 2011 से संशोधित नहीं किया गया है और पीडीएस मिट्टी के तेल का खुदरा बिक्री मूल्य को संशोधित करने का सरकार के समक्ष फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा बीपीएल जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत-वर्ष 2011-12

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		कुल	
		व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10.96	61.8	5.81	16.98	9.2	78.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.93	4.25	20.33	0.66	34.67	4.91

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	33.89	92.06	20.49	9.21	31.98	101.27
4.	बिहार	34.06	320.4	31.23	37.75	33.74	358.15
5.	छत्तीसगढ़	44.61	88.9	24.75	15.22	39.93	104.11
6.	दिल्ली	12.92	0.5	9.84	16.46	9.91	16.96
7.	गोवा	6.81	0.37	4.09	0.38	5.09	0.75
8.	गुजरात	21.54	75.35	10.14	26.88	16.63	102.23
9.	हरियाणा	11.64	19.42	10.28	9.41	11.16	28.83
10.	हिमाचल प्रदेश	8.48	5.29	4.33	0.3	8.06	5.59
11.	जम्मू और कश्मीर	11.54	10.73	7.2	2.53	10.35	13.27
12.	झारखंड	40.84	104.09	24.83	20.24	36.96	124.33
13.	कर्नाटक	24.53	92.8	15.25	36.96	20.91	129.76
14.	केरल	9.14	15.48	4.97	8.46	7.05	23.95
15.	मध्य प्रदेश	35.74	190.95	21	43.1	31.65	234.06
16.	महाराष्ट्र	24.22	150.56	9.12	47.36	17.35	197.92
17.	मणिपुर	38.8	7.45	32.59	2.78	36.89	10.22
18.	मेघालय	12.53	3.04	9.26	0.57	11.87	3.61
19.	मिजोरम	35.43	1.91	6.36	0.37	20.4	2.27
20.	नागालैंड	19.93	2.76	16.48	1	18.88	3.76
21.	ओडिशा	35.69	126.14	17.29	12.39	32.59	138.53
22.	पंजाब	7.66	13.35	9.24	9.82	8.26	23.18
23.	राजस्थान	16.05	84.19	10.69	18.73	14.71	102.92
24.	सिक्किम	9.85	0.45	3.66	0.06	8.19	0.51
24.	तमिलनाडु	15.83	59.23	6.54	23.4	11.28	82.63
26.	त्रिपुरा	16.53	4.49	7.42	0.75	14.05	5.24
27.	उत्तराखंड	11.62	8.25	10.48	3.35	11.26	11.6
28.	उत्तर प्रदेश	30.4	479.35	26.06	118.8	29.43	598.19
29.	पश्चिम बंगाल	22.52	141.14	14.66	43.83	19.98	184.98
30.	पुदुचेरी	17.06	0.69	6.3	0.55	9.69	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.57	0.04	0	0	1	0.04
32.	चंडीगढ़	1.64	0.004	22.31	2.34	21.31	2.35
33.	दादरा और नगर हवेली	62.59	1.15	15.38	0.28	39.31	1.43
34.	दमन और दीव	0	0	12.62	0.26	9.86	0.26
35.	लक्षद्वीप	0	0	3.44	0.0	2.77	0.02
	अखिल भारत	25.7	2166.58	13.7	531.25	21.92	2697.83

नोट:

1. 1 मार्च, 2012 तक की आबादी का प्रयोग गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या के आकलन के लिए किया गया।
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का प्रयोग अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया।
3. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का प्रयोग दादरा और नगर हवेली के लिए किया गया।
5. गोवा की गरीबी रेखा का प्रयोग दमन और द्वीव के लिए किया गया।
6. केरल की गरीबी रेखा का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य
(समय समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए)

(30.09.13 तक की स्थिति के अनुसार)
(रुपए प्रति किलोग्राम)

क्र.सं.	राज्य	बीपीएल	
		गेहूं	चावल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.00	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.65	6.15
3.	असम	—	7
4.	बिहार	5.22	6.78
5.	छत्तीसगढ़	2.00	2
6.	दिल्ली	4.80	6.30
7.	गोवा	—	6.15
8.	गुजरात	13 कि.ग्रा. के लिए 2.00 रुपए 16 कि.ग्रा. के लिए 7.50 रुपए	3 कि.ग्रा. के लिए 3.00 रुपए (अधि.) 3 कि.ग्रा. के लिए 7.00 रुपए (विशेष अधि. चावल)

1	2	3	4
9.	हरियाणा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिक परिवारों को 2.00 प्रति कि.ग्रा. की दर से प्राप्त होगा।	
10.	हिमाचल प्रदेश	5.25	6.85
11.	जम्मू और कश्मीर	4.80	6.40
		5.35 (आटा)	
12.	झारखंड	—	1.00
13.	कर्नाटक	3.00	1.00
14.	केरल	2.00	1.00
15.	मध्य प्रदेश	1.00	2.00
16.	महाराष्ट्र	5.00	6.00
17.	मणिपुर	—	6.15
18.	मेघालय	—	615-7.50
19.	मिज़ोरम	—	6.15
20.	नागालैंड	6.25 (आटा)	6.15
21.	ओडिशा	—	2.00
22.	पंजाब	4.57	—
23.	राजस्थान	2.00	—
24.	सिक्किम	—	4.00
25.	तमिलनाडु	7.50	बिना कीमत के
26.	त्रिपुरा		2.00
27.	उत्तर प्रदेश	4.65	6.15
28.	उत्तराखंड	2.00	3.00
29.	पश्चिम बंगाल	4.65	2.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.45	6.05
31.	चंडीगढ़	4.65	6.15
32.	दादरा और नगर हवेली	4.65	6.00
33.	दमन और दीव	4.80	6.45
34.	लक्षद्वीप	9.00	6.15
35.	पुदुचेरी		स्वतंत्र

*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार खाद्यान्न चावल 3/- रुपए प्रति कि.ग्रा., गेहूं 2/- रुपए प्रति कि.ग्रा. और मोटा अनाज 1/- रुपए प्रति कि.ग्रा., की दर से प्राप्त करने के हकदार होंगे।

विवरण-III

2012-13

माह अंत में चावल का खुदरा मूल्य

केन्द्र	31 जनवरी, 2013	28 फरवरी, 2013	28 मार्च, 2013	30 अप्रैल, 2013	31 मई, 2013	28 जून, 2013	31 जुलाई, 2013	30 अगस्त, 2013	30 सितंबर, 2013	31 अक्तूबर, 2013	29 नवंबर, 2013	न्यूनतम	अधिकतम
दिल्ली	26	27	28	28	28	27	28	28	28	26	27	26	28
शिमला	30	30	30	32	32	एनआर	32	32	32	32	32	30	32
जम्मू	33	33	32	32	34	34	34	33	33	40	39	32	40
लखनऊ	18	18	20	20	20	21	21	21	21	21	21	18	21
देहरादून	16	17	एनआर	18	22	21	21	20	21	21	21	16	22
अहमदाबाद	20	20	19	19	19	19	19	19	19	एनआर	19	19	20
भोपाल	20	20	20	20	20	20	20	20	20	एनआर	20	20	20
मुंबई	26	26	26	27	28	30	30	28	27	29	29	26	30
जयपुर	23	24	24	एनआर	24	24	24	24	24	24	24	23	24
पटना	25	25	एनआर	26	28	32	32	एनआर	32	32	29	25	32
भुवनेश्वर	एनआर	22	एनआर	22	22	23	23	23	24	24	24	22	24
कोलकाता	21	21	22	23	26	26	24	23	24	24	25	21	26
इटानगर	20	18	एनआर	एनआर	21	एनआर	25	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	18	25
गुवाहाटी	एनआर	18	एनआर	18	18	20	22	22	25	24	24	18	25
अगरतला	17	एनआर	17	एनआर	17	17	22	23	30	30	31	17	31
हैदराबाद	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	25	27
बंगलूरू	एनआर	31	31	31	31	31	31	33	33	33	33	31	33
टी. पुरम	32	32	एनआर	32	32	32	33	35	33	34	34	32	35
चेन्नई	34	34	32	32	32	32	32	32	32	30	एनआर	30	34

माह अंत में गेहूं का खुदरा मूल्य

केन्द्र	31 जनवरी, 2013	28 फरवरी, 2013	28 मार्च, 2013	30 अप्रैल, 2013	31 मई, 2013	28 जून, 2013	31 जुलाई, 2013	30 अगस्त, 2013	30 सितंबर, 2013	31 अक्तूबर, 2013	29 नवंबर, 2013	न्यूनतम	अधिकतम
दिल्ली	19	19	19	18	17	18	18	18	18	18	18	17	19
जम्मू	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	18
लखनऊ	15	17	16	15	16	17	16	16	16	17	18	15	18
देहरादून	16	17	एनआर	15	16	16	16	16	16	16	17	15	17
अहमदाबाद	15	15	17	19	19	19	19	19	19	एनआर	19	15	19
भोपाल	14	14	14	14	17	17	17	17	17	एनआर	17	14	17
मुंबई	28	28	28	25	26	26	26	26	26	27	29	25	29
जयपुर	17	18	17	एनआर	17	17	17	17	17	18	18	17	18
पटना	15	15	एनआर	18	18	20	20	एनआर	19	19	20	15	20
गुवाहाटी	एनआर	एनआर	एनआर	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
हैदराबाद	29	29	28	26	26	28	28	28	28	28	28	26	29
बंगलूरु	एनआर	22	22	22	21	22	24	24	24	24	27	21	27
टी. पुरम	26	26	एनआर	27	26	26	24	25	26	26	27	24	27
चेन्नई	26	27	27	26	27	28	28	28	28	28	एनआर	26	28

एनआर: प्राप्त नहीं।

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

[अनुवाद]

चक्रवात प्रभावित राज्य

771. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री मानिक टैगोर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ओडिशा राज्य और देश के अन्य भागों में फाइलीन चक्रवात आया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य संघ/राज्यक्षेत्र-वार जान की हानि, व्यक्तियों को चोटें और संपत्ति की क्षति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त चक्रवात द्वारा हुई हानि का आकलन करने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रभावित राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय और अन्य सहायता कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिली सूचना के अनुसार "फैलिन" चक्रवात 12 अक्टूबर, 2013 की रात्रि में गंजाम जिले के गोपालपुर के निकट ओडिशा के समुद्रीतट से टकराया और ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों को बुरी तरह प्रभावित किया।

ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा प्रदत्त उक्त चक्रवात के कारण मारे गए लोगों, घायल व्यक्तियों और फसलों के साथ-साथ मकानों को हुई क्षति की रिपोर्ट नीचे दी गई है:—

ब्यौरे	ओडिशा	आंध्र प्रदेश
1	2	3
मारे गए लोगों की संख्या	44	01
घायल लोगों की संख्या	81	शून्य
मारे गए पशुओं की संख्या	4502	99
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	5.41 लाख	1720
प्रभावित फसलों क्षेत्र - (लाख हैक्टेयर)	11.1	0.12

(ग) और (घ) ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से विवरण पत्र मिलने पर अन्त: मंत्रालीय केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) द्वारा उक्त स्थल पर "फैलिन" चक्रवात और उसके बाद आई 2013 की बाढ़ के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने हेतु ओडिशा के प्रभावित क्षेत्र का दिनांक 28 से 31 अक्तूबर, 2013 तक और आंध्र प्रदेश का दिनांक 17 से 21 नवम्बर, 2013 तक दौरा किया गया। आईएमसीटी की रिपोर्टें नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी (एनईसी) और हाई लेवल कमेटी (एचएलसी) की सब-कमेटी के समक्ष उनकी शीघ्र ही होने वाली बैठक में विचारार्थ रखी जा रही है।

(ङ) ओडिशा में 11 लाख से अधिक और आंध्र प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों को निचले/असुरक्षित क्षेत्रों से हटाया गया था। आईएमडी से चेतावनी मिलने पर संबंधित राज्य सरकारों को चक्रवात से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने के लिए सतर्क कर दिया गया था। नेशनल एक्जीक्यूटिव समिति द्वारा दैनिक आधार पर तैयारी की समीक्षा की गई। बचाव और राहत के लिए वांछित आवश्यक सामग्री और संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्न किए गए। इसके अतिरिक्त, नौसेना, थलसेना, एनडीआरएफ कार्मिकों को स्थल पर ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों का भी स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा गया।

(च) इन दोनों राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की राशि (एसडीआरएफ से 250 करोड़ रुपए+खाता आधार पर एनडीआरएफ से 750 करोड़ रुपए) ओडिशा राज्य सरकार को और 1000 करोड़ रुपए की राशि (300 करोड़ रुपए एसडीआरएफ+खाता आधार पर एनडीआरएफ से 700 करोड़ रुपए) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई है।

पीडीएस का कंप्यूटरीकरण

772. **श्री नामा नागेश्वर राव :**
श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर हुए/होने वाले व्यय में केन्द्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है;

(ख) उक्त परियोजना हेतु राज्यों को निधि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि क्या है और अब तक इस हेतु राज्य-वार कुल कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अंतिम स्तर तक कंप्यूटरीकरण, पीडीएस हेतु बायोमैट्रिक डाटाबेस तैयार करने और अनुरक्षित करने हेतु और स्मार्ट कार्ड सहित कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित वैकल्पिक योजनाओं संबंधी पायलट परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/जा रही है;

(ङ) कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार ने कंप्यूटरीकरण की केन्द्रीकृत निगरानी करने का निर्णय लिया है और राज्यों से उनके द्वारा की गई प्रगति संबंधी सूचना मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण शुरू करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना स्कीम "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" नामक घटक-1 का अनुमोदन किया है। घटक-1 में राशन कार्डों/लाभभोगियों तथा अन्य डाटाबेसों का डिजिटीकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना नामक गतिविधियां शामिल हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत सहभागिता आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012-17 के दौरान स्कीम के घटक-1 के कार्यान्वयन के लिए कुल आवश्यकता 884.07 करोड़ रुपए बनती है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच लागत सहभागिता पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 होगी जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागत का विभाजन समान होगा। तदनुसार, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का हिस्सा क्रमश: 489.37 करोड़ रुपए तथा 394.70 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार 18 राज्यों को केन्द्र के हिस्से की निधि की पहली किश्त जो कुल 168.77 करोड़ रुपए है, संस्वीकृत की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक संस्वीकृत निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जहां तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बायोमैट्रिक डाटाबेस तैयार करने का संबंध है चूंकि, सभी नागरिकों के संबंध में बायोमैटिक सूचना भातीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार परियोजना अथवा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत एकत्र की जा रही है अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि राशन कार्ड डाटाबेस के डिजिटीकरण में बायोमीट्रिक सूचना को शामिल न किया जाए। जहां तक स्मार्ट कार्डों के प्रयोग का संबंध है, उचित दर दुकान स्तर पर स्वचालन का कार्य सरकार द्वारा योजना स्कीम के घटक-2 के भाग के रूप में किया जाएगा।

(ङ) स्कीम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभभोगियों के डाटाबेस के डिजिटीकरण का कार्य मार्च, 2013 तक तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण का कार्य अक्तूबर, 2013 तक पूरा किया जाना था। तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य योजना को अंतिम रूप प्रदान करने में हुए विलम्ब, वित्तीय सहायता के लिए अपने प्रस्ताव देरी से भेजने, कार्यान्वयन के दौरान आई व्यावहारिक समस्याओं आदि के कारण पूरे देश में कार्यान्वयन एकसमान नहीं है।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत मिशन आधारित योजना (एमएमपी) के रूप में किया गया है। मिशन आधारित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति तथा एक केन्द्रीय परियोजना ई-मिशन टीम के रूप में एक समर्पित संस्थागत तंत्र का गठन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने स्तर पर एक द्वि-स्तरीय संरचना जिसमें राज्यशीर्ष समिति सहित राज्य परियोजना ई-मिशन टीम शामिल है, की स्थापना का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा परियोजना की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। सम्मेलनों, पारस्परिक बैठकों आदि में भी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घटक-1 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(i) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, पंजाब, पुदुचेरी, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में राशन कार्डों/लाभभोगियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम में इस कार्य के प्रगति पर होने की सूचना है।

(ii) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण से भारतीय खाद्य निगम से लेकर उचित दर दुकानों तक आबंटित खाद्यान्नों के संचलन का पता लगाए जाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक राज्यों में आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन का कार्य पूरा हो गया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुदुचेरी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में यह कार्य प्रगति पर है।

(iii) लाभभोगियों की सूची, उन से संबंधित उचित दर दुकानों, भंडारण गोदामों/डिपुओं, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालयों/अधिकारियों, आबंटित खाद्यान्नों आदि के बारे में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना को सार्वजनिक करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना का पारदर्शी पोर्टल सृजित कर लिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह कार्य प्रगति पर है।

(iv) उचित दर दुकानों पर भेजे गए/उपलब्ध खाद्यान्नों के संबंध में एसएमएस एलर्ट के माध्यम से सूचना का प्रसार छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जा रहा है। चंडीगढ़, झारखंड, केरल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कॉल सेंटर/टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर स्थापित कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड और मिजोरम में यह कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शिकायतों के पंजीकरण करने और उनका पता लगाने के लिए ऑन लाईन शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। झारखंड और महाराष्ट्र में यह कार्य प्रगति पर है।

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण' पर योजना स्कीम के घटक-1 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण (30.11.2013 तक)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2012-13	2013-14	कुल
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़	—	3.35	3.35
2.	गोवा	—	1.87	1.87
3.	हिमाचल प्रदेश	—	4.24	4.24
4.	जम्मू और कश्मीर	—	6.11	6.11

1	2	3	4	5
5.	झारखंड	—	9.47	9.47
6.	मध्य प्रदेश	5.43	11.91	17.34
7.	महाराष्ट्र	—	20.92	20.92
8.	मणिपुर	2.60	1.64	4.24
9.	मेघालय	—	5.51	5.51
10.	मिजोरम	4.91	—	4.91
11.	नागालैंड	3.38	2.14	5.53
12.	ओडिशा	11.08	—	11.08
13.	पंजाब	7.79	—	7.79
14.	तमिलनाडु	—	11.83	11.83
15.	त्रिपुरा	—	5.85	5.85
16.	उत्तर प्रदेश	—	28.33	28.33
17.	उत्तराखंड	5.24	—	5.24
18.	पश्चिम बंगाल	—	15.17	15.17
	कुल	40.43	128.34	168.77

[हिन्दी]

गन्ने की पिराई

773. **श्री जयवंत गंगाराम आवले :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मौसम 2013-14 के दौरान कुछ राज्यों में गन्ने की पिराई में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसका चीनी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चालू वर्ष के दौरान इसका अनुमान कितना है और विगत तीन वर्षों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान किन राज्यों में पिराई निलंबित थी;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गन्ना किसानों से कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को देश में चीनी मिलों के मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान में विलंब और भुगतान न करने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चीनी मिलों पर बकाया राशि कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया के भुगतान को सुकर बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और इसे कब तक दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) मुख्य चीनी उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कुछ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड में गन्ने की पेराई में देरी हुई है। पेराई में देरी के कारणों को नीचे दर्शाया गया है:—

राज्य	कारण
आंध्र प्रदेश	अक्तूबर और नवंबर, 2013 माह में हाल ही में चक्रवात का आना।
कर्नाटक और	किसानों द्वारा उच्च गन्ना मूल्य के लिए
महाराष्ट्र	आंदोलन
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा राज्य परामर्शित मूल्य को अस्वीकार करना
उत्तराखंड	मिलों को गन्ना क्षेत्र आवंटनों के संबंध में आदेश जारी करने में हुई देरी

गन्ना पेराई के विलंब से शुरू होने से चालू चीनी मौसम में चीनी के उत्पादन पर कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ा है जिसका लगभग 241 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान पेराई कार्यों के प्रारंभ होने में किसी अत्यधिक देरी की सूचना नहीं मिली है।

(ग) जी, हां। सरकार को विभिन्न मुद्दों पर किसानों के संगठनों और चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों से अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह का गठन किया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वैश्विक अधिशेष के साथ-साथ घरेलू चीनी अधिशेष का परिणाम यह हुआ है कि घरेलू मंडी में चीनी के मूल्य कम हो गए हैं जिससे चीनी घरेलू विक्रय से कम वसूली की स्थिति पैदा हो गई है। इससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके कारण गन्ना किसानों के देयों का समय पर भुगतान करने में विलंब हुआ। 31.10.2013 के अनुसार पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार चीनी मिलों के प्रति बकाया राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(च) प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्तों ने सूचित किया है कि उन्होंने दोषी चीनी मिलों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं और गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

2012-13 चीनी मौसम के लिए गन्ना मूल्य बकायों, 2011-12 मौसम, 2010-11 और पूर्व के मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकायों को दर्शाने वाला विवरण (31.10.2013 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	गन्ना मूल्य बकाया 2012-13	गन्ना मूल्य बकाया 2011-12	2010-11 और पहले के गन्ना मूल्य बकाया	कुल गन्ना मूल्य बकाया 5(2+3+4)
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	राजस्थान	5.65	0.00	0.00	5.65
4.	उत्तर प्रदेश	2328.88	17.00	93.25	2439.13
5.	उत्तराखंड	88.33	23.74	1.18	113.25
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	13.39	13.39
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	5.94	0.00	13.41	19.35
9.	महाराष्ट्र	0.00	3.52	45.79	49.31
10.	बिहार	44.38	1.35	31.75	77.48
11.	आंध्र प्रदेश	29.53	0.00	33.09	62.62
12.	कर्नाटक	50.58	6.06	27.44	84.08
13.	तमिलनाडु	140.16	14.88	2.15	157.19
14.	ओडिशा	26.72	2.02	0.00	28.74
15.	पश्चिम बंगाल	0.05	0.00	0.00	0.05
16.	पुदुचेरी	2.50	0.07	0.00	2.57
17.	गोवा	3.74	0.00	0.00	3.74
	योग	2726.46	68.64	261.45	3056.55

[अनुवाद]

ब्रिटिश सरकार के अधिकार में तलवार (भवानी)

774. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार (भवानी) और अन्य संबंधित सामान ब्रिटिश सरकार के अधिकार में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई पुरातत्वीय साक्ष्य/ऐतिहासिक संदर्भ हमारे देश में उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त मदों को भारत में वापस लाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ कोई बैठक/चर्चा हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने छत्रपति शिवाजी की तलवार 'भवानी' को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश में 'भवानी' तलवार को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आम आदमियों हेतु दवाइयों की उपलब्धता

775. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री बलीराम जाधव :
श्री लालजी टंडन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में भेषज उद्योग ने काफी प्रगति की है परन्तु देश में अभी भी 64 करोड़ लोग दवाइयों से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के आम/गरीब लोगों हेतु आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में संपूर्ण देश में कोई सर्वेक्षण या अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या 50 से 80 प्रतिशत लोगों को ये दवाइयां सुलभ नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सस्ती कीमतों पर आम/गरीब लोगों हेतु दवाओं की आसान उपलब्धता सुनश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट 'द वर्ल्ड मेडिसिन्स सिचुएशन' के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या जिन तक वर्ष 1999 में आवश्यक दवाओं की नियमित पहुंच नहीं थी, 649 मिलियन प्रक्षेपित की गई थी। योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन 'भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह रिपोर्ट' के अनुसार 2.84 प्रतिशत अंतरंग मरीजों और 26.01 प्रतिशत बहिरंग मरीजों को दवाएं नहीं मिल सकीं। दवाएं नहीं मिल सकने का एक कारण वित्तीय है और इस दिशा में सरकार ने आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने, उन्हें विनियमित करने और उनकी मानीटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, एनपीपीपी-2012 (एनपीपीपी) और औषधि (कीमत नियंण) आदेश डीपीसीओ, 2013 अधिसूचित किया है। सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जन औषधि स्कीम भी शुरू की है।

[अनुवाद]

कृषि राजसहायताएं

776. **श्री के. नारायण राव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों की तर्ज पर किसानों को कृषि राजसहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसान समूहों ने सरकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित विकसित देशों को सामने खड़े होने और ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का आग्रह किया है जो कृषि राजसहायता और देश के 600 मिलियन से अधिक किसानों को प्रभावित करे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) जी, नहीं।

महोदया, सरकार ने तर्कसंगत मानदंड के आधार पर राष्ट्रीय विकास एवं किसानों को सहायता देने के परिपेक्ष्य में कृषि क्षेत्र के संबंध में एक समग्र विचार किया है। इसने राष्ट्रीय हितों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं पर विचार करके कृषि राजसहायता पर अपनी नीति भी तैयार की है।

[हिन्दी]

कपास की एमएसपी

777. **श्री माकन सिंह सोलंकी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास हेतु समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कपास उगाने वाले किसानों द्वारा वहन किए जा रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मौजूदा कपास 2013-14 मौसम के लिए कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा पहले ही कर दी है। कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य मध्यम स्टेपल के लिए 2012-13 में 3600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2013-14 में 3700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार लंबे स्टेपल के लिए इसे 2012-13 में 3900 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2013-14 में 4000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर कच्चे कपास सहित कतिपय कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है ताकि उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी मूल्य के अनुरूप होता है जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है तब किसान उस मूल्य पर उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

सरकार अपनी नामित एजेंसियों के माध्यम से खरीद संचालनों का आयोजन करती है। नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियां प्रापण संचालन करने के लिए बाजार में इस उद्देश्य के साथ हस्तक्षेप करती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम न हो। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत् कपास का प्रापण करने के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ लिमिटेड (नैफेड) भारत सरकार की नामित नोडल एजेंसियां हैं।

[अनुवाद]

जीएमडीसी के लिए कोयला ब्लॉक

778. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) ने सरकार से विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार वितरण मार्ग के अंतर्गत कोयला खंडों के आवंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार वितरण मार्ग के अंतर्गत जीएमडीसी को वे कोयला खंड कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) 'कोयला खान नियमावली 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी' के नियम 4(3) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों/निगमों को आबंटन हेतु विद्युत के लिए 14 कोयला ब्लॉकों हेतु दिनांक 31.12.2012 के आवेदन आमंत्रित करने हेतु नोटिस (एनआईए) के उत्तर में, कोयला मंत्रालय ने गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) सहित विभिन्न सरकारी कंपनियों/निगमों से आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्होंने विद्युत हेतु निर्धारित तीन कोयला ब्लॉकों अर्थात् छत्तीसगढ़ में बनाई, भालुमुंडा और केन्ट एक्स्टेंशन के लिए आवेदन किया था परंतु जीएमडीसी को कोई भी ब्लॉक आबंटित नहीं किया गया था क्योंकि विद्युम मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर उनके आवेदन को पात्र नहीं समझा गया। तथापि, गुजरात राज्य विद्युत निगम (जीएसईसीएल) को महाजनवाडी (महाराष्ट्र) कोयला ब्लॉक से 170.00 मिलियन टन कोयला भंडार का आबंटन किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घेरलू भेषज कंपनियों का अधिग्रहण

779. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्कराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल-जून अवधि के दौरान भारतीय भेषज क्षेत्र में एक बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है जो शीर्ष दस क्षेत्रों में अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घेरलू कंपनियों के अधिग्रहण में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है;

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहित घरेलू जेनरिक (ऑफ पेटेंट) कंपनियों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में सरकार एफडीआई नीति में बड़ा बदलाव लाने पर काम कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन बदलावों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) अप्रैल से जून, 2013 की अवधि के दौरान औषध क्षेत्र में 1000.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ। वर्ष 2010 से वर्ष 2013 (आज तक) 14 फर्मों का अधिग्रहण किए जाने अथवा केवल उनके कारोबार खरीदे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	वर्ष	अधिग्रहण की गई कंपनियों की संख्या
1.	2010	2
2.	2011	1
3.	2012	6
4.	2013	5

(घ) वर्तमान में एफडीआई नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस कार्मिकों द्वारा अपराध

780. श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री अरविंद कुमार चौधरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा भ्रष्टाचार/आपराधिक कृत्यों के अनेक मामले सूचित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिपोर्ट किए गए मामलों, गिरफ्तार किए गए पुलिस कार्मिकों की संख्या कितनी है और दिल्ली पुलिस सहित राज्य-वार रैंक अपराध-वार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की "भारत में अपराध" नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 में पुलिस कर्मिकों के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के 205 मामले दर्ज किए गए थे (जिनमें व्यक्तियों का गुम हो जाना, अवैध हिरासत/गिरफ्तारी, फर्जी मुठभेड़ में मारना, आतंकवादियों/अतिवादियों के प्रति उल्लंघन, जबरन उगाही, प्रताड़ना, झूठा फंसाना, कार्रवाई करने में विफल रहना, महिला से अशिष्टता, अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार और अन्य अपराध शीर्ष शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' राज्य का विषय है। यह राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह पुलिस अत्याचार को रोके और उसका न होना सुनिश्चित करे। केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार समय-समय पर केवल परामर्शी-पत्र जारी करती है। तथापि, वर्ष 2012 में पुलिस कार्मियों द्वारा उपर्युक्त अपराधों के संबंध में पंजीकृत मामलों, आरोपत्रित पुलिस कार्मिकों, दोषसिद्ध पुलिस कार्मिकों के राज्य-वार (दिल्ली पुलिस सहित) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2012 के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों का गुम हो जाना			अवैध हिरासत/गिरफ्तारी			फर्जी मुठभेड़ में मारना		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य:									
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र:									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	1	0	0	0	0	0

सीआर-पंजीकृत मामले, सीएस-आरोपपत्रित पुलिस कर्मियों की संख्या, सीवी-दोषसिद्ध पुलिस कर्मियों की संख्या।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आतंकवादियों/अतिवादियों की विरुद्ध उल्लंघन			जबरन उगाही			प्रताड़ना		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	राज्यः									
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	कुल (राज्य)	0	0	0	0	0	0	2	1	0
	सघ राज्य क्षेत्र:									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	4	0	0	1	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	4	0	0	1	0	0
	कुल (अखिल भारत)	0	0	0	4	0	0	3	1	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	झूठा फंसाना			कार्रवाई करने में विफल रहना			महिला के साथ अशिष्टता		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	राज्य:									
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	0	0	0	2	1	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	1	0	0	0	0	0	2	1	0
	संघ राज्य क्षेत्र:									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	6	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	6	2	0
	कुल (अखिल भारत)	1	0	0	0	0	0	8	3	0

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार			अन्य			कुल		
		सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीआर	सीएस	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्यः									
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	102	0	0	102	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	0	0	9	0	0	10	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	10	3	0	0	0	0	10	3	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	2	0	0	0	0	5	3	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	कुल (राज्य)	13	5	0	111	0	0	130	7	0
	संघ राज्य क्षेत्र:									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	64	10	0	75	12	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	64	10	0	75	12	0
	कुल (अखिल भारत)	13	5	0	175	10	0	205	19	0

टिप्पणी: रैंक-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह

781. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंपारण सत्याग्रह जिसने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति में मुख्य भूमिका अदा की का शताब्दी समारोह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त सत्याग्रह का शताब्दी समारोह मनाने के लिए सुचारू रूप से तैयारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्देश कुमारी) : (क) से (ङ) चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी अप्रैल 2017 में प्रारंभ होगी। इस संबंध में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोने वालों का पुनर्वास

782. श्री भक्त चरण दास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों का वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इन सभी लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वैकल्पिक पेशों में लगाने हेतु सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास संबंधी स्व-रोजगार योजना जनवरी, 2007 से लागू की जा रही है।

संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 79469 अभिज्ञात, पात्र एवं इच्छुक सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह योजना हाल ही में संशोधित कर दी गई है। इस संशोधित योजना में एक परिवार के एक सफाई कर्मचारी को एक बारगी नकद सहायता, प्रशिक्षण के साथ वजीफा, लाभार्थियों द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत राज-सहायता तथा ब्याज राज-सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, में दिनांक 6.12.2013 से लागू "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2013" के उपबंधों के अनुसार विधिवत रूप से अभिज्ञात सभी सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास किया जाना है।

विवरण

सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	असम	5554
2.	बिहार	8017
3.	दिल्ली	537
4.	गुजरात	4209
5.	हिमाचल प्रदेश	1506
6.	जम्मू और कश्मीर	83
7.	झारखंड	2894
8.	कर्नाटक	9
9.	मध्य प्रदेश	13280
10.	महाराष्ट्र	9919

1	2	3
11.	मेघालय	130
12.	ओडिशा	14095
13.	पुदुचेरी	30
14.	राजस्थान	932
15.	तमिलनाडु	10352
16.	उत्तर प्रदेश	3567
17.	उत्तराखंड	420
18.	पश्चिम बंगाल	3935
	कुल योग	79469

[हिन्दी]

बीसीसीएल धनबाद में दुर्घटना

782. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर 2013 में झारखंड के धनबाद जिले में स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में खनन दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दुर्घटना में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के आश्रितों और जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए उन लोगों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं जैसे नौकरी प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में कोयला खानों में ऐसी अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक/सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) बीसीसीएल, धनबाद के चांच-विक्टोरिया क्षेत्र के बसन्तीमाता कोलियरी में 11.11.2013 को पूर्वाह्न 11.30 बजे एक दुर्घटना घटी। जब प्रबंधक (खनन) के साथ तीन अन्य कामगार डिपिलेरिंग डिस्ट्रिक में मुहाने पर निरीक्षण कर रहे थे, गोफ के अंदर एक छत गिर गई जिसने कार्य स्थल को अवरुद्ध कर दिया जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृतकों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

क्र. सं.	मृतक का नाम	पदनाम	जन्म की तारीख
1.	श्री अरुप चटर्जी	प्रबंधक (खनन)	28.03.1963
2.	श्री सीता राम मांझी	विस्फोटक केरियर	17.09.1957
3.	श्री लीटू साओ	रूफ बोल्टर	12.01.1974
4.	श्री हरि लाल	ट्रेम्मर	25.07.1978

खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इस दुर्घटना के लिए एक जांच गठित की है।

(ग) मौजूदा नियमों के अनुसार मृतकों के आश्रितों को प्रदान किए गए मुआवजे तथा अन्य लाभों के ब्यौरे निम्नवत हैं:—

क्र. सं.	मृतक का नाम	विशेष राहत (रुपए)	ग्रेच्युटी	मुआवजा (रुपए)	एलसीएल (रुपए)	अनुग्रह राशि (रुपए)	बी.निधि (रुपए)	प्रदत्त रोजगार
1.	श्री अरुप चटर्जी	500000	1000000	617360	—	—	100000	पत्नी
2.	श्री सीता राम मांझी	500000	670870	752600	112800	84400	20000	पत्नी
3.	श्री लीटू साओ	500000	595054	793240	112800	84400	20000	पत्नी
4.	श्री हरि लाल	500000	1000000	617360	112800	84400	20000	पत्नी

(घ) कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक/सुरक्षा उपाय किए गए हैं:—

1. सभी घटनाओं/दुर्घटनाओं की जांच की जाती है सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
2. बीसीसीएल का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) विभाग सभी खानों का नियमित निरीक्षण करता है।
3. बीसीसीएल के पास एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्कन्ध हैं। जब कभी नयी प्रौद्योगिकी लागू होती है तो संबंधित कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

4. बीसीसीएल के सुरक्षा बोर्ड के सदस्यों के साथ निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालक सुरक्षा मानक की जांच करने एवं उनको सुनिश्चित करने के लिए महीने में एक बार खान की जांच करते हैं।

5. बीसीसीएल ने सभी भूमिगत खानों को लोडरहीन खानों में बदल दिया है ताकि सक्रिय मुहाने पर कार्मिकों की आवाजाही कम हो।

6. बीसीसीएल गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, रूफ बोल्टिंग के लिए रूफ ड्रिलिंग मशीन, लोकल मीथेन डिक्टेटर एंड स्वयं बचाव जैसे सुरक्षा उपकरणों के संबंध में नयी प्रौद्योगिकी के लिए स्वयं को अद्यतन कर रही है।

7. प्रत्येक खान का जोखिम मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है।

8. विशिष्टि मामलों के लिए परामर्शदाता रखे जाते हैं। बीसीसीएल आईएसएम, सीआईएमएफआर जैसे शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए बातचीत करती है।

9. सुरक्षा हेतु पर्याप्त निधियां दी जाती हैं।

10. रूफ/साइड गिरने से संबंधित मामलों के समाधान के लिए बीसीसीएल ने "संस्तर नियंत्रण सैल" की स्थापना की है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

784. श्री कमलेश पासवान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता हेतु सहायक उपस्करों/उपकरणों की खरीद/लगाए जाने संबंधी योजना (एआईडीपी) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु गैर-सरकारी संगठन को उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार प्रदान की गई निधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों को उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् उनकी गतिविधियों के लिए काली सूची में डाला गया था; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) विकलांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता योजना के तहत, विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में 30.11.2013 तक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विरुद्ध 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त हुई राज्य-वार शिकायतों के ब्यौरे तथा सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गयी है। 11 शिकायतों में से 4 शिकायतों को सत्य नहीं पाया गया था तथा बकाया 7 मामलों में सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, और आगे अनुदान पर रोक लगा दी गयी है।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में 30.11.2013 तक किसी गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में नहीं डाला गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.2013 तक)	कुल	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	असम	—	1	3	1	5	5 शिकायतों में से 1 शिकायत की जांच की गयी थी तथा इसे उचित नहीं पाया गया था। बकाया 4 शिकायतों में सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।
2.	केरल	—	1	—	—	1	शिकायत की जांच की गयी थी तथा इसे उचित नहीं पाया गया था।

1	2	3	4	6	7	8	9
3.	पश्चिम बंगाल	—	1	—	—	1	शिकायत की जांच की गयी थी तथा इसे उचित नहीं पाया गया था।
4.	उत्तर प्रदेश	—	1	3	—	4	4 शिकायतों में से एक शिकायत की जांच की गयी थी तथा इसे उचित नहीं पाया गया था। बकाया 3 शिकायतों में सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।
	कुल	शून्य	4	6	1	11	

हिंसा प्रभावित लोगों का पुनर्वास

785. **श्री बदरुद्दीन अजमल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बीटीएडी क्षेत्रों में वर्ष 2012 के हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अदा किए गए मुआवजे की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने मुआवजा अदा करने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त लगाई है जिसमें यह शपथ देना है कि वे अपने पूर्व निवास स्थानों को कभी नहीं लौटेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार असम के बीटीएडी क्षेत्रों में सभी गैर-कानूनी गोला-बारूद को जब्त करने के लिए तलाशी अभियान आरंभ करेगी और सभी सुरक्षा कैंप पुन: स्थापित करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बिना किसी शर्त के हिंसा से प्रभावित पट्टा भूमि वाले सभी परिवारों का पुनर्वास किया गया है, सिवाय उन 2834 परिवारों के, जो कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलों में अतिक्रमण करने वालों के रूप में सरकारी खास भूमि/गांव, चराई रिजर्व/वन भूमि में रह रहे थे। सरकारी खास भूमि/गांव, चराई रिजर्व/वन भूमि में अतिक्रमण करने वालों के रूप में पहचाने गए परिवारों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलों में सरकारी खास भूमि/गांव, चराई रिजर्व/वन भूमि पर वापस नहीं आएंगे और पुन: अतिक्रमण नहीं करेंगे, उनके द्वारा शपथ-पत्र दिए जाने पर राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे प्रभावित परिवार को 50,000 रुपए का पुनर्वास अनुदान उपलब्ध करा रही है।

(ङ) और (च) जुलाई, 2012 से अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए असम के कोकराझार, चिरांग और अन्य जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा सघन छानबीन और तलाशी कार्रवाई की जा रही है। जुलाई, 2012 से नवंबर, 2013 के बीच की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 117 अवैध हथियार और गोलाबारूद तथा विस्फोटक आदि बरामद किए गए हैं।

[हिन्दी]

पशुधन की कमी

786. **श्रीमती मीना सिंह :**
श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मेरूदंड समझे जाने वाले पशुधन की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो पशुधन की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैकल्पिक साधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पशुधन की जनसंख्या के संरक्षण और वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति/योजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछली दो पशुधन संगणनाओं के अनुसार, पशुधन की संख्या जो 2003

में 48.50 करोड़ थी, बढ़कर 2007 में 52.97 करोड़ हो गई है जो पिछली पशुधन संगणना की तुलना में 9.2% की वृद्धि की द्योतक है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की गई है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन नीतिं, 2013 अनुमोदित, अधिसूचित और प्रकाशित की गई है। देश में पशुधन का संरक्षण करने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन योजना, चारा और आहार विकास योजना, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का विकास, संकटापन्न नस्लों का संरक्षण तथा पशुधन स्वस्थ्य और रोग नियंत्रण योजना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पशुधन का संरक्षण करने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अधीन राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	केन्द/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4489.60	4547.90	2116.16	2380.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	611.74	791.62	515.39	503.70
3.	असम	993.58	2682.45	408.00	2377.25
4.	बिहार	1036.00	1982.50	2000.53	9.00
5.	छत्तीसगढ़	745.00	1775.78	1214.56	914.50
6.	गुजरात	2663.46	2555.43	2648.34	1732.66
7.	गोवा	175.62	14.64	82.75	0.00
8.	हरियाणा	1938.94	2083.52	1005.25	503.20
9.	हिमाचल प्रदेश	1276.50	869.22	443.42	837.26
10.	जम्मू और कश्मीर	821.99	1498.11	713.57	1889.80
11.	झारखंड	1457.64	1204.23	436.93	1246.68
12.	कर्नाटक	2820.00	2465.90	2758.55	1494.49
13.	केरल	2025.44	1999.80	781.38	1043.50
14.	मध्य प्रदेश	1379.27	3606.03	3172.46	2254.36
15.	महाराष्ट्र	3734.82	2912.02	4331.76	3898.79
16.	मणिपुर	401.25	593.63	176.35	424.00
17.	मेघालय	249.61	140.65	431.00	8.00

1	2	3	4	5	6
18.	मिज़ोरम	580.35	587.31	616.00	514.11
19.	नागालैंड	449.13	1002.02	678.31	476.10
20.	ओडिशा	651.94	1354.15	445.00	0.00
21.	पंजाब	2362.69	1492.55	2435.50	605.39
22.	राजस्थान	311.00	2157.19	489.30	1241.68
23.	सिक्किम	276.39	408.34	408.70	0.00
24.	तमिलनाडु	2556.97	1854.10	3756.14	1648.83
25.	त्रिपुरा	650.01	20.00	791.73	30.42
26.	उत्तर प्रदेश	2578.06	965.00	3843.87	2434.04
27.	उत्तराखंड	807.06	1008.33	269.84	504.38
28.	पश्चिम बंगाल	2903.46	1239.25	1368.77	1003.15
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17.00	0.00	6.50	13.96
30.	चंडीगढ़	13.90	13.90	15.90	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	18.17	0.00	0.00
32.	दिल्ली	2.50	0.00	55.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	24.10	0.00	52.61	1.00
34.	पुदुचेरी	36.50	55.00	10.00	5.94
35.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य	0.00	6.00	10.38	5.16
	नाबार्ड	200.00	400.00	850.00	614.40
	कुल	41241.52	44304.74	39339.95	30615.96

[अनुवाद]

कोयला धोवनशालाओं की स्थापना

787. **श्री प्रदीप माझी :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों में और अधिक धोवनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और सहायक कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन धोवनशालाओं की स्थापना के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सहायक कंपनी-वार इन धोवनशालाओं को कब तक चालू किया जाएगा; और

(ङ) इन धोवनशालाओं की स्थापना से भारत में कोयले के स्तर को किस हद तक सुधार करने में सहायता होगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की सोलह धोवनशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें से छह झारखंड की बीसीसीएल में, तीन ओडिशा के सीसीएल में, एक पश्चिम बंगाल के ईसीएल में तथा दो छत्तीसगढ़ के एसईसीएल में है।

(ग) अभी तक चार धोवनशालाओं, बीसीसीएल में तीन तथा सीसीएल में एक धोवनशाला के लिए वर्क आर्डर जारी किए जा चुके हैं। इन चार धोवनशालाओं के लिए कुल स्थापित लागत 636.32 करोड़ रुपए है।

(घ) प्रस्तावित धोवनशालाएं XIIवीं एवं XIIIवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) कोकिंग कोल धोवनशालाओं से राख % < 18% के धुले हुए कोयले तथा नॉन-कोकिंग कोल धोवनशालाओं से राख % < 34% के धुले हुए कोयले का उत्पादन होने की योजना है।

[हिन्दी]

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा

788. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सतपाल महाराज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड में हाल ही आयी प्राकृतिक आपदा में कुल कितने लोग मारे गए और आज की तिथि के अनुसार कितने लोग लापता हैं;

(ख) अभी तक लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य की स्थिति क्या है; और

(ग) प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा प्रदान किया गया और कितने परिवारों को मुआवजा अदा किया गया और अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तराखंड में जून, 2013 में भारी बारिश, बादल फटने, आकस्मिक बाढ़ और भू-स्खलन के कारण आई प्राकृतिक आपदा की वजह से 4364 लोगों की जानें गईं। इसमें 4119 लापता व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें मृत समझा जा रहा है। ये आंकड़े अनंतिम हैं, क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्गों की मरम्मत कर ली गई है और सम्पर्क बहाल कर दिया गया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एक आवास नीति तैयार की है। घरों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी है।

(ग) राज्य सरकार ने राहत/अनुग्रह के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आपदा प्रभावित परिवारों को 150.13 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, उत्तराखंड से अलग अन्य राज्यों के लापता व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 77.28 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

पीडीएस के अंतर्गत उठान

789. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारें अपने-अपने कोटे का उठान करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के आबंटन तथा उठान (सामान्य और अतिरिक्त आबंटन) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम उठान के कारणों में अन्य बातों के अलावा भंडारण स्थान तथा निधियों की कमी, पर्याप्त संख्या में रेल रैकों की अनुपलब्धता तथा भारतीय खाद्य निगम में श्रमिक समस्या आदि हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जाने वाले त्रैमासिक परामर्श पत्रों, व्यक्तिगत पत्रों, उनके साथ आयोजित विभिन्न सम्मेलनों तथा आवधिक बैठकों के माध्यम से उन्हें आबंटित खाद्यान्नों का समस्त कोटा उठाने का अनुरोध कर रही है। भंडारण समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी स्कीम नामक एक स्कीम तैयार की है। 203.76 लाख टन क्षमता अनुमोदित की गई है तथा 78.91 लाख टन क्षमता का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम के बीच खाद्यान्नों के संचलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रालय, आंचलिक तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। समन्वय समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं, जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई संचलन योजना के अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह पूर्व में सूचित 80-85% अनुपालन की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत हो गया है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3676.480	3433.137	3738.252	3065.474	3822.816	3130.234	1911.408	1345.535
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	85.023	101.556	83.589	101.556	98.376	50.778	49.834
3.	असम	1673.126	1591.641	1806.756	1662.751	1886.856	1830.998	943.428	957.717
4.	बिहार	3543.192	2969.154	3650.312	2757.350	3703.872	2639.407	1851.936	2022.558
5.	छत्तीसगढ़	1168.032	1135.107	1218.752	1085.194	1244.112	1178.578	622.056	599.913
6.	दिल्ली	595.734	607.303	597.858	545.295	598.920	566.777	299.460	290.242
7.	गोवा	68.751	53.804	60.316	60.421	63.036	62.909	31.518	32.709
8.	गुजरात	1885.998	1532.880	2018.738	1242.799	2085.108	1265.504	1042.554	758.593
9.	हरियाणा	685.242	613.097	732.422	586.431	756.012	465.415	343.422	214.540
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	486.462	519.146	512.663	527.940	524.927	263.970	252.265
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	749.115	756.804	743.485	756.804	760.644	378.402	379.647
12.	झारखंड	1319.412	1032.747	1339.032	1022.038	1358.652	977.751	679.326	562.337
13.	कर्नाटक	2260.476	2132.040	2386.646	2234.612	2806.928	2304.402	1224.864	1325.416
14.	केरल	1399.646	1373.157	1431.674	1428.807	1472.688	1473.184	736.344	771.674
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2707.860	2680.736	2653.417	2736.426	3551.778	1368.258	1367.912
16.	महाराष्ट्र	4490.412	3687.169	4647.114	3539.245	4819.044	3724.189	2379.522	2143.707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	141.844	71.209	160.446	144.884	170.952	172.661	85.476	86.830
18.	मेघालय	182.928	156.605	181.696	182.690	188.580	189.600	94.290	94.357
19.	मिज़ोरम	70.140	64.502	70.140	66.233	70.140	66.538	35.070	34.023
20.	नागालैंड	126.876	138.126	126.876	140.094	126.876	135.953	63.438	73.586
21.	ओडिशा	2221.788	2052.089	2118.908	2058.005	2194.266	2120.509	1095.936	1032.777
22.	पंजाब	786.348	680.707	814.100	686.355	827.976	613.964	413.988	305.004
23.	राजस्थान	2037.128	1937.843	2115.140	2078.693	2179.500	2149.291	1089.750	1071.301
24.	सिक्किम	44.250	43.000	44.270	44.936	44.280	45.045	22.140	22.744
25.	तमिलनाडु	3722.832	3698.126	3722.832	3700.634	3722.832	3634.495	1861.416	1614.090
26.	त्रिपुरा	302.622	249.020	308.034	275.381	304.836	289.291	151.640	171.805
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	6555.953	7114.590	6645.333	7268.520	6588.015	3634.258	3295.953
28.	उत्तराखंड	474.122	455.838	501.702	456.876	617.992	596.557	255.996	257.159
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3325.618	3763.754	3281.205	3857.196	3616.745	1928.598	1833.951
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.020	17.921	34.020	16.026	34.020	14.908	17.010	0.000
31.	चंडीगढ़	31.380	25.975	34.980	34.216	36.780	33.429	18.390	12.650
32.	दादरा और नगर हवेली	9.924	2.457	10.284	10.247	10.464	10.499	5.232	6.464
33.	दमन और दीव	4.980	1.162	5.430	4.669	5.652	4.530	2.826	0.304
34.	लक्षद्वीप	4.620	6.385	4.620	4.053	6.620	5.706	2.310	0.014
35.	पुदुचेरी	56.112	48.435	58.912	47.816	60.312	53.313	30.156	25.209
	कुल	47547.329	43720.667	48876.848	43101.917	50468.564	44876.123	24935.166	23012.820

*आवंटन और उठान सितंबर, 2013 तक है।

स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान किया गया विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के खाद्यान्नों का आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11						2011-12				2012-13			
		8.45 प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 प्रति किलोग्राम चावल की दर पर दिनांक 19.05.2010 को एएवाई/बीपीएस/एपीएल हेतु आवंटन		आवंटन 8.45 प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 प्रति किलोग्राम चावल की दर पर दिनांक 06.01.2011 को एपीएल हेतु आवंटन		बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 07.09.2010 और 06.01.2011 को को किया गया बीपीएल आवंटन		बीपीएस निर्गम मूल्यों की दर पर दिनांक 16.5.2011 को किया गया बीपीएल आवंटन		$ निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आवंटन		$ बीपीएल निर्गम मूल्यों की दर पर जुलाई 2012 में किया गया बीपीएल आवंटन		$ निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आवंटन	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	268.957	3.706	255.220	12.532	511.570	510.338	311.570	297.194	116.797	115.093	311.57	269.02	14.244	11.698
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.114	2.190	3.104	2.404	12.592	7.180	7.592	6.009	0.737	0.737	7.592	7.331	0.307	0.118
3.	असम	196.381	82.018	282.673	111.622	290.794	171.081	220.794	199.829	15.34	14.544	190.794	184.495	26.273	19.739
4.	बिहार	201.943	24.960	116.258	20.751	500.214	325.882	600.214	474.756	596.511	312.511	500.213	368.367	595.395	267.211
5.	छत्तीसगढ़	149.974	41.787	205.047	143.700	143.784	194.411	143.784	143.434	131.952	135.836	143.784	132.08	307.274	275.102
6.	दिल्ली	47.294	22.640	51.509	0	31.364	23.369	31.364	29.976	0	0	31.364	0	0	0
7.	गोवा	5.440	0.002	5.904	3.007	3.680	3.374	3.680	3.849	0	0	3.68	3.985	0	0
8.	गुजरात	148.869	16.141	144.063	14.590	162.572	132.874	162.572	163.038	51.502	51.886	321.472	256.034	21.455	13.508
9.	हरियाणा	53.516	16.280	51.205	36.806	60.504	22.076	60.504	39.618	9.739	3.391	60.504	59.606	7.164	3.969
10.	हिमाचल प्रदेश	21.369	21.084	161.128	14.620	39.416	29.491	39.416	27.489	11.537	11.4198	39.416	30.447	11.537	8.21
11.	जम्मू और कश्मीर	30.634	30.983	63.139	51.333	56.440	56.970	56.440	52.369	11.757	10.654	56.44	51.706	14.255	14.253
12.	झारखंड	74.052	8.363	42.587	0.764	183.584	126.175	183.584	86.158	132.229	117.54	183.584	133.165	131.781	108.183
13.	कर्नाटक	160.429	51.525	136.922	12.552	239.946	233.571	239.946	239.989	31.395	31.37	239.946	239.006	31.395	30.182
14.	केरल	153.870	116.062	179.893	127.906	125.653	125.553	119.168	119.092	5.068	5.068	306.104	264.199	1.232	1.232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	मध्य प्रदेश	164.951	13.322	121.077	11.933	516.324	6.668	316.324	270.063	278.044	113.963	316.324	0	206.62	0
16.	महाराष्ट्र	301.359	40.694	242.956	27.145	501.060	286.014	501.060	294.409	105.812	84.957	501.059	272.404	0	0
17.	मणिपुर	6.919	0	5.231	6.070	17.730	16.921	12.730	12.73	1.215	1.199	12.730	12.730	0.381	0.374
18.	मेघालय	7.633	7.843	5.773	5.517	19.034	11.200	14.033	14.213	1.719	1.308	14.033	14.02	0	0
19.	मिज़ोरम	5.678	2.781	18.149	17.599	10.214	11.436	10.214	8.542	0.159	0.159	9.594	9.099	0.159	0.159
20.	नागालैंड	10.268	2.941	13.864	9.354	14.510	15.132	19.510	19.615	0.315	0.376	17.01	17.075	0.315	0.254
21.	ओडिशा	115.447	0.135	75.819	12.006	252.906	190.414	252.906	151.273	143.933	143.702	252.906	192.616	204.647	112.241
22.	पंजाब	67.592	59.295	276.145	70.905	35.888	28.664	35.888	34.235	1.839	1.839	35.888	0	1.839	0
23.	राजस्थान	301.478	191.769	239.700	186.653	236.420	221.277	186.420	179.772	99.054	70.182	186.42	174.464	81.278	81.481
24.	सिक्किम	2.285	1.277	1.646	0.841	4.498	4.499	10.778	6.286	0.264	0.169	3.298	3.297	0.44	0.441
25.	तमिलनाडु	235.994	129.465	195.767	34.731	372.918	353.252	377.918	378.43	40.948	40.359	508.918	507.146	40.948	39.285
26.	त्रिपुरा	12.274	0	9.269	0	22.622	22.623	22.622	22.093	2.734	2.23	34.071	34.487	1.746	1.746
27.	उत्तर प्रदेश	444.406	114.226	335.641	4.160	818.880	508.498	818.880	629.003	316.724	299.744	818.879	740.242	159.556	97.642
28.	उत्तराखंड	20.723	4.034	165.65	93.453	38.188	15.300	38.188	31.891	2.602	2.598	38.188	35.279	1.681	1.681
29.	पश्चिम बंगाल	246.891	223.416	202.822	143.610	397.152	291.327	397.152	325.987	259.315	130.411	397.152	383.272	259.315	36.713
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.377	0	1.150	0	2.146	0.455	2.146	1.820	0	0	2.146	0.667	0	0
31.	चंडीगढ़	3.451	0	3.907	3.116	1.764	0.555	1.764	1.635	0	0	1.764	0.588	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.612	0	0.391	0.391	1.382	0.692	1.382	0.017	0	0	1.382	0.493	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0.478	0	0.268	0.112	0.268	0.032	0	0	0.268	0.178	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.187	0	0.174	0.724	0.230	0	0.230	0.230	0	0	0.23	0.207	0	0
35.	पुदुचेरी	3.808	0.309	3.039	4.228	6.442	1.567	10.711	8.492	0	0	6.442	3.835	0	0
	सकल जोड़	3066.410#	1229.248	2500.000#	1185.023	5000.004#	3948.951	5000.004#	4273.568	2369.241	1703.246	5000.000#	4401.540	2121.237	1125.422

स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

$विशेष आवंटन के संबंध में उठान मार्च, 2013 तक है तथा निर्धनतम जिलों का उठान अप्रैल, 2013 तक है।

#कतिपय मामलों में जोड़ कुल आवंटन में से न उठाये गए शेष से किए गए पुर्नआवंटन के कारण राज्यों को किए गए, आवंटन के दर्शाए गए सकल जोड़ के बराबर नहीं होता है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा अवसंरचना

790. **श्री विन्सेंट एच. पाला : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय की सीमा किस हद तक बांग्लादेश के साथ लगी हुई है;

(ख) इस सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र से कितने अवैध आव्रजन मामलों का पता लगाया गया और कितने लोगों को वापस उनके देश भेजा गया;

(घ) क्या मेघालय में गैर-सरकारी संगठनों और छात्र संगठनों द्वारा आंतरिक सीमा परमिट की भारी मांग के मद्देनजर इस सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बांग्लादेश के साथ मेघालय की सीमा की लंबाई 443.00 किमी. है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस भाग पर सीमा सुरक्षा बल की नौ (09) बटालियनें तैनात की गई हैं।

(ग) वर्ष 2012-2013 (नवंबर तक) के दौरान, 13747 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता चला, 526 को निर्वासित किया गया और 13032 को वापस भेजा गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि संबंधी सम्मेलन

791. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वर्ष 2013 में रबी अभियान पर कृषि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए मुद्दे और समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक विभिन्न बीजों की सही किस्म की उपलब्धता के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आगामी रबी सत्र के दौरान कृषि उत्पादन में सुधार के लिए तैयार की गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां। नई दिल्ली में 24 और 25 सितंबर, 2013 को सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इसका उदघाटन किया।

(ख) कृषि के विकास से संबंधित बहुत से मामले तथा खासकर आगामी रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। राज्यों ने नाशीजीवमारों हेतु अनुमोदन तंत्र; राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नाशीजीवमारों पर स्थान विशिष्ट अनुसंधान कार्य करने; ताप सहने वाली किस्मों के विकास; येलो रस्ट के प्रबंधन; परती भूमियों के प्रबंधन; संरक्षित खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता अधिक श्रम लागत को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण; रासायनिक उर्वरकों पर राजसहायता उर्वरकों पर राजसहायता; उर्वरकों के लिए अतिरिक्त रेक प्वाइंट; अम्लीय/लवणीय मृदाओं के उपचार जैसे अपनी चिंता के कई मामले उठाए। उठाए गए मुद्दों के उत्तर केन्द्रीय कृषि और उर्वरक मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा दिए गए।

(ग) और (घ) संकटग्रस्त क्षेत्रों हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता के संबंध में उठाए गए कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं: बीज उत्पादन/बहुलीकरण हेतु प्रजनक/आधारी बीजों के प्रबंध हेतु आवश्यकता; गेहूं, मसूर, खसारी, मूंगफली, सूरजमुखी की शीघ्र पकने वाली किस्मों की उपलब्धता तथा चल रही बीज योजना के साथ उनका समेकन। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय बीज निगम और इस प्रयोजनार्थ अभिज्ञात अन्य एजेंसियों जिन्हें आवश्यकता पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है, के साथ अधिक उपज देने वाली तथा गुणवत्ताप्रद बीजों की अगले वर्ष की आवश्यकता हेतु टाइ अप करें।

(ङ) तैयार की गई मुख्य कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:—

- बीज, बीज उपचार/जैव अभिकारकों/रसायनों, उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, खरपतवार नाशक और नाशीजीवमारों जैसे कृषि आदानों की समय पूर्व स्थिति निर्धारण;
- समय पर बुआई;
- अधिक लक्षित क्षेत्रफल वाले जिलों पर ध्यान केन्द्रित करना;
- मानसून की जल्द वापसी को देखते हुए नमी संरक्षण और समय पर बुआई; और
- संरक्षित जल का इष्टतम और कुशल उपयोग।

[हिन्दी]

बीजों का उत्पादन

792. **श्री गणेश सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में बीज उत्पादन की कुल मात्रा का फसल-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है जिससे कि देश में मांग को पूरा किया जा सके;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बीजों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) वर्ष 2013-14 हेतु देश में प्रमाणीकृत/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन एवं उपलब्धता राज्यों द्वारा यथासूचित 335.26 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 347.31 लाख क्विंटल है। मध्य प्रदेश सहित फसल-वार व राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) देश में प्रमाणीकृत/गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 140.51 लाख क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 347.31 लाख क्विंटल हो गया है। देश में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों नामतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), समेकित तिलहन एवं ऑयलपाम स्कीम (आइसोपाम), गहन कदन्न प्रोत्साहन (आईएनएसआईएमपी) के माध्यम से पोषाहारीय सुरक्षा हेतु पहल, कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), जूट एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई), अवसंरचना सुविधाओं के विकास/सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत बीज उत्पादन नामतः उत्पादन, भंडारण, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, आदि में किसानों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों पर राज्य सरकारों व बीज उत्पादक एजेंसियों की सहायता कर रही है।

विवरण-I

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमाणीकृत/गुणवत्ताप्रद बीजों की अखिल भारतीय आवश्यकता एवं उपलब्धता

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	फसल	2013-14			टिप्पणियां
		आवश्यकता	उपलब्धता	स्थिति	
1	2	3	4	5	6
1.	गेहूं	11252834	10835184	-417650	निजी एवं खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
2.	धान	8237391	8995371	757980	
3.	मक्का	1041566	1059342	17776	
4.	ज्वार	280026	359319	79293	
5.	बाजरा	252487	348560	96073	
6.	रागी	32477	34275	1799	
7.	जौ	205415	280934	75519	

1	2	3	4	5	6
8.	बनयार्ड मिलेट	315	25	-290	खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
9.	कोदो	472	1149	677	
10.	इटेलियन कदन्न	3300	3300	0	
11.	छोटे कदन्न	460	469	9	
	कुल अनाज	21306743	21917929	611186	
12.	चना	1706993	2010241	303248	
13.	मसूर	145876	142479	-3397	निजी एवं खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
14.	मटर	179705	163995	-15710	निजी एवं खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
15.	अरहर	258080	251995	-6085	निजी एवं खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
16.	उड़द	247669	381674	134005	
17.	मूंग	193438	265088	71650	
18.	मोठ	20900	16648	-4252	खेत से बचाये गए बीजों से पूरा किया जा रहा है।
19.	राजमा	4690	4690	0	
20.	लोबिया	27176	29838	2659	
21.	कुल्थी	16515	16598	83	
22.	खेसारी	5951	6257	306	
23.	इंडियन बीन	578	650	72	
	कुल दलहन	2807570	3290150	482579	
24.	मुंगफली	2961881	3022197	60316	
25.	तिल	28545	30707	2162	
26.	आर/एम	242338	251538	9200	
27.	गोभी सरसों	280	587	307	
28.	तोरिया	18065	22235	4170	
29.	सोयाबीन	3299968	3694733	394765	

1	2	3	4	5	6
30.	अलसी	6378	3209	-3169	खेत से बचाये बीजों से पूरा किया जा रहा है।
31.	सूरजमुखी	53500	59522	6022	
32.	एरंडी	62676	73467	10791	
33.	रामतिल	3104	2803	-301	खेत से बचाये बीजों से पूरा किया जा रहा है।
34.	कुसुम	11619	11688	69	
	कुल तिलहन	6688355	7172687	484332	
35.	कपास	221421	246441	25020	
36.	पटसन	32208	14451	-17757	निजी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।
37.	सनई	20622	24850	4228	
38.	रोसल	8	14	6	
	कुल रेशे	274259	285756	11498	
39.	आलू	2290630	1894630	-396000	डब्ल्यूबीएसएससी/निजी एजेंसियों ने कम मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था की।
40.	बाजरा नेपियर	115	115	0	
41.	ग्वार	74700	68616	-6084	निजी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।
42.	ढैंचा	71350	70850	-500	निजी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।
43.	राइस बीन	150	150	0	
44.	जई	11850	29770	17920	
45.	बर्सिम	750	650	-100	निजी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।
	सकल योग	33526472	34731303	1204831	

विवरण-II

वर्ष 2013-14 के लिए प्रमाणीकृत/गुणवत्ताप्रद बीजों की राज्य-वार आवश्यकता एवं उपलब्धता

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य	2013-14			टिप्पणियां
	आवश्यकता	उपलब्धता	स्थिति	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4737637	5623067	885429	

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	11467	11467	0	
असम	678517	678517	0	
बिहार	1514030	1702290	188260	
छत्तीसगढ़	842340	1135734	293394	
गोवा	5842	5942	100	
गुजरात	1231746	1263425	31679	
हरियाणा	1468130	1625065	156935	
हिमाचल प्रदेश	141757	141757	0	
जम्मू और कश्मीर	152647	152647	0	
झारखंड	319231	343137	23906	
कर्नाटक	1553368	1563203	9835	
केरल	100000	100000	0	
मध्य प्रदेश	3428193	3398501	-29692	एनएससी, एसएफसीआई, एचआईएल, आरएसएससी, नैफेड व निजी से व्यवस्था की गई।
महाराष्ट्र	2807542	2834411	26869	
मणिपुर	21060	21060	0	
मेघालय	23470	23470	0	
मिज़ोरम	14743	14743	0	
नागालैंड	63703	63703	0	
ओडिशा	915419	878309	-37110	एनएससी, एसएफसीआई, व निजी से व्यवस्था की गई।
पुदुचेरी	5670	5801	131	
पंजाब	1372425	1576909	204484	
राजस्थान	2077179	2284340	207161	
सिक्किम	5144	5144	0	
तमिलनाडु	949438	1048136	98698	
त्रिपुरा	23367	23447	80	

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	5387829	4607791	-780038	राज्य एनएससी, एसएफसीआई, एचआईएल, निजी व फार्म से बचाए गए बीजों से खरीद कर रहे हैं।
उत्तराखंड	93351	123578	30227	
पश्चिम बंगाल	3581225	3475706	-105519	डब्ल्यूबीएसएससी/निजी एजेंसियों ने कम मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था की।
सकल योग	33526471	34731301	1204830	

[अनुवाद]

लावारिस शव

793. श्री अब्दुल रहमान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों में लावारिस शवों के पाए जाने के संबंध में आंकड़ों का संकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पाए गए लावारिश शवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन मृत व्यक्तियों के संबंधियों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(घ) क्या इन व्यक्तियों का डी.एन.ए नमूना 'सेफ कस्टडी' में रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2010-12 के दौरान पहचान न किए गए शवों और की गई जांच-पड़ताल की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, राज्य सरकार अपराध की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, उन्हें दर्ज करने और उनकी जांच करने और अपनी कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने तथा नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध को रोकने के मामले को सबसे अधिक महत्व देती है और इसलिए, केन्द्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने और अपराध की रोकथाम करने तथा उसे नियंत्रित करने हेतु आवश्यक उपाय करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से सतत आग्रह करती रहती है।

(घ) से (ङ) ऐसे ब्यौरों के आंकड़ों का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2010-2012 के दौरान बरामद हुए पहचान न किए गए शवों और की गई जांच-पड़ताल की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2120	2639	1956
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	3
3.	असम	15	19	11
4.	बिहार	147	581	322

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	65	15	65
6.	गोवा	243	162	186
7.	गुजरात	2226	2099	2016
8.	हरियाणा	628	1159	1428
9.	हिमाचल प्रदेश	89	331	178
10.	जम्मू और कश्मीर	266	229	237
11.	झारखंड	317	320	316
12.	कर्नाटक	2268	2440	2658
13.	केरल	491	471	451
14.	मध्य प्रदेश	1040	1191	1025
15.	महाराष्ट्र	7651	6313	5906
16.	मणिपुर	25	7	44
17.	मेघालय	31	264	2325
18.	मिज़ोरम	3	1	0
19.	नागालैंड	6	51	49
20.	ओडिशा	1161	789	1150
21.	पंजाब	1141	1004	1093
22.	राजस्थान	1125	1170	1142
23.	सिक्किम	8	18	23
24.	तमिलनाडु	2795	4479	5319
25.	त्रिपुरा	17	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	3767	4084	3996
27.	उत्तराखंड	364	457	455
28.	पश्चिम बंगाल	3461	3704	3681
	कुल (राज्य)	32770	33999	34035
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	32	240	216
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	0
32.	दमन और दीव	8	16	29
33.	दिल्ली	2877	2748	3359
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	166	190	199
	कुल (संघ राज्यक्षेत्र)	3087	3194	3803
	कुल (समस्त भारत)	35857	37193	37838

स्रोत: भारत में अपराध।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार

794. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के उर्वरक डिवीजन के कितने अवकाश प्राप्त लोगों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में उपक्रम-वार रोजगार में रखा गया है;

(ख) इन कर्मचारियों को पुनः रोजगार और वेतन भुगतान और उन्हें उपलब्ध कराए गए अन्य लाभों के संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इन अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार प्रदान करते समय इन निर्धारित किए गए नियमों/मानदंडों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) लोक उद्यम विभाग ने केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के अंतर्गत अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद पदों पर अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में नीति जारी की है, जिसमें यह प्रावधान है कि 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को रोजगार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों में अंशकालिक अध्यक्ष और परामर्शदाताओं/सलाहकारों की नियुक्ति तथा संविदा नियुक्तियों को अधिकारी द्वारा उनकी अधिवर्षिता की आयु के बाद पुनर्नियुक्ति के संबंधित कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

इस प्रकार, उर्वरक पीएसयू में पुनर्नियुक्ति आधार पर अपनी किसी सेवा-निवृत्त कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया है। तथापि, पीएसयू ने एकमुश्त पारिश्रमिक पर ठेकागत आधार पर कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की अवधि आवश्यकता आधार पर भिन्न-भिन्न है।

(ग) और (घ) उपर्युकत (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना

795. **श्री सुखदेव सिंह :**
श्री रवनीत सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को प्राकृतिक आपदा कीटों और रोगों आदि से संरक्षण के लिए पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत कवर किए गए कुल किसानों और लघु सीमांत और बड़े किसानों के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अंतर्गत कवर किए गए किसानों को उनके दावों की तुलना में भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है और अनेक मामलों में अपने दावों के लिए उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त दावों और निपटाये गए दावों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और दावा निवेदनों को निपटाने में औसतन कितना समय लगता है और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एनएआईएस के अंतर्गत दावों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और विभिन्न राज्यों में कृषि परिवारों के अधिकतम प्रतिशत को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) का कार्यान्वयन रबी 1999-2000 मौसम से किया गया था तथा यह देश में खरीफ 2013 तक कार्यान्वयनाधीन रही। यह स्कीम राज्यों के लिए स्वैच्छिक थी तथा 25 राज्यों तथा 2 संघ शासित प्रदेशों द्वारा एक अथवा अधिक मौसम से इसे कार्यान्वित किया गया। पंजाब सरकार ने किसी भी मौसम में स्कीम का चयन नहीं किया।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान छोटे एवं सीमान्त किसानों के प्रतिशत तथा भुगतान किए गए दावों सहित किसानों की कवरेज के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) स्कीम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत फसल कटाई परीक्षण (सीसीई) की अपेक्षित संख्या से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर ग्राह्य दावों का अनुमान लगाया जाता है। सामान्यतः एग्रीकल्चर इंश्यूरेंश कॉरपोरेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) जो एनएआईएस की कार्यान्वयन एजेंसी है, संबंधित राज्य सरकार से उपज आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् एक माह के भीतर ग्राह्य दावों की प्रक्रिया शुरू करती है। यदि कोई दावे हो उसका तत्काल भुगतान किया जाता है बशर्ते एआईसी को केन्द्र व राज्य सरकार के निधियों का अंशदान प्राप्त हो। तथापि कभी-कभी उपज आंकड़ों तथा विधायी मामलों आदि में विसंगति के कारण दावों के निपटान में देरी हो जाती है तथा दावों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों/कृषि समुदाय से अनुरोध प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शीघ्र और यथा संभव कार्रवाई करने के लिए मामलों को तुरंत कार्यान्वियक एजेंसी (अर्थात् एआईसी) को भेजा जाता है। सभी शिकायतों का उचित समाधान किया जाता है।

(घ) सूचित तथा निपटान किए गए दावों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में राज्य सरकारों से फसल बीमा के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकारों से दावों के निपटान में शीघ्रता लाने के लिए प्रीमियम/दावों के लिए अपने अंशदान निर्मुक्त करने का भी अनुरोध किया जाता है। कार्यान्वयक राज्यों के समन्वय से कार्यान्वयक एजेंसी फसल बीमा स्कीमों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। जागरुकता अभियान के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलापों में प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन, दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से प्रसारण, पम्पलेट का वितरण, कृषि मेलों/गोष्ठी में भागीदारी तथा कार्यशालाओं/प्रशिक्षण आदि के आयोजन के माध्यम से स्कीम की विशेषताओं एवं लाभों का प्रचार शामिल है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) को अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए कुछ प्रावधानों में और संशोधन किया गया है तथा पूर्णकालिक आधार पर कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईटी) के घटकों के रूप में संशोधित एनएआईएस की शुरूआत की गई है तथा रबी 2013-14 से एनएआईएस को बंद कर दिया गया है। एमएनएआईएस के अंतर्गत पात्र किसानों को संभावित दावों के 25 प्रतिशत की दर से खाते में अग्रिम भुगतान किया जा रहा है। किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन में निजी बीमा कंपनियों को भी अनुमति दी गई है।

विवरण-I

एनएआईएस-पिछले 3 वर्षों के दौरान बीमित किसानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2010-11 से 2012-13				
		छोटे/सीमान्त किसान	अन्य किसान	शामिल किए गए कुल किसान	छोटे/सीमान्त किसान (प्रतिशत में)	अन्य किसान (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4050519	2036638	6087157	66.54	33.46

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	124076	402	124478	99.68	0.32
3.	बिहार	1019489	219671	1239160	82.27	17.73
4.	छत्तीसगढ़	2031427	1076236	3107663	65.37	34.63
5.	गोवा	985	1	986	99.90	0.10
6.	गुजरात	1696511	496468	2192979	77.36	22.64
7.	हरियाणा	13289	31795	45084	29.48	70.52
8.	हिमाचल प्रदेश	75892	544	76436	99.29	0.71
9.	जम्मू और कश्मीर	8453	1471	9924	85.18	14.82
10.	झारखंड	468652	530152	998804	46.92	53.08
11.	कर्नाटक	982099	1526513	2508612	39.15	60.85
12.	केरल	90130	2286	92416	97.53	2.47
13.	मध्य प्रदेश	4130111	5620183	9750294	42.36	57.64
14.	महाराष्ट्र	4660091	2349805	7009896	66.48	33.52
15.	मणिपुर	7100	916	8016	88.57	11.43
16.	मिज़ोरम	0	0	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	4745	20	4765	99.58	0.42
18.	ओडिशा	3825630	352167	4177797	91.57	8.43
19.	राजस्थान	0	0	0	0.00	0.00
20.	सिक्किम	105	0	105	100	0.00
21.	तमिलनाडु	2136251	457682	2593933	82.36	17.64
22.	त्रिपुरा	3573	0	3573	100.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	4272929	1040585	5313514	80.42	19.58
24.	उत्तराखंड	145864	5084	150948	96.63	3.37
25.	पश्चिम बंगाल	2684858	8495	2693353	99.68	0.32
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	795	343	1138	69.86	30.15
27.	पुदुचेरी	7725	1180	8905	86.75	13.25
	कुल	32441299	15758637	48199936	67.31	32.69

विवरण-II

एनएआईएस-2010-11 से 2012-13 से पिछले 3 वर्षों के दावों, विविध किसानों की संख्या, सूचित दावों, दान किए गए दावों और लाभान्वित किसानों को दर्शाने वाला विवरण (रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे	सूचित दावे	भुगतान किए गए दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	83465	83465	31935	24950	0	0	115401	108415
2.	असम	85	85	347	347	95	95	527	527
3.	बिहार	36437	36437	272	146	0	0	36710	36583
4.	छत्तीसगढ़	117	117	1261	1261	161	161	1539	1539
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	7234	7234	31904	31904	220212	219039	259351	258178
7.	हरियाणा	1	1	878	574	7	0	886	575
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	0	73	0	77	0
9.	झारखंड	9012	9012	159	142	956	919	10127	10074
10.	कर्नाटक	4695	4695	14070	14070	12686	12686	31451	31451
11.	केरल	196	196	55	55	475	3	727	255
12.	मध्य प्रदेश	32405	32405	30886	30886	39043	7508	102334	70798
13.	महाराष्ट्र	1497	1497	17495	17495	76357	20147	95350	39140
14.	मणिपुर	11	11	70	70	467	363	548	444
15.	मेघालय	1	1	4	4	0	0	5	5
16.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ओडिशा	13825	13825	68445	68445	662	6118	88932	88388
18.	राजस्थान*	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	तमिलनाडु	25777	25763	4113	4110	74824	370	104714	30242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	10141	10141	3972	3972	929	929	15042	15042
23.	उत्तराखंड	1171	1171	17	17	59	59	1247	1247
24.	पश्चिम बंगाल	3740	3740	5839	5226	1376	0	10955	8966
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	5	5	11	11	19	19
26.	पुदुचेरी	9	9	54	54	17	17	80	80
27.	जम्मू और कश्मीर	12	12	0	0	0	0	12	12
	कुल	229838	229824	211785	203732	434411	268426	876033	701981

[हिन्दी]

सूखा राहत

796. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को आवंटित सभी सूखा राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है और राज्य द्वारा पैकेज की मात्रा का किस प्रकार से उपयोग किया गया/उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं और जिला-वार आवंटन का ब्यौरा मांगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूखा प्रभावित राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4
2010-11	—	—	—
2011-12	574.71	—	574.71
2012-13	778.09	1036.98	1815.07
2013-14			

इसके अलावा मराठवाड़ा तथा पश्चिमी एवं मध्य महाराष्ट्र में कम वर्षा की स्थिति के दृष्टिगत राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में फल बागानों के पुनरूद्धार के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का भी अनुमोदन किया था। इस आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 157.60 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में उन किसान परिवारों की सहायता का कोई प्रावधान नहीं है जो सूखे के कारण आत्महत्या करते हैं।

संकेत बोर्डों की स्थापना

797. डॉ. बलीराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर विभिन्न प्रकार के संकेत बोर्डों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सड़कों पर स्थापित किए गए संकेत बोर्डों की कुल सुख्या और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न सड़कों पर लगाए गए अनेक

इस्पात संकेत बोर्ड लापता हैं अथवा एनडीएमसी द्वारा उन्हें हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एनडीएमसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। नहीं दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 18.20 करोड़ रुपए (लगभग) की लागत से एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर 5772 साइन बोर्ड लगाए गए थे।

(ग) और (घ) एनडीएमसी ने सूचित किया है कि 259 साइन बोर्ड गायक हैं ओर 154 साइन बोर्डों, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, को एनडीएमसी द्वारा हटा दिया गया है।

एनडीएमसी ने आगे सूचित किया है कि 105 गायब स्थलों पर, जहां साइन बोर्डों की आवश्यकता है, साइन बोर्डों की मरम्मत की गई है/मरम्मत की जा रही है।

विध्वंस साइन बोर्डों की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है।

कृषि अनुसंधान का लाभ

798. श्री अर्जुन राय :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के सरकारी क्षेत्र में विगत वर्षों में अनेक कृषि अनुसंधान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन अनुसंधानों का लाभ देश के किसानों तक नहीं पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकियों के सृजन हेतु फसल सुधार/उत्पादन तथा संरक्षण, बागवानी फसलें, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशु उत्पादन तथा स्वास्थ्य, मात्स्यिकी और कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है।

(ख) जी, नहीं देशभर में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा किसानों के खेतों में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा देश में विस्तार प्रणाली को प्रौद्योगिकी बैकस्टापिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किसानों, ग्रामीण युवा तथा विस्तार कार्यकर्ताओं को किसानों के खेती पर परीक्षणों, अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों चलाए जा रहे हैं। किसानों तक अनुसंधान का लाभ पहुंचाने के कारण ही मध्य छठे दशक के दौरान के दौरान खाद्य उत्पादन जो 55 मिलियन टन था वर्ष 2012-13 में बढ़कर 255.36 टन हो गया।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मात्स्यिकी

799. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी संघ को चालक दल की उपलब्धता और वीजा सहित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे देश में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विदेशी चालक दल जिसे 15% वार्षिक की दर से चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना था को हटाया जा चुका है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गहरे समुद्र में मात्स्यिकी उद्योग की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) मात्स्यिकी संघों ने विदेशी चालक दल को सुरक्षा संबंधी अनुमति प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय की शर्तों, जैसे (i) विदेशी चालक दल को सुरक्षा संबंधी अनुमति प्रदान करने की शर्त के रूप में प्रतिवर्ष 25000 अमरीकी डॉलर के न्यूनतम वेतन की अपेक्षा (ii) कुल चालक दल में में विदेशी चालक दल 10-15% तक सीमित (iii) विदेशी चालक दल

को प्रति वर्ष 25000 अमरीकी डॉलर के न्यूनतम वेतन की शर्त में 31.12.2013 तक छूट, तथा (iv) 31.12.2013 तक विदेशी चालक दल के स्थान पर भारतीय चालक दल के प्रतिस्थापन, के कारण भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने में अपनी असमर्थता जताई है।

(ग) पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग ने गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए प्रशिक्षित भारतीय चालक दल की कमी के कारण गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों (डीएसएफवी) पर विदेशी चालक दल रखने से संबंधित प्रतिबंधों को हटाए जाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है। विभाग ने गृह मंत्रालय से इस विभाग द्वारा जारी गहरे समुद्र में मत्स्यन से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों की यथास्थिति बनाए रखने का भी अनुरोध किया है, जो गहरे समुद्र के जलयानों पर 75 प्रतिशत तक विदेशी चालक दल रखने की अनुमति देते हैं।

(घ) और (ङ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी दिनांक 11.4.2012 के विद्यमान आदेश के अनुसार विदेशी चालक दल को 25% वार्षिकी की दर से चरणबद्ध रूप से हटाया जाना है। गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी चालक दल पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयान न चल पाने के कारण विदेशी चालक दल को हटाया नहीं जा पा रहा है। देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक कौशल की भी कमी है क्योंकि पारंपरिक रूप से भारतीय मछुआरे तट के निकटवर्ती जल में मछली पकड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। अत: गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों में लंबी यात्राएं करने के लिए उनके पास अपेक्षित सहनशक्ति की कमी है। साथ ही, गहरे समुद्र में मत्स्यन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत अवसंरचना अपर्याप्त है और प्रशिक्षित भारतीय समुद्री चालक दलों का रूझान वाणिज्यिक पोत परिवहन जलयानों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने पर है, जो मत्स्यन जलयानों के मुकाबले जलयानों के मुकाबले बेहतर वेतन देने तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रस्ताव करते हैं।

(च) समुद्री मत्स्यन नीति के व्यापक पुनर्विलोकन के लिए तथा भारत में गहरे समुद्र के मत्स्यन के विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए 1.8.2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

खाद्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आवश्यकता

800. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की आवश्यकता है और देश में कितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को कृषि वैज्ञानिकों से उत्पादन से लेकर खपत तक विभिन्न स्तर पर खाद्यान्नों की बर्बादी की रोकथाम और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अत्याधुनिक भंडागारों के निर्माण हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में उपबंधित कवरेज और हकदारी के आधार पर खाद्यान्नों की कुल वार्षिक आवश्यकता 614.3 लाख टन अनुमानित है। अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि और सहकारित विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु जारी खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल और गेहूं का कुल उत्पादन 1968.6 लाख टन अनुमानित है। फसल वर्ष 2012-13 के दौरान चावल और गेहूं की कुल खरीद 591.2 लाख टन हुई है और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक दिनांक 1.11.2013 की स्थिति के अनुसार 509.5 लाख टन था।

(ख) और (ग) डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में बोरियों में रखे गए गेहूं और चावल की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसके बारिश में भीगने से अत्यधिक नमी के कारण उसमें संक्रमण हो सकता है। प्रमुख फसलों की फसल कटाई के दौरान और फसलोत्तर नुकसान तथा पशुधन उत्पाद के नुकसान से संबंधित अध्ययन वर्ष 2005-2007 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया था जिसमें अन्य बातें के साथ-साथ हैंडलिंग और भंडारण के लिए अवसंरचना के निर्माण की सिफारिश की गई थी।

खरीद गए खाद्यान्नों के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाते हैं। सरकार 17 राज्यों में 20 लाख टन की कवर्ड भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए एक निजी उद्यमी गारंटी स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिनमें 20 लाख टन साइलों के रूप में है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में 5.40 लाख टन और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में 76,220 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण हेतु एक योजना स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

आर.जी.एन.एफ योजना

801. श्री एस. सेम्मलई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आर.जी.एन.एफ) योजना की प्रमुख विशेताएं क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के माध्यम से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:—

(i) वर्ष 2010-11 से प्रतिवर्ष 2000 नई अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

(ii) स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंक संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के लिए पात्र होने के लिए उसका स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त है।

(iii) अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) पात्रता हेतु आय संबंधी कोई मानदंड नहीं है।

(v) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अध्येतावृत्तियां मुख्यत: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में दी जाती है।

(vi) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नोडल एजेंसी है।

(ख) इस योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान 2000 प्रतिवर्ष है। इस वर्ष अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अभी चयन किया जाना है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित बजट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी की गई अनुदान राशि का ब्यौरा निम्नवत है:—

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपए में)	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2010-11	160	144
2011-12	125	103.68
2012-13	125	0
2013-14	100	0

निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित अनुसूचित जाति स्लॉटों तथा स्लॉटों के वास्तविक उपयोग संबंधी ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित स्लॉटों की संख्या	स्लॉटों का वास्तविक उपयोग 2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	148	188	200	148
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1
3.	असम	22	24	24	23
4.	बिहार	157	143	68	157
5.	चंडीगढ़	2	2	3	2
6.	छत्तीसगढ़	29	17	30	29
7.	दिल्ली	28	30	37	29

1	2	3	4	5	6
8.	गोवा	1	0	0	1
9.	गुजरात	43	46	43	42
10.	हरियाणा	49	54	57	49
11.	हिमाचल प्रदेश	18	22	23	18
12.	जम्मू और कश्मीर	9	10	10	10
13.	झारखंड	38	14	17	32
14.	कर्नाटक	103	118	134	103
15.	केरल	38	40	46	38
16.	मध्य प्रदेश	110	117	127	110
17.	महाराष्ट्र	119	135	148	119
18.	मणिपुर	1	3	8	2
19.	ओडिशा	73	75	74	73
20.	पुदुचेरी	2	5	3	2
21.	पंजाब	84	84	84	84
22.	राजस्थान	117	120	118	117
23.	सिक्किम	0	1	0	
24.	तमिलनाडु	142	188	241	142
25.	त्रिपुरा	7	4	5	8
26.	उत्तर प्रदेश	422	436	371	422
27.	उत्तराखंड	18	19	20	18
28.	पश्चिम बंगाल	220	105	109	221
	कुल	2000	2000	2000	2000

जल में घुलनशील उर्वरक

802. **श्री पूर्णमासी राम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल में घुलनशील उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या इजरायल, नार्वे और अन्य देशों से जल में घुलनशील उर्वरक का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो किन देशों से उक्त उर्वरकों का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) किस मूल्य पर इन उर्वरकों का आयात किया जा रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारत द्वारा जल में घुलनशील उर्वरकों को विभिन्न देशों से आयात किया जाता है, जिनमें इजरायल, नार्वे, चिली, चीन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी आदि शामिल हैं।

(ङ) उर्वरक विभाग जल में घुलनशील उर्वरकों के आयात मूल्यों से संबंधित आंकड़े नहीं रखता।

किसानों को सीधी राजसहायता

803. श्री बलीराम जाधव :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों पर दी गई राजसहायता का उर्वरक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के गरीब और सीमांत किसान किस राजसहायता से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं;

(ग) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को उर्वरक राजसहायता सीधे दिये जाने हेतु नई योजनाएं शुरू की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक जारी की गई धनराशि का उर्वरक और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को नहीं लाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) विभिन्न उर्वरकों पर दी गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त और यूरिया पर दी गई राजसहायता निम्न प्रकार है:—

वर्ष	पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता	यूरिया पर राजसहायता	कुल
2010-11	41500.00	24336.68	65836.68
2011-12	36107.94	37683.00	73790.94
2012-13	30576.12	40016.01	70592.13
2013-14 (ब.अनु.)	29426.88	41158.85	70585.73

(ख) किसानों की आर्थिक स्थिति और भू-जोतों को न देखते हुए सभी किसानों को राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान में किसानों को सीधे उर्वरक राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा एजेंसियों में विदेशी एजेंटों की उपस्थिति

804. श्री राकेश सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों में पाकिस्तानी एजेंटों की उपस्थिति जानकारी में आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों में विदेशी एजेंटों की घुसपैठ को रोकने के लिए लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) उपलब्ध आसूचना संबंधी जानकारी के अनुसार, इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी राष्ट्र-विरोधी/अलगाववादी गतिविधियों से निपटने के लिए, आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की निगरानी हेतु केन्द्र तथा राज्य के स्तर पर आसूचना एजेंसियों के मध्य अत्यन्त नजदीकी एवं प्रभावी समन्वय रहता है। संभावित योजनाओं एवं खतरों के बारे से संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर आसूचना संबंधी जानकारियां साझा

की जाती हैं। वास्तविक समय पर सूचना संग्रह करने तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना साझा करने हेतु मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को 24x7 आधार पर कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उसे मजबूती प्रदान करते हुए पुनर्गठित किया गया है और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा संबंधी आसूचना की जानकारियां साझा की जाती हैं, जिससे राज्यों तथा केन्द्रीय सुरक्षा एवं विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच नजदीकी समन्वय तथा आसूचना को साझा किया जाना और सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है।

कृषि में एकल फसल प्रक्रिया

805. श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री जे. एम. आरूनरशीद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकल-फसल तकनीक से देश में छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में वैज्ञानिकों ने छोटे और सीमान्त किसानों को खेती में जैविक प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देशभर में छोटे और सीमांत किसान जैविक प्रक्रिया अपनाने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) एकल फसलन तकनीक ने आरंभ में छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। तथापि, वैज्ञानिक रूप से किसानों को ऐसी सलाह नहीं दी जाती है। तथा छोटे एवं सीमांत किसानों सहित कृषिक समुदाय की प्रणाली की उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए फसल विविधीकरण के माध्यम से एकल फसलन क्षेत्रों में फसलन गहनता में सुधार करने पर जोर दिया जाता है।

(ग) और (घ) कृषि की सततता के लिए रसायनों के उपयोग में कमी करने के लिए वैज्ञानिक किसानों को जैव उर्वरकों, वर्मी-कम्पोस्ट, जैव नाशीजीवमारों एवं संरक्षण कृषि के उपयोग के साथ जैविक पद्धतियों की सलाह दे रहे हैं।

(ङ) भारत सरकार विभिन्न फसल कार्यक्रमों के अंतर्गत मृदा उर्वरता में सुधार करने के लिए देश में जैविक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन दे रही है। किसानों को जैविक खाद आदि के उत्पादन और उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में बहुत-से किसान जैविक कृषि कर रहे हैं। सिक्किम राज्य में सम्पूर्ण राज्य में जैविक कृषि को अपनाया है।

घाटों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट

806. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री संजय भोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2010 और 2012 के मध्य डकैती, सेंधमारी, चोरी, धोखाधड़ी, लूटपाट आदि से नागरिकों को सम्पत्ति और मूल्यवान वस्तुओं के रूप में करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) डकैती, सेंधमारी, चोरी आदि वाले मामलों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन असामाजिक कार्यकलापों को रोकने के लिए पुलिस बलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) एनसीआरबी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान डकैती, लूट, सेंधमारी, चोरी, आपराधिक विश्वास भंग, अन्य संपत्ति एवं कुल संपत्ति वाले अपराध के अपराध शीर्ष के अधीन ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, जिनमें सम्पत्ति की चोरी हुई, चोरी हुई संपत्ति की कीमत, ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें संपत्ति बरामद की गई और बराम की गई संपत्ति की कीमत, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें संपत्ति बरामद की गई और बराम की गई संपत्ति की कीमत के ब्यौरे गृह मंत्रालय के वेबसाइट http://mha1.nic.in/par2013/parwinter.html पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अपराध के रोक-थाम, उसका पता लगाने, मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ अपने नागरिकों के जान-माल की रक्षा की मुख्य जिम्मेवारी भी राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध के रोक-थाम के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और इसलिए उसने आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार एवं अपराध के रोक-थाम तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाने की दिशा में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अधिक ध्यान देने का निरंतर सुझाव

देना जारी रखा है। इस संबंध में, अपराध के रोकथाम, मामला दर्ज करने, उसकी जांच करने और मुकदमा चलाने के बारे में दिनांक 16 जुलाई, 2010 को एक परामर्श जारी किया गया है।

एफसीआई में ठेका श्रम

807. **श्री बाल कुमार पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सीजन के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास रबी और खरीफ फसलों की खरीद और आपूर्ति को संभालने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफसीआई गोदामों में ठेका मजदूरों को खाद्यान्नों के लदान और उतराई में लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन मजदूरों को मजदूर संघों के माध्यम से काम पर लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) दिनांक 30.09.2013 की स्थिति के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 24470 है। रबी तथा खरीफ की खरीद में नियोजित जनशक्ति मुख्यत: गुणवत्ता नियंत्रण तथा डिपु कैडर की है। आज की तारीख के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण स्टॉफ की 30 प्रतिशत तक कमी है। तथापि, इस कमी को इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जा रहा है जब श्रेणी 1, 2, 3 के लगभग 8500 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अपेक्षित कदम पहले से उठाए गए हैं। इसके अलावा, जब कभी अपेक्षित होता है, गुणवत्ता नियंत्रण स्टॉफ को गैर-खरीद क्षेत्रों से खरीद क्षेत्रों में दौरा आधार पर तैनात किया जाता है।

(ग) और (घ) जहां कहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदाम संविदा श्रमिक विनियमन तथा उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत संविदा श्रमिकों की नियुक्ति हेतु प्रतिबंधित नहीं है, भारतीय खाद्य निगम हैंडलिंग तथा परिवहन प्रचालनों के कार्य हेतु खुली निविदा पूछताछ आमंत्रित करता है। इस प्रकार नियुक्त हैंडलिंग तथा परिवहन कांट्रेक्टर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में हैंडलिंग प्रचालनों के लिए संविदा श्रमिकों को काम पर रखते हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की कुल संख्या 125 है, जहां संविदा श्रमिक कार्यरत हैं।

(ङ) पंजाब क्षेत्र के केवल चार डिपुओं अर्थात् बुधलाडा, बरेटा, नसराला तथा बडनीकलां में तीन सदस्यीय समिति प्रणाली के अंतर्गत संविदा श्रमिकों की भर्ती एफसीआई कामगर यूनियन के माध्यम से की जाती है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षित और कुशल श्रमशक्ति की कमी

808. **श्री जगदानंद सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार, इस तथ्य का मूल्यांकन किया गया है कि 2014 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रशिक्षित और कुशल श्रमशक्ति की भारी कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अपेक्षित मानव संसाधन को तैयार करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद द्वारा "*खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन एवं कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता*" के बारे में किए गए अध्ययन के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वार्षिक मानव संसाधन की आवश्यकता अनुमानत: संगठित क्षेत्र के लगभग एक लाख व्यक्तियों सहित लगभग 5.3 लाख व्यक्तियों की है।

(ग) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। मानव संसाधन विकास स्कीम खाद्य प्रसंस्करण में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों तथा जनशक्ति के विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है। स्कीम के अंतर्गत सहायता खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शैक्षणिक संस्थानों में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन तथा खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों (एफपीटीसी) की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मानव संसाधन विकास स्कीम को राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है। इस मंत्रालय के अंतर्गत दो शैक्षणिक-सह-अनुसंधान संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा और भारतीय

फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु भी हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण में स्नातक, परा-स्नातक एवं पीएचडी स्तर के शैक्षणिक कार्यक्रम चलाते हैं। ये संस्थान लघु आवधि दक्षता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सोयाबीन का उत्पादन

809. श्रीमती मेनका संजय गांधी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सोयाबीन की खेती उच्चतर क्षेत्रफल में होने के बावजूद सोयाबीन के उत्पादन में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, विगत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान देश में सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई है:—

वर्ष	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	उत्पादन (लाख टन)
2010-11	96.0	127.4
2011-12	101.1	122.1
2012-13*	108.4	146.8
2013-14#	121.0	156.8

*चौथे अग्रिम अनुमान।

#पहले अग्रिम अनुमान।

पीडीएस को विघटित करना

810. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को विघटित करने के लिए अनुशंसाएं/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन अनुसंशाओं/सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूची की समीक्षा करने, उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता लाने, विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण और सतर्कता में सुधार लाने तथा कंप्यूटरीकरण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सफलता प्राप्त हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत जनसंख्या के कवरेज, मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की पात्रताओं और निर्गम मूल्यों से संबंधित मानदंडों को अधिनियम में निर्धारित तदनुरूपी मानदंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तथापि राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता रहेगा।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को सुदृढ़ एवं सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) की सूची की निरंतर समीक्षा करने, आवंटित खाद्यान्नों के उठान में सुधार करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद्यान्नों की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी और सतर्कता में सुधार करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों के अनुप्रयोग, एफपीएस प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार आदि हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से जुलाई, 2006 में एक नौ सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30.9.2013 तक दी गई सूचना के अनुसार नौ सूत्री कार्य योजना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में टीपीडीएस में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर सुधार करने के उपाय भी शामिल हैं। इन सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ टीपीडीएस दुकानों पर खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का अनुप्रयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित वस्तुओं का कुछ समय बाद विविधीकरण आदि शामिल हैं। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के गठन के अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा और राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तरों पर सतर्कता समिति का गठन करना शामिल हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30.09.2013 तक सूचित स्थिति के अनुसार नौ सूत्रीय कार्य योजना के तहत की गई कार्रवाई का विवरण

1. राज्यों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।	30 सितंबर, 2013 तक राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 29 राज्यों में कुल 382.21 लाख जाली/अपात्र राशि कार्ड समाप्त हुए
2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।	33 राज्यों ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों इत्यादि को लाइसेंस दिए जाएं।	29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की मानीटरिंग करने के लिए सतर्कता समितियों पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि प्रचालन में 5.18 लाख से अधिक उचित दर दुकानों में से लगभग 1.25 लाख उचित दर दुकानें स्वयं सेवी समूहों, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों इत्यादि के द्वारा चलाई जा रही हैं।
4. उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित करना।	32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे की सूचियां प्रदर्शित की जाती हैं।
5. खाद्यान्नों का जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आबंटन वेबसाइटों पर दिखाया जाना ताकि जनता जांच कर सके।	22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वेबसाइटों और अन्य प्रमुख स्थानों में खाद्यानों के जिला-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन प्रस्तुत करने संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की उचित दर दुकानों पर द्वार पर सुपुर्दगी।	20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी निजी ट्रांसपोर्टरों के बजाए राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। इससे खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान चोरी कम होती है और उचित दर दुकानों के मालिकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है।
7. उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करना।	इस संबंध में 32 राज्यों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
8. सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण।	27 राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान की जा रही है।

9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण पर योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है जिसमें से स्कीम के तहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 18 राज्यों के लिए रुपए 168.77 करोड़ संस्वीकृत की गई है।

खाद्यान्नों की गणुवत्ता

811. प्रो. सौगत राय :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खराब गुणवत्ता वाले गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकरार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया किस्म के गेहूं सहित खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र से इस संबंध में उपभोक्ताओं और अन्य व्यक्तियों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों तथा दन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए अच्छी किस्म के ही खाद्यान्न जारी किए जाएं, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने सभी संबंधितों को यह भी सूचित किया है कि गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलैक्टर या उनके द्वारा नामित कोई भी अधिकारी नामित राज्य एजेंसी तथा भारतीय खाद्य निगम के संबंधित क्षेत्र प्रबंधन दोनों से सीलबंद नमूने मंगवा सकता है और प्रमुख संस्थानों की अधिसूचित गुण-नियंत्रण प्रयोगशाला में उन सीलबंद नमूनों की जांच करवा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम द्वारा समाचार-पत्रों के जरिए जनता में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया गया है।

विवरण-I

दिनांक 1.12.2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य	शिकायत	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2013-14	उत्तर प्रदेश	श्री अतुल गुप्ता, निवासी बहराईच से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शाहजहांपुर से घटिया चावल का स्टॉक जारी करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से राज्य सरकारों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान सचिव (खाद्य और नागरिक आंपूर्ति विभाग), से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के

1	2	3	4
			खाद्यान्न जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
	केरल	श्री सुरेश कुमार, निवासी कालीकट से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को तैनात करके शिकायत की जांच करवाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टॉक जारी करने से पहले स्टॉक की ग्रेड बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी करना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके अलावा चूककर्ता स्टॉफ के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। प्रधान सचिव (खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग), केरल सरकार से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
	महाराष्ट्र	श्री अनिल मिश्रा, महाराष्ट्र विधान परिषद् सदस्य से महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम तथा प्रधान सचिव (खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग) महाराष्ट्र सरकार से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-II

राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए अनुदेश

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कीट जंतु बाधा से मुक्त और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानकों/नियमों (पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम) के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी करने होते हैं।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक का उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने होते हैं।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टॉक में से खाद्यान्नों के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिए और सीलबंद किए जाते हैं। उचित दर दुकानों के मालिकों को एक शिकायत रजिस्टर रखना होता है ताकि यदि जारी किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता उचित न हो तो उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक की सुपुर्दगी लेने के लिए तैनात किए जाने वाला राज्य सरकार प्राधिकारी निरीक्षक के पद से कम का नहीं होना चाहिए।

(v) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना होता है और मंत्रालय

के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा औचक जांच की जानी होती है।

(vi) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण शृंखला में ढुलाई और भंडारण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें।

(vii) राज्य सरकार, जहां विकेन्द्रीकृत खरीद योजना प्रचालन में है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी खाद्यान्नों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन वांछित मानकों को पूरा करें।

भूमिहीन किसान

812. **श्री खगेन दास : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिहीन कृषक परिवारों की संख्या 1992 में 22 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 41 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे कृषकों को अपनी आजीविका के लिए भूमि वितरित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) भूमिहीन कृषक परिवारों को भारत की जनगणना में परिभाषित एवं गिनती नहीं की जाती है। कृषक श्रमिक भूमिहीन किसानों के सबसे नजदीकी माने जाते है। भारत के महापंजीकार के अनुसार, कृषकों की संख्या जिसमें अपनी स्वयं की भूमि अथवा रुपए व सामान के लिए सरकार अथवा निजी व्यक्तियों से पट्टे पर ली गई भूमि की खेती में संलग्न व्यक्ति शामिल हैं, में 1991 में 110.7 मिलियन से बढ़कर 2011 में 118.7 मिलियन हो गयी है। भारत में कृषक श्रमिकों की संख्या 1991 में 74.6 मिलियन से बढ़कर 2011 में 144.3 मिलियन हो गया है।

कृषि श्रमिकों में बढ़ोतरी का एक कारण सीमित भूमि एवं बढ़ती हुई जनसख्या के कारण कृषि भू-जोतों का लगातार प्रविभाजन हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप कृषि मजदूरी सहित अन्य स्रोतों के माध्यम से उनकी आय में परिपूर्ति करके कतिपय स्तर एवं सतत् रूप से किसानों को बाध्य करने के बाद प्रविभाजन को गैर-व्यवहार्य बनाया जा सके।

(ग) 30.09.2013 के अनुसार लैंड सीलिंग नियमों के क्रियान्वयन पर भू-संसाधन विभाग के साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार 68.48 लाख एकड़ क्षेत्र को अधिशेष घोषित कर दिया गया है जिसमें से 61.47 लाख एकड़ को अधिकार में ले लिया गया है एवं 50.93 लाख एकड़ को 57.38 लाख लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया है।

सरकार ने 163.19 लाख एकड़ बंजर भूमि को योग्य ग्रामीण गरीब लोगों में वितरित कर दिया है, 16.66 लाख एकड़ भू-दान भूमि को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा योग्य ग्रामीण गरीब लोगों को वितरित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

813. **श्री रमाशंकर राजभर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना हेतु मानकों/मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला एक में गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित केवीके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अन्तर्गत कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा उन्नाव के केवीके को अब तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) के प्रमुख द्वारा धन के आवंटन में तथाकथित भाई-भतीजावाद करने और अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार देने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सकरार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं, और इस पर सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र तथा पहचाने गये 50 बड़े जिलों में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के मानदंड को स्वीकृति दी है। कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के मानकों में ऐसे संगठनों को जो कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें जिले के मध्य भाग में, आसानी से पहुंच वाली निकटस्थ, ऋण से मुक्त तथा बंधक योग्य भूमि सहित अन्य उचित नागरिक सुविधाएं जिसमें पीने तथा सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का स्थायी स्रोत हो करीब 20 हेक्टेयर अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि योग्य भूमि प्रदान करनी होगी।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र, उन्नाव को इसकी स्थापना (1999-2000 से) से अभी तक कुल 883.61 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) भूमि के स्वामित्व, स्टॉफ की भर्ती तथा केवीके की गतिविधियों में निधियों का दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर एक तथ्यपरक जांच समिति गठित की गई थी। इस समिति ने कृषि विज्ञान केन्द्र उन्नाव के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसकी जांच की जा रही है। इस एनजीओ को उचित हर्जाना बॉन्ड को प्रस्तुत करने के अलावा उस भूमि को बंधक रखने को कहा गया है जिस पर कृषि विज्ञान केन्द्र को स्वीकृति दी गई है।

विवरण

डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र उन्नाव को वर्ष-वार निधियों का आबंटन

वर्ष	आबंटित निधियां (रुपए लाख में)
1	2
1999-2000	10.00
2000-2001	18.55
2001-2002	29.90
2002-2003	50.13378
2003-2004	45.19
2004-2005	85.52
2005-2006	102.17
2006-2007	53.3900
2007-2008	35.58
2008-2009	47.12
2009-2010	43.80
2010-2011	116.95
2011-2012	96.42
2012-2013	75.39
2013-2014	76.50
कुल	883.61378

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा अधिनियम

814. **श्री रुद्रमाधव राय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या एनएफएसए के अन्तर्गत धनराशि और अन्य खाद्य पदार्थों के आवंटन में कुछ राज्यों के प्रति तथाकथित रूप से पक्षपात/तरफदारी करने की रिपोर्ट है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी राज्यों को किसी भेदभाव के बिना ही विभिन्न लाभों के अपक्षपातपूर्ण आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जनसंख्या के अपर्याप्त कवरेज और मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने वर्तमान आवंटन की तुलना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम आवंटन के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है जिसके अनुरूप योजना ने खपत व्यय के बारे में वर्ष 2011-12 हेतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से राज्य-वार कवरेज पर निर्धारित किया है। तथापि, चूंकि इस प्रकार निर्धारित कवरेज और अधिनियम में निर्धारित पात्रताओं पर आधारित खाद्यान्नों का आवंटन कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटन की तुला में कम होने का अनुमान है, अत:

अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन विगत तीन वर्षों के दौरान सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके औसत वार्षिक उठान की सीमा तक संरक्षित किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं

(क) जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान।

(ख) 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक समान हकदारी के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्रमशः 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या का कवरेज।

(ग) मौजूदा अंत्यादेय अन्न योजना परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की हकदारी सुरक्षित।

(घ) अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्य पर तथा उसके उपरांत इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाना।

(ङ) अधिनियम के तहत खाद्यान्नों की वार्षिक आवंटन के मामले में सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए खाद्यान्न की औसत वार्षिक उठान का संरक्षण किसी भी राज्य के लिए कम है।

(च) अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्य-वार कवरेज का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण करना।

(छ) कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे जनसंख्या अनुमानों के आधार पर जिसके संगत आंकड़े जनगणना के रूप में प्रकाशित किए गए हों।

(ज) प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा परिवारों की पहचान।

(झ) गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भोजन एवं कम से कम 6,000 रुपए के मातृत्व लाभ की हकदार।

(ञ) 6 माह से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग बच्चों को एकीकृत बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना निर्दिष्ट पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन की हकदारी।

(ट) राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जाना।

(ठ) जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र। राज्यों को यह छूट होगी कि वे मौजूदा तंत्र का उपयोग करें अथवा अपना तंत्र गठित करें।

(ड) केन्द्रीय सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकानों के मालिकों के मार्जिन पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रयोजनार्थ बनाए गए मानदंडों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराएगी।

(ढ) विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी रिकॉर्डों को सार्वजनिक किया जाना, सामाजिक लेखापरीक्षा, सतर्कता समितियां रखने जैसी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रावधान।

(ण) हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में हकदार लाभभोगियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।

(त) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दंड लगाए जाने का प्रावधान।

[हिन्दी]

एनआईसीआरए के अन्तर्गत सहायता

815. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जलवायु लचीला कृषि पहल (एनआईसीआरए) योजना के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को दी गई सहायता का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एनआईसीआरए के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय जलवायु लचीली कृषि पहल (एनआईसीआरए) एक अनुसंधान परियोजना है जिसका उद्देश्य नीतिगत अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण तथा प्रायोजित/प्रतियोगी अनुदान परियोजनाओं के जरिए भारतीय कृषि के लचीलेपन को बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के तहत जलवायु के प्रति लचीली प्रौद्योगिकियां कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए 100 संवेदनशील जिलों में स्थित 100 गांवों में किसानों के खेतों में प्रदर्शित की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धन की जबरन वसूली

816. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असामाजिक तत्वों, माफियाओं और नक्सलवादियों द्वारा व्यापरियों और उद्योगपतियों से धन की उगाही संबंधित आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी उगाही से व्यापारियों और उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) बहुत से राज्यों में असामाजिक तत्वों, माफियाओं और नक्सलियों द्वारा व्यापरियों और उद्योगपतियों से धन की उगाही की रिपोर्टों के ब्यौरों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। जब कभी भी ऐसी घटनाएं उनके ध्यान में आती है, तब संबंधित राज्य सरकारों कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट में राज्य पुलिस/राज्य सरकारों द्वारा विशेष उगाही-रोधी और धन शोधन-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

वृद्ध लोगों की स्थिति

817. **श्री नीरज शेखर :**
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि वैश्विक आयु निगरानी सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वृद्ध लोगों की सेवा में 91 देशों में भारत का स्थान 73वां है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत का स्थान श्रीलंका से भी निम्न है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी वृद्ध लोगों की संख्या भारत में होने को ध्यान में रखकर सरकार बुजुर्गों/वृद्ध लोगों की स्थिति में सुधार लाने और उनकी परिचर्या करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) हेल्पएज इंडिया द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वैश्विक आयु निगरानी सूचकांक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में वृद्धजनों की जीवन-गुणवत्ता एवं कल्याण के बारे में आकलन करना है। सूचकांक को तैयार करने के प्रयोजनार्थ, आय सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के चार प्रमुख क्षेत्रों एवं सहायक आय अनुकूल माहौल के अंतर्गत तेरह पृथक संकेतों के एक समूह को एक साथ रखा गया है इसके तहत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटकों का आकलन किया जाता है जो वृद्धजनों के लिए स्वस्थ माहौल तैयार करने में परस्पर सहयोग करते हैं। सूचकांक में 91 देशों के समूह में से भारत का 73वां स्थान तथा श्रीलंका का 36वां स्थान है। स्थान के मामले में, आय सुरक्षा में भारत का स्थान 54वां है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

1. समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
3. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)

उपर्युक्त योजनाओं से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है और यह 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:— • वृद्धाश्रम; • दिवा देखभाल केन्द्र; • चल चिकित्सा एकक; • एल्जीमर्स रोग/डिमेंसिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन तथा परामर्श केन्द्र; • विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम; • क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के व्यक्तियों हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्यों द्वारा अंशदान संपूरित किया जाना अपेक्षित होता है।
3.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न हैं:— • समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; • जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; • वृद्ध व्यक्तियों के लिए 10 बिस्तर वार्ड के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाएं;

1	2	3	4
			• नई दिल्ली (एम्स), चेन्नै, मुंबई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवनन्तपुरम और गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्ड सहित वृद्ध व्यक्तियों के लिए समर्पित तृतीयक स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ करना; और • उक्त 8 संस्थाओं में वृद्धों के लिए दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

एमपीलैड्स के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

818. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** बिहार के सदस्यों हेतु एमपीलैड्स निधियों के बारे में 2 मई, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5866 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15वीं लोकसभा के कार्यावधि की समाप्ति तक देश के संसद सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित होने की संभावना है;

(ख) बिहार में उक्त योजना के अंतर्गत अब तक आबंटित की गई धनराशि का संसद सदस्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद सदस्य-वार व्यय हेतु अनुशंसित धनराशि का ब्यौरा तथा उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने हेतु उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत 15वीं लोक सभा अवधि के दौरान संसद सदस्य की पात्रता निम्नानुसार है:—

2009-10 तथा 2010-11	:	2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2011-12, 2012-13 तथा 2013-14	:	5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष

(ख) और (ग) दिनांक 05.12.2013 की स्थिति के अनुसार, 15वीं लोक सभा के दौरान बिहार के लोक सभा संसद सदस्य को जारी, संस्तुत तथा उपयोग की गई एमपीलैड्स निधि का संसद सदस्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार निधि का समय से उपयोग करने तथा अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने और निधि जारी करने के लिए प्रमाणीकरणों पर निरंतर बल देती है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र	संसद सदस्य का नाम	संसद सदस्य को निधि की पात्रता	संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित निधि	भारत सरकार द्वारा जारी निधि	जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	19.00	17.84	11.975	6.85

1	2	3	4	5	6	7
2.	आरा	मीना सिंह	19.00	18.9	16.975	11.99
3.	औरंगाबाद	सुशील कुमार सिंह	19.00	13.78	11.975	5.62
4.	वाल्मिकी नगर	बैद्यनाथ प्रसाद महतो	19.00	13.31	11.975	6.02
5.	पश्चिम चंपारण	संजय जयसवाल	19.00	9.44	11.975	4.69
6.	बांका	पुतुल कुमारी	19.00	11.03	11.975	4.66
7.	पूर्वी चंपारण	राधा मोहन सिंह	19.00	14.02	11.975	10.53
8.	बेगुसराय	मोनाजिर हसन	19.00	18.35	16.975	13.53
9.	सुपौल	विश्व मोहन कुमार	19.00	16.64	16.975	12.09
10.	भागलपुर	सैयद शाहनवाज़ हुसैन	19.00	13.35	11.975	4.58
11.	सारण	लालू प्रसाद	19.00	8.96	11.975	8.51
12.	बक्सर	जगदानंद सिंह	19.00	19.00	16.975	13.23
13.	उज्जरपुर	अश्वमेध देवी	19.00	12.38	16.975	9.60
14.	दरभंगा	कीर्ति आजाद	19.00	14.23	11.975	4.75
15.	गया (अ.जा.)	हरि मांझी	19.00	14.34	11.975	9.79
16.	गोपालगंज (अ.जा.)	पूर्णमासी राम	19.00	22.11	16.975	13.01
17.	हाजीपुर (अ.जा.)	राम सुंदर दास	19.00	12.82	14.475	9.72
18.	जहानाबाद	जगदीश शर्मा	19.00	17.60	14.475	9.79
19.	झंझारपुर	मंगनी लाल मंडल	19.00	23.71	14.475	11.06
20.	कटिहार	निखिल कुमार चौधरी	19.00	18.99	14.475	10.43
21.	खगड़िया	दिनेश चन्द्र यादव	19.00	25.81	11.975	5.41
22.	किशनगंज	मोहम्मद असररुल हक़	19.00	17.95	11.975	6.13
23.	मधेपुरा	शरद यादव	19.00	16.75	14.475	11.70
24.	मधुबनी	हुक्मदेव नारायण यादव	19.00	20.17	11.975	7.90
25.	महाराजगंज	प्रभुनाथ सिंह	19.00	6.67	5.975	2.60
26.	मुंगेर	राजीव रंजन (ललन) सिंह	19.00	15.20	11.975	4.57
27.	पाटलिपुत्र	रंजन प्रसाद यादव	19.00	19.24	16.975	9.69

1	2	3	4	5	6	7
28.	मुजफ्फरपुर	जयनारायण प्रसाद निषाद	19.00	18.73	11.975	9.89
29.	नालन्दा	कौशलेन्द्र कुमार	19.00	16.61	16.975	12.07
30.	नावादा	भोला सिंह	19.00	19.09	16.975	9.58
31.	पटना साहिब	शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	19.00	9.99	11.975	6.41
32.	कराकट	महाबली सिंह	19.00	18.52	19.475	14.82
33.	जमुई (अ.जा.)	भूदेव चौधरी	19.00	22.24	11.975	4.32
34.	समस्तीपुर (अ.जा.)	महेश्वर हजारी	19.00	21.96	16.975	10.19
35.	सासाराम (अ.जा.)	मीरा कुमार	19.00	14.75	16.975	12.58
36.	शिवहर	रमा देवी	19.00	11.08	14.475	9.58
37.	सीतामढ़ी	अर्जुन रॉय	19.00	11.19	11.975	9.67
38.	सिवान	ओम प्रकाश यादव	19.00	8.24	11.975	5.97
39.	वैशाली	रघुवंश प्रसाद सिंह	19.00	14.39	14.475	10.22
40.	पुर्णिया	उदय सिंह	19.00	19.51	11.975	6.88
		कुल	760.00	638.90	553.00	350.60

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

819. श्री सुल्तान अहमद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य सामग्रियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात का, अमेरिकी डॉलर में मूल्य निम्नानुसार है:—

वर्ष	निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2010-11	20,427
2011-12	31,762
2012-13	36,212

(ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2010-11 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान जिनके लिए सूचना उपलब्ध है, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में, राज्य-वार, निवेश की गई पूंजी की राशि, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2012-13 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिक उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल स्थित यूनिटों सहित सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में निवेश की गई पूंजी का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	741	629	607
2.	आंध्र प्रदेश	16,35,949	18,87,973	29,76,109
3.	असम	2,47,469	3,43,361	4,05,889
4.	बिहार	1,29,804	2,04,052	2,25,550
5.	चंडीगढ़	6,235	5,004	5,813
6.	छत्तीसगढ़	1,54,013	1,16,210	1,82,423
7.	दादरा और नगर हवेली	3,831	3,914	4,364
8.	दमन और दीव	27,916	21,494	21,292
9.	दिल्ली	97,992	1,27,299	2,78,478
10.	गोवा	71,718	72,890	1,01,319
11.	गुजरात	11,60,005	13,99,390	13,96,725
12.	हरियाणा	9,62,721	9,22,767	16,87,884
13.	हिमाचल प्रदेश	84,503	79,465	2,04,072
14.	जम्मू और कश्मीर	38,980	36,037	33,285
15.	झारखंड	21,446	26,344	43,865
16.	कर्नाटक	10,26,983	16,46,034	23,46,619
17.	केरल	3,08,505	3,35,234	4,07,347
18.	मध्य प्रदेश	6,65,611	8,19,388	12,18,747
19.	महाराष्ट्र	26,87,453	31,04,530	43,45,088
20.	मणिपुर	841	1,308	6,294
21.	मेघालय	773	1,062	1,153
22.	नागालैंड	834	834	890

1	2	3	4	5
23.	ओडिशा	1,80,478	1,96,196	2,03,500
24.	पुदुचेरी	35,974	41,181	46,451
25.	पंजाब	11,36,815	10,05,612	13,41,232
26.	राजस्थान	2,54,056	3,92,609	4,97,873
27.	सिक्किम	0	7,277	21,881
28.	तमिलनाडु	11,09,910	19,89,563	17,97,024
29.	त्रिपुरा	6,163	6,868	8,965
30.	उत्तर प्रदेश	28,74,757	33,90,166	38,24,773
31.	उत्तराखंड	3,24,908	3,90,503	4,05,489
32.	पश्चिम बंगाल	4,47,180	8,07,878	8,83,642
	कुल	1,57,04,564	1,93,83,072	2,49,24,643

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण।

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सहायता प्राप्त यूनिटों की राज्य-वार संख्या

सहायता प्राप्त यूनिटें: संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2010-11 इकाईयों की संख्या	2011-12 इकाईयों की संख्या	2012-13 इकाईयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30	105	221
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
4.	असम	26	12	18
5.	बिहार	6	5	3
6.	चंडीगढ़	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	27	75	148

1	2	3	4	5
8.	दिल्ली	3	16	9
9.	गोवा	1	2	1
10.	गुजरात	52	106	53
11.	हरियाणा	14	62	86
12.	हिमाचल प्रदेश	7	14	5
13.	जम्मू और कश्मीर	5	6	2
14.	झारखंड	4	1	4
15.	कर्नाटक	14	61	81
16.	केरल	19	52	15
17.	मध्य प्रदेश	14	23	31
18.	महाराष्ट्र	56	202	137
19.	मणिपुर	1	11	21
20.	मेघालय	2	0	1
21.	मिजोरम	0	0	0
22.	नागालैंड	1	0	2
23.	ओडिशा	8	9	15
24.	पुदुचेरी	0	1	6
25.	पंजाब	9	147	231
26.	राजस्थान	48	95	41
27.	सिक्किम	0	0	0
28.	तमिलनाडु	24	75	44
29.	त्रिपुरा	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	47	53	39
31.	उत्तराखंड	6	5	5
32.	पश्चिम बंगाल	10	19	8
33.	एमएम-IV			5
	कुल	437	1157	1232

गहरे समुद्र में मत्स्यन पर विशेषज्ञ समिति

820. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने नवम्बर, 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं तथा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार गहरे समुद्री संसाधनों का दोहन करने और गहरे समुद्र मत्स्यन क्षेत्र को सहायता देने के लिए नीति कार्यान्वित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने गहरे समुद्र मत्स्यन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) अनुमति-पत्र प्रदान करने के संबंध में कार्यविधि को सरल और कारगर बनाने के लिए समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित अन्तर-मंत्रालयीय शक्तिप्राप्त समिति की एक उप-समिति 18.07.2011 को गठित की गई थी। इस उप-समिति ने 22.11.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस उप-समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं- (i) आशय-पत्र, अनुमति पत्र और पंजीकरण-पत्र प्रदान करने की प्रणाली के स्थान पर अनन्तिम और नियमित अनुमति-पत्र प्रदान करने की प्रणाली लाना, (ii) संयुक्त उद्यम के लिए मानदंडों को सरल बनाना, (iii) बैंक गारंटी लागू करना, (iv) अनुमति प्राप्त जलयानों की संख्या पर सीमा को हटाना, (v) समुद्री यात्रा की स्वीकृतियों की अवधि 90 दिन से बढ़ा कर 120 दिन करना। उप-समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं और गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए संशोधित मार्ग-निर्देश 18.01.2013 को जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। समुद्री मत्स्यन नीति की व्यापक रूप से समीक्षा करने और भारत में गहरा समुद्र मत्स्यन का विकास करने के लिए सुझाव देने हेतु 1.08.2013 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार

821. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो 12वीं योजनावधि में कृषि क्षेत्र द्वारा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) क्या 13वीं योजनावधि के दौरान रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़ाने के लिए नयी योजनाएं/कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, 1993-94 से 2004-05 तक कृषि क्षेत्र ने 8.8 मिलियन रोजगार प्रदान किए गए है। 11वीं योजना में कोई वृद्धि प्रक्षेपित नहीं की गई है तथा 12वीं योजना अवधि (2012-17) में 4 मिलियन कृषि कार्मिकों की निवल कमी होगी। कृषि क्षेत्र में रोजगार में बृहत बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। तथापि, कृषि उत्पादन विशेषकर कृषि प्रसंस्करण एवं सहायता अंत:संरचना में वृद्धि के साथ अप्रत्यक्ष रोजगार में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

(ग) और (घ) 13वीं योजना अवधि के दौरान रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) कृषि क्षेत्र में शुरूआत की गई अनेक योजनाओं का लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है तथा इस पद्धति में अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसरों का सृजन भी करना है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), ग्रामीण भंडारण योजना, कृषि विपणन अंत:संरचना का विकास, सूक्ष्म सिंचाई ग्रामीण ऋण, एकीकृत तिलहन दलहन पाम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)।

ये योजनाएं कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के अलावा आन-फार्म तथा गैर-फार्म रोजगार भी सृजित करती है।

[हिन्दी]

घाटों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट

822. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री पी.के. बिजू :
डॉ. बलीराम :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री ए. सम्पत :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भारत-पाक सीमा पर युद्धविराम के अक्सर उल्लंघन की खबरें हैं और उसने सीमा पार से भारी गोलीबारी की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान कितने असैनिकों एवं सुरक्षाकर्मियों की मौतें हुई हैं एवं घायल हुए हैं;

(ग) क्या सीमा पर प्रभावित गांवों के निवासियों को खाली कराकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया एवं अन्य प्रकार की राहत प्रदान की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले की द्विपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठाने सहित इस मामले के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा-पार से गोलीबारी करने की आखिरी घटना दिनांक 03 नवम्बर, 2013 को हुई थी। इसके पश्चात्, सीमा-पार से गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) वर्ष 2013 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा-पार से गोलीबारी के 149 मामलों की सूचना सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा दी गई है। चालू वर्ष के दौरान सीमा-पार से गोलीबारी की घटनाओं में 12 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए और 24 कार्मिक घायल हो गए। चालू वर्ष के दौरान सीमा-पार से गोलीबारी में घायल हुए एवं मारे गए सिविलियनों की संख्या संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाओं को महानिदेशक सैन्य कार्रवाई (डीजीएमओ) स्तरीय हॉटलाइन तंत्र के माध्यम से उठाया गया है। सरकार ने बार-बार पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा की मर्यादा को बनाए रखने तथा वर्ष 2003 की अपनी युद्ध विराम वचनबद्धता का अनुपालन करने के बारे में भी अनुरोध किया है। इसमें 29 सितम्बर, 2013 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुई वार्ता भी शामिल है।

[अनुवाद]

प्याज की कीमतें

823. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े सहकारी संघ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नैफेड) ने केन्द्र सरकार को उस न्यूनतम कीमत को बढ़ाने की सिफारिश की है जिस पर प्याज को इसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए निर्यातित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) जी, हां। प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के निर्धारण में केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जाता है। 14 अगस्त, 2013 के प्याज के निर्यात पर एमईपी 650 अमेरिकी डॉलर/मी. टन निर्धारित किया गया जिसे 19 सितम्बर, 2013 को बढ़ाकर 900 अमेरिकी डॉलर/मी.टन और 1 नवम्बर, 2013 को 1150 अमेरिकी डॉलर/मी. टन किया गया।

[हिन्दी]

गेहूं का आयात मूल्य

824. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं को देश के विभिन्न भागों में किसानों को दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक मूल्य पर आयातित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान गेहूं के एमएसपी एवं आयात मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं को उसके आयात मूल्य से मिलते मूल्य पर किसानों से खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। विगत कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने केन्द्रीय पूल स्टॉक हेतु गेहूं का आयात नहीं किया है, क्योंकि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईसीए का क्रियान्वयन

825. श्रीमती रमा देवी :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है क्योंकि इस अधिनियम की प्रक्रियात्मक जरूरतों के मद्देनजर इसके अंतर्गत कार्यवाही समय लेने वाली एवं श्रमसाध्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस अधिनियम में उपर्युक्त खामियों को दूर करने के लिए किए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सकों की कमी

826. श्री दत्ता मेघे :
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में रोजगाररत पशु चिकित्सक उनकी सेवाओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो महानगरों सहित देश में पशु चिकित्सकों की कमी/रिक्ति स्थिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) से (घ) देश में 67200 पशुचिकित्सकों की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा रखे गए भारतीय पशुचिकित्सा प्रैक्टीशनर रजिस्टर (आईवीपीआर) में की गई प्रविष्टियों के अनुसार 31.03.2013 तक 63228 पंजीकृत पशुचिकित्सक प्रैक्टीशनर हैं।

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (वीसीआई) के माध्यम से पशुचिकित्सा प्रैक्टिस को विनियमित करता है। वीसीआई के पास मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता (पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में डिग्री) रखने वाले व्यक्तियों के नाम वाले भारतीय पशुचिकित्सा प्रैक्टीशनरों के रजिस्टर (आईवीपीआर) के अनुरक्षण का अधिदेश है। पशुचिकित्सा प्रशिक्षण तथा प्रैक्टिस राज्य का विषय है। देश में अपेक्षित पशुचिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुचिकित्सा महाविद्यालय खोलने का अधिदेश इस विभाग के पास नहीं है। तथापि, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अनुसार यह विभाग भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् की सिफारिश पर पशुचिकित्सा संस्थाओं द्वारा दी गई पशुचिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करता है।

साथ ही, यह विभाग देश में कार्यरत पशुचिकित्सकों तथा रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखता। तथापि, 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत पशुचिकित्सा प्रैक्टीशनरों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	74
आंध्र प्रदेश	5901
अरुणाचल प्रदेश	136
असम	2553
बिहार	3322
चंडीगढ़	13
छत्तीसगढ	388
दादरा और नगर हवेली	4
दमन और दीव	1
दिल्ली	742
गोवा	135
गुजरात	2442
हरियाणा	2057
हिमाचल प्रदेश	937
झारखंड	1003
कर्नाटक	4381
केरल	3767
लक्षद्वीप	23
मध्य प्रदेश	2892
महाराष्ट्र	8353
मणिपुर	359
मेघालय	316
मिज़ोरम	224
नागालैंड	241
ओडिशा	1933
पुदुचेरी	334
पंजाब	2983
राजस्थान	3815
सिक्किम	91
तमिलनाडु	5409
त्रिपुरा	212
उत्तर प्रदेश	4735
उत्तराखंड	645
पश्चिम बंगाल	2807
कुल	63228

[अनुवाद]

अत्याचार के शिकार लोगों को सहायता

827. श्री अशोक तंवर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अंतर्गत अत्याचार के शिकार लोगों को सरकार द्वारा कोई सहायता/राहत दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एससी एवं एसटी से संबंधित अत्याचार के शिकारों को वर्ष 2012-13 के दौरान हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में अब तक राज्य-वार कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसी सहायता से लाभ पाए व्यक्तियों की हरियाणा सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने हाल में उक्त नियमों के तहत सहायता बढ़ा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995, दिसंबर 2011 में यथा संशोधित, में अत्याचार पीड़ितों के लिए यथा निर्धारित राहत प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 2012-13 के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 में दिसंबर 2011 में संशोधन किए गए थे तथा इसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुर्नवास की निर्धारित न्यूनतम राशि में सामान्यत: 150% अर्थात् 50,000/- रुपए से 5,00,000/- रुपए के बीच वृद्धि की गई थी।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रदत्त राहत केन्द्रीय सहायता की राशि और राहत प्राप्त व्यक्तियों की संख्या संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रदत्त राहत केन्द्रीय सहायता की राशि और राहत प्राप्त व्यक्तियों की संख्या संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा	
		राहत के रूप में जारी केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपए में)	राहत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	76.30	7291
2.	बिहार	281.50	1959
3.	छत्तीसगढ़	80.00	591
4.	गुजरात	232.50	1468
5.	हरियाणा	100.00	212
6.	हिमाचल प्रदेश	10.58	75
7.	कर्नाटक	197.50	लागू नहीं
8.	केरल	61.00	लागू नहीं
9.	मध्य प्रदेश	724.00	3898
10.	महाराष्ट्र	165.00	705
11.	ओडिशा	205.24	1248
12.	राजस्थान	500.00	1956
13.	तमिलनाडु	0	1278

1	2	3	4
14.	त्रिपुरा	0.50	लागू नहीं
15.	उत्तर प्रदेश	1725.33	9280
16.	उत्तराखंड	0	81
17.	पश्चिम बंगाल	29.00	लागू नहीं
	कुल	4388.45	30072

एनए = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन वसूली

828. **श्री भूदेव चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस के कर्मी वाणिज्यिक वाहनों के ड्राइवरों एवं स्टॉफ से जबरन वसूली करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट हुए ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने एवं दिल्ली पुलिस के रुख में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) ऐसे कुछ दृष्टांत मिले हैं जिनमें दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को व्यावसायिक वाहनों से जबरन वसूली में लिप्त पाया गया है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	पंजीकृत मामले की संख्या	गिरफ्तार पुलिस कर्मियों की संख्या	मामले की स्थिति	विभागीय कार्रवाई
2010	01	03	विचारण लंबित	3 वर्ष की अनुमोदित सेवा का स्थायी रूप से समपहरण
2011	01	02	विचारण लंबित	3 वर्ष की अनुमोदित सेवा का स्थायी रूप से समपहरण
2012	00	00	00	—
2013 (15.11.2013	01	02	जांच चल रही है	नियमित डीई अनुमोदित किया गया है

उपर्युक्त के अतिरिक्त, श्री चेतन शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 5026/2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों पर सतर्कता जांच की गई है। इसके परिणामस्वरूप 1 उपनिरीक्षक, 5 सहायक उपनिरीक्षकों, 17 हेडकांस्टेबलों और 5 कान्सटेबलों के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच की शुरू की गई है।

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने और दिल्ली पुलिस के रवैये से बदलाव लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:—

1. पुलिस कर्मियों के ऐसे भ्रष्ट कार्यों को रोकने के लिए विशेष पुलिस आयुक्त/सतर्कता की अध्यक्षता में एक सतर्कता शाखा कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त, ऐसे ही प्रयोजन के लिए सहायक पुलिस आयुक्त के पर्यवेक्षण में प्रत्येक

सेल/यूनिट में लोक शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।

2. पुलिस में लोगों का विश्वास वापस लाने के लिए ऐसे मामलों, जहां पुलिस कर्मी ऐसे गलत कार्यों आदि में लिप्त पाए गए हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती हैं। इसमें निलंबन, असंवेदनशील यूनिटों में स्थानांतरण, बड़ी/छोटी शास्ति के लिए कार्रवाई शुरू करना तथा उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करना शामिल हैं।

3. जन सामान्य की पहुंच वरिष्ठ अधिकारियों तक होने पर जोर दिया जाता है।

4. जनता को पुलिस अधिकारियों के द्वारा किसी उत्पीड़न की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के नियंत्रण कक्ष एवं सतर्कता शाखा के उड़नदस्ता के दूरभाष सं.23417995 पर फोन करने की सुविधा है।

5. दिल्ली पुलिस जिला पुलिस उपायुक्त के दूरभाष नं एवं उनके फैक्स नं. एवं ई-मेल को विज्ञापित करती रही है। सभी जिला पुलिस उपायुक्त को निदेश दिया गया है कि वे ऐसे प्राप्त सभी संदेशों का सार रखने के लिए एक रजिस्टर रखें और जहां आवश्यक हो, वहां उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

6. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संदिग्ध छवि वाले पुलिस कर्मियों के बारे में सचेत रहने के लिए स्टॉफ को नियमित रूप से ब्रीफ किया जाता है/अनुदेश दिया जाता है।

7. सभी पुलिस स्टेशनों में वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष नं. को नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

8. शिकायतों की मानीटरिंग एवं ट्रेकिंग के लिए पुलिस मुख्यालय में सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित की गई है।

9. जन सामान्य की जागरुकता एवं हित के लिए सभी पुलिस स्टेशनों/जिलों/यूनिटों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं उच्चतम न्यायालयों के दिशा निदेशों को प्रदर्शित किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों पर जीरो टॉलरेन्स लागू करने तथा आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए आसूचना के संग्रहण एवं निगरानी के तरीकों को अपनाती है।

एनआईए द्वारा जांचे गए मामले

829. श्री रमेश बैस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा इसके प्रारंभ से अब तक जांचे जा रहे मामलों का मामला-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक गिरफ्तार व्यक्तियों सहित ऐसे मामलों में से प्रत्येक की मामला-वार एवं राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) मामलों की अबाध जांच के लिए एनआईए को सौंपी शक्तियों तथा न्याय क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनआईए को सौंपे गए मामलों से निपटने में उसे अब तक मिली सफलता की दर कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान एनआईए द्वारा सफलता की कम दर, यदि कोई हो, तो के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह एजेंसी अपने आरंभ के समय से आतंकवाद से संबंधित 76 मामलों की जांच कर रही है। मामलों का मामले-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित प्रत्येक मामले की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गयी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (गठन का तरीका) नियम, 2008 में दिया गया है। उक्त अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक उदाहरण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए 76 मामलों में से 38 मामलों में जांच के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। इन 38 मामलों में से 3 मामलों में विचारण पूरा कर लिया गया है जिनमें 13 प्रमुख अभियुक्तों को दोषित किया गया है। इन अभियुक्तों में से दो अभियुक्त उक्त सभी तीनों मामलों में शामिल हैं। शेष 38 मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सफलता दर काफी अच्छी है।

विवरण-I

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामले

क्र. सं.	राज्य	मामला संख्या और दर्ज करने की तारीख	मामले की पहचान और कानून की धारा	राज्य एफआईआर संख्या और तारीख	गिरफ्तार व्यक्ति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	आरसी-01/2009/एनआईए/ डीएलआई दिनांक 05/06/2009	डीएचडी (जे) मामला गुवाहाटी	एफआईआर सं. 170/2009, पीएस-बशिष्ट (असम) दिनांक 01/04/2009	15	14 अभियुक्तों के खिलाफ 17.11.2009 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। एक और अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 9.2.2011 को अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
2.	असम	आरसी-03/2009/एनआईए/ डीएलआई दिनांक 05/06/2009	डीएचडी (जे) मामला एनसी हिल्स	एफआईआर सं. 03/2009, पीएस- दियूंगमुख (असम) दिनांक 12/02/2009	17	16 अभियुक्तों के खिलाफ 19.10.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
3.	महाराष्ट्र	आरसी-03/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 05/06/2009	एफआईसीएन (आतंकी वित्त पोषण) मामला मुंबई	एफआईआर सं. 07/2009, पीएस-एटीएस, मुंबई, महाराष्ट्र दिनांक 14/05/2009	6	7 अभियुक्तों के खिलाफ 05.11.2009 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। उन्हीं 07 अभियुक्तों के खिलाफ दिनांक 27.6.2011 को अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
4.	दिल्ली	आरसी-04/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 11/11/2009	डेविड कोलमैन हेडली और अन्य के खिलाफ मामला	एन/ए	—	09 अभियुक्त के खिलाफ 24.12.2011 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।
5.	केरल	आरसी-05/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 08/12/2009	कोझीकोड मुफसिल बस स्टेंड बम विस्फोट मामला	एफआईआर सं. 80/86, कासाबा पीएस, कोझीकोड, केरल, दिनांक 03.03.2006,	5	अभियुक्त 1 और अभियुक्त 4 विचारण न्यायालय द्वारा दोष और दोषसिद्ध पाए गए हैं। अभियुक्त 3 और अभियुक्त 9 दोषी

				सीबीसीआईडी मामला संख्या 183/सीआर/2006 दिनांक		नहीं पाए गए और दोषमुक्त कर दिए गए। विचारण न्यायालय के दोषमुक्त करने संबंधी आदेश के खिलाफ माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपील की गई है।
6.	केरल	आरसी-06/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 08/12/09	कोझीकोड केएसआरटीसी बस स्टेंड बम विस्फोट मामला	एफआईआर सं. 81/86, नाडाकाबू पीएस, कोझीकोड, केरल, दिनांक 03.03.2006, सीबीसीआईडी मामला संख्या 183/सीआर/2006 दिनांक 13/06/2009	5	अभियुक्त 1 और अभियुक्त 4 विचारण न्यायालय द्वारा दोषी और दोषसिद्ध पाए गए हैं। अभियुक्त 3 और अभियुक्त 9 दोषी नहीं पाए गए और दोषमुक्त कर दिए गए। विचारण न्यायालय के दोषमुक्त करने संबंधी आदेश के खिलाफ माननीय केरल उच्च न्यायालय में अपील की गई है। (मामला 05 और 06/2009 को एक साथ जोड़ दिया गया है।)
7.	गोवा	आरसी-07/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 11/12/09	मडगांव, गोवा में बम विस्फोट	एफआईआर सं. 338/2009 मारगांव टाउन पीएस, गोवा दिनांक 16/10/2009	6	04 अभियुक्त के खिलाफ 17.05.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। 02 अभियुक्तों के खिलाफ 01.12.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
8.	गोवा	आरसी-08/2009/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 11/12/09	वरणा, गोवा में बम विस्फोट	एफआईआर सं. 114/2009 दिनांक 17/10/2009 वरर्णा पीएस, गोवा	6	04 अभियुक्त के खिलाफ 17.05.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। 02 अभियुक्तों के खिलाफ 01.12.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है और विचारण चल रहा है। (मामला 07 और 08/2009 को एक साथ जोड़ दिया गया है।)
9.	नई दिल्ली	आरसी-01/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 13/01/2010	एंथोनी सिमरे के खिलाफ एनएससीएन मामला	एन/ए	1	04 अभियुक्त के खिलाफ 26.03.2011 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है और विचारण चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
10.	केरल	आरसी-03/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 21/01/2010	केरल में एलईटी की गतिविधियां	एफआईआर सं.356/2008 इडाकाड पीएस, कन्नुर, केरल दिनांक 18/10/2008	18	13 अभियुक्तों की दोषसिद्धि के साथ विचारण समाप्त हो चुका है।
11.	केरल	आरसी-03/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 21/01/2010	सिमी के गुप्त बैठक	एफआईआर सं. 159/2006, बिनानीपुरम पीएस, ईरानाकुल्लम रूरल केरल दिनांक 15/082006	18	17 अभियुक्त के खिलाफ 31.12.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
12.	केरल	आरसी-04/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 21/01/2010	सिमी का आतंकी प्रशिक्षण शिविर	एफआईआर सं. 257/2008, मुंडाकायम पीएस-कोट्टयम जिला केरल दिनांक 19/06/2008	34	30 अभियुक्त के खिलाफ 13.01.2011 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। 31.07.2013 को 05 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
13.	केरल	आरसी-05/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 22/01/2010	कालामासारी में बस जलाने का मामला	एफआईआर सं. 469/2005, कालामासारी पीएस, कोच्ची सिटी, केरल दिनांक 09/09/2005	12	13 अभियुक्त के खिलाफ 17.12.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
14.	पश्चिम बंगाल	आरसी-06/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 24/01/2010	केवाईकेएल संगठन सिलीगुड़ी मामला	एफआईआर सं. 51/2010, मटीगरा पीएस, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) दिनांक 15/03/2010	8	07 अभियुक्त के खिलाफ 08.09.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। 04.08.2011 को 04 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। विचारण अभी किया जाना है।
15.	गुजरात	आरसी-07/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 29/06/2010	मुदासा टाउन विस्फोट मामला	एफआईआर सं. 98/2008 मौदासा पीएस, साबरकांठा, गुजरात दिनांक 30/09/2008	–	मामले की जांच की जा रही है।
16.	आंध्र प्रदेश	आरसी-08/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 22/07/2010	हैदराबाद मामला (एलईटी काडर के कब्जे में हथियार और विस्फोटक सामग्री)	एफआईआर सं. 49/2010 भवानीनगर पीएस, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) दिनांक 03/05/2010	1	02 अभियुक्त के खिलाफ 29.10.2010 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।

17.	हरियाणा	आरसी-09/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 29/07/2010	समझौता एक्सप्रैस विस्फोट मामला	एफआईआर सं. 28 दिनांक 19/02/2007 रेलवे पीएस, करनाल, हरियाणा	4	इस मामले में 05 अभियुक्तों के खिलाफ 20.06.2011 को मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। 02 अभियुक्तों के खिलाफ पहला अनुपूरक आरोप-पत्र 09.08.2012 को दायर किया गया है। एक अभियुक्त के खिलाफ दूसरा अनुपूरक आरोप-पत्र 12.06.2013 को दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
18.	मणिपुर	आरसी-10/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 17/09/2010	मणिपुर के यूएनएलएफ की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां	एफआईआर सं. 159/2010 नूनमती पीएस गुवाहाटी दिनांक 01/05/2010	19	19 अभियुक्तों के खिलाफ 14.02.2010 को मामले में आरोप-पत्र दायर किया गया है। 06.03.2012 को 06 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। विचारण चल रहा है।
19.	पश्चिम बंगाल	आरसी-11/2010/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 30/11/2010	आईएम की गतिविधियां	एफआईआर सं. 92/1010 दिनांक 26/02/2010 भवानीपुर पीएस, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	—	मामले की जांच की जा रही है।
20.	केरल	आरसी-01/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 06/04/2011	मुवटपुझा, केरल में प्रो. टी.जे. जोसफ के हाथ काटने का मामला	एफआईआर सं. 704/2010 दिनांक 04/07/2010 मूवटूपूजा पीएस, जिला-इरनाकुलम केरल	36	09 अभियुक्त के खिलाफ 18.01.2013 को मामले में अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। 01 अभियुक्त के खिलाफ दूसरा अनुपूरक आरोप-पत्र 12.04.2013 को दायर किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
21.	आंध्र प्रदेश	आरसी-02/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 06/04/2011	मक्का मस्जिद, हैदराबाद में बम विस्फोट मामला	एफआईआर सं.100/2007 दिनांक 18/05/2007 और 107/2007 दिनांक 23/05/2007 हुसैनी आलम चारमिनार हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), (सीबीआई मामला	6	01 अभियुक्त के खिलाफ 16.05.2011 को अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। दो अभियुक्त के खिलाफ 18.07.2012 को दूसरा अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
				संख्या आरसी 5(एस)/2007/ सीबीआई/एससीआर-III/ एनडी दिनांक 09/06/2007 और आरसी-6(एस)/2007/ सीबीआई/एससीआर-III/ एनडी दिनांक 06/10/2007		मामले की आगे और जांच की जा रही है।
22.	महाराष्ट्र	आरसी-03/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 06/04/2011	मालेगांव बम विस्फोट मामला-01	एफआईआर सं. 95/2006 और 96/2006 दिनांक 08/09/2006 पीएस-आजाद नगर मालेगांव और पीएस मालेगांव सिटी, महाराष्ट्र एफआईआर सं.3088/2006 दिनांक 13/09/2009, (एटीएस, मुंबई मामला संख्या 07/2006 और सीबीआई मामला संख्या आरसी-बीएस-/2007/एस/ 0001/एसबीआई/एसटीएफ/ मुंबई दिनांक 13/07/2007	13	04 अभियुक्त के खिलाफ 22.05.2013 को अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
23.	राजस्थान	आरसी-04/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 06/04/2011	अजमेर शरीफ बम विस्फोट मामला	एफआईआर सं. 85/2007 दिनांक 11/10/2007 दरगाह शरीफ पुलिस थाना अजमेर (राजस्थान)	10	02 अभियुक्त के खिलाफ 28.04.2011 तथा 08 अभियुक्तों के खिलाफ 18.07.2011 को अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
24.	महाराष्ट्र	आरसी-05/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 13/04/2011	मालेगांव बम विस्फोट मामला-02	एफआईआर सं. 130/2008 दिनांक 30/09/2008, पीएस-आजाद नगर, मालेगांव (मामला संख्या 18/2008, एटीएस मुंबई)	14	मामले की जांच की जा रही है।

25.	नई दिल्ली	आरसी-06/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 25/04/2011	लोधी कॉलोनी पुलिस थाना, नई दिल्ली में आतंकी वित्त पोषण का मामला	एफआईआर सं. 04/2011 दिनांक 16/01/2011 दिल्ली पुलिस विशेष सेल पीएस, लोधी कॉलोनी नई दिल्ली	4	04 अभियुक्तों के खिलाफ 20.07.2011 को आरोप-पत्र दायर किया गया है। 02 अभियुक्तों के खिलाफ 22.12.2011 को अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
26.	जम्मू और कश्मीर	आरसी-07/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 19/05/2011	जानीपुरा, जम्मू (जेएंडके आतंकवादी समूह, हिजबुल मुजाहिद्दीन) आतंकी वित्त पोषण का मामला	एफआईआर सं. 07/2011 दिनांक 11/01/2011 जानीपुरा पुलिस थाना, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)	7	04 अभियुक्तों के खिलाफ 16.07.2011 को आरोप-पत्र दायर किया गया है। 01 अभियुक्त के खिलाफ 20.01.2012 को अनुपूरक आरोप पत्र तथा 03 अभियुक्तों के खिलाफ 10.04.2013 को दूसरा अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
27.	मध्य प्रदेश	आरसी-08/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 25/06/2011	सुनील जोशी हत्याकांड	एफआईआर सं. 661/2007 दिनांक 29/12/2007 पीएस-औद्योगिक क्षेत्र, देवास (एमपी)	9	मामले की जांच की जा रही है।
28.	नई दिल्ली	आरसी-09/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 07/09/2011	07.09.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के गेट संख्या 4 और 5 के बीच बम विस्फोट	एफआईआर सं.49/2011 दिनांक 07/09/2011, विशेष सेल दिल्ली पुलिस	3	13.03.2012 को 06 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र तथा 01 अभियुक्त के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड-01, दिल्ली में 15.03.2012 को आरोप-पत्र दायर किया गया है। 01 अभियुक्त के खिलाफ 27.08.2013 को अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया है। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
29.	नई दिल्ली	आरसी-10/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 30/09/2011	25.05.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के निकट बम विस्फोट	एफआईआर सं. 35/2011 दिनांक 25/05/2011 पीएस विशेष सेल दिल्ली पुलिस	—	मामले की आगे और जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
30.	जम्मू और कश्मीर	आरसी-11/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 25/10/2011	आतंकी वित्त पोषण (दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर)	एन/ए	1	30/11/2013 को 10 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
31.	जम्मू और कश्मीर	आरसी-12/2011/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 14/11/2011	आतंकी वित्त पोषण (दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर)	एन/ए	3	30.03.2013 को विशेष न्यायाधीश, एनआईए नई दिल्ली के न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की गई।
32.	पश्चिम बंगाल	आरसी-01/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 12/04/2012	सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियां	एफआईआर सं. 138 दिनांक 01/03/2012 पीएस-जोरनसंको, पीसी सरकार स्ट्रेट, कोलकाता	9	23.08.2012 को 05 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। 29.12.2012 को 04 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप-पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
33.	ओडिशा	आरसी-02/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 08/06/2012	ओडिशा में मोआवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी की मृत्यु	एफआईआर सं. 07/2012 दिनांक 10/02/2012 पीएस-चित्राकोन्डा जिला मलकानगिर-ओडिशा	—	मामले की जांच की जा रही है।
34.	ओडिशा	आरसी-03/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 08/06/2012	माओवादियों से संचार सेट और युद्ध जैसे भंडारों की बरामदगी	एफआईआर सं.50/2011 दिनांक 23/12/2011 पीएस-मछकुन्ड,-कोरापुट, ओडिशा	—	मामले की जांच की जा रही है।
35.	महाराष्ट्र	आरसी-04/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 08/06/2012	लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियां	एन/ए	1	04/04/2013 को 01 अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
36.	पंजाब	आरसी-05/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 28/06/2012	बब्बर खासला इंटरनेशनल की गतिविधियां	एन/ए	—	मामले की जांच की जा रही है।

37.	नई दिल्ली	आरसी-06/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 10/09/2012	इंडियन मुजाजिद्दीन की गतिविधियां	एन/ए	6	17/07/2013 को 05 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
38.	पंजाब	आरसी-07/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 27/09/2012	पंजाब में एफआईसीएन मामला	राज्य विशेष अभियान सेल, अमृतसर (पंजाब) एफआईआर सं. 14/2012 दिनांक 02/07/2012	6	28/08/2012 को 05 अभियुक्तों के खिलाफ पत्र दायर किया गया। 29.12.2012 को 04 अभियुयक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
39.	झारखंड	आरसी-08/2012/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 17/12/2012	झारखंड में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियां	पीएस-चौपरण, हजारीबाग (झारखंड) एफआईआर सं. 187/2012 दिनांक 29/08/2012	6	मामले की जांच की जा रही है।
40.	बिहार	आरसी-01/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 19/03/2013	औरंगाबाद में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियां	एफआईआर सं.115/2012 दिनांक 26/03/2012 पीएस औरंगाबाद टाउन औरंगाबाद (बिहार)	3	मामले की जांच की जा रही है।
41.	नई दिल्ली	आरसी-02/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 23/03/2013	नाईट विजन उपकरणों का अवैध आयात	एन/ए	—	मामले की जांच की जा रही है।
42.	नई दिल्ली	आरसी-03/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 29/03/2013	विशेष सैल, नई दिल्ली द्वारा सैयद लियाकत शाह उर्फ लियाकत बुखारी की गिरफ्तारी	एफआईआर सं. 14/2013 दिनांक 19/03/2013 पीएस-विशेष सेल दिल्ली पुलिस लोदी कॉलोनी नई दिल्ली	1	मामले की जांच की जा रही है।
43.	केरल	आरसी-04/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 04/04/2013	इटली के 02 मैरिनों द्वारा 02 मछुआरों की हत्या	एफआईआर सं. 02/2012 दिनांक 15/02/2012 तटीय पुलिस थाना निन्दाकारा कोल्लम जिला, केरल	2	मामले की जांच की जा रही है।
44.	पश्चिम बंगाल	आरसी-05/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 10/04/2013	पश्चिम बंगाल में प्रबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के कैडरों से तेलनाकार मैटेली	एफआईआर सं. 187/2012 दिनांक 26/07/2012 पीएस वाटगुंगे, पश्चिम बंगाल	2	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
			उपकरण और षष्टभुजाकार मैटीकल उपकरण की जब्ती			
45.	छत्तीसगढ़	आरसी-06/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 27/05/2013	कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के काफीले पर सीपीआई (मोआवादी) का हमला	एफआईआर सं. 25/2013 दिनांक 25/05/2013 दरभा पीएस	—	मामले की जांच की जा रही है।
46.	बिहार	आरसी-07/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 27/05/2013	मुख्य मंदिर, जिला, गया बिहार के निकट महाबुद्धि मंदिर परिसर में बम विस्फोट	एफआईआर सं. 162/2013 दिनांक 07/07/2013 बोध गया पीएस	—	मामले की जांच की जा रही है।
47.	बिहार	आरसी-08/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 27/05/2013	मुख्य मंदिर, जिला, गया बिहार के निकट महाबुद्धि मंदिर परिसर में बम विस्फोट	एफआईआर सं. 163/2013 दिनांक 07/07/2013 बोध गया पीएस	—	मामले की जांच की जा रही है।
48.	बिहार	आरसी-09/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 27/05/2013	मुख्य मंदिर, जिला, गया बिहार के निकट महाबुद्धि मंदिर परिसर में बम विस्फोट	एफआईआर सं. 164/2013 दिनांक 07/07/2013 बोध गया पीएस	—	मामले की जांच की जा रही है।
49.	बिहार	आरसी-10/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 01/11/2013	पटना जंक्शन, बिहार के प्लेटफार्म संख्या 10 पर बम विस्फोट जीआरपी पटना जंक्शन की राज्य एफआईआर संख्या 362/2013	एफआईआर सं. 451/2013 दिनांक 27/10/2013 गांधी मैदान पुलिस थाना, बिहार	—	मामले की जांच की जा रही है।
50.	बिहार	आरसी-11/2013/एनआईए/ डीएलआईडी/आर. 01/11/2013	गांधी मैदान, पटना, बिहार में बम विस्फोट (गांधी मैदान पटना की राज्य एफआईआर संख्या 451/2013)	एफआईआर सं. 361/2013 दिनांक 27/10/2013 पटान रेलवे स्टेशन पुलिस थाना, बिहार	—	मामले की जांच की जा रही है।
51.	केरल	आरसी-01/2011/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 02/12/2011	केरल का एफआईसीएन मामला	एफआईआर सं. 711/2011 दिनांक 18/09/2011 थालीपरम्मा पीएस-कन्नूर जिला, केरल	8	30/04/2013 को 04 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।

52.	आंध्र प्रदेश	आरसी-01/2012/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 03/01/2012	मालदा का एफआईसीएन मामला	एन/ए	—	30.06.2012 को 13 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 31.08.2012 को 05 अभियुक्तों के खिलाफ पहला अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। 07.11.2012 को 04 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र तथा 09.04.2013 को 03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तीसरा अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
53.	आंध्र प्रदेश	आरसी-02/2012/एनआईए/ एचवाईडी/डीआर 28/01/2012	कोझीकोड हवाई अड्डा का एफआईसीएन मामला	एफआईआर सं. 103/2009 दिनांक 30/01/2009 कोन्डोटी पीएस, जिला-मालापुरम, केरल (सीबीसीआई मामला संख्या 22/सीआर/ एस-III/2009	4	03/05/2013 को 07 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
54.	आंध्र प्रदेश	आरसी-03/2012/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 28/01/2012	कोझीकोड हवाई अड्डा का एफआईसीएन मामला	एफआईआर सं. 655/2010 दिनांक 14/07/2010 पीएस नेन्दुम पसारी, इरनाकुलम, केरल (सीबीसीआईडी संख्या 447/सीआर/ ओसीडब्ल्यू-II/ईकेएम/10)	—	मामले की जांच की जा रही है।
55.	कर्नाटक	आरसी-04//2012/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 19/11/2012	लश्कर-तैयबा की गतिविधियां	एफआईआर सं. 0384/2012 दिनांक 29/08/2012 पीएस-भाशावेश्वरंगर, बैंगलौर सिटी, कर्नाटक	6	20/02/2013 को 12 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 02/05/2013 को 01 अभियुक्त के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
56.	आंध्र प्रदेश	आरसी-01/2013/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 14/03/2013	हैदराबाद में बम विस्फोट (एफआईआर सं. 53/2013 मलकपेट पीएस)	एफआईआर सं. 56/2013 दिनांक 21/02/2013 पीएस-मालकपेट, हैदराबाद	8	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
57.	आंध्र प्रदेश	आरसी-02/2013/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 14/03/2013	साइबरा में बम विस्फोट (एफआईआर सं. 146/2013 सरूरनगर पीएस	एफआईआर सं. 146/2013 दिनांक 21/02/2013 पीएस-सरूर नगर, सायबराबाद	4	मामले की जांच की जा रही है।
58.	तमिलनाडु	आरसी-03/2013/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 01/05/2013	सेना स्थानाओं की वीडियो, स्केच और फोटो भेजना	एफआईआर सं. 01/2012 दिनांक 17/09/2012 त्रिची क्यु ब्रांच तमिलनाडु	3	मामले की जांच की जा रही है।
59.	केरल	आरसी-04/2013/एनआईए/ एचवाईडीडी/आर 16/05/2013	केरल राज्य में सीपीआई (मोआवादी) की गतिविधियां	एफआईआर सं. 1622/2012 दिनांक 29/12/2012 मावेलीकरा पीएस, केरल	5	मामले की जांच की जा रही है।
60.	असम	आरसी-01/2011/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 11/07/2011	पीपल्स लिब्रेशन आर्मी की गतिविधियां	एन/ए	3	21/05/2012 को 03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 16/11/2012 को 03 अभियुक्तों के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया गया। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
61.	मणिपुर	आरसी-02/2011/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 18/07/2011	श्री डब्ल्यू किशंग, विधायक, फुंगयार, उखरूल जिला, मणिपुर के काफिले पर घात लगाकर हमला	एफआईआर सं. 6(4)/2011 दिनांक 15/04/2011 लिटन पीएस, मणिपुर	6	मामले की जांच की जा रही है।
62.	असम	आरसी-03/2011/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 24/11/2011	केसीपी (एमसी) की गतिविधियां	एफआईआर सं. 214/2011 दिनांक 27/06/2011 पीएस-वशिष्ठ, गुवाहाटी	25	माननीय एनआईए विशेष न्यायालय गुवाहाटी में 07/12/2012 को 03 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। मामले की आगे और जांच की जा रही है।
63.	मणिपुर	आरसी-01/2012/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 16/04/2012	उखरूल, मणिपुर में मणिपुरी दम्पत्ति की हत्या	एफआईआर सं. 3(7)/2011 दिनांक 24/07/2011 फंगईयार पीएस, जिला-उखरूर, मणिपुर	11	मामले की जांच की जा रही है।

64.	मणिपुर	आरसी-02/2012/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 25/06/2012	पीआरईपीएके की गतिविधियां-अन्य उग्रवादी गुटों के साथ यूपीपीके की सांठगांठ	एफआईआर सं. 27(1)/ 2012, दिनांक 10/01/2012 पीएस-इम्फाल, जिला मणिपुर	2	22/11/2013 को विशेष न्यायाधीश, एनआईए, मणिपुर के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की गई।
65.	मणिपुर	आरसी-04/2012/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 25/06/2012	आरपीएफ/पीएल की गतिविधियां	एफआईआर सं. 406(9)/ 2010 दिनांक 25/09/2010 इम्फाल पीएस, जिला-इम्फाल, मणिपुर	15	मामले की जांच की जा रही है।
66.	मणिपुर	आरसी-04/2012/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 07/12/2012	पीआरईपीएके-यूपीपीके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए जबरन धन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से निधियां जुटाना	एन/ए	2	मामले की जांच की जा रही है।
67.	नागालैंड	आरसी-01/2013/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 08/02/2013	एनएससीएन (आईएम) कॉडर को हथियार देने में नागालैंड पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता	एफआईआर सं. 40/2012 दिनांक 21/04/2012 पीएस-दिफपार, दिमापुर नागालैंड	2	मामले की जांच की जा रही है।
68.	मिजोरम	आरसी-02/2013/एनआईए/ जीयूडब्ल्यूडी/आर 05/06/2013	आईजोल, मिजोरम से परिष्कृत हथियारों की बरामदगी	एफआईआर सं. 07/2013 दिनांक 07/03/2013 साइरांग पीएस, आइजॉल, मिजोरम	2	मामले की जांच की जा रही है।
69.	नागालैंड	आरसी-03/2013/एनआईए/ जीयूडब्ल्यू दिनांक/	जुहनेबोटो पीएस अपराध संख्या 28/2012 जुहनेबोटो डीईएफ के सरकारी हथियारों और गोलाबारूद्ध का दुर्विनियोजन	एफआईआर सं. 28/2012 जुनेबोटो पीएस, नागालैंड	6	मामले की जांच की जा रही है।
70.	केरल	आरसी-01/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर 09/07/2013	केरल का एफआईसीएन मामला (एफआईआर सं.599/2012 चंदेरा पीएस)	एफआईआर सं. 599/2012 दिनांक 15/08/2012, चन्द्रा पुलिस थाना कसरा गाट	8	मामले की जांच की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
71.	केरल	आरसी-/02/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर 09/07/2013	केरल का एफआईसीएन मामला (एफआईआर सं. 777/2012 होस दुर्ग पीएस)	एफआईआर सं. 777/2012 दिनांक 17/08/2012 होसदूर पुलिस थाना कसरागाट	8	मामले की जांच की जा रही है।
72.	केरल	आरसी-03/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर 09/07/2013	केरल का एफआईसीएन मामला (एफआईआर सं. 600/2012 चंदेरा पीएस)	एफआईआर सं. 600/2012 दिनांक 18/08/2012 चन्देरा पुलिस थाना कसरागाट	8	मामले की जांच की जा रही है।
73.	केरल	आरसी-04/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर09/07/2013	केरल का एफआईसीएन मामला (एफआईआर सं. 597/2012 चदेरा पीएस)	एफआईआर सं. 597/2012 दिनांक 17/08/2012 चन्देरा पुलिस थाना कसरागाट	8	मामले की जांच की जा रही है।
74.	केरल	आरसी-05/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर 07/08/2013	पीएफआई/एसडीपीआई की गतिविधियां	एफआईआर सं. 276/2012 दिनांक 24/04/2013 मायेइल पुलिस थाना	24	21 अभियुक्तियों के खिलाफ /10/2013 को आरोप पत्र दायर किया गया। आगे और जांच की जा रही है।
75.	केरल	आरसी-06/2013/एनआईए/ केओसीडी/आर 12/11/2013	मंजेरी, कसरागाड, केरल का एफआईसीएन मामला (एफआईआर सं. 1288/2012 मंजेरी पीएस)	एफआईआर सं. 1288/2012 दिनांक 17/09/2012 मन्जेरी पुलिस थाना, मल्लापुरम	6	मामले की जांच की जा रही है।
76.	महाराष्ट्र	आरसी-01/2013/एनआईए/ एमयूएमडी/आर 24/06/2013	नांदेड (महाराष्ट्र), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और बंगलौर (कर्नाटक) में एलईएम्टी की गतिविधियां	एफआईआर सं. 10/2012 दिनांक 31/08/2012 एटीएस पीएस, मुंबई	5	मामले की जांच की जा रही है।

विवरण-II

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 34)

[31 दिसम्बर, 2008]

भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह-

(क) भारत से बाहर भारत के नागरिकों को;

(ख) सरकार की सेवा में व्यक्तियों को, जहां भी वे हों; और

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर, जहां भी वे हों, व्यक्तियों को, भी लागू होता है।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अभिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है;

1974 का 2

(ग) "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायाल स्थित है;

(घ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "लोक अभियोजन" से धारा 15 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजन या अपर लोक अभियोजन या विशेष लोक अभियोजक अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रत है;

(छ) "अनुसूचित अपराध" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध अभिप्रेत है;

(ज) "विशेष न्यायालय" से, यथास्थिति, धारा 11 या धारा 22 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में हैं।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में , जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबंध प्रवर्तन में नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रतिनिर्देश है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नामक एक विशेष अभिकरण का गठन कर सकेगी। 1861 का 5

(2) ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, अभिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण और ऐसे अपराधों में सम्पृक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो उनके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं।

(3) अभिकरण का, उपनिरीक्षण की या उससे ऊपर की पंक्ति का, कोई अधिकारी, ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, संपूर्ण भारत में उस क्षेत्र के जिसमें वह तत्समय उपस्थित हो, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यथापूर्वोक्त ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसा अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर कृत्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस थाने का भारसाधक समझा जाएगा।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण।

4. (1) अभिकरण का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(2) अभिकरण का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त महानिदेशक के रूप में अभिहित अधिकारी में निहित होगा जो अभिकरण की बाबत किसी राज्य में पुलिस बल की बाबत पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

अभिकरण के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा की शर्तें

5. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभिकरण का गठन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

अध्याय 3

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण

अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण।

6. (1) किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर और संहिता की धारा 154 के अधीन उसको अभिलिखित किए जाने पर, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस रिपोर्ट को तत्काल राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उस रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर, रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यह अवधारित करेगी कि

अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं और अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह भी अवधारित करेगी कि क्या वह अपराध अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

(4) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध है और वह अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है वहां वह अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निदेश देगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अनुसूचित अपराध कारित किया गया है जिसका इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो वह, स्वप्रेरणा से, अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निदेश दे सकेगी।

(6) जहां कोई निदेश उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिया गया है वहां राज्य सरकार और अपराध का अन्वेषण करने वाला राज्य सरकार को कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण नहीं करेगा और तत्काल सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को अभिकरण को पारेषित करेगा।

(7) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण जारी रखे।

अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति।

7. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करते समय, अभिकरण, अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए,–

(क) यदि ऐसा करना समीचीन है तो राज्य सरकार को यह अनुरोध कर सकेगा कि वह स्वयं अन्वेषण से सहबद्ध हो; या

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामले को अपराध के अन्वेषण और विचारण के लिए राज्य सकरार को अंतरित कर सकेगा।

संसक्त अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति।

8. अभिकरण, किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अन्य अपराध का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध से संसक्त है।

राज्य सरकार का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सहायता देना।

9. राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देगी।

अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार को शक्ति।

10. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुसूचित अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (गठन का तरीका), नियम, 2008

एजेंसी की शक्ति और कार्य-इस एजेंसी की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के संबंध में अपराधों की जांच करना और उनमें अभियोग चलाना;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य आसूचना और जांच एजेंसियों को सहायता प्रदान करना और इनसे सहायता लेना; और

(ग) अन्य ऐसे उपाय करना जो उक्त अधिनियम के उपबन्धों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

[अनुवाद]

चीनी की मांग-सूची

830. श्री प्रबोध पांडा :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सीजन के दौरान संभावित अधिशेष उत्पादन तथा प्रारंभिक स्टॉक के कारण चालू चीनी सीजन के दौरान चीनी मिलों द्वारा रखी गई चीनी के भंडार की मांग सूची में वृद्धि की संभावना है तथा सीजन के अंत में प्रारंभिक स्टॉक, अनुमानित उत्पादन, उपभोग एवं अनुमानित अधिशेष स्टॉक क्या है;

(ख) क्या स्टॉक की वृद्धि से उद्योग का नकदी प्रवाह बाधित होगा जिससे इसकी व्यवहार्यता पर प्रभाव पड़ेगा तथा गन्ना मूल्य बकाया रुकेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संकट से निपटने के लिए चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने एवं अन्य सहायता देने की मांग उद्योग ने की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी के स्टॉक की वस्तुसूची चीनी मिलों द्वारा रखी जाती है जोकि अग्रनयन स्टॉक, अनुमानित उत्पादन, घरेलू खपत और चीनी मौसम के दौरान संभाव्य निर्यात पर निर्भर है। चीनी का प्रारंभिक स्टॉक, अनुमानित उत्पादन तथा चालू चीनी मौसम 2013-14 के अंत में खपत एवं अंतशेष स्टॉक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(अनंतिम)

विवरण	मात्रा (लाख टन में)
प्रारंभिक स्टॉक	91.09
चीनी का अनुमानित उत्पादन	241.31
अनुमानित घरेलू खपत	235
अनुमानित निर्यात	10.00
अनुमानित अंतशेष	87.40

(ख) और (घ) चीनी उद्योग वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी सहित सहायता की मांग की है जिससे कि वर्तमान स्थिति से निपटा जा सके। सरकार ने चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह का गठन किया है।

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण राजसहायता पर बोझ

831. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण राजसहायता का बोझ बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सरकार ने रसायनिक एवं अन्य उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों पर सरकार द्वारा उर्वरक एवं राज्य-वार कितनी राजसहायता दी गयी है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने किस तरीके से अतिरिक्त बोझ का प्रबंध किया तथा कितनी राशि खर्च हुई एवं इस शीर्ष के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों के लिए सरकार 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रही है। इस नीति के तहत राजसहायता प्राप्त पी एंड के उर्वरकों पर इनमें निहित पोषक-तत्व के आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर लिया जाता है। इसलिए, पी एंड के उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का संबंधित वित्त वर्ष में राजसहायता पर कोई भार नहीं पड़ा है। तथापि, आयातित यूरिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों अथवा विनिमय दर में किसी विभिन्नता का राजसहायता पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य को सांविधिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष अक्तूबर 2013 तक के दौरान भारित औसत सी एंड एफ मूल्य की तुलना में यूरिया के आयात का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	ओमान से आयात			राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए आयात			सकल योग
	मात्रा (लाख मी.टन में)	भारित औसत सीएंडएफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	कुल आयात लागत	मात्रा (लाख मी.टन में)	भारित औसत सीएंडएफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	कुल आयात लागत	
2010-11	20.64	166.78	3442.339	45.45	327.38	14879.42	18321.76
2011-12	20.69	215.19	4452.281	57.65	481.74	27772.31	32224.59
2012-13	18.39	188.05	3446.957	62.11	417.4	25924.71	29371.67
2013-14 (अक्तूबर तक)	12.86	184.91	2377.943	37.5	323.31	12124.13	14502.07

(ग) और (घ) वर्तमान में, किसानों को यूरिया अत्यधिक राजसहायता-प्राप्त सांविधिक मूल्य 5360 रुपए प्रतिटन पर उपलब्ध कराया जा रहा है जो सुपुर्दगी लागत से काफी कम है। पी एंड के उर्वरकों के संबंध में, राजसहायता दरों का निर्धारण इन उर्वरकों के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दर और देश में माल सूची की स्थिति सहित, सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान में राजसहायता दरों में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) विभिन्न उर्वरकों पर उपलब्ध कराई जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा राज्य-वार अलग से नहीं रखा जाता है। राजसहायता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के लिए फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों और यूरिया पर राजसहायता का प्रावधान और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:—

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट प्रावधान	भुगतान की गई वास्तविक राजसहायता		
		पीएंडके उर्वरक	यूरिया	योग
2010-11	65836.68	41500.00	24336.68	65836.68
2011-12	73790.94	36107.94	37683.00	73790.94
2012-13	70592.13	30576.12	40016.01	70592.13
2013-14 (बजट अनुमान)	70585.73	23330.40	38196.50	61526.90

राजसहायता का भुगतान इस उद्देश्य के लिए किए गए बजट आवंटन के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त राजसहायता भार, जहां अपेक्षित हो, को पूरा करने के लिए अनुपूरक अनुदानों अथवा संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

किसानों की आय

832. श्री हरिन पाठक :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत किसानों की औसत वार्षित आय निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में किसानों की आय की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2000 से सीमांत रूप में बढ़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2003 के दौरान "किसानों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खेती, पशुपालन, गैर-फार्म व्यवसाय एवं मजदूरी से संबंधित रसीद एवं व्यय के संबंध में सूचना एकत्र की गयी है। वर्ष 2002-03 के दौरान अखिल भारत स्तर पर प्रति कृषक घर की औसत मासिक आय 2115 रुपए थी। 2002-03 के दौरान मुख्य राज्यों में से प्रत्येक राज्य में

स्रोत के आधार पर प्रति कृषक घर की औसत मासिक आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में किसानों की आय का कोई नियमित अनुमान नहीं है। तथापि, 2003 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने "किसानों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" किया था। "किसानों का अगला स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण" 2013-14 के लिए निर्धारित है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय आवधिक रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण का कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना 61वीं पारी (2004-05) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना 68वीं पारी (2011-12) के अनुसार, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (एमपीसीई) जिसका उपयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आय के लिए बहुत नजदीकी के लिए किया जाता है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अखिल भारतीय औसत ग्रामीण एवं शहरी प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रुपए)

2004-05 (एनएसएस 61वीं पारी)		2011-12 (एनएसएस 61वीं पारी)		वृद्धि (प्रतिशत)	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
558.78	1052.36	1278.94	2399.24	128.8	127.9

विवरण

2002-03 के दौरान मुख्य राज्यों में स्रोत के आधार पर प्रति कृषक घर की औसत मासिक आय (रुपए)

राज्य	खेती	मजदूरी	पशुपालन	गैर-फार्म व्यवसाय	कुल
आंध्र प्रदेश	743	643	93	155	1634
असम	1792	973	141	255	3161
बिहार	846	497	265	202	1810
छत्तीसगढ़	811	709	-3	101	1618
गुजरात	1164	925	455	140	2684
हरियाणा	1494	1268	-236	356	2882
जम्मू और कश्मीर	2426	2060	382	620	5488
झारखंड	852	924	86	207	2069
कर्नाटक	1266	1051	131	168	2616
केरल	1120	2013	154	717	4004
मध्य प्रदेश	996	560	-227	101	1430
महाराष्ट्र	1263	799	144	257	2463
ओडिशा	336	573	16	137	1062
पंजाब	2822	1462	236	440	4960
राजस्थान	359	931	5	203	498
तमिलनाडु	659	1105	110	198	2072
उत्तर प्रदेश	836	559	53	185	1633
पश्चिम बंगाल	737	887	77	378	2079
अखिल भारत	969	819	91	236	2115

सीआरपीएफ की तैनाती

833. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कठिन क्षेत्रों में तैनात एवं उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयों में लगे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों को विशेष भत्ते दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीआरपीएफ की आगामी कार्रवाइयों में आधुनिक युद्धक प्रौद्योगिकी अंगीकार करने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कमांडेंट के रैंक तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के युद्ध का सामना करने वाले कम्बेराइज्ड कार्मिकों को कठिन क्षेत्रों में तैनाती के उनके क्षेत्र के आधार पर जोखिम/कठिनाई भत्ता देना अनुमोदित किया है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम भत्तों में विद्रोह रोधी कार्रवाई (सीआई ऑप्स) फील्ड एरिया भत्ता शामिल है और विद्रोह रोधी कार्रवाई (सीआई ऑप्स) संशोधित फील्ड एरिया भत्ता निम्नानुसार है:—

(रुपए प्रति माह)

पद	एमएफएए में विद्रोह-रोधी (कार्रवाई)*	एफएए में विद्रोह-रोधी (कार्रवाई)**
1	2	3
कांस्टेबल	3750	2875
हेड कांस्टेबल	4500	3450
एएसआई	6750	5200
एसआई	6750	5200
निरीक्षक	6750	5200
सहायक कमांडेंट	7875	6050
डिप्टी कमांडेंट	9000	6925
2 आईसी/कमांडेंट	9750	7500

*विद्रोह-रोधी (कार्रवाई) संशोधित फील्ड एरिया भत्ता।

**विद्रोह-रोधी (कार्रवाई) फील्ड एरिया भत्ता।

इसके अलावा, सेना द्वारा परिभाषित क्षेत्रों/समकक्ष स्थानों में तैनात सीआरपीएफ सहित सीएपीएफ के कार्मिकों को सेना के बराबर फील्ड एरिया भत्ता अथवा विद्रोह-रोधी कार्रवाई (सीआई ऑप्स) भत्ता दिया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने 2619.16 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सीआरपीएफ के लिए पंचवर्षीय सापेक्ष आधुनिकीकरण योजना-II (वर्ष 2012-2017) को अनुमोदित किया है जिसे गृह मंत्रालय के दिनांक 20.06.2013 के आदेश द्वारा सीआरपीएफ को आबंटित किया गया है। विभिन्न मदों में अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिक हथियार और गोला-बारूद, संचार उपकरण, नाइट विजन उपकरण, निगरानी संबंधी उपकरण, विशेष उद्देश्य वाहन आदि शामिल हैं।

एनसीसीएफ को गेहूं का आवंटन

834. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गयी है तथा एनसीसीएफ द्वारा इसके निपटान के तरीके एवं मूल्य क्या हैं;

(ख) उक्त गेहूं को प्रति क्विंटल आटे में बदलने के लिए एनसीसीएफ द्वारा प्रति क्विंटल कितना पिसाई शुल्क दिया गया है;

(ग) क्या एनसीसीएफ ने गेहूं को आटे में बदलने के लिए कोई निविदा आमंत्रित की एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान ओएमएसएस (घरेलू) के अंतर्गत प्राप्त गेहूं की बिक्री पर एनसीसीएफ द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) (घरेलू) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को आबंटित गेहूं की कुल मात्रा क्रमश: 20,000 टन तथा 30,000 टन थी। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान आबंटन क्रमश: 1170/-रुपए क्विंटल तथा 1527/- रुपए प्रति क्विंटल के गोदाम-द्वारा मूल्य पर किया गया था।

(ख) वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उक्त गेहूं को आटे में बदलने के लिए भुगतान किया गया पिसाई प्रभार क्रमश: 173 रुपए प्रति क्विंटल तथा 193 रुपए प्रति क्विंटल था।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने "राष्ट्रीय सहारा" में निविदा सूचनाएं प्रकाशित करके निविदाएं आमंत्रित की थीं। इसके अलावा निविदा सूचना राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के सूचना पटल पर लगाई गई थी तथा वेबसाईट पर भी दर्शाई गई थी। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने गेहूं को आटे में बदलने के लिए लगभग 40 से 50 मिल-मालिकों से भी पत्रों के माध्यम से सम्पर्क किया था।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं की बिक्री से वर्ष 2011-12 में 29.63 लाख रुपए तथा वर्ष 2012-13 में 0. 42 लाख रुपए का सकल लाभ अर्जित किया था।

चीनी का आयात

835. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कच्ची चीनी सहित चीनी का आयात या निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी चीनी के आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आयात के कारण घरेलू बाजार में चीनी की कीमत में भारी कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीनी उद्योग एवं गन्ना किसानों पर ऐसी चीनी आयात के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) चालू चीनी मौसम के दौरान केंद्रीय सरकार के पास अपने खाते में से चीनी के आयात अथवा निर्यात करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, आयातक-निर्यातक चीनी मिलें/व्यापारी अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार कच्ची चीनी सहित चीनी का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि सीमा शुल्क का भुगतान किया गया हो जोकि वर्तमान में 15 प्रतिशत है। सीमा शुल्क की वर्तमान दरों और अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्यों पर खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी की पर्याप्त प्रमात्रा का आयात किए जाने की संभावना नहीं है। जहां तक निर्यात का संबंध है वह निर्बाध है बशर्ते कि विदेश व्यापार महा निदेशालय के पास प्रमात्रा का पूर्व पंजीकरण कराया गया हो।

(ग) से (ङ) घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य विभिन्न कारकों जैसे आपूर्ति, मांग, अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य, वैश्विक चीनी स्थिति और बाजार रूझानों आदि पर निर्भर करते हैं। इसलिए घरेलू बाजार में इसके मूल्यों में ह्रास के लिए केवल एक घटक के प्रभाव को दर्शाना संभव नहीं है। चीनी के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने 8.7.2013 से चीनी के आयात पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

आवश्यक वस्तुओं की भंडारण सीमा

836. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न, दालों एवं तिलहनों जैसे आवश्यक कृषि उत्पादों पर लगाई भंडारण सीमा बढ़ा दी है तथा इसकी आवाजाही पर सीमा हटा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं क्रियान्वयन स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं अर्थात् दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों पर लगी स्टॉक होल्डिंग सीमाओं को दिनांक 27.09.2013 के केन्द्रीय आदेश के तहत दिनांक 30.09.2014 तक, धान और चावल के संबंध में दिनांक 29.11.2013 के केन्द्रीय आदेश के तहत 30.11.2014 तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक इन आदेशों का संबंध है, इन वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

वर्ष 2010-2013 के दौरान कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2010-2013 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्यान्वयन की स्थिति (स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से इतर अपराधों के संबंध में)

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या				व्यक्तियों की संख्या गिरफ्तार किए गए			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10253	14901	14096	8668	शून्य	32	12	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	69				शून्य			
3.	असम	332	269	1122	619	29	4	1	शून्य
4.	बिहार	65	38	98	61	24	16	36	4
5.	छत्तीसगढ़	211		186		1		0	
6.	दिल्ली	66	38	शून्य		15	14	शून्य	
7.	गोवा	82	शून्य	55	75	शून्य	शून्य	4	शून्य
8.	गुजरात	30296	31463	21408	13558	139	137	67	70
9.	हरियाणा	167	120	49	11	49	162	56	11
10.	हिमाचल प्रदेश	22353	1723	7663	20991	शून्य	1	2	2
11.	जम्मू और कश्मीर								
12.	झारखंड								
13.	कर्नाटक	2016	1506	784	252	138	186	69	32
14.	केरल	26603	32472	17357	15957	33	11	1	0
15.	मध्य प्रदेश								
16.	महाराष्ट्र	1820	3953	1515	784	2717	3275	2234	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	9	10	9	3	5	10	8	8
18.	मेघालय	64	38	130	103	7	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिज़ोरम	84	306			शून्य	शून्य		
20.	नागालैंड	2	शून्य	शून्य	शून्य	26	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	60155	61287	43420	18143	6	6	2	—
22.	पंजाब	213	515	120	284	21	5	1	3
23.	राजस्थान		34				4		
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	18894		3286	7324	6995		1030	3671
26.	त्रिपुरा	245	203	205	81	7	3	2	शून्य
27.	उत्तराखंड								
28.	उत्तर प्रदेश	29723	30208	25524	26407	558	488	273	229
29.	पश्चिम बंगाल	222	188	451	375	100	102	226	133
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	193	256	95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	10	14	2		9	12	8	
32.	दादरा और नगर हवेली	1	13			1	9		
33.	दमन और दीव	शून्य				शून्य			
34.	लक्षद्वीप	शून्य				शून्य			
35.	पुदुचेरी	635	1230	715	415	26	21	70	9
	कुल	204783	180785	138290	114111	10906	4498	4102	5341

—जारी

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या								जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपए में)			
		अभियोजित				दोषसिद्ध							
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	21	0	0	शून्य	0	1	0	144.96	614.51	394.31	11.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
3.	असम	20	31	2	शून्य	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	71.25	30.07	0.50
4.	बिहार	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	86.20	17.74
5.	छत्तीसगढ़	18	—	23	—	14	—	5	—	757.58	—	102.96	—
6.	दिल्ली	28	5	शून्य	—	4	1	शून्य	—	शून्य	0.13	शून्य	—
7.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
8.	गुजरात	88	81	36	34	17	—	—	—	428.99	315.93	216.52	156.61
9.	हरियाणा	5	41	13	1	शून्य	—	—	—	361.62	26.73	37.07	3.47
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—	शून्य	—	365	898	11.62	0.60	20.14	6.75
11.	जम्मू और कश्मीर												
12.	झारखंड												
13.	कर्नाटक	शून्य	0	0	5	2	0	0	0	317.78	40.76	21.22	98.64
14.	केरल	22	6	0	0	3	0	0	0	21.931	4.931	0	1.14
15.	मध्य प्रदेश												
16.	महाराष्ट्र	543	2587	1386	398	शून्य	शून्य	0	0	1139.46	4461.84	20222.19	48254.02
17.	मणिपुर	5	4	5	—	5	4	1	—	0.47	3.64	6.25	0.56
18.	मेघालय	6	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	0.91	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य	—	—	0.11	शून्य	—	—
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.39	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	258	287	147	51	शून्य	—	—	—	5.29	25.438	7	1.48
22.	पंजाब	13	4	1	5	9	2	शून्य	—	1.27	2.05	2.09	0.57
23.	राजस्थान	—	0	—	—	—	0	—	—	—	4.42	—	—
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	1257	—	590	1163	43	—	29	60	708.69	—	184.65	3526.38
26.	त्रिपुरा	7	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7.07	6.56	6.12	1.19
27.	उत्तराखंड												
28.	उत्तर प्रदेश	1211	1264	984	806	शून्य	—	6	8	6262.85	1124.94	1112.71	650.08
29.	पश्चिम बंगाल	20	23	138	12	शून्य	—	—	0	281.41	421.58	229.52	56.65
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	शून्य	1	—	—	शून्य	—	—	—	9.16	5.122	0.08	—
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	35	31.04	—	—
33.	दमन और दीव	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
35.	पुदुचेरी	38	31	97	27	51	23	2	0	4.18	3.3358	12.55	13.23
	कुल	4539	4486	3423	2502	161	30	410	966	10500.74	7164.81	22691.65	53931.01

स्रोत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टें।

महिलाओं एवं बच्चों का दुर्व्यापार

837. **श्री हेमानन्द बिसवाल :**
श्री अजय कुमार :
श्री रवनीत सिंह :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार सहित मानव दुर्व्यापार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान दर्ज ऐसे मामलों की संख्या, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या तथा प्राप्त दोषसिद्ध दर क्या है;

(ग) आज की तिथि तक सक्रिय मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई की संख्या तथा उनके द्वारा राज्य-वार बचाए गए शिकारों की संख्या क्या है;

(घ) क्या मानव दुर्व्यापार से जुड़े अपराध को हाल में भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए जागरुकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार, मानव तस्करी के व्यापक विवरण के तहत आने वाले कानून के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज मामलों की कुल संख्या 2010, 2011 और 2012 की अवधि के दौरान क्रमशः 3422, 3517 और 3554 थी, जो मानव तस्करी की घटनाओं में वृद्धि को दर्शाती है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) गृह मंत्रालय ने 225 मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 8.72 करोड़ रुपए और 8.33 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी। वर्ष 2010-11 में 115 मानव तस्करी-रोधी यूनिटों को कार्यशील बनाया गया है। वर्ष 2011-12 में 80 मानव तस्करी-रोधी यूनिटों को कार्यशील बनाया गया है। जून 2011 से मार्च, 2012 तक की अवधि हेतु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मानव तस्करी-रोधी यूनिटों द्वारा मानव तस्करी के कुल 4956 पीड़ितों को बचाया गया था। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को दंड निधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 में धारा 370 और 370ए के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मानव तस्करी को परिभाषित किया गया है और तस्करों के लिए कठोर सजा का प्रस्ताव किया गया है। दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 गृह मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट अर्थात् mha@nic.in पर उपलब्ध है।

विवरण-I

वर्ष 2010-2012 के दौरान मानव अवैध व्यापार के अंतर्गत कुल अपराध के संबंध में दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), जांच पूर्ण गए मामले (टीसी), दोषसिद्ध मामलों की दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2010							
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	633	506	79	408	19.4	1449	1389	163
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0
3.	असम	103	32	2	7	28.6	127	49	4
4.	बिहार	184	95	11	34	32.4	179	156	14
5.	छत्तीसगढ़	25	23	8	15	53.3	79	80	15
6.	गोवा	17	14	0	1	0.0	50	36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	46	46	2	20	10.0	157	157	4
8.	हरियाणा	57	57	28	75	37.3	226	233	94
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	0	0	—	13	14	0
10.	जम्मू और कश्मीर	4	0	0	0	—	0	0	0
11.	झारखंड	46	38	5	55	9.1	63	70	12
12.	कर्नाटक	263	258	264	322	82.0	954	1034	359
13.	केरल	315	341	217	253	85.8	586	643	274
14.	मध्य प्रदेश	44	37	15	25	60.0	144	137	15
15.	महाराष्ट्र	360	376	78	231	33.8	1096	1124	176
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0
17.	मेघालय	3	1	0	1	0.0	12	4	0
18.	मिज़ोरम	0	1	1	1	100.0	0	1	1
19.	नागालैंड	2	3	4	4	100.0	15	12	1
20.	ओडिशा	34	31	4	22	18.2	110	149	7
21.	पंजाब	60	56	15	42	35.7	291	257	68
22.	राजस्थान	96	93	16	25	64.0	312	315	31
23.	सिक्किम	3	1	0	0	—	5	1	0
24.	तमिलनाडु	580	576	316	556	56.8	921	931	669
25.	त्रिपुरा	33	17	0	17	0.0	19	18	0
26.	उत्तर प्रदेश	23	21	28	36	77.8	119	97	201
27.	उत्तराखंड	4	4	11	19	57.9	27	27	29
28.	पश्चिम बंगाल	427	216	15	62	24.2	634	361	46
	कुल राज्य	3366	2847	1119	2231	50.2	7588	7295	2183
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	1	0	0	—	15	1	0
30.	चंडीगढ़	3	5	0	5	0.0	13	18	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	—	8	8	0
32.	दमन और दीव	6	5	0	1	0.0	42	35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दिल्ली संघ शासित	32	39	32	43	74.4	100	105	84
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0
35.	पुदुचेरी	11	11	8	8	100.0	37	37	25
	कुल संघ शासित	56	62	40	57	70.2	215	204	109
	कुल अखिल भारत	3422	2909	1159	2288	50.7	7803	7499	2292

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2011							
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	605	542	138	501	27.5	1368	1284	351
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	—	0	0	0
3.	असम	165	68	1	16	6.3	199	81	1
4.	बिहार	218	313	22	132	16.7	498	553	30
5.	छत्तीसगढ़	33	33	2	10	20.0	85	91	9
6.	गोवा	18	15	3	4	75.0	43	31	3
7.	गुजरात	50	51	3	18	16.7	209	221	11
8.	हरियाणा	61	57	7	79	8.9	256	249	37
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2	2	9	22.2	4	4	13
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	1	0.0	8	7	0
11.	झारखंड	43	30	7	30	23.3	41	81	8
12.	कर्नाटक	372	346	120	255	47.1	1397	1361	364
13.	केरल	206	212	124	188	66.0	315	337	207
14.	मध्य प्रदेश	94	87	22	47	46.8	418	420	87
15.	महाराष्ट्र	432	345	42	102	41.2	1494	1703	65

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	मणिपुर	0	0	0	0	—	0	0	0
17.	मेघालय	5	1	0	2	0.0	17	2	0
18.	मिज़ोरम	8	3	1	1	100.0	5	5	3
19.	नागालैंड	2	2	2	2	100.0	6	6	16
20.	ओडिशा	35	26	0	23	0.0	80	70	0
21.	पंजाब	50	54	17	47	36.2	214	195	44
22.	राजस्थान	102	89	56	80	70.0	358	343	163
23.	सिक्किम	1	1	0	1	0.0	7	4	0
24.	तमिलनाडु	420	470	315	583	54.0	878	802	475
25.	त्रिपुरा	7	27	4	23	17.4	31	29	19
26.	उत्तर प्रदेश	48	44	32	44	72.7	275	274	173
27.	उत्तराखंड	3	3	3	3	100.0	14	14	8
28.	पश्चिम बंगाल	481	220	32	79	40.5	565	384	48
	कुल राज्य	3465	3044	955	2280	41.9	8785	8551	2145
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	0	0	—	14	0	0
30.	चंडीगढ़	1	0	0	2	0.0	5	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	—	0	0	0
32.	दमन और दीव	6	4	0	0	—	47	28	0
33.	दिल्ली संघ शासित	38	40	25	35	69.4	132	87	62
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	3	2	2	100.0	17	17	13
	कुल संघ शासित	52	47	27	40	67.5	215	132	75
	कुल अखिल भारत	3517	3091	982	2320	42.3	9000	8683	2220

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2012							
		सीआर	सीएस	सीवी	टीसी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	आंध्र प्रदेश	506	533	221	694	31.8	1399	1431	308
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	—	1	0	0
3.	असम	154	114	1	27	3.7	175	129	1
4.	बिहार	99	61	20	165	12.1	176	117	25
5.	छत्तीसगढ़	18	21	20	33	60.6	40	41	10
6.	गोवा	40	9	2	4	50.0	100	26	3
7.	गुजरात	63	43	2	10	20.0	150	120	3
8.	हरियाणा	69	69	20	113	17.7	303	290	77
9.	हिमाचल प्रदेश	9	7	0	4	0.0	22	17	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3	4	0	4	0.0	13	13	0
11.	झारखंड	43	40	2	33	6.1	51	42	8
12.	कर्नाटक	412	290	100	296	33.8	1258	1188	241
13.	केरल	220	228	105	193	54.4	335	355	146
14.	मध्य प्रदेश	45	49	10	40	25.0	112	117	43
15.	महाराष्ट्र	403	354	20	65	30.8	1700	1406	44
16.	मणिपुर	32	0	0	0	—	0	0	0
17.	मेघालय	7	2	0	0	—	20	2	0
18.	मिज़ोरम	1	0	2	2	100.0	0	0	2
19.	नागालैंड	4	4	2	2	100.0	26	28	24
20.	ओडिशा	29	29	1	18	5.6	93	87	3
21.	पंजाब	86	68	11	47	23.4	402	311	58
22.	राजस्थान	120	110	20	39	51.3	371	378	47
23.	सिक्किम	0	2	4	6	66.7	0	5	8
24.	तमिलनाडु	528	333	153	238	64.3	968	720	332
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	—	0	0	0

1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
26.	उत्तर प्रदेश	51	47	13	17	76.5	221	206	74
27.	उत्तराखंड	19	12	3	3	100.0	65	48	15
28.	पश्चिम बंगाल	549	391	20	87	23.0	743	613	46
	कुल राज्य	3511	2820	752	2140	35.1	8744	7690	1518
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	6	0	0	—	16	27	0
30.	चंडीगढ़	0	1	0	4	0.0	0	5	0
31.	दादरा और नगर हवेली	2	3	0	0	—	12	12	0
32.	दमन और दीव	3	5	0	1	0.0	24	29	0
33.	दिल्ली संघ शासित	32	25	32	45	71.1	100	88	86
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	—	0	0	0
35.	पुदुचेरी	4	0	2	2	100.0	21	0	7
	कुल संघ शासित	43	40	34	52	65.4	183	161	93
	कुल अखिल भारत	3554	2860	786	2192	35.9	8927	7851	1611

स्रोत: भारत में अपराध।

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*(अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 +विदेशों से लड़कियों का आयात + नाबालिग लड़कियों की उत्पत्ति + वैश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद+वैश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की बिक्री शीर्ष शामिल हैं)

नोट: दोषसिद्धि दर को कुल मामलों में से दोषसिद्ध मामलों की प्रतिशतता द्वारा परिभाषित किया जाता है जिनकी जांच पूरी कर ली गई है।

विवरण-II

जून, 2011 से मार्च, 2012 तक बचाए गए मानव तस्करी के पीड़ितों के ब्यौरे

राज्य	बचाए गए पीड़ितों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	143
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं
असम	285
बिहार	67
छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं
गोवा	54
गुजरात	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	265
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू और कश्मीर	22

1	2
झारखंड	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	360
केरल	461
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	988
मणिपुर	9
मेघालय	उपलब्ध नहीं
मिज़ोरम	10
नागालैंड	7
ओडिशा	73
पंजाब	उपलब्ध नहीं
राजस्थान	460
सिक्किम	44
तमिलनाडु	1152
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	172
उत्तराखंड	17
पश्चिम बंगाल	226
कुल (राज्य)	4828
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं
चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं
दादरा और नगर हवेली	उपलब्ध नहीं
दमन और दीव	उपलब्ध नहीं
दिल्ली	126
लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं
पुदुचेरी	2
कुल (संघ शासित राज्य)	128
कुल (अखिल भारत)	4956

[हिन्दी]

पीडीएस वस्तुओं का विपथन

838. श्री इज्यराज सिंह :
श्री अजय कुमार :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की वस्तुओं के विपथन/काला बाजारी की घटनाएं होने की खबरें कुछ राज्यों से मिली हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार द्वारा राज्य-वार क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य क्षेत्रों में पीडीएस ट्रकों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगाने की पायलट स्कीम को विस्तारित करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की समुचित सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए गरीबों में जागरुकता उत्पन्न करने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय करने, पीडीएस को सशक्त/सुचारू करने के लिए कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) देश के कुछ राज्यों/क्षेत्रों में चोरी, अन्यत्र हस्तांतरण आदि सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर टीपीडीएस के कार्यान्वयन संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेवारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की होती हैं। अत: सरकार को जब कभी व्यक्तियों और संस्थाओं तथा प्रेस रिपोर्टों

के जरिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने एवं उपलब्धता और वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जिसमें टीपीडीएस के सुचारू रूप से प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सभी अपेक्षित कार्रवाई करना अधिदेशित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में खंड 8 और 9 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त आदेश के खंड 8 और 9 के अधीन की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारक तथा आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मारे गए छापों, जब्त की गई वस्तुओं के मूल्य और नियमों के उल्लंघन हेतु हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने भी कालाबाजारी निवारक तथा आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने और हिरासत में लेने की सूचना दी है। पिछले तीन वर्षों (2010 से 2012) और चालू वर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित कुल संख्या निम्नानुसार है:—

(30.11.2011 तक)

राज्य का नाम	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
गुजरात	79	67	41	27
तमिलनाडु	120	198	187	168
ओडिशा	02	—	—	—
महाराष्ट्र	02	05	03	01
आंध्र प्रदेश	01	—	—	—
छत्तीसगढ़	01	—	—	—
कुल	205	270	231	196

(ख) जी, नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सेट की स्थापना की पायलट योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से परामर्श जारी करती है और सम्मेलनों का आयोजन करती है जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना की सूची की निरंतर समीक्षा करने, आवंटित खाद्यान्नों के उठान में सुधार करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद्यान्नों की उचित दर दुकानों के द्वार पर सुपुर्दगी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने, विभिन्न स्तरों पर निगरानी और सतर्कता में सुधार करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों के अनुप्रयोग करने, एफपीएस प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार आदि हेतु अनुरोध किया जाता है।

विवरण-I

2010 से 2013 तक (30 नवंबर, 2013 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में विभाग में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	1	—	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	—	—
3.	असम	1	1	1	—
4.	बिहार	13	6	14	30

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	5	1	1	3
6.	दिल्ली	37	16	22	35
7.	गोवा	1	—	—	—
8.	गुजरात	3	2	3	3
9.	हरियाणा	24	7	5	11
10.	हिमाचल प्रदेश	—	4	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	3	—	3	—
12.	झारखंड	5	3	4	8
13.	कर्नाटक	2	1	2	6
14.	केरल	3	1	4	—
15.	मध्य प्रदेश	13	9	6	17
16.	महाराष्ट्र	5	8	9	19
17.	मणिपुर	—	1	1	2
18.	मेघालय	—	1	—	1
19.	मिजोरम	—	—	1	—
20.	नागालैंड	1	—	—	—
21.	ओडिशा	3	2	3	3
22.	पंजाब	2	—	5	6
23.	राजस्थान	6	6	3	18
24.	सिक्किम	2	—	—	1
25.	तमिलनाडु	2	3	4	8
26.	उत्तराखंड	1	1	5	2
27.	उत्तर प्रदेश	33	68	72	86
28.	पश्चिम बंगाल	2	—	2	6
29.	चंडीगढ़	2	—	—	—
30.	पुदुचेरी	—	—	1	—
	कुल	174	144	171	268

विवरण-II

जनवरी, 2010 से सितंबर, 2013 तक पीडीएस (नियंत्रण), आदेश 2001 के खंड 8 एवं 9 के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की गई कारवाई के परिणाम संबंधी विवरण

(30.09.2013 को समेकित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार/अभियोजित/ सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या	उचित दर दुकानों के निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंस/जारी किए कारण बताओ नोटिस/ दायर एफआईआर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2010	111	00	00	07
		2011	21	151	0	01
		2012	0	12	0	00
		2013	*	*	*	*
3.	असम	2010	2363	349	05	89
		2011	3361	1454	200	129
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
4.	बिहार	2010	64332	81	31	7721
		2011	70927	51	49	8926
		2012	73629	101	38	10358
		2013	32698	61	4	3984
5.	छत्तीसगढ़	2010	31123	694	20	547
		2011	27503	285	07	215
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
6.	दिल्ली	2010	65	57	24	08
		2011	110	26	09	78
		2012	29	00	00	28
		2013	*	*	*	*
7.	गोवा	2010	366	00	00	10
		2011	344	00	00	51
		2012	334	00	00	23
		2013	205	00	00	23
8.	गुजरात	2010	15508	00	143	338
		2011	20005	00	139	316
		2012	15637	00	45	209
		2013	7340	00	44	128

1	2	3	4	5	6	7
9.	हरियाणा	2010	5972	388	32	2160
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
10.	हिमाचल प्रदेश	2010	24009	00	01	2458
		2011	35933	00	08	00
		2012	31109	00	02	00
		2013	12293	00	02	00
11.	जम्मू और कश्मीर	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
12.	झारखंड	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
13.	कर्नाटक	2010	67671	23687	175	347
		2011	78030	1334	157	162
		2012	64484	784	69	59
		2013	38224	196	26	47
14.	केरल	2010	73985	21164	49	151
		2011	43568	4102	06	54
		2012	110840	6760	02	127
		2013	22281	2220	00	28
15.	मध्य प्रदेश	2010	118150	18383	60	1524
		2011	118126	57691	00	4884
		2012	97846	16910	19	2323
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
16.	महाराष्ट्र	2010	*	*	*	*
		2011	45446	5054	116	907
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
17.	मणिपुर	2010	101	00	00	00
		2011	44	00	00	00
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
18.	मेघालय	2010	897	65	07	69
		2011	1288	39	00	18
		2012	324	07	00	02
		2013	*	*	*	*
19.	मिजोरम	2010	353	246	00	24
		2011	366	340	02	10
		2012	338	223	00	03
		2013	142	64	00	00
20.	नागालैंड	2010	197	08	00	00
		2011	299	14	00	00
		2012	69	03	00	01
		2013	*	*	*	*
21.	ओडिशा	2010	00	56341	245	1643
		2011	00	73523	368	2722
		2012	00	31197	131	1229
		2013	00	17083	54	717
22.	पंजाब	2010	29157	5864	08	1335
		2011	36462	8844	08	1304
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
23.	राजस्थान	2010	00	359	214	00
		2011	00	489	283	00
		2012	00	194	227	00
		2013	*	*	*	*
24.	सिक्किम	2010	87	00	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
25.	तमिलनाडु	2010	239993	27485	3981	00
		2011	234103	13779	1290	00
		2012	184677	10290	2340	00
		2013	64451	3084	686	00
26.	त्रिपुरा	2010	12379	419	12	760
		2011	7027	186	42	590
		2012	10676	392	00	780
		2013	2292	41	00	72
27.	उत्तराखंड	2010	10853	5419	45	181
		2011	8513	4258	27	159
		2012	2953	1477	7	16
		2013	3298	1651	03	24
28.	उत्तर प्रदेश	2010	194259	40124	2375	10619
		2011	44152	11693	653	3523
		2012	76458	19226	976	5302
		2013	*	*	*	*
29.	पश्चिम बंगाल	2010	17257	415	05	894
		2011	19378	405	58	1154
		2012	15436	452	01	1213
		2013	8894	247	00	679

1	2	3	4	5	6	7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2010	263	00	00	15
		2011	90	00	03	09
		2012	316	00	00	17
		2013	*	*	*	*
31.	चंडीगढ़	2010	*	*	*	*
		2011	14	03	03	00
		2012	00	00	00	00
		2013	*	*	*	*
32.	दादरा और नगर हवेली	2010	43	00	00	04
		2011	72	40	08	03
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
33.	दमन और दीव	2010	18	00	00	19
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
34.	लक्षद्वीप	2010	02	02	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	00	00	00	00
		2013	*	*	*	*
35.	पुदुचेरी	2010	646	337	09	03
		2011	496	615	22	01
		2012	385	770	161	00
		2013	*	*	*	*
	जोड़	2010	910160	201887	7441	30926
		2011	795678	184376	3458	25216
		2012	685540	88798	4018	21690
		2013	192118	24647	819	5702
	जोड़ = 2010 + 2011 + 2012 + 2013		2583496	499708	15736	83534

*सूचना नहीं दी गई है।

विवरण-III

वर्ष 2010-2013 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्यान्वयन की स्थिति (स्टॉक नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन की तुलना में अपराधों से संबंधित)

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या				व्यक्तियों की संख्या गिरफ्तार किए गए			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10253	14901	14096	8668	शून्य	32	12	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	69				शून्य			
3.	असम	332	269	1122	619	29	4	1	शून्य
4.	बिहार	65	38	98	61	24	16	36	4
5.	छत्तीसगढ़	211		186		1		0	
6.	दिल्ली	66	38	शून्य		15	14	शून्य	
7.	गोवा	82	शून्य	55	75	शून्य	शून्य	4	शून्य
8.	गुजरात	30296	31463	21408	13558	139	137	67	70
9.	हरियाणा	167	120	49	11	49	162	56	11
10.	हिमाचल प्रदेश	22353	1723	7663	20991	शून्य	1	2	2
11.	जम्मू और कश्मीर								
12.	झारखंड								
13.	कर्नाटक	2016	1506	784	252	138	186	69	32
14.	केरल	26603	32472	17357	15957	33	11	1	0
15.	मध्य प्रदेश								
16.	महाराष्ट्र	1820	3953	1515	784	2717	3275	2234	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	9	10	9	3	5	10	8	8
18.	मेघालय	64	38	130	103	7	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मिज़ोरम	84	306			शून्य	शून्य		
20.	नागालैंड	2	शून्य	शून्य	शून्य	26	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	60155	61287	43420	18143	6	6	2	—
22.	पंजाब	213	515	120	284	21	5	1	3
23.	राजस्थान		34				4		
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	18894		3286	7324	6995		1030	3671
26.	त्रिपुरा	245	203	205	81	7	3	2	शून्य
27.	उत्तराखंड								
28.	उत्तर प्रदेश	29723	30208	25524	26407	558	488	273	229
29.	पश्चिम बंगाल	222	188	451	375	100	102	226	133
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	193	256	95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	10	14	2		9	12	8	
32.	दादरा और नगर हवेली	1	13			1	9		
33.	दमन और दीव	शून्य				शून्य			
34.	लक्षद्वीप	शून्य				शून्य			
35.	पुदुचेरी	635	1230	715	415	26	21	70	9
	कुल	204783	180785	138290	114111	10906	4498	4102	5341

—जारी

दिनांक 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या अभियोजित				दोषसिद्ध				जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपए में)			
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	21	0	0	शून्य	0	1	0	144.96	614.51	394.31	11.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
3.	असम	20	31	2	शून्य	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	71.25	30.07	0.50
4.	बिहार	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	86.20	17.74
5.	छत्तीसगढ़	18	—	23	—	14	—	5	—	757.58	—	102.96	—
6.	दिल्ली	28	5	शून्य	—	4	1	शून्य	—	शून्य	0.13	शून्य	—
7.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
8.	गुजरात	88	81	36	34	17	—	—	—	428.99	315.93	216.52	156.61
9.	हरियाणा	5	41	13	1	शून्य	—	—	—	361.62	26.73	37.07	3.47
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	—	—	—	शून्य	—	365	898	11.62	0.60	20.14	6.75
11.	जम्मू और कश्मीर												
12.	झारखंड												
13.	कर्नाटक	शून्य	0	0	5	2	0	0	0	317.78	40.76	21.22	98.64
14.	केरल	22	6	0	0	3	0	0	0	21.931	4.931	0	1.14
15.	मध्य प्रदेश												
16.	महाराष्ट्र	543	2587	1386	398	शून्य	शून्य	0	0	1139.46	4461.84	20222.19	48254.02
17.	मणिपुर	5	4	5	—	5	4	1	—	0.47	3.64	6.25	0.56
18.	मेघालय	6	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	0.91	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	—	—	शून्य	शून्य	—	—	0.11	शून्य	—	—
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.39	शून्य	शून्य	शून्य
21.	ओडिशा	258	287	147	51	शून्य	—	—	—	5.29	25.438	7	1.48
22.	पंजाब	13	4	1	5	9	2	शून्य	—	1.27	2.05	2.09	0.57
23.	राजस्थान	—	0	—	—	—	0	—	—	—	4.42	—	—
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	तमिलनाडु	1257	—	590	1163	43	—	29	60	708.69	—	184.65	3526.38
26.	त्रिपुरा	7	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7.07	6.56	6.12	1.19
27.	उत्तराखंड												
28.	उत्तर प्रदेश	1211	1264	984	806	शून्य	—	6	8	6262.85	1124.94	1112.71	650.08
29.	पश्चिम बंगाल	20	23	138	12	शून्य	—	—	0	281.41	421.58	229.52	56.65
30.	अंडमान और द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	चंडीगढ़	शून्य	1	—	—	शून्य	—	—	—	9.16	5.122	0.08	—
32.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	35	31.04	—	—
33.	दमन और दीव	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
34.	लक्षद्वीप	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—	शून्य	—	—	—
35.	पुदुचेरी	38	31	97	27	51	23	2	0	4.18	3.3358	12.55	13.23
	कुल	4539	4486	3423	2502	161	30	410	966	10500.74	7164.81	22691.65	53931.01

स्रोत: राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त सूचनाएं।

मूल्य वृद्धि

839. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री रमेन डेका :
श्री जोस के. मणि :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री के. नारायण राव :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री अर्जुन राय :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री शिवराम गौडा :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन माह के दौरान सब्जियों, खाद्यान्नों, खाद्य तेल, दालों आदि सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिससे थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है तथा गरीबों को दिक्कतें एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं तथा मूल्य वृद्धि को थामने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बढ़ती कीमतों के कारणों के बारे में कोई अध्ययन/विश्लेषण कराया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं एवं उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा बढ़ती कीमतों की मुश्किल को थामने के मद्देनजर उत्पादन लागत एवं खुदरा मूल्यों के बीच अंतराल दूर करने के लिए भी क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुए प्रतिशत परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:—

वस्तु/मद समूह	अगस्त-13	सितंबर-13	अक्तूबर-13
भोज्य पदार्थ	19.17%	18.40%	18.19%
अनाज	15.57%	13.05%	12.00%
दालें	-14.70%	13.42%	-11.19%
सब्जियां	80.96%	89.37%	78.38%
चीनी	-4.75%	-7.49%	-8.50%
खाद्य तेल	-2.86%	-2.58%	-0.74%

स्रोतः डब्ल्यूपीआई-डीआईपीपी।

आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी, परिवहन लागत में वृद्धि, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां और आय और जीवन स्तर में सुधार के परिणामस्वरूप आहार संबंधी आदतों में परिवर्तनों आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण होती है।

सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने और उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विविध उपाय किए हैं, जैसे कि आम खपत वाली वस्तुओं को शून्य अथवा रियायती शुल्क पर आयात की अनुमति देने के साथ-साथ उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उनकी स्टॉक धारण सीमाएं निर्धारित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना।

(ग) सरकार देश भर में 57 रिपोर्टिंग केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक/खुदरा मूल्यों की निरंतर आधार पर निगरानी करती है। प्रभावी मूल्य स्थिति के साथ ही अन्य कारक

जिनका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों में मूल्यों पर पड़ता है, का विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने और उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करना और उसे सुकर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निगरानी तंत्र और सतर्कता में सुधार लाने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता को बढ़ाने, संशोधित मॉडल नागरिक चार्टर को अंगीकृत करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) टूल्स का प्रयोग करने और उचित दर की दुकानों के संचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु निदेश जारी करती है और इन निदेशों की पुनरीक्षा भी करती है।

[अनुवाद]

मानवाधिकार उल्लंघन

840. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री शिवराम गौडा :
श्री बी.वाई. राघवेन्द :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे मामलों की कुल संख्या, गिरफ्तार अभियुक्तों एवं दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई राजस्थान सहित राज्य-वार कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरणा से राज्य-वार कार्रवाई की है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस मामले में राज्यों एवं पुलिस विभागों को क्या सलाह जारी की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वार प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार उनके द्वारा दर्ज मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक वृद्धि का रुझान देखा गया है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 (15.11.2013 तक) के दौरान एनएचआरसी द्वारा दर्ज मानवाधिकार के मामलों और उन पर की गई कार्रवाई के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

आयोग गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखता है।

उपर्युक्त अवधि के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में वित्तीय राहत की सिफारिश किए गए मामलों को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 15.11.2013 तक एनएचआरसी द्वारा स्वयं अपने संज्ञान के आधार पर दर्ज मामलों की संख्या के साथ-साथ उनकी राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और पुलिस ज्यादती की उपयुक्त रूप से रोकथाम करने तथा उसकी पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है। तथापि, मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुशल एवं प्रभावी प्रणाली तैयार करने और अधिक जिम्मेवारी एवं पारदर्शिता लाने के दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार परामर्श जारी करती है और एनएचआरसी भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न मामलों पर दिशा-निर्देश जारी करता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 15.11.2013 तक दर्ज मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-2014		
	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	1	43	44	0	173	173	1	363	364	1	48	49
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	20	20	8	41	49	4	30	64	4	16	20
आंध्र प्रदेश	31	1,241	1,272	94	1,465	1,559	181	1,393	1,574	169	690	859
अरुणाचल प्रदेश	1	28	29	3	28	31	13	26	39	14	13	27
असम	39	285	324	140	245	385	177	296	473	105	147	252
बिहार	13	2,849	2,862	340	2,963	3,303	284	4,468	4,752	448	2,267	2,715
चंडीगढ़	3	129	132	10	202	212	19	219	238	12	81	93
छत्तीसगढ़	16	465	481	96	680	776	148	663	811	194	351	545
दादरा और नगर हवेली	1	24	25	0	14	14	0	18	18	1	8	9
दमन और दीव	0	8	8	0	16	16	1	16	17	2	7	9
दिल्ली	41	5,888	5,929	225	7,640	7,865	594	7,670	8,264	792	3,872	4,664
विदेशी देश	2	200	202	3	363	366	14	287	301	14	147	161
गोवा	1	60	61	3	83	86	6	56	62	5	21	26
गुजरात	25	1,408	1433	66	1042	1,108	149	1,892	2,041	144	828	972
हरियाणा	47	3,275	3,322	160	4,015	4,175	439	9,001	9,440	629	5,311	5,940
हिमाचल प्रदेश	5	159	164	7	173	180	23	277	300	29	112	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	18	206	224	104	267	371	23	388	411	80	216	296
झारखंड	34	1,562	1,596	123	1,688	1,811	171	1,465	1,636	185	825	1,010
कर्नाटक	15	620	635	32	1,287	1,319	72	836	908	61	346	407
केरल	9	650	659	106	457	563	616	331	947	78	281	359
लक्षद्वीप	0	8	8	0	8	8	0	5	5	25	7	32
मध्य प्रदेश	22	2,299	2,321	142	2,558	2,700	268	2,381	2,649	325	1,232	1,557
महाराष्ट्र	42	2,255	2,297	125	2,260	2,385	413	4,075	4,488	274	1,770	2,044
मणिपुर	26	40	66	47	115	162	38	72	110	28	25	53
मेघालय	6	27	33	9	41	50	23	25	48	23	13	36
मिज़ोरम	3	20	23	5	13	18	3	17	20	8	6	14
नागालैंड	1	18	19	1	11	12	4	12	16	2	4	6
ओडिशा	90	1,827	1,917	247	3,133	3,380	409	5,438	5,847	1,009	1,022	2,031
पुदुचेरी	0	49	49	6	70	76	13	64	77	11	21	32
पंजाब	13	1,098	1,111	40	1,231	1,271	150	2,247	2,397	200	1,264	1,464
राजस्थान	31	2,693	27,24	108	2,776	2,884	246	3,053	3,299	413	1,440	1,853
सिक्किम	0	5	5	0	14	14	2	3	5	4	4	8
तमिलनाडु	44	1,410	1,454	110	1,820	1,930	204	3,125	3,329	241	1,024	1,265
त्रिपुरा	3	47	50	20	50	70	10	738	748	19	990	1,009
उत्तर प्रदेश	262	49,578	49,840	834	51,382	52,216	1,981	45,788	47,769	5,608	23,164	28,772
उत्तराखंड	13	1,997	2,010	22	2,000	2,022	105	2,265	2,370	192	1,101	1,293
पश्चिम बंगाल	36	1,220	1,256	134	1,480	1,614	262	1,586	1,848	207	706	913
कुल	894	83,711	84,605	3,370	91,804	95,174	7,066	100,589	107,655	11,556	49,380	60,936

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 15.11.2013 तक एनएचआरसी द्वारा वित्तीय राहत की सिफारिश वाले मामलों (आगे ले जाए जाने वाले मामलों सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या	राशि (रुपए)
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	300,000
आंध्र प्रदेश	82	14,225,000
अरुणाचल प्रदेश	4	775,000
असम	66	30,685,000
बिहार	132	37,313,000
चंडीगढ़	6	1,075,000
छत्तीसगढ़	40	16,080,000
दमन और दीव	1	100,000
दिल्ली	69	11,620,000
गोवा	3	4,235,000
गुजरात	62	84,900,000
हरियाणा	67	21,959,000
हिमाचल प्रदेश	4	750,000
जम्मू और कश्मीर	13	4,525,000
झारखंड	92	21,731,000
कर्नाटक	37	6,650,000
केरल	23	4,280,000
मध्य प्रदेश	67	15,477,000
महाराष्ट्र	96	26,165,000
मणिपुर	19	10,435,000
मेघालय	12	4,800,000
मिजोरम	6	2,150,000
नागालैंड	2	200,000
ओडिशा	31	11,645,000
पुडुचेरी	2	600,000
पंजाब	23	6,100,000
राजस्थान	41	8,200,000
सिक्किम	2	400,000
तमिलनाडु	53	9,447,500
त्रिपुरा	11	3,740,000
उत्तर प्रदेश	630	157,253,000
उत्तराखंड	34	14,565,000
पश्चिम बंगाल	48	12,589,000
कुल	1,779	544,969,500

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 15.11.2013 तक एनएचआरसी द्वारा दर्ज (स्वयं संज्ञान से) मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल	लंबित	निपटाए गए	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अखिल भारत	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1	1	2	0	0	0	3	1	4	1	0	1
असम	0	1	1	60	5	65	1	0	1	2	0	2
बिहार	0	2	2	0	1	1	4	0	4	7	0	7
चंडीगढ़	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
छत्तीसगढ़	2	0	2	3	0	3	2	2	4	3	0	3
दिल्ली	4	10	14	4	3	7	7	5	12	6	0	6
विदेशी देश	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	1	1	2	2	4	0	1	1	1	0	1
हरियाणा	0	1	1	1	3	4	4	2	6	8	1	9
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3
झारखंड	0	1	1	2	1	3	1	0	1	1	0	1
कर्नाटक	0	0	0	0	2	2	1	2	3	3	0	3
केरल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3
मध्य प्रदेश	0	2	2	2	2	4	5	1	6	2	0	2
महाराष्ट्र	0	2	2	0	2	2	8	0	8	3	0	3
मणिपुर	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
मेघालय	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ओडिशा	0	1	1	1	0	1	4	2	6	2	0	2
पंजाब	0	3	3	0	1	1	2	1	3	2	0	2
राजस्थान	0	3	3	1	1	2	0	0	0	2	0	2
तमिलनाडु	0	1	1	0	1	1	6	0	6	2	0	2
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
उत्तर प्रदेश	6	4	10	4	7	11	29	4	33	23	0	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तराखंड	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
पश्चिम बंगाल	0	1	1	1	0	1	3	3	6	1	0	1
कुल	15	39	54	81	35	116	85	25	110	81	1	82

[हिन्दी]

नक्सल गतिविधियां

841. **श्री महाबली सिंह :**
श्री शिवराम गौड़ा :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री सी. शिवासामी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री यशवंत लांगुरी :
श्री अशोक तंवर :
श्री राम सुन्दर दास :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री बाल कुमार पटेल :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री के. सुगुमार :
श्री नरेनभाई काछादिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए नक्सल आक्रमण, ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों तथा गिरफ्तार किए गए/मारे गए नक्सलियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशक के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या वित्तपोषण के संबंध में नक्सलियों की राजनीतिज्ञों और ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ की रिपोर्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के प्रसार के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अवसंरचना की समीक्षा सहित देश में नक्सलवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान माओवादी हमले की घटनाएं, ऐसी घटनाओं में मारे गए सिविलियनों एवं सुरक्षा बल कर्मियों की संख्या और गिरफ्तार किए गए/मारे गए माओवादियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वामपंथी विद्रोह से निपटने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा एवं विकासपरक उपायों की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों के साथ समय-समय बैठकें आयोजित की जाती हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के साथ ऐसी अंतिम बैठक दिनांक 05.06.2013 को आयोजित हुई थी। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की आवधिक समीक्षा भी करती है जिनमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) करते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ ऐसी अंतिम बैठक दिनांक 25.09.2013 को आयोजित की गई थी।

(ग) यह सच है कि वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेष रूप से सीपीआई (माओवादी) बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अपने वर्चस्व वाले इलाकों में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से 'लेवी' की उगाही करते हैं। कमतर मात्रा में ऐसी उगाही करने की सूचनाएं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से भी मिली है।

वामपंथी उग्रवादियों द्वारा जबरन धन उगाही से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत किया जाता है, उनकी जांच-पड़ताल की जाती है तथा इस बारे में अभियोजन चलाया जाता है।

(घ) जी, नहीं। सरकार पहले से ही इस समस्या की व्यापकता से अवगत है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने सुरक्षा, विकास, सुशासन सुनिश्चित करने

तथा जन-अवबोधन प्रबंधन के क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य सरकारें, राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से विशेष रूप से निपटती हैं। केन्द्र सरकार गंभीरता से स्थिति की निगरानी करती है और सुरक्षा एवं विकास दोनों क्षेत्रों पर अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान वामपंथी हिंसा के राज्य-वार ब्यौरे

(01 जनवरी से 28 नवंबर, 2013 तक)

क्र. सं.	राज्य-वार	घटनाएं	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	गिरफ्तार किए गए माओवादी	मारे गए माओवादी
1.	आंध्र प्रदेश	32	9	1	142	1
2.	बिहार	163	41	16	258	0
3.	छत्तीसगढ़	320	63	43	334	36
4.	झारखंड	336	111	30	309	12
5.	मध्य प्रदेश	1	0	0	2	0
6.	महाराष्ट्र	63	12	6	37	26
7.	ओडिशा	76	21	5	106	22
8.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	4	0
9.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	20	0
10.	अन्य	6	0	0	19	0
	कुल	998	257	101	1231	97

बिहार में बम विस्फोट

842. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री रमेश बैस :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री यशवीर सिंह :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री हुक्मदेव नारायण यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी कुछ समय पूर्व पटना और बोधगया में हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है और इनमें घायल हुए तथा मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या सहित जांच की स्थिति क्या है और जिन संगठनों से वे सम्बद्ध हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुफिया एजेंसियों ने ऐसी घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों को सतर्क किया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर सुरक्षा चूक के क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और उक्त विस्फोटों में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों के परिवारजनों को दी गई मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) दिनांक 7 जुलाई, 2013 को बिहार के बोध गया के महाबोधि मंदिर में 10 (दस) शृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी इन विस्फोटों में दो व्यक्ति घायल हो गए।

27 अक्तूबर, 2013 को पटना रेलवे स्टेशन तथा गांधी मैदान, पटना के आस-पास कम तीव्रता वाले 7 (सात) विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में कुल छह लोगों की मृत्यु हो गई तथा लगभग छियासी लोग घायल हुए।

(ख) इन दोनों जगहों पर हुए विस्फोटों की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई है। बोध गया विस्फोटों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि पटना विस्फोटों के संदर्भ में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक हुई प्रारंभिक जांच में, इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के रांची आधारित माड्यूल की भूमिका होने का पता चला है।

(ग) से (ङ) पुणे विस्फोट मामले (1.8.2012) में संलिप्त तथा गिरफ्तार इंडियन मुजाहिद्दिन (आईएम) आतंकवादियों ने बोध गया में मंदिरों को निशाना बनाने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया था। इस इनपुट का आदान-प्रदान अक्तूबर, 2012 में बहु-एजेंसी केन्द्र के माध्यम से संबंधित एजेंसियों के साथ किया गया था। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'कानून और व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते आगे की कार्रवाई संबंधित राज्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जानी है।

कानून एवं व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, इसलिए, इनका समाधान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। तथापि आंतरिक सुरक्षा पर आतंकवाद के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसका मुकाबला करना एक संयुक्त उत्तरदायित्व है। भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या का संवर्धन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में एनएसजी हबों की स्थापना, आकस्मिकता की स्थिति में एनएसजी के कार्मिकों के आने-जाने के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-अभिकरण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन ताकि यह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ सही समय पर आसूचना का मिलान एवं उसका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके, कठोर आप्रवासन नियंत्रण, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्त करके प्रभावी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, अधुनातन एवं उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरणों की तैनाती, आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दंडात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 2008 और वर्ष 2012 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों की जांच करने एवं अभियोजन चलाने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। आतंकवादी खतरों का दमन करने के एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले कतिपय अपराधों को विधेय (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किए जाने हेतु वर्ष 2009 में धन-शोधन निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार, सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं एवं इसके वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों को विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर उठाती रहती है।

विस्फोटों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 5 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

असम में राज्य की मांग

843. श्रीमती विजया चक्रवर्ती :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में एक पृथक राज्य की मांग के कारण बड़े स्तर पर हिंसा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मामले को सुलझाने के लिए कार्बी, दिमासाम और बोडो जैसे नृजातीय समूहों को वार्तालाप प्रक्रिया में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) असम में बड़े स्तर पर हिंसा के संबंध में फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। असम में करबी अंगलोंग जिले में 31 जुलाई से 5 अगस्त 2013 के बीच हिंसा की कुछ घटनाओं की सूचना मिली थी। उनकी मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्र सरकार, असम सरकार और विभिन्न अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

गन्ना उत्पादन

844. **श्री शिवकुमार उदासी :**
डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गन्ना उत्पादन और गन्ना खेती के अंतर्गत क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में इस फसल के उत्पादन और बुवाई क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन गन्ना क्षेत्रों में लवणता का प्रभाव कितना है;

(घ) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान गन्ने का उत्पादन एवं गन्ने की खेती के तहत् क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) उक्त अवधि के दौरान, देश के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में गन्ने के समग्र उत्पादन एवं क्षेत्र में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति हुई है। कर्नाटक में, जबकि क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, राज्य में गन्ने का उत्पादन 2010-11 में 396.57 लाख टन से घटकर 2013-14 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में 346.66 लाख टन हो गया है। प्राकृतिक कारकों यथा मौसम परिस्थितियों, वर्षा की स्थिति आदि के अतिरिक्त, अन्य सक्षम फसलों की लाभप्रदता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर, गन्ने का उत्पादन इस फसल की खेती के लिए किसानों की वरीयता पर भी निर्भर करता है। क्षारीयता गन्ने सहित कृषि फसलों की पैदावार को भी प्रभावित करती है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत् गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त गन्ना किस्मों को विकसित करने हेतु मूल एवं प्रयुक्त अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। उक्त संस्थान उन उच्च पैदावार किस्मों के विकास पर अनुसंधान कार्य भी करते है जो जैविकीय एवं गैर-जैविकीय दबावों की सहिष्णुता के साथ-साथ बेहतर उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।

(ङ) गन्ने सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन में आधुनिक तकनीकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार दो केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है नामतः, (i) प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकीकरण को बढ़ावा एवं सुदृढ़ीकरण और (ii) पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन। उक्त योजनाओं के तहत्, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं उपोत्पाद प्रबंधन के लिए उपयोग पर प्रशिक्षण एवं उपकरणों/मशीनों के रख-रखाव के सहित किसानों खेतों पर राज्य सरकारों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि उत्पादन पद्धति में उन्नत/आधुनिक प्रौद्योगिकी पर अभिज्ञात उपकरणों के प्रापण एवं प्रदर्शन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

गन्ने का क्षेत्र एवं उत्पादन का राज्य-वार अनुमान

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र (000 हैक्टयर)				उत्पादन (000 टन)			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	192.0	204.0	196.0	191.0	14964.0	16686.0	15680.0	14898.0
अरुणाचल प्रदेश	1.5	1.6	#	#	29.0	30.0	#	#
असम	29.7	25.7	28.0	29.0	1075.0	993.5	1036.0	1080.0
बिहार	248.0	218.3	262.8	265.8	12763.6	11288.6	14737.8	15084.9
छत्तीसगढ़	8.3	9.1	13.5	11.2	21.8	24.4	37.3	30.6
गुजरात	190.0	202.0	185.0	180.0	13760	12750.0	13350.0	11700.0
गोवा	0.9	0.9	#	#	49.1	46.6	#	#
हरियाणा	85.0	95.0	101.0	130.0	6042.0	6959.0	7437.0	9490.0
हिमाचल प्रदेश	1.7	2.1	1.7	1.8	38.3	28.3	37.3	25.9
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
झारखंड	6.6	6.6	6.7	7.1	457.3	457.3	462.8	499.1
कर्नाटक	423.0	430.0	425.0	410.0	39657.0	38808.0	35732.0	34666.0
केरल	2.8	2.6	1.7	0.5	271.8	263.0	166.2	51.2
मध्य प्रदेश	65.1	69.2	59.5	77.0	2667.0	2677.0	2516.1	3249.5
महाराष्ट्र	965.0	1022.0	937.0	936.0	81895.7	86733.1	62174.8	72404.0
मणिपुर	5.2	5.8	#	#	301.3	333.0	#	#
मेघालय	0.1	0.1	#	#	0.2	0.2	#	#
मिज़ोरम	1.4	1.4	#	#	7.9	7.5	#	#
नागालैंड	4.3	4.3	#	#	184.9	186.7	#	#
ओडिशा	13.1	14.5	14.5	13.1	902.7	884.7	952.4	818.3
पंजाब	70.0	80.0	83.0	96.0	4170.0	5653.0	4890.0	6720.0
राजस्थान	5.5	6.4	5.5	5.1	367.9	451.3	401.8	342.9
तमिलनाडु	316.0	346.4	382.5	231.7	34251.8	38575.7	35187.5	24791.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	0.9	0.9	#	#	46.5	45.0	#	#
उत्तर प्रदेश	2125.0	2162.0	2212.0	2172.0	120545.0	128819.0	134851.3	135429.0
उत्तराखंड	106.7	108.0	110.0	122.0	6497.6	6311.0	6718.0	7466.0
पश्चिम बंगाल	15.0	16.1	16.1	20.0	1134.1	1681.4	1685.0	2100.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.2	0.2	#	#	2.3	2.5	#	#
दादरा और नगर हवेली		0.7	#	#		53.2	#	#
पुदुचेरी	1.8	1.9	#	#	277.7	287.8	#	#
अन्य	एनए	एनए	22.2	21.7	एनए	एनए	909.8	926.0
अखिल भारत	4884.8	5037.7	5063.7	4920.9	342381.6	361036.6	338963.1	341773.4

*चौथे अग्रिम अनुमान।

**प्रथम अग्रिम अनुमान, #अन्यों में शामिल।

एनए: लागू नहीं।

[हिन्दी]

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

845. **श्री कादिर राणा :**
श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्यों के विकास और सशक्तीकरण के लिए कार्यान्वित की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित प्रत्येक सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजनांतर्गत इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आतंकवादी हमले

846. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :**
श्री पी. करुणाकरन :
शेख सैदुल हक :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में देश में उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आतंकवादी हमलों और मुठभेड़ों की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसी घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें मारे गए और घायल हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त हमलों ओर मुठभेड़ों के दौरान मारे गए और घायल हुए कर्मियों के परिवारजनों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नष्ट किए गए आतंकवादी अड्डों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के अंत: प्रदेश में हुए आतंकवादी हमलों और इन आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या तथा मारे एवं घायल कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिए गए मुआवजे के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) निश्चित आधार पर यह बता पाना कठिन है कि कितने आतंकी सैल पूरी तरह से समाप्त अथवा पर्दाफाश किए गए हैं, फिर भी ऊपर उल्लिखित आतंकवादी हमलों में गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ङ) कानून एवं व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, इसलिए, इनका समाधान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। तथापि आंतरिक सुरक्षा पर आतंकवाद के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसका मुकाबला करना एक संयुक्त उत्तरदायित्व है। भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता प्रदान करती रही है। आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या का संवर्धन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में एनएसजी हबों की स्थापना, आकस्मिकता की स्थिति में एनएसजी के कार्मिकों के आने-जाने के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-अभिकरण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन ताकि यह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ सही समय पर आसूचना का मिलान एवं उसका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके, कठोर आप्रवासन नियंत्रण, सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्त करके प्रभावी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, अधुनातन एवं उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरणों की तैनाती, आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दंडात्मक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 2008 और वर्ष 2012 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों की जांच करने एवं अभियोजन चलाने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। आतंकवादी खतरों का दमन करने के एक कदम के रूप में, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले कतिपय अपराधों को विधेय (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किए जाने हेतु वर्ष 2009 में धन-शोधन निवारण अधिनियम को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार, सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं एवं इसके वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों को विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर उठाती रहती है।

विवरण

क्र. सं.	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	आतंकवादी हमले में मारे गए व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा (लाख रुपए)	गिरफ्तार व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	16.10.2009: साङ्गांव, गोवा में बम धमाका	2	शून्य	शून्य	6
2.	13.02.2010: जर्मन बेकरी, पुणे में बम धमाका	17	64	85.00	1
3.	29.03.2010: मेहरौली, नई दिल्ली में बम धमाका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
4.	17.04.2010: एम.सी. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, बेंगलूरु में बम धमाका	शून्य	20	शून्य	7
5.	19.09.2010 : जामा मस्जिद, दिल्ली के निकट गोलीबारी एवं बम धमाका	शून्य	2 व्यक्ति गोलीबारी में घायल	शून्य	6
6.	07.12.2010 : शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका	2	20	2.00	शून्य
7.	25.05.2011: दिल्ली उच्च न्यायालय के बारह स्थित पार्किंग स्थल में बम धमाका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	13.07.2011: मुंबई में सीरियल बम धमाके	27	127	75.00	5
9.	7.09.2011: दिल्ली उच्च न्यायाल में बम धमाका	15	67	134.00	3
10.	13.02.2012: इज़रायली दूतावास के कार में धमाका	शून्य	4	शून्य	1
11.	01.08.2012: पुणे में सीरियल बम धमाके	शून्य	1	शून्य	8
12	21.02.2013: हैदराबाद में दो बम धमाके	17	123	*	शून्य
13.	17.04.2013: बेंगलूरु में बम धमाका	शून्य	16	शून्य	11
14.	07.07.2013: बोधगया में बम धमाके	शून्य	2	शून्य	शून्य
15.	27.10.2013: पटना में सीरियल बम धमाके	5	83	**	2

*भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मृतक के लिए 2 लाख रुपए तथा घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतक के लिए 6 लाख रुपए तथा घायल व्यक्ति के उपचार पर हुए सभी व्यय को वहन करने के अतिरिक्त 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की अनुग्रह-सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

**विस्फोटों में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 5 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में अनियमितताएं

847. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन' योजना के अंतर्गत देश में निधियों के दुरुपयोग/गबन की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एक ही बैंक खाते में दोहरे भुगतान, गलत भुगतान, मृत्यु पश्चात् पेंशन आहरण और बहु अंतरणों सहित पाए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाले केन्द्रीय सम्मान पेंशन का आहरण करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के आंकड़ों की जांच गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा की गई थी। लेखा परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन के संवितरण में उनके द्वारा पाई गई विसंगतियों के बारे में टिप्पणियां की गई थीं। इस आंकड़े से ई पेंशन भोगियों/पात्र आश्रितों के एक-समान नामों का पता चला था। चूंकि कई मामलों में पूर्ण ब्यौरे जैसे कि पिता/पति का नाम, पता, सही पेंशन भुगतान आदेश संख्या बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, इसलिए उनको सलाह दी गई थी कि वे सत्यापन के बाद आंकड़े का मिलान एवं उनको अद्यतन करें। कुछ बैंकों ने कुछ मामलों में स्वतंत्रता सेनानियों/पात्र आश्रितों को पेंशन के संवितरण में विसंगतियों की सूचना दी है जिनमें पेंशन भोगियों की विधवाओं को आश्रित परिवार पेंशन का संवितरण, जो स्वयं ही केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगी हैं; मृत स्वतंत्रता सेनानी की दोनों विधवाओं को संपूर्ण परिवार पेंशन का संवितरण; केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद भी उनके खातों में पेंशन को जमा करना; और केन्द्रीय सरकार के खाते से राज्य पेंशन का संवितरण शामिल है। संबंधित बैंकों को सलाह दी गई है कि वे इस बारे में जारी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान पेंशन भोगियों के आश्रितों को परिवार पेंशन संवितरित करें और संबंधित पेंशन भोगियों/आश्रितों से उनको किए गए अधिक भुगतान की वसूली करें। केन्द्रीय सरकार के खाते से राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संवितरित करने वाले बैंकों को सलाह दी गई है कि वे शास्ति ब्याज सहित ऐसे भुगतानों को वापस करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी केन्द्रीय सम्मान पेंशन के संवितरण में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने लगभग 76.00 लाख रुपए की वसूली की है और केन्द्र सरकार के खाते में प्रेषित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे क्रमश: बैंकों और राज्य खजानों द्वारा पेंशन के संवितरण की व्यापक लेखापरीक्षा करें।

[हिन्दी]

भेषज इकाइयों का पुनरुद्धार

848. **श्री सुदर्शन भगत :**
श्री एम. आनंदन :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेषज निर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बंद/रुग्ण इकाइयों/संयंत्रों का इकाई/संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वार हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और इंडिया ड्रग्स एंड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) सहित इन इकाइयों/संयंत्रों का पुनरुद्धार करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) एचएएल और आईडीपीएल के खराब निष्पादन और बिल्कुल बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आईडीपीएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों में लगे उपकरणों के आधुनिकीकरण हेतु बेहद कम धनराशि प्रदान कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) आईडीपीएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) औषधि पीएसयूज, जो रुग्ण घोषित कर दिए गए हैं और बंद हो गए हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	स्थिति
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिम्परी पुणे	बीआईएफआर के अंतर्गत रुग्ण
2.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता	बीआईएफआर के अंतर्गत रुग्ण
3.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव	बी आई एफ आर के अंतर्गत रुग्ण

1	2	3
4.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बीआईएल), कोलकाता	बंद है
5.	महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएपीएल), नागपुर (एचएएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र उपक्रम)	बंद है
6.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल), (एचएएल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र उपक्रम)	बंद है

(ख) सरकार ने दिनांक 09 मार्च, 2006 को एचएएल की पुनर्वास योजना अनुमोदित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 137.59 करोड़ रुपए की नगद सहायता शामिल है और 259.43 करोड़ रुपए तक के ऋण तक उस पर लगे ब्याज की माफी शामिल थी (31.3.2005 तक)। उसी प्रकार भारत सरकार ने 21 दिसम्बर, 2006 को बीसीपीएल की पुनरुद्धार योजना भी अनुमोदित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 207.19 करोड़ रुपए की नगद सहायता और पिछले ऋणों और उस पर लगे 233.41 करोड़ रुपए तक के ब्याज की माफी शामिल थी (31.3.2005 तक)।

(ग) अतिरिक्त जनशक्ति, कार्यशील पूंजी की कमी और अपर्याप्त पूंजीगत व्यय, लगातार होने वाले नगद नुकसान के प्रमुख कारण हैं। चीन से सस्ता आयात किए जाने के कारण बल्क औषधि सुविधाओं का उपयोग करके राजस्व अर्जित करने में विफलता समग्र रूप से फर्मेंटेशन आधारित खंड का और विशेषरूप से एचएएल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। उसी प्रकार आईडीपीएल भी कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी का सामना कर रही है। अतिरिक्त जनशक्ति और सम्बद्ध लागतें भी आईडीपीएल की रुग्णता के कारण थे।

(घ) से (च) सरकार चरणबद्ध ढंग से आईडीपीएल और सहायक कंपनियों की मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां जारी करती आ रही है। सरकार ने समय-समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13.99 करोड़ रुपए और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.22 करोड़ रुपए की रकम ज़ारी की है। इसके अतिरिक्त सरकार आईडीपीएल के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

भुखमरी

849. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्रीमती मीना सिंह :
श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूख/भुखमरी/कुपोषण होने की सूचनाएं हैं और वैश्विक भूख सूचकांक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अन्य रिपोर्टों के अनुसार इसके कारण से अनेक मौतें भी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी मौतें होने की सूचना है तथा भुखमरी के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे आरोप हैं कि अन्य कारणों से मौत होना बताकर भुखमरी/कुपोषण के मामले कम होने की सूचना दी जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या ऐसा संदेह किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 167 ग्राम खाद्यान्न का आवंटन करना अपर्याप्त है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक क़दम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हर पांचवें वर्ष किए जाने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पारिवारिक उपभोक्ता व्यय तथा इसके वितरण के अनुमान उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर "भारतीय परिवारों में खाद्य पदार्थों के उपभोग की अनुमानित पर्याप्तता" के संबंध में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट संख्या 547 (फरवरी, 2013) में दर्शाया गया है कि ऐसे परिवारों, जिन्हें पूरे वर्ष 2 समय का भोजन प्राप्त हो रहा है, की संख्या ग्रामीण भारत में वर्ष 1993-94 में 94.5% से बढ़कर

वर्ष 2009-10 में 98.9% तथा शहरी भारत में वर्ष 1993-94 में 98.1% से बढ़कर 99.6% हो गई है।

किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने अब तक भूख/भुखमरी/कुपोषण के कारण मौत की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

देश में भूख/भुखमरी/कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों जैसे मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, अन्नपूर्णा, एमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम आदि के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार ने देश के निर्धनतम जिलों में अतिरिक्त बीपीएल तथा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटन के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के दौरान 23.69 लाख टन तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 21.21 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया था। वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अभी तक 559.71 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 365 दिनों की अवधि अथात् दिनांक 04.07.2014 तक इस अधिनियम को कार्यान्वित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल 2/3 जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के लिए खाद्यान्नों का कुल आबंटन लगभग 614.3 लाख टन होने के संभावना है। राष्ट्रीय खाद्या सुरक्ष अधिनियम, 2013 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों के प्रावधान के अतिरिक्त इस अधिनियम में महिलाओं तथा बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था तथा शिशु के जन्म के 6 महीने बाद तक भोजन के अलावा ऐसी महिलाएं कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे निर्धारित पौषणिक मानदंडों के अनुसार पोषणयुक्त भोजन अथवा राशन घर ले जाने के हकदार होंगे।

सीमाओं पर घुसपैठ

850. **श्री गोपीनाथ मुंडे :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री हरिश्चंद चव्हाण :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान घुसपैठ की प्राप्त जानकारी और गिरफ्तार और मारे गए घुसपैठियों/आतंकवादियों की संख्या का सीमा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश में पाकिस्तानी सेना की सहायता से आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश की विभिन्न सीमाओं पर घुसपैठ की कार्रवाई के दौरान घायल और मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की सीमा-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार सीमाओं पर आउट पोस्टों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार सीमाओं पर कार्यरत आउट पोस्टों का सीमा-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश की सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्तमान वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए घुसपैठ के मामलों एवं गिरफ्तार किए गए और मारे गए घुसपैठियों/उग्रवादियों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

सीमा	मामले	गिरफ्तार	मारे गए
भारत-बांग्लादेश	03	06	—
भारत-पाकिस्तान	309	14	43*
भारत-नेपाल	03	03	—
भारत-भूटान	—	—	—
भारत-चीन	06	06*#	—
भारत-म्यांमार	223	213$	10

*156 घुसपैठिए वापस लौट गए/पाक रेंजरों को सौंप दिए गए।

#06 घुसपैठिए।

$59 आत्मसमर्पण करने वाले।

(ख) नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर कहीं भी उग्रवादियों द्वारा किसी भी भारतीय चौकी पर कब्जा नहीं किया गया है।

(ग) भारत-पाकिस्तान सीमा, जहां इस वर्ष के दौरान पांच (05) सुरक्षा कर्मी मारे गए और दो (02) सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, को छोड़कर ऐसे किसी घुसपैठ की कोशिश की सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) पहले से ही मौजूदा और स्थापित की जाने वाली सीमा चौकियों के सीमा-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

सीमा	मौजूदा सीमा चौकी	स्थापित किए जाने वाली सीमा चौकियां
भारत-बांग्लादेश	841	344
भारत-पाकिस्तान	641	85*
भारत-नेपाल	466	73
भारत-भूटान	150	45
भारत-चीन	157	35
भारत-म्यांमार#	76	—

*स्थायी संरचना के साथ 38 मौजूदा सीमा चौकियों का उन्नयन किया जा रहा है।

#वर्तमान में असम राइफल्स द्वारा कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) तरीके से भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा की जा रही है।

(च) सरकार ने देश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ सहित सीमा पार से अपराध को रोकने के लिए और सीमा पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखने के लिए एक बहु-आयामी नीति अपनाई है। अन्य के साथ-साथ इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- गश्ती नाकाओं (सीमा पर घात लगाकर) द्वारा सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी का संचालन कर और देश के साथ लगी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी चौकियां लगाकर सीमा पर प्रभावी आधिपत्य कायम रखना/देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नदियों वाले हिस्सों में बीएसएफ वाटर विंग्स की जल नौकाओं/द्रुतगामी नौकाओं/तैरने वाली सीमा चौकियों (बीओपी) की सहायता से गश्त की जा रही है और अधिपत्य कायम रखा जा रहा है।
- बाड़ गश्त मार्गों, तेज रोशनी (फ्लड लाइटिंग) प्रणालियां और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण।
- उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का समावेश करना। सीमा पर आधिपत्य में और वृद्धि करने के लिए दिन और रात के दृश्य उपकरणों से पूरी तरह से लैस अद्यतन निगरानी उपकरणों का प्रापण करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- कंपनी कमांडर स्तर की बैठक, कमांडेंट स्तर की बैठक, सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक, फ्रंटियर स्तर की बैठक और महानिदेशक स्तर की बातचीत जैसे काउंटर पार्टस के साथ विविध बैठकों के दौरान सीमा पार से होने वाले घुसपैठ के मामलों को उठाना।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध आप्रवासन/मानव तस्करी के संबंध में संवेदनशील सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता की माप की गई है। अतिरिक्त जनशक्ति तैनात कर तथा विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों एवं अन्य अवसंरचना सहायता के माध्यम से इन पहचान की गई सीमा चौकियों को मजबूती प्रदान की गई है।
- आसूचना नेटवर्क का उन्नयन एवं सिस्टर एजेंसियों के साथ समन्वय तथा सीमा पर विशेष अभियानों का संचालन।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रभावी अधिपत्य के लिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो अतिरिक्त बटालियन तैनात किए गए हैं।

नये राज्यों का सृजन

851. श्रीमती राजकुमारी चौहान :
श्री के. सुगुमार :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री के.पी. धनपालन :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश में नये राज्यों का सृजन/राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य के सृजन पर केबिनेट नोट तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रियों के समूह ने हाल में राजनीतिक दलों से तेलंगाना राज्य के सृजन के संबंध में बैठक और चर्चा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विधेयक को कब तक संसद में पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, कर्नाटक में कुर्ग, पश्चिमी ओडिशा में कौशलांचल, पश्चिमी बंगाल में गोरखालैंड तथा उत्तरी बिहार में मिथिलांचल जैसे नए राज्यों के सृजन हेतु समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से मांग एवं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश को चार छोटे-छोटे राज्यों अर्थात् पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश तथा पश्चिमी प्रदेश में विभक्त करने के लिए राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21.11.2011 को पारित प्रस्ताव दिनांक 23.11.2011 को अग्रेषित किया था।

(ख) नए राज्य के सृजन के व्यापक प्रभाव होते हैं तथा इसका हमारे देश की संघात्मक राज व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि मूल राज्य में नए राज्य के सृजन के संबंध में व्यापक स्तर पर मतैक्य हो, तभी भारत सरकार ऐसे मामले में कार्रवाई करती है। सरकार सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर ही नए राज्य के गठन संबंधी मामले में निर्णय लेती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मंत्रिमंडल की दिनांक 03.10.2013 को आयोजित बैठक के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया था जिसने आंध्र प्रदेश राज्य को दो मांगों में विभक्त करके तेलंगाना के नए राज्य का गठन करने का निर्णय लिया। दिनांक 05.12.2013 को आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हेतु भी मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया जिसमें तेलंगाना नामक नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की गई।

(ङ) और (च) मंत्री समूह ने तेलंगाना के सृजन के संबंध में आंध्र प्रदेश के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ दिनांक 12 एवं 13 नवम्बर, 2013 को बातचीत की तथा नए राज्य के सृजन के संबंध में उनकी भावनाओं का मूल्यांकन लिया।

(छ) तेलंगाना नामक नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यूरिया/डीएपी का आवंटन

852. श्री तूफानी सरोज :

श्री मकनसिंह सोलंकी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफ्को) ने रसायनिक उर्वरकों की कमी की समस्या के समाधान के लिए यूरिया को विनियंत्रित करने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में यूरिया की वार्षिक उत्पादन और मांग का अनुपात क्या है;

(घ) क्या आयात के माध्यम से यूरिया की मांग को पूरा किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मध्य प्रदेश सहित देश में डीएपी और यूरिया की भारी मांग है लेकिन सरकार मांग से कम आवंटन कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां, इफ्को ने उर्वरकों की उपलब्धता और मृदा उत्पादकता में सुधार करने के लिए पी एंड के उर्वरकों के पैटर्न पर यूरिया को नियंत्रणमुक्त करने की वकालत की थी।

(ख) उर्वरक विभाग यूरिया के लिए एनबीएस नीति को लागू करने का समर्थन नहीं करता।

(ग) और (घ) देश में वर्ष 2012-13 में यूरिया का वार्षिक उत्पादन, मांग (आवश्यकता), उनका अनुपात तथा आयातित यूरिया की मात्रा निम्न प्रकार है:—

(लाख मी.टन में मात्रा)

वर्ष	डीएसी द्वारा अनुमानित आवश्यकता	स्वदेशी उत्पादन	अनुपात	आयात
1	2	3	4=3/2*100	5
2012-13	315.4	225.7	71.6	80.4

(ङ) और (च) वर्ष 2012-13 तथा वर्तमान वर्ष 2013-14 (नवम्बर'13 तक) के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों (यूरिया और डीएपी) की मांग (आवश्यकता), उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है, वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान पूरे देश में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता है। विभाग को मध्य प्रदेश सहित किसी राज्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ने कृषि और सहकारिता विभाग तथा उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साप्ताहिक वीडियो सम्मेलनों के दौरान उपलब्धता संबंधी कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

विवरण

2012-13 और 2013-14 (नवंबर 2013 तक) रासायनिक उर्वरकों (यूरिया और डीएपी) की मांग (आवश्यकता), उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा

राज्य	वर्ष	यूरिया			डीएपी		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आंध्र प्रदेश	2012-13	32.5	29.4	28.5	12.3	6.8	6.5
	2013-14	22.3	24.2	22.9	8.8	4.6	4.0
अरुणाचल प्रदेश	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	2012-13	3.2	2.6	2.6	0.7	0.4	0.3
	2013-14	1.9	1.7	1.7	0.3	0.2	0.2
बिहार	2012-13	21.5	21.1	21.1	5.0	5.7	5.4
	2013-14	14.5	12.1	11.5	4.2	2.9	2.3
चंडीगढ़	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	2012-13	6.9	7.3	7.1	3.1	2.5	2.3
	2013-14	5.6	5.0	4.8	2.4	1.7	1.4
दादरा और नगर हवेली	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दमन और दीव	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	2012-13	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	2012-13	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
गुजरात	2012-13	23.8	19.5	19.2	8.8	4.2	4.0
	2013-14	16.0	13.5	13.3	4.6	2.9	2.3
हरियाणा	2012-13	20.0	21.0	20.3	7.2	7.2	6.9
	2013-14	12.7	12.4	12.1	3.5	3.0	3.0
हिमाचल प्रदेश	2012-13	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
जम्मू और कश्मीर	2012-13	0.5	1.5	1.4	0.9	0.6	0.5
	2013-14	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4
झारखंड	2012-13	2.7	2.0	2.0	1.3	0.5	0.5
	2013-14	2.0	1.5	1.3	0.7	0.2	0.2
कर्नाटक	2012-13	15.0	14.6	14.5	8.9	4.2	4.0
	2013-14	11.4	11.6	11.0	6.1	3.9	3.5
केरल	2012-13	2.1	1.4	1.4	0.5	0.3	0.3
	2013-14	1.5	1.1	1.0	0.2	0.3	0.2
लक्षद्वीप	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मध्य प्रदेश	2012-13	18.5	19.5	18.9	11.5	11.7	11.1
	2013-14	14.0	16.8	16.0	10.9	7.1	6.0
महाराष्ट्र	2012-13	28.0	23.4	22.9	15.6	7.0	6.6
	2013-14	19.2	19.3	18.6	11.1	4.7	3.4
मणिपुर	2012-13	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
मेघालय	2012-13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
मिज़ोरम	2012-13	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
नागालैंड	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	2012-13	6.5	5.4	5.3	2.8	1.5	1.4
	2013-14	5.0	4.9	4.6	1.9	1.1	1.0
पुदुचेरी	2012-13	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
पंजाब	2012-13	26.4	29.1	28.4	8.8	9.1	8.7
	2013-14	19.3	17.5	17.2	8.8	4.4	3.8
राजस्थान	2012-13	17.3	18.9	18.5	7.6	6.3	5.9
	2013-14	10.8	11.9	11.4	4.8	4.5	4.3
सिक्किम	2012-13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2013-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
तमिलनाडु	2012-13	11.5	9.4	9.3	4.6	2.4	2.3
	2013-14	7.5	6.6	6.6	3.1	1.9	1.7
त्रिपुरा	2012-13	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
	2013-14	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	2012-13	60.0	63.3	62.6	18.2	21.7	20.9
	2013-14	41.0	39.6	36.3	16.7	11.9	10.2
उत्तराखंड	2012-13	2.5	2.5	2.5	0.4	0.3	0.3
	2013-14	1.7	1.9	1.8	0.3	0.2	0.2
पश्चिम बंगाल	2012-13	13.5	14.0	13.9	5.3	4.3	4.3
	2013-14	7.7	7.4	6.7	3.7	1.5	1.2
योग	2012-13	315.4	307.3	301.6	123.6	96.8	92.2
	2013-14	216.3	210.5	200.3	92.7	57.3	49.1

[अनुवाद]

डीएमएस बूथों के लिए दिशा-निर्देश

853. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीएमएस बूथों के प्रचालकों ने सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ नियमों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डीएमएस बूथों पर बिक्री हेतु निर्धारित शर्तों की अनुपालना के लिए डीएमएस के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से निगरानी कराई है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रचालकों द्वारा शर्तों के उल्लंघन के 111 मामले पाए गए। इन मामलों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या
2010-11	10
2011-12	26
2012-13	51
2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)	24
कुल	111

(ग) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर बिक्री के लिए निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का पर्यवेक्षण और मानीटरिंग दिल्ली दुग्ध योजना के नामित अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है ताकि उल्लंघन को रोका जा सके।

(घ) कृपया उपर्युक्त प्रश्न (ख) के उत्तर को देखें।

(ङ) 23 मामलों में ग्राही रद्द की गई और 3 बूथ सील किए गए। शेष मामलों में, चूककर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

आवश्यक औषधियों की कीमतों में वृद्धि

854. श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाओं की निर्माण लागत और खुदरा कीमतों में विषमता/कई गुना अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में औषधियों/दवाओं की कीमतों की समीक्षा करने और उन्हें नियंत्रित/कम करने के लिए क्या तंत्र है;

(ग) क्या आवश्यक/जीवनरक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिन औषधियों की कीमतें बढ़ी हैं उनका ब्यौरा क्या है और औषधियों/दवाओं की कीमतों को विनियमित करने/रोकने/कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/कदम उठाए गए/कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं और इनमें क्या सफलता मिली है;

(ङ) क्या सरकार ने औषधियों की बढ़ती कीमतों की समीक्षा करने हेतु किसी कृतिक बल की स्थापना की है और आवश्यक औषधियों की कीमतों को विनियमित करने हेतु इन्हें औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत लाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के अंतर्गत, 652 फार्मूलेशनों को कवर करते हुए 348 औषधियों के मूल्य, मूल्य-नियंत्रण के अधीन लाए गए हैं। फार्मूलेशनों के मूल्य डीपीसीओ, 2013 के पैरा 4, 5 और 6 में दिए गए फार्मूले के अनुसार निर्धारित किए जाने हैं। डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दवाइयों के उच्चतम मूल्य अब कुल बाजार बिक्री के एक प्रतिशत या उससे अधिक बाजार अंश वाली दवाइयों के औसत खुदरा विक्रेता मूल्य (पीटीआर) के आधार पर तय किए जा रहे हैं।

डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार सरकार गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित, सभी औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की मानीटरिंग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विनिर्माता किसी औषधि के अधिकतम खुदरा मूल्य में पिछले बारह महीनों के दौरान

दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न करे और जहां अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो यह उसे कम करके अधिकतम खुदरा मूल्य के दस प्रतिशत के स्तर पर लाएगा। विनिर्माता अधिप्रभारित राशि को शास्ति के अतिरिक्त, मूल्य में वृद्धि की तिथि से ब्याज सहित जमा करने के लिए बाध्य होगा। चूंकि डीपीसीओ, 2013 में बाजार आधारित मूल्य निर्धारण परिकल्पित है, इसलिए एनपीपीए द्वारा कंपनियों के लागत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। डीपीसीओ, 2013 के अधीन अनुसूचित फार्मूलेशनों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, डीपीसीओ, 2013 की घोषणा से पूर्वप्रचलित उच्चतम कीमत की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत प्रभावी अनुसूचित फार्मूलेशनों की कीमतों में कमी का ब्यौरा निम्नवत् है:–

अधिकतम मूल्य में प्रतिशत गिरावट	औषधियों की संख्या
0<=5%	20
5<=10%	31
10<=15%	43
15<=20%	36
20<=25%	56
25<=30%	38
30<=35%	26
360<=40%	31
40% से अधिक	106
	387

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज और आलू का उत्पादन

855. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :
श्री सी. राजेन्दन :
श्रीमती सुष्मिता बाउरी :
श्री नारेनभाई काछादिया :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में प्याज और आलू का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्याज और आलू की घरेलू मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान प्याज और आलू के उत्पादन में गिरावट आई है;

(घ) क्या सरकार ने इनकी नई और संकर किस्मों की शुरूआत करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्याज और आलू की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-13 के दौरान प्याज और आलू का राज्य-वार उत्पादन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है। चालू वर्ष का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला और प्याज तथा लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत प्याज और आलू की विभिन्न नई और संकर किस्मों के विकास पर अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए अधिदेशित है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने विविध कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए आलू की विभिन्न उच्च उपज किस्में निर्मुक्त की है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन कार्यान्वित कर रहा है। संरक्षित कृषि, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएफ)/समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) और उच्च उपज किस्मों का बीज उत्पादन शुरू करने के लिए प्याज, टमाटर और आलू सहित सब्जियों के विकास के लिए सहायता उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 2010-2013 के दौरान प्याज और आलू का राज्य-वार उत्पादन

उत्पादन ('000 मी.टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्याज			आलू		
	2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)	2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						
आंध्र प्रदेश	812.6	824.77	1458.80	96.9	98.38	187.72
अरुणाचल प्रदेश				31.7	40.00	
असम	22.1	23.97	30.90	737.9	783.40	975.27
बिहार	1082.0	1236.74	1308.63	5784.3	6101.69	6842.92
चंडीगढ़	174.2	222.21	269.28	526.3	579.18	648.62
छत्तीसगढ़						
दादरा और नगर हवेली						
दिल्ली	27.3	22.86	15.50	18.4	16.75	14.65
गोवा						
गुजरात	1514.1	1562.20	704.38	1881.8	2395.54	2499.73
हरियाणा	453.9	589.83	518.48	598.2	618.85	676.01
हिमाचल प्रदेश	35.9	36.30	36.30	206.0	206.22	206.22
जम्मू और कश्मीर	63.5	65.27	65.27	150.7	127.24	127.24
झारखंड	305.0	318.19	322.15	655.5	652.79	659.61
केरल	2592.2	2451.20	2395.90	400.8	483.00	698.30
कर्नाटक				0.0	5.44	5.44
लक्षद्वीप (संघ क्षेत्र)						
महाराष्ट्र	1021.5	1957.00	2150.69	743.0	1816.68	1998.35
मध्य प्रदेश	4905.0	5638.00	4660.00	318.0	360.00	321.00
मणिपुर			2.01	15.2		7.21

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय		3.74	3.95	162.4	164.75	172.96
मिज़ोरम	0.7	4.38	3.96	2.3	2.52	3.15
नागालैंड		3.10	6.00	10.0	20.15	32.00
ओडिशा	385.9	418.99	419.09	191.4	201.05	201.06
पुदुचेरी (संघ क्षेत्र)	0.4	0.05	0.09			
पंजाब	182.3	182.69	182.94	2088.4	2103.97	2129.79
राजस्थान	494.2	664.22	670.80	75.7	178.02	195.26
सिक्किम	1.6	1.64	1.71	45.7	47.09	49.14
तमिलनाडु	338.9	556.45	277.86	97.1	104.89	97.20
त्रिपुरा				109.8	122.96	123.00
उत्तर प्रदेश	368.6	383.47	455.81	13576.6	14125.08	13869.94
उत्तराखंड	38.0	39.27	39.40	424.3	433.82	434.44
पश्चिम बंगाल	298.0	304.56	309.10	13391.2	9693.33	11550.00
कुल	15117.7	17511.09	16308.99	42339.4	41482.79	44726.24

स्रोत: 2010-11, 2011-12 भारतीय बागवानी डाटाबेस 2012, एनएचबी।

2012-13 तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं सहकारिता विभाग।

विदेशियों के कब्जे में पहचान-पत्र दस्तावेज

856. श्री अमरनाथ प्रधान :

श्री अब्दुल रहमान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बांग्लादेशी नागरिक सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर पकड़े गए थे और उनके कब्जे में पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जैसे कुछ अति महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस बात की भी सूचनाएं हैं कि कुछ अवैध प्रवासियों ने अपने आपको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में भी पंजीकृत करवा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2013 के दौरान (30.11.2013 तक) सीमा सुरक्षा बल द्वारा 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कागज़ात पाए गए थे। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब्त दस्तावेज़ों सहित सभी बांग्लादेशी नागरिक संबंधित पुलिस थाने को सौंप दिए गए। जब और जहां इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में देश के सभी सामान्य निवासियों, जिसमें नागरिक और गैर-नागरिक शामिल हैं, की विशिष्ट विशेषताओं की सूचना निहित है। भारतीय नागरिकों के लिए

राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की दिशा में एनपीआर पहला कदम है। एनपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में, अभिहित सरकारी पदाधिकारियों द्वारा घर-घर की गणना, सरकारी पदाधिकारी की उपस्थिति में बायोमैट्रिक्स लेना, बायोमैट्रिक्स के आधार पर दोहरापन रोकना, आपत्तियां और दावे आमंत्रित करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य निवासियों की स्थानीय रजिस्टर (एलआरयूआर) को प्रकाशित करके सामाजिक पुनरीक्षा की प्रक्रिया, ग्राम सभा/वार्ड समिति के समक्ष एलआरयूआर प्रस्तुत करना, स्थानीय रजिस्ट्रार सब-डिस्ट्रिक्ट रजिस्टार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के रूप में क्रमशः अभिहित पटवारी, तहसीलदारों और कलैक्टरों/जिला मैजिस्ट्रेटों जैसे राजस्व पदाधिकारियों द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटान जैसे कदम शामिल हैं। तथापि, इसमें विधि प्रवर्तन एजेंसियों अथवा रजिस्ट्रारों द्वारा स्वतः दावा/आपत्तियां दर्ज करने पर रोक नहीं लगाई गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में सत्यापन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं और वे सत्यापन की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस थानों अथवा ग्राम चौकीदारों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इसलिए सभी कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं कि केवल प्रामाणिक निवासी ही एनपीआर में शामिल हों।

अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाना

857. श्री एंटो एंटोनी :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली गिरने और तटीय अपरदन को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी भी राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) से (घ) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसी आपदा को शामिल करने के मुद्दे पर परम्परानुसार उत्तरवर्ती वित्त आयोगों द्वारा विचार किया जाता रहा है। वर्तमान में, राहत सहायता के प्रयोजनार्थ पहचान की नई प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवात, सूखा भूकंप, आग लगना, बाढ़, सूनामी, ओले पड़ना, भूस्खलन, हिमपात, बादल-फटना, कीट आक्रमण तथा शीत लहर/कोहरा शामिल हैं। जहां तक "बिजली गिरना" और 'तटीय अपरदन' का संबंध है, ये एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता संबंधी पात्र आपदाओं की सूची में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, बिजली गिरने और तटीय अपरदन की वजह से प्रभावित लोगों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी संसाधनों से अपनी राहत संहिताओं/मैनुअलों के अनुसार सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

तथापि, अनेक राज्यों की मांग पर, भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। जीओएम ने दिनांक 21 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ), जो तत्काल राहत के प्रयोजनार्थ हैं, "कटाव" के मुद्दे के समाधान के लिए यथोचित साधन नहीं हो सकते हैं। हालांकि, नदी किनारे का कटाव और समुद्री-कटाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इनसे बहुसंख्य गांव प्रभावित होते रहे हैं। इसलिए, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम जैसे विद्यमान प्रशमन कार्यक्रमों से सहायता की मांग करें।

[हिन्दी]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण

858. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आरक्षण का उपबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपबंधों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा पार होने को निरस्त करते हुए इस वर्ग के लोगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कोटा को लागू करने और सरकारी नौकरियों में नि:शक्त व्यक्तियों को लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार, प्रत्येक संस्थापना में रिक्तियों के इतने

प्रतिशत में जो विकलांग व्यक्तियों अथवा विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में 3 प्रतिशत से कम न हो, की नियुक्ति करेगी जिसमें 1 प्रतिशत नियुक्तियां निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी;

(i) नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि

(ii) श्रवण बाधित

(iii) प्रत्येक विकलांगता हेतु अभिज्ञात पदों में चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

(ख) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (2009 का 7541) के मामले में अपने दिनांक 18.10.2013 के निर्णय में भारत संघ एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय नेत्रहीन परिसंघ तथा अन्य नामक मुकदमे में अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था दी कि विकलांग व्यक्तियों हेतु समूह क, ख, ग तथा घ के मामले में आरक्षण की संगणना एक समान पद्धति के तहत अर्थात् संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के तीन प्रतिशत पर गिनी जानी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा. में अपने आदेश के अनुरूप संशोधन करने का निर्देश भी दिया है।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 31.12.2013 को एक का.ज्ञा. जारी करते हुए सभी संबंधितों को आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

लापता बच्चे

859. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लापता/अपहृत बच्चों के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों, मिल गए/नहीं मिले बच्चों को लिंग-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और पकड़े गए अपहरणकर्ताओं/दलालों और पर्दाफाश किए गए गिरोहों की संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में और लापता बच्चों के मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2010-12 के संबंध में अपहरण एवं व्यपहरण के तहत गुमशुदा, पता लगाए गए/पता न चल सके बच्चों के लिंग-वार आंकड़े और पंजीकृत/आरोपपत्रित/दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार/आरोप-पत्रित/दोषसिद्ध व्यक्तियों से संबंधित ब्यौरे गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha1.nic.in/par2013/ParWinter2013.html) पर उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने गुमशुदा बच्चों के मामले में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिनांक 25 जून, 2013 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 2012 को गुमशुदा बच्चों और ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में एक विस्तृत परामर्शी-पत्र भी जारी किया है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए विभिन्न निर्देश यथा रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण, एनजीओ एवं अन्य संगठनों की सहभागिता, सामुदायिक जागरुकता कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। गुमशुदा और पाए गए बच्चों के संबंध में बेहतर रूप से आंकड़ों का संकलन करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक प्रोफार्मा परिचालित किया गया है।

उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

860. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-इजराइल कृषि समझौता 2008 के अंतर्गत इजराइल ने 2015 तक भारत के दस राज्यों में फूलों की खेती, फलों और सब्जियों

हेतु विभिन्न उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदम से भारत को कितना लाभ मिलेगा; और

(घ) देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न देशों के साथ कृषि में सहयोग करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) भारत-इजरायल कार्य योजना (2006) के भाग के रूप में भारत-इजरायल कृषि कार्य योजना 2008-2010 के दौरान कार्यान्वित की गई जिसे बाद में 2015 तक कार्यान्वयन हेतु बढ़ाया गया। इस कार्य योजना के अंतर्गत फलों, सब्जियों और फूलों के उत्कृष्टता केन्द्र हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इजरायली विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता से स्थापित किए गए हैं।

उत्कृष्टता केन्द्र देश में बागवानी का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित करेंगे।

(घ) भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए 55 देशों के साथ समझौता ज्ञापन/करार हस्ताक्षर किया है। अन्य बातों के साथ साथ इन करारों के अंतर्गत गतिविधियों में कृषि अनुसंधान में सहयोग और कृषि उत्पादकता बढ़ाना शामिल है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

861. श्री देवजी एम. पटेल :
श्री नवीन जिंदल :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्धारण करने के मानदंड तय करने हेतु स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर कृषि उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (ग) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषक आयोग ने (एनसीएफ) भारतीय कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर किया है न कि कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित करने के लिए मात्र मानकों को निश्चित किया है।

राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। हालांकि, इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नही किया गया है क्योंकि उद्देश्ययुक्त मानदंडों के आधार पर एवं विभिन्न संबंधित कारकों पर विचार करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। अत: लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति हो सकती है। कुछ एक मामलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं उत्पादन लागत के बीच एक अभियांत्रिकी समन्वय सह-उत्पादक हो सकता है।

(घ) से (च) सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, तथा संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्दीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को निर्धारित करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उत्पादन लागत सहित अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए निर्धारित मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

सरकार राज्यों में केन्द्रीय, राज्य तथा सहकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन को राज्य सरकारों द्वारा तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर प्रापण के संबंध में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	किस्म	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में वृद्धि
खरीफ फसलें				
धान	सामान्य	1250	1310	60
	ग्रडे ए	1280	1345	65
ज्वार	हाइब्रिड	1500	1500	–
	मालदांडी	1520	1520	–
बाजरा		1175	1250	75
मक्का		1175	1310	135
अरहर (तूर)		3850	4300	450
मूंग		4400	4500	100
उड़द		4300	4300	–
कपास	मध्यम स्टेपल	3600	3700	100
	लम्बा स्टेपल	3900	4000	100
मुंगफली छिलके सहित		3700	4000	300
सोयाबीन	काला	2200	2500	300
	पीला	2240	2560	320
तिल		4200	4500	300
रबी फसलें				
गेहूं		1350	1400	50
जौ		980	1100	120
चना		3000	3100	100
मसूर (लेन्टिल)		2900	2950	50
रेपसीड/सरसों		3000	3050	50
अन्य फसलें				
पटसन		2200	2300	100

[हिन्दी]

शीतागार

862. श्री कामेश्वर बैठा :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री मानिक टैगोर :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्रीमती पुतुल कुमारी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भंडारण/शीतागार सुविधा के अभाव में देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए मूल्य के खाद्यान्न, साग-सब्जियां और फल उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि में देश में शीतागार इकाईयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश में शीतागार की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को उत्पादन, बाजार मूल्य और मौसम इत्यादि से संबंधित सूचना देने के लिए अन्य और क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) कटाई-पश्चात् प्रौद्योगिकी अखिल भारत समन्वय अनुसंधान परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्ययन संचालित किया और सितंबर, 2012 में इसकी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के अनुसार कटाई की आर्थिक मूल्य और फसलों की कटाई पश्चात् हानियों और पशुधन उत्पाद वर्ष 2007-08 में 44,143 करोड़ रुपए था जिसमें भंडारण की भंडार के कारण हानि शामिल है।

(ग) 31.12.2009 शीत भंडारण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2009 में शीत भंडारण क्षमता 24.45 मिलियन मीट्रिक टन था। सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जनवरी, 2010 से मार्च, 2013 तक 6.42 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता वाले अतिरिक्त शीत भंडारण का सृजन किया गया है।

(घ) सरकार बारहवीं योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों को लगातार कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत देश में शीत भंडारों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

(ii) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)

(iii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)

(iv) कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु स्कीम

(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के स्कीम (एमओएफपीआई)

(vi) प्रसंस्कृत कृषि खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्कीम (अपेडा)

(vii) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम स्कीम (एनसीडीसी)

इनमें स्कीमों का शीत भंडारण घटक परियोजना आधारित है।

(ङ) कृषि मंत्रालय मार्च, 2000 से किसानों को लाभ देने के लिए बागवानी उत्पादों सहित विभिन्न कृषि जिंसों के संदर्भ में मूल्य और मंडी से संबंधित सूचना के संग्रह और प्रचार प्रसार के उद्देश्य के साथ केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क कार्यान्वित कर रही है। स्कीम फल और सब्जी उत्पादकों सहित किसानों को किसी भी हद तक खराब होने से बचाने के लिए उनके उत्पाद का समय पर तथा उचित विपणन निर्णय लेने में सहायता करती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचबी) दैनिक आधार पर 31 मंडियों के लिए महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों और पुष्पों के लिए देश के विभिन्न मंडियों में उत्पादन, थोक और खुदरा मूल्या, आवक और रूझानों पर सूचना देने के लिए "बागवानी फसलों के लिए मंडी सूचना सेवा स्कीम" कार्यान्वित कर रहा है। किसानों को लाभ देने के लिए सूचना इसकी वेबसाइट पर दी जाती है। एनएचबी स्कीम के अंतर्गत एक मासिक मंडी सूचना बुलेटिन भी प्रकाशित करती है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत मौसम विभाग के सहयोग से विकसित कृषि एवं सहकारिता विभाग के कृषक पोर्टल के माध्यम से जलवायु संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। मंडी सूचना की त्वरित प्राप्ति और प्रसारण के साथ साथ उसकी प्रभावी और समय पर उपयोगिता के आंकड़े और किसानों द्वारा बेहतर मूल्य प्राप्ति से संबद्ध सूचना सुविधापूर्वक एकत्र करने और उनके प्रसारण के लिए एक देशव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंडी सूचना नेटवर्क पर आधारित निसनेक की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

31.12.2009 को शीत भंडारों का क्षेत्र-वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निजी क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		कुल संख्या	कुल क्षमता मीट्रिक टन में
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	170	00	00	01	40	02	210
2.	आंध्र प्रदेश	269	885557	11	11598	10	3451	290	900606
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	5000	00	00	00	00	01	5000
4.	असम	19	85948	01	1000	04	1120	24	88068
5.	बिहार	236	1100641	10	46400	00	00	246	1147041
6.	चंडीगढ़	05	11216	01	1000	00	00	06	12216
7.	छत्तीसगढ़	67	341815	01	29	01	41	69	341885
8.	दिल्ली	77	103277	02	5201	16	17680	95	126158
9.	गुजरात	372	1230198	21	30669	05	6437	398	1267304
10.	गोवा	29	7705	00	00	00	00	29	7705
11.	हरियाणा	234	378319	04	3403	06	11399	244	393121
12.	हिमाचल प्रदेश	09	12896	02	767	07	6195	18	19858
13.	जम्मू और कश्मीर	15	40689	03	2134	01	46	19	42869
14.	झारखंड	37	142733	08	27415	00	00	45	170148
15.	केरल	176	55335	06	1080	11	1690	193	58105
16.	कर्नाटक	135	390882	18	6689	17	9594	170	407165
17.	लक्षद्वीप (संघ क्षेत्र)	00	00	00	00	01	15	01	15
18.	महाराष्ट्र	379	507678	55	25346	32	13724	466	546748
19.	मध्य प्रदेश	172	704270	20	101348	05	2434	197	808052
20.	मणिपुर	00	00	00	00	00	00	00	0
21.	मेघालय	01	1200	00	00	02	2000	03	3200
22.	मिजोरम	00	00	00	00	00	00	00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	नागालैंड	01	5000	01	1150	00	00	02	6150
24.	ओडिशा	81	248739	16	38100	04	4200	101	291039
25.	पुदुचेरी (संघ क्षेत्र)	02	35	01	50	00	00	03	85
26.	पंजाब	404	1306101	18	39092	00	00	422	1345193
27.	राजस्थान	100	320380	09	3832	01	14	110	324226
28.	सिक्किम	00	00	00	00	01	2000	01	2000
29.	तमिलनाडु	130	225712	13	7562	05	5262	148	238536
30.	त्रिपुरा	03	12750	01	5000	07	11700	11	29450
31.	उत्तर प्रदेश	1505	9842000	84	276000	00	00	1589	10118000
32.	उत्तराखंड	12	60499	00	00	03	8000	15	68499
33.	पश्चिम बंगाल	413	5380000	50	302000	00	00	463	5682000
	कुल	4885	23406745	356	936865	140	107042	5381	24450652

स्रोत: विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), फरीदाबाद।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी

863. श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं और उनके पात्र आश्रितों की हरियाणा सहित राज्य-वार कुल संख्या अलग-अलग कितनी है जिन्हें 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' के अंतर्गत पेंशन मिल रही है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों तथा गोवा और हैदराबाद मुक्ति आंदोलनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की ओर से पेंशन हेतु प्राप्त/लंबित/अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को कुल संवितरित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त व्यक्तियों को संवितरित पेंशन की राशि के सत्यापन एवं उसमें पाई गई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1992 के प्रारंभ किए जाने से 30 नवंबर, 2013 तक लगभग 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए पेंशन की मंजूरी दी गई है। 30 नवबर, 2013 तक पेंशन की मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार, लगभग 45,000 स्वतंत्रता सेनानी और उनके पात्र आश्रित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं राज्यों के राजकोषों से सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने संबंधी दावों की प्राप्ति और उनका निपटारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भागीदारी हेतु सम्मान पेंशन के मंजूरी वाले आवेदनों

से संबंधित आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त 32 पुन: सत्यापन रिपोर्टों को छोड़कर जिनके विषय में आंध्र प्रदेश सरकार से कुछेक स्पष्टीकरण मांगा गया है, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ सम्मान पेंशन की मंजूरी हेतु प्राप्त कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को दी गई पेंशन और रेलवे पास के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्नानुसार है:—

वर्ष	पेंशन करोड़ रुपए में	रेलवे पास करोड़ रुपए में
2010-11	710.81	30.28
2011-12	821.03	21.85
2012-13	772.83	25.50
2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक)	455.77	05.10

(घ) संवितरित किए गए ऐसे पेंशन की राशि में विसंगति, पेंशनधारियों की मृत्यु; स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के नए मामलों को मंजूरी देने और केन्द्रीय सम्मान पेंशन की महंगाई राहत घटक के वार्षिक संशोधन के कारण पैदा हुई है।

विवरण

पेंशन की मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की राज्य-वार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पेंशन की मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या (30.11.2013 के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15282
2.	असम	4441
3.	बिहार और	24900
4.	झारखंड	
5.	गोवा	1506
6.	गुजरात	3599
7.	हरियाणा	1689
8.	हिमाचल प्रदेश	629
9.	जम्मू और कश्मीर	807
10.	कर्नाटक	10100
11.	केरल	3399
12.	मध्य प्रदेश	3487
13.	छत्तीसगढ़	
14.	महाराष्ट्र	17963
15.	मणिपुर	62
16.	मेघालय	86
17.	मिजोरम	4
18.	नागालैंड	3
19.	ओडिशा	4196
20.	पंजाब	7031
21.	राजस्थान	814
22.	तमिलनाडु	4125
23.	त्रिपुरा	888
24.	उत्तर प्रदेश और	17999
25.	उत्तराखंड	
26.	पश्चिम बंगाल	22518
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
28.	चंडीगढ़	91
29.	दादरा और नगर हवेली	83
30.	दमन और दीव	33

1	2	3
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2046
32.	पुदुचेरी	320
33.	इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए)	22468
	कुल	171572

[हिन्दी]

केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार

864. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने उत्तराखंड में केदानराथ मंदिर को हुई क्षति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस मंदिर को बचाने के लिए मंदाकिनी नदी के मार्ग को बदलने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएसआई का केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में सहायता करने को कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त पवर्ततीय राज्य में केदारनाथ मंदिर और अन्य स्मारक स्थलों के पुनरुद्धार की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एएसआई ने इस क्षति के आकलन हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पुनरुद्धार कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है एवं इसके पूरा होने में कितना समय लगने का अनुमान है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केदारनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट और अनुमान तैयार किया है परंतु इस असंरक्षित स्मारक के आस-पास मंदाकिनी नदी का मार्ग बदलने का सुझाव नहीं दिया गया है। इस संबंध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केदारनाथ मंदिर के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अनुमानित आकलित लागत 3.65 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केदारनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया गया है। मंदिर का संरक्षण कार्य माह अक्तूबर, 2013 में शुरू कर दिया गया था जिसे फिलहाल स्थल पर खराब मौसमी दशाओं और मंदिर के बंद होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। सीमित कार्य सीजन, स्थल तक पहुंचने हेतु समुचित सड़क मार्ग का अभाव और खराब मौसमी दशाओं के कारण एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

[अनुवाद]

ग्रामीण भंडारण योजना

865. श्री पी.के. बिजू :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री ए. सम्पत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भंडारण योजना की शुरूआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत केरल सहित विभिन्न राज्यों में निर्मित गोदामों का राज्य-वार और भंडारण क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त और जारी की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गोदामों की निर्माण-लागत में वृद्धि के अनुरूप राजसहायता की धनराशि भी संशोधित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केरल सहित विभिन्न राज्यों में, आज की तारीख तक, इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ हुआ है; और

(च) विभिन्न राज्यों में गोदामों के निर्माण के बाद कुल बढ़ी भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) केरल सहित विभिन्न राज्यों में स्कीम के प्रारंभ से ग्रामीण भंडारण योजना (ग्रामीण गोदाम स्कीम) के अंतर्गत निर्मित गोदामों के राज्य-वार और क्षमता-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यह एक मांग संचालित स्कीम है और निधियां राज्यों को उपलब्ध/आवंटित नहीं की जाती हैं। राज्य-वार परियोजनाओं के लिए निर्मुक्त सब्सिडी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) नहीं। सरकार ने सब्सिडी राशि में वृद्धि के परिणामस्वरूप 20.10.2011 को गोदामों के निर्माण एवं नवीकरण के लिए लागत प्रतिमानों को अंतिम बार संशोधित किया है। गोदामों के पुराने और संशोधित प्रतिमानक नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	पुरानी निर्माण लागत	संशोधित निर्माण लागत
1.	1000 मी.टन क्षमता तक गोदामों के लिए:— 2500/- प्रति टन भंडारण क्षमता	1000 मी.टन क्षमता:— 3500/- रुपए प्रति टन भंडारण
2.	1000 मी.टन क्षमता से ऊपर गोदामों के लिए:— 1875/- रुपए प्रति टन भंडारण क्षमता	1000 मी.टन क्षमता तक गोदामों के लिए:— 3000/- रुपए प्रति टन भंडारण क्षमता उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए:— 4,000/- प्रति मी. टन होगी।
3.	सहकारी समितियों द्वारा नवीकरण के लिए:— 625/- रुपए प्रति मी. टन	सहकारी समितियों द्वारा नवीकरण के लिए:— 750/- रुपए मी.टन

(ङ) गोदाम कई किसानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जिनके लिए डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(च) विभिन्न राज्यों में गोदामों के निर्माण के बाद बढ़ाई गई कुल क्षमता; राज्य-वार विवरण के कालम "ग" में उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

केरल सहित विभिन्न राज्यों में स्कीम के प्रारंभ से ग्रामीण भंडारण योजना (ग्रामीण गोदाम स्कीम) के अंतर्गत निर्मित गोदाम

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जून, 2013 तक निर्मित गोदामों की संख्या	जून, 2013 तक सृजित क्षमता (मी.टन)	जून, 2013 तक निर्मुक्त की गई राजसहायता लाख रुपए में
1	2	3	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	910	3722228	19668.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	945	6.30
3.	असम	143	283523	2487.40
4.	बिहार	792	281617	1283.40
5.	छत्तीसगढ़	326	873643	4376.98
6.	गोवा	1	290	0.90
7.	गुजरात	6266	1694572	10617.75
8.	हरियाणा	654	2607353	11260.63
9.	हिमाचल प्रदेश	50	6451	44.83
10.	जम्मू और कश्मीर	2	5348	72.34

1	2	3	5	6
11.	झारखंड	6	8597	81.05
12.	कर्नाटक	2738	1762233	9132.10
13.	केरल	40	31903	258.04
14.	महाराष्ट्र	2003	2988511	12994.27
15.	मणिपुर	0	0	12376.25
16.	मेघालय	8	12217	0.00
17.	मिज़ोरम	2	604	127.50
18.	मध्य प्रदेश	1450	3245066	2.52
19.	नागालैंड	1	250	4.35
20.	ओडिशा	240	551109	2028.29
21.	पंजाब	1271	3046153	9326.47
22.	राजस्थान	599	564920	2498.74
23.	सिक्किम	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	313	548640	2305.96
25.	त्रिपुरा	0	0	5395.21
26.	उत्तर प्रदेश	333	1555517	1956.19
27.	उत्तराखंड	168	403351	3244.13
28.	पश्चिम बंगाल	1156	594056	4.15
29.	केन्द्र शासित प्रदेश	0	0	0.00
	कुल	19473	24789097	111553.98

[हिन्दी]

पोर्नोग्राफी के मामले

866. **श्री पी.सी. मोहन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अश्लील चित्रण (पोर्नोग्राफी) के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे अपराधों की संख्या तथा महिलाओं के प्रति अपराध में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं तथा इसका क्या परिणाम निकला है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी नीति बनाने का है जिससे पोर्नोग्राफी वाली साइटों पर आसान पहुंच को रोका जाए ताकि इसकी बढ़ती समस्या पर लगाम कसी जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार विशिष्ट रूप से पोर्नोग्राफी से संबंधित आंकड़ों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से रखा नहीं जाता है। तथापि, वर्ष 2010-2012 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील प्रकाशन/पारेषण (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67) के अंतर्गत दर्ज मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गृह मंत्रालय, पोर्नोग्राफी तथा महिलाओं के प्रति अपराध के बीच ऐसा कोई सीधा संबंध होने से अवगत नहीं है।

(घ) से (च) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए महिलाओं के प्रति अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार, महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने बच्चों के प्रति सायबर अपराध की रोकथाम और उसका मुकाबला करने के बारे में दिनांक 04 जनवरी, 2012 का एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलिंग, बाल अश्लील चित्रण तथा कामोत्तेजक सामग्री आदि उपलब्ध कराने की शक्ल में हो रहे अपराधों से मुकाबला करने की सलाह दी गई है।

इंटरनेट की आंतरिक प्रकृति ऐसी है जिससे कि पोर्नोग्राफी सामग्री के अपलोड को रोक पाना तकनीकी रूप से काफी कठिन है। फिर भी भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में पोर्नोग्राफी विषय-वस्तु से निपटने के लिए कानूनी ढांचा उपबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67क और 67ख में इलेक्ट्रानिक रूप में पोर्नोग्राफी के प्रकाशन अथवा पारेषण के साथ-साथ वेबसाइट पर ऐसी सूचना, जो कामोत्तेजक हो, अथवा जिसमें कामोत्तेजक भाव-भंगिमा अथवा आचरण निहित हो अथवा कामोत्तेजक भाव-भंगिमाओं में बच्चों को संलिप्त दिखाया गया हो, डालने के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/पारेषण (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67)		
		2012	2011	2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	28	52	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	0
3.	असम	0	4	5
4.	बिहार	5	5	0
5.	छत्तीसगढ़	16	0	1
6.	गोवा	12	6	10
7.	गुजरात	12	6	9
8.	हरियाणा	12	4	0
9.	हिमाचल प्रदेश	8	4	4
10.	जम्मू और कश्मीर	8	1	0
11.	झारखंड	4	0	0
12.	कर्नाटक	32	37	45
13.	केरल	147	136	103
14.	मध्य प्रदेश	39	40	21
15.	महाराष्ट्र	76	62	61
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0
18.	मिज़ोरम	0	3	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	8	3	4
21.	पंजाब	36	36	19
22.	राजस्थान	48	40	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2	9	9
25.	त्रिपुरा	7	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	26	25	10
27.	उत्तराखंड	0	1	6
28.	पश्चिम बंगाल	51	10	9
	कुल (राज्य)	579	487	325

1	2	3	4	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2	2	2
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	7	6	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	10	9	3
	कुल (अखिल भारत)	589	496	328

[अनुवाद]

यूरिया-उत्पादक उद्योग

867. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया-उत्पादक उद्योग को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय किसान कृषि-उत्पादन के इस महत्वपूर्ण आदान से वंचित नहीं हो जाएंगे तथा कृषि-उत्पादन में भारी कमी नहीं आ जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नैनी कोयला-ब्लॉक

868. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) ने मंत्रालय से उसे आबंटित नैनी-ओडिशा कोयला-ब्लॉक आधारित विद्युत परियोजना के स्थान को बदलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जीएमडीसी के इस अनुरोध के पीछे क्या कारण बतलाए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम लि. ने मंत्रालय से नैनी कोयला ब्लॉक से कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के स्थलों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया था क्योंकि विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु चयनित पार्टियां ओडिशा में आंगुल तथा झारखंड में दुमका के नजदीक के बजाय गुजरात में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना चाहती थी। सरकार ने विद्युत मंत्रालय और ओडिशा सरकार से सिफारिशें मांगी थीं। तथापि, आवंटित कोयला ब्लॉक एवं लिंक्ड/जुड़े हुए अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने नैनी कोयला ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात् उसके आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की है साथ ही इस ब्लॉक के विकास से जुड़ी 50 प्रतिशत बैंक गारंटी को जब्त करने को भी कहा है। सरकार ने आईएमजी की सिफारिशें स्वीकार कर ली है तथा ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को जाति प्रमाण-पत्र

869. **श्री सज्जन वर्मा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के जाति-प्रमाणपत्र के जारीकरण तथा प्रमाणिकता के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जाति-प्रमाणपत्र पाने के लिए वर्ष 1950 या उससे पहले का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने माधुरी पाटिल (1994 की सिविल अपील सं.5854) के मामले

में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र जारी करने तथा इनके सत्यापन हेतु एक प्रक्रिया की सिफारिश की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 1.1.2003 के पत्र के तहत यह अनुरोध किया गया था कि जाति दर्जा के सत्यापन उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्रता से किया जाए।

जाति प्रमाण-पत्र जारी करना तथा इनका सत्यापन करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में दिनांक 22.3.1977 के गृह मंत्रालय के पत्र के तहत जारी किए गए अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति/महिला के माता-पिता माननीय राष्ट्रीय के आदेश की अधिसूचना की तारीख को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए जो उस व्यक्ति अथवा उस महिला के मामले में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में लागू होते हों।

[अनुवाद]

संवेदनशील क्षेत्रकों में एफडीआई की अधिकतम सीमा

870. श्री सुरेश कलमाडी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रकों, जैसेः रक्षा, दूरसंचार, अंतरिक्ष, नागर विमानन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी, आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है तथा इस सिलसिले में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से आक्रोश व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने संवेदनशील स्थिति ओर सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से विमानन, दूरसंचार एवं सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) के क्षेत्रों के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा और/अथवा प्रवेश मार्गों में किसी प्रकार के बदलाव पर अपनी सहमति नहीं दी है। गृह मंत्रालय ने "चिंता पैदा करने वाले निवेश" और विभिन्न श्रेणी के निवेशकों एवं निवेश; निवेश के स्रोतों एवं निवेश के लिखतों से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है।

(ग) सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति के उदारीकरण को मंजूरी देते समय गृह मंत्रालय की चिंताओं को भी ध्यान में रखा है।

इदुक्की पैकेज

871. श्री पी.टी. थॉमस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इदुक्की पैकेज की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं जारी राशि और अब तक प्रयुक्त राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के पास स्वीकृति के लिए अब तक लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में केरल के इदुक्की जिले में 764.65 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ कृषि से संबंधित दबाव को कम करने के लिए एक पैकेज अनुमोदित किया गया था। केरल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर, 2013 तक के 438.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 237.78 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए जा चुके हैं तथा 167.86 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जा चुका है। इस पैकेज का कार्यान्वयन समीक्षा के अनुसार नियमित आधार पर तथा पैकेज के भाग रूप में अनुमोदित मानीटरिंग यंत्रीकरण की समीक्षा की गई है।

पैकेज के कार्यान्वयन की अवधि नवंबर, 2013 में पहले से समाप्त हो चुकी है तथा उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

कोयला-ब्लॉक आबंटन में जनजातियों के हितों की अनदेखी

872. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयला-ब्लॉकों को आबंटन करते समय जनजाति-कल्याण संबंधी विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते हुए जनजातियों के हितों की अनदेखी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के उल्लंघन के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को ठीक करने और ऐसे क्षेत्रों में जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु उक्त उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अनुसरण में भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत पात्र सार्वजनिक/निजी कंपनियों को केप्टीव कोयला-ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। आवंटन के पश्चात्, आवंटिती कंपनी को पर्यावरण अनुमति, वन अनुमति जैसे विभिन्न सांविधिक अनुमतियां/अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की पहचान) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुमतियां शामिल है।

एनटीपीसी को कोयला-ब्लॉकों का पुनः आबंटन

873. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी ने विद्युत-उत्पादन के प्रयोजन से कोयला उत्पादन हेतु कुछ कोयला-ब्लॉकों का पुनः आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी को इन कोयला-ब्लॉकों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विकसित करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) एनटीपीसी को अपने दिनांक 05.02.2012 के पत्र अनुसार उनके द्वारा यथा प्रस्तुत कोयले के उत्पादन की शुरूआत के लिए समय-सीमा का अनुपालन करना अपेक्षित है जोकि निम्नानुसार है:—

(i)	चट्टी बरियातु	:	मार्च, 2014
(ii)	केरनदारी	:	सितंबर, 2014
(iii)	चट्टी बरियातु (साउथ)	:	चट्टी बरियातु ब्लॉक में खनन के पूर्ण होने के बाद अर्थात् 2038 तक

[हिन्दी]

किसान कॉल सेंटर

874. श्री अंजन कुमार एम. यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में स्वीकृत और कार्यरत किसान कॉल सैंटरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कॉल-सैंटरों की संख्या किसानों को कृषि के बारे में सूचना देने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इन किसान कॉल सैंटरों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में नए किसान कॉल सैंटर खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)** : (क) वर्तमान में किसान कॉल सैंटर आंध्र प्रदेश सहित देश के 14 स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। देश में कार्य कर रहे और अनुमोदित किसान कॉल सैंटरों (केसीसी) के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। विद्यमान कॉल प्रवाह के अनुसार अपेक्षित जनशक्ति इन कॉल सैंटरों पर नियोजित की गई है। आवश्यकता के अनुसार जनशक्ति बढ़ाने के लिए इन सैंटरों पर कॉल प्रवाह को निकट से मॉनीटर किया जा रहा है। मई 2012 के दौरान इन केसीसी पर 212 फार्म दूरभाष परामर्शकों (एफटीए) की तुलना में आज की तारीख तक अनुमोदित क्षमता 376 है। इन एफटीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कम से कम स्नातक हैं। प्रशिक्षण, विशेषज्ञ विचार विमर्शों और दिशानिर्देश पुस्तिकाओं के नवीनतम संकलन उपलब्ध करा के और राज्य कृषि विभाग या कृषि विश्व विद्यालय द्वारा जारी की गई बुकलेटों के माध्यम से उनके ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

(ग) पुनर्गठित एवं पुनर्सज्जित केसीसी में सेवाओं की गुणवत्ता निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय विशेषताओं के कारण सुधरी है:—

(i) वॉइस/मीडिया गेटवे (आईपीपीबीएक्स आधारित विकेन्द्रित प्रणाली)

(ii) समर्पित बैंडविडथ के साथ पट्टे पर ली हुई समर्पित एमपीएलएस

(iii) 100 प्रतिशत कॉल रिकार्डिंग/कॉल उत्तर

(iv) कॉल बार्जिंग

(v) किसानों को फोन पर दी गई परामर्शिकाओं का सार उपलब्ध कराते हुए उन्हें एसएमएस करना

(vi) केसीसी के ऑफ-समय के दौरान या जब लाइनें व्यस्त हों

उस समय किसानों की पूछताछ संबंधी जानकारी रिकार्डिंग के लिए वॉइस मेल प्रणाली

(vi) राज्य कृषि के प्रभागीय/जोनल स्तर अधिकारियों के साथ केसीसी एजेन्टों के विचार विमर्श हेतु प्रत्येक केसीसी पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ओर केसीसी की कार्य प्रणाली की ऑन लाइन एवं वास्तविक मानीटरिंग

(vii) उच्चतर स्तर के विशेषज्ञों द्वारा सलाह के लिए कॉल कान्फ्रेंस और कॉल एस्कालैशन

(viii) कृषि और संबद्ध क्षेत्र में किसानों की पंसद के क्षेत्रों में उन्हें एसएमएस संदेश भेजने के लिए किसानों के मोबाइल नंबर रजिस्टर करने की सुविधा।

(घ) और (ङ) विद्यमान 14 किसान कॉल सेंटर संपूर्ण देश में किसानों की आवश्यकताओं की सेवा कर रहे हैं। तथापि, राज्य-वार काल प्रवाह की इन केसीसी पर निकट से मॉनीटरिंग की जा रही है। जब कभी एक विशेष राज्य में कॉलें अवसीमा से बढ़ती हैं, उस राज्य में नया किसान कॉल सैंटर स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

देश में वर्तमान में कार्यरत किसान कॉल केन्द्रों की अवस्थिति और कवरेज क्षेत्र (प्रत्येक केसीसी द्वारा कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

क्र. सं.	किसान कॉल केन्द्रों की अवस्थिति	कवरेज क्षेत्र (प्रत्येक केसीसी द्वारा कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	पटना	बिहार, झारखंड
3.	जयपुर	राजस्थान और दिल्ली
4.	अहमदाबाद	गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
5.	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
6.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
7.	बैंगलूरु	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप
8.	जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
9.	पुणे	महाराष्ट्र और गोवा
10.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा पुदुचेरी
11.	कानपुर	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
12.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
13.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
14.	भुवनेश्वर	ओडिशा

[अनुवाद]

लुप्त होती जनजातीय कलाएं

875. श्री रामसिंह राठवा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न जनजातियों की लुप्त होती कलाओं का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन कलाओं के संरक्षण और इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकार की संगत बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के पंजीकरण की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) से (घ) तीव्र शहरीकरण के कारण, देश में लोक और जनजातीय कला एवं संस्कृति का परिरक्षण एक मुख्य चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है, जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर और तंजावुर में हैं।

2. जेडसीसी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारंपरिक लोक कलाओं और संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। जेडसीसी क्षेत्र विशेष की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता एवं विलक्षणता को विकसित एवं प्रोत्साहित करने तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाने और समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। जेडसीसी, विभिन्न स्कीम के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कार्यकलाप तथा कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लुप्तप्राय कला रूपों का प्रलेखन भी शामिल है।

(ङ) और (च) बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत इन कलाओं के पंजीकरण के लिए संस्कृति मंत्रालय में कोई योजना नहीं है। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 38 एवं 38क कलाकारों की कला प्रस्तुतियों को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है। जनजातीय लोगों की कला प्रस्तुतियों को अधिनियम की धारा 45 के अनुसार कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकृत किया जा सकता है।

[हिन्दी]

गरीबों की सामाजिक स्थिति

876. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गरीब वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए सच्चर समिति का गठन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिर पर मैला ढोने के काम में लगे परिवार

877. **श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगने के बावजूद, यह देश के कई भागों में अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा राजस्थान सहित देशभर में सिर पर मैला ढोने के काम में लगे परिवारों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उनके लिए एक नया विधान बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा मार्च, 2012 में घरों को सूचीबद्ध करने तथा आवास जनगणना, 2011 के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों में अन्य बातों के साथ-साथ, शौच सुविधा के प्रकार सहित ऐसे शौचालयों की संख्या उपलब्ध करायी गई है जिनमें मैला हाथ से उठाया जाता है। इन आंकड़ों के अनुसार, गोवा तथा सिक्किम राज्य और चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर ऐसे शौचालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा थे।

यद्यपि, बकाया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हाथ से मैला साफ करने वाले शौचालयों की मौजूदगी इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि वहां हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को समाप्त किया जाना अभी बाकी है। इन आंकड़ों में हाथ से मैला साफ करने वाले परिवारों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

(ग) से (ङ) "हाथ से मैला साफ करने वाले कर्मियों के रूप में नियुक्ति पर रोक तथा उनके पुनर्वास संबंधी अधिनियम, 2013" को 6.12.2013 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है सिवाय जम्मू और कश्मीर के। अधिनियम का आशय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:—

(i) अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करना।

(ii) निम्न पर रोक लगाना:—

क. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन।

ख. सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की हाथ से खतरनाक तरीके से सफाई।

(iii) हाथ से मैला साफ करने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण तथा उनका पुनर्वास।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु योजनाएं

878. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति के छात्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं हेतु किए गए बजटीय आबंटन और व्यय का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने दिनांक 01.07.2012 से प्रभावी एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना लागू की है। राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति के छात्रों सहित देश के पिछड़ें जिलों के छात्रों के शैक्षिक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभॉवकों की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति एवं अन्य अनुदान की दरें निम्नलिखित होंगी:—

मद	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी
छात्रवृत्ति (10 माह के लिए प्रति माह रुपए)	150	350
पुस्तक एवं तदर्थ अनुदान राशि (प्रतिवर्ष रुपए)	750	1000

(ग) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान, इस योजना के तहत किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नवत् है:—

	बजट अनुमान (लाख रुपए में)	संशोधित अनुमान (लाख रुपए में)
2012-13	82400.00	93870.00
2013-14	90000.00	अभी अंतिम रूप में दिया जाना है।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (आज तक) के दौरान इस योजना के तहत जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के तहत वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य-वार जारी केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13 जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)	2013-14 जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में) (दिनांक 06.12.2013 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11299.11	0.00
2.	बिहार	5467.24	6185.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	24750.00
4.	गोवा	2.31	0.00
5.	गुजरात	1155.74	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	862.44	0.00
7.	झारखंड	1202.87	0.00
8.	कर्नाटक	4781.30	29020.00
9.	केरल	1984.19	0.00
10.	मध्य प्रदेश	9695.44	0.00

1	2	3	4
11.	मणिपुर	9.11	0.00
12.	महाराष्ट्र	0.00	11334.00
13.	ओडिशा	4068.60	4677.00
14.	पंजाब	2154.53	3856.00
15.	राजस्थान	4396.23	0.00
16.	सिक्किम	8.02	0.00
17.	तमिलनाडु	4113.93	0.00
18.	त्रिपुरा	534.22	272.00
19.	उत्तर प्रदेश	29484.36	0.00
20.	उत्तराखंड	1597.18	1134.00
21.	पश्चिम बंगाल	10320.00	0.00
	कुल	93136.82	32835.00

[हिन्दी]

नैमित्तिक मजदूरों की मजदूरी

879. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित विभिन्न स्मारकों/ऐतिहासिक भवनों में कार्य कर रहे नैमित्तिक मजूदरों को कार्मिक और लोक शिकायत विभाग के अनुदेशों/नियमों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बीबी का मकबरा सहित ऐसे अन्य स्मारकों में कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी देने में उक्त नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों को संबंधित राज्यों/जिलों के श्रम आयुक्तों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तथापि, जहां नैमित्तिक मजदूरों और नियमित कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य एक ही स्वरूप का है, वहां नैमित्तिक मजदूरों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जून, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 49014/?/86 स्थापना (ग) के अनुसार एक दिन के 8 घंटों के कार्य के लिए महंगाई भत्ता और संगत वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 1/30 वां भाग की दर से भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बीबी का मकबरा और अन्य स्मारकों/स्थलों पर, जहां नैमित्तिक मजदूरों और नियमित कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य एक जैसा है, कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी देने में कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

880. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान होने के बावजूद, कुल उत्पादन में से प्रसंस्कृत किए जाने वाले फलों और सब्जियों का प्रतिशत देश में बहुत कम है और देश इस सिलसिले में आयात पर निर्भर है जबकि देश में प्रसंस्कृत खाद्य और सब्जी उत्पादों की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उत्पादित खाद्य सामग्री और सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अनुमानतः कितनी अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता की आवश्यकता है; और

(ङ) खाद्य व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा और सहायता देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) "विजन 2015: भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए रणनीति एवं कार्य योजना" के अप्रैल, 2005 के दस्तावेज के अनुसार, भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर कुछ विकसित देशों की तुलना में बहुत नीचे है। हालांकि, वर्ष 2011-12 में समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का अंशदान 8.6% वार्षिक

औसत विकास दर से बढ़ा है। घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास के बावजूद, उपभोक्ताओं की मांग एवं उनकी प्राथमिकताओं के कारण प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का आयात बढ़ा है।

(ग) और (घ) विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने, उनकी बरबादी में कमी लाने तथा किसानों को अधिक आय सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को ऊंचा उठाने का रहा है। हालांकि, सरकार ने देश में फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु में अप्रैल, 2012 को एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) की शुरूआत की है। एनएमएफपी के अंतर्गत अन्य विभिन्न स्कीमों के साथ-साथ, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण, गैर-बागवानी उत्पादों के लिए शीतशृंखला यूनिटों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों की स्थापना, मांस की दुकानों की स्थापना/आधुनिकीकरण करना, रीफर वाहन प्राप्त करना, मानव संसाधन विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप चलाना शामिल है। एनएमएफपी के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान राज्य-वार आबंटित, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 और 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान एनएमएफपी के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य/केन्द्र सरकारों को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निधियों के आबंटन, निर्मुक्ति तथा उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(क) राज्य:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन		भारत सरकार द्वारा जारी राशि		दिनांक 30.11.2013 तक निधियों का संचयी उपयोग
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14.24	11.58	10.68	0.00	0.00
2.	बिहार	11.42	9.07	8.565	2.29	8.43
3.	छत्तीसगढ़	7.68	5.91	5.91	0.00	0.00
4.	गोवा	3.66	2.15	2.745	0.00	0.00
5.	गुजरात	11.15	8.83	8.3625	0.00	0.00
6.	हरियाणा	5.92	4.16	4.44	2.08	5.92
7.	हिमाचल प्रदेश	5.09	3.42	3.8175	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	9.00	6.91	6.75	0.00	0.00
9.	झारखंड	7.09	5.20	5.3175	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	11.11	8.79	8.3325	3.83	10.34
11.	केरल	6.23	4.44	4.6725	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	14.27	11.61	10.7025	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	16.51	13.61	12.3825	0.79	8.50

1	2	3	4	5	6	7
14.	ओडिशा	9.24	7.12	6.93	0.00	0.00
15.	पंजाब	6.16	4.37	4.62	0.00	0.00
16.	राजस्थान	14.77	12.06	11.0775	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	10.40	8.16	7.80	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	20.03	16.75	15.0225	0.00	0.00
19.	उत्तराखंड	5.23	3.54	3.9225	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	10.60	8.33	10.82	0.00	0.00
	कुल	200.00	156.00	152.87	8.99	33.19*

*इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का हिस्सा शामिल है।

(ख) पूर्वोत्तर राज्य: (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन		भारत सरकार द्वारा जारी राशि		दिनांक 30.11.2013 तक निधियों का संचयी उपयोग
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	
1.	अरुणाचल प्रदेश	4.20	2.70	3.15	0.00	0.00
2.	असम	5.47	3.97	4.1025	0.00	0.00
3.	मणिपुर	3.79	2.29	2.8425	0.00	0.00
4.	मेघालय	3.80	2.30	2.85	0.00	0.00
5.	मिजोरम	3.71	2.21	2.7825	0.00	0.00
6.	नागालैंड	3.71	2.21	2.7825	0.00	0.00
7.	सिक्किम	3.58	2.08	3.06	0.00	0.00
8.	त्रिपुरा	3.74	2.24	2.805	0.00	0.00
	कुल	32.00	20.00	24.375	0.00	0.00

(ग) संघ राज्य क्षेत्र: (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार के हिस्से का आबंटन		भारत सरकार द्वारा जारी राशि		दिनांक 30.11.2013 तक निधियों का संचयी उपयोग
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.64	1.77	1.98	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	चंडीगढ़**	2.28	1.06	0.00	0.00	0.00
3.	दादरा और नागर हवेली**	2.28	1.06	0.00	0.00	0.00
4.	दमन और दीव**	2.26	1.02	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	2.73	1.97	2.0475	0.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	2.25	1.01	1.6875	0.00	0.00
7.	पुदुचेरी	2.30	1.11	1.725	0.00	0.00
	कुल	16.74	9.00	7.44	0.00	0.00

**वे संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने तैयारी कार्यकलापों/अग्रिम कार्रवाई और एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए भी निधियां नहीं ली हैं।

एनएमएफपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का सार:

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान = 184.68 करोड़ रुपए

(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान = 8.99 करोड़ रुपए

कृषि उत्पादों की लागत में बढ़ोत्तरी

881. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के कारण कृषि उत्पादों की लागत में अब तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार उक्त बढ़ोतरी के विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखकर मनरेगा को कृषि उत्पादों और कृषि कार्यों के मूल्यों को जोड़कर सिफारिशों को स्वीकार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने यह सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लागू करने के बाद 2006-07 से कृषि मजदूरी दर में प्रत्यक्ष वृद्धि रिकार्ड की गई है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय के कार्यक्रमों के साथ मनरेगा को मिलाने के संबंध में दिशानिर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। सरकार ने मनरेगा के तहत कई नये कार्यों को अधिसूचित किया है जिसमें से अधिकांश कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित है।

गैर-कोकिंग कोल की कीमत में वृद्धि

882. **श्री के. सुगुमार : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने तकरीबन सभी गैर-कोकिंग कोल की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित अतिरिक्त राजस्व का सहायक कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) सभी सहायक कंपनियों तथा बीसीसीएल के नॉन लिंक्ड वाशरी (एनएलडब्ल्यू) कोयले द्वारा उत्पादित ग्रेड 28.5.2013 से यथा लागू बीसीसीएल के नॉन-लिंक्ड वाशरी (एनएलडब्ल्यू) कोयला जी1, जी2 और जी5 के अलावा नॉन कोकिंग कोयला सभी ग्रेडों के बुनियादी अधिसूचित मूल्यों को कोल इंडिया लि. ने संशोधित करके युक्तियुक्त बनाया है।

(ख) 28.5.2013 से लागू मूल्य संशोधन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) एनईसी सहित सभी सहायक कंपनियों के लिए सकल क्लोरिफिक लागत (जीसीवी) के बैंड जी1, जी2 तथा जी5 के लिए नॉन कोकिंग कोयले के उच्चतर ग्रेडों की कीमत को वही रखा गया है जो दिनांक 31.01.2012 की कीमत अधिसूचना के लागू अनुमेय थी।

(ii) आयातित कोयले के मूल्यों के समान ग्रेडों की घटती हुई

प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए नॉन कोकिंग कोयले के उच्चतर ग्रेडों अर्थात् जीसीवी बैंड जी 3 तथा जी 4 की कीमतों को एनईसी सहित सभी सहायक कंपनियों के मामले में 12 प्रतिशत तक घटा दिया गया है।

(iii) उत्पादन के कारकों की घटती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए नॉन कोकिंग कोयले जीसीवी बैंड जी6 से जी17 की कीमतों को 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) नॉन-कोकिंग कोयला के लिए जी6 से जी17 तक हेतु गैर-नियमित क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए लागू मूल्यों को पूर्व में विद्यमान नियमित क्षेत्र के लिए लागू मूल्य के अलावा 35% तक बढ़ा दिया गया है।

(v) जीसीवी ग्रेड जी6 से जी17 के लिए दोनों नियमित और गैर-नियमित क्षेत्र के वास्ते अन्य सहायक कंपनियों हेतु लागू मूल्यों के अलावा वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए 10% वृद्धि।

(vi) ईस्टर्न कोलफील्ड की राजमहल खान से उत्पादित कोयले के संबंध में अधिसूचित मूल्य के अलावा 300 रुपए प्रति टन अतिरिक्त कीमत है।

(vii) नियमित क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए लागू बीसीसीएल के एनएलडब्ल्यू कोयला के मूल्य में 10% वृद्धि, नियमित क्षेत्र के लिए प्रचलन के अनुसार लागू मूल्य से अधिक 30% की वृद्धि गैर-नियमित क्षेत्र के मूल्य में की गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए बुनियादी अधिसूचित मूल्य के संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त राजस्व निम्नलिखित है:-

कंपनियां	चालू वित्त वर्ष के लिए बुनियादी अधिसूचित मूल्य के संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त राजस्व (रुपए करोड़ में)
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड लि.	-99
भारत कोकिंग कोल लि.	103
सेन्ट्रल कोलफील्ड लि.	248
नार्दर्न कोलफील्ड लि.	664
वेस्टर्न कोलफील्ड लि.	22
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि.	495
महानदी कोलफील्ड लि.	686
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड	0
कोल इंडिया लि.	2119

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए ऋण गारंटी योजना

883. श्री पी.आर. नटराजन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बजट संबंधी प्रावधानों/आबंटन/इनके जारी करने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नि:शक्त व्यक्तियों की नि:शक्तता और राज्य-वार संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) ऋण गारंटी निधि योजना, उधार देने वाले संस्थान (संस्थानों) के सदस्य द्वारा किए एकल पात्र उधार लेने वाले को सूक्ष्म तथा उधारी को शामिल करती है, बशर्ते कि यह राशि (i) 50 लाख रुपए से अधिक न हो (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वित्तीय संस्थान) और (ii) जो 100 लाख रुपए से अधिक न हो (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा चुनिंदा वित्तीय संस्थान) जो आवधिक ऋण और/अथवा बिना किसी समानांतर सुरक्षा और/अथवा किसी तृतीय पक्ष गारंटी रहित हो।

इस योजना में विकलांगजनों को विशेष रूप से लाभार्थियों के रूप में शामिल नहीं गया है।

तथापि, राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त और विकास निगम प्रदान (एनएचएफडीसी) विकलांगजनों को उनके स्वरोजगार हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विकलांगजनों को वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के माध्यम से एनएचएफडीसी से उपलब्ध करायी जाती है।

एनएचएफडीसी ने भी विकलांगजनों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर

पर ऋण देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों (पीएसबीएस) तथा 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार किए हैं। ये बैंक भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना में भी कवर होते हैं।

इन योजना के तहत नि:शक्तजन भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के तहत कवर की गयी स्वरोजगार गतिविधियों के लिए इन बैंकों की शाखाओं से 25 लाख रुपए तक का समानांतर गारंटी मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) विगत दो वर्षों में प्रति वर्ष अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (1.12.2013 तक) के दौरान सैद्धांतिक आवंटन/एनएचएफडीसी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गयी निर्मुक्तियों के ब्यौरे संलग्न हैं (विवरण-I)।

(ग) जिन नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गयी है, उनको राज्य-वार तथा विकलांगता-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II) में दिया गया है।

विवरण-I

विगत दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एनएचएफडीसी द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीएस) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीएस) को किए गए सैद्धांतिक आवंटन तथा निर्मुक्ति के ब्यौरे

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीएस) (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/पीएसबीएस का नाम	2011-12		2012-13		2013-14 (30.11.2013 तक)	
		सैद्धांतिक आवंटन (**)	जारी की गयी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी की गयी राशि	सैद्धांतिक आवंटन	जारी की गयी राशि
1.	असम	—	***	***	शून्य	3.61	शून्य
2.	गुजरात	—	***	4.26	0.81	4.36	0.07
3.	हरियाणा	—	7.00	3.67	1.83	4.61	शून्य
4.	मध्य प्रदेश	—	***	2.56	शून्य	5.12	शून्य
5.	महाराष्ट्र	—	***	***	0.24	5.97	शून्य
6.	उत्तर प्रदेश	—	4.60	32.42	16.55	37.07	4.41
7.	उत्तराखंड	—	7.00	1.25	2.00	2.29	शून्य
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबीएस)						
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा (19.01.2013 से)	—	***	***	शून्य	10.00	0.52
9.	आईडीबीआई (21.12.2012 से)	—	***	***	शून्य	10.00	शून्य
10.	आंध्र बैंक (19.12.2012 से)	—	***	***	शून्य	10.00	शून्य
11.	पंजाब नेशनल बैंक (03.06.2013 से)	—	—	—	—	10.00	शून्य
	कुल	—	18.60	44.16	21.43	103.03	5.00

*वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान किसी आरआरबी/पीएसबी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

**2011-12 के दौरान कोई आवंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2012-13 से आगे सैद्धांतिक आवंटन किया गया था।

***2012-13 में करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2013-14 से सैद्धांतिक आवंटन किया गया था।

विवरण-II

एनएचएफडीसी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीएस) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीएस) के माध्यम से जिन विकलांगजनों को सहायता दी गयी है, उनकी राज्य-वार तथा विकलांगता-वार संख्या

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीएस)

क्र. सं.	राज्य/पीएसबीएस का नाम	विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के तहत लाभार्थियों की संख्या (#)			
		ओएच	एचएच	वीएच	एमआर
1.	असम	—	—	—	—
2.	गुजरात	05	—	—	—
3.	हरियाणा	73	—	01	—
4.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—
5.	महाराष्ट्र	—	—	—	—
6.	उत्तर प्रदेश	626	03	07	—
7.	उत्तराखंड	16	03	—	—
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबीएस)				
8.	बैंक ऑफ बड़ौदा (19.01.2013 से)	—	—	—	—
9.	आईडीबीआई (21.12.2012 से)	—	—	—	—
10.	आंध्र बैंक (19.12.2012 से)	—	—	—	—
11.	पंजाब नेशनल बैंक (03.06.2013 से)	—	—	—	—
	कुल	719	06	08	-

#आज तक पीएसबीएस/आरआरबीएस से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार।

संक्षेप

पीएसबी — सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

आरआरबी — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ओएच — अस्थि विकलांग

एचएच — श्रवणबाधित

वीएच — दृष्टि बाधित

एमआर — मंदबुद्धि

पुलिस नागरिक अनुपात

884. श्री निलेश नारायण राणे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुलिस नागरिक अनुपात सहित राज्य पुलिस कर्मियों की पद-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पुलिस नागरिक अनुपात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश के पुलिस विभागों में लगभग पांच लाख पद कथित रूप से रिक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्त पदों को भरने में देरी के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा देश में इन सभी रिक्त पदों को भरने तथा पुलिस नागरिक अनुपात को सुधारने के लिए अन्य क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। पूरे देश में कुल पुलिस-जनसंख्या अनुपात (प्रति लाख में उपलब्ध पुलिस कार्मिकों की कुल स्वीकृत संख्या) में व्यापक अंतर देखा गया है। छिट-पुट रूप से बसे त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में अधिकतम पुलिस-जनता अनुपात है जबकि प्रति लाख आबादी में 176 पुलिस कार्मिकों का राष्ट्रीय औसत है।

(घ) जी, हां। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में पुलिस विभागों में कथित रूप से लगभग पांच लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(ङ) और (च) भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण, पुलिस बलों में रिक्तियों को भरना और पुलिस-जनता अनुपात में सुधार लाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बलों में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न मंचों पर समय-समय पर सलाह दी गई है।

विवरण

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीजीपी/स्पे.डीजीपी		प्रति लाख आबादी में अनुपात		अपर डीजी		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8	8	0.009	0.009	29	26	0.34	0.031
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.080	0.080	0	0	0.000	0.000
3.	असम	3	3	0.010	0.010	11	11	0.035	0.035
4.	बिहार	3	4	0.003	0.004	9	14	0.009	0.014
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0.004	0.004	3	2	0.012	0.008
6.	गोवा	1	1	0.055	0.055	0	0	0.000	0.000
7.	गुजरात	1	0	0.002	0.000	22	19	0.037	0.032
8.	हरियाणा	7	3	0.028	0.012	10	6	0.040	0.024
9.	हिमाचल प्रदेश	1	5	0.015	0.074	8	7	0.118	0.104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1	0.014	0.007	4	6	0.029	0.043
11.	झारखंड	1	2	0.003	0.006	6	7	0.019	0.022
12.	कर्नाटक	6	6	0.010	0.010	22	22	0.037	0.037
13.	केरल	1	1	0.003	0.003	9	8	0.025	0.023
14.	मध्य प्रदेश	3	5	0.004	0.007	13	24	0.018	0.033
15.	महाराष्ट्र	3	3	0.003	0.003	26	22	0.023	0.020
16.	मणिपुर	1	1	0.036	0.036	4	4	0.146	0.146
17.	मेघालय	1	1	0.038	0.038	8	6	0.302	0.227
18.	मिज़ोरम	1	1	0.098	0.098	1	1	0.098	0.098
19.	नागालैंड	1	1	0.044	0.044	2	2	0.088	0.088
20.	ओडिशा	1	1	0.002	0.002	8	7	0.019	0.017
21.	पंजाब	3	2	0.011	0.007	11	11	0.040	0.040
22.	राजस्थान	2	4	0.003	0.006	9	24	0.013	0.035
23.	सिक्किम	1	1	0.162	0.162	2	6	0.323	0.969
24.	तमिलनाडु	4	2	0.006	0.003	23	21	0.034	0.031
25.	त्रिपुरा	1	1	0.027	0.027	1	1	0.027	0.027
26.	उत्तर प्रदेश	10	11	0.005	0.005	32	20	0.016	0.010
27.	उत्तराखंड	1	4	0.010	0.040	2	3	0.020	0.030
28.	पश्चिम बंगाल	8	7	0.009	0.008	26	25	0.028	0.027
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0.225	0.225	0	0	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
32.	दमन और दीव	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
33.	दिल्ली	11	9	0.058	0.047	0	0	0.000	0.000
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
	अखिल भारत	89	91	0.007	0.008	301	305	0.025	0.025

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीपी		प्रति लाख आबादी में अनुपात		डीआईजी		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	42	33	0.049	0.039	44	28	0.052	0.033
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0.160	0.160	6	4	0.479	0.319
3.	असम	11	6	0.035	0.019	12	9	0.038	0.029
4.	बिहार	22	21	0.022	0.021	25	24	0.025	0.024
5.	छत्तीसगढ़	8	8	0.032	0.032	7	3	0.028	0.012
6.	गोवा	1	1	0.055	0.055	2	1	0.110	0.055
7.	गुजरात	25	19	0.042	0.032	33	27	0.056	0.046
8.	हरियाणा	21	23	0.084	0.092	15	9	0.060	0.036
9.	हिमाचल प्रदेश	22	12	0.326	0.178	15	17	0.222	0.252
10.	जम्मू और कश्मीर	13	14	0.093	0.100	25	28	0.179	0.201
11.	झारखंड	13	12	0.041	0.038	14	8	0.045	0.025
12.	कर्नाटक	31	27	0.052	0.045	25	15	0.042	0.025
13.	केरल	13	7	0.037	0.020	13	7	0.037	0.020
14.	मध्य प्रदेश	40	54	0.054	0.073	25	33	0.034	0.045
15.	महाराष्ट्र	44	42	0.039	0.038	46	31	0.041	0.028
16.	मणिपुर	10	7	0.365	0.255	10	5	0.365	0.182
17.	मेघालय	6	6	0.227	0.227	7	3	0.264	0.113
18.	मिज़ोरम	1	1	0.098	0.098	7	3	0.685	0.294
19.	नागालैंड	8	6	0.350	0.263	14	8	0.613	0.350
20.	ओडिशा	14	10	0.034	0.024	22	11	0.053	0.027
21.	पंजाब	13	26	0.047	0.094	25	21	0.091	0.076
22.	राजस्थान	24	36	0.035	0.053	21	23	0.031	0.034
23.	सिक्किम	4	8	0.646	0.292	4	3	0.646	0.485
24.	तमिलनाडु	37	26	0.054	0.038	34	23	0.050	0.034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	5	6	0.136	0.164	11	4	0.300	0.109
26.	उत्तर प्रदेश	63	42	0.031	0.021	73	49	0.036	0.024
27.	उत्तराखंड	5	2	0.050	0.020	10	7	0.100	0.070
28.	पश्चिम बंगाल	33	26	0.036	0.028	50	28	0.055	0.031
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	0.449	0.225	2	2	0.449	0.449
30.	चंडीगढ़	1	1	0.086	0.086	1	1	0.086	0.086
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.000	0.000	1	1	0.341	0.341
32.	दमन और दीव	0	0	0.000	0.000	1	1	0.483	0.483
33.	दिल्ली	20	17	0.105	0.089	19	13	0.100	0.068
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.000	0.000	0	0	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	1	1	0.088	0.088	2	2	0.175	0.175
	अखिल भारत	555	503	0.046	0.042	621	452	0.051	0.037

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआईजीपी/एसएसपी/एसपी		प्रति लाख आबादी में अनुपात		अपर एसपी/डिप्टी कमांडेंट		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	136	96	0.160	0.113	205	111	0.241	0.130
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	21	3.272	1.676	18	17	1.437	1.357
3.	असम	83	74	0.263	0.235	88	87	0.279	0.276
4.	बिहार	108	94	0.109	0.095	21	1	0.021	0.001
5.	छत्तीसगढ़	57	49	0.228	0.196	74	43	0.296	0.172
6.	गोवा	16	13	0.884	0.718	0	0	0.000	0.000
7.	गुजरात	0	0	0.000	0.000	119	82	0.201	0.139
8.	हरियाणा	69	42	0.276	0.168	21	22	0.084	0.088
9.	हिमाचल प्रदेश	55	60	0.814	0.888	58	43	0.858	0.636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर	226	212	1.620	520	0	0	0.000	0.000
11.	झारखंड	56	66	0.178	0.210	35	23	0.111	0.073
12.	कर्नाटक	200	179	0.336	0.301	20	0	0.034	0.000
13.	केरल	76	72	0.215	0.204	16	16	0.045	0.045
14.	मध्य प्रदेश	77	67	0.105	0.091	145	136	0.197	0.185
15.	महाराष्ट्र	298	239	0.267	0.214	0	0	0.000	0.000
16.	मणिपुर	42	36	1.532	1.313	61	27	2.225	0.985
17.	मेघालय	26	26	0.982	0.982	21	19	0.793	0.718
18.	मिज़ोरम	29	29	2.838	2.838	42	39	4.110	3.818
19.	नागालैंड	39	38	1.708	1.664	63	60	2.760	2.628
20.	ओडिशा	145	58	0.351	0.140	99	57	0.240	0.138
21.	पंजाब	224	195	0.811	0.706	0	0	0.000	0.000
22.	राजस्थान	155	83	0.227	0.121	238	197	0.348	0.288
23.	सिक्किम	47	33	7.593	5.331	30	24	4.847	3.877
24.	तमिलनाडु	229	178	0.335	0.261	0	0	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	39	36	0.064	0.983	50	32	1.365	0.873
26.	उत्तर प्रदेश	235	137	0.116	0.067	279	238	0.137	0.117
27.	उत्तराखंड	22	23	0.220	0.230	40	23	0.401	0.230
28.	पश्चिम बंगाल	122	73	0.133	0.080	99	55	0.108	0.060
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	3	0.899	0.674	0	0	0.000	0.000
30.	चंडीगढ़	5	3	0.431	0.258	3	0	0.258	0.000
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0.341	0.341	1	1	0.341	0.341
32.	दमन और दीव	2	2	0.966	0.966	0	0	0.000	0.000
33.	दिल्ली	53	45	0.278	0.236	54	27	0.284	0.142
34.	लक्षद्वीप	1	1	1.351	1.351	0	0	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	4	3	0.351	0.263	0	0	0.000	0.000
	अखिल भारत	2922	2287	0.242	0.190	1900	1380	0.158	0.114

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एएसपी/डिप्टी एसपी		प्रति लाख आबादी में अनुपात		निरीक्षक		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	652	556	0.766	0.653	2608	1569	3.063	1.843
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	39	4.549	3.113	140	108	11.173	8.619
3.	असम	407	174	1.291	0.552	797	692	2.528	2.195
4.	बिहार	490	323	0.495	0.326	948	814	0.958	0.823
5.	छत्तीसगढ़	319	202	1.276	0.808	805	582	3.219	2.327
6.	गोवा	48	24	2.652	1.326	77	60	4.254	3.315
7.	गुजरात	401	251	0.678	0.425	1212	708	2.050	1.198
8.	हरियाणा	239	201	0.955	0.804	747	590	2.986	2.359
9.	हिमाचल प्रदेश	181	94	2.679	1.391	266	240	3.937	3.552
10.	जम्मू और कश्मीर	565	467	4.051	3.348	950	870	6.812	6.238
11.	झारखंड	482	183	1.534	0.582	838	639	2.667	2.034
12.	कर्नाटक	544	476	0.914	0.800	1468	1259	2.466	2.118
13.	केरल	351	325	0.993	0.920	534	475	1.511	1.344
14.	मध्य प्रदेश	700	609	0.951	0.827	1404	1387	1.907	1.884
15.	महाराष्ट्र	902	386	0.807	0.346	3851	3533	3.447	3.163
16.	मणिपुर	198	118	7.221	4.303	403	346	14.697	12.619
17.	मेघालय	75	62	2.832	2.341	194	166	7.326	6.269
18.	मिज़ोरम	99	62	9.687	6.067	223	223	21.820	21.820
19.	नागालैंड	143	112	6.264	4.906	204	183	8.936	8.016
20.	ओडिशा	580	381	1.404	0.922	1187	771	2.873	1.866
21.	पंजाब	417	338	1.510	1.224	1081	930	3.914	3.367
22.	राजस्थान	597	446	0.873	0.652	1090	838	1.594	1.225
23.	सिक्किम	76	53	12.278	8.562	90	70	14.540	11.309
24.	तमिलनाडु	776	712	1.137	1.043	2743	2700	4.018	3.955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	347	124	9.471	3.384	517	462	14.110	12.609
26.	उत्तर प्रदेश	1035	760	0.509	0.374	3057	1167	1.503	0.574
27.	उत्तराखंड	128	83	1.282	0.831	256	158	2.564	1.583
28.	पश्चिम बंगाल	371	260	0.406	0.284	1064	798	1.163	0.872
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	21	3.820	4.719	58	60	13.034	13.483
30.	चंडीगढ़	22	17	1.895	1.464	71	70	6.115	6.029
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0.341	0.341	3	1	1.024	0.341
32.	दमन और दीव	2	2	0.966	0.966	6	5	2.899	2.415
33.	दिल्ली	348	228	1.827	1.197	1319	1288	6.925	6.762
34.	लक्षद्वीप	1	1	1.351	1.351	5	4	6.757	5.405
35.	पुदुचेरी	22	22	1.928	1.928	75	74	6.573	6.486
	अखिल भारत	11593	8113	0.961	0.673	30291	23840	2.512	1.977

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसआई		प्रति लाख आबादी में अनुपात		एएसआई		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7667	4472	9.005	5.253	7571	3680	8.893	4.322
2.	अरुणाचल प्रदेश	499	358	39.824	28.571	537	393	42.857	31.365
3.	असम	3646	3308	11.564	10.492	2239	1974	7.101	6.261
4.	बिहार	9658	7039	9.761	7.114	5153	4248	5.208	4.293
5.	छत्तीसगढ़	2156	1003	8.621	4.011	2763	2007	11.048	8.025
6.	गोवा	228	172	12.597	9.503	220	180	12.155	9.945
7.	गुजरात	4033	2406	6.822	4.070	11582	8849	19.593	14.969
8.	हरियाणा	2137	1508	8.543	6.029	4809	3834	19.225	15.327
9.	हिमाचल प्रदेश	672	584	9.945	8.643	1113	1074	16.472	15.895
10.	जम्मू और कश्मीर	3066	2545	21.983	18.248	3933	3511	28.200	25.174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखंड	4968	2897	15.812	9.220	4378	3369	13.934	10.722
12.	कर्नाटक	3483	2384	5.852	4.005	4723	4601	7.935	7.730
13.	केरल	2308	2130	6.530	6.026	1702	1516	4.815	4.289
14.	मध्य प्रदेश	4551	3027	6.183	4.112	5627	4564	7.645	6.201
15.	महाराष्ट्र	10553	5346	9.447	4.786	18859	14229	16.882	12.737
16.	मणिपुर	1424	890	51.933	32.458	1130	572	41.211	20.861
17.	मेघालय	884	738	33.384	27.870	254	177	9.592	6.684
18.	मिज़ोरम	685	671	67.025	65.656	502	467	49.119	45.695
19.	नागालैंड	766	765	33.552	33.509	420	420	18.397	18.397
20.	ओडिशा	3403	2352	8.238	5.693	5005	4238	12.115	10.259
21.	पंजाब	2743	2588	9.932	9.371	5027	4945	18.203	17.906
22.	राजस्थान	3841	2518	5.615	3.681	5394	4096	7.886	5.988
23.	सिक्किम	265	201	42.811	32.472	273	222	44.103	35.864
24.	तमिलनाडु	8920	5854	13.067	8.576	0	0	0.000	0.000
25.	त्रिपुरा	1553	1275	42.385	34.798	609	575	16.621	15.693
26.	उत्तर प्रदेश	20483	9116	10.071	4.482	0	0	0.000	0.000
27.	उत्तराखंड	975	979	9.766	9.806	36	0	0.361	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	6354	3633	6.947	3.972	13172	8786	14.401	9.606
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	247	184	55.506	41.348	298	200	66.966	44.944
30.	चंडीगढ़	367	357	31.611	30.749	275	213	23.686	18.346
31.	दादरा और नगर हवेली	14	8	4.778	2.730	8	3	2.730	1.024
32.	दमन और दीव	19	6	9.179	2.899	19	19	9.179	9.179
33.	दिल्ली	5305	4927	27.852	25.868	6783	6568	35.612	34.483
34.	लक्षद्वीप	20	8	27.027	10.811	28	6	37.838	8.108
35.	पुदुचेरी	266	216	23.313	18.931	89	74	7.800	6.486
	अखिल भारत	118159	76465	9.799	6.341	114531	89610	9.498	7.431

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हेड कांस्टेबल		प्रति लाख आबादी में अनुपात		कांस्टेबल		प्रति लाख आबादी में अनुपात	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22276	16366	26.164	19.223	91474	62380	107.441	73.268
2.	अरुणाचल प्रदेश	2284	1811	182.283	144.533	7932	5051	633.041	403.113
3.	असम	8319	7722	26.384	24.491	46558	41632	147.663	132.039
4.	बिहार	12251	7447	12.382	7.527	58626	47935	59.253	48.448
5.	छत्तीसगढ़	8745	6492	34.969	25.960	47898	37236	191.531	148.896
6.	गोवा	1154	828	63.757	45.746	4473	4000	247.127	220.994
7.	गुजरात	16033	12668	27.122	21.430	70084	32860	118.557	55.588
8.	हरियाणा	9918	5209	39.650	20.824	43591	29571	174.266	118.218
9.	हिमाचल प्रदेश	2864	2503	42.386	37.043	11930	10037	176.558	148.542
10.	जम्मू और कश्मीर	13231	12560	94.866	90.055	55856	52546	400.488	376.755
11.	झारखंड	11180	6097	35.582	19.405	51299	42100	163.269	133.991
12.	कर्नाटक	20429	19672	34.323	33.052	59771	50585	100.423	84.990
13.	केरल	9384	8641	26.550	24.448	35968	33028	101.763	93.445
14.	मध्य प्रदेश	15508	13977	21.069	18.989	55572	52623	75.500	71.494
15.	महाराष्ट्र	44366	35781	39.715	32.030	102855	75084	92.073	67.213
16.	मणिपुर	4467	3230	162.910	117.797	2333	17868	850.948	651.641
17.	मेघालय	1499	1295	56.609	48.905	9817	8583	370.733	324.131
18.	मिज़ोरम	1896	1765	185.519	172.701	7760	7166	759.295	701.174
19.	नागालैंड	2913	2910	127.595	127.464	19709	19691	863.294	862.505
20.	ओडिशा	6225	4464	15.069	10.806	38384	33626	92.915	81.397
21.	पंजाब	13155	11324	47.634	41.004	56747	51683	205.479	187.142
22.	राजस्थान	9405	7995	13.750	11.688	63283	60194	92.516	88.000
23.	सिक्किम	573	651	92.569	105.170	4076	2667	658.481	430.856
24.	तमिलनाडु	86457	74720	126.653	109.459	13140	11509	19.249	16.860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	9492	8408	259.061	229.476	28983	25372	791.021	692.467
26.	उत्तर प्रदेश	65233	19912	32.075	9.791	278118	141889	136.751	69.767
27.	उत्तराखंड	2822	2458	28.265	24.619	15706	11906	157.312	119.251
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0.000	0.000	55748	41468	60.951	45.339
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	855	746	192.135	167.640	2940	2429	660.674	545.843
30.	चंडीगढ़	1618	972	139.363	83.721	5510	5674	474.591	488.717
31.	दादरा और नगर हवेली	78	51	26.621	17.406	218	213	74.403	72.696
32.	दमन और दीव	74	66	35.749	31.884	228	156	110.145	75.362
33.	दिल्ली	20817	18372	109.293	96.456	46739	43675	245.388	229.301
34.	लक्षद्वीप	64	63	86.486	85.135	230	213	310.811	287.838
35.	पुदुचेरी	698	661	61.174	57.932	2795	1584	244.961	138.826
	अखिल भारत	426283	317837	35.351	26.357	1417351	1064234	117.537	88.254

दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में पुलिस-जनता अनुपात सहित राज्य पुलिस कार्मिकों की रैंक-वार कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल		प्रति लाख आबादी में अनुपात		रिक्तियां
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	132712	89325	155.877	104.917	43387
2.	अरुणाचल प्रदेश	11517	7805	919.154	622.905	3712
3.	असम	62174	55962	197.190	176.632	6482
4.	बिहार	87314	67964	88.249	68.691	19350
5.	छत्तीसगढ़	62836	47628	251.264	190.451	15208
6.	गोवा	6220	5280	343.646	291.713	940
7.	गुजरात	103545	57889	175.162	97.928	45656
8.	हरियाणा	61584	41018	246.198	163.980	20566
9.	हिमाचल प्रदेश	17185	14676	254.329	217.197	2509

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू और कश्मीर	77871	72760	558.335	521.689	5111
11.	झारखंड	73270	55403	233.195	176.330	17867
12.	कर्नाटक	90722	79226	152.425	133.110	11496
13.	केरल	50375	46226	142.524	130.785	4149
14.	मध्य प्रदेश	83665	76506	113.668	103.941	7159
15.	महाराष्ट्र	181803	134696	162.746	120.576	47107
16.	मणिपुर	31083	23104	1133.586	842.597	7979
17.	मेघालय	12792	11082	483.082	418.505	1710
18.	मिज़ोरम	11246	10428	1100.391	1020.352	818
19.	नागालैंड	24282	24196	1063.601	1059.834	86
20.	ओडिशा	55073	45976	133.313	111.292	9097
21.	पंजाब	79446	72063	287.671	260.937	7383
22.	राजस्थान	84059	76454	122.890	111.772	7605
23.	सिक्किम	5441	3939	878.998	636.349	1502
24.	तमिलनाडु	112363	95745	164.603	140.259	16618
25.	त्रिपुरा	41608	36296	1135.590	990.611	5312
26.	उत्तर प्रदेश	368618	173341	181.250	85.232	195277
27.	उत्तराखंड	20003	15646	200.351	156.711	4357
28.	पश्चिम बंगाल	77047	55159	84.238	60.307	21888
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4424	3647	994.157	819.551	777
30.	चंडीगढ़	7873	7308	678.122	629.457	565
31.	दादरा और नगर हवेली	325	280	110.922	95.563	45
32.	दमन और दीव	351	257	169.565	124.155	94
33.	दिल्ली	81468	75169	427.721	394.650	6299
34.	लक्षद्वीप	349	296	471.622	400.000	53
35.	पुदुचेरी	3952	2637	346.363	231.113	1315
	अखिल भारत	2124596	1585117	176.187	131.450	539479

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

885. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित किए गए ऐतिहासिक स्मारकों/विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का और अधिक स्मारकों/विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों/विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार सहित देश में स्थित स्मारकों का जो अभी तक केन्द्र सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन हैं, का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव पर किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) बिहार के 70 स्मारकों/स्थलों सहित देश में 3678 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने हेतु पहचान किए गए स्मारकों/स्थलों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) बिहार सहित देश में उन स्मारकों का ब्यौरा जो संघ सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन हैं, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा/संरक्षण/प्रतिरक्षण पर किए गए व्यय और चालू वर्ष के दौरान किए गए आबंटन को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थलों की सार-सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दमन और दीव (संघ शासित क्षेत्र)	12
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	202
9.	हरियाणा	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69
12.	झारखंड	12
13.	कर्नाटक	507
14.	केरल	26
15.	मध्य प्रदेश	292
16.	महाराष्ट्र	285
17.	मणिपुर	01
18.	मेघालय	08
19.	नागालैंड	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	174
21.	ओडिशा	78
22.	पुदुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	07
23.	पंजाब	33
24.	राजस्थान	162
25.	सिक्किम	03
26.	तमिलनाडु	413
27.	त्रिपुरा	08
28.	उत्तर प्रदेश	743
29.	उत्तराखंड	042
30.	पश्चिम बंगाल	134
	कुल योग	3678

विवरण-II

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए पहचान किए गए स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला	राज्य
1.	प्राचीन स्थल	जूनीकरण	कच्छ	गुजरात
2.	फिरोजशाह महल और तहखाने के नज़दीक स्थित महल इमारत	हिसार	हिसार	हरियाणा
3.	मंदिर समूह	हारादीब	रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला	शाहपुर	पलामू	झारखंड
5.	नवरत्नगढ़ किला और मंदिर परिसर	गुमला	गुमला	झारखंड
6.	तिलियागढ़ किला	साहेबगंज	साहेबगंज	झारखंड
7.	किला और जैन शैलकृत मूर्तियां	कोल्हुआ पहाड़ी	चतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर	पानामारम	वेनाड	केरल
9.	विष्णु मंदिर	नडावयाल	वेनाड	केरल
10.	दौलताबाद किले की किलेबंदी दीवार	दौलताबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	पुराना उच्च न्यायालय भवन	नागपुर	नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला	गिन्नूरगढ़	सिहोर	मध्य प्रदेश
13.	बरंची नारायण मंदिर	बगुडा	गंजम	ओडिशा
14.	मंदिर समूह	रानीपुर झरियाल	बोलंगीर	ओडिशा
15.	सीता-राम जी मंदिर	डीग	भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग महल	डीग	भरतपुर	राजस्थान
17.	बाला किला	अलवर	अलवर	राजस्थान
18.	सीढ़ीदार कुंआ	नीमराणा	अलवर	राजस्थान
19.	सेंट थॉमस चर्च	देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड
20.	नौसेरी बानू मजिस्द	केल्ला निज़ामत	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
21.	चौक मस्जिद	केल्ला निज़ामत	मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
22.	पुरातत्वीय स्थल (साकीसेना टीला)	मोगलबाड़ी	पश्चिम मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	ख्वाजा अन्वर बेर (नवाब बाड़ी महल)	ख्वाजा अन्वर बेर	बर्द्धमान	पश्चिम बंगाल
24.	वृंदावन चंद्र मंदिर	बीरसिंहा	बांकुरा	पश्चिम बंगाल
25.	राधा दामोदर मंदिर	बीरसिंहा	बांकुरा	पश्चिम बंगाल

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार व्यय और चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिए किया गया आबंटन

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	मंडल/शाखा	व्यय 2010-11	व्यय 2011-12	व्यय 2012-13	आबंटन 2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	737.49	875.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	1047.49	935.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.70	494.00	500.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	389.99	359.00	414.99	425.00
5.	कर्नाटक	बैंगलोर मंडल	1245.95	1041.00	1131.00	1060.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	981.88	943.98	793.00	780.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.90	708.50	720.00
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	455.22	475.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	433.08	378.75	460.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	530.00	500.03	600.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	685.92	685.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	89.80	62.81	105.00	185.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	1100.98	1380.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	107.99	140.00
15.	सिक्किम के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी राज्य	गुवाहाटी मंडल	144.64	213.32	207.25	265.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	435.00	550.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	890.00	875.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	275.04	345.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	243.80	290.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल लेह	52.15	85.00	67.00	100.00
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.50	406.00	360.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	गुजरात, दमन और दीव	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	459.99	525.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	107.49	175.00
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	405.00	355.00
25.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	53.57	80.00
		रासायनिक संरक्षण (अखिल भारतीय)	507.46	556.39	527.67	639.00
		उद्यान गतिविधि (अखिल भारतीय)	1796.76	1514.78	2122.85	2125.00
		महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण				*2500
		कुल	15649.50	13389.88	14861.02	18404.00

*महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास आरक्षित निधि को मंडल-वार/शाखा-वार आबंटित किया जाना है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों का उपयोग

886. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों के उपयोग के उपरान्त सरकार को निर्धारित समय के अंदर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्देश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 5.4 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 में यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष की दूसरी किस्त अन्य बातों के साथ-साथ हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी।

खाद्य आयोग

887. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य आयोग की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके प्रस्तावित कार्य क्या हैं; और

(ग) उक्त आयोग के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) दिनांक 10.09.2013 को सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। तथापि, इस अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम की निगरानी तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष, पांच सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव होंगे। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग करने तथा इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए

अधिसूचना द्वारा किसी सांविधिक आयोग अथवा निकाय को नामित कर सकती है।

इस अधिनियम में राज्य खाद्य आयोग के लिए निर्धारित कार्य निम्नानुसार हैं:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करना;

(ख) स्वयं अथवा शिकायत प्राप्त होने पर अध्याय-2 के अंतर्गत उपबंधित हकदारियों के उल्लंघन की जांच करना;

(ग) राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श देना;

(घ) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट हकदारी को पूरी तरह से प्राप्त करने में लोगों को समर्थ बनाने हेतु राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों, स्वायत्त निकायों तथा संबंधित सेवाएं प्रदान करने में शामिल गैर-सरकारी संगठनों को भोजन तथा पोषण से संबंधित स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना; और

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को राज्य खाद्य आयोग से संबंधित आवश्यक नियम बनाना तथा इसका गठन करना, अथवा राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग करने तथा इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए किसी सांविधिक आयोग अथवा निकाय को नामित करना अपेक्षित है।

रोजगार संबंधी सर्वेक्षण

888. **श्री रवनीत सिंह :** क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 2013 में जारी की गई राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजगार वर्ष 2009 के 36.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011-12 में 35.4 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर भी 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) 2009-10 और 2011-12 के दौरान सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर (प्रमुख कार्यकलाप आधारित) रोजगार दर का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) 2009-10 और 2001-12 के दौरान सामान्य प्रमुख कार्यकलाप स्तर के आधार पर अखिल भारत स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के लिये बेरोजगारी दर (प्रतिशत में) का विवरण नीचे दिया गया है:—

श्रेणी	2009-10	2001-12
ग्रामीण पुरुष	1.9	2.1
ग्रामीण महिला	2.4	2.9
ग्रामीण व्यक्ति (पुरुष + महिला)	2.1	2.3
शहरी पुरुष	3.0	3.2
शहरी महिला	7.0	6.6
शहरी व्यक्ति (पुरुष + महिला)	3.7	3.8
पुरुष (ग्रामीण + शहरी)	2.2	2.4
महिला (ग्रामीण + शहरी)	3.3	3.7
व्यक्ति (ग्रामीण + शहरी)	2.5	2.7

विवरण

2009-10 और 2001-12 के दौरान सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (रोजगार दर) का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर रोजगार दर (%)	
		2009-10	2001-12
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	46.2	45.3

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.9	36.5
3.	असम	34.7	32.2
4.	बिहार	26.8	26.1
5.	छत्तीसगढ़	41.3	43.4
6.	दिल्ली	32.9	33.5
7.	गोवा	33.7	35.7
8.	गुजरात	39.7	39.8
9.	हरियाणा	34.1	30.9
10.	हिमाचल प्रदेश	46.3	48.6
11.	जम्मू और कश्मीर	30.5	29.6
12.	झारखंड	30.9	30.4
13.	कर्नाटक	45.0	41.7
14.	केरल	35.1	34.0
15.	मध्य प्रदेश	39.5	36.3
16.	महाराष्ट्र	42.3	40.2
17.	मणिपुर	33.0	32.4
18.	मेघालय	43.3	42.5
19.	मिज़ोरम	44.8	41.7
20.	नागालैंड	30.4	29.7
21.	ओडिशा	36.5	36.2
22.	पंजाब	31.1	32.7
23.	राजस्थान	35.0	35.1
24.	सिक्किम	43.2	51.8
25.	तमिलनाडु	44.1	41.7
26.	त्रिपुरा	33.4	34.0
27.	उत्तराखंड	35.2	31.6
28.	उत्तर प्रदेश	29.1	28.9
29.	पश्चिम बंगाल	35.4	34.9
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.0	39.4
31.	चंडीगढ़	34.2	35.1
32.	दादरा और नगर हवेली	31.8	34.1
33.	दमन और दीव	38.3	40.1
35.	लक्षद्वीप	34.4	31.2
36.	पुदुचेरी	40.7	34.3
	अखिल भारत	36.5	35.4

नारियल किसानों के लिए योजना

889. श्री एम.बी. राजेश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड ने विभिन्न राज्यों के किसानों के लिए कोई बीमा योजना तैयारी की है:

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजनांतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों का योगदान कितना-कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) जी, हां। नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) के माध्यम से नारियल किसानों के लिए नारियल पाम बीमा स्कीम का कार्यान्वयन किया है। वर्तमान में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में स्कीम कार्य कर रही है। संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पाम बीमा हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा किसानों के बीच 50:25:25 के अनुपात में प्रीमियम का योगदान रहता है।

विवरण

बीमित पात का राज्य-वार क्षेत्र तथा संख्या

(आज की तिथि तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कवर किए गए क्षेत्र	बीमा पाम की संख्या (लाख में)
1.	केरल	21558.43	16.96
2.	तमिलनाडु	3308.23	5.28
3.	कर्नाटक	50.44	0.62
4.	आंध्र प्रदेश	360.00	0.54
5.	ओडिशा	21.71	0.03
6.	महाराष्ट्र	3802.78	4.56
7.	गोवा	625.26	0.59
8.	पश्चिम बंगाल	225.21	0.29
	कुल	29932.06	28.87

खुले मुहाने वाली कोयला खदानों का आबंटन

890. डॉ. पी. वेणुगोपाल :
श्री नारेनभाई काछादिया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार कार्यरत भूमिगत और खुले मुहाने वाली कोयला खदानों की कंपनी-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खोली गई नई कोयला खदानों का गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कोयला खदानें खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक आबंटित किए जाने और चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश किए जाने की संभावना है और इस संबंध में कौन से स्रोतों से निधियां जुटाई जाएंगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार, कार्यात्मक रूप में भूमिगत और ओपनकास्ट कोयला और लिग्नाइट खानों की संख्या इस प्रकार हैं:—

कंपनी	राज्य	भूमिगत	ओपनकास्ट
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	पश्चिम बंगाल	77	12
	झारखंड	10	5
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	पश्चिम बंगाल	2	1
	झारखंड	38	18
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	झारखंड	25	42
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश	—	6
	उत्तर प्रदेश	—	4
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	मध्य प्रदेश	20	7
	महाराष्ट्र	22	32
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	मध्य प्रदेश	28	7
	छत्तीसगढ़	36	16

1	2	3	4
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	ओडिशा	11	16
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनईसी)	असम	1	3
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)	आंध्र प्रदेश	34	15
नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) (लिग्नाइट खानों)	तमिलनाडु		3
	राजस्थान		1

(ख) गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई नई कोयला खानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

कंपनी	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	झारखंड	1. पुरनडीह ओसी	1. गोविंदपुर फेस-II ओसी	1. हेसगरा ओसी	—	—
		2. पिंडरा ओसी	2. टर्मी ओसी	2. तापीन (एस) ओसी		
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	मध्य प्रदेश	1. वघोड़ा यूजी	1. जूना कुनाडा ओसी	—	1. गौरी दीप ओसी	—
साउथ ईस्टर्न कोल	मध्य प्रदेश	1. कोतमा पश्चिम यूजी	—	—	—	—
		2. अमादंद ओसी				

कंपनी	परियोजना का नाम भूमिगत (यूजी) ओपनकोस्ट (ओसी) परियोजना	संभावित शुरूआत	राज्य
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)	कासीपेट 2 यूजी	2015-16	आंध्र प्रदेश
	केके 6 और 7 यूजी	2016-17	
	जल्लाराम यूजी	2016-17	
	आर.के. ओसी	2014-15	
	आरजी ओसीपी-II पीएच 2	2014-15	
	एमएनजी ओसीपी	2016-17	
	किस्ताराम ओसीपी	2016-17	
	जेवीआर ओसीपी-II	2016-17	
	अब्बापुर ओसीपी	2016-17	
नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)	बरसिंगसर लिग्नाइट माइंस	जनवरी, 2010	राजस्थान
	खान-II	मार्च, 2010	तमिलनाडु

(ङ) कोल इंडिया लिमिटैड के 35,845.89 करोड़ रुपए का निवेश करने की संभावना है तथा नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रुपए 2119.03 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने अपने आंतरिक संसाधनों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बारहवीं योजना अवधि के दौरान 5,276.02 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय की योजना बनाई है।

फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	छत्तीसगढ़	1. महन II ओसी	1. सरायपल्ली ओसी	1. राजगमर 4 एवं 5 यूजी	—	—
		2. केतकी यूजी	2. आमगांव ओसी	2. जमपाली ओसी		
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	ओडिशा	1. कनिहा ओसी	1. तालचेर वेस्ट परियोजना यूजी	—	—	—
			2. नटराज यूजी			
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)	आंध्र प्रदेश		1. अद्रियाला परियोजना यूजी	1. डोर्ली ओसी-II	1. जेके ओसीपी	

(ग) और (घ) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड ने 21 नई परियोजनाएं तथा 36 विस्तार परियोजनाएं शुरू की है जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 12वीं योजना के दौरान योगदान शुरू होने की संभावना है:—

कंपनी	राज्य	परियोजनाएं	विस्तार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	पश्चिम बंगाल	2	3
	झारखंड	2	1
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	झारखंड	2	4
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	झारखंड	7	8
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	मध्य प्रदेश	1	3
	उत्तर प्रदेश	—	1
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	मध्य प्रदेश	1	1
	महाराष्ट्र	2	11
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	ओडिशा	3	2
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनईसीएल)	असम	1	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	छत्तीसगढ़		2

12वीं योजना के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने 3 भूमिगत (यूजी) और 6 खुली खदान (ओसी) खोलने की योजना बनाई है। नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) पहले से ही 13.50 एमटीपीए से 15 एमटीपीए (मि.ट. प्रतिवर्ष) की क्षमता के वर्तमान खान-I और Iए की पुनर्संरचना तथा राजस्थान में नई खानों देवनगुड़ी, हाडला और पलाना खान और राजस्थान में ही बिथनोक खान खोलना शुरू कर दिया है।

भूमिगत कोल गैसीफिकेशन

891. श्री सी.आर. पाटिल :
श्री रामसिंह राठवा :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को भूमिगत कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए दक्षिणी राजपार्डी ब्लॉक सहित गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) को कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा और स्थिति क्या है और गुजरात राज्य में परियोजनाओं के लिए कुल कितने क्षेत्र की सिफारिश किए जाने की संभावना है;

(ग) इस कार्य को शुरू करने के लिए जीआईपीसीएल को आवश्यक स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (घ) भरूच जिला, गुजरात में साउथ ऑफ राजपर्डी लिग्नाइट ब्लॉक को टैरिफ आधारित बोली पर चयनित किए जाने वाली विद्युत परियोजनाओं को आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है, भूमिगत कोयला गैसीफिकेशन (वीसीजी) के लिए नहीं। तथापि, राजस्थान और गुजरात की सरकारी कंपनियों के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों में स्थित लिग्नाइट ब्लॉकों के संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा 29.07.2013 को जारी किए गए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रत्युत्तर में इस मंत्रालय ने क्षेत्रीय अन्वेषण डाटा के अनुसार 23.00 वर्ग किलोमीटर के अन्वेषित क्षेत्रों तथा 107.00 मि.ट के संसाधनों वाले वॉस्टन ब्लरॅक के आवंटन हेतु गुजरात उद्योग विद्युत कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। जीआईपीसीएल के आवेदन की एक प्रति गुजरात राज्य सरकार और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भेजी गयी थी जिसमें इस मामलें पर उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और इन्हें गुजरात सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। गुजरात सरकार से टिप्पणियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अन्तर-जाति विवाह

892. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए अन्तर-जाति विवाह करने वाले दंपत्तियों को संरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के गृह सचिवों को संबोधित अपने दिनांक 1.4.2010 के परामर्श में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा है कि "पुलिस" और "सार्वजनिक कानून व्यवस्था" भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची (सूची-II) के तहत राज्य के विषय हैं और अतः, राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मूलतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों सहित, अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सभी अपराधों के निवारण, इनका पता लगाने, इनके पंजीकरण, जांच तथा अभियोजन हेतु उत्तरदायी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपरोध का रोकने संबंधी मामलों को अधिकतम महत्व देती है, और अतः, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह परामर्श देती रही है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन पर और अधिक केन्द्रित रहें और वे अपराध के निवारण तथा नियंत्रण पर और अधिक बल दें। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, अपने मानव अधिकारों का प्रयोग करें तथा अपना जीवन सम्मान तथा इज्जत से जिएं जिसका भारत का प्रत्येक नागरिक हकदार है। अतः, अन्तर-जातीय वैवाहिक जोड़ों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकारों का है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर-जातीय विवाहों हेतु प्रोत्साहन भी दिया जाता है जहां पति/पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

मोटे अनाज का उत्पादन

893. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मोटे अनाज के उत्पादन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं मौजूदा वर्ष अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के दौरान देश में मोटे अनाजों के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) से (घ) देश में मोटे अनाजों/बाजरे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार देश के 16 मुख्य बाजरा उत्पादक राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) संबंधी एक उपयोजना के रूप में "सघन बाजरा बढ़ावा के माध्यम से पोषाहार सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी" को क्रियान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बाजरे के उत्पादन में वृद्धि को श्रेणीबद्ध करने के लिए सदृश्य प्रभाव के साथ एक एकीकृत तरीके से उन्नत उत्पादन एवं पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां का प्रदर्शन करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार एकीकृत तिलहन, दलहन, पामआयल एवं मक्का (आईसोपाम) संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना को भी क्रियान्वित कर रही है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ, देश के 15 मुख्य मक्का उत्पादक राज्यों में मक्के के उत्पादन में वृद्धि करना है। उक्त योजना के अंतर्गत, मक्का उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रजनक बीजों की खरीद, मूल बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, मिनीकिटों के वितरण, पौध रक्षात्मक रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों के वितरण, उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, सूक्ष्म पौषाहार, विडीसाईड रिजोवियम फास्फेट साल्यूविलाईजिंग बैक्टीरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव सेटों एवं जल ढुलाई पाइपों के वितरण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदि हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, बाजरों की उत्पादकता 2007-08 में 1431 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2012-13 में 1626 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गयी है।

विवरण

मोटे अनाजों का राज्य-वार उत्पादन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन ('000 टन)			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4444.0	4227.1	5440.8	1953.0
अरुणाचल प्रदेश	84.7	90.5	#	#
असम	17.0	18.2	17.0	17.0
बिहार	1484.5	1648.3	2371.2	683.2
छत्तीसगढ़	231.9	209.9	244.7	240.0
गोवा	0.1	0.1	#	#
गुजरात	2102.6	2232.3	2073.0	1125.8
हरियाणा	1369.0	1387.0	1003.0	933.0
हिमाचल प्रदेश	704.1	752.1	667.7	711.7
जम्मू और कश्मीर	550.9	528.1	536.0	528.3

1	2	3	4	5
झारखंड	278.5	330.1	409.7	446.4
कर्नाटक	7845.3	6813.0	6151.6	4940.0
केरल	1.4	0.6	0.3	0.1
मध्य प्रदेश	2166.6	2467.1	2527.2	2942.3
महाराष्ट्र	7323.6	6122.0	4359.0	4554.0
मणिपुर	41.5	45.9	#	#
मेघालय	27.6	28.3	#	#
मिज़ोरम	13.6	8.4	#	#
नागालैंड	145.2	144.0	#	#
ओडिशा	360.5	259.4	287.2	250.8
पंजाब	538.0	552.0	526.0	567.0
राजस्थान	8092.5	7464.7	6913.1	6164.5
सिक्किम	74.8	73.8	#	#
तमिलनाडु	1556.5	2323.8	1645.4	895.1
त्रिपुरा	4.1	5.1	#	#
उत्तर प्रदेश	3217.6	3566.0	3689.5	3178.1
उत्तराखंड	335.0	331.0	336.0	314.0
पश्चिम बंगाल	370.4	376.4	434.6	137.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.4	0.3	#	#
दादरा और नगर हवेली	2.6	1.8	#	#
दिल्ली	12.1	6.7	#	#
दमन और दीव	0.4	0.0	#	#
पुदुचेरी	0.1	0.1	#	#
अन्य	0.0	0.0	425.2	405.7
अखिल भारत	43397.1	42014.0	40058.3	30987.2

*चौथे अग्रिम अनुमान।

**पहले अग्रिम अनुमान (खरीफ मात्र)।

#अन्यों में शामिल।

कोयला खनन का आधुनिकीकरण

894. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खानों से कोयला निकालने की पुरानी प्रौद्योगिकी कोयले के कम उत्पादन के मुख्य कारणों में से एक है; और

(ख) यदि हां, तो खानों से कोयला निकालने की प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, का ब्यौरा क्या है ताकि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाया जा सके?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जो मुख्य कारण में देश में कोयला उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, वे है - भूमि अधिग्रहण तथा पुर्नस्थापन एवं पुर्नवास के मामलों, पर्यावरणीय एवं वन संबंधी अनुमोदन में विलंब, रेलवे निकासी सुविधाओं का अभाव और कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को घटिया स्थिति। कोयला कंपनियां क्षेत्र की विशिष्ट भूखनन परिस्थितियों को निर्भरता के आधार पर अपनी खानों से कोयले के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपना रही हैं।

(ख) उच्च उत्पादन/उत्पादकता एवं सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के सतत प्रयास किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से सीआईएल ने हाल ही में सीआईएल की खानों के आधुनिकीकरण/यंत्रीकरण का अध्ययन करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परामर्शदाता की नियुक्ति की है। इसके अलावा, सीआईएल स्थल — विशिष्ट भू-खनन परिस्थितियों के अनुसार ड्रैग लाईनों, शोवेल — डम्पर संयोजन, सतही खनिकों का उपयोग करते हुए ओपनकास्ट खनन में एक समसामयिक प्रौद्योगिकी को अपना रही है। अब मेगा ओपनकास्ट परियोजनाओं की आयोजना उच्चतर आकार के उपकरणों द्वारा की जा रही है। उत्पादन में अधिक सुधार करने के लिए कई ओपनकास्ट खानों में ऑपरेटर्स इंडिपेंडेन्ट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीपीडीएस) को लागू किया गया है।

सीआईएल की सभी खानों में प्राय: भूमिगत खानों के मामलों में लोड हॉल डम्पर्स/साइड डिस्चार्ज लोडर्स को तैनात करते हुए अंतरवर्ती प्रौद्योगिकियों को लागू किया गया है। तथापि, कुछ मैनुअल प्रचालन अभी भी विद्यमान है। जहां भू-तकनीकी परिस्थितियां अनुमेय हैं, वहां कुछ भूमिगत खानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी को पहले ही सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, भूमिगत खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:—

(i) भूमिगत खान की आयोजना करते समय सतत् खनिकों (सीएमएस), लांगवाल प्रौद्योगिकी की तैनाती करके अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी को वरीयता दी जाती है। यदि यह संभव नहीं होती है तो खान की आयोजना साईड डिस्चार्ज लोडर्स (एसडीएल)/लोड हॉल डम्पर्स (एलएचडी) के साथ की जाती है।

(ii) सतही कोयला खान के हाईवाल में भूमिगत कोयला सीमों से कोयले के निष्कर्षण के लिए जो अधिक खर्चीले स्ट्रीपिंग अनुपात अथवा स्थानीय सतही नियंत्रणों जो आगे सतही खनन प्रचालन को प्रतिबंधित करता है, की वजह से अंतिम हाईवाल स्थिति पर पहुंचने से हाईवाल खनन तरीके को भी अपनाया जाता है।

(iii) मैन्युअल खनन तरीकों के साथ इस समय किसी भी खान की आयोजना नहीं की जा रही है। मैन्युअल खानों को समाप्त किया जा रहा है/अंतरवर्ती प्रौद्योगिकी वाली खानों अर्थात् एसडीएल/एलएचडी में परिवर्तित किया जा रहा है।

(iv) भूमिगत खानों में यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए उसी अनुपात में कोयला विनिंग मशीनों विशेष रूप से सतत् खनिकों की संख्या को बढ़ाने की आयोजना की जाती है।

(v) इस समय कोल इंडिया लिमिटेड की 7 भूमिगत खानों में कुल 7 सतत् खनिक प्रचालन में हैं जिनकी कुल नियोजित क्षमता 2.835 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। 20 से अधिक भूमिगत खानों की पहचान की गई है जिनमें 11.51 मि.ट प्रतिवर्ष की संभावित क्षमता के साथ निकट भविष्य में कुल 25 सतत् खनिकों को लागू करने का विचार किया गया है।

(vi) लांगवाल प्रौद्योगिकी द्वारा 5(पांच) खानों में (सीआईएल में झांझरा, कपूरिया, मुनीडीह, (तथा XV दोनों XVI दोनों सीमें), तथा बीसीसीएल में मुरीयाडीह) में माइन डेवलपर ऑपरेटर्स (एमडीओ) के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। इन खानों से संभावित क्षमता अधिक्य 8.9 मि.ट प्रतिवर्ष है।

सीएपीएफ की तैनाती

895. श्री पी. कुमार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी सहित सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को हाल ही में बड़ी संख्या में वामपंथी उग्रवादी प्रभावित राज्यों में तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार से अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की तैनाती को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों से प्राप्त ऐसे अनुरोधों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में नक्सल-रोधी अभियान चलाने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) नामत: सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है और यह राज्य सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं, बल की उपलब्धता और विशेष स्थान पर सुरक्षा की स्थिति पर आधारित होती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। तथापि, फिलहाल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 537 कंपनियां तैनात की गई हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती करने का निर्णय राज्य सरकारों की आवश्यकताओं, बल की उपलब्धता और अन्य बुनियादी वास्तविकताओं के आधार पर लिया जाता है। हाल ही में, राज्य सरकारों के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 10 अतिरिक्त बटालियनें उपलब्ध कराई हैं। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ में नक्सल-रोधी अभियान चलाने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए एसएसबी की 06 बटालियनें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण

896. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण के संबंध में कोई आधिकारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराध के मामलों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के तहत लाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की महिलाओं एवं बच्चों के प्रति बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे महिला हेल्प डेस्क का सृजन, शिकायतों का तेजी से निपटान, शिकायतकर्ता की गोपनीयता को बनाए रखना, गैंगरेप के मामलों का शीघ्र विचारण, महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिटें, संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक बीट गश्त, मेट्रो/रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान, स्वरक्षा प्रशिक्षण, पेइंग गेस्ट आवासों/हॉस्टलों की सुरक्षा संबंधी जांच, लापता बच्चों की सूचना जिपनेट पर अपलोड करना और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता आदि।

आईपीएस अधिकारियों की भर्ती

897. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सशस्त्र बलों की तर्ज पर, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती हेतु विशेष परीक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा इस प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। अनुदान मांग (2012-13) से संबंधित 161वीं रिपोर्ट में

भारतीय पुलिस सेवा हेतु पृथक परीक्षा आयोजित करने की संभावना का पता लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें पुलिस व्यवस्था के प्रति अभ्यर्थियों की मनोवृत्ति एवं झुकाव के अतिरिक्त उनके दृष्टिकोण एवं दक्षता का पूर्णरूपेण परीक्षण किया जा सके। सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद की कार्य प्रणाली के संबंध में गृह मंत्रालय की विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 163वीं रिपोर्ट में भी इसी बात को दोहराया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी बाद की (172वीं) रिपोर्ट में यह बताया है कि वे उक्त मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अकादमी में संसदीय स्थायी समिति के दौरे के पश्चात् सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा इस मामले को मंत्रालय को भी संदर्भित किया गया था। इस मामले पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया गया था। 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मात्र छह राज्यों ने पृथक परीक्षा की सिफारिश की है ओर शेष राज्यों ने वर्तमान साझा परीक्षा में कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भी कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा में सुधार पर गठित विभिन्न समितियों के आधार पर वे सिविल सेवा परीक्षा से अलग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए पृथक परीक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए पृथक परीक्षा वांछनीय नहीं है।

जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत धनराशि

898. श्री विष्णु पद राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आबंटित एवं उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत उपकरणों/मशीनों की खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत एम.वी. शॉम्पेन की खरीद के बाद से उपयोग का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए मे)

वर्ष	निधि का आबंटन	उपयोग की गई राशि
2010-11	76.68	63.96
2011-12	171.38	118.74
2012-13	226.43	182.80

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार जनजातीय उप-योजना के तहत खरीदे गए उपकरण/मशीनें इस प्रकार हैं:—

(1) कार निकोबार में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने हेतु मशीनरियां

(2) कार निकोबार के 15 गांवों के लिए 15 डीप फ्रीजर

(3) कार निकोबार और कामोर्ता के लिए 20 मीटर × 7 मीटर आकार के 2 स्टली के पीपे (पोन्टून)

(4) पारेषण एवं वितरण लाइन का निर्माण : 34.8 किमी.

(5) वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना : 15

(6) सर्विस कनेक्शन उपलब्ध कराना : 1032

(7) एसीएसआर कंडक्टर का प्रतिस्थापन : 16 किमी.

(8) क्षतिग्रस्त खम्बों का प्रतिस्थापन : 163

(9) खराब मीटरों को बदलना : 724

(10) सौर घरेलू लाइटिंग की स्थापना : 38

(11) प्लेट फार्म संतुलन (1000 किग्रा. क्षमता) : 5

(12) प्लेट फार्म संतुलन (500 किग्रा. क्षमता) : 01

(13) प्लेट फार्म संतुलन (300 किग्रा. क्षमता) : 03

(ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि एमवी शोम्पेन पोत वर्ष 2001 में लिए गए अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) के एमवी मिलाले के पोत का प्रतिस्थापन है। एमवी शोम्पेन को प्राप्त करने का उद्देश्य मुख्य रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के विशेष रूप से असुरक्षित जनजातियों (पीटीजी) से सम्पर्क करना और अन्य जनजाति कल्याण कार्यकलापों के लिए था। पोत का प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए निदेशक शिपिंग सेवाएं के अधीन रखा गया है। चूंकि पोत में एमआई रूम, डिस्पेन्सरी आदि जैसी कुछ मेडिकल सुविधाएं हैं, इसलिए इसे द्वीपसमूहों में मेडिकल कैम्पों/सहायता के लिए

और "तट सुरक्षा" आदि जैसे विभिन्न तटीय सुरक्षा अभ्यासों के लिए भी तैनात किया जा रहा है। पोत को विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दक्षिणी द्वीपसमूहों में तैनात किया गया है।

विरासती स्थलों का ऑनलाइन छविचित्रण

899. श्री एम. कृष्णास्वामी : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और 'गूगल' कंपनी ने देश के महत्वपूर्ण विरासती स्थलों का ऑनलाइन छविचित्रण (इमेजरी) करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और गूगल आयरलैंड लिमिटेड, जो आयरलैंड के कानूनों के तहत एक निगमित कंपनी है, ने 25 सितंबर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, स्थल के अंदर और बाहर गूगल फोटोग्राफी का प्रयोग करके स्मारकों/स्थलों के स्तरीय-रिजोल्यूशन 360-डिग्री, विशालदर्शी चित्रों (स्थल दृश्य चित्रों) का सृजन किया जाएगा, जिससे प्रयोक्ता स्मारकों/स्थल ("स्थल दृश्य") के उन चुनिंदा भागों के एक "परोक्ष दौरे" का अनुभव कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत, शुरूआत में चुने गए 101 स्मारकों में से 22 स्मारकों को पहले चरण अर्थात् अक्तूबर, 2013 से जनवरी, 2014 में कवर किया जा रहा है। इन 22 स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन स्मारकों का नाम जिन्हें पहले चरण में छविचित्रण संग्रहण के लिए चुना गया है

क्र. सं.	स्थल का नाम	अवस्थित	जिला	राज्य
1	2	3	4	5
1.	हुमायुं का मकबरा	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
2.	कुतुब मीनार	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
3.	लाल किला	पुरानी दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली
4.	जंतर-मंतर	नई दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली
5.	स्मारक समूह	फतेहपुर सीकरी	आगरा	उत्तर प्रदेश
6.	इतिमाद-उद-दौला	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
7.	आगरा किला	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
8.	ताज महल	आगरा	आगरा	उत्तर प्रदेश
9.	राजस्थान का पहाड़ी किला-रणथंभौर	रणथंभौर		राजस्थान
10.	राजस्थान का पहाड़ी किला-चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़		राजस्थान
11.	राजस्थान का पहाड़ी किला-कुंभलगढ़	कुंभलगढ़		राजस्थान
12.	राजस्थान का पहाड़ी किला-जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर	राजस्थान
13.	राजा और रानी महल	चंद्रगिरी	चित्तौड़	आंध्र प्रदेश
14.	बौद्ध स्तूप और अवशेष	अमरावती	गुंटूर	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5
15.	सेंट जॉर्ज किला	चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
16.	राजगिरी और कृष्णागिरी किला	गिंजी	विल्लुपुरम	तमिलनाडु
17.	स्मारक समूह-महावलीपुरम	महाबलिपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु
18.	गुफाएं	एलिफेंटा द्वीप	मुंबई	महाराष्ट्र
19.	बौद्ध गुफाएं	अजंता	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
20.	गुफाएं	एलोरा	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
21.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
22.	गिरिजाघर और कॉन्वेन्ट्स	पुराना गोवा	उत्तरी गोवा	गोवा

डेयरी क्षेत्र का विकास

900. **श्रीमती श्रुति चौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डेयरी क्षेत्र के विकास हेतु विदेशों और निजी संगठनों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौतों से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : (क) और (ख) भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग ने देश में डेयरी सेक्टर के विकास हेतु किसी भी बाहरी देश अथवा निजी संगठन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग ने निम्नलिखित देशों, नामत: अर्जेंटिना, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, मंगोलिया, जाम्बिया, सीरिया, भूटान, चीन, इजराईल, मंगोलिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, यमन, सूडान, हंगरी, मालावी, ब्राजील तथा कनाडा के साथ व्यापक समझौता ज्ञापन/समझौते किए हैं। इन व्यापक समझौता ज्ञापनों/समझौतों में अन्य बातों के साथ-साथ देश में सहकारिता के अन्य क्षेत्रों में डेयरी विकास का क्षेत्र भी शामिल है।

निजी सुरक्षा एजेंसियां

901. **श्री उदय सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय प्रादर्श नियम, 2006 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों के सिलसिले में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का निजी सुरक्षा एजेंसियों के सिलसिले में विदेशी स्वामित्व के निर्बंधन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : (क) और (ख) "निजी सुरक्षा एजेंसी केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006" में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, "निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005" की धारा 6(2) में यह कहा गया है कि "इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी किसी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों के संगठन को लाइसेंस जारी करने पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह भारत में पंजीकृत नहीं है अथवा उसका मालिक अथवा अधिकांश शेयरधारक, भागीदार अथवा निदेशक भारत का नागरिक नहीं है"।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कपास का उत्पादन

902. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री मकनसिंह सोलंकी :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कोई गहन कार्यक्रम शुरू किया है या इसके लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कपास की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इसके तहत वित्तीय, संस्थागत और तकनीकी सहायता की मांग और उसके बनिस्बत दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुजरात में एक कपास उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में नकली बीजों के उपयोग के कारण बी.टी. कॉटन फसल की भारी हानि के संबंध में कोई सूचना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नकली बीजों की आपूर्ति रोकने व दोषियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) जी, हां। कृषि मंत्रालय देश में वर्ष 2002 से कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता सुधार करने के लिए 13 कपास उत्पादक राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) का मिनी मिशन-II (एमएम-II) का केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

(ख) टीएमसी के एमएम-II के अंतर्गत कृषक फील्ड स्कूल, जल संचयन साधनों और समेकित नाशी जीव के प्रबंधन आदि के माध्यम से बीजों के उत्पादन और वितरण, फील्ड प्रदर्शनों, किसान प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष नवंबर, 2013 के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्यों को कवर करने के लिए आवंटित निधियों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीम की दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य कृषि विभाग स्थानीय ब्लॉक विकास/पंचायत कार्यालय के साथ परामर्श में लाभार्थियों का चुनाव करता है।

(ग) गुजराम में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर) और आईसीएआर की अखिल भारतीय समन्वयन कपास सुधार परियोजना (एआईसीसीआईपी) वाराणसी कृषि विश्वविद्यालय और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कपास कृषि के विकास के लिए आधार, रणनीति, व्यवहारिक अनुसंधान संचालित करते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र कपास उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रचार प्रसार भी करते हैं।

(घ) किसी भी राज्यों से गलत बीजों के उपयोग के कारण बी.टी. कपास के किसी तरह की क्षति की रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत वर्ष 2010-11 ये 2013-14 नवंबर 2013 तक) के दौरान आबंटित निधियां दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटित निधियां			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 13 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	69.00	125.00	140.00	140.00
2.	गुजरात	105.00	175.00	190.00	190.00

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	77.50	85.00	85.00	70.00
4.	कर्नाटक	71.50	70.00	70.00	65.00
5.	मध्य प्रदेश	185.00	100.00	100.00	80.00
6.	महाराष्ट्र	781.50	225.00	240.00	220.00
7.	ओडिशा	120.50	85.00	85.00	70.00
8.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान	57.00	70.00	70.00	70.00
10.	तमिलनाडु	71.00	50.00	50.00	40.00
11.	त्रिपुरा	50.00	50.00	100.00	200.00
12.	उत्तर प्रदेश	13.50	30.00	30.00	25.00
13.	पश्चिम बंगाल	27.50	30.00	30.00	20.00
	सकल योग	1629.00	1095.00	1190.00	1190.00

प्राकृतिक आपदा के कारण हानि

903. **श्री अजय कुमार :**
श्री ओ.एस. मणियन :
श्री एन. धरम सिंह :
श्री हरिश्चंद चव्हाण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि प्राकृतिक आपदा के कारण देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं और हजारों पशुओं के मारे तथा संपत्ति की भारी क्षति होने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित राज्यों में उक्त क्षति के आकलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी केन्द्रीय दल को नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) आपदा प्रभावित राज्यों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार दी गई वित्तीय सहायता कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सूचित प्राकृतिक आपदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्राकृतिक आपदाएं आने पर प्रारंभ में संबंधित राज्य सरकारें उनको पहले से सौंपे गए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से राहत अभियान चलाती हैं। यदि आपदा 'गंभीर' प्रकृति की होती है तो निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल का दौरा भी शामिल है, का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई की जाती है बशर्ते की राज्य आपदा कार्रवाई के खाते के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त हों।

मांगी गई सहायता, केन्द्रीय दलों के दौरे, टीम की रिपोर्टों की स्थिति तथा अनुमोदित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष सहित राज्य आपदा कार्रवाई कोष से आवंटित और जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2012-13 के दौरान चक्रवात,/तेज बाढ़ों/बाढ़ों भू-स्खलनों/बादल फटने/भूकंप आदि के कारण हुई क्षति के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम) 22.11.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मृतकों की संख्या	मार गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	60	2185	54678	12.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	—	—	0.0014
3.	असम	—	—	—	0.013
4.	बिहार	231	6458	156986	4.00
5.	गोवा	—	—	139	0.04
6.	गुजरात	186	274	507	—
7.	हिमाचल प्रदेश	52	23648	5633	0.53
8.	जम्मू और कश्मीर	30	74	72574	—
9.	कर्नाटक	124	368	12310	2.27
10.	केरल	182	1366	10672	0.11
11.	मध्य प्रदेश	390	1166	11408	9.25
12.	महाराष्ट्र	3.65	2164	147369	7.49
13.	नागालैंड	—	2680	982	0.081
14.	ओडिशा	59	5688	574250	11.00
15.	पंजाब	41	954	9774	4.00
16.	उत्तर प्रदेश	380	550	79602	7.97
17.	उत्तराखंड	680*	9470	10625	0.363
18.	पश्चिम बंगाल	183	45285	169296	1.31
	कुल	2,964	1,02,330	13,16,805	61.25

*इसके अतिरिक्त लगभग 4119 व्यक्ति लापता है तथा उनके मारे जाने की आशंका हैं। इन आंकड़ों में लापता व्यक्तियों के आंकड़ों के साथ कुछ परस्पर व्यापी (ओअरलैप) हो सकते हैं तथापि उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार 2801 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

विवरण-II

वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आपदा संबंधी ब्यौरा	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपए में)	केन्द्रीय दल का दौरा	केन्द्रीय दल का निष्कर्ष (करोड़ रुपए में)	उच्च स्तरीय समिति द्वारा एनडीआरएफ से निधियों के अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर (भूकंप, 1 मई, 2013)	609.33	26-28 मई, 2013	86.02	• तत्कालिक आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 42.74 करोड़ रुपए। • एनआरडीब्डल्यूपी के विशेष घटक से 2.40 करोड़ रुपए।
2.	उत्तराखंड (बादल फटना/तेज बाढ़/भूस्खलन 2013	1533.48	18-21 जुलाई, 2013	369.24 + 20.00 एनआरडीडब्ल्यू	• तत्कालिक आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 90 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 1187.87 करोड़ रुपए। (इसमें वास्तविक के अनुसार 82.11+25+673 शामिल हैं) • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 20.00 करोड़ रुपए।
3.	केरल (बाढ़/भूस्खलन-2013	504.14	20-22 जुलाई. 2013	101.28	• तत्कालिक आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 90.76 करोड़ रुपए। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 4.00 करोड़ रुपए। • सड़कों और पुलों के संबंध में सिफारिश अस्थगित की गई।
4.	हिमाचल प्रदेश (हिमपात, तेज बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना-13)	2089.95	23-26 जुलाई, 2013	270.51	• तत्कालिक आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 90 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 95.68 करोड़ रुपए। • एनआरडीडब्ल्यूपी के विशेष घटक से 12.00 करोड़ रुपए।

1	2	3	4	5	6
					• हवाई बिल, वास्तविक व्यय के अनुसार, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त बिलों पर आधारित। • सड़कों और पुलों के संबंध में सिफारिश अस्थगित की गई।
5.	महाराष्ट्र- (बाढ़-13)	2841.78	11-12 सितंबर, 2013	1443.32	• तत्कालिक आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन एनडीआरएफ से 921.98 करोड़ रुपए।
6.	कर्नाटक (बाढ़-13)	610.85	23-26 सितंबर, 2013	182.64	• एनईसी की उपसमिति की बैठक 6.12.2013 को हुई और इसे एचएलसी के विचारार्थ यथा शीघ्र रखा जा रहा है।
7.	ओडिशा (फाइलिन चक्रवात/ बाढ़)	5832.50	28-31 अक्तूबर, 2013	1082.61	• केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई और इसे एससी, एनईसी और तत्पश्चात् एचएलसी के समक्ष रखने हेतु कार्रवाई चल रही है।
8.	आंध्र प्रदेश (फाइलिन चक्रवात/ बाढ़-2013	1886.90	17-21 नवंबर, 2013	—	• केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे एससी, एनईसी और तत्पश्चात् एचएलसी के समक्ष रखने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
9.	मध्य प्रदेश (बाढ़-13)	575.19	2-7 दिसंबर, 2013	—	• केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे एससी, एनईसी और तत्पश्चात् एचएलसी के समक्ष रखने हेतु कार्रवाई की जाएगी।
10.	उत्तर प्रदेश (बाढ़-13)	1500.00	25-27 नवंबर, 2013	—	• केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे एससी, एनईसी और तत्पश्चात् एचएलसी के समक्ष रखने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

विवरण-III

वर्ष 2013 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से निधियों का राज्य-वार आबंटन और उनकी रिलीज

03.12.2013 की स्थिति
(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ से आबंटन			एसडीआरएफ से रिलीज		एनडीआरएफ से रिलीज
		केन्द्रीय	राज्यांश	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	441.78	147.26	589.04	220.89	300.00 (220.89+ 79.11*)	763.53 (63.53+700$)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.29	4.25	42.54	19.145	—	109.75
3.	असम	274.82	30.53	305.35	—	—	—
4.	बिहार	290.41	96.80	387.21	145.205	—	—
5.	छत्तीसगढ़	131.38	43.79	175.17	62.56 @	—	—
6.	गोवा	2.57	0.86	3.43	2.45 @	—	—
7.	गुजरात	435.95	145.32	581.27	217.975	—	—
8.	हरियाणा	167.48	55.83	223.31	75.95 @	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	136.24	15.14	151.38	68.12	68.12	—
10.	जम्मू और कश्मीर	179.68	19.96	199.64	334.09 @	—	—
11.	झारखंड	225.26	75.08	300.34	—	—	—
12.	कर्नाटक	139.75	46.58	186.33	69.875	—	—
13.	केरल	113.81	37.93	151.74	64.605 @	56.905	61.74
14.	मध्य प्रदेश	341.00	113.66	454.66	170.50	—	—
15.	महाराष्ट्र	384.35	128.11	512.46	375.20 @	—	775.92
16.	मणिपुर	7.52	0.84	8.36	3.76	—	—
17.	मेघालय	15.26	1.70	16.96	7.27 @	—	—
18.	मिजोरम	8.91	0.99	9.90	8.69 @	—	—
19.	नागालैंड	5.18	0.57	5.75	—	—	36.60
20.	ओडिशा	339.98	113.33	453.31	169.99	250.00 (169.99+80.1*)	750.00$
21.	पंजाब	193.55	64.51	258.06	96.775	—	—
22.	राजस्थान	521.50	173.83	695.33	260.75	—	—
23.	सिक्किम	23.70	2.63	26.33	11.85	—	1.018
24.	तमिलनाडु	254.84	84.95	339.79	121.35 @	—	453.87
25.	त्रिपुरा	20.12	2.23	22.35	19.64 @	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	334.60	111.53	446.13	167.30	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	122.59	13.63	136.22	83.64	61.34	250.00
					(22.345+ 61.295)	(61.295+ 0.065*)	
28.	पश्चिम बंगाल	264.65	88.22	352.87	132.325	—	—
	कुल	5415.17	1620.06	7035.23	2909.91	736.39	3202.43

*वर्ष 2013-14 के दौरान वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम के तौर पर एसडीआरएफ अंश जारी किया गया।

@इसमें पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12, 2012-13 के लिए केन्द्रीय अंश की बकाया राशि शामिल है।

$"खाता" आधार पर जारी।

नोट: वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए एसडीआरएफ से केन्द्रीय अंश की बकाया किस्त दिशानिर्देशों के पैरा-II में यथाउल्लिखित (अर्थात् उपयोग प्रमाण-पत्र, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करना) अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित पुष्टिकरण एक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग

904. श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी उद्योग संकट में है और सहकारी क्षेत्र की मिलों सहित अधिकांश चीनी मिलें भारी वित्तीय दबाव झेल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में सहकारी चीनी मिलों को अधिक, प्रतिस्पर्धी, पेशेवर और निजी मिलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवाचारी बनाने के लिए सुधारों की शुरूआत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) देश में चीनी उत्पादन ने पिछले तीन चीनी मौसमों में घरेलू खपत आवश्यकता को बढ़ा दिया है और वर्तमान चीनी मौसम में भी बढ़ने की संभावना है। घरेलू अतिरिक्त भंडारण के साथ-साथ वैश्विक आधिक्य स्थिति के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में चीनी मूल्यों में ह्रास हुआ है और परिणामस्वरूप चीनी की बिक्री से कम वसूली हुई है। इसने सहकारी क्षेत्र सहित चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। केन्द्रीय सरकार ने जब भी आवश्यकता हुई है पिछले तीन चीनी मौसमों में चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए यथोचित कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अक्तूबर 2012 के पश्चात् उत्पादित चीनी के लिए चीनी मिलों पर लेवी बाध्यता का उन्मूलन, चीनी के विक्रय संबंधी निर्मुक्ति तंत्र को हटाना, चीनी निर्यात का उदारीकरण और आयात कर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रियों का एक अनौपचारिक समूह का गठन किया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों द्वारा उनके राज्यों की चीनी फैक्ट्रियों को प्रतियोगी, व्यावसायिक और अभिनव बनाने के लिए शुरू किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश:- आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों की दक्षता में सुधार करने के लिए मशीनरी मदों के आधुनिकीकरण/प्रमुख परिवर्धनों के लिए कदम उठा रही है जिससे की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके। राज्य सरकार नेगेटिव नेटवर्थ वाली सहकारी चीनी मिलों की गारंटी बढ़ा रही हैं जिससे कि उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिये गये कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और पिछले तीन चीनी मौसमों से बेहतर गन्ना मूल्य/गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए ऋणों/अनुदानों के तौर पर वित्तीय समर्थन भी बढ़ा रही है। शर्करा विभाग की तकनीकी सहायता से फसल काटने वाली मशीनों की व्यवस्था के लिए नोड्ल एजेंसी होने के कारण कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम को गन्ना फसल में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र:— जल के विवेकोचित उपयोग से गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आगामी चार वर्ष में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा और लागत लेखा परीक्षा को भी सभी सहकारी चीनी मिलों के लिए अधिदेशात्मक बना दिया गया है जिससे कि उन्हें लागत एवं ऊर्जा प्रभावी बनाया जा सके जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी हो। विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों की उत्पादन लागत की तुलना करने के लिए शर्करा कमिश्नरेट द्वारा व्यापार आसूचना उपकरणों को विकसित किया जा रहा है और उत्पादन लागत को कम करने के लिए उपाय सुझाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु:— आधुनिकरण परियोजना के साथ-साथ विद्युत सह उत्पाद को 10 सहकारी चीनी मिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो कि निर्माणाधीन है और अगले मौसम में पूरा कर लिया जाएगा। डिस्टलरी-सह इथनाल संयंत्र को दो और सहकारी चीनी मिलों में लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

उत्तराखंड:— कच्चे माल अर्थात् गन्ने और तकनीकी दक्षता की उपलब्धता में सुधार करने के लिए 6 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, इष्टतमीकरण और संतोलन के लिए राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री संघ के माध्यम से नैदानिक अध्ययन कराया जा रहा है जिससे कि इन मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाए।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग को बढ़ावा

905. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों की आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई उर्वरक इकाइयां बंद हो गयी हैं/बंदी के कगार पर हैं ओर यदि हां, तो ऐसी उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक उर्वरक इकाई को गैस आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में ऐसी बंद/रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने तथा उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां, मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है। सरणीबद्ध मद होने के कारण यूरिया का आयात सरकारी खाते से किया जाता है और खुले सामान्य लाइसेन्स के अंतर्गत होने के कारण पीएंडके उर्वरक का आयात निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।

(ख) उर्वरकों के आयात का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(मात्रा लाख मी.टन में)

उत्पाद	वर्ष	कुल आवश्यकता	कुल उत्पादन	कुल आयात	कुल उत्पादन + आयात
यूरिया	2012-13	315.4	225.7	80.4	306.1
	2013-14 (नवंबर 13 तक)	216.3	151.5	67.5	219.0
डीएपी	2012-13	123.6	36.4	58.5	94.9
	2013-14 (नवंबर 13 तक)	92.7	24.2	30.9	55.1
एमओपी	2012-13	47.8	—	18.8	18.8
	2013-14 (नवंबर 13 तक)	28.2	—	17.3	17.3
एनपीके	2012-13	111.5	61.8	4.0	65.8
	2013-14 (नवंबर 13 तक)	79.4	46.3	2.8	49.1

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की पांच इकाइयां नामतः रामागुंडम, तलचर, सिंदरी, कोरबा, गोरखपुर और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की तीन इकाइयां नामतः हल्दिया, दुर्गापुर, बरौनी बंद पड़ी हैं।

एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयां पुरानी तकनीक, डिज़ाइन और उपस्कर की कमी, बिजली की कमी, औद्योगिक समस्याओं, अधिशेष जनशक्ति और संसाधन बाधाओं सहित विभिन्न कारणों से लगातार हानि में चल रही थी। प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण इकाइयों की क्षमता आधुनिकीकरण और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए और सीमित हो गई जो 15 से 21 जीकैल/मी.टन यूरिया के न्यून स्तर पर थी। उपर्युक्त कारकों के साथ-साथ नेपथा और ईंधन तेल/एलएसएचएस के मूल्य में तीव्र वृद्धि होने से इन इकाइयों से होने वाले यूरिया के उत्पादन की लागत आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गई जिसके परिणामस्वरूप इकाइयों को बंद करना पड़ा।

इसके अलावा, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (फैक्ट), कोचीन की यूरिया इकाई भी प्रचालन में नहीं है।

(घ) देश में गैस आधारित 27 यूरिया इकाइयां हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है बशर्ते कि इसकी उपलब्धता हो और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आबंटन किया गया हो तथा शेष आयातित आरएलएनजी तथा स्पॉट गैस के जरिए आपूर्ति की जाती है।

(ङ) इन नौ उर्वरक पीएसयू में से एचएफसीएल/एफसीआईएल बंद हैं, एमएफएल एक रुग्ण पीएसयू है। इनके अलावा फैक्ट और बीवीएफसीएल हानि में चल रही पीएसयू हैं। इन पीएसयू के पुनरुद्धार/पुनर्गठन की स्थिति निम्न प्रकार है:—

एचएफसीएल और एफसीआईएल: सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) की सिफारिश के आधार पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 4.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव को इस आशा के साथ अनुमोदित किया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् मामले में परिवर्तन, यदि कोई हो, जो बोली मानदंडों में अपेक्षित हों, को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हाल ही में, सीसीईए में 9.5.2013 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और ब्याज को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन किया ताकि एफसीआईएल को अपना निवल मूल्य सकारात्मक बनाने में सहायता मिल सके। एचएफसीएल इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव/कार्य योजना को एफसीआईएल इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य एक बार सुचारू हो जाने के बाद शुरू किया जाना है। इससे एफसीआईएल जून 2013 में बीआईएफआर के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने में समर्थ हो पाई। एफसीआईएल की बंद पड़ी तीन इकाइयों सिंदरी, रामागुंडम और तलचर की पुनरुद्धार प्रक्रिया के नामांकन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाना है और बंद पड़ी शेष 2 इकाइयों नामतः गोरखपुर और कोरबा का पुनरुद्धार के जरिए निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना है।

एमएफएल का पुनरुद्धार: एमएफएल के वित्तीय पुनर्गठन के लिए बीआरपीएसई नोट को अंतिम रूप दिया गया और इसे अंतरमंत्रालयी परामर्श हेतु प्रचालित किया गया। पणधारी मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और इनकी जांच की गई है। कंपनी के प्रचालन को दीर्घावधि आधार पर व्यवहार्य बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी पुनर्गठन प्रस्ताव में संशोधन करे और इसमें ब्राउनफील्ड संयंत्र स्थापित करने के लाभों को प्रदर्शित करें तथा परियोजना के लिए उपयुक्त पूंजी ढांचे तथा वित्त पोषण विकल्पों का सुझाव दें और अपने बोर्ड में प्रस्ताव पर चर्चा करें तथा इसे उर्वरक विभाग को प्रस्तुत करें।

बीवीएफसीएल: बीवीएफसीएल ने वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्वास का एक प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचारार्थ तथा बीआरपीएसई को इसकी की सिफारिश हेतु प्रस्तुत किया है। बीआरपीएसई नोट पर अंतरमंत्रालयी टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं। अब वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव बीआरपीएसई को भेजा गया है।

फैक्ट: फैक्ट ने वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्वास का एक प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचारार्थ तथा बीआरपीएसई को इसकी की सिफारिश हेतु प्रस्तुत किया है। बीआरपीएसई नोट को अंतिम रूप दिया गया है और अंतरमंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया गया है। इस संबंध में सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में 5.9.2013 को हुई बैठक के दौरान सचिव, बीआरपीएसई के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया है। वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव अब बीआरपीएसई को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र का योगदान

906. श्री लालजी टन्डन :

श्री राम सिंह राठवा :

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री नरेनभाई काछादिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अनुमानित और वास्तविक योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी का रुख देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हो;

(ग) क्या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत निवेश का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कृषि क्षेत्रक की वृद्धि और उत्पादन दर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए इस क्षेत्रक में पूंजी निवेश बढ़ाने और इस क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के योगदान के प्रक्षेपणों को तैयार नहीं करता। 31 जनवरी 2013 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2004-05 मूलयों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2009-10 में 14.6 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 14.5 प्रतिशत और आगे 2011-12 में घटकर 14.1 प्रतिशत तक हो गया था। इसके अलावा, 31 मई 2013 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान घटकर 2012-13 में 13.7 प्रतिशत तक हो गया है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में गिरावट परम्परागत कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में ढांचागत अंतरण के कारण है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था की सामान्य विकासात्मक प्रक्रिया में संभावित है।

(ग) और (घ) संतुलित एवं सन्निहित विकास को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं संभावनाओं पर विचार करके मुख्य पणधारियों एवं विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए पूंजीनिवेश संबंधी प्रस्तावों को तैयार किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का लक्ष्य कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत कृषि में सार्वजनिक पूंजीनिवेश को जारी करना है।

(ङ) सरकार ने पूंजीनिवेश सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान तथा कृषि क्षेत्र में विकास दर में वृद्धि करने के संबंध में अनेक योजनाओं की शुरूआत की है यथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन दलहन पाम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त सरकार ने फार्म ऋण की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार किया है, ऋण छूट संबंधी एक बृहत कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है, बेहतर फसली बीमा योजनाओं को शामिल किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है, विपणन अंत:संरचना में सुधार किया है, आदि।

[अनुवाद]

खुदरा दुकानें

907. डॉ. रामचन्द्र डोम : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में खुदरा दुकानों की कुल संख्या कितनी है और इनमें व्यक्तिगत स्वामित्व वाली तथा कंपनियों द्वारा अधिकृत दुकानों व एक श्रृंखला के अंतर्गत संचालित की जा रही दुकानों की संख्या का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खुदरा दुकानों में कार्यरत लोगों की संख्या कितनी है तथा उनमें से महिला कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस क्षेत्रक में कार्यरत ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो विगत तीन वर्षों के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन खुदरा विक्रेताओं का कुल कारबार कितना रहा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) चूंकि, खुदरा व्यापार राज्य का विषय है और संगठित खुदरा व्यापारी अपनी दुकानों/मॉलों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के पास पंजीकृत कराते हैं, केन्द्रीकृत रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे।

(घ) खुदरा व्यापार के संबंध में अलग-से केन्द्रीकृत रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे। तथापि, हाल ही में वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में घरेलू व्यापार का योगदान 16.6% बढ़ा है और यह 8,10,585 करोड़ रुपए का था।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी

908. श्री रमेन डेका : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का असम में एक राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एन.आर.सी) बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस जानकारी को अद्यतनीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम सरकार ने जुलाई, 2013 में केन्द्र सरकार को इसकी संशोधित कार्यविधि प्रस्तुत की थी और राज्य में एन.आर.सी. कार्य के अद्यतनीकरण के लिए किसी समय-सीमा का सुझाव दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) एन.आर.सी. के अद्यतनीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एनआरसी में केवल वास्तविक नागरिक को ही पंजीकृत किया जाए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) असम सरकार से प्राप्त क्रिया पद्धति (मॉडलिटीज़) के आधार पर, प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर असम में पुराने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), 1951 को अद्यतन बनाते हुए नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण की तैयारी हेतु नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में नवंबर, 2009 और मार्च, 2010 में संशोधन किया गया था। असम के सभी जिलों में एनआरसी को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से जून, 2010 में दो प्रखंडों (कामरूप एवं बारपेटा जिलों में एक-एक) में एनआरसी को अद्यतन बनाने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई थीं। तत्पश्चात्, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण पायलट परियोजनाएं रोक दी गई थीं। असम में एनआसी को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए जुलाई, 2011 में असम सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया था। असम सरकार ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), 1951 को अद्यतन बनाने के लिए संशोधित क्रिया-पद्धति प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित क्रिया पद्धतियों की भारत के महा रजिस्ट्रार द्वारा जांच की गई थी और एनआरसी को अद्यतन बनाने के कार्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। 24 मार्च, 1971 की मध्य रात्रि तक मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों और उनके वंशजों के नाम को शामिल कर एनआरसी 1951 को अद्यतन बनाया जाएगा। क्रिया-पद्धति के अनुसार, दिनांक 25.03.1971 को अथवा उसके पश्चात् असम में आने वाले गैर-कानूनी प्रवासियों के नाम एनआरसी, 1951 में शामिल नहीं किए जाएंगे। इस कार्य को शुरू करने के लिए, इस प्रयोजन हेतु 31 अक्तूबर, 2013 को असम सरकार को 25.00 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। एनआरसी को अद्यतन बनाने संबंधी कार्य को तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आबंटन

909. श्री राजू शेट्टी :
श्री जोस के. मणि :
श्री गणेश सिंह :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन इन लोगों की आवश्यकता के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है व यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके लिए खाद्यान्न, चीनी और अन्य वस्तुओं की अनुमानित मांग और आबंटन/आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन घटा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या प्रभावित राज्यों ने सरकार से अनुरोध/आग्रह किया है कि उनके पूर्व कोटे को बहाल रखा जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) वर्ष 2011-12 के दौरान गरीबी

रेखा से नीचे की जनसंख्या और उसके प्रतिशत का राज्य ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सभी स्वीकृत संख्या हेतु 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से किया जाता है। तथापि राज्यों ने वर्तमान जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त राशन कार्ड जारी किए हैं और तदनुसार अधिक/अतिरिक्त आवंटन की मांग कर रहे हैं। केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता और राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अतिरिक्त आवंटन सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी और खाद्यान्नों के आवंटन और उठान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II से विवरण-V में दिया गया है।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जनसंख्या के अपर्याप्त कवरेज और मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपने वर्तमान आवंटन की तुलना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कम आवंटन के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है जिसके अनुरूप योजना आयोग ने खपत व्यय के बारे में वर्ष 2011-12 हेतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से राज्य-वार कवरेज पर निर्धारित किया है। तथापि, चूंकि इस प्रकार निर्धारित कवरेज और अधिनियम में निर्धारित पात्रताओं पर आधारित खाद्यान्नों का आवंटन कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटन की तुलना में कम होने का अनुमान है, अतः अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन विगत तीन वर्षों के दौरान सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके औसत वार्षिक उठान की सीमा तक संरक्षित किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 तक राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या तथा जनसंख्या का प्रतिशत

(तेंदुलकर पद्धति)

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		कुल	
		व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10.96	61.80	5.81	16.98	9.20	78.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.93	4.25	20.33	0.66	34.67	4.91
3.	असम	33.89	92.06	20.49	9.21	31.98	101.27
4.	बिहार	34.06	320.40	31.23	37.75	33.74	358.15
5.	छत्तीसगढ़	44.61	88.90	24.75	15.22	39.93	104.11
6.	दिल्ली	12.92	0.50	9.84	16.46	9.91	16.96
7.	गोवा	6.81	0.37	4.09	0.38	5.09	0.75
8.	गुजरात	21.54	75.35	10.14	26.88	16.63	102.23
9.	हरियाणा	11.64	19.42	10.28	9.41	11.16	28.83
10.	हिमाचल प्रदेश	8.48	5.29	4.33	0.30	8.06	5.59
11.	जम्मू और कश्मीर	11.54	10.73	7.20	2.53	10.35	13.27
12.	झारखंड	40.84	104.09	24.83	20.24	36.96	124.33

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	24.53	92.80	15.25	36.96	20.91	129.76
14.	केरल	9.14	15.48	4.97	8.46	7.05	23.95
15.	मध्य प्रदेश	35.74	190.95	21.00	43.10	31.65	234.06
16.	महाराष्ट्र	24.22	150.56	9.12	47.36	17.35	197.92
17.	मणिपुर	38.80	7.45	32.59	2.78	36.89	10.22
18.	मेघालय	12.53	3.04	9.26	0.57	11.87	3.61
19.	मिजोरम	35.43	1.91	6.36	0.37	20.40	2.27
20.	नागालैंड	19.93	2.76	16.48	1.00	18.88	3.76
21.	ओडिशा	35.69	126.14	17.29	12.39	32.59	138.53
22.	पंजाब	7.66	13.35	9.24	9.82	8.26	23.18
23.	राजस्थान	16.05	84.19	10.69	18.73	14.71	102.92
24.	सिक्किम	9.85	0.45	3.66	0.06	8.19	0.51
25.	तमिलनाडु	15.83	59.23	6.54	23.40	11.28	82.63
26.	त्रिपुरा	16.53	4.49	7.42	0.75	14.05	5.24
27.	उत्तराखंड	11.62	8.25	10.48	3.35	11.26	11.60
28.	उत्तर प्रदेश	30.40	479.35	26.06	118.84	29.43	598.19
29.	पश्चिम बंगाल	22.52	141.14	14.66	43.83	19.98	184.98
30.	पुदुचेरी	17.06	0.69	6.30	0.55	9.69	1.24
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.57	0.04	0.00	0.00	1.00	0.04
32.	चंडीगढ़	1.64	0.004	22.31	2.34	21.81	2.35
33.	दमन और दीव	62.59	1.15	15.38	0.28	39.31	1.43
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	12.62	0.26	9.86	0.26
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	3.44	0.02	2.77	0.02
	अखिल भारत	25.70	2166.58	13.70	531.25	21.92	2697.83

नोट:

1. गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या का अनुमान करने के लिए दिनांक 1 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का प्रयोग किया गया (2011 की जनगणना से अनुमान लगाया गया है)
2. तमिलनाडु की गरीबी रेखा का प्रयोग अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया।
3. पंजाब की शहरी गरीबी रेखा का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया।
4. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा का प्रयोग दादर तथा नगर हवेली के लिए किया गया।
5. गोवा की गरीबी रेखा का प्रयोग दमन व दीव के लिए किया गया।
6. केरल की गरीबी रेखा का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान चावल तथा गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14*	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3676.480	3433.137	3738.252	3065.474	3822.816	3130.234	1911.408	1345.535
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.556	85.023	101.556	83.589	101.556	98.376	50.778	49.834
3.	असम	1673.126	1591.641	1806.756	1662.751	1886.856	1830.998	943.428	957.717
4.	बिहार	3543.192	2969.154	3650.312	2757.350	3703.872	2639.407	1851.936	2022.558
5.	छत्तीसगढ़	1168.032	1135.107	1218.752	1085.194	1244.112	1178.578	622.056	599.913
6.	दिल्ली	595.734	607.303	597.858	545.295	598.920	566.777	299.460	290.242
7.	गोवा	68.751	53.804	60.316	60.421	63.036	62.909	31.518	32.709
8.	गुजरात	1885.998	1532.880	2018.738	1242.799	2085.108	1265.504	1042.554	758.593
9.	हरियाणा	685.242	613.097	732.422	586.431	756.012	465.415	343.422	214.540
10.	हिमाचल प्रदेश	508.988	486.462	519.146	512.663	527.940	524.927	263.970	252.265
11.	जम्मू और कश्मीर	757.104	749.115	756.804	743.485	756.804	760.644	378.402	379.647
12.	झारखंड	1319.412	1032.747	1339.032	1022.038	1358.652	977.751	679.326	562.337
13.	कर्नाटक	2260.476	2132.040	2386.646	2234.612	2806.928	2304.402	1224.864	1325.416
14.	केरल	1399.646	1373.157	1431.674	1428.807	1472.688	1473.184	736.344	771.674
15.	मध्य प्रदेश	2610.454	2707.860	2680.736	2653.417	2736.426	3551.778	1368.258	1367.912
16.	महाराष्ट्र	4490.412	3687.169	4647.114	3539.245	4819.044	3724.189	2379.522	2143.707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	141.844	71.209	160.446	144.884	170.952	172.661	85.476	86.830
18.	मेघालय	182.928	156.605	181.696	182.690	188.580	189.600	94.290	94.357
19.	मिज़ोरम	70.140	64.502	70.140	66.233	70.140	66.538	35.070	34.023
20.	नागालैंड	126.876	138.126	126.876	140.094	126.876	135.953	63.438	73.586
21.	ओडिशा	2221.788	2052.089	2118.908	2058.005	2194.266	2120.509	1095.936	1032.777
22.	पंजाब	786.348	680.707	814.100	686.355	827.976	613.964	413.988	305.004
23.	राजस्थान	2037.128	1937.843	2115.140	2078.693	2179.500	2149.291	1089.750	1071.301
24.	सिक्किम	44.250	43.000	44.270	44.936	44.280	45.046	22.140	22.744
25.	तमिलनाडु	3722.832	3698.126	3722.832	3700.634	3722.832	3634.495	1861.416	1614.090
26.	त्रिपुरा	302.622	249.020	308.034	275.381	304.836	289.291	151.640	171.805
27.	उत्तर प्रदेश	6948.948	6555.953	7114.590	6645.333	7268.520	6588.015	3634.258	3295.953
28.	उत्तराखंड	474.122	455.838	501.702	456.876	617.992	596.557	255.996	257.159
29.	पश्चिम बंगाल	3601.864	3325.618	3763.754	3281.205	3857.196	3616.745	1928.598	1833.951
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34.020	17.921	34.020	16.026	34.020	14.908	17.010	0.000
31.	चंडीगढ़	31.380	25.975	34.980	34.216	36.780	33.429	18.390	12.650
32.	दादरा और नगर हवेली	9.924	2.457	10.284	10.247	10.464	10.499	5.232	6.464
33.	दमन और दीव	4.980	1.162	5.430	4.669	5.652	4.530	2.826	0.304
34.	लक्षद्वीप	4.620	6.385	4.620	4.053	6.620	5.706	2.310	0.014
35.	पुदुचेरी	56.112	48.435	58.912	47.816	60.312	53.313	30.156	25.209
	कुल	47547.329	43720.667	48876.848	43101.917	50468.564	44876.123	24935.166	23012.820

*आवंटन और उठान सितंबर, 2013 तक है।

स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान खाद्यान्नों का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11						2011-12				2012-13			
		एवाई/बीपीएल/एपीएल के लिए आबंटन 19.5.2010 @ रुपए 8.45/कि.ग्रा. गेहूं के लिए तथा 11.85/कि.ग्रा. चावल के लिए		एपीएल के लिए 6.1.2011 @ रुपए 8.45/कि.ग्रा. गेहूं के लिए तथा 11.85/कि.ग्रा. चावल के लिए		दिनांक 7.9.2010 तथा 6.1.2011 को @ बीपीएल निर्गम मूल्य पर किया गया बीपीएल आबंटन		दिनांक 16.5.2011 को @ बीपीएल निर्गम मूल्य पर किया गया बीपीएल आबंटन		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आबंटन $		जुलाई, 2012 में @ बीपीएल निर्गम मूल्य पर किया गया बीपीएल आबंटन		निर्धनतम जिलों को किया गया बीपीएल/एएवाई आबंटन $	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	268.957	3.706	255.220	12.532	511.570	510.338	311.570	297.194	116.797	115.093	311.57	269.02	14.244	11.698
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.114	2.190	3.104	2.404	12.592	7.180	7.592	6.009	0.737	0.737	7.592	7.331	0.307	0.118
3.	असम	196.381	82.018	282.673	111.622	290.794	171.081	220.794	199.829	15.34	14.544	190.794	184.495	26.273	19.739
4.	बिहार	201.943	24.960	116.258	20.751	500.214	325.882	600.214	474.756	596.511	312.511	500.213	368.367	595.395	267.211
5.	छत्तीसगढ़	148.974	41.787	205.047	143.700	143.784	194.411	143.784	143.434	131.952	135.836	143.784	132.08	307.274	275.102
6.	दिल्ली	47.294	22.640	51.509	0	31.364	23.369	31.364	29.976	0	0	31.364	0	0	0
7.	गोवा	5.440	0.002	5.904	3.007	3.680	3.374	3.680	3.849	0	0	3.68	3.985	0	0
8.	गुजरात	148.869	16.141	144.063	14.590	162.572	132.874	162.572	163.038	51.502	51.886	321.472	256.034	21.455	13.508
9.	हरियाणा	53.516	16.280	51.205	36.806	60.504	22.076	60.504	39.618	9.739	3.391	60.504	59.606	7.164	3.969
10.	हिमाचल प्रदेश	21.369	21.084	161.128	14.620	39.416	29.491	39.416	27.489	11.537	11.4198	39.416	30.447	11 537	8.21
11.	जम्मू और कश्मीर	30.634	30.983	63.139	51.333	56.440	56.970	56.440	52.369	11.757	10.654	56.44	51.706	14.255	14.253
12.	झारखंड	74.052	8.363	42.587	0.764	183.584	126.175	183.584	86.158	132.229	117.54	183.584	133.165	131.781	108.183
13.	कर्नाटक	160.429	51.525	136.922	12.552	239.946	233.571	239.946	239.989	31.395	31.37	239.946	239.006	31.395	30.182
14.	केरल	153.870	116.062	179.893	127.906	125.653	125.553	119.168	119.092	5.068	5.068	306.104	264.199	1.232	1.232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	मध्य प्रदेश	164.951	13.322	121.077	11.933	516.324	6.668	316.324	270.063	278.044	113.963	316.324	0	206.62	0
16.	महाराष्ट्र	301.359	40.694	242.956	27.145	501.060	286.014	501.060	294.409	105.812	84.957	501.059	272.404	0	0
17.	मणिपुर	6.919	0	5.231	6.070	17.730	16.921	12.730	12.73	1.215	1.199	12.730	12.730	0.381	0.374
18.	मेघालय	7.633	7.843	5.773	5.517	19.034	11.200	14.033	14.213	1.719	1.308	14.033	14.02	0	0
19.	मिज़ोरम	5.678	2.781	18.149	17.599	10.214	11.436	10.214	8.542	0.159	0.159	9.594	9.099	0.159	0.159
20.	नागालैंड	10.268	2.941	13.864	9.354	14.510	15.132	19.510	19.615	0.315	0.376	17.01	17.075	0.315	0.254
21.	ओडिशा	115.447	0.135	75.819	12.006	252.906	190.414	252.906	151.273	143.933	143.702	252.906	192.616	204.647	112.241
22.	पंजाब	67.592	59.295	276.145	70.905	35.888	28.664	35.888	34.235	1.839	1.839	35.888	0	1.839	0
23.	राजस्थान	301.478	191.769	239.700	186.653	236.420	221.277	186.420	179.772	99.054	70.182	186.42	174.464	81.278	81.481
24.	सिक्किम	2.285	1.277	1.646	0.841	4.498	4.499	10.778	6.286	0.264	0.169	3.298	3.297	0.44	0.441
25.	तमिलनाडु	235.994	129.465	195.767	34.731	372.918	353.252	377.918	378.43	40.948	40.359	508.918	507.146	40.948	39.285
26.	त्रिपुरा	12.274	0	9.269	0	22.622	22.623	22.622	22.093	2.734	2.23	34.071	34.487	1.746	1.746
27.	उत्तर प्रदेश	444.406	114.226	335.641	4.160	818.880	508.498	818.880	629.003	316.724	299.744	818.879	740.242	159.556	97.642
28.	उत्तराखंड	20.723	4.034	165.65	93.453	38.188	15.300	38.188	31.891	2.602	2.598	38.188	35.279	1.681	1.681
29.	पश्चिम बंगाल	246.891	223.416	202.822	143.610	397.152	291.327	397.152	325.987	259.315	130.411	397.152	383.272	259.315	36.713
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.377	0	1.150	0	2.146	0.455	2.146	1.820	0	0	2.146	0.667	0	0
31.	चंडीगढ़	3.451	0	3.907	3.116	1.764	0.555	1.764	1.635	0	0	1.764	0.588	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0.612	0	0.391	0.391	1.382	0.692	1.382	0.017	0	0	1.382	0.493	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0.478	0	0.268	0.112	0.268	0.032	0	0	0.268	0.178	0	0
34.	लक्षद्वीप	0.187	0	0.174	0.724	0.230	0	0.230	0.230	0	0	0.23	0.207	0	0
35.	पुदुचेरी	3.808	0.309	3.039	4.228	6.442	1.567	10.711	8.492	0	0	6.442	3.835	0	0
	सकल जोड़	3066.410#	1229.248	2500.000#	1185.023	5000.004#	3948.951	5000.004#	4273.568	2369.241	1703.246	5000.000#	4401.540	2121.237	1125.422

स्रोत: नियंत्रण कक्ष, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय।

$विशेष आबंटन के संबंध में उठान मार्च, 2013 तक तथा निर्धनतम जिलों के संबंध में उठान अप्रैल, 2013 तक है।

#कतिपय मामलों में जोड़ कुल आबंटन के भीतर न उठाई गई बचतों से पुन: आबंटन के कारण राज्यों को किए गए आबंटन के सकल जोड़ के बराबर नहीं है।

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन		
	2010-11*	2011-12*	2012-13*#
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	124.37	124.37	81.65
बिहार	251.07	246.98	123.41
चंडीगढ़	0.88	0.93	0.73
छत्तीसगढ़	56.28	45.27	30.72
दादरा और नगर हवेली	0.6	0.61	0.41
दमन और दीव	0.12	0.13	0.09
दिल्ली भारतीय खाद्य निगम प्रचालित राज्य	37.16	37.30	24.54
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.74	2.19	2.37
अरुणाचल प्रदेश	10.27	10.36	7.00
असम	224.52	223.82	149.97
जम्मू और कश्मीर	87.8	87.83	58.97
लक्षद्वीप	1.34	1.25	0.70
मणिपुर	21.93	21.97	14.71
मेघालय	20.96	20.98	14.07
मिज़ोरम	8.24	8.29	5.57
नागालैंड	14.64	14.70	9.82
त्रिपुरा	32.86	32.94	21.77
भारतीय खाद्य निगम जोड़	427.3	424.33	284.95
गोवा	1.58	1.59	1.03
गुजरात	75.98	76.39	50.12
हरियाणा	32.06	32.22	22.23
हिमाचल प्रदेश	57.08	56.22	38.35
झारखंड	86.27	80.97	40.15
कराइकल	0.64	0.64	0.42
कर्नाटक	109.7	109.74	72.31
केरल	56.95	63.17	32.93
मध्य प्रदेश	155.83	150.85	99.59
महाराष्ट्र	176.43	173.57	116.26
माहे	0.02	0.02	0.01
ओडिशा	108.58	104.74	66.26
पुदुचेरी	2.2	2.30	1.47
पंजाब	20.86	20.94	13.67
राजस्थान	94.61	94.74	59.92
सिक्किम	4.76	5.20	2.77
तमिलनाडु	133.37	136.85	90.14
उत्तर प्रदेश	412.48	412.56	280.20
उत्तराखंड	73.49	73.73	49.62
पश्चिम बंगाल	178.84	173.12	115.90
यनम	0.15	0.15	0.10
जोड़	2679.66	2649.63	1699.95

*चीनी मौसम आधार (अक्तूबर से सितंबर)

#अक्तूबर, 2012 से मई, 2013 की अवधि के लिए आबंटन

विवरण-V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य-वार लेवी कोटा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक कोटा	वार्षिक त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	834	94
3.	असम	18337	2896
4.	बिहार	20516	7527
5.	छत्तीसगढ़	4512	2013
6.	दिल्ली	2610	2316
7.	गोवा	120	150
8.	गुजरात	5841	4878
9.	हरियाणा	2485	1924
10.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
11.	जम्मू और कश्मीर	6962	868
12.	झारखंड	6948	2551
13.	कर्नाटक	8636	5350
14.	केरल	4103	3600
15.	मध्य प्रदेश	12441	5523
16.	महाराष्ट्र*	13917.5	9014
17.	मणिपुर	1763	208
18.	मेघालय	1704	200
19.	मिजोरम	666	78
20.	नागालैंड	1179	128
21.	ओडिशा	8707	3730
22.	पंजाब	1385	2392
23.	राजस्थान	7342	5092
24.	सिक्किम	391	50
25.	तमिलनाडु	10820	6790
26.	त्रिपुरा	2647	302
27.	उत्तर प्रदेश	33013	15154
28.	उत्तराखंड	6033	782
29.	पश्चिम बंगाल	14087	7796
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	389	74
31.	चंडीगढ़	62	112
32.	दादरा और नगर हवेली	48	14
33.	दमन और दीव	11	12
34.	लक्षद्वीप	115	22
35.	पुदुचेरी	243	88
	सकल जोड़	213255.5	99950

*जनवरी, 2002 से महाराष्ट्र का लेवी कोटा 16792.0 टन से घटकर 13917.5 हो गया।

कोयले की आपूर्ति

910. डॉ. रतन सिंह अजनाला :
डॉ. भोला सिंह :
श्री जगदानंद सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां राज्यों को आबंटित कोयला-कोटे की नियमित रूप से आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजाब और बिहार सहित विभिन्न राज्यों की कोयले की वार्षिक मांग और उन्हें इसकी आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब और बिहार सहित कई राज्य वहां के विद्युत केन्द्रों/परियोजनाओं हेतु कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को कोयले की नियमित और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. और संबंधित विद्युत केन्द्रों के बीच हस्ताक्षरित ईंधन आपूर्ति करारों के अंतर्गत कोयल की आपूर्ति की जाती है। सीआईएल वार्षिक योजना के भाग के रूप में योजना आयोग/कोयला मंत्रालय द्वारा यथा अंतिम रूप दिए गए आपूर्ति योजना लक्ष्य के 90 से अधिक की आपूर्ति कर रही है, जैसाकि पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के निम्न तालिका में दिए गए ब्यौरों से देखा जा सकता है।

वार्षिक योजना में योजना आयोग/कोयला मंत्रालय द्वारा यथा अंतिम रूप दिए गए कच्चे कोयला की शर्तों में आपूर्ति योजना लक्ष्य की तुलना में सीआईएल से वास्तविक आपूर्ति

(मिलियन टन में)

वर्ष	आपूर्ति योजना लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति	% मि.टन
2010-11	460.50	424.50	92%
2011-12	452.00	433.08	96%
2012-13	470.00	465.18	99%
2013-14 (नवंबर, 2013 तक)	310.43	298.63	96%

(ग) से (ङ) चालू वर्ष के दौरान कई राज्यों ने विद्युत की कमी का अनुभव किया। यह पंजाब में 2% तथा बिहार में 5% है।

अप्रैल-अक्तूबर, 2013 के दौरान पंजाब में स्थित किसी विद्युत संयंत्र ने उत्पादन की हानि सूचित नहीं की थी। तथापि, बिहार राज्य में, एनटीपीसी के कहलगांव एसटीपीएस (1340 मे.वा.) ने उक्त अवधि के दौरान कोयले की कमी के कारण 549 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि सूचित की थी।

28.11.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की कोयला स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार टीपीपी की कोयला स्टॉक स्थिति पिछले वर्ष के दौरान 9.19 मि.ट की तुलना में 16.03 मि. टन (एमटी) थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, टीपीपी की कोयला स्टॉक की स्थिति वर्तमान में (01/12/2013 की स्थिति के अनुसार) 16.03 मि.टन तक पहुंच गई है जबकि यह 29.11.2012 को 9.19 मि.टन थी।

कोयला कंपनियों तथा सीआईएल में उपलब्ध मानीटरिंग तंत्र के अलावा, विद्युत उपयोगिता क्षेत्र को कोयला आपूर्तियां मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना समीक्षा समिति द्वारा गठित अंतर-मंत्रालीय उपसमूह द्वारा की जाती है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। उप समूह नाजुक कोयला स्टॉक की स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेता है।

चीनी का निर्यात

911. श्री समीर भुजबल :
श्री अर्जुन राय :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मौसम 2012-13 और 2013-14 के लिए निर्यात हेतु स्वीकृत चीनी की मात्रा कितनी है और अब तक निर्यात की गई चीनी की वास्तविक मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त निर्यात के अनुमोदन से पूर्वी चीनी की घरेलू मांग और स्टॉक स्थिति पर विचार गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान चीनी के स्टॉक, उत्पादन और मांग की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त निर्यात हेतु कोई सहायता/रियायत उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी का निर्यात निर्बाध है बशर्ते कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के पास प्रमात्रा का पंजीकरण कराया गया हो। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस), कोलकाता के अनुसार चीनी मौसम 2012-13 (अक्तूबर से सितंबर) और चालू मौसम 2013-14 (अक्तूबर, 2013 तक) के दौरान लगभग 12 एवं 1.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है।

(ख) और (ग) चीनी के निर्बाध निर्यात की अनुमति देने का निर्णय स्टॉक की स्थिति और चीनी की घरेलू मांग को ध्यान में रख कर लिया गया था। चीनी मौसम 2012-13 और 2013-14 के दौरान चीनी का अनुमानित अग्रनयन स्टॉक, उत्पादन और मांग निम्नानुसार है—

(लाख टन में)

चीनी मौसम	अग्रनयन स्टॉक	उत्पादन	मांग
2012-13	66.96 (अनंतिम)	258.58 (अनंतिम)	230 (अनुमानित)
2013-14	91.09 (अनुमानित)	241.31 (अनुमानित)	235 (अनुमानित)

(घ) और (ङ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

912. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कृषि लागत बढ़ जाने के कारण कच्चे जूट की खरीद के लिए उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कम-से-कम 1500/- रुपए की वृद्धि की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) सरकार को माननीय संसद सदस्य, लोकसभा श्री त्रिपेंद्रनाथ राय से कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 5000 रुपए/क्विंटल तक संशोधन करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 4000 रुपए/क्विंटल तक संशोधन करने के संबंध में एक दूसरा अभ्यावेदन श्री निलमणी सेन डेका, माननीय कृषि, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा संसदीय मामले मंत्री, असम सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है, जिसे अनेक कारकों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है, इसमें शामिल हैं- उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव आदि, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार एवं किसानों से प्राप्त अभ्यावेदनों सहित अन्य संबंधित कारक।

प्राथमिकी दर्ज न किया जाना

913. श्री शिवराम गौडा :
श्री एन. धरम सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने की शिकायतें/खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों/सूचित मामलों की संख्या राज्य-वार कितनी है तथा दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में गंभीर अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर, प्राथमिक जांच बिना ही प्राथमिकी दर्ज करना/पुलिस के लिए अनिवार्य बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) राज्य सरकारों और उनके पुलिस विभाग के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी परामर्श/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कथित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न करने से संबंधित कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का ब्यौरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से रखा नहीं जाता है।

(ग) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश शासन और अन्य अर्थात् वर्ष 2008 की रिट याचिका (दांडिक) सं.68 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.11.2013 के निर्णय में निदेश दिया कि कतिपय आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

(घ) और (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज करने तथा उसकी जांच और अपनी विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के साथ-साथ नागरिकों की जान एवं माल की सुरक्षा करने की प्राथमिक

जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, संघ सरकार, अपराध की रोकथाम के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और इसलिए संघ सरकार दंड न्याय प्रणाली के प्रशासन को बेहतर बनाने पर अधिक संकेन्द्रित ध्यान देने तथा अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यथा-अपेक्षित उपाय करने के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर ज़ोर देती रही है। इस संबंध में, अपराध की रोकथाम, उसे दर्ज करने, जांच और अभियोजन के बारे में एक परामर्शी-पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2010 को तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के बारे में एक अन्य परामर्शी-पत्र दिनांक 10 मई, 2013 को जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्थापना

914. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में विद्यमान कृषि अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे और अधिक अनुसंधान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) नए अनुसंधान केन्द्रों/कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपनाए गए मानदंडों/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए अनुसंधान केन्द्रों/कृषि विश्वविद्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 99 कृषि अनुसंधान संस्थान हैं इनमें 4 मानद विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इसके अलावा, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा 59 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि संकाय वाले 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 1 मानद विश्वविद्यालय भी हैं। इसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि सहित उच्च कृषि शिक्षा एक राज्य का विषय है अत: राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोई नया केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय क्षमताओं के आधार पर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए भा.कृ.अ.प. द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पंचवर्षीय समीक्षा दल की सिफारिशों तथा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसंधान संस्थान/केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।

विवरण

कृषि अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	भा.कृ.अ.प. अनुसंधान संस्थानों की संख्या	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या	कृषि संकाय वाले विश्वविद्यालय	मानद विश्वविद्यालय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1		—			01
2.	आंध्र प्रदेश	9		3			12
3.	अरुणाचल प्रदेश	1		—			01

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	1		1			02
5.	बिहार	2		2			04
6.	छत्तीसगढ़	1		2			03
7.	दिल्ली	9		—			09
8.	गोवा	1		—			01
9.	गुजरात	2		5			07
10.	हरियाणा	6		2			08
11.	हिमाचल प्रदेश	2		2			04
12.	जम्मू और कश्मीर	1		2			03
13.	झारखंड	2		1			03
14.	कर्नाटक	5		6			11
15.	केरल	5		3			08
16.	मध्य प्रदेश	4		3			07
17.	महाराष्ट्र	9		5			14
18.	मेघालय	1		—			01
19.	मणिपुर	—		—			01
20.	नागालैंड	1		—			01
21.	ओडिशा	4		1	1		06
22.	पंजाब	1		2			03
23.	राजस्थान	6		6			12
24.	सिक्किम	1		—			01
25.	तमिलनाडु	1		3			06
26.	उत्तर प्रदेश	14		5	2	1	22
27.	उत्तराखंड	4		2			06
28.	पश्चिम बंगाल	3		3			07
	कुल	99	01	59	04	01	164

कीटनाशकों/पेस्टनाशकों की मांग

915. श्री जगदीश ठाकोर :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री गणेश सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में वर्तमान में उत्पादित कीटनाशकों/पेस्टनाशकों की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देशभर में कीटनाशकों/पेस्टनाशकों की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कीटनाशकों/पेस्टनाशकों संबंधी मांग और उन्हें आबंटित प्रमात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशकों/पेस्टनाशकों की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कीटनाशकों/पेस्टनाशकों की कुल प्रमात्रा निम्नलिखित हैं:—

2010-11	—	124.46 हजार मी.टन
2011-12	—	134.49 हजार मी.टन
2012-13	—	133.20 हजार मी.टन

(उप महानिदेशक रसायन एवं पेट्रोरसायन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

(ख) जी, हां। सरकार ने देश भर में कीटनाशकों/पेस्टनाशकों का आकलन किया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष में पेस्टनाशकों/कीटनाशकों की मात्रा संबंधी मांग संलग्न विवरण में दी गई है। देश में पेस्टनाशकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, चूंकि विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के किसी भी प्रतिनिधि ने कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कृषि आदानों संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान पेस्टनाशकों की कम आपूर्ति की सूचना नहीं दी है।

विवरण

2010-11 से 2011-12 तथा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान रसायन कीटनाशकों की राज्य-वार मांग

इकाई मी.टन (तकनीकी श्रेणी)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 परियोजित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10000.00	9000.00	9000.00	9000
2.	बिहार	851.00	870.00	930.00	975
3.	छत्तीसगढ़	570.00	600.00	800.00	1000
4.	गोवा	8.30	8.50	9.50	7
5.	गुजरात	2700.00	2100.00	1240.00	2220
6.	हरियाणा	4120.00	4085.00	4200.00	4200
7.	हिमाचल प्रदेश	335.00	320.00	315.00	325
8.	जम्मू और कश्मीर	3407.85	4693.48	1738.89	

1	2	3	4	5	6
9.	झारखंड	98.55	128.44	170.00	173
10.	कर्नाटक	1700.00	1750.00	1750.00	1800
11.	केरल	632.69	591.25	726.19	770
12.	मध्य प्रदेश	723.00	906.00	879.00	622
13.	महाराष्ट्र	4315.00	8554.00	7855.00	8174
14.	ओडिशा	810.75	532.25	706.25	706
15.	पंजाब	6500.00	6150.00	6300.00	6400
16.	राजस्थान	2875.00	2775.00	2725.00	2675
17.	तमिलनाडु	2472.40	2088.50	1970.00	1921
18.	उत्तर प्रदेश	8372.00	8571.00	8860.00	9096
19.	उत्तराखंड	225.61	283.72	259.18	304
20.	पश्चिम बंगाल	3550.00	3550.00	4000.00	4000
	उप-जोड़	54267.15	57557.14	54434.01	54368
उत्तर-पूर्वी					
21.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	17.00	18.00	
22.	असम	180.00	190.00	201.00	205
23.	मणिपुर	33.82	35.10	33.51	34
24.	मेघालय	10.05	9.82	9.81	
25.	मिजोरम	3.36	3.36	4.20	4
26.	नागालैंड		19.00		
27.	सिक्किम				22
28.	त्रिपुरा	36.00	472.02	497.08	
	उप-जोड़	273.23	746.29	763.60	265
संघ शासित क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		17.82	6.42	8

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़				
31.	दादरा और नगर हवेली				
32.	दमन और दीव				
33.	दिल्ली	50.00			
34.	लक्षद्वीप				
35.	पुदुचेरी	46.94	46.94	44.50	44
	उप-जोड़	96.94	64.76	50.92	52
	कुल जोड़	54637	58368	55249	54685

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (क्षेत्रीय आदान सम्मेलन (पौध संरक्षण)।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन

916. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के कार्यरत उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इन संयंत्रों का वास्तविक उत्पादन कितना रहा है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड (एचएफसीएल) और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) की विभिन्न इकाइयों के आधुनिकीकरण की एक कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों तथा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तथा 2013-14 (नवंबर 2013 तक) के दौरान उनके लक्ष्यों, वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति (ईसीओएस) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 04.08.2011 को आयोजित अपनी बैठक में हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) तथा फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। हाल में, सीसीईए ने 09.05.2013 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने का अनुमोदन दिया था ताकि एफसीआईएल सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर सके और एफसीआईएल इकाइयों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी होने पर एचएफसीएल इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजना बनाई गई। इससे एफसीआईएल जून 2013 में बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार से बाहर आ गई। एफसीआईएल की तीन इकाइयों नामत: सिंदरी, रामागुंडम और तलचर का नामांकन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पुनरुद्धार किया जाएगा तथा शेष दो बंद इकाइयों नामत: गोरखपुर और कोरबा का निविदा मार्ग के जरिए पुनरुद्धार किया जाएगा।

(ङ) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपकरणों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करने के लिए योजनागत निधि ऋण उपलब्ध कराती है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों तथा वर्ष 2010-11 से 2012-13 तथा 2013-14 (नवंबर 2013 तक) के दौरान उनका लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा

('000' मी.टन)

संयंत्रों का नाम	उत्पाद का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (नवंबर 2013 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सार्वजनिक क्षेत्र									
एनएफएल:नांगल-II	यूरिया	478.4	478.5	478.4	503.4	433.6	471.3	342.4	307.4
एनएफएल:भठिंडा	यूरिया	511.5	553.0	511.5	482.8	395.0	394.3	358.2	367.8
एनएफएल:पानीपत	यूरिया	511.5	470.0	511.4	500.3	426.1	414.0	366.0	320.1
एनएफएल:विजयपुर	यूरिया	884.5	916.6	870.8	902.1	1014.6	966.5	659.8	664.1
एनएफएल:विजयपुर विस्तार	यूरिया	914.5	961.5	927.8	1011.9	1034.5	965.2	699.5	759.6
योग (एनएफएल):	यूरिया	3300.4	3379.6	3299.9	3400.5	3303.8	3211.3	2425.9	2419.0
आरसीएफ:ट्राम्बे-V	यूरिया	330.0	341.1	330.0	335.9	330.0	384.1	228.6	213.1
आरसीएफ:थाल	यूरिया	1707.0	1783.4	1745.0	1772.5	1950.0	1951.6	1327.4	1275.9
योग (आरसीएफ)	यूरिया	2037.0	2124.5	2075.0	2108.4	2280.0	2335.7	1556.0	1489.0
एमएफएल:चेन्नई	यूरिया	425.0	477.9	460.0	486.6	470.0	435.8	337.0	352.1
बीवीएफसीएल: नामरूप-II	यूरिया	97.0	86.1	120.0	102.3	120.0	109.5	76.0	33.7
बीवीएफसीएल: नामरूप-III	यूरिया	225.0	198.9	258.0	176.5	270.0	281.3	171.0	142.9
योग (बीवीएफसीएल):	यूरिया	322.0	285.0	378.0	278.8	390.0	390.8	247.0	176.6
योग यूरिया:	यूरिया	6084.4	6267.0	6212.9	6274.3	6443.8	6373.6	4565.9	4436.7
फैक्ट:उद्योगमंडल	20:20	125.0	147.6	132.5	167.6	145.0	103.8	97.0	113.9
फैक्ट:कोचीन-II	20:20	480.0	496.2	532.5	449.1	535.0	434.0	331.0	318.2
योग:फैक्ट		605.0	643.8	665.0	616.7	680.0	537.8	428.0	432.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरसीएफ:ट्राम्बे	15:15:15	410.0	446.0	355.0	458.3	330.0	474.9	144.0	234.6
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ:ट्राम्बे-IV	20:8:20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	270.0	157.9	250.0	191.6	270.0	135.5	136.7	120.5
योग:आरसीएफ		680.0	603.9	605.0	649.9	600.0	610.4	280.7	355.1
एमएफएल:चेन्नई	17:17:17	0.0	0.0	390.0	7.5	420.0	99.4	121.0	43.5
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.7	103.0	0.0
योग एमएफएल		0.0	0.0	390.0	35.8	420.0	100.1	224.0	43.5
कुल मिश्रित		1285.0	1247.7	1660.0	1302.4	1700.0	1248.3	932.7	830.7

रिफाइंड खाद्य तेल का आयात

917. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पाम तेल के बनिस्बत में रिफाइंड खाद्य तेल का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयातित कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) क्या रिफाइंड खाद्य तेल के बढ़ते आयात के कारण घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात-शुल्क बढ़ाने और घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को सहायता देने हेतु अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। रिफाइंड खाद्य तेलों की आयातित मात्रा अपरिष्कृत पाम तेल की आयातित मात्रा से अधिक नहीं है। प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा अपरिष्कृत तथा रिफाइंड तलों पर व्युत्क्रम शुल्क संरचना तथा माह जनवरी, 2013 में अपरिष्कृत तथा रिफाइंड तेलों के आयात शुल्क में 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के अंतर के कारण वर्ष 2012-13 में आयातित रिफाइंड ब्लीच्ड तथा डियोडोराइज्ड (आरबीडी) पामोलिन तेल की मात्रा में वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों तथा चालू खाद्य तेल वर्ष (नवंबर-अक्तूबर) के दौरान आयातित आरबीडी पामोलिन तथा आयातित अपरिष्कृत पाम तेल (सीपीओ) की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख टन में)

खाद्य तेल वर्ष	रिफाइंड खाद्य तेल	कच्चा पाम तेल
2010-11	10.82	53.74
2011-12	15.77	59.94
2012-13	22.23	58.89
2013-14	—	—

स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

*वर्तमान खाद्य तेल वर्ष 1 नवंबर, 2013 से प्रारंभ हुआ है तथा आयात के आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) यद्यपि वर्ष 2012-13 के दौरान रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि हुई है, तथापि अपरिष्कृत पाम तेल का आयात विगत वर्ष की तुलना में लगभग वही रहा है।

(घ) और (ङ) खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की पुर्नसंरचना का एक प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है, जिसमें रिफाइंड खाद्य तेलों और अपरिष्कृत तेलों पर आयात शुल्क संरचना में परिवर्तन शामिल है।

[अनुवाद]

समुद्र तटीय सुरक्षा के लिए सहायता

918. श्री जोस के. मणि :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री गणेश सिंह :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तटीय सुरक्षा योजना के दूसरे चरण के संस्वीकृत समुद्र तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या वर्तमान में कार्यरत पुलिस स्टेशनों की संख्या और अब तक प्रदत्त वित्तीय सहायता राशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सहित कुछ समुद्र तटीय राज्यों ने सरकार से इस हेतु और अधिक निधि देने और अधिक समुद्र तटीय पुलिस स्टेशन बनाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में समुद्र तटीय सुरक्षा की तैयारी की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) के अंतर्गत स्वीकृत, क्रियाशील तटीय पुलिस थानों तथा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता की धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) के प्रारंभ में प्रत्येक तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए तटीय पुलिस थानों की संख्या निर्धारित और नियत कर दी गई थी। अत: योजना के तटीय पुलिस थानों की संख्या में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि कुछ राज्यों ने घाटों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। यह निर्णय लिया गया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय दशाओं और आवश्यकता के आधार पर घाटों की वास्तविक रूपरेखा की समीक्षा तथा घाटों को मत्स्यपालन बंदरगाहों के पास स्थानांतरित करने की जांच करेंगे ताकि भूमि-अधिग्रहण से जुड़ी आवश्यकताओं से बचा जा सके और खुदाई संबंधी आवश्यकता की लागत की बचत हो सके।

(घ) और (ङ) जी, हां। हाल में दिनांक 6 सितंबर, 2013 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में हुई समुद्र से होने वाले खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस) की 8वीं बैठक तथा तत्पश्चात् दिनांक 26 सितंबर, 2013 को सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में तटीय सुरक्षा से संबंधित स्टेयरिंग कमेटी की पहली बैठक में तटीय सुरक्षा की समीक्षा की गई है।

विवरण

दिनांक 10.12.2013 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 918 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत तटीय पुलिस थाने	क्रियाशील तटीय पुलिस थाने	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की धनराशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	12	12	1104.40
2.	महाराष्ट्र	07	06	243.00
3.	गोवा	04	03	271.80
4.	कर्नाटक	04	04	384.80
5.	केरल	10	0	400.00

1	2	3	4	5
6.	तमिलनाडु	30	0	2379.20
7.	आंध्र प्रदेश	15	15	1392.10
8.	ओडिशा	13	0	223.22
9.	पश्चिम बंगाल	08	08	200.00
10.	दमन और दीव	02	0	226.00
11.	लक्षद्वीप	03	03	309.19
12.	पुदुचेरी	03	03	294.11
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	20	2702.00
	कुल	131	74	10129.82

संरक्षित स्मारकों में धार्मिक परिपाटी

919. **श्री ताराचन्द भगोरा : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने यह सिफारिश की है कि उन संरक्षित स्मारकों में धार्मिक परिपाटियों की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं तथा जहां वर्तमान में ऐसी परिपाटियां प्रतिषिद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आसूचना संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने सिफारिश की है कि सुरक्षा खतरे को देखते हुए संरक्षित स्मारकों पर ऐसी परिपाटियों की अनुमति नहीं दी जा सकती है और कि इससे अन्य समूहों/संगठनों से भी ऐसे अनुरोध बड़ी संख्या में आ सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त सिफारिशों के आलोक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों का औचित्य क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : (क) जी, हां। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिनांक 30.07.2012 के पत्र द्वारा दिल्ली में मस्जिदों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए तत्कालीन माननीय संस्कृति मंत्री से संपर्क किया था।

(ख) सर्वप्रथम इस मामले की जांच केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.1979 को आयोजित एक विशेष बैठक, जिसमें अन्यों के साथ वे सदस्य थे, में की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि धार्मिक प्रयोग में नहीं आने वाले स्मारकों पर फिर से पूजा करने की अनुमति न दी जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आसूचना संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की दिनांक 04.07.1983 को आयोजित बैठक में केन्द्रीय संरक्षित मस्जिदों के धार्मिक उपयोग से संबंधित मामले पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि अब तक किसी संरक्षित स्मारक में धार्मिक कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देने की प्रथा को (यदि ऐसे प्रयोग की प्रथा संरक्षण के समय प्रचलित नहीं थी या बहुत समय से ऐसा नहीं किया जा रहा था) जारी रखा जाए। राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2009 में आयोजित अपनी बैठक में उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में प्रार्थना/पूजा करने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया था जिनमें संरक्षण के अधीन लाने के समय ऐसे प्रयोग की प्रथा नहीं थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आसूचना संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की दिनांक 04.07.1983 को आयोजित बैठक में केन्द्रीय संरक्षित मस्जिदों के धार्मिक उपयोग से संबंधित मामले पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि अब तक किसी संरक्षित स्मारक में धार्मिक कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं देने की प्रथा को (यदि

ऐसे प्रयोग की प्रथा संरक्षण के समय प्रचलित थी या बहुत समय से ऐसा नहीं किया जा रहा था) जारी रखा जाए।

कृषि श्रमिकों की कमी

920. श्री पी. करुणाकरन :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों की भारी कमी के कारण कुछ राज्यों में धान और गेहूं की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का कृषि क्षेत्रक के संबंध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभाव का आकलन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के किसानों का कोई व्यापक सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) कृषि क्षेत्रक में कृषि श्रमिकों की कमी के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इस वास्ते स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : (क) और (ख) यह दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि कृषि श्रमिकों की भारी कमी के कारण कुछ राज्यों में धान एवं गेहूं की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हाल के वर्षों के दौरान चावल एवं गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। 2011-12 के दौरान चावल का उत्पादन 105.3 मिलियन टन था तथा 2012-13 के लिए अनुमान 104.4 मिलियन टन है। 2011-12 में गेहूं का उत्पादन 94.86 मिलियन टन था तथा 2012-13 के लिए अनुमान 92.46 मिलियन टन है।

(ग) मनरेगा के प्रभाव पर किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि इसके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों की ओर वृहत पलायान में कमी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में बढ़ोत्तरी हुई है। शीर्ष कृषि मौसम के दौरान श्रमिकों की अस्थायी कमी की भी सूचना मिली है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि जल एवं भू संरक्षण कार्यों से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार में सहायता मिली है।

(घ) देश में किसानों की आय एवं परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2003 में एक स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) किया गया था।

सर्वेक्षण के दिशा निर्देश को एनएसएस रिपोर्ट सं.497 शीर्षक "कृषक घरों की आय तथा उत्पादक परिसंपत्तियां, 2003" में प्रकाशित किया गया है तथा उसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) मनरेगा को अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रम के निर्गमन में सुधार लाने के उद्देश्य से, मनरेगा एवं ग्रामीण जीविकाओं, विशेषकर कृषि के बीच सामंजस्य को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा संचालनात्मक दिशा निर्देश 2013 के चौथे प्रकाशन को भी जारी किया गया है।

भूमि की तैयारी अथवा खेत को जोतने, फसल कटाई एवं चावल ट्रांसप्लांटेशन जैसे विभिन्न कृषि संचालनों में अभियांत्रिकीकरण को अपनाने के लिए सरकार द्वारा सघन प्रयास किए गए है जिससे मानव क्षमता पर निर्भरता कम होगी।

विवरण

लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषक परिवार थे जो खेती, पौध रोपण, पशुपालन, मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन तथा अन्य कृषि क्रियाकलापों जैसी खेती संबंधी क्रियाकलापों में कार्यरत रहते थे।

प्रति 100 अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों के लिए मात्र एक ट्रैक्टर था, जबकि प्रति 100 अन्य पिछड़े वर्ग के कृषक परिवारों के लिए 3 ट्रैक्टर तथा प्रति 100 अन्य कृषक परिवारों के लिए 5 ट्रैक्टर थे।

10 अथवा उससे अधिक हैक्टेयर भूमि का धारण करने वाले बहुसंख्यक कृषक परिवारों में से, प्रति 100 परिवारों के लिए 38 ट्रैक्टर थे। 4-10 हैक्टेयर वाले मध्यम आकार के फार्म के साथ प्रति 100 परिवारों के लिए 18 ट्रैक्टर थे। 0.4-1.0 हैक्टेयर की श्रेणी वाली भूमि के साथ छोटे किसानों के लिए, प्रति 100 परिवारों के लिए एक मात्र ट्रैक्टर था।

अन्य श्रेणियों के कृषक परिवारों की तुलना में जनजाति के कृषक परिवार के अधीन बड़ी संख्या में गोपशु स्वामी हुआ करते थे। प्रति 100 जनजाति के कृषक परिवारों के लिए 173 गोपशु स्वामी थे। जबकि अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों के पास 98, अन्य पिछड़े वर्ग के कृपक परिवारों के पास 126 तथा प्रति 100 कृषक परिवारों के लिए अन्यों के पास 132 गोपशु स्वामी थे।

जबकि प्रति 100 कृषक परिवारों के लिए अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के किसानों के पास 40 से 45 भैंस थीं, प्रति 100 कृषक परिवारों के लिए अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी हेतु 78 से 80 भैंसें थीं।

न्यूनतम मासिक व्यय वर्ग अथवा निर्धनतम स्तर के कृषक घरों के पास प्रति 100 परिवार 31 भैंस थीं, जबकि उच्चतम मासिक व्यय वर्ग के पास प्रति 100 परिवार 113 भैंस थीं।

एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय, खेती से 969 रुपए होती थी। मजदूरी अर्जित करने पर 819 रुपए था जबकि प्रति कृषक परिवार के लिए गैर-फार्म व्यापार से 236 रुपए तथा पशुओं के पालन से आय मात्र 91 रुपए थी।

उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद एवं रख-रखाव में कृषक परिवारों द्वारा किए गए औसत मासिक व्यय, फार्म संबंधी परिसंपत्तियों के लिए 81 प्रतिशत, आवासीय मकान के लिए 13 प्रतिशत तथा गैर-फार्म व्यापार के लिए 6 प्रतिशत था।

लगभग 58 प्रतिशत किसानों के पास कुछ फार्म पशु थे। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत परिवारों ने डेयरी उद्योग पर औसतन 814 रुपए प्रति माह खर्च किया। कृषक परिवार जो कुक्कुट कार्य में व्यस्त थे ने कुक्कुट पालन पर औसतन 126 रुपए प्रति माह खर्च किया।

कुल वार्षिक खेती पर व्यय का ब्यौरा यह दर्शाता है कि 23 प्रतिशत व्यय उर्वरकों एवं खादों, 22 प्रतिशत मजदूरी प्रभारों के मद में, 16 प्रतिशत बीजों तथा 12 प्रतिशत सिंचाई के लिए था।

सर्वेक्षण से यह पता चला कि कुल मासिक उपभोक्ता व्यय के मद में आकलित औसत कृषक परिवार का जीवन स्तर अखिल भारतीय स्तर पर और ग्रामीण परिवारों की तुलना में भिन्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.00 बजे

लोक सभा 12 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं।*]

अपराह्न 12.0¼ बजे

इस समय, श्री अशोक कुमार रावत, डॉ. रामचन्द्र डोम, श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

12.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल - यहां उपस्थित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कटोच

...*(व्यवधान)*

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9812/15/13]

...*(व्यवधान)*

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन,

[श्री पबन सिंह घाटोवार]

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9813/15/13]

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 16/7/2013/एचपी-आई/स्था./2106-2108 में प्रकाशित हुए थे।

(2) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 13/14/2003/एचपी-आई/स्था./2009-2111में प्रकाशित हुए थे।

(3) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 16/06/2013/एचपी-आई/स्था./2112-2114 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9814/15/13]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्ष 2006-2007 का तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्ष 2006-2007 के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की गई कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9815/15/13]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9816/15/13]

(ख) (एक) नेशनल शीड्युल कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शीड्युल कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9817/15/13]

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय, श्री भर्तृहरि महताब और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग निरीक्षक (रेडीयोग्राफर) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2013, जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर ट्रांसपोर्ट और मोटर मेकेनिक संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2013, जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9818/15/13]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 618(अ) जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) सा.का.नि. 619(अ) जो 11 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9819/15/13]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9820/15/13]

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय, श्री आर. थामराईसेलवन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2012-2013 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9821/15/13]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2013, जो 26 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2919(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं.का.आ. 3293(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9822/15/13]

(3) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री तारिक अनवर]

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9823/15/13]

(4) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9824/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04¼ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

19वें से 21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) 'गैस का आबंटन और मूल्य निर्धारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-14) का 19वां प्रतिवेदन *(15वीं लोक सभा)।

(2) 'शहर गैस वितरण परियोजनाएं' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री एम. आनन्दन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.04¾ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

252वें से 256वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब) : मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 242वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 252वां प्रतिवेदन।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 253वां प्रतिवेदन।

(3) मद्रास उर्वरक लिमिटड की विनिर्माण सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि और विस्तार के बारे में समिति के 248वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 254वां प्रतिवेदन।

(4) उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में समिति के 249वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 255वां प्रतिवेदन।

(5) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 243वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 256वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

---

*19वां प्रतिवेदन, अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क(1) के अंतर्गत 18 अक्तूबर, 2013 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) महोदया, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की जांच की और 22.04.2013 को लोक सभा तथा राज्य सभा में अपना 70वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया/रखा। कथित प्रतिवेदन में समिति द्वारा 9 सिफारिशें की गई थीं और सरकार से कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई थी। प्रमुख सिफारिशें मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित थीं:-

(1) निधियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन, योजनाओं की बड़ी निगरानी और सामयिक कार्यान्वयन के माध्यम से निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और आवंटित निधियों की उपर्युक्त उपयोगिता के लिए विद्यमान बजटीय योजना प्रणाली की त्रुटियों की पहचान करने एवं उसे दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक प्रभावी तंत्र बनाना है।

(2) चूंकि भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी) राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने के प्रमुख उद्देश्य से देश में कार्यान्वित की जाने वाली अपने प्रकार की पहली परियोजना है, मंत्रालय को देश में सांख्यिकी प्रणाली को नया बनाने के लिए योजनाओं के तत्पर एवं शीघ्र कार्यान्वयन और 12वीं योजना अवधि के बजट आवंटन के प्रभावी उपयोग को आगे लाना चाहिए ताकि राज्य, उप-राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की विश्वसनीयता, समयबद्धता एवं सामयिकता में महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए संख्या* एल.टी. 9825/15/13

(3) स्थानीय स्तरीय विकास मूल सांख्यिकी योजना (बीएसएलएलडी) 2008-09 में ही शुरू की गई थी और 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसका प्रचालन हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत सतत् रूप से बजटीय आबंटन का कम उपयोग किए जाने से समिति खुश नहीं है और योजना के लिए निधियों की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाए जाने की अपेक्षा करती है ताकि निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

(4) समिति ने आंकड़ा संग्रहण का प्रमुख कार्य आंगनवाड़ी कर्मकारों, चौकीदार, ग्राम प्रधान, राजस्व अधिकारियों इत्यादि जैसे ग्राम स्तर के पदाधिकारों के समन्वय से, पंचायत सचिव को दिए जाने की सिफारिश की थी। जमीनी स्तर पर संग्रहित किया गया आंकड़ा सरकार में योजना और नीति बनाने का मुख्य आधार होता है, महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के तंत्र को अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाए।

(5) जिला योजना के उद्देश्य के लिए पूरे जिला के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है, सभी राज्यों में साकल्यवादी स्थानीय स्तरीय योजना बनाने के उद्देश्य के लिए मंत्रालय को 12वीं योजनावधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में भी आंकड़ा संग्रहण की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए।

(6) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अनुसार विश्वसनीयता, समयबद्धता एवं वर्तमान में उपलब्ध सांख्यिकी की पर्याप्तता में कमी है। 12वीं योजनावधि के दौरान मंत्रालय का मुख्य जोर भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की प्रशासनिक एवं तकनीकी संरचना में सुधार करने और इसकी क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए और मंत्रालय को आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने और गलत आंकड़ों/सांख्यिकी को जारी/संग्रहित करने से रोकने के लिए मंत्रालय को विभिन्न स्तरों पर आंकड़ों की पुष्टि से संबंधित जांच तंत्र बनाना चाहिए।

(7) मंत्रालय के सांख्यिकी विंग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि उपलब्ध जनशक्ति का गुणवत्तापूर्ण और अधिकतम उपयोग करने और सर्वेक्षण कराने, आंकड़ा संग्रहित करने इत्यादि कार्यों को आउटसोर्स कराने की सिफारिश करती है जोकि एक व्यावहारिक समाधान भी होगा। इसके साथ ही, मंत्रालय को अपने सांख्यिकी विंग के लिए अपेक्षित जनशक्ति की भर्ती जारी रखना चाहिए।

[श्री श्रीकांत जेना]

(8) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में लगने वाले समय और लागत को कम करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सलाह पर 18 राज्यों में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली समिति (सीएसपीसीसी) गठित की गई है, समिति चाहती है कि मंत्रालय को शेष राज्यों पर सीएसपीसीसी का गठन करने के लिए जोर डालना चाहिए ताकि बाधाओं को जल्द-से जल्द दूर किया जा सके। 1000 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं विशेषकर कोयला, ऊर्जा, रेलवे, एनएचएआई की परियोजनाएं जिनमें 47 माह से 235 माह तक का विलंब होता है, में लगने वाले समय और लागत को कम करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में की गई कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाए।

(9) राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के साथ पूरे देश में विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में एक व्यापक प्रतिवेदन संकलित/तैयार किए जाने एवं उसे पूरी समीक्षा के लिए योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जोकि सभा-पटल पर रखा गया है।

मैं अनुबंध की सामग्री को पढ़ने के लिए सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) (क) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : महोदया, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के समाचार भाग-दो के द्वारा जारी किए गए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 1 मार्च, 2013 को लोक सभा के पटल पर अपना 166वां प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है जिसे कि सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए

...*(व्यवधान)*

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : महोदया, मैं, दिनांक 1 सितंबर, 2004 के समाचार भाग-दो में जारी किए गए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 25 अप्रैल, 2013 को लोक सभा के पटल पर अपना 170वां प्रतिवेदन रखा और प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है जिसे कि सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन) : महोदया, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9826/15/13

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9827/15/13

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए संख्या* एल.टी. 9828/15/13

389 के अनुसरण में उपरोक्त विषय से संबंधित एक वक्तव्य रखता हूं।

(2) गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की जांच करने के लिए 28 मार्च और 4 अप्रैल, 2013 को विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। समिति ने 22 अप्रैल, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) से संबंधित 169वें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। इस प्रतिवेदन को राज्य सभा और लोक सभा को क्रमश: 25 अप्रैल, 2013 और 26 अप्रैल, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

(3) समिति ने अपने 169वें प्रतिवेदन में एक सौ सात सिफारिशें की थी। (पैरा संख्या) 2.8; 2.9; 2.11; 2.17.6; 2.17.7; 2.17.14; 2.17.15; 2.18.1; 3.6.13; 3.6.14; 3.6.15; 3.6.16; 3.6.17; 3.7.9; 3.8.7; 3.8.8; 3.9.6; 3.10.6; 3.11.2; 3.12.10; 3.12.11; 3.12.12; 3.13.5; 3.14.19; 3.14.20; 3.14.21; 3.14.22; 3.14.23; 3.15.2; 3.15.3; 3.16.2; 4.1.8; 4.1.9; 4.1.10; 4.2.3; 4.2.4; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.4; 4.5.5; 4.5.6; 4.5.6; 4.6.9; 4.6.10; 4.7.6; 4.7.7; 4.8.11; 4.8.12; 4.9.15; 4.9.16; 4.9.17; 4.9.18; 4.9.19; 4.9.20; 4.9.21; 4.9.22; 4.10.9; 4.10.10; 4.10.11; 4.10.12; 4.10.13; 4.11.9; 4.11.10; 4.11.11; 4.12.4; 4.13.2; 4.14.4; 4.15.3; 5.7; 5.8.15; 5.9.6; 5.10.6; 5.11.10; 5.11.11; 5.11.12; 5.11.13; 5.11.14; 5.11.15; 5.12.9; 5.12.10; 5.12.11; 5.12.12; 5.12.13; 5.12.14; 5.12.15; 5.12.16; 5.13.20; 5.13.21; 5.13.22; 5.14.13; 5.14.14; 5.14.15; 5.14.16; 5.14.17; 6.1.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.3.1; 6.4.12; 6.4.13; 6.4.14; 6.4.15; 6.4.16; 6.5.11; 6.5.12; 6.5.13; 6.5.14; और 6.5.15)

जिनके संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। गृह मंत्रालय द्वारा 6 अगस्त, 2013 को राज्य सभा सचिवालय को एटीआर भेज दी गई है।

(4) प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुल 107 सिफारिशों में से मंत्रालय ने 92 सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है पैरा संख्या 2.8; 2.17.15; 3.6.13; 3.9.6; 4.5.5; 4.6.10; 4.9.15; 5.11.10; 5.11.11; 5.11.12; 5.11.13; 5.12.10; 6.4.13; 6.4.14; और 6.4.15 में अंतर्विष्ट सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। यह उल्लेख करना होगा कि कई सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सतत् प्रकृति की है और समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(5) समिति के 169वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराओं में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई की स्थिति का विवरण अनुबंध में दिया गया है...*(व्यवधान)* जो कि सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री श्रीप्रकाश जायसवाल।

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदया, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:—

(एक) नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेल उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेल उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9811/15/13]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

नियम 198 के अधीन अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं। मुझे अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जब तक सभा में व्यवस्था नहीं होगी, मैं सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं रखने की स्थिति में नहीं होऊंगी। मैं आप सभी से अपने-अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध करती हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08½ बजे

इस समय श्री आर. थामराईसेलवन, श्री कल्याण बनर्जी, और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं। कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय श्री आर. थामराईसेलवन, श्री कल्याण बनर्जी, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यदि सभा में व्यवस्था नहीं है, तो मैं सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचना लेने की स्थिति में नहीं होऊंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सभा कल 11 दिसंबर, 2013 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्नह 12.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 दिसंबर, 2013/20 अग्रहायण, 1935(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के. सुधाकरण श्री पी.टी. थॉमस	61
2.	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	62
3.	श्री गजानन ध. बाबर डॉ. संजय सिंह	63
4.	श्री पी.सी. मोहन श्री रमेन डेका	64
5.	श्री अजय कुमार श्री पी. करूणाकरन	65
6.	श्री लालजी टन्डन डॉ. संजीव गणेश नाईक	66
7.	डॉ. रामचन्द्र डोम कुमारी सरोज पाण्डेय	67
8.	श्री सी.आर. पाटिल	68
9.	श्री बिभू प्रसाद तराई	69
10.	श्री राजू शेट्टी श्री सी. शिवासामी	70
11.	डॉ. रतन सिंह अजनाला श्री रामसिंह राठवा	71
12.	चौधरी लाल सिंह	72
13.	श्री सुवेन्दु अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	73
14.	श्री समीर भुजबल श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	74
15.	श्री गुरुदास दासगुप्त श्री यशवीर सिंह	75
16.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव श्री चंद्रकांत खैरे	76
17.	श्री शिवराम गौडा श्री बी.आई. राघवेन्द्र	77
18.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	78
19.	श्री वैजयंत पांडा	79
20.	श्री जगदीश ठाकोर श्री एम.के. राघवन	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	737, 894
2.	श्री बसुदेव आचार्य	789
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	766, 810, 905, 920
4.	श्री आनंदराव अडसुल	766, 810, 905, 920
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	735, 770, 838
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	743
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	742, 759, 841, 842, 917
8.	श्री सुल्तान अहमद	819
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	785
10.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	910
11.	श्री एम. आनंदन	768, 848
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	798, 839, 842, 911
13.	श्री घनश्याम अनुरागी	748, 839
14.	जयवंत गंगाराम आवले	766, 767, 773, 838

1	2	3
15.	श्री कीर्ति आजाद	717, 839
16.	श्री गजानन ध. बाबर	766, 810, 905, 920
17.	श्री रमेश बैस	829, 842
18.	श्री कामेश्वर बैठा	861, 862
19.	डॉ. बलीराम	797, 822
20.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	780, 822, 839, 855, 862
21.	श्री अवतार सिंह भडाना	805
22.	श्री सुदर्शन भगत	848
23.	श्री ताराचन्द भगोरा	755, 919
24.	श्री संजय भोई	806
25.	श्री समीर भुजबल	911
26.	श्री पी.के. बिजू	822, 865
27.	श्री कुलदीप बिश्नोई	739, 896
28.	श्री हेमानंद बिसवाल	837
29.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	846
30.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	767, 773, 803, 839
31.	श्री सी. शिवासामी	841, 857
32.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	843
33.	श्री हरीश चौधरी	708, 710
34.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	780, 822, 839, 862
35.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	839, 914
36.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	851
37.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	751, 822, 842, 850, 903
38.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	806, 860
39.	श्री भूदेव चौधरी	786, 828, 849
40.	श्रीमती श्रुति चौधरी	746, 836, 863, 900

1	2	3
41.	श्री भक्त चरण दास	782
42.	श्री खगेन दास	812
43.	श्री राम सुन्दर दास	697, 753, 772, 838, 841
44.	श्री गुरुदास दासगुप्त	912
45.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	839, 855
46.	श्री रमेन डेका	839, 908
47.	श्रीमती अश्वमेध देवी	786, 842, 849
48.	श्रीमती रमा देवी	781, 825, 848, 853
49.	श्री के.पी. धनपालन	723, 851, 864
50.	श्री संजय धोत्रे	839
51.	श्री आर. ध्रुवनारायण	809, 811, 836, 902, 904
52.	श्री चार्ल्स डिएस	765
53.	डॉ. रामचन्द्र डोम	907
54.	श्री निशिकांत दुबे	729, 838, 850, 865
55.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	770, 849
56.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	754, 842, 851, 915
57.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	766, 769, 779, 847, 860
58.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	809
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	766, 779
60.	श्री शिवराम गौडा	839, 840, 841, 913
61.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	773, 799, 820
62.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	794
63.	शेख सैदुल हक	769, 846
64.	श्री महेश्वर हजारी	839
65.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	759, 845

1	2	3
66.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	720, 841, 850, 859, 885
67.	श्री बलीराम जाधव	775, 803
68.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	781, 848, 853
69.	श्री बद्रीराम जाखड़	712, 840, 877
70.	श्रीमती दर्शना जरदोश	762
71.	श्री नवीन जिन्दल	740, 795, 803, 861, 897
72.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	839, 842
73.	श्री प्रहलाद जोशी	859
74.	श्री सुरेश कलमाडी	705, 870
75.	श्री पी. करुणाकरन	838, 846, 920
76.	श्री कपिल मुनि करवारिया	713, 753, 772, 838, 841
77.	श्री नलिन कुमार कटील	840, 902
78.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	835
79.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	822
80.	श्री चंद्रकांत खैरे	838, 879
81.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	732, 772, 855
82.	श्री अजय कुमार	837, 838, 903
83.	श्री पी. कुमार	738, 895
84.	श्रीमती पुतुल कुमारी	780, 822, 839, 855, 862
85.	श्री यशवंत लागुरी	703, 730, 841
86.	श्री सुखदेव सिंह	795
87.	श्री एम. कृष्णास्वामी	691, 745, 769, 899
88.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	701, 707, 767, 873
89.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	824

1	2	3
90.	श्री सतपाल महाराज	788
91.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	783
92.	श्री नरहरि महतो	703, 767, 817
93.	श्री भर्तृहरि महताब	769, 771, 839, 850
94.	श्री प्रदीप माझी	787, 791, 918
95.	श्री जोस के. मणि	709, 839, 909, 918
96.	श्री दत्ता मेघे	826, 844
97.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	741
98.	श्री पी.सी. मोहन	822, 866
99.	श्री अभिजीत मुखर्जी	760
100.	श्री गोपीनाथ मुंडे	769, 773, 822, 846, 850
101.	श्री विलास मुत्तेमवार	800
102.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	711, 786, 839, 876
103.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	750, 847
104.	श्री नामा नागेश्वर राव	772, 839
105.	श्री नरेनभाई काछादिया	764, 841, 855, 890, 906
106.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	774, 838
107.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	763
108.	श्री ओ.एस. मणियन	701, 903
109.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	695, 769, 771, 822, 851
110.	श्री पी.आर. नटराजन	693, 768, 883
111.	श्री विन्सेंट एच. पाला	790
112.	श्री वैजयंत पांडा	838, 902
113.	श्री प्रबोध पांडा	830, 912
114.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	881

1	2	3
115.	कुमारी सरोज पाण्डेय	837, 841
116.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	766, 769, 779, 847, 860
117.	श्री कमलेश पासवान	784
118.	श्री देवजी एम. पटेल	861, 862
119.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	700, 868, 891, 902
120.	श्री बाल कुमार पटेल	807, 841
121.	श्री किसनभाई वी. पटेल	787, 791, 918
122.	श्री हरिन पाठक	832
123.	श्री संजय दिना पाटील	750, 847
124.	श्री ए.टी. नाना पाटील	767, 803, 826, 831, 839
125.	श्रीमती भावना पाटील गवली	770, 849
126.	श्री सी.आर. पाटिल	830, 891
127.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	796, 822, 844
128.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	766, 769, 779, 847, 860
129.	श्रीमती कमला देवी पटले	764, 854, 914
130.	श्री पोन्नम प्रभाकर	691, 769, 809, 811, 872
131.	श्री अमरनाथ प्रधान	856
132.	श्री पन्ना लाल पुनिया	734, 765, 849, 850, 920
133.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	840
134.	श्री अब्दुल रहमान	793, 856
135.	श्री रमाशंकर राजभर	813
136.	श्री सी. राजेन्द्रन	724, 822, 855, 902
137.	श्री एम.बी. राजेश	727, 889
138.	श्री पूर्णमासी राम	802
139.	श्री कादिर राणा	845
140.	श्री निलेश नारायण राणे	718, 884
141.	श्री के. नारायण राव	776, 839
142.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	747, 805, 863
143.	श्री रामसिंह राठवा	725, 875, 891, 906
144.	श्री अशोक कुमार रावत	733, 759, 892
145.	श्री अर्जुन राय	798, 839, 911
146.	श्री विष्णु पद राय	744, 898
147.	श्री रुद्रमाधव राय	814, 839
148.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	771, 847, 863
149.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	821, 839, 850, 906
150.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	703, 716, 817
151.	श्री महेन्द्र कुमार राय	752
152.	प्रो. सौगत राय	811
153.	श्री एस. अलागिरी	816, 825, 853
154.	श्री एस. सेम्मलई	769, 801, 822
155.	श्री एस. पक्कीरप्पा	721, 767, 769, 832, 886
156.	श्री एस.आर. जेयदुरई	773, 780, 799, 839
157.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	695, 761, 769, 771, 842
158.	डॉ. अनूप कुमार साहा	752
159.	श्री ए. सम्पत	704, 822, 865
160.	श्री तकाम संजय	756
161.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	914
162.	श्री तूफानी सरोज	852
163.	श्री हमदुल्लाह सईद	698, 867
164.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	855, 864

1	2	3
165.	श्री नीरज शेखर	817, 842
166.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	694, 719, 854, 909
167.	श्री राजू शेट्टी	909
168.	श्री एंटो एंटोनी	857, 859
169.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	706, 878
170.	डॉ. भोला सिंह	758, 910, 916
171.	श्री गणेश सिंह	792, 909, 915, 918
172.	श्री इज्यराज सिंह	838
173.	श्री जगदानंद सिंह	808, 910
174.	श्री महाबली सिंह	768, 841
175.	श्रीमती मीना सिंह	786, 849
176.	श्री पशुपति नाथ सिंह	736, 893
177.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	692, 773, 904
178.	श्री राधा मोहन सिंह	775, 842
179.	श्री राकेश सिंह	804
180.	श्री रतन सिंह	699
181.	श्री रवनीत सिंह	726, 795, 837, 888
182.	श्री सुशील कुमार सिंह	834
183.	श्री उदय सिंह	731, 901
184.	श्री यशवीर सिंह	817, 842
185.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	788
186.	श्री प्रभुनाथ सिंह	834
187.	श्री एन. धरम सिंह	759, 903, 913
188.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	694, 909
189.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	778
190.	श्री मकनसिंह सोलंकी	777, 852, 902
191.	श्री ई.जी. सुगावनम	725, 839, 842, 851, 887

1	2	3
192.	श्री के. सुगुमार	715, 841, 851, 882
193.	श्रीमती सुप्रिया सुले	847
194.	श्री मानिक टैगोर	757, 771, 862
195.	श्री लालजी टन्डन	775, 906
196.	श्री अशोक तंवर	82, 841
197.	श्री जगदीश ठाकोर	915
198.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	722, 773
199.	श्री आर. थामराईसेलवन	833, 841
200.	श्री पी.टी. थॉमस	871
201.	श्री मनोहर तिरकी	716, 767
202.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	696, 759
203.	श्री लक्ष्मण टुडु	815
204.	श्री शिवकुमार उदासी	844
205.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	839
206.	श्री हर्ष वर्धन	839
207.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	815, 816, 853
208.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	728, 843, 844, 890
209.	श्री सज्जन वर्मा	702, 845, 869
210.	श्री वीरेन्द्र कुमार	822, 858
211.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	844, 854
212.	श्री पी. विश्वनाथन	749
213.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	714, 880
214.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	769, 847
215.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	699, 703, 708, 874
216.	श्री धर्मेन्द्र यादव	766, 810, 905, 920
217.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	823, 850
218.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	818

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	63, 64, 72, 80
रसायन और उर्वरक	:	65
कोयला	:	68, 69, 73, 75, 78
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	61, 62, 67, 70
संस्कृति	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	79
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	71
गृह	:	66, 76, 77
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	74
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	697, 700, 723, 730, 740, 744, 746, 747, 748, 758, 759, 760, 765, 776, 777, 786, 791, 792, 795, 796, 798, 799, 805, 809, 812, 813, 815, 820, 821, 823, 826, 832, 844, 853, 855, 860, 861, 862, 865, 871, 874, 881, 889, 893, 900, 902, 906, 912, 914, 915, 920
रसायन और उर्वरक	:	699, 702, 711, 712, 731, 762, 763, 766, 767, 775, 779, 794, 802, 803, 831, 848, 852, 854, 867, 905, 916
कोयला	:	691, 704, 719, 728, 735, 736, 742, 778, 783, 787, 868, 872, 873, 882, 890, 891, 894, 910
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	692, 694, 703, 709, 722, 733, 741, 743, 745, 768, 770, 772, 773, 789, 800, 807, 810, 811, 814, 824, 825, 830, 834, 835, 836, 838, 839, 849, 887, 904, 907, 909, 911, 917
संस्कृति	:	715, 732, 774, 781, 864, 875, 879, 885, 899, 919
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	717, 808, 819, 880

गृह		693, 695, 698, 701, 705, 707, 708, 710, 716, 725, 727, 734, 738, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 761, 764, 769, 771, 780, 785, 788, 790, 793, 797, 804, 806, 816, 822, 828, 829, 833, 837, 840, 841, 842, 843, 846, 847, 850, 851, 856, 857, 859, 863, 866, 870, 884, 895, 896, 897, 898, 901, 903, 908, 913, 918
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	696, 713, 714, 718, 720, 721, 724, 726, 729, 737, 749, 754, 782, 784, 801, 817, 827, 845, 858, 869, 876, 877, 878, 883, 892
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	706, 739, 818, 886, 888.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मैसर्स आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।